आज़ादी का
अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
और
उच्चतर शिक्षा विभाग

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
और
उच्चतर शिक्षा विभाग

उच्चतर शिक्षा विभाग

पार्ट - I

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
1	परिचय	01-04
2	नीति	05-08
3	उच्चतर शिक्षा का सिंहावलोकन	09-13
4	नियामक और परामर्शदात्री निकाय	15-38
5	योजनाएं और कार्यक्रम	39-64
6	केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थान	65-81
7	अन्य तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान	83-86
8	प्रौद्योगिकी समर्थित अधिगम	87-97
9	दूरस्थ अधिगम	99-110
10	भाषा संस्थान और राजभाषा	111-116
11	अनुसंधान परिषद और अन्य निकाय	117-122
12	आईसीसी और यूनेस्को	123-130
	अनुबंध– एनआईटी और आईआईईएसटी की सूची	131-132

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

पार्ट - II

क्र.सं.	अध्याय की संख्या और नाम		पृष्ठ सं.
1.	**अध्याय–1:**		135-180
	i.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020	136
	ii.	समग्र शिक्षा	139
	iii.	अधिगम परिणाम	141
	iv.	सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आरटीई अधिनियम, 2009 में संशोधन	143
	v.	"नो डिडिटेंशन प्रोविजन" के संबंध में आरटीई अधिनियम में संशोधन	145
	vi.	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण	145
	vii.	पीसा के लिए क्षमता निर्माण	147
	viii.	नेशनल इनिशिएटिव फोर स्कूल हैड्स एण्ड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवान्समेंट (निष्ठा)	149
	ix.	स्ट्रेन्थनिंग टीचिंग–लर्निंग एण्ड रिजल्टस फोर स्टेट्स (स्टार्स)	152
	x.	परफार्मेन्स एसेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फोर हॉलिस्टिक डवलपमेंट (परख)	153
	xi.	स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई)	154
	xii.	स्कूल बैग नीति	157
	xiii.	कोविड के दौरान इनोवेटिव लर्निंग	159
	i.	चर्चा और विचार–विमर्श	160
	ii.	एनेब्लर्स के तौर पर दिशा–निर्देश	160
	iii.	स्कूल में बच्चों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना	163
	क)	अधिगम प्रक्रियाएं	163
	ख)	बच्चों की रक्षा और सुरक्षा	165
	ग)	कंपोजिट स्कूल अनुदान के तहत स्कूल सैनेटाईजेशन	166
	xiv.	एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान	166
	xv.	संविधान दिवस और नागरिक कर्तव्य (नागरिक कार्तव्य पालन अभियान):	170
	xvi.	सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेशी शिक्षा	172
	xvii.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)	175
	xviii.	ईसीसीई – बाल देखभाल और शिक्षा	176

क्र.सं.	अध्याय की संख्या और नाम		पृष्ठ सं.
	xix.	समग्र शिक्षा के तहत खेल अनुदान	177
	xx.	समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय अनुदान	177
	xxi.	डाटा साझाकरण नीति	178
	xxii.	शगुन निक्षेपागार	178
	xxiii.	विद्यांजलि	178
	xxiv.	आकांक्षी जिला कार्यक्रम	178
	xxv.	ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस	178
	xxvi.	प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई)	179
	xxvii.	जनसंख्या अनुमान	180
	xxviii.	यूडीआईएसई प्लस	180
	xxix.	परीक्षा परिणाम	180
2	**अध्याय 2: स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार**		181
	i.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	182
	ii.	अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (एनएटी)	194
3	**अध्याय 3: छात्रवृत्ति योजनाएं और अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं**		197
	i.	राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस)	198
	ii.	लड़कियों के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना (एनएसआईजीएसई)	199
	iii.	मदरसों/अल्पसंख्यकों में शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम)	199
4	**अध्याय 4: प्रौढ शिक्षा**		201–208
5	**अध्याय 5: स्कूल शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता**		209
	क)	जवाहर नवोदय विद्यालय समिति (जेएनवी)	210
	ख)	केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)	223
	ग)	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)	235
	घ)	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)	247
	ङ)	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)	277
	च)	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)	284
	छ)	केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)	287
	ज)	राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी)	289
6	**अनुलग्नक**		295-300

सामान्य अध्याय– उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

पार्ट - III

क्र. सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
1	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, पूर्वात्तर एवं पर्वतीय राज्यों की शिक्षा	303-326
2	महिलाओं का शैक्षिक विकास	327-334
3	दिव्यांगजनों का शैक्षिक विकास	335-345
4	प्रशासन	347-352
5	सीएजी लेखापरीक्षा	353-356
6	बजट	357-366
7	अनुलग्नक	
	I. संगठनात्मक चार्ट – उच्चतर शिक्षा विभाग	367
	II. संगठनात्मक चार्ट – स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	368

पार्ट - I

उच्चतर शिक्षा विभाग

01

परिचय

परिचय

शिक्षा मंत्रालय में दो विभाग हैं:

- ❖ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (एसई और एल)
- ❖ उच्चतर शिक्षा विभाग (एचई)

"भारत सरकार (कार्यका आवंटन) नियम, 1961" के अनुसार शिक्षा मंत्रालय को निम्नलिखित विषय आवंटित किए गए हैं:

क. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

1. प्रारंभिक शिक्षा
2. बुनियादी शिक्षा।
3. बाल भवन, बाल संग्रहालय।
4. सामाजिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा।
5. इस सूची में प्रविष्टियों के संदर्भ में दृश्य–श्रव्य शिक्षा।
6. सूची में मदों के संबंध में पुस्तकें (उन पुस्तकों के अतिरिक्त जिनका संबंध सूचना और प्रसारण मंत्रालय से है) और पुस्तक विकास (स्टेशनरी पेपर और समाचार प्रिंट उद्योगों को छोड़कर, जिनका संबंध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है)।
7. सूची में मदों के संबंध में शैक्षिक अनुसंधान।
8. सूची में मदों के संदर्भ में प्रकाशन, सूचना और सांख्यिकी।
9. सूची में मदों के संदर्भ में शिक्षक प्रशिक्षण।
10. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद।
11. इस विभाग के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित धर्मार्थ और धर्मार्थ संस्थान, धर्मार्थ और धार्मिक निधियां।
12. माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन।
13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।

ख. उच्चतर शिक्षा विभाग

1. विश्वविद्यालय शिक्षा; केंद्रीय विश्वविद्यालय; उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा योजना और स्कूली शिक्षा के विकास से संबंधित ग्रामीण उच्चतर शिक्षा विदेशी सहायता कार्यक्रम।
2. उच्चतर शिक्षा संस्थान (विश्वविद्यालयों से इतर)।
3. सूची में मदों के संबंध में पुस्तकें (उन पुस्तकों के अतिरिक्त जिनका संबंध सूचना और प्रसारण मंत्रालय से है) और पुस्तक विकास (स्टेशनरी पेपर और समाचार प्रिंट उद्योगों को छोड़कर, जिनका संबंध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है)।
4. सूची में मदों के संदर्भ में श्रव्य दृश्य शिक्षा।
5. क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य– पुस्तकें तैयार करना।

6. शैक्षिक अनुसंधान।
7. प्रकाशन, सूचना और सांख्यिकी।
8. बहुभाषी शब्दकोशों सहित हिंदी का विकास और प्रसार।
9. हिंदी के शिक्षण और प्रचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
10. संस्कृत का प्रचार और विकास।
11. विस्थापित शिक्षकों और छात्रों से संबंधित पुनर्वास और अन्य समस्याएं।
12. केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड।
13. यूनेस्को और यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग।
14. इस विभाग द्वारा निपटाए जाने वाले विषयों में विदेशोंऔर विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी छात्रवृत्तियों से संबंधित मामले, लेकिन इनमेंअनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, गैर–अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध–घुमंतू जनजातियों और सामान्य छात्रवृत्ति योजनाओं और विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और विभिन्न योजनाएं शामिल नहीं हैं।
15. विदेशों में भारतीय छात्रों की शिक्षा और कल्याण; विदेशों में भारतीय मिशनों के शिक्षा विभाग; विदेशों में शिक्षा संस्थानों और भारतीय छात्र संघों को वित्तीय सहायता।
16. शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम; शिक्षकों, प्रोफेसरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, आदि का आदान–प्रदान; भारत और विदेशों के बीच अध्येताओं का आदान–प्रदान कार्यक्रम।
17. विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को विदेश में असाइनमेंट स्वीकार करने की अनुमति देना।
18. भारतीय संस्थानों में विदेशी छात्रों का प्रवेश।
19. इस विभाग के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित धर्मार्थ और धर्मार्थ संस्थान, धर्मार्थ और धार्मिक निधियां।
20. विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में उच्च गणित, परमाणु विज्ञान और परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान के अलावा तदर्थ वैज्ञानिक अनुसंधान।
21. विज्ञान मंदिर।
22. गणित, परमाणु विज्ञान और परमाणु ऊर्जा के अलावा अन्य क्षेत्रों में अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता के संबंध में सामान्य नीति।
23. तकनीकी शिक्षा का विस्तार, विकास और समन्वय।
24. योजना और वास्तुकला स्कूल।
25. मुद्रण के क्षेत्रीय स्कूल।
26. तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य सरकार के संस्थानों, गैर–सरकारी संस्थानों, पेशेवर निकायों और केंद्र शासित प्रदेशों के तकनीकी संस्थानों को सहायता अनुदान। बुनियादी विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए सहायता अनुदान, शैक्षिक संस्थानों में उच्चतर वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के विकास के लिए सहायता अनुदान; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मौलिक अनुसंधान के लिए अनुदान सहायता; मौलिक अनुसंधान के लिए व्यक्तियों को अनुदान।
27. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसमें राष्ट्रीय डिप्लोमा और राष्ट्रीय प्रमाणपत्र परीक्षा आयोजित करना शामिल है।

28. इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों के छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधाएं।
29. भारत सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के प्रयोजनों के लिए व्यावसायिक तकनीकी योग्यता की मान्यता।
30. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप और अध्येतावृत्ति।
31. भारत में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी परीक्षा आयोजित करना।
32. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
33. नेशनल बुक ट्रस्ट।
34. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद।
35. इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स एंड एप्लाइड जियोलॉजी, धनबाद।
36. खड़गपुर, मुंबई, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी और रुड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान।
37. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
38. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई।
39. भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट हाउस।
40. आधुनिक भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजनाएँ।
41. इंजीनियरिंग व्यावसायिक सेवाओं का विनियमन।
42. वास्तुकार अधिनियम, 1972 (1972 का 20)।

02

नीति

नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को पूराकरना है। इसनीति में इसके विनियम और अभिशासन सहित शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं में परिवर्तन और उनका पुनःनिरूपण करने, ऐसी नई प्रणाली का सृजन करने का प्रस्ताव है जो भारत की परंपराओं के आधार पर सतत विकास लक्ष्य 4 सहित 21 वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के अनुरूप हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष बल दिया गया है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं– साक्षरता और गणितीय क्षमता की 'आधारभूत क्षमता' और 'उच्चतर–क्रम' की संज्ञानात्मक क्षमताओं, जैसेकि आलोचनात्मक विचारशीलता और समस्या समाधान–का विकास होनाचाहिए वरनसामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमता और स्वभाव का भी विकास होना चाहिए।

शिक्षा प्रणाली का प्रयोजन स्वस्थ नैतिक विचारों और मूल्यों के साथ–साथ करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक स्वभाव और रचनात्मक कल्पना युक्ततर्कसंगत विचारशीलता और कार्रवाई करने में सक्षम अच्छे इंसानों का विकास करना है। इसका उद्देश्य हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित एक समान, समावेशी और बहुल समाज के निर्माण में शामिल, लाभदायक और योगदान करने वाले नागरिकों का निर्माण करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के नैतिक मूल्यों में जड़ीभूत ऐसी शैक्षिक प्रणाली की परिकल्पना की गई है जिससे सभी को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर और इससे भारत को एक वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाने में इंडिया, अर्थात भारत के कायान्तरण में प्रत्यक्ष योगदान होता है। नीति में परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्याऔर शिक्षण विधि से छात्रों में मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना, देश से लगाव, बदलती दुनिया में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत जागरूकता का विकास होना चाहिए। नीति का विजन शिक्षार्थियों के बीच न केवल विचार में, बल्कि भाव, बुद्धि और कर्मों में भी भारतीय होने के साथ–साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और ऐसे स्वभाव को विकसित करने के लिए एक गहरा गर्व पैदा हो जिससे मानवाधिकार, सतत विकास और रहन–सहन और वैश्विक कल्याण के प्रति उत्तरदायी प्रतिबद्धता और इसके द्वारा यथार्थ में एक वैश्विक नागरिक प्रतिबिंबित हो।

मंत्रिमंडल की मंजूरी से 29.07.2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, नीति के कार्यान्वयन के लिए कई पहलों और कार्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कई निकायों को एक साथ और व्यवस्थित तरीके से करना होगा। एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

(i) पूर्व–प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना;

(ii) 3–6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना;

(iii) नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4);

(iv) कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और

शैक्षणिक विषयों के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं;

(v) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना;

(vi) बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर; कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम, घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।

(vii) मूल्यांकन सुधार – किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान दो अवसरों पर बोर्ड परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और एक इम्प्रूवमेंट के लिए, यदि वांछित हो;

(viii) एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा, और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण)की स्थापना;

(ix) समान और समावेशी शिक्षा–सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर दिया गया;

(x) वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग महिला–पुरूष समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र;

(xi) शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रक्रिया;

(xii) स्कूल परिसरों और समूहों के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(xiii) राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना;

(xiv) स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का एक्सपोजर;

(xv) उच्चतर शिक्षा में जीईआर बढ़ाकर 50% करना;

(xvi) बहु प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ समग्र बहुविषयक शिक्षा;

(xvii) एनटीए, एचईआई में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव करेगा;

(xviii) अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना;

(xix) बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) की स्थापना;

(xx) राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना;

(xxi) 'सरल किंतु प्रभावी' विनियमन;

(xxii) शिक्षक शिक्षा और चिकित्सा और विधिक शिक्षा को छोड़कर उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकल व्यापक सुरक्षा निकाय– भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई)–मानक स्थापना के लिए स्वतंत्र निकाय के साथ– सामान्य शिक्षा परिषद; वित्त पोषण–उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी); प्रत्यायन– राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी); और विनियमन– राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी);

(xxiii) जीईआर बढ़ाने के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार।

(xxiv) शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण

(xxv) व्यावसायिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होगी। स्टैंड–अलोन तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालय, या इन या अन्य क्षेत्रों में संस्थान, बहु–अनुशासनात्मक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे।

(xxvi) शिक्षक शिक्षा – 4 वर्षीय एकीकृत चरण–विशिष्ट, विषय–विशिष्ट शिक्षा स्नातक

(xxvii) मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना।

(xxviii) अधिगम, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान

करने के लिए एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) का निर्माण। शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का समुचित एकीकरण।

(xxxiv) 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता हासिल करना।

(xxix) नियंत्रण और संतुलन वाले एकाधिक तंत्र उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण का मुकाबला करेंगे और रोकेंगे।

(xxx) सभी शिक्षा संस्थानों की समानलेखापरीक्षा की जाएगी और 'अलाभकारी' इकाई के रूप में प्रकट किया जाएगा।

(xxxi) शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को शीघ्रातिशीघ्र जीडीपी के 6% तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य साथ मिलकर काम करेंगे।

(xxxii) पूरा फोकस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर लाने के लिए समन्वय सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को मजबूत करना।

शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को एनईपी 2020 को अक्षरशः लागू करने के लिए सूचित कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने सुझाव लेने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर विचार–विमर्श करने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर, 2020 तक 'शिक्षक पर्व' का आयोजन किया। मंत्रालय ने 07.09.2020 को "उच्चतर शिक्षा के रूपांतर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका" पर राज्यपालों, उपराज्यपालों और शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया है। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, शिक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों केराष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईआईटी, एनआईटी, एसपीए आदि) के निदेशकों के साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2020 को 'एनईपी 2020 का कार्यान्वयन: उच्चतर शिक्षा' पर विजिटर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। वर्तमान में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यान्वयन योजना तैयार की जा रही है।

07.09.2020 को आयोजित "उच्चतर शिक्षा के रूपांतरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका" पर राज्यपालों, उपराज्यपालों और शिक्षा मंत्रियों के वीडियो सम्मेलन से चित्र।

03

उच्चतर शिक्षा का सिंहावलोकन

उच्चतर शिक्षा का सिंहावलोकन

उच्चतर शिक्षा में नामांकन एक तुलनात्मक अध्ययन

(क) वर्ष 2011—12 और 2019—20के बीच संकाय—वार नामांकन का तुलनात्मक अध्ययन

आकृति 1.1: संकायवार छात्र नामांकन: विश्वविद्यालय और कॉलेज: 2011—12

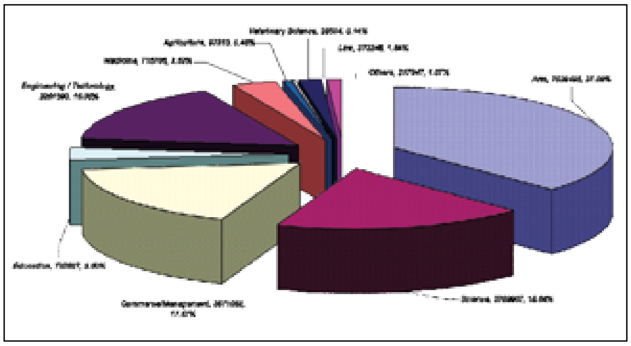

आकृति 1.2: स्तरवार छात्र नामांकन: विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/विश्वविद्यालय/कॉलेज और संबद्ध कॉलेज: 2011—12

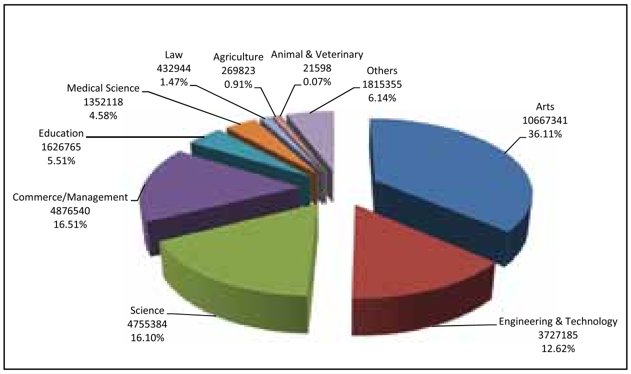

** स्रोत: एआईएसएचई*

वर्ष 2011—12 और 2019—20 के लिए उच्च शिक्षा के संकायवार नामांकन (आकृति 1.1 और 1.2) से पता चलता है कि सभी संकायों में छात्रों के नामांकन में 2011—12 की तुलना में वर्ष 2019—20 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

आकृति 2.1: स्तरवार छात्र नामांकन: विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/विश्वविद्यालय/कॉलेज और संबद्ध कॉलेज: 2011—12

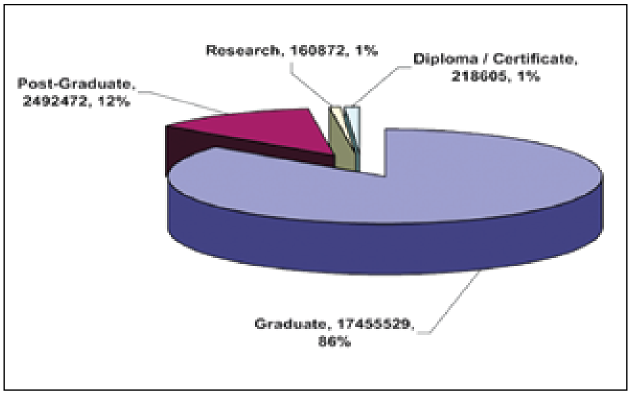

चित्रा 2.2 स्तरवार छात्र नामांकन : विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/विश्वविद्यालय कॉलेज और संबद्ध कॉलेज : 2019—20

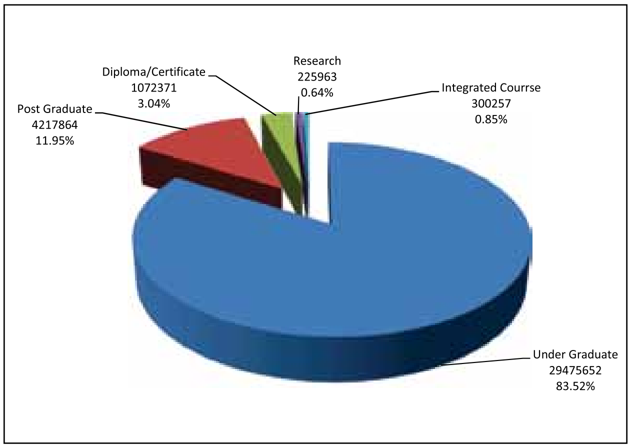

वर्ष 2011—12 और 2019—20 (आकृति 2.1 और 2.2) के लिए उच्चतर शिक्षा के स्तर वार नामांकन के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों के नामांकन में क्रमश: 63.50% और 58.32% की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान नामांकन में कुल वृद्धि 28.15% है।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई)

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2011 में शुरू किया गया जिसमें वर्ष 2010–11 के आंकड़ों को एकत्र किया गया था। सर्वेक्षण अत्यंत आवश्यक था क्योंकि उच्च शिक्षा के आंकड़ों के स्रोतों में से कोई भी देश में उच्च शिक्षा की पूरी तस्वीर नहीं देता था। इसके अलावा, वहाँ कई महत्वपूर्ण पैरामीटर थे जिन पर नीति बनाने के लिए डाटा की आवश्यकता थी लेकिन या तो कोई डाटा उपलब्ध नहीं था या अपूर्ण डाटा उपलब्ध था। पहली बार उच्च शिक्षा में सभी प्रमुख हितधारकों जैसे भारत की चिकित्सा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद और साथ ही राज्य सरकारों ने डाटा संग्रह कार्य के लिए भाग लिया है। पूरे सर्वेक्षण का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया गया और इस प्रयोजन के लिए एक समर्पित पोर्टल www.aishe.gov.in विकसित किया गया था, इस प्रकार, यह काम पूरी तरह से कागज रहित हो गया। सर्वेक्षण में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले देश के सभी संस्थानों को शामिल किया गया है। शिक्षक, छात्र नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त, अवसंरचना आदि जैसे कई मापदंडों से संबंधित आंकडे एकत्र किए जा रहे हैं। शैक्षणिक विकास के संकेतकों जैसे संस्था के घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र–शिक्षक अनुपात, जेंडर समता आदि की गणना की जाती है। एआईएसएचई द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से ये शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए सूचित नीतिगत फैसलों और अनुसंधान करने में उपयोगी हैं।

एआईएसएचई 2019–20 के प्रमुख परिणाम

- **एआईएसएचई 2010–11से 2019–20:** एआईएसएचई द्वारा वर्ष 2010–11 का डाटा एकत्र करने की शुरुआत के बाद से, उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रतिक्रिया में काफी सुधार हुआ है। एआईएसएचई 2019–20 के दौरान, 97.7% विश्वविद्यालय, 94.4% कॉलेज और 81.5% स्टैंड–अलोन संस्थानों ने पोर्टल पर डाटा अपलोड किया। एआईएसएचई 2010–11 से 2018–19 की अंतिम रिपोर्ट एमओई वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्ष 2019–20 के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और वर्ष 2020–21 के सर्वेक्षण के लिए पंजीकरण 7 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया है।
- इस सर्वेक्षण में देश की समस्त उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को कवर किया गया है। जो एआईएसएचई पोर्टल में एआईएसएचई कोड से www.aishe.gov.in पोर्टल पर पंजीकृत हैं। संस्थाओं को तीन व्यापक श्रेणियों; विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्टैंड अलोन संस्थाओं में विभाजित किया गया है।
- एआईएसएचई वेब पोर्टल पर 1043 विश्वविद्यालय, 42343 कॉलेज और 11779 स्टैंड अलोन संस्थाएं सूचीबद्ध हैं जिनमें से सर्वेक्षण के दौरान 1019 विश्वविद्यालयों, 39955 कॉलेजों और 9599 स्टैंड अलोन संस्थाओं ने प्रतिक्रिया दी है। 307 विश्वविद्यालयों के संबद्ध कॉलेज हैं।
- 396 विश्वविद्यालय निजी तौर पर प्रबंधित हैं। 420 विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं।
- 17 विश्वविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं जिनमें से 3 राजस्थान, 2 कनार्टक और तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में एक है।
- एक केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अलावा, 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और 1 राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय है। 110 दोहरी पद्धति विश्वविद्यालय हैं जोकि दूरस्थ पद्धति के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करते हैं और इनमें से अधिकतम 13 तमिलनाडु में स्थित हैं।
- 522 सामान्य, 177 तकनीकी, 63 कृषि और संबद्ध, 66 चिकित्सा, 23 विधि, 12 संस्कृत और 11 भाषा विश्वविद्यालय और शेष 145 अन्य श्रेणी के विश्वविद्यालय हैं।
- भारत में कॉलेजों की उच्चतर संख्या वाले शीर्ष 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक,

राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और मध्यप्रदेश शामिल हैं।

- कॉलेजों की अधिकतम संख्या वाले जिलों में 1009कॉलेजों के साथ बेंगलौर (शहरी) जिला सबसे ऊपर है जिसके बाद 606 कॉलेजों के साथ जयपुर है। शीर्ष 50 जिलों में लगभग 32% कॉलेज हैं।
- कॉलेज घनत्व अर्थात कॉलेजों की संख्या प्रति लाख पात्र जनसंख्या (आयु समूह 18–23 वर्ष की जनसंख्या) 30 के अखिल भारतीय औसत की तुलना में बिहार में 7 से कर्नाटक में 59 तक भिन्न–भिन्न है।
- 60.56% कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और 10.75% कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं।
- केवल 2.7% कालेजों में पीएच.डी पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं और 35.04% कालेज स्नातकोत्तर स्तर कार्यक्रम संचालित करते हैं।
- 32.6% कालेज केवल एक कार्यक्रम संचालित करते है जिनमें से 84.1% कालेज निजी तौर पर प्रबंधित हैं। इनमें से, 37.4% कॉलेज केवल बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करते हैं।
- 78.6% कालेज निजी तौर पर प्रबंधित है; 65.2% निजी–गैर–सहायता प्राप्त हैं और 13.4% निजी सहायता प्राप्त है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग 80% निजी–गैर–सहायता प्राप्त कालेज हैं और उत्तर प्रदेश में 78.5% निजी–गैर–सहायता प्राप्त कालेज हैं जबकि चंडीगढ में केवल 8.0% निजी–गैर–सहायता प्राप्त कालेज हैं।
- 16.6% कालेजों में नामांकन 100 से कम है और केवल 4% कालेजों में नामांकन 3000 से अधिक है।
- उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन अनुमानित 38.5 मिलियन है जिसमें 19.6 मिलियन बालक और 18.8 मिलियन बालिकाएं हैं। कुल नामांकन की 49% बालिकाएं हैं।
- भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 27.1 है जोकि 18–23 वर्ष की आयु समूह की गणना के अनुसार है। 27.1 के राष्ट्रीय जीईआर की तुलना में पुरूष जनसंख्या हेतु जीईआर 26.9, महिलाओं हेतु 27.3, अनुसूचित जाति हेतु 23.4 और अनुसूचित जनजाति हेतु 18.0 है।
- उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन का 11.1% दूरस्थ नामांकन है जिसमें से 44.5% महिला छात्र हैं।
- लगभग 79.5% छात्र अवर स्नातक कार्यक्रम में नामांकित हैं। 2,02,550 छात्र पीएच.डी हेतु नामांकित हैं जोकि कुल छात्र नामांकन का 0.5% से कम है।
- सबसे अधिक छात्र बी.ए. कार्यक्रम हेतु नामांकित हैं उसके बाद बी.एससी और बी.कॉम कार्यक्रमों का नंबर आता है। उच्चतर शिक्षा में लगभग 196 कार्यक्रमों में से केवल 10 कार्यक्रम कुल नामांकित छात्रों के 79% को कवर करते हैं।
- अवर स्नातक पर कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक (32.7%) छात्र नामांकित हैं उसके बाद विज्ञान (16%), वाणिज्य 14.9%, और इजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में (12.6%) छात्र नामांकित हैं।
- पीएच.डी स्तर पर, सबसे अधिक छात्र इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में उसके बाद विज्ञान स्ट्रीम में नामांकित हैं। दूसरी तरफ, स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वाधिक छात्र सामाजिक विज्ञान स्ट्रीम में नामांकित हैं और विज्ञान नंबर दो पर है।
- सर्वाधिक छात्र नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं।
- कुल नामांकन में से अनुसूचित जाति छात्रों का नामांकन 14.7% और अनुसूचित जनजाति छात्रों का नामांकन 5.6% है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र 37%, मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्र 5.5% और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र 2.3% है।

- उच्चतर शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों की कुल संख्या 49,348 है।
- विश्वभर के 168 विभिन्न देशों से विदेशी छात्र आते हैं। शीर्ष 10 देशों के कुल विदेशी छात्रों का नामांकन 63.9% है।
- विदेशी छात्रों की अधिकतम संख्या पड़ोसी देशों से है जिसमें कुल नामांकन में नेपाल 28.1%, अफगानिस्तान (9.1%), बंगलादेश (4.6%), भूटान (3.8%), और सुडान (3.6%) हैं।
- प्राइवेट सेक्टर, सहायता प्राप्त और गैर–सहायता प्राप्त कुल 78.6% से अधिक कॉलेज संचालित हैं, परंतु ये कुल नामांकन के केवल 66.3% की आवश्यकता को पूरा करते हैं।
- शिक्षकों की अनुमानित कुल संख्या 15,03,156 है जिसमें से आधे से अधिक लगभग 57.5% पुरूष शिक्षक और 42.5% महिला शिक्षक हैं। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 100 पुरूष शिक्षकों की तुलना में मात्र 74 महिला शिक्षक है।
- विश्वविद्यालय और कॉलेजों में यदि नियमित नामांकन को देखा जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 28 है और विश्वविद्यालयों और इसके घटक यूनिटों का नियमित मोड में पीटीआर 18 है।
- गैर–शिक्षण स्टाफ में सर्वाधिक भाग समूह 'ग' पदों का 40.1% है इसके बाद समूह 'घ' का 27.7% है। समूह 'क' और समूह 'ख' का भाग क्रमश: 15.1% और 17.2% है।
- गैर–शिक्षण स्टाफ में महिलाओं की औसत संख्या प्रति 100 पुरूषों की तुलना में 51 है।
- वर्ष 2017 के दौरान, 38,986 छात्रों को पीएच.डी डिग्री अवार्ड की गई जिसमें 21,577 पुरूष और 17,409 महिलाएं हैं।
- बी.ए (20.3 लाख) डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है। बीएससी (10.6 लाख) दूसरे और बी.कॉम (9.3 लाख) तीसरे नम्बर पर है।
- स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए पास करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है इसके बाद एम. एससी और एमबीए है।
- कला पाठ्यक्रमों में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या (20.7 लाख) सर्वाधिक है।
- पीएच.डी स्तर पर, विज्ञान स्ट्रीम डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है जिसके बाद इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी है। दूसरी ओर पीजी स्तर पर सामाजिक विज्ञान स्ट्रीम की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है और उसके बाद विज्ञान स्ट्रीम दूसरे नंबर पर है।
- राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों में पीएच.डी छात्रों की संख्या 29.8% सर्वाधिक है उसके बाद राष्ट्रीय महत्व के संस्थान 23.2%, निजी समवत् विश्वविद्यालय 13.9% और केन्द्रीय विश्वविद्यालय 13.6% है।
- राष्ट्रीय महत्व संस्थान में महिला छात्रों की संख्या बहुत कम है इसके बाद सरकारी सम विश्वविद्यालयों, राज्य निजी विश्वविद्यालय है।

❖ ❖ ❖

04

नियामक और सलाहकार निकाय

नियामक और सलाहकार निकाय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार और समन्वय के लिए और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अलावा, आयोग उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक उपाय करता है। यूजीसी नई दिल्ली में अपने मुख्यालय और हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु और दिल्ली में उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो में स्थित इसके छह क्षेत्रीय कार्यालयों से कार्य करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए नियामक सुधार

उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और निर्धारण के अपने जनादेश के निर्वहन के लिए, यूजीसी ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित किया है:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय उत्कृष्ट संस्थान) (संशोधन) विनियम, 2021;
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020;
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) संशोधन विनियम, 2020

उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता

यूजीसी प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को उनके समग्र विकास के लिए सहायता करता है, जिसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे पहुंच बढ़ाना, इक्विटी सुनिश्चित करना, प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना, गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार करना, विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना, अधिक संकाय सुधार कार्यक्रम प्रदान करना, छात्रों के लिए सुविधाओं को बढ़ाना, विश्वविद्यालयों की अनुसंधान सुविधाएं बढ़ानाऔर अन्य योजनाएं।

वर्ष 2019–2020 (01.04.2020 से 31.12.2020) के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, समवत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जारी अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

योजनाओं/वस्तु शीर्षों का नाम	आवंटन 2020–21	31–12–2020 तक प्राप्त धनराशि	31.12.2020 तक व्यय
केंद्रीय विश्वविद्यालय/कॉलेज	8501.17	5456.82	5450.57
समवत विश्वविद्यालय	371.00	208.80	208.68
राज्य विश्वविद्यालय/कॉलेज/आईयूसी/छात्रवृत्ति और फैलोशिप के लिए ऑनलाइन भुगतान/क्षेत्रीय केंद्र/गैर–विश्वविद्यालय संस्थान और प्रशासनिक शुल्क (एचओ और आरओ)	4448.20	3242.80	2794.40
कुल	**13320.37**	**8908.42**	**8453.65**

यूजीसी उन सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता प्रदान करता है जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) और 12(बी) के तहत मान्यता प्राप्त हैं, यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों और व्यापक परिव्यय के ढांचे में खरीद की सुविधा के लिए ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की खरीद जो सामान्यतया उन्हें राज्य सरकार या उनकी सहायता करने वाले अन्य निकायों से उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं। इमारतों, कर्मचारियों, पुस्तकों और पत्रिकाओं, उपकरण और अन्य वस्तुओं आदि के लिए सहायता दी जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गुणवत्ता आदेश

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों में सुधार सुनिश्चित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में अपने गुणवत्ता अधिदेश लागू करने के लिए मंजूरी दी। यूजीसी के गुणवत्ता आदेश के तहत 2022 तक निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रस्ताव है:

i. छात्रों के लिए स्नातक परिणामों में सुधार करना, ताकि उनमें से कम से कम 50% को रोजगार/स्वरोजगार तक पहुंच प्राप्त हो या उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

ii. समाज/उद्योग के साथ छात्रों के जुड़ाव को बढ़ावा देना ताकि कम से कम दो/तिहाई छात्र संस्थानों में अध्ययन की अवधि के दौरान सामाजिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में संलग्न हों।

iii. छात्रों को आवश्यक पेशेवर और सॉफ्ट स्किल्स जैसे टीम वर्क, संचार कौशल, नेतृत्व कौशल, समय प्रबंधन कौशल आदि में प्रशिक्षित करना; छात्रों के बीच मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता, और नवाचार/उद्यमिता और आलोचनात्मक सोच की भावना पैदा करना और इन प्रतिभाओं के प्रदर्शन की संभावनाओंको बढ़ावा देना।

iv. सुनिश्चित करना कि शिक्षक की रिक्तियां किसी भी समय स्वीकृत संख्या के 10% से अधिक न हों; और 100% शिक्षक अपने ज्ञान के संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम और उभरते रुझानों और छात्रों को अपना ज्ञान प्रदान करने की शिक्षाशास्त्रों के संबंध में उन्मुख हैं।

v. 2022 तक प्रत्येक संस्थान 2.5 के न्यूनतम स्कोर के साथ एनएएसी मान्यता प्राप्त करेगा।

यूजीसी ने अपने गुणवत्ता अधिदेश को लागू करने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

i. **छात्र इंडक्शन प्रोग्रामः** यूजीसी ने "दीक्षारम्भ – ए गाइड टू स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम" तैयार किया है, जो छात्रों को अपनेपन की भावना और उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता विकसित करना, उन्हें नए संस्थान के लोकाचार के साथ तालमेल बिठाने में मदद करने में सहायता करके माध्यमिक से कॉलेज/विश्वविद्यालय में अंतरण को स्वाभाविक रूप से सुगम बनाने के लिए तैयार किया गया है।

ii. **लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क (एलओसीएफ):** लर्निंग आउटकम बेस्ड एप्रोच का मूल आधार प्रोग्राम लर्निंग आउटकम और अकादमिक मानकों के साथ स्नातक द्वारा प्राप्त की जाने वाली विशेषताओं को संरेखित करना है। यह एक छात्र केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण है। एलओसीएफ का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण से लैस करना है। 26 विषयों में नया पाठ्यक्रम जो एलओसीएफ पर आधारित है, विकसित किया गया है और यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम को संशोधित करने में सुविधा हो।

iii. **मूल्यांकन सुधारः** यूजीसी ने मौजूदा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए मूल्यांकन सुधारों की शुरुआत की है ताकि निरंतर मूल्यांकन के साथ मूल्यांकन संचालित अधिगम को बढ़ावा दिया जा सके।

iv. **जीवन कौशलः** वैश्विक रोजगार के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल के साथ स्नातकों को सशक्त बनाने और एक सफल जीवन जीने के लिए जीवन कौशल पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिससे उन्हें यह एहसास हो सके कि 'सिस्टम को उनके लिए व्यवहार्य बनाने के लिए वे क्या कर सकते हैं'।

v. **संकाय द्वारा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देना और नए ज्ञान का निर्माणः** यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति और नवाचार को मजबूत करने के लिए भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था (स्ट्राइड) के लिए ट्रांस–डिसिप्लिनरी रिसर्च की योजना शुरू की है। यह छात्रों और शिक्षकों को सहयोगी अनुसंधान की मदद से राष्ट्रीय विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने में मदद करेगा।

vi. **शैक्षणिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए संघ (केयर)ः** सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि जैसे विषयों में विश्वसनीय गुणवत्ता पत्रिकाओं की सूची का सुझाव देने के लिए, यूजीसी ने अकादमिक और अनुसंधान नीति के लिए एक संघ की स्थापना की है।

vii. **फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम (एफआईपी)ः** यूजीसी ने सभी नए भर्ती शिक्षकों के लिए फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम विकसित किया है। एफआईपी का उद्देश्य शिक्षकों को संरचना, कार्यप्रणाली, नियमों, विनियमों आदि से परिचित कराना; उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझना; शैक्षणिक प्रक्रियाओं का पता लगाना और उच्च शिक्षा में आत्म–विकास और नैतिकता और मूल्यों के पोषण के महत्व को पहचानना है।

viii. **परामर्शः** यूजीसी ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए एनएएसी प्रत्यायन इच्छुक संस्थानों को सलाह देने के लिए एक नई पहल "परामर्श" की योजना विकसित की है। यूजीसी ने 167 मेंटर संस्थानों को मंजूरी दी है जो 936 चिन्हित मेंटी संस्थानों को मेंटरिंग प्रदान करेंगे।

ix. **मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता का समावेशः** यूजीसी ने एक नीति ढांचा विकसित किया है– "मूल्य प्रवाह– उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता के समावेश के लिए दिशानिर्देश"।

x. **इको–फ्रेंडली और सस्टेनेबल कैंपस के लिए दिशानिर्देशः** भारत के इको–फ्रेंडली और सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए एक फ्रेमवर्क को वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है ताकि सतत विकास की दिशा में उच्च शैक्षिक संस्थानों (एचईआई) के योगदान को बढ़ावा दिया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके।

xi. **विश्वविद्यालय और उद्योग लिंकेज को सक्षम करना और बढ़ानाः** विश्वविद्यालय और उद्योग बंधन को साकार करने के लिए, यूजीसी ने इस विषय का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया और लिंकेज बढ़ाने की दिशा में कार्यान्वयन के लिए एक रणनीति और रोड मैप तैयार किया। यूजीसी ने "विश्वविद्यालय लिंकेज कार्यक्रम को सक्षम करने और बढ़ाने" पर मसौदा रिपोर्ट तैयार की और इसे हितधारक के परामर्श के लिए रखा है।

xii. **छात्र कैरियर प्रगति और पूर्व छात्र नेटवर्कः** यूजीसी ने पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छात्रों के कैरियर की प्रगति को ट्रैक करने के लिए "छात्र कैरियर प्रगति और पूर्व छात्र नेटवर्क" पर एक नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया।

xiii. **अच्छा अकादमिक अनुसंधान अभ्यास (जीएआरपी)ः** शोध की गुणवत्ता को बढ़ावा देने और छात्र, संकाय, शोधकर्ता और कर्मचारियों के बीच अकादमिक लेखन में साहित्यिक चोरी सहित

अकादमिक कदाचार की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए, 'अच्छे अकादमिक अनुसंधान अभ्यास' (जीएआरपी) नामक एक मार्गदर्शन दस्तावेज तैयार किया गया है जिसे 29.09.2020 को लॉन्च किया गया।

यूजीसी की छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजनाएं/कार्यक्रम:

i. **विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ):** विद्वानों को उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करने के लिए, जिसमें भाषाओं सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में एम. फिल / पीएचडी डिग्री शामिल है, यूजीसी द्वारा यूजीसी और यूजीसी–सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट/जेआरएफ) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को जेआरएफ प्रदान की जाती है। यह फेलोशिप पांच साल की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। 01.01.2019 से जेआरएफ / एसआरएफ फेलोशिप की दर क्रमश: 25,000/– से बढ़कर रु. 31,000/– और 28,000/– रूपएसे बढ़कर रु. 35,000/– करदी गई है। विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जेआरएफ के तहत वर्ष 2020 के दौरान 865.81 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जेआरएफ के तहत प्रतिवर्ष 9400 स्लॉट हैं। वर्तमान में, जेआरएफ के तहत 23671 (लगभग) लाभार्थी एम.फिल/पीएचडी कर रहे हैं।

ii. **महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप:** इस योजना का उद्देश्य पीएचडी डिग्री धारक बेरोजगार महिला उम्मीदवारों को विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में पोस्ट–डॉक्टरल अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करना है। वर्तमान में, यूजीसी प्रति वर्ष 100 फेलोशिप प्रदान कर रहा है। 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान 437 लाभार्थियों को 20.95 करोड़ रूपए का वितरण किया गया।

iii. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप:** फेलोशिप योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को फेलोशिप प्रदान करना है, जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है और अपने चुने हुए क्षेत्रों में उन्नत शोध करने के लिए उनके क्रेडिट पर शोध कार्य प्रकाशित किया है। इसके लिए यूजीसी हर साल 100 स्लॉट मुहैया कराता रहा है। 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान 334 लाभार्थियों को 19.73 करोड़ रूपए का वितरण किया गया।

iv. **भाषाओं सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप:** इस योजना का उद्देश्य प्रासंगिक विषय में पीएचडी की डिग्री धारकों को भाषाओँ सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपलब्ध स्लॉट की कुल संख्या 200 प्रति वर्ष है। 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान 202 लाभार्थियों को 9.05 करोड़ रूपए का वितरण किया गया।

v. **एमेरिटस फेलोशिप:** इस योजना का उद्देश्य यूजीसी के तहत सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 70 वर्ष की आयु तक के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपलब्ध स्लॉट की संख्या निर्धारित किसी एक समय पर विज्ञान स्ट्रीम के लिए 100 और मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषा के लिए 100 (कुल 200 स्लॉट) है। 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान 47 लाभार्थियों को 0.31 करोड़ रूपए का वितरण किया गया।

vi. **अनुसंधान पुरस्कार:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के स्थायी शिक्षकों को दो साल की अवधि के लिए कोई शोध मार्गदर्शन किए बिना विशेषज्ञता के अपने क्षेत्र (क्षेत्रों) में शोध करने का अवसर प्रदान करना है, जिसे अपवाद मामलों में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर एक

वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।. यूजीसी द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के सभी विषयों के लिए वैकल्पिक वर्षों में 100 स्लॉट के लिए चयन किया जाता है। 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान 4 लाभार्थियों को 0.19 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

vii. **अनुसंधान वैज्ञानिकः** अनुसंधान वैज्ञानिकों की योजना मूल रूप से विदेशों में काम करने वाले भारतीय मूल के मेधावी वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए 1983 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य तीन स्तरों पर विज्ञान, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना हैः

- अनुसंधान वैज्ञानिक 'ए' (व्याख्याता)
- अनुसंधान वैज्ञानिक 'बी' (रीडर)
- अनुसंधान वैज्ञानिक 'सी' (प्रोफेसर)

01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान 2 लाभार्थियों को 0.40 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

viii. **खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों के लिए निःशुल्क शिक्षाः** यूजीसी में बारहवीं योजना के तहत खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों के लिए निःशुल्क शिक्षा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस,अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एशिया की ओलंपिक समिति (ओसीए) द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीयखेल आयोजनों में भाग लेने वालों/विश्वविद्यालयों/कॉलेज पीजी डिप्लोमा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित सभी पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रमों के लिए अग्रणी प्रतिष्ठितखिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

ix. **सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका फेलोशिपः** यह योजना, जो 2014–15 में शुरू की गई थी, एकल बालिका पर लागू होती है, जिसने सामाजिक विज्ञान में नियमित, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश लिया है। योजना का उद्देश्य समाज में एकल बालिका को बढ़ावा देना, महिलाओं के पक्ष में लिंगानुपात बढ़ाना और समाज में छोटे परिवार के आदर्श को बढ़ावा देना है। अभी तक, हर साल प्रदान की जाने वाली फेलोशिप की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान 273 लाभार्थियों को 15.25 करोड़ रुपये का वितरण किया गया।

x. **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तिः** समाज के वंचित वर्गों के उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई करने का अवसर प्रदान करने के लिए 2011–12 से योजना लागू की जा रही है। डिग्री कोर्स की अवधि के आधार पर छात्रवृत्ति की अवधि दो/तीन वर्षों के लिए है। हर साल स्लॉट की संख्या 1000 है। एम.टेक प्रोग्राम करने वाले छात्रों को 78,000/– रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है और अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों को करने वाले छात्रों को 45,000/ रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान 225 लाभार्थियों को 1.64 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

xi. **एकल बालिका के लिए स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति योजनाः** इस योजना का उद्देश्य समाज में एकल बालिका को बढ़ावा देने, महिलाओं के पक्ष में लिंगानुपात बढ़ाने और छोटे परिवार को बढ़ावा देने की दृष्टि से एकल बालिका की स्नातकोत्तर शिक्षा का समर्थन करना है।

अपने माता–पिता की केवल एकल बालिका और जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर कॉलेज में नियमित, पूर्णकालिक प्रथम वर्ष के मास्टर्स डिग्री कोर्स (गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रम) में प्रवेश लिया है, छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय 30 वर्ष की आयु तक की छात्राएं पात्र हैं। चूंकि यह एक प्रोत्साहन योजना है, इसलिए हर साल दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, सभी पात्र आवेदक बालिकाओं को छात्रवृत्ति मिलती है। चयनित छात्रों को 36,200/– रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।01.01.2020 से 31. 12.2020 की अवधि के दौरान 3480 लाभार्थियों को 12.60 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है।

xii. **यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स के लिए पोस्ट–ग्रेजुएट स्कॉलरशिपः** स्कॉलरशिप 2006–07 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रतिभा को बढ़ावा देना और उसका पोषण करना था और मेधावी छात्रों को स्नातकोत्तर स्तर पर पोस्ट–ग्रेजुएट अध्ययन करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पुरस्कृत करना था। स्नातक स्तर पर प्रथम और द्वितीय रैंक धारक और किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। यह योजना ऐसे छात्रों के लिए लागू है जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य /समवत विश्वविद्यालय और स्वायत्त या पीजी कॉलेज में नियमित, पूर्णकालिक मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय 30 वर्ष से कम आयु के हैं। हर साल 3000 छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रावधान है। चयनित छात्रों को प्रति वर्ष 37,200/– रुपये की दर से फेलोशिप दी जाती है। 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान 1630 छात्रों को 5.49 करोड़ रूपए का वितरण किया गया।

xiii. **गेट/जीपीएडी योग्य छात्रों को एम.ई/एम टेक/एम फार्मा के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तिः** इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवा प्रतिभाशाली स्नातक छात्रों की मदद करना और उन्हें आकर्षित करना है। भारत में विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में पूर्णकालिक/नियमित मोड के माध्यम से एम.ई./एम.टेक/एम. फार्मा करने के लिए गेट/जीपीएटी योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हर साल 1200 छात्रवृत्ति के प्रावधान के साथ 2016–17 में छात्रवृत्ति शुरू की गई थी। गेट/जीपीएटी में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रति माह 12,400/– रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, 1613 लाभार्थियों को 12.48 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

xiv. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ईशान उदय की विशेष छात्रवृत्ति योजना (एनईआर):** मंत्रालय और यूजीसी ने एनईआर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में विशेष रुचि ली है। यह योजना जीईआर में सुधार, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शुरू की गई थी। योजना के तहत प्रतिवर्ष 10000 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। एनईआर के अधिवास वाले छात्र, जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के माध्यम से एनईआर के भीतर स्थित स्कूल से बारहवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है और मेडिकल और पैरा–मेडिकल पाठ्यक्रमों (एकीकृत पाठ्यक्रम शामिल) सहित सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया है,यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान/अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ–साथ एनईआर के राज्यों के बाहर के छात्र भी इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्र के माता–पिता की आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता का पैटर्न:

क्र. सं	विवरण	छात्रवृत्ति की दर 01.12.2014	छात्रवृत्ति का कार्यकाल
1.	सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम	54,000/— रूपए प्रति वर्ष	अवरस्नातक कार्यक्रम की पूरी अवधि
2.	तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम (मेडिकल और पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम सहित)	78,000/— रूपएप्रति वर्ष	

01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान 24185 लाभार्थियों को 221.24 करोड़ रूपए का वितरण किया गया है।

शिक्षण और अनुसंधान के लिए मानव संसाधन का विकास

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी—नेट) सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है ताकि शिक्षण व्यवसाय और मानविकी के कई विषयों (भारतीय और कुछ विदेशी भाषाओं सहित)योग, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में अनुसंधान के लिए न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

संयुक्त सीएसआईआर—यूजीसी टेस्ट सीएसआईआर के तत्वावधान में 5 मुख्य विज्ञान विषयों, अर्थात रासायनिक विज्ञान; पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान; जीवन विज्ञान; गणितीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान में जून और दिसंबर के महीनों में आयोजित किया जा रहा है।

उम्मीदवार, जो यूजीसी से अनुसंधान और फेलोशिप प्राप्त करना चाहते हैं, वे यूजीसी—नेट के तहत या संयुक्त सीएसआईआर—यूजीसी टेस्ट के तहत जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए उपस्थित होने का विकल्प चुन सकते हैं। उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार जो जेआरएफ के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, वे यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शोध कर सकते हैं। वे पूरे देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए विचार किए जाने के लिए भी पात्र हैं। प्रत्येक यूजीसी—नेट के तहत यूजीसी द्वारा 3200 से अधिक जेआरएफ प्रदान किए जाते हैं और 1500 जेआरएफ (यूजीसी के बेसिक साइंस रिसर्च ब्यूरो की 300 फेलोशिप सहित) प्रत्येक संयुक्त सीएसआईआर—यूजीसी टेस्ट के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। फेलोशिप अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए उपलब्ध है।

जून 2020 में आयोजित यूजीसी—नेट में, 47157 उम्मीदवारों ने टेस्ट में अर्हता प्राप्त की, जिनमें से 6171 उम्मीदवारों ने जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप दोनों के लिए अर्हता प्राप्त की और 40986 उम्मीदवारों ने केवल असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अर्हता प्राप्त की।

अंतराष्ट्रीय सहयोग

यूजीसी भारत और विदेशों के बीच विभिन्न सहयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को लागू करता रहा है। यूजीसी यूके, इज़राइल, नॉर्वे और जर्मनी जैसे देशों के साथ संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है, और भारतीय विद्वानों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप और अनुसंधान कार्यक्रमों जैसे कि स्टाइपेंडियम हंगरिकम छात्रवृत्ति, जर्मनी के साथ परियोजना—आधारित कार्मिक विनिमय कार्यक्रम, यूजीसी—यूकेआईईआर आई विषयगत भागीदारी आदि के माध्यम से अपनी शोध क्षमता का उपयोगकरने में सुविधा प्रदान की है।

कौशल विकास पहल

यूजीसी ने देश में कौशल विकास के लिए तीन योजनाओं को लागू किया है अर्थात) सामुदायिक कॉलेज,) बी.वोक डिग्री,) दीनदयाल उपाध्याय केंद्र। अब तीनों योजनाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत मिला दिया गया है। एनएसक्यूएफ एक योग्यता—आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है।

शैक्षणिक अनुसंधान और नैतिकता के लिए संघ (केयर)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का "गुणवत्ता जनादेश" उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने और संकाय सदस्यों द्वारा नए ज्ञान के निर्माण के महत्व पर जोर देता है। इस उद्देश्य के लिए, यूजीसी द्वारा एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स के लिए कंसोर्टियम (केयर) की स्थापना की गई थी। सीएआरई का मुख्य कार्य भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना और अकादमिक और अनुसंधान अखंडता के साथ–साथ प्रकाशन नैतिकता को बढ़ावा देना है।

केयर के कार्य

- संकाय सदस्यों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देना और विश्वसनीय शोध तैयार करना
- अकादमिक और अनुसंधान अखंडता के साथ–साथ प्रकाशन नैतिकता को बढ़ावा देना।
- प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों को बढ़ावा देना जो उच्च वैश्विक रैंक प्राप्त करने और अनुसंधान और शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार करने में मदद करना।
- अच्छी गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं की पहचान के लिए एक दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली विकसित करना।
- संदिग्ध / घटिया पत्रिकाओं में प्रकाशनों को रोकने के लिए जो प्रतिकूल रूप से प्रतिबिंबित करते हैं और शोध कार्य की छवि को खराब करते हैं और इस प्रकार दीर्घकालिक शैक्षणिक क्षति का कारण बनते हैं।
- विभिन्न शैक्षणिक मूल्यांकनों के लिए "गुणवत्ता पत्रिकाओं की केयर संदर्भ सूची" बनाने और बनाए रखने के लिए।

उपलब्धियां

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी के गुणवत्ता जनादेश को पूरा करने के लिए 28 नवंबर 2018 को शैक्षणिक और अनुसंधान नैतिकता (केयर) के लिए संघ की स्थापना की।
- जर्नल विश्लेषण के लिए यूजीसी–सेल जनवरी 2019 में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था और इसका उद्घाटन यूजीसी के अध्यक्ष प्रो डी.पी.सिंह और यूजीसी के उपाध्यक्ष प्रो. भूषण पटवर्धन द्वारा किया गया था।
- यूजीसी–केयर विश्वविद्यालयों और यूजीसी–केयर परिषद के सदस्यों के लिए ऑनलाइन पोर्टल जनवरी 2019 में बनाया गया था। यूजीसी–केयर के 30 सदस्यों को लॉग इन और पासवर्ड वितरित किए गए थे।
- गूगल समूह जनवरी 2019 में बनाया गया था।
- यूजीसी–केयर वेबसाइट (http://ugccare.unipune.ac.in) जनवरी 2019 में शुरू की गई थी।
- यूजीसी द्वारा यूजीसी–केयर के संबंध में चार सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए।

स्कोपस (स्रोत सूची) या वेब ऑफ साइंस (कला और मानविकी उद्धरण सूचकांक स्रोत प्रकाशन, विज्ञान उद्धरण सूचकांक विस्तारित स्रोत प्रकाशन, सामाजिक विज्ञान उद्धरण सूचकांक स्रोत प्रकाशन) में अनुक्रमित सभी विषयों की शोध पत्रिकाओं को विश्व स्तर पर गुणवत्ता पत्रिकाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है और सभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए माना जाता है। ।

इसलिए केयर लिस्ट में स्कोपस और/या वेब ऑफ साइंस में अनुक्रमित जर्नल शामिल हैं। इनके अलावा, विशेष रूप से कला, मानविकी, भाषा, संस्कृति और भारतीय ज्ञान प्रणाली के विषयों से पत्रिकाओं की एक सूची तैयार करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, यूजीसी केयर ने केयर सूची बनाने और बनाए रखने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की स्थापना की है, जिसने यूजीसी द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची को भी परिष्कृत और मजबूत किया है।

ईसी में सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला और ललित कला, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (अब केयर सदस्यों के रूप में नामित) और यूजीसी द्वारा पहचाने गए क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों (अब केयर विश्वविद्यालयों के रूप में नामित) में वैधानिक परिषद /अकादमियां/सरकारी निकाय शामिल हैं। यूजीसी ने सेंटर फॉर पब्लिकेशन एथिक्स, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे को केयर सूची के लिए जर्नल विश्लेषण की जिम्मेदारी सौंपी है।

केयर परिषद

केयर परिषदों में प्रासंगिक सरकारी सांविधिक परिषद और कई विषयों के शैक्षणिक निकाय शामिल हैं।

केयर विश्वविद्यालय

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (उत्तरी क्षेत्र)
- बड़ौदा वडोदरा के एम.एस. विश्वविद्यालय, (पश्चिमी क्षेत्र)
- हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद (दक्षिणी क्षेत्र)
- तेजपुर विश्वविद्यालय, असम (पूर्वी क्षेत्र)

जर्नल विश्लेषण के लिए यूजीसी सेल

सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) को जर्नल विश्लेषण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और यूजीसी ने एसपीपीयू, पुणे (यूजीसी सेल, एसपीपीयू) में "पत्रिकाओं के विश्लेषण के लिए सेल" की स्थापना की है।
केंद्र, गांधीनगर, सहायक एजेंसी के रूप में काम करेगा। एसपीपीयू में यूजीसी सेल केयर अधिकार प्राप्त समिति (केयर–ईसी) की देखरेख में कार्य करेगा।

केयर सूची

केयर सदस्यों और केयर विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जर्नलों का विश्लेषण यूजीसी सेल, एसपीपीयू द्वारा विश्लेषण प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा। केयर सूची में चार समूह शामिल होंगे।

समूह क: स्कोपस (स्रोत सूची) या वेब ऑफ साइंस (कला और मानविकी उद्धरण सूचकांक स्रोत प्रकाशन, विज्ञान उद्धरण सूचकांक विस्तारित स्रोत प्रकाशन, सामाजिक विज्ञान उद्धरण सूचकांक स्रोत प्रकाशन) में अनुक्रमित सभी विषयों की शोध पत्रिकाएं। इन पत्रिकाओं का आगे कोई विश्लेषण यूजीसी सेल द्वारा नहीं किया जाएगा और ऐसी सभी पत्रिकाओं को केयर सूची में शामिल किया गया है

समूह ख: मौजूदा यूजीसी स्वीकृत सूची के जर्नल जो विश्लेषण प्रोटोकॉल के अनुसार अर्हता प्राप्त करते हैं।

समूह ग: केयर सदस्यों द्वारा अनुशंसित सभी विषयों के जर्नल जो विश्लेषण प्रोटोकॉल के अनुसार योग्य हैं।

समूह घ: केयर विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत सभी विषयों और भाषाओं के जर्नल जो विश्लेषण प्रोटोकॉल के अनुसार योग्य हैं।

यूजीसी–केयर सूची: रिलीज और अपडेशन

वर्ष 2019–20 के लिए यूजीसी–केयर सूची निम्नलिखित दिनों में त्रैमासिक प्रकाशित की गई थी:

- 14 जून 2019 – पहली तिमाही
- 3 सितंबर 2020 – दूसरी तिमाही
- 1 जनवरी 2020 – तीसरी तिमाही
- 1 अप्रैल 2020 – चौथी तिमाही
- 1 जुलाई 2020 – पांचवी तिमाही
- 1 जनवरी, 2021 – छठी तिमाही

समूह II में पत्रिकाओं को शामिल करना

यूजीसी–केयर लिस्ट की इस तिमाही का मुख्य आकर्षण मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन (एमएलए) की 163 पत्रिकाएं शामिल हैं। एमएलए निर्देशिका में कला और मानविकी

में अनुसंधान के क्षेत्र शामिल हैं जैसे साहित्य, साहित्यिक सिद्धांत, नाटक कला, लोकगीत, भाषा, भाषा विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, बयानबाजी और रचना, और प्रिंट और प्रकाशन का इतिहास, आदि ।वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस डेटाबेस में एमएलए निर्देशिका से कई पत्रिकाओं को अनुक्रमित किया जाता है। एमएलए निर्देशिका के बारे में अधिक जानकारी https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography पर उपलब्ध है। एमएलए 1000 पूर्ण पाठ्य पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान करता है। हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद में यूजीसी–केयर सेंटर, साउथ जोन से विशेषज्ञता की मदद से एमएलए निर्देशिका से पत्रिकाओं का विश्लेषण किया गया था।

पत्रिकाओं को हटाना

शोधकर्ताओं से कई शिकायतें मिलने के बाद, यूजीसी ने स्कोपस डेटाबेस में अनुक्रमित 77 संदिग्ध पत्रिकाओं को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हटाई गई इन 77 पत्रिकाओं पर किसी भी शैक्षणिक उद्देश्य के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए http://ugccare.unipune.ac.in देखें ।

क्लोन की गई पत्रिकाओं का प्रदर्शनः कुल 28 क्लोन पत्रिकाओं की जानकारी यूजीसी–केयर वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।

वित्तीय अनुदान

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एसपीपीयू, पुणे में यूजीसी जर्नल सेल के लिए 25.00 लाख रुपये और चार केयर विश्वविद्यालयों (क्षेत्रीय केंद्रों) के लिए प्रत्येक के लिए 5.00 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान स्वीकृत और जारी किया गया था।

गुणवत्ता पत्रिकाओं की यूजीसी–केयर संदर्भ सूची वर्तमान सांख्यिकी
यूजीसी–केयर (सूची I)

1. समूह I में कुल जर्नल

विवरण	पत्रिकाओं की संख्या	बंद	स्कोपस/डब्ल्यू ओ एस में अनुक्रमित	कुल पत्रिकाएं
6वीं तिमाही से पत्रिकाओं की दोबारा जांच की गई	929	-	14	915
यूजीसी– केयर विश्वविद्यालयों और यूजीसी–केयर काउंसिल के सदस्यों से 1 अक्टूबर 2020 के बाद प्राप्त पत्रिकाएं	263	219	-	49
कुल				964

नोटः 1 जनवरी 2021 के बाद 70 नई पत्रिकाएं (यूजीसी–केयर सदस्यों से, डाक/ई–मेल द्वारा) प्राप्त हुई हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं।

जोड़ी गई भाषा पत्रिकाएं = 210 (964 में से)

भाषाएं	योग्य पत्रिकाएं
असमिया	6
बंगाली	18
गुजराती	10
हिंदी	69
कन्नड़	7
मैथिली	1
मलयालम	8
मराठी	27
उड़िया	1
पाली	1
पंजाबी	10
संस्कृत	18
तमिल	9
तेलुगू	7
उर्दू	18
कुल	**210**

यूजीसी–केयरः समूह

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डेटाबेस

डेटाबेस	जाँच की गई पत्रिकाओं की संख्या	बंद की गई	कुल योग्य पत्रिकाएं
स्कॉपस	448	77	371
आधुनिक भाषा संघ निर्देशिका	297	134	163

समूह II में निम्नलिखित तीन विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त डेटाबेस से पत्रिकाएँ हैं।

1. वेब ऑफ साइंस
2. स्कोपस
3. मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन डायरेक्टरी (एमएलए)

उपरोक्त डेटाबेस से बंद/निष्क्रिय होने वाली पत्रिकाओं को यूजीसी–केयर सूची के समूह II में स्थान नहीं मिलेगा।

क्लोन जर्नलः

यूजीसी–केयर वेबसाइट पर कुल क्लोन जर्नल मिले और प्रदर्शित किए गए: 26

(https://ugccare.unipune.ac.in/Apps1/User/Web/CloneJournals)

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई)

सीएबीईशिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने वाला सर्वोच्च सलाहकार निकाय है।

सीएबीई के कार्यः

i. समय–समय पर शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना;

ii. केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की सीमा और तरीके का मूल्यांकन करना और मामले में उचित सलाह देना

iii. शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार शिक्षा के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य सरकारों और गैर–सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के संबंध में सलाह देना

iv. किसी भी शैक्षिक प्रश्न पर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा सलाह देने के लिए, स्व–प्रेरणा, या इसे दिए गए संदर्भ पर; तथा

v. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करना।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की स्थापना नवंबर 1945 में राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, जो तकनीकी शिक्षा पर सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने और समन्वित और एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए थी। वैधानिक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 12 मई 1988 को देश भर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास, नियोजित मात्रात्मक विकास के संबंध में ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देने और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के विनियमन और उचित रखरखाव और उससे जुड़े मामलों के लिए की गई थी। एआईसीटीई के दायरे में विभिन्न स्तरों पर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और नगर नियोजन, प्रबंधन, फार्मेसी, अनुप्रयुक्त कला और शिल्प और डिजाइन, होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी आदि में प्रशिक्षण और अनुसंधान सहित तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम शामिल हैं।

अनुमोदन स्थिति

एआईसीटीई ने ई–गवर्नेंस के माध्यम से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही शुरू करके वार्षिक अनुमोदन प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए कई पहलें की हैं और सभी हितधारकों के साथ अनौपचारिक और औपचारिक बातचीत के माध्यम से अनुमोदन प्रक्रिया में अधिक आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। परिषद नए तकनीकी संस्थानों को शुरू करने और पहले से अनुमोदित तकनीकी संस्थानों में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। संबंधित राज्य सरकारों और संबद्ध विश्वविद्यालयों के परामर्श से अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक 2020–21 प्रकाशित की गई थी और डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट/अंडर ग्रेजुएट डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्तर पर एक तकनीकी कार्यक्रम की पेशकश करने वाले एक नए संस्थान की स्थापना के लिए अनुमोदन का बड़ा बदलाव था। साथ ही, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से समवत विश्वविद्यालयों के लिए स्वतंत्र संस्थानों/संस्थानों के लिए अनुमोदन प्रदान करना; और साथ ही, एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करना।

वर्ष 2020–21 के लिए तकनीकी कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वीकृत संस्थानों की संख्या का सारांश नीचे दिया गया है:

कार्यक्रम	डिप्लोमा संस्थानों की संख्या	यूजी संस्थानों की संख्या	पीजी संस्थानों की संख्या
अनुप्रयुक्त कला और शिल्प	45	21	6
वास्तुकला और योजना	57	115	34
डिज़ाइन		23	6
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी	3,651	2,972	1,862
होटल प्रबंधन और खानपान	27	79	2
प्रबंध	31	2	3,083
एमसीए			1,011
फार्मेसी	846	1,010	591
कुल योग	**4,448**	**4,062**	**4,939**

2020–21 के दौरान, निर्धारित मानदंडों के संबंध में कमी पाए जाने के बाद, 38 संस्थानों को "कोई प्रवेश नहीं" और 1 को "अनुमोदन वापस लेना" जारी किया गया था। 3082422 छात्रों के स्वीकृत दाखिले के साथ अब 9625 एआईसीटीई अनुमोदित संस्थान हैं।

एआईसीटीई की गुणवत्ता पहल

14 मार्च, 2017 को आयोजित अपनी 49 वीं बैठक में एआईसीटीई परिषद ने देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपायों के एक पैकेज को मंजूरी दी थी। परिषद द्वारा गुणवत्ता पहलों में– मॉडल पाठ्यक्रम

का संशोधन, छात्रों के लिए प्रेरण कार्यक्रम, परीक्षा सुधार, अनिवार्य इंटर्नशिप, क्षेत्र का उल्लेख का अनुमोदन किया गया था। 2020 के दौरान चुनिंदा गुणवत्ता पहलों की मुख्य विशेषताएं और प्रगति इस प्रकार है:

➢ मॉडल पाठ्यक्रम

तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे परिणाम आधारित सामाजिक और औद्योगिक रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम, वैज्ञानिक शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, उद्योग इंटर्नशिप और छात्र के ज्ञान का उचित मूल्यांकन।

एआईसीटीई ने मौजूदा पाठ्यक्रम को नया रूप दिया और इंजीनियरिंग और पीजीडीएम/एमबीए पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए परिणाम आधारित मॉडल पाठ्यक्रम शुरू किया। छात्र इंटर्नशिप को फिर से परिभाषित किया गया है और अनिवार्य बना दिया गया है, चाहे कॉर्पोरेट जगत में या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं या विकास क्षेत्र में हो। सार्वभौमिक मानव मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया गया है।

- एआईसीटीई ने उभरते क्षेत्रों में वैकल्पिक/लघु के रूप में पाठ्यक्रमों का मॉडल पाठ्यक्रम भी तैयार किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ब्लॉक चेन, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, 3 डी प्रिंटिंग और डिज़ाइन, वर्चुअल रियलिटी।
- मेक्ट्रोनिक्स, जैव–प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए मॉडल पाठ्यक्रम शुरू किया गया है और एआई और डेटा विज्ञान में बी.टेक डिग्री के लिए मॉडल पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- प्लानिंग में बैचलर डिग्री और प्लानिंग में पीजी डिग्री के लिए मॉडल करिकुलम भी पाइपलाइन में है।
- उभरते क्षेत्रों में बी.टेक विथ ऑनर्स/माइनर डिग्री कार्यक्रम शुरू किए गए।

मॉडल पाठ्यक्रम पर तकनीकी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही है। अधिकांश तकनीकी विश्वविद्यालयों ने एआईसीटीई मॉडल पाठ्यक्रम को अपनाया है। ये सभी मॉडल पाठ्यक्रम एआईसीटीई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

➢ छात्र इंडक्शन प्रोग्राम (एसआईपी)

छात्रों के लिए तीन सप्ताह के अनिवार्य इंडक्शन प्रोग्राम को इंजीनियरिंग में यूजी स्तर पर प्रथम वर्ष की शुरुआत में ही पेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस इंडक्शन प्रोग्राम के बाद कक्षाएं शुरू होंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उनके नए वातावरण में सहज महसूस कराना, एक स्वस्थ दैनिक दिनचर्या निर्धारित करना, बैच के साथ–साथ संकाय और छात्रों के बीच संबंध बनाना है। इंडक्शन प्रोग्राम अब मॉडल एआईसीटीई यूजी करिकुलम ऑफ इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है। इंडक्शन गतिविधियों की निगरानी के लिए एआईसीटीई में एक इंडक्शन सेल की स्थापना की गई है और तकनीकी संस्थानों में इसे लागू करने के लिए "स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम" पर संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण के समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति का गठन किया गया है।

एसआईपी के प्रभावी कार्यान्वयन और मुख्यधारा के लिए, एआईसीटीई पूरे देश में 3 दिनों और 7/8 दिनों के संकाय विकास कार्यक्रमों (एफडीपी) का आयोजन कर रहा है। एफडीपी के लिए संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए तीन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रमों का समन्वय वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। अब तक 200 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 37000 से अधिक संकायों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2020 के आंकड़े, जिसमें अप्रैल के बाद वैश्विक महामारी के कारण 5 दिनों के ऑनलाइन एफडीपी की कल्पना की गई थी, जो इस प्रकार है:

ऑफलाइन एफडीपी						
	3 दिन		7 दिन		8 दिन	
	कुल एफडीपी	प्रशिक्षित संकाय	कुल एफडीपी	प्रशिक्षित संकाय	कुल एफडीपी	प्रशिक्षित संकाय
जनवरी – मार्च 2020	16	869	6	286	4	226

ऑनलाइन एफडीपी		
	5 दिन	
	कुल एफडीपी	भाग लेने वाले संकाय
अप्रैल– दिसम्बर 2020	35	22487

➢ परीक्षा सुधार

भविष्य के इंजीनियरिंग स्नातकों को न केवल अपने विषय में जानकार होने की जरूरत है, बल्कि सॉफ्ट, पेशेवर कौशल और दक्षताओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उद्देश्यों और कार्यक्रम के परिणामों की उपलब्धि महत्वपूर्ण है और सटीक और विश्वसनीय आकलन के माध्यम से साबित करने की आवश्यकता है। उन्हें न केवल छात्र की उपलब्धियों (और ग्रेड) का आकलन करना चाहिए, बल्कि यह भी मापना चाहिए कि क्या सीखने के वांछित परिणाम प्राप्त किए गए हैं। यह महसूस किया गया कि संस्थानों द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में छात्रों के विषय ज्ञान के बजाय अवधारणाओं और कौशल की समझ का परीक्षण होना चाहिए। एक उपयुक्त परीक्षा प्रारूप के विकास की दृष्टि से, एआईसीटीई ने एक समिति का गठन किया जिसने संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली परीक्षा सुधारों पर नीति का मसौदा तैयार किया।

2018–19 के दौरान देश भर में परीक्षा सुधारों पर 19 जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करने के बाद, एआईसीटीई ने अप्रैल और मई 2000 के कोविड–19 महामारी के लिए लॉकडाउन महीनों के दौरान कॉलेजों, स्वायत्त संस्थानों और तकनीकी विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा सुधारों के लिए 3 ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया। कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित 4500 से अधिक संकाय से उम्मीद की जाती है कि वे अपने–अपने संस्थान के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।

➢ परिप्रेक्ष्य योजना

एआईसीटीई कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित "इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए मध्यम अवधि के परिप्रेक्ष्य योजना" पर रिपोर्ट केमुख्य निष्कर्ष को लागू कर रहा है।

i) एआईसीटीई ने शैक्षणिक वर्ष 2020–21 से डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए यूजी स्तर के पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ii) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बी. टेक पर नए पाठ्यक्रम का मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

iii) तकनीकी संस्थानों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ब्लॉकचैन, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, 3 डी प्रिंटिंग और डिजाइन और अन्य उभरते तकनीकी क्षेत्रों में वैकल्पिक पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति है।

➢ शिक्षक प्रशिक्षण नीति

तकनीकी संस्थानों में शिक्षण व्यवसाय में सभी नए प्रवेशकों के लिए प्रशिक्षण एआईसीटीई शिक्षक प्रशिक्षण नीति के अनुसार अनिवार्य कर दिया गया है और उन्हें अपने करियर की प्रगति के लिए एमओओसी—स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्धारित 8—पाठ्यक्रम मॉड्यूल को पूरा करना है। यह अब तकनीकी शिक्षकों के लिए सातवें वेतन संशोधन के तहत शिक्षक के वेतनमान और सेवा शर्त का अभिन्न अंग है, और तदनुसार राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है।

➢ अनिवार्य इंटर्नशिप

एआईसीटीई ने तकनीकी शिक्षा के छात्रों के लिए अपनी इंटर्नशिप नीति तैयार की है। इंटर्नशिप को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि तकनीकी छात्रों को औद्योगिक वातावरण, उनके विषयों के लिए प्रासंगिक वर्तमान तकनीक और वास्तविक समय के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल को सीखने, समझने और तेज करने के अवसर मिले। मुंबई, चेन्नई और कानपुर में बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (बीओएटी) और बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (बीओपीटी), कोलकाता इंटर्नशिप की सुविधा के लिए एकजुट हुए है।

एक पोर्टल विकसित किया गया है जो एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों के छात्रों के लिए वन—स्टॉप—शॉप समाधान के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। उद्योगों, कॉरपोरेट्स, गैर—कॉर्पोरेट (एसएमई) और स्टार्ट—अप के अलावा, पोर्टल में सरकारी निकायों के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), भारतीय रेलवे, साथ ही कई अनुसंधान संगठन के नाम शामिल हैं। 2025 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप की सुविधा के लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना की गई है। 37 केंद्रीय मंत्रालयों और 16 पीएसयू से पोर्टल पर इंटर्नशिप प्रदान करने और एआईसीटीई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया है।

संस्थागत, संकाय और छात्र विकास योजनाएं

एआईसीटीई, देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिए गए अधिदेश के आधार पर, कई गतिविधियों और योजनाओं को चला रहा है। ये योजनाएं अनुसंधान के वित्तपोषण से लेकर विदेश में सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान से लेकर फैकल्टी तक; बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से लेकर संस्थानों में छात्रावासों के निर्माण तक; और मेधावी छात्रों से लेकर वंचित छात्रों तक को छात्रवृत्ति प्रदान करना। निम्नलिखित अनुभाग चुनिंदा योजनाओं और उनमें प्रगति का विवरण देते हैं।

➢ आधुनिकीकरण और अप्रचलन को हटाना (MODROB) योजना

योजना (MODROB) का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति को ध्यान में रखते हुए,संस्थानों को अपनी प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरणों/बुनियादी सुविधाओं से लैस करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लिए अनुदान प्रति परियोजना 20 लाख रुपये तक सीमित है। वर्ष 2020के दौरान 270संस्थानों को 28.20करोड़ रुपये जारी किए गए।

➢ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों/शोधकर्ताओं के लिए आवासीय आवास प्रदान करने के लिए लड़कियों/लड़कों के छात्रावासों के निर्माण के लिए सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों का सहयोग करना है। पिछले पांच वर्षों से विद्यमान सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय विभाग और पिछले तीन वर्षों से 150 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र इस अनुदान के पात्र हैं। अधिकतम 2.00 करोड़ रुपये 3 किश्तों में वितरित किए जाने हैं। 01.01. 2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, 12.01 करोड़ रुपये जारी किए गए थे और इसके साथ, 2012—13 से जब योजना शुरू की गई थी, तब से 107 संस्थानों में छात्रावासों के निर्माण के लिए 173.70 करोड़ रुपये की अनुदान राशि

जारी की गई है। 41 छात्रावास पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं।

➢ तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए ईएसएस के माध्यम से ई–जर्नल्स

इस योजना के तहत, इनफ्लिबनेट केंद्र, गांधी नगर, गुजरात द्वारा एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों को ई–पत्रिकाएं/ ई–संसाधन मुफ्त प्रदान किए जाते है। इन संस्थानों के लिए सदस्यता राशि का भुगतान एआईसीटीई द्वारा इनफ्लिबनेट केंद्र को किया जाता है। वर्ष 2020 के दौरान जनवरी से दिसंबर 2020 की अवधि के लिए 91 संस्थानों को ई– संसाधनों के सदस्यता के नवीनीकरण के लिए इनफ्लिबनेट केंद्र, गुजरात को 3.52 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

➢ गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी)

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में डिग्री स्तर के संस्थानों के संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता और क्षमताओं का उन्नयन करना है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को अध्ययन संस्थानों के वातावरण से परिचित कराकर शोध की संस्कृति में मास्टर/ डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने और शैक्षिक क्षमताओं को बेहतर ढंग से सिखाने में सक्षम बनाना है। देश में तीन मुख्य कार्यक्षेत्रों के लिए 114 क्यूआईपी केंद्र चालू हैं– (i) क्यूआईपी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी– 93 (ii) क्यूआईपी फार्मेसी–11 (iii) क्यूआईपी पॉलिटेक्निक–10वर्ष 2020 के दौरान,विभिन्न क्यूआईपी केंद्रों को196 लाख रूपए जारी किए गए।

➢ अनुसंधान प्रोत्साहन योजना (आरपीएस)

आरपीएस का उद्देश्य स्थापित और उभरती प्रौद्योगिकियों में तकनीकी विषयों और नवाचारों में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अनुसंधान और विकास गतिविधियों को उच्च शिक्षा का एक अनिवार्य घटक माना जाता है क्योंकि शैक्षिक प्रक्रिया में उत्साह और गतिशीलता प्रदान करके नई ज्ञान अंतर्दृष्टि बनाने में उनकी भूमिका के कारण उन्हें राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक होती है। इस योजना का उद्देश्य एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों के संकाय सदस्यों की सामान्य अनुसंधान क्षमताओं को बनाना और अद्यतन करना है। इस योजना के लिए संस्थाओं को 25 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। अनुसंधान प्रोत्साहन योजना के तहत जनवरी से दिसंबर 2020 तक 222 अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 26.53 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

➢ एआईसीटीई डॉक्टोरल फेलोशिप (एडीएफ) योजना

एडीएफ (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय डॉक्टोरल फैलोशिप– एनडीएफ) योजना 2018–19 में उन मेधावी छात्रों को एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विषयों में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों में पूर्णकालिक पीएचडी में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए पहले दो वर्षों में 31,000/– रुपये और तीसरे वर्ष में 35,000/– रुपये प्रति माह की शोध फेलोशिप प्रदान करके अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। एडीएफ योजना के तहत, 39 विश्वविद्यालय एआईसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंड का पालन करते हुए, उनकी प्रक्रिया के अनुसार पहचाने गए व्यापक क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रम में उम्मीदवारों को प्रवेश देते हैं। वर्ष 2020 के दौरान 300 से अधिक लाभार्थियों को 13.13 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

➢ छात्राओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों की उन्नति के लिए सहायता प्रदान करना है। प्रति परिवार दो लड़कियां पात्र हैं, जिनकी पारिवारिक आय पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति वर्ष 8 लाख रूपए से अधिक नहीं है (विवाहित लड़की के मामले में, माता–पिता / ससुराल वालों की आय, जो भी अधिक हो, पर विचार किया जाएगा)। चयनित उम्मीदवारों को 50,000/– रुपये की छात्रवृत्ति (10 महीने की आकस्मिक राशि के लिए 20,000/– रुपये और ट्यूशन शुल्क के लिए 30,000/– रुपये) प्रदान की जाती है। वर्ष 2000 के दौरान 9000 से अधिक पात्र छात्राओं को 21.03 करोड़ रुपये जारी किए गए।

➢ विकलांगों के लिए सक्षम छात्रवृत्ति योजना

इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 40% से अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। चयनित उम्मीदवारों को 50,000/– रुपये की छात्रवृत्ति (10 महीने के लिए 20000 रुपये की आकस्मिक राशि और ट्यूशन शुल्क के लिए 30,000 रुपये) प्रदान की जाती है। उम्मीदवार का चयन एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान से संबंधित तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए योग्यता परीक्षा के आधार पर किया जाता है। इस योजना के तहत 2020 से हर साल सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। वर्ष 2020 के दौरान 621 दिव्यांग छात्रों को 1.37 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

➢ मार्गदर्शन और मार्गदर्शक योजनाएं

तकनीकी शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से मार्गदर्शन योजना वर्ष 2016–17 के दौरान शुरू की गई थी।मान्यता प्राप्त करने वाले संस्थानों को अच्छी तरह से स्थापित संस्थानों के साथ खुद को जोड़ने और एनबीए मान्यता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन योजना के तहत चयनित संस्थानों से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मार्गदर्शन योजना के तहत एक हब–एंड–स्पोक प्रणाली मौजूद है, जिसमें एक प्रतिष्ठित संस्थान 200 किमी के साथ दस तकनीकी संस्थानों (स्पोक) को ज्ञान का मार्गदर्शन और प्रसार करने के लिए खुद को एक सलाहकार (हब) के रूप में स्थापित करता है। अभी तक, 40 मेंटर संस्थान वर्तमान में 462 संस्थानों को सलाह दे रहे हैं।

एनबीए से मान्यता की दिशा में संस्थानों को और मदद करने के लक्ष्य के साथ, वर्ष 2018–19 में मार्गदर्शक योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत, अनुभवी शिक्षकों की पहचान की जाती है और संस्थानों को सलाह देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, दिसंबर 2020 तक अपने पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को मार्गदर्शन और तैयार करने के लिए, 300 मार्गदर्शक आवंटित 501 मेंटी संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से लगे हुए थे, जिससे उन्हें मान्यता में मदद मिली।

अन्य गतिविधियां/पहल

तकनीकी शिक्षा के समग्र विकास और विकास को सुनिश्चित करने के लिए, एआईसीटीई इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने के अलावा कई राष्ट्रीय पहलों में शामिल है। निम्नलिखित खंडों में ऐसी कुछ गतिविधियों/पहलों और उनमें हुई प्रगति का विवरण दिया गया है।

➢ स्वयं

स्वयं प्लेटफॉर्म सभी विषयों को कवर करने वाले स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर (स्नातकोत्तर छात्रों) के सभी पाठ्यक्रमों के लिए इंटरैक्टिव ई–सामग्री के लिए वन स्टॉप पर वेब स्थान है; कभी भी, कहीं भी मल्टीमीडिया का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाला सीखने का अनुभव; अत्याधुनिक प्रणाली जो आसान पहुंच, निगरानी और प्रमाणीकरण की अनुमति देती है; सहकर्मी समूह बातचीत और चर्चा मंच संदेह को स्पष्ट करने के लिए और एक हाइब्रिड मॉडल जो कक्षा कक्ष शिक्षण की गुणवत्ता में जोड़ता है। स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम 4 क्वाड्रंट में हैं – (i) मल्टीमीडिया के साथ वीडियो लेक्चर, (2) विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड / प्रिंट किया जा सकता है (3) टेस्ट और क्विज़ के माध्यम से स्व–मूल्यांकन परीक्षण और (4) एक ऑनलाइन चर्चा मंच शंकाओं को दूर करने के लिए। ऑडियो–वीडियो और मल्टी–मीडिया और अत्याधुनिक शिक्षाशास्त्र/प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए कदम उठाए गए हैं। 5034 ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं पर प्रकाशित किए गए है। स्वयं पर पंजीकृत शिक्षार्थियों की संख्या 5995244 है और नामांकन 19299046 है। दिसंबर, 2020 तक स्वयं के तहत दिए गए कुल प्रमाणपत्रों की संख्या 676819 है।वर्ष 2020 के दौरान एआईसीटीईने एक राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में 12 (बारह) स्व–पुस्तक पाठ्यक्रम और 1 (एक) क्रेडिट पाठ्यक्रम विकसित किया है और नामांकन की कुल संख्या 98799 है।

➢ एआईसीटीई ट्रेनिंग एंड लर्निंग (एटीएएल) अकादमियां

प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एआईसीटीई ने जयपुर (राजस्थान) में उसके

बाद वडोदरा (गुजरात), तिरुवनंतपुरम (केरल) और गुवाहाटी (असम) में अटल अकादमियों की स्थापना की हैऔर संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) का आयोजन किया है। उभरते क्षेत्रों पर 22 एफडीपी आयोजित किए गए, जिससे एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित कॉलेजों के लगभग 1000 संकाय और शोधकर्ताओं को लाभ हुआ। महामारी के कारण संकट को वर्चुअल मोड प्रशिक्षण का उपयोग करने वाले शिक्षकों के लिए एक अवसर में बदल दिया गया था। दिसंबर 2020 तक, लगभग 90,000 प्रतिभागियों के साथ 615 एफडीपी आयोजित किए गए थे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लिमिटेड (लंदन) ने 2020–21 के दौरान 1 लाख प्रतिभागियों–संकाय शोधकर्ताओं और पीजी छात्रों को लाभान्वित करने के लिए 1000 ऑनलाइन एफडीपी आयोजित करने की उपलब्धि की सराहना और मान्यता दी है।

➢ यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव (यूकेआईईआरआई) फेज–

एआईसीटीई ने यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव (यूकेआईईआरआई) चरण–III के तहत गतिविधियों के संयुक्त संचालन पर व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति विभाग (डीबीईआईएस), यूके के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत, परिषद एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों के वरिष्ठ संकायों के लिए "तकनीकी शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम (टीईएलडीपी)" आयोजित करती है। टीईएलडीपी कार्यशाला के लिए चुने गए प्रतिभागियों को एक वर्ष में तीन कार्यशालाओं में भाग लेना होता है और चार्टेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन (सीएमआई), यूके से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने संगठन में एक परिवर्तन प्रबंधन परियोजना का निष्पादन करना होता है।

वर्ष 2020 में, एआईसीटीई– टीईएलडीपी 2020 के तहत सभी एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों के संकायों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। परिषद को अनुमोदित संस्थानों के 1616 संकायों से नामांकन प्राप्त हुआ था।सरकारी संस्थानों से 100 और निजी संस्थानों से 50 प्रतिभागियों को प्रत्येक में महिला संकायों की लगभग समान भागीदारी के साथ चुना गया था। कोहोर्ट 6 (वर्ष 2020–21) का उद्घाटन समारोह 13 अक्टूबर 2020 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। निर्धारण वर्ष 2019–20 के कोहोर्ट 4 और 5 के लिए समापन जो मार्च, 2020 में निर्धारित किया गया था, को कोविड–19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। प्रतिभागियों के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से 20 अक्टूबर 2020 को एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

➢ राष्ट्रीय रोजगार वृद्धि मिशन (एनईईएम)

राष्ट्रीय रोजगार वृद्धि मिशन (एनईईएम) योजना किसी भी तकनीकी या गैर–तकनीकी स्ट्रीम में स्नातक / डिप्लोमा करने वाले व्यक्ति की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए नौकरी पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। इस योजना के तहत, एआईसीटीई ने एनईईएम फैसिलिटेटर्स को पंजीकृत किया है जो छात्रों को न्यूनतम 3 महीने और अधिकतम 36 महीने के लिए एनएसक्यूएफ के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब तक, 48 एनईईएम फैसिलिटेटर हैं और लगभग 5 लाख (लगभग) छात्र प्रशिक्षु नामांकित हैं और विभिन्न एनईईएम फैसिलिटेटरों द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं।

➢ एआईसीटीई छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार

एआईसीटीई ने युवा छात्रों और संस्थानों को अपने विशिष्ट डोमेन में अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए 2017 में विश्वकर्मा पुरस्कारों की स्थापना की, जिससे समग्र रूप से राष्ट्र के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान हो सके। विश्वकर्मा पुरस्कार 2019 के लिए दो अलग–अलग श्रेणियों में "गांव की आय कैसे बढ़ाएं" विषय के साथ आवेदन आमंत्रित किए गए थे: श्रेणी– I: छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार (सीवीए) – उत्कृष्ट अभिनव टीम (छात्रों और संरक्षक के लिए) और (ख) श्रेणी– II: अनुकरणीय संस्थागत हस्तक्षेप के लिए उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार (यूएसवीए)। सीवीए 2019 के 23 और यूएसवीए 2019 के 6 विजेताओं को एआईसीटीई मुख्यालय में 24–02–2020 को पुरस्कार वितरण समारोह में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा सम्मानित किया गया।

एआईसीटीईने "भारत की आर्थिक सुधार पोस्ट कोविड; छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 के लिए रिवर्स माइग्रेशन एंड रिहैबिलिटेशन प्लांटो सपोर्ट "आत्मनिर्भर भारत" की घोषणा की है। 30 दिसंबर, 2020 की अंतिम तिथि तक 1900 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

➢ वोकेशनल डिग्री/डिप्लोमा प्रोग्राम

शैक्षणिक वर्ष 2018–19 में, एआईसीटीई ने एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत व्यावसायिक शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा के लिए व्यावसायिक डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस योजना के तहत, संस्थान द्वारा शिक्षा घटक पढ़ाया जाएगा और कौशल घटक को एआईसीटीई या एनएसडीसी या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा अनुमोदित उद्योग भागीदार या कौशल ज्ञान प्रदाता (एसकेपी) द्वारा कवर किया जाएगा। शैक्षिक वर्ष 2020–21 के लिए, परिषद को व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए 673 संस्थानों से आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से, परिषद ने शैक्षिक वर्ष 2020–21 में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए 24,150 प्रवेश केसाथ 278 संस्थानों को मंजूरी दी।

➢ जम्मू और कश्मीर रोजगार वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम (जेईईटी)

एआईसीटीई ने जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों में अंतिम और पूर्व–अंतिम वर्ष के छात्रों को रोजगार वृद्धि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईसीटी अकादमी के साथ 6 दिसंबर, 2020 को जम्मू और कश्मीर रोजगार वृद्धि प्रशिक्षण (जेईईटी) कार्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से यूआईसीटी अकादमी 5000 छात्रों को उनकी नियोजनीयता में वृद्धि के लिए तकनीकी कौशल में सुधार करेगी।

➢ प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना–पीएमएसएसएस

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा निर्देशित शैक्षणिक वर्ष 2020–21 के दौरान प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा ऑनलाइन परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को एनबीए/एनएएसी मान्यता प्राप्त और एनआईआरएफ रैंक वाले संस्थानों को शामिल करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया था। योजना के तहत प्रोफेशनल स्ट्रीम (इंजीनियरिंग सहित) में 2830 छात्रवृत्तियां उपलब्ध थीं। इसके अलावा, जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रोंके छात्रों के लिए उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए जनरल स्ट्रीम कोर्स के लिए 2830 और मेडिकल स्ट्रीम के लिए 100 छात्रवृत्तियां थीं।

एआईसीटीईने 6 जुलाई से 18 सितंबर 2020 के बीच ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पीएमएसएसएस पोर्टल और 27 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2020 के बीच डिप्लोमा छात्रों के लिए खोला है। काउंसलिंग दिसंबर, 2020 तक आयोजित की गई थी और 10 + 2 के लिए काउंसलिंग के तीन राउंड आयोजित किए गए थे और डिप्लोमा छात्रों के लिए दो राउंड की काउंसलिंग आयोजित की गई। पीएमएसएसएस सेल के अधिकारियों ने जम्मू डिवीजन के कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, डोडा और कितश्वर और कश्मीर डिवीजन में श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, दांडीपुरा, शोपियां, कुलगाम, बडगाम और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में कारगिल और लेह में इच्छुक हितधारकों के साथ वेबिनार बैठकें भी आयोजित की हैं और उन्हें परामर्श प्रक्रिया के बारे में सूचित किया तथा उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। देश में महामारी (कोविड–19) को देखते हुए छात्रों को भी पीएमएसएसएस लाभार्थियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवंटित संस्थान में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। पीएमएसएसएस प्रकोष्ठ ने संस्थानों के साथ समन्वय में छात्रों की वर्चुअल जॉइनिंग की सुविधा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। 10+2 छात्रों के लिए 5671 और डिप्लोमा छात्रों के लिए 266 को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। अब तक 10+2 के लिए 4963 छात्रों और डिप्लोमा के लिए 245 छात्रों ने संस्थान में प्रवेश लिया है और छात्रवृत्ति के लिए एआईसीटीई पोर्टल पर रिपोर्ट किया है।

➢ शिक्षा मंत्रालय का इनोवेशन सेल (एमआईसी)

देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्ट–अप की संस्कृति को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने के लिए एआईसीटीई में एमओई (शिक्षा मंत्रालय) द्वारा एमआईसी की स्थापना की गई है। एमआईसी ने देश में एचईआई में नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है।

- पूरे भारत में फैले एचईआई में 2300 से अधिक संस्थानों की इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी) की स्थापना और संचालन किया गया है। आईआईसी संस्थानों के 12000 से अधिक संकायों और छात्रों को प्रासंगिक पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया है और कैंपस इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को चलाने के लिए इनोवेशन एंबेसडर के रूप में तैनात किया गया है।
- 2019 में, एआईसीटीई ने नवाचार, उद्यमिता और उद्यम विकास में दो वर्षीय एमबीए/पीजीडीएम की शुरुआत की। शैक्षिक वर्ष 2019–20 में 4 एचईआई और वार्षिक वर्ष 2020–21 में 15 एचईआई को 30 की प्रवेश क्षमता के साथ इस कोर्स को चलाने की मंजूरी मिली।
- स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 का सफलतापूर्वक समापन 2020 में हुआ था, जिसका सॉफ्टवेयर संस्करण अगस्त 2020 में पूरा हुआ और हार्डवेयर संस्करण दिसंबर 2020 में पूरा हुआ। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के दोनों संस्करणों में कुल 355 टीमों को विजेता घोषित किया गया।

23 जून 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा 'युक्ति 2.0' पहल शुरू की गई, ताकि हमारे एचईआई में इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित संभावित व्यावसायिक जानकारी के साथ प्रौद्योगिकियों को व्यवस्थित रूप से आत्मसात किया जा सके।

एआईसीटीई द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम/योजनाएं

➢ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु एआईसीटीई– परिसर में आवास एवं सुविधाएं वर्धक सामाजिक अनुभव (सीएएफईएस) योजनाः

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों/शोधकर्ताओं के लिए लड़कियों/लड़कों के छात्रावासों के निर्माण के लिए सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों का समर्थन करना है। पिछले पांच वर्षों से मौजूद सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय विभाग और पिछले तीन वर्षों से 150 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र इस अनुदान के लिए पात्र हैं। वर्तमान में अनुदान की अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये है, जिसे 3 किश्तों में वितरित किया जाना है। 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, 12.01 करोड़ रुपये जारी किए गए थे और इसके साथ ही 2012–13 से जब योजना शुरू की गई थी, 107 संस्थानों में छात्रावास निर्माण के लिए 173.70 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान दिया गया है। 41 छात्रावास पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं।

➢ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कौशल और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम केंद्र के लिए एआईसीटीई योजनाः

यह योजना नियमित अध्ययन के अलावा विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए संस्थानों में एक एसपीडीपी केंद्र के रूप में बुनियादी ढांचे की स्थापना को बढ़ावा देती है। संचार, व्यक्तित्व विकास और अंग्रेजी भाषा में दक्षता पर मॉड्यूल की मदद से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, यह एससी और एसटी छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें बेहतर करियर के अवसर प्रदान करता है, ताकि उद्योग में उनकी रोजगार क्षमता बढ़े। इस योजना के तहत संस्थान को वित्त पोषण की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये तक सीमित है, जिसे 03 वर्षों की अवधि के भीतर खर्च किया जाना है। यह योजना

2019–20 से बंद कर दी गई है और 01.01.2020 से 31.12.2020 के दौरान 82 संस्थानों को 5.55 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

➢ तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए ईएसएस के माध्यम से ई–जर्नल्सः

इस योजना के तहत, इनफ्लिबनेट केंद्र, गांधी नगर, गुजरात द्वारा एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों को ई–पत्रिकाओं/ई–संसाधनों तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जाती है। इन संस्थानों के लिए सदस्यता राशि का भुगतान एआईसीटीई द्वारा इनफ्लिबनेट केंद्र को किया जाता है। वर्ष 2020 के दौरान 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के लिए, 91 संस्थानों को ई–संसाधनों के लिए सदस्यता के नवीनीकरण के लिए इनफ्लिबनेट केंद्र, गुजरात को 3.52 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

➢ सम्मेलन आयोजित करने के लिए अनुदान (जीओसी) योजनाः

यह योजना तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 01 जनवरी से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान 122 लाभार्थी संस्थानों को सम्मेलन आयोजित करने के लिए 2.41 करोड़ रुपये जारी किए गए।

➢ गेट योग्य एमई/एम.टेक छात्रों के लिए एआईसीटीई की स्नातकोत्तर छात्रवृत्तिः

भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, एआईसीटीई ने 2 साल की अवधि के लिए 12,400/– रुपए प्रति माह की दर से गेट/जीपैट योग्य छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की। पीजी छात्रवृत्ति एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों या विश्वविद्यालय/विभागों में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी / वास्तुकला / फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है। वर्ष 2020 के दौरान 20,000 से अधिक पीजी छात्रों को 277.70 करोड़ रूपए जारी किए गए।

➢ तकनीकी शिक्षा पहल (प्रगति) में लड़कियों की उन्नति के लिए सहायता प्रदान करनाः

प्रगति शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है जिसे 2014 से एआईसीटीई द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष 50,000 / – रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इस योजना के तहत 2020 से हर साल छात्राओं को 10,000 छात्रवृत्ति (डिग्री के लिए 5000 और डिप्लोमा के लिए 5000) प्रतिवर्ष जारी की जा रही है। इस वर्ष9000 से अधिक पात्र छात्राओं को 21.03 करोड़ रुपये जारी किए गए।

➢ विकलांग छात्रों के लिए एआईसीटीई की सक्षम छात्रवृत्तिः

सक्षम शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है जिसे 2014 से एआईसीटीई द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए विक्लांग बच्चों को 50,000/– रुपये का प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 2020 से हर साल सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। वर्ष 2020 के दौरान 621 विकलांग छात्रों को 1.37 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

➢ गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी):

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में डिग्री स्तर के संस्थानों के संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता और क्षमताओं का उन्नयन करना है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को मास्टर/डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने में सक्षम बनाना है और उन्हें अध्ययन संस्थानों के वातावरण से अवगत कराकर उनमें शोध की संस्कृति और बेहतर शिक्षण शैक्षिक क्षमताओं को आत्मसात करना है। देश में तीन मुख्य कार्यक्षेत्रों के तहत 114 क्यूआईपी केंद्र हैं– (i) क्यूआईपी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी– 93 (ii) क्यूआईपी फार्मेसी– 11 (iii) क्यूआईपी पॉलिटेक्निक–10।

वर्ष 2020 के दौरान, आरटीजीएस और डीबीटी के माध्यम से विभिन्न क्यूआईपी केन्द्रों को 196 लाख रुपये जारी किए गए हैं। डिग्री स्तर के इंजीनियरिंग, फार्मेसी और

पॉलिटेक्निक संस्थानों के संकाय की सेवा करने वाले क्यूआईपी के तहत तीन मुख्य गतिविधियां हैं–

(i) डिग्री स्तर के इंजीनियरिंग संस्थानों के संकाय सदस्यों को मास्टर और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश देकर उनकी योग्यता में सुधार करने के अवसर प्रदान करना। वर्तमान में केवल पीएच.डी (शिक्षक होने के लिए मास्टर्स अनिवार्य योग्यता होने के साथ)

(ii) पॉलिटेक्निक संस्थानों के संकाय सदस्यों को मास्टर और पीएच.डी. डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश देकर उनकी योग्यता में सुधार के अवसर प्रदान करना

(iii) सेवारत शिक्षकों के लिए प्रमुख क्यूआईपी केंद्रों पर अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित करना।

➢ **शिक्षण में वार्षिक रिफ्रेशर कार्यक्रम (अर्पित):**

एआईसीटीई को वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम शिक्षण (एआरपीआईटी) के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नामित किया गया है। अर्पित 2019 के तहत फैकल्टी के लिए 48 ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित किए गए। परीक्षा के लिए 12,486 संकाय उपस्थित हुए, जिनमें से 10234 संकाय उत्तीर्ण हुए और उन्हें प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इसी तरह, 669 संकायों ने एआरपीआईटी– 2019 की परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से 362 संकाय उत्तीर्ण हुए और उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। एनटीए द्वारा परीक्षा का आयोजन 30 अप्रैल, 2021 को किया जाएगा।

➢ **एआईसीटीई द्वारा "स्वयं" ऑनलाइन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का आठ (8) भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद:**

शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटीएम/एआईसीटीई द्वारा 8 विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं यानी हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगाली और गुजराती में अनुवाद के लिए 80 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले चरण में, अनुवाद के लिए 48 पाठ्यक्रम प्रक्रियाधीन हैं। इन 48 पाठ्यक्रमों में से, आईआईटीएम ने 27 स्वयं/एनपीटीईएल ऑनलाइन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का अनुवाद किया है और 21 इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को आठ अलग–अलग भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए एआईसीटीई को आवंटित किया गया है। एआईसीटीई ने ऑफ़लाइन के माध्यम से चार पाठ्यक्रमों का 8 विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओंमें अनुवाद किया है और 17 (सत्रह) पाठ्यक्रमों का अनुवाद, अनुवाद पोर्टल के माध्यम से जारी है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए)

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) की स्थापना वर्ष 1994 में एआईसीटीई अधिनियम की धारा 10 (यू) के तहत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मेसी और वास्तुकला आदि में डिप्लोमा से स्नातकोत्तर स्तर तक तकनीकी संस्थान कार्यक्रमों की गुणात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए की गई थी। एनबीए कार्यक्रमों को मान्यता देता है न कि संस्थानों को। वर्ष 2010 में, एनबीए कार्यक्रमों की मान्यता के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता के आश्वासन के उद्देश्य से स्वायत्त हो गया। वर्ष 2013 में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) और एनबीए के नियमों में संशोधन किया गया।

प्रत्यायन गुणवत्ता आश्वासन और सुधार की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा यह सत्यापित करने के लिए एक कार्यक्रम का सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जाता है कि कार्यक्रम समय–समय पर नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों को पूरा करता है और/या उससे अधिक है।

कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान, 1162 कार्यक्रमों पर मान्यता के लिए विचार किया गया था, जिनमें से 1067 कार्यक्रमों को मान्यता दी गई थी और शेष 95 कार्यक्रमों को मान्यता नहीं दी गई थी। कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान, परिणाम–आधारित शिक्षा और मान्यता पर 7 जागरूकता वेबिनार आयोजित किए गए, जिसमें 7 विभिन्न राज्यों को शामिल किया गया, जिससे कुल 5,188 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।

बोर्ड 13 जून 2014 को वाशिंगटन समझौते का स्थायी हस्ताक्षरकर्ता बन गया। छह साल पूरे होने पर, वाशिंगटन समझौते के लिए स्थायी हस्ताक्षरकर्ता के रूप में एनबीए की स्थिति जून 2020 में अगले छः वर्षों के लिए बढ़ा दी

गई थी, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा टीम इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एलायंस, वाशिंगटन एकॉर्ड के सचिवालय द्वारा विस्तृत समीक्षा के बाद नियुक्त किया गया था।

वाशिंगटन समझौता स्नातक इंजीनियरिंग डिग्री कार्यक्रमों के तहत मान्यता के लिए जिम्मेदार निकायों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।यह हस्ताक्षरकर्ता निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों की समानता को मान्यता देता है और अनुशंसा करता है कि किसी भी हस्ताक्षरकर्ता निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के स्नातकों को अन्य निकायों द्वारा मान्यता दी जाए जो वाशिंगटन समझौते के हस्ताक्षरकर्ता हैं। वाशिंगटन समझौते में भारत का प्रतिनिधित्व एनबीए द्वारा किया जाता है और टियर–1 संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले स्नातक कार्यक्रम और एनबीए द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम वाशिंगटन समझौते के अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए पात्र हैं।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (एनआईआरएफ)

शिक्षा मंत्रालय ने 29 सितंबर, 2015 को उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) लॉन्च किया, जो देश भर के संस्थानों को रैंक करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार करता है। अंतिम ढांचे ने पांच व्यापक सामान्य मानकों में लगभग 22 मानकों की पहचान की, अर्थात्: i) शिक्षण, सीखना और संसाधन; ii) अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास; iii) स्नातक परिणाम; iv) आउटरीच और समावेशिता; और v) धारणा।

भारत रैंकिंग एक वार्षिक अभ्यास है जो विभिन्न श्रेणियों और विषय डोमेन में भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों की रैंकिंग के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) का उपयोग करता है। भारत रैंकिंग का अभिनव और प्रथम संस्करण 2016 में एक श्रेणी और तीन विषय डोमेन में जारी किया गया था। इसके बाद, वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 के लिए एनआईआरएफ का उपयोग करते हुए भारत रैंकिंग के चार वार्षिक संस्करण जारी किए गए, जिसमें प्रारंभिक चार श्रेणी/विषय डोमेन में नई श्रेणियां और विषय डोमेन जोड़े गए।

इंडिया रैंकिंग 2020 को जून 2020 में तीन श्रेणियों अर्थात् कुल मिलाकर, विश्वविद्यालय और कॉलेज और सात विषय डोमेन, अर्थात् इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, चिकित्सा, वास्तुकला, कानून और दंत चिकित्सा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) का उपयोग करते हुए जारी किया गया था। एनआईआरएफ को सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। यह फ्रेमवर्क विभिन्न श्रेणियों और विषय डोमेन में देश भर के संस्थानों को रैंक करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार करता है।

❖ ❖ ❖

05

कार्यक्रम एवं योजनाएं

कार्यक्रम एवं योजनाएं

भारतीय ज्ञान प्रणाली और अनुसंधान (आईकेएसएंडआर)

भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस)

माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 18/03/2020 को ''पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली में अनुसंधान'' पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में हुई चर्चा के परिणामस्वरूप, शिक्षा मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में आईकेएस के रूप में एक अलग प्रभाग बनाया गया था। प्रभाग का उद्देश्य अनुसंधान और प्रचार के माध्यम से भारत की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पारंपरिक भारतीय ज्ञान के प्रति संवेदनशील बनाना है।

माननीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' की अध्यक्षता में एक मिशन उच्च स्तरीय समिति (एमएचएलसी) का गठन किया गया है जो आईकेएस के कामकाज के संबंध में एक समग्र मार्गदर्शन नीति प्रदान करेगी।

आईकेएस पर विभिन्न वेबिनारों का आयोजन किया गया :

क) एनसीसीआईपी–एआईसीटीई द्वारा जून 2020 माह में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर पांच दिवसीय वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार में देश भर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 130 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ख) आईआईटी द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर 6 से 8 नवंबर 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार ''भारत तीर्थ'' का आयोजन किया गया।

ग) आईकेएस से संबंधित महत्वपूर्ण और दुर्लभ पुस्तकों की पहचान की जा रही है और उन्हें खरीदा जा रहा है। अनुसंधान के उद्देश्य और परामर्श के लिए इन पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।

अनुसंधान योजनाएं :

प्रभाग के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान योजनाओं का समन्वय किया जा रहा है:

क्र.सं.	अनुसंधान योजना	विवरण
1	इम्पैक्टिंग रिसर्च इन टेक्नोलॉजी (इम्प्रिन्ट)	नवंबर 2015 में घोषणा की गई, इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान को व्यवहार्य प्रौद्योगिकी में बदलना है। इम्प्रिंट–I में 320.72 करोड़ रुपये की कुल लागत से कुल 142 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इम्प्रिंट–II . के तहत 145.76 करोड़ रूपये की कुल लागत के साथ 183 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
2	उच्चतर अविस्कार योजना (यूएवाई)	उन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना जो सीधे तौर पर विनिर्माण और डिजाइन उद्योग के लिए संबंधित हैं और जिनके पास आउटकम–आधारित अनुसंधान निधि है। यूएवाई–I के तहत 247.66 करोड़ रुपये की लागत के साथ कुल परियोजना 83 परियोजनाए और यूएवाई–II के तहत कुल 123.31 की परियोजना लागत के साथ 56 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है

क्र.सं.	अनुसंधान योजना	विवरण
3	अनुसंधान पार्क	7 अनुसंधान पार्कों को स्थापित किया जा रहा है। जो निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे: निम्नलिखित संस्थानों में अनुसंधान पार्क स्थापित किए जा रहे हैं: आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी। इन अनुसंधान पार्कों की स्थापना के लिए कुल 575 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय को मंजूरी दी गई है। सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास; उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करना; राष्ट्रीय मिशन परियोजनाओं पर काम करेगा और प्रयोगशालाओं, इनक्यूबेशन हब, अनुसंधान सह अकादमिक हब की स्थापना करेगा; और प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण के केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
4	नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में प्रस्तावित, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के परामर्श से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) द्वारा व्यापक ढांचा स्थापित किया जाएगा। इस योजना की घोषणा बजट 2019 और प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 2020 के भाषण में भी की गई थी। एनईपी के अनुसार प्रस्तावित एनआरएफ का उद्देश्य सभी विषयों में प्रतिस्पर्धी निधियन के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान की संस्कृति को समर्थ बनाना है।
5	प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान (एफएएसटी)	2012 में शुरूआत की गई, 36 योजना के तहत उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) फास्ट स्थापित किए गए हैं जो फ्रंटियर अनुसंधान विषयों पर केंद्रित हैं। प्रमुख शोध विषयों में: नैनो टेक्नोलॉजी, सिग्नल प्रोसेसिंग, पर्यावरण और जल संसाधन, डेटा माइनिंग और एनर्जी सिस्टम शामिल हैं। परियोजना का कुल परिव्यय 117 करोड़ रु. है।
6	वैश्विक शैक्षणिक नेटवर्क पहल (जीआईएएन)	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रतिभा पूल का दोहन करने के उद्देश्य से भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना ताकि देश के मौजूदा शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके, गुणवत्ता सुधार की गति को तेज किया जा सके और भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को वैश्विक स्तर तक बढ़ाया जा सके। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और अब तक कुल 2101 पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी जा चुकी है।
7	शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (एसपीएआरसी)	2018 में घोषित इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और/या अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता की समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करने के लिए 28 चयनित देशों के भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग को और अधिक सुविधाजनक बनाकर भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है। अब तक 394 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।
8	राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल (एनआईडीआई)	भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए डिजाइन नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान के माध्यम से 240 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 20 डिजाइन इनोवेशन सेंटर (डीआईसी), ओपन डिजाइन स्कूल (ओडीएस) और नेशनल डिजाइन इनोवेशन नेटवर्क (एनडीआईएन) की स्थापना की गई है।

क्र.सं.	अनुसंधान योजना	विवरण
9	इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस (इम्प्रेस)	नीति क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाएं जैसेः राज्य और लोकतंत्र, शहरी परिवर्तन, मीडिया, संस्कृति और समाज। भारत सरकार ने 31.03.2021 तक कार्यान्वयन के लिए कुल 414 करोड़ रु. की लागत से अगस्त 2018 में इस योजना को मंजूरी दी थी।। इस योजना के तहत, उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को सहयोग प्रदान करने और नीति निर्माण के मार्गदर्शन के लिए अनुसंधान को सक्षम बनाने हेतु 2 साल के लिए 1500 अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
10	विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान के लिए योजना (एसटीएआरएस)	इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित 6 बुनियादी क्षेत्रों की पहचान की गई हैः भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, नैनो विज्ञान, डेटा विज्ञान और गणित और पृथ्वी विज्ञान। 250 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ कुल 141 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
11	भारत की विकासशील अर्थव्यस्था के लिए अंतर–विषयक अनुसंधान योजना (स्ट्राइड)	स्ट्राइड का मुख्य उद्देश्य युवा प्रतिभा की पहचान करना, अनुसंधान संस्कृति को सुदृढ़ करना, क्षमता निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देना और विकासशील अर्थव्यवस्था और राष्ट्र विकास के लिए अंतर–विषयक अनुसंधान को सहयोग प्रदान करना और मानविकी और मानव विज्ञान में उच्च प्रभावी अनुसंधान परियोजनाओं के बहु–संस्थागत नेटवर्क का निधियन करना है। इस योजना की घोषणा जुलाई 2019 में की गई थी।

राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी):

भारत सरकार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सभी हितधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा देश के लगभग हर नागरिक के साथ जुड़ी हुई है और सरकार ऐसे गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने की इच्छुक है जो नागरिकों को सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करेगी और शैक्षणिक संस्थानों को उनके मुख्य कार्यों को करने में भी सुविधा प्रदान करेगी। इस दिशा में एक कदम शैक्षणिक अवार्ड डिजिटल डिपॉजिटरी पहल है जिसे नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) के नाम से जाना जाता है। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई, 2017 को एनएडी की शुरूआत की गई है।

एनएडी एक डिजिटल प्रारूप में शैक्षणिक संस्थानों/बोर्डों/पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा दर्ज अकादमिक पुरस्कारों (डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) का एक ऑनलाइन स्टोर हाउस है। एनएडी शैक्षणिक अवार्ड उपलब्ध कराने और उनके प्रामाणीकरण, सुरक्षित भंडारण और आसान पुनर्प्राप्ति में सहायता के लिए 24×7 ऑनलाइन मोड पर कार्य करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी) का अधिकृत कार्यान्वयन निकाय है। एनएडी में दो इंटरऑपरेबल डिजिटल डिपॉजिटरी शामिल हैं। सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड (सीवीएल) और एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड (एनडीएमएल)। एनएडी से संबंधित विवरण www.nad.gov.in पर उपलब्ध हैं।

एनएडी के उपयोगकर्ता

- ➢ छात्र और अन्य शैक्षणिक अवार्ड धारक
- ➢ शैक्षणिक संस्थान/बोर्ड/पात्रता मूल्यांकन निकाय
- ➢ सत्यापन प्राप्त करने वाली संस्थाएं अर्थात बैंक, नियोक्ता कंपनियां (घरेलू और विदेशी), सरकारी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान/बोर्ड/पात्रता मूल्यांकन निकाय (घरेलू और विदेशी) आदि।

प्रतिभागी

- ➢ केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान और डिग्री, डिप्लोमा आदि प्रदान करने हेतु संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिकृत संस्थान।

- ➢ राज्य विश्वविद्यालय, समवत विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय
- ➢ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत स्थापित प्रमाणपत्र/डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान
- ➢ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अनुमोदित संस्थान
- ➢ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राज्य स्कूल बोर्ड और अन्य बोर्ड
- ➢ राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के लिए यूजीसी और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिए सीबीएसई जैसे केंद्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय।

एनएडी की विशेषताएं

- ➢ यह पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में काम करता है
- ➢ अकादमिक अवार्ड को डिजिटल प्रारूप में दर्ज करने की सुविधा देता है, डेटाबेस तक पहुंच की सत्यनिष्ठा और डेटाबेस में दर्ज पुरस्कारों की अखंडता को बनाए रखता है।
- ➢ छात्रों को किसी भी समय अपने दर्ज शैक्षणिक पुरस्कारों को पुनः प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
- ➢ नियोक्ताओं और अन्य व्यक्तियों (संबंधित छात्र के पूर्व अनुमोदन के साथ) को किसी भी अकादमिक पुरस्कार की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- ➢ डेटाबेस की प्रामाणिकता, अखंडता और गोपनीयता बनाए रखता है।

एनएडी के लाभ

शैक्षणिक संस्थानों के लिए:

- जारी किए गए अकादमिक अवार्डों का स्थायी रिकॉर्ड;
- डुप्लीकेट अकादमिक अवार्ड जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं, छात्र इसे एनएडी से प्राप्त कर सकते हैं;
- जाली और धोखाधड़ी वाले कागजी प्रमाणपत्रों पर प्रभावी निवारण;
- सभी अकादमिक अवार्डों के सत्यापन संबंधी आवश्यकताओं को एनएडी द्वारा पूरा किया जा सकता है;
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लगने वाले समय की बचत के परिणामस्वरूप अधिक कुशल और केंद्रित संगठन।

छात्रों के लिए:

- शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपलोड किए जाने पर शैक्षणिक अवार्डों की तत्काल उपलब्धता
- अकादमिक अवार्डों का ऑनलाइन, स्थायी रिकॉर्ड
- अकादमिक अवार्डों के खोने, खराब होने, क्षतिग्रस्त का कोई जोखिम नहीं
- अकादमिक अवार्डों तक कभी भी सुविधाजनक पहुंच।

सत्यापन की इच्छुक संस्थाओं (नियोक्ता कंपनियों, बैंकों आदि) के लिए

- शैक्षणिक अवार्डों का ऑनलाइन, त्वरित और विश्वसनीय सत्यापन (संबंधित छात्र की पूर्व सहमति से)
- अकादमिक अवार्डों की प्रमाणित प्रति तक पहुंच
- नकली और जाली प्रमाण पत्र का कोई खतरा नहीं।
- सत्यापन संबंधी लागत, समय और प्रयासों में कमी।

राष्ट्रीय रैगिंग रोकथाम कार्यक्रम

उद्देश्य:

शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकना और भारत को रैगिंग मुक्त राष्ट्र बनाना।

कवरेज:

1. इस कार्यक्रम को पूरे देश पर लागू किया गया है। रोकथाम को (i) कॉलेज अधिकारियों, अभिभावकों और छात्रों के बीच बेहतर संचार (ii) नियमों के

अनुपालन की प्रभावी निगरानी और (iii) व्यापक जन जागरूकता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र भी प्रदान किया गया है। आयोग ने सभी संस्थानों के लिए रैगिंग को निषेध करने और रैगिंग के परिणामों के संबंध में सरकार के निर्देशों को अपने प्रॉस्पेक्टस में शामिल करना अनिवार्य किया है।

2. यूजीसी द्वारा रैगिंग पीड़ितों की सहायता के लिए कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ 12 भाषाओं में एक एंटी–रैगिंग टोल फ्री 'हेल्पलाइन' 1800–180–5522 की शुरूआत की गई है, इसके अलावा सभी संबंधितों द्वारा प्रभावी समन्वित कार्रवाई की सुविधा प्रदान की गई है। शिकायतों को ईमेल के माध्यम से helpline/antiragging.in पर भी दर्ज किया जा सकता है।

3. यूजीसी ने देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्रचार/मीडिया अभियान चलाया और पोस्टर, टीवीसी, जिंगल, लघु फिल्म और वृत्तचित्र फिल्में तैयार की। चूंकि रैगिंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करने हेतु कई तंत्रों की आवश्यकता होती है, यूजीसी ने छात्रों के बीच रैगिंग की घटनाओं से बचने के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु इन टीवीसी, जिंगल्स और लघु फिल्मों आदि (यूजीसी की वेबसाइट यानी www.ugc.ac.in पर उपलब्ध) के प्रसारण के संबंध में परिपत्र जारी किया है।

4. एक समिति जिसमें शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल होते हैं के द्वारा इस कार्यक्रम की समग्र निगरानी की जाती है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम भाषाई, साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल, पर्यटन और लोगों के अन्य रूपों में लोगों के बीच परस्पर विनियम के माध्यम से राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय मंत्रालयों, शैक्षिक संस्थानों और आम जनता के बीच एक समन्वित पारस्परिक जुड़ाव प्रक्रिया द्वारा ''एकता को साकार करने के लिए विविधता'' का जश्न मनाने के लिए है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 16 युग्मों में बांटा गया है।

28 राज्य, 8 संघ राज्यक्षेत्रों, 10 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अर्थात संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, युवा मामले विभाग, खेल विभाग, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बद्ध हैं। उनके द्वारा इस वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में गतिविधियों का आयोजन किया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग के तहत 2181 रूसा वित्त पोषित संस्थानों, 1813 एआईसीटीई विनियमित संस्थानों, 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 23 आईआईटी, 20 आईआईएम, 31 एनआईटी, 24 आईआईआईटी, 6 सीएफटीआई, 4 आईआईएसईआर और एक आईआईईएसटी ने इस कार्यक्रम के तहत गतिविधियों जैसे छात्र–बातचीत/विनियम, टीचर विनियम, युवा महोत्सव, ईबीएसबी डे, ईबीएसबी क्लब आदि का संचालन किया है। कोविड–19 महामारी के कारण, शारीरिक गतिविधियों के स्थान पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गतिविधियों को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इन गतिविधियों में ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी/चित्रकारी/वाद–विवाद प्रतियोगिताएं, युग्मित राज्यों के विभिन्न पहलुओं पर वेबिनार, भाषा अध्ययन, प्रतिज्ञा, वृत्तचित्र दिखाना आदि शामिल थे।

उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों ने साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल, पाक और छात्र आदान–प्रदान, ऑनलाइन गतिविधियों, प्रश्नोत्तरी, वेबिनार आदि की 7000 से अधिक गतिविधियों का आयोजन किया। देश भर में 18 लाख से अधिक लोगों ने गतिविधियों की इस श्रृंखला में भाग लिया। अन्य मंत्रालयों/विभागों ने साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल, पाक और छात्र आदान–प्रदान, ऑनलाइन गतिविधियों आदि की छह सौ से अधिक गतिविधियों का आयोजन किया। देश भर में लगभग 4.8 करोड़ छात्रों/लोगों ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित गतिविधियों में भाग लिया।

अक्टूबर 2020 में माननीय राज्य मंत्री (शिक्षा) द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा की गई, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जैसे और मंत्रालयों/विभागों को शामिल करने का सुझाव दिया गया; क्योंकि इन विभागों के पास अपने क्षेत्र विशिष्ट ज्ञान/संसाधन हैं, जिन्हें राज्यों के बीच साझा किया जा सकता है। इन मंत्रालयों/विभागों ने माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2020 को आयोजित मंत्री समूह की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लिया। मंत्रियों के समूह ने कई सिफारिशें कीं जिन्हें आगामी महीनों में लागू किया जाएगा।

स्वच्छ भारत अभियान

उच्चतर शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में पूर्ण स्वच्छता और स्वच्छता के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न उपाय किए हैं। इसका उद्देश्य 'स्वच्छ भारत अभियान' के साथ स्वच्छता के अभ्यास के आसपास एक जागरूक समुदाय का निर्माण करना और कई इंटरैक्टिव गतिविधियों और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर युवाओं और समाज के व्यवहार में बदलाव लाना है।

वर्ष की शुरुआत 16 से 31 जनवरी, 2020 के दौरान एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम 'स्वच्छता पखवाड़ा' के आयोजन के साथ हुई, जिसके तहत 544 संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं, गतिविधियों, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 94647 छात्रों ने भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय ने भी अपने परिसर में शपथ ग्रहण समारोह, सफाई गतिविधियों का आयोजन किया और जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर चिपकाए। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर डिजिटल माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम महामारी के दौरान भी जारी रहा। इसमें परस्पर और आकर्षक तरीके से जागरूकता फैलाना शामिल था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करती है। इसने देश भर में ऑनलाइन मोड में स्वच्छता कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें 9 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने स्वच्छता, जल संरक्षण (जल शक्ति), स्वच्छता और कोविड 19 पश्चात स्वच्छता कार्य योजना के संदेश को फैलाया। एचईआई में 1350 स्वच्छता कार्य योजना प्रकोष्ठों का गठन किया गया है, जो परिसर में और परिसर के बाहर स्वच्छता का संदेश प्रसारित करते हैं।

उन्नत भारत अभियान 2.0 (यूबीए)

उन्नत भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों (केंद्रीय और राज्य; सार्वजनिक और निजी) को ग्रामीण क्षेत्रों की समझ प्रदान करना और उनमें काम करना शामिल है। ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाने के इरादे से, इन चयनित संस्थानों से स्थानीय जरूरतों के अनुसार मौजूदा प्रौद्योगिकियों को अनुकूलित करने या नई तकनीकों को विकसित करने तथा मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार की उम्मीद की जातीहै।

विजन

उन्नत भारत अभियान एक समावेशी भारत के निर्माण में मदद के लिए ज्ञान संस्थानों की सहायता से ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन की दृष्टि से प्रेरित है।

मिशन

उन्नत भारत अभियान का मिशन उच्च शिक्षण संस्थानों को विकास संबंधी चुनौतियों की पहचान और सतत विकास में तेजी लाने के लिए उपयुक्त समाधान विकसित करने में ग्रामीण भारत के लोगों के साथ काम करने में सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य उभरते व्यवसायों के लिए ज्ञान और पद्धति प्रदान करके समाज और एक समावेशी शैक्षणिक प्रणाली के बीच एक बेहतर चक्र का निर्माण करना और ग्रामीण भारत की विकास संबंधी आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की क्षमताओं का उन्नयन करना है।

लक्ष्य

क) उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय जरूरतों विशेष रूप से ग्रामीण भारत के संबंध में संस्थागत क्षमता और प्रशिक्षण संबंधी विकास एजेंडे की समझ विकसित करना।

ख) उच्च शिक्षा के आधार के रूप में सामाजिक उद्देश्यों के लिए फील्ड वर्क, हितधारक और डिजाइन की आवश्यकता पर पुनः बल देना।

ग) नए व्यवसायों को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से सटीक जानकारी और उपयोगी आउटपुट पर जोर देना।

घ) ग्रामीण भारत और क्षेत्रीय एजेंसियों को विशेष रूप उन्हें जिन्होंने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में अकादमिक उत्कृष्टता हासिल की है, उच्च शिक्षा संस्थानों के व्यवसायिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना।

ङ) शोध के परिणामस्वरूप विकास परिणामों में सुधार करना। अनुसंधान परिणामों को बनाए रखने और अवशोषित करने के लिए नए व्यवसायों और नई प्रक्रियाओं का विकास करना।

प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्र

गांवों के समग्र विकास की ओर बढ़ने के लिए, दो प्रमुख क्षेत्र अर्थात् मानव विकास और भौतिक (आर्थिक) विकास हैं जिन्हें एकीकृत तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है। इन दो क्षेत्रों के प्रमुख घटक मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति, मूल्य और धारणा विकास, कौशल और उद्यमिता, आर्थिक विकास, जैविक कृषि और गाय आधारित अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन और संरक्षण, अक्षय ऊर्जा स्रोत, कारीगर और ग्रामीण उद्योग, स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का विकास और दोहन, बुनियादी सुविधाएं और ई–सहयोग (आईटी–समर्थ) हैं।

पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) योजना

1. केंद्रीय सेक्टर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) योजना की शुरूआत दिसंबर, 2014 में की गई; शुरूआत में 31 मार्च, 2017 तक इसे अनुमोदित किया गया था। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिश पर, योजना को 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा वित्त मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2021 या 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के उनके दायरे, प्रकृति, कवरेज में बदलाव के बिना, प्रभावी होने तक इसे एक अंतरिम विस्तार दिया गया है।

2. मिशन का उद्देश्य शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षक तैयारी, व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम डिजाइन, और मूल्यांकन और मूल्यांकन पद्धति विकसित करने, प्रभावी अध्यापन के विकास में अनुसंधान से संबंधित सभी मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करना है। यह सरकार के प्रमुख कार्य क्षेत्रों में से एक है। मिशन एक ओर, योग्य शिक्षकों की आपूर्ति, शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभा को आकर्षित करने और स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने जैसे वर्तमान और जरूरी मुद्दों को हल करता है दूसरी ओर, मिशन प्रदर्शन मानकों को स्थापित करके और शिक्षकों के अभिनव शिक्षण और व्यावसायिक विकास के लिए शीर्ष श्रेणी की संस्थागत सुविधाओं का निर्माण करके शिक्षकों के एक मजबूत पेशेवर संवर्ग के निर्माण संबंधी दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करेगा।

3. इस योजना के तहत कुल 89 केंद्र/घटक (शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम, शिक्षाविदों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम और संकाय प्रेरण कार्यक्रम सहित) संचालित हैं। इन संस्थानों को अब तक 405.39 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। आज की तिथि के अनुसार, घटक वार अनुमोदित प्रस्तावों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	घटक का नाम	स्थापित किए जाने वालों की संख्या	अब तक स्थापित किए गए की संख्या
1.	शिक्षा के स्कूल (केंद्रीय विश्वविद्यालयों में)	30	25
2.	पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र	50	50
2.1	विज्ञान और गणित शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र	5	5
2.2	शिक्षण अधिगम केंद्र	25	25
2.3	संकाय विकास केंद्र	20	20
3.	शिक्षक शिक्षा के लिए अंतर–विश्वविद्यालय केंद्र	2	2
4.	शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र	1	1
5.	अकादमिक नेतृत्व और शिक्षा प्रबंधन के लिए केंद्र	5	4
6.	नवाचार, पुरस्कार, शिक्षण संसाधन अनुदान, कार्यशाला और संगोष्ठी सहित	कोई विशिष्ट संख्या नहीं	9
7.	पाठ्यचर्या नवीनीकरण और सुधारों के लिए विषय नेटवर्क	कोई विशिष्ट संख्या नहीं	4
कुल			**95**
8.	उच्च शिक्षा में नव भर्ती संकाय के प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	62 केंद्र	सभी
9.	अर्पित के माध्यम से – राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एनआरसी)		
	(i) 2018	75	66
	(ii) 2019	52	48
	(iii) 2020	48	48
10.	वरिष्ठ शैक्षणिक और प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए शैक्षणिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम		
	(I) विदेशी घटक के बिना	10	–
	(II) विदेशी घटक के साथ	15	सभी

4. योजना का मुख्य क्षेत्र क्षमता निर्माण और निरंतर व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, आईसीटी आधारित शिक्षाशास्त्र और शिक्षक शिक्षा में विशेष अनुसंधान के माध्यम से उच्च गुणवत्तायुक्त सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और सेवाकालीन प्रशिक्षण दोनों को प्रदान करके स्कूल और उच्च शिक्षा में शिक्षकों और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है। गैर–आवर्ती (नई इमारत, स्टूडियो, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, प्रशिक्षण हॉल, नवीनीकरण, ऑफसेट प्रिंटर, कैमरा, कंप्यूटर, किताबें और फर्नीचर) और आवर्ती (प्रशिक्षण, संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, ई–सामग्री, ऑफ़लाइन सामग्री, किट, सॉफ़्टवेयर और एप्लिकेशन)) के तहत गतिविधियां आयोजित की गई हैं। योजना के तहत कुछ उपलब्धियों में शामिल हैं:

- कुल अवसंरचना विकास– 36 भवन/प्रयोगशालाएं/स्टूडियो स्थापित
- कुल लाभार्थी– 8.97 लाख शिक्षक
- कवर किए गए कुल राज्य–पूर्वोत्तर राज्यों सहित 23

- पांच शिक्षकों को शिक्षण–अधिगम क्षेत्र में उनके नवाचार के लिए मान्यता और सुविधा प्रदान करने के लिए 2018 में शिक्षक अन्वेषक पुरस्कार आयोजित किया गया था। इन शिक्षकों का चयन देश से प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया गया था। यह पुरस्कार योजना के नवाचार पुरस्कार घटक के तहत स्थापित किया गया था।
- विभिन्न ऑनलाइन कार्यशालाओं, वेबिनार, वीडियो व्याख्यान, संकाय विकास कार्यक्रमों, ऑनलाइन प्रशिक्षण, वेबिनार श्रृंखला, ऑनलाइन प्रशिक्षण, वर्चुअल टॉक सीरीज, सर्टिफिकेट कोर्स, इंडक्शन ट्रेनिंग/फैकल्टी ओरिएंटेशन और वर्चुअल के माध्यम से कोविड के दौरान 135 ऑनलाइन गतिविधियों के जरिए 1.68 लाख प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया।
- अर्पित 2020 में 48 विषय विशिष्ट पाठ्यक्रमों में कुल 80,328 नामांकनहैं।

केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएमएमएमएनएमटीटी योजना के तहत निर्मित स्कूल ऑफ एजुकेशन बिल्डिंग के 25.02.2020 को आयोजित उद्घाटन समारोह का चित्र

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) एक केंद्र प्रायोजित व्यापक योजना (सीएसएस) है, जो समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के वित्त पोषण के लिए मिशन मोड में संचालित है। मंत्रालय से संस्थानों को केंद्रीय वित्त पोषण, राज्य सरकारों के माध्यम से दिया जाता है। प्रस्तुत प्रस्तावों के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर योजना के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्यों को सहयोग प्रदान को अनुमादित किया जाता है।

रूसा के उद्देश्य

क) राज्यों में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों, असेवित और कम सेवित जिलों पर ध्यान केंद्रित करके उच्च शिक्षा की पहुंच में सुधार।

ख) बालिकाओं के लिए अलग छात्रावासों और दिव्यांगजन अनुकूल बुनियादी ढांचे आदि के निर्माण के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लिए उच्च शिक्षा की समानता में सुधार और महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों के समावेशन को बढ़ावा देना।

ग) राज्य सरकारों के प्रयासों में वृद्धि और सहयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा में मौजूदा अंतराल की पहचान करना और उन्हें भरना।

घ) गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए राज्यों और संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना।

ङ) विभिन्न सुधारों के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।

रूसा 2.0 के अंतर्गत प्रगति/उपलब्धि (2017–20)

रूसा 2.0 के अंतर्गत लक्ष्य और अनुमोदन (2017–20)				
क्र. सं.	घटक का नाम	लक्ष्य (यूनिट)	अनुमोदन (यूनिट)	कुल अनुमोदित राशि (रू. करोड़ में) (राज्य भाग सहित)
1	**घटक संख्या 1** : वर्तमान स्वायत्त कॉलेजों के उन्नयन द्वारा विश्वविद्यालयों का सृजन	3	3	165
2	**घटक संख्या 2** : महाविद्यालयों को एक क्लस्टर में परिवर्तित करके विश्वविद्यालयों का निर्माण	3	2	110
3	**घटक संख्या 3** : विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान	50	42	840
4	**घटक संख्या 4** : चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना (नया)	10	10	1000
5	**घटक संख्या 5** : नए मॉडल कॉलेज (सामान्य)	70	70	840
6	**घटक संख्या 6** : मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्नयन	75	75	300
7	**घटक संख्या 7** : नए कॉलेज (पेशेवर और तकनीकी)	8	8	208
8	**घटक संख्या 8** : स्वायत्त कॉलेजों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना (नया)	70	70	350
9	**घटक संख्या 9** : महाविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान	750	750	1500
10	**घटक संख्या 10** : अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता सुधार	20	20	1000
11	**घटक संख्या 11** : इक्विटी पहल (एक इकाई के रूप में राज्य)	15	15	75
12	**घटक संख्या 12** : संकाय भर्ती सहायता (पदों की संख्या)	200 पद	187 पद (3 राज्य)	31.416
13	**घटक संख्या 13** : संकाय सुधार (राज्य एक इकाई के रूप में)	8	8	56

नोट : योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रारंभिक अनुदान और एमएमईआर अनुदान भी जारी किए जाते हैं।

वास्तविक और वित्तीय प्रगति

वर्ष 2020–21 में 31 दिसंबर, 2020 तक रूसा के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 65.57 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) चरण– III

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) के तीसरे चरण का विश्व बैंक के सहयोग से 2660 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है। टीईक्यूआईपी–III को विश्व बैंक द्वारा 50% संवितरण ($176.34 मिलियन) के साथ भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित किया जाता है। परियोजना दो घटकों का सहयोग करती है।

घटक –1: फोकस राज्यों में इंजीनियरिंग संस्थानों में गुणवत्ता और समानता में सुधार।

घटक –2: अभिशासन और प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए सिस्टम–स्तरीय पहल।

कवरेज:

टीईक्यूआईपी–III को 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 8 पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू और कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में लागू किया जा रहा है, जिन्हें फोकस राज्य कहा जाता है। 1 अप्रैल 2017 से लगभग 100 संस्थान/संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (एटीयू) 13 गैर फोकस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और सीएफटीआई के 74 अन्य संस्थानों/एटीयू के साथ फोकस राज्यों से 1 अप्रैल 2017 से सहभागिता कर रहे हैं।

उद्देश्य:

टीईक्यूआईपी–III का उद्देश्य चयनित सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज में गुणवत्ता और इक्विटी को बढ़ाना और फोकस राज्यों में इंजीनियरिंग शिक्षा प्रणाली की दक्षता में सुधार करना है।

क) फोकस वाले राज्यों में इंजीनियरिंग संस्थानों में गुणवत्ता और समानता में सुधार करना।

ख) प्रशासन क्षेत्र और प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए सिस्टम–स्तरीय पहल जिसमें संबद्ध संस्थानों के प्रति उनकी नीति, शैक्षणिक और प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालयों (एटीयू) के दायरे का विस्तार करना शामिल है, और

ग) फोकस राज्यों में भाग लेने वाले संस्थानों और एटीयू की क्षमता निर्माण और प्रदर्शन में सुधार के लिए दोहरी व्यवस्था।

टीईक्यूआईपी–III के तहत नए हस्तक्षेप:

क) सहयोगात्मक अनुसंधान योजना: 221 संस्थानों के 1609 शोधकर्ता 396 सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं (अनुसंधान अनुदान: 47.56 करोड़)

ख) एटीयू में प्रतिस्पर्धी अनुसंधान योजना: एटीयू में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के अलावा, एटीयू से संबद्ध 900 से अधिक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 448 आर एंड डी परियोजनाओं पर 1000 से अधिक सहयोगी काम कर रहे हैं।

ग) वाई–फाई: 84 टीईक्यूआईपी संस्थानों में छात्रों को वाई–फाई की सुविधा प्रदान करना।

घ) डिजिटल अवसंचरना: डिजिटल अवसंरचना के साथ 105 संस्थान (वाई–फाई कनेक्टिविटी के साथ 1150 बोर्ड)।

ङ) डिजिटल शिक्षाशास्त्र: 106 संस्थानों के 4000 से अधिक शिक्षकों को डिजिटल शिक्षाशास्त्र में प्रशिक्षित किया जाता है।

च) भविष्य कौशल: नेसकॉम पर 65,000 छात्रों के उपचारात्मक और अनुवर्ती मूल्यांकन के आधार पर 9 भविष्य कौशल की घोषणा और 12500 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए 2500 संकायों सशक्तिकरण।

छ) शासन में आसानी: 52 संस्थानों (आईआईटी–केजीपी स्माइल) के लिए 10 मॉड्यूल (अकादमिक, मानव संसाधन, खाता, खरीद, सीईसी, छात्रावास, अनुसंधान एवं विकास) के साथ वेबसाइट एकीकृत ईआरपी। 30 संस्थानों (समर्थ ईआरपी) के लिए डीयू का गैर एसएएएस ईआरपी।

टीईक्यूआईपी–III के तहत वास्तविक प्रगति (31 दिसंबर 2020 तक)

परियोजना के निष्पादन और इसके विकास के उद्देश्य की दिशा में प्रगति को संतोषजनक के रूप में आंका गया है। टीईक्यूआईपी–III के तहत वास्तविक प्रगति को 4 परियोजना विकास उद्देश्य (पीडीओ), 5 संवितरण लिंक्ड संकेतक (डीएलआई) और 21 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) के संदर्भ में मापा जाता है। वर्तमान में, परियोजना ने पीडीओ को मापने वाले सभी संकेतकों को पूर्ति की है या उससे आगे निकल गया है और सभी डीएलआई के लिए वर्तमान (तीसरे वर्ष) लक्ष्यों को भी पूरा कर लिया है। इसके अलावा, परियोजना में 21 केपीआई हैं जिनमें सभी चार पीडीओ और 5 डीएलआई भी शामिल हैं।

केपीआई की प्रगति इंगित करती है कि सभी केपीआई या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से प्राप्त किए गए हैं।

इसके अलावा, परियोजना के तहत पीडीओ, डीएलआई और केपीआई की उपलब्धियां प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

(i) **डिजिटल बोर्ड और शिक्षाशास्त्र:** डिजिटल शिक्षण और शिक्षाशास्त्र के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, कुल 1150 उच्च गुणवत्ता वाले 65 इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड नवीनतम तकनीक से युक्त हैं जिन्हें 105 संस्थानों में उपलब्ध कराया गया है। डिजिटल बोर्ड के प्रभावी उपयोग के लिए, डिजिटल शिक्षण हेतु 4158 संकायों को प्रशिक्षित किया गया है और 1.5 लाख छात्र इन डिजिटल शिक्षण उपकरणों के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं।

(ii) **एनबीए प्रत्यायन:** टीईक्यूआईपी–III के तहत, एनबीए प्रत्यायन प्रमुख संकेतकों में से एक है। अब तक 50% के लक्ष्य के मुकाबले 53% यूजी कार्यक्रमों को मान्यता दी गई है या उनके लिए आवेदन किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे असम, जम्मू और कश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा आदि के कई संस्थानों को पहली बार मान्यता के इनबिल्ट प्रदर्शन संकेतक के कारण मान्यता मिली।

(iii) **संकाय सुधार :** संकाय की कमी को दूर करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय/एनपीआईयू ने आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों से देश के अल्पविकसित क्षेत्रों में स्थित 71 प्रतिभागी फोकस राज्यों के 01 लाख से अधिक इंजीनियरिंग छात्रों को पढ़ाने के लिए 1700 से अधिक उच्च योग्य स्नातक (3 साल के लिए अनुबंध पर सहायक प्रोफेसर) को नियुक्त किया है।

(iv) **संकाय विकास प्रशिक्षण:** 10 आईआईटी और 9 आईआईएम क्षेत्रों (विषय डोमेन, आर एंड डी, शिक्षाशास्त्र और नेतृत्व, प्रबंधन विकास आदि) में संकाय विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। अब तक, पिछले तीन वर्षों में इन क्षेत्रों में 19200 से अधिक संकायों को प्रशिक्षित किया गया है।

(v) **नियोजनीयता:** टीईक्यूआईपी संस्थानों के छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और छात्रों के प्लेसमेंट सुधार के लिए, छात्रों को फ्यूचर स्किल टेक्नोलॉजी (एआई, डीएस, आईओटी, सीसी, सीएस, बीसी, 3डीपी, वीआर आदि) के लिए तैयार किया जाता है। नैसकॉम की मदद से 107 संस्थानों में 32560 छात्रों का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया गया है।

(vi) **टीईक्यूआईपी संस्थानों में एआईसीटीई के आदेशों का कार्यान्वयन:** टीईक्यूआईपी–III के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में 10–बिंदु एआईसीटीई गुणवत्ता अधिदेश (अर्थात अनिवार्य इंटर्नशिप, फ्रेशर के लिए प्रेरण कार्यक्रम; स्वयं; स्टार्ट–अप आदि) को शामिल किया गया है और इसे संस्थानों/एटीयू द्वारा अपनी संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) में अपनाया और कार्य योजना का हिस्सा बनाया जाता है।

(vii) **एग्जिट परीक्षा प्रशिक्षण:** टीईक्यूआईपी III संस्थानों में स्नातक छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए, टीईक्यूआईपी III ने सेवा प्रदाताओं के पैनल के माध्यम से अंतिम वर्ष के छात्रों को एग्जिट परीक्षा (गेट प्रशिक्षण/रोजगार कौशल प्रशिक्षण) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया है। शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिए प्रशिक्षण पूरा हो गया है, जिसमें 28411 अंतिम वर्ष के छात्रों में से 23180 छात्रों को एक्जिट परीक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(viii) **गेट परिणाम 2020:** टीईक्यूआईपी संस्थानों का गेट 2019 योग्यताः देश के औसत 18% से 23% अधिक है; जबकि गेट 2020 के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ (देश के औसत 19 प्रतिशत की तुलना में 28%)। टीईक्यूआईपी संस्थानों के गेट 2020 के परिणाम में 9% की वृद्धि उन्हें भारत के अन्य संस्थानों से बेहतर बनाती है। 1.1 (23%) और 1.3 (35%) संस्थानों की योग्यताः भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है जो इन संस्थानों के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण के प्रभाव को दर्शाता है।

वित्तीय प्रगतिः

टीईक्यूआईपी –III की वित्तीय प्रगति (31 दिसम्बर 2020 के अनुसार)

(रू. करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	बजट	जारी की गई निधियां	व्यय	% व्यय का
1	2017-18	260.00	153.60	126.85	48.79%
2	2018-19	535.00	535.00	528.75	98.83%
3	2019-20	1100.00	1100.00	1058.76	96.25%
4	2020-21	670.00	360.15	355.51	53.66%
	कुल	**2565.00**	**2148.75**	**2068.68**	**81.07%**

छात्रवृत्तियां

कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय सेक्टर की छात्रवृत्ति योजना

उद्देश्यः योजना के तहत, योग्य मेधावी छात्रों को उच्च अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रताः वे छात्र जो बारहवीं कक्षा में सफल उम्मीदवारों के शीर्ष 20 प्रतिशत में हैं और जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष6 लाख रुपये तक है, जिसे बढ़ाकर 8 लाख रु प्रति वर्ष, कर दिया गया है, आवेदन करने के पात्र हैं।

स्कोप : हर साल 82,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं (लड़कों के लिए 41000 और लड़कियों के लिए 41000) और 18–25 वर्ष के आयु वर्ग की राज्य की आबादी के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्डों में विभाजित की जाती हैं।

छात्रवृत्ति दरः पहले तीन वर्षों के लिए छात्रवृत्ति की दर 10,000/– रु प्रति वर्ष और चौथे और पांचवें वर्ष के लिए प्रति वर्ष 20,000/–रु. है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): यह योजना दिनांक 1.1.2013 से डीबीटी के अंतर्गत कवर की गई है। जिसमें छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में संवितरित की जाती है।

ऑनलाइन पोर्टलः सीएसएसएस को 1.8.2015 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) रखा गया है। शैक्षणिक वर्ष 2015 के बाद से पात्र छात्रों को पोर्टल के माध्यम से नई और नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कोविड–19 महामारी के कारण, पोर्टल अगस्त, 2020 के महीने में देर से खोला गया था और इसे उत्तरोत्तर 30.11.2020, 31.12.2020 और अंत में 20.01.2021 तक बढ़ा दिया गया था। तदनुसार संस्थान/बोर्ड द्वारा सत्यापन तिथियों को भी बढ़ा दिया गया है।

नई पहल

(i) योजना उमंग एप्प पर उपलब्ध है और जिसमें शिकायत निवारण हेतु जिला स्तरीय एलजीडी (लोकल गवर्नेंस डायरेक्टरी) है।

(ii) नए पंजीकरण के उद्देश्य से आधार संख्या को लिया गया है।

(iii) एनआईसी ने छात्रवृत्ति के वितरण के लिए एक नया मॉड्यूल प्रस्तुत किया है।

(iv) इस वर्ष कोविड के कारण अंकों के आधार पर नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की शर्त में छूट दी गई है।

01.01.2020 से दिसंबर 2020 तक (31.12.2020 तक) छात्रवृत्ति के वितरण का विवरण नीचे दिया गया हैः –

सीएसएसएस (01–01–2020 से 31–12–2020)

क्र. सं.	राज्य	नई + नवीनीकरण छात्रवृत्तियों की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश	7291	75470000
2	असम	330	3600000
3	बिहार	2814	28330000
4	सीबीएसई	6894	74890000
5	छत्तीसगढ	1942	20380000
6	सीआईएससीई	82	920000
7	गोवा	36	430000
8	गुजरात	5088	52230000
9	हरियाणा	6767	71120000
10	हिमाचल प्रदेश	323	3230000
11	जम्मू और कश्मीर	736	8100000
12	कर्नाटक	10609	113620000
13	केरल	5620	58230000
14	मध्य प्रदेश	8947	93790000
15	महाराष्ट्र	11622	124340000
16	मणिपुर	385	3890000
17	मेघालय	30	300000
18	मिजोरम	3	30000
19	नगालैंड	19	190000
20	उड़ीसा	5347	55630000
21	पुदुचेरी	152	1610000
22	पंजाब	2026	20880000
23	राजस्थान	4575	46730000
24	तमिलनाडु	5060	53200000
25	तेलंगाना	7810	82050000
26	त्रिपुरा	568	5940000
27	उत्तर प्रदेश	5306	54750000
28	उत्तराखंड	1156	13080000
29	पश्चिम बंगाल	8743	97470000
कुल योग		**1,10,281**	**116,44,30,000**

जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना

उद्देश्य: जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के युवाओं को राज्य के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो उन्हें देश के बाकी हिस्सों के अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। जिससे, उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में मदद मिलती है।

पात्रता: जम्मू और कश्मीर के छात्र जिनकी पारिवारिक आय 8.0 लाख रू. प्रति वर्ष तक है और राज्य से बारहवीं कक्षा/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। जिन छात्रों ने राज्य के बाहर या तो केंद्रीकृत परामर्श के माध्यम से आवंटित सीटों में प्रवेश प्राप्त किया है, साथ ही वे छात्र जिन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों या मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के आधार पर प्रवेश लिया है, वे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

स्कोप : हर साल 5000 नई छात्रवृत्तियां (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 2070, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 2830 और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 100) प्रदान की जाती हैं। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए चयन करने वाले छात्रों की संख्या में किसी भी कमी से होने वाली बचत के अधीन सामान्य डिग्री की संख्या में कमी के अधीन स्लॉट की अंतर–परिवर्तनीयता का प्रावधान है।

छात्रवृत्ति दर: शिक्षण शुल्क और रखरखाव भत्ता के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृत्ति की दर 30,000 रुपये प्रति वर्ष, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष और चिकित्सा अध्ययन के लिए 3.0 लाख रुपये प्रति वर्ष है। योजना के तहत सभी छात्रों को प्रति वर्ष 1.0 लाख रुपये का निश्चित रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाता है। अंतर मंत्रिस्तरीय समिति योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख करती है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): यह योजना डीबीटी के अंतर्गत आती है जिसमें छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में संवितरित की जाती है।

ऑनलाइन पोर्टल: छात्रों को एआईसीटीई वेब पोर्टल – www.aicte-jk-scholarship.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

नई पहल:

(i) संभावित लाभार्थियों, अभिभावकों, स्कूल के प्रधानाचार्यों और अन्य हितधारकों के बीच योजना के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए कोविड–19 के दौरान 14 वेबिनार आयोजित किए गए।

(ii) शैक्षणिक वर्ष 2020–21 में, नर्सिंग, एचएमसीटी और फार्मेसी के लिए सुपरन्यूमेरी सीटें क्रमशः 3 सीटों, 2 सीटों और 2 सीटों से बढ़कर प्रत्येक के लिए 5 सीटों तक हो गईं।

(iii) वर्ष 2019–20 से, छात्रों के लाभ के लिए, रखरखाव भत्ता अब 9 किस्तों (20,000/– रुपये की पहली किस्त और 10,000/– रुपये की 8 बाद की किस्तों) में जारी किया जाता है।

वर्ष 2020 (01.01.2020 से 31.12.2020) के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को (30.12. 2020 तक) 2669 छात्रवृत्ति (नई + नवीनीकरण) के लिए 129.19 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

कोविड–19 के कारण, छात्रों को अपने आवंटित संस्थान में भौतिक रूप से शामिल होने के बजाय अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने की अनुमति दी गई थी। योजना के लाभार्थियों को पुस्तकों की खरीद, इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाए रखने आदि से संबंधित खर्चों के लिए 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि जारी की गई थी।

केंद्रीय सेक्टर की ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)

उद्देश्य: योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और विकलांगों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) में से कोई भी केवल गरीब होने के कारण व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच से वंचित न हो।

पात्रता: राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त संस्थानों या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र पात्र हैं। वे व्यावसायिक संस्थान/कार्यक्रम जो नैक या एनबीए के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें संबंधित नियामक संस्था के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ब्याज सब्सिडी केवल एक बार अवर स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए स्वीकार्य है।

स्कोप: इस योजना का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस से संबंधित उन सभी छात्रों को कवर करना है, जिनकी माता–पिता / पारिवारिक वार्षिक आय 4.5 लाख रु प्रति वर्ष तक है।

लाभ: योजना के तहत, अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि प्लस एक वर्ष) के दौरान, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के तहत सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित बैंकों के 7.5 लाख रु तक के शैक्षिक ऋण पर पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। केनरा बैंक इस योजना के लिए नोडल बैंक है।

डीबीटी: ब्याज सब्सिडी के दावों का वितरण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से छात्र के शिक्षा ऋण खाते में किया जाता है।

ऑनलाइन पोर्टल: केनरा बैंक द्वारा हर साल एक ऑनलाइन पोर्टल खोला जाता है ताकि सदस्य बैंक ब्याज सब्सिडी के दावों को अपलोड कर सकें। ऑनलाइन पोर्टल 01.10.2020 से 15.12.2020 तक खोला गया था।

01.01.2020 से दिसंबर 2020 (31.12.2020 तक) की अवधि के दौरान 5,79,132 छात्रों के दावों के संबंध में 860.19 करोड़ रु. का संवितरण किया गया है।

शैक्षिक ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड: शिक्षा ऋण

योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना 17 सितंबर, 2015 को अधिसूचित की गई है। इस योजना के तहत, बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण पर अधिकतम 7.5 लाख रुपये की ऋण सीमा के लिए गारंटी प्रदान की जाती है। फंड डिफ़ॉल्ट रूप से राशि के 75% की सीमा तक गारंटी कवर प्रदान करता है। क्रेडिट गारंटी फंड के लाभ : –

- यह संस्थानों की गैर–निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में कमी करेगा और अधिक तरलता की अनुमति देगा, जिससे उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को अधिक संख्या में कवर किया जाएगा जो उच्च शिक्षा में जीईआर में वृद्धि करने में योगदान देगा।
- शैक्षिक उद्देश्य के लिए और अधिक संस्थान ऋण (आसान और फ्लेक्सी–ऋण सहित) देने के लिए आगे आएंगे और इससे सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता आएगी।
- यह ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में मामलों को भी कम करेगा, हालांकि बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे क्रेडिट गारंटी फंड का सहारा लेने से पहले सभी विकल्पों को अपनाएं।

केंद्र सरकार फंड के लिए सेटलर है और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) ट्रस्टी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसंबर, 2020 तक) के दौरान कोई फंड जारी नहीं किया गया है।

विदेश छात्रवृत्ति

शिक्षा मंत्रालय स्नातकोत्तर/अनुसंधान/पीएचडी करने के लिए सांस्कृतिक/शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत विभिन्न देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। प्रस्तावित छात्रवृत्ति के व्यापक प्रसार और प्रचार के लिए, इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है और इसे यूजीसी, इग्नू, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में भी परिचालित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवारों को पोर्टल http://proposal.sakshat.ac.in/scholarship पर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में चीन सरकार की छात्रवृत्ति पुरस्कार के लिए चुने गए विद्वानों को हवाई टिकट प्रदान करने के लिए विदेश छात्रवृत्ति के लिए 1.00 करोड़ रु. (एक करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(01.01.2020 से 31.12.2020 तक)

क्र. सं.	देश का नाम	नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या	प्रदाता देश द्वारा चयनित
1.	दक्षिण कोरिया	45	20
2.	चीन	50	38
3.	यूके	39	13
4.	न्यूजीलैंड	02	00

उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के लिए नामांकन के अलावा, मंत्रालय ने इसके व्यापक प्रचार और भागीदारी के लिए अपने पोर्टल पर और संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के भीतर निम्नलिखित छात्रवृत्तियों की जानकारी भी प्रसारित की

क्र. सं.	छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति का नाम	के लिए उपलब्ध
1	गैर–आसियान आवेदकों के लिए चुलभोर्न स्नातक संस्थान स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम	मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम
2	जापान सरकार [एमईएक्सटी] कार्यक्रम 2020	अवर स्नातक, मास्टर और डॉक्टोरल डिग्री पाठ्यक्रम

कोविड–19 महामारी के कारण, इस वर्ष इज़राइल सरकार की छात्रवृत्ति का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। इटली सरकार की छात्रवृत्ति में, केवल नवीनीकरण उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति की पेशकश की गई थी। इसके अलावा, 2020 कॉमनवेल्थ मास्टर छात्रवृत्ति के लिए चुने गए 4 अभ्यर्थियों

ने पुरस्कार को 2021 शैक्षणिक सत्र के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है।

नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया (एनओआरई):–

नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया (एनओआरआई) प्रमाण पत्र की आवश्यकता उस व्यक्ति के लिए होती है जो जे –1 वीजा पर यूएसए गया हो। अमेरिकी आव्रजन कानून के अनुसार जे–1 वीजा धारकों को अपने विनिमय आगंतुक कार्यक्रम के अंत में कम से कम दो साल के लिए अपने देश लौटना आवश्यक है। अगर कोई दो साल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने देश लौटने में असमर्थ है, तो उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के दूतावास/महावाणिज्य दूतावास से छूट प्राप्त करनी होगी। दूतावास को आव्रजन के उद्देश्य से 'छूट प्रमाण पत्र' जारी करने के लिए, आवेदक को शिक्षा मंत्रालय से एनओआरआई प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

दिनांक 27.02.2016 से आवेदकों को पोर्टल nori.ac.in पर एनओआरआई के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के परिणामस्वरूप सेवा की पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित हुई है। ***01.01.2020 से 31.12.2020 तक 'नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया' (एनओआरआई) के 731 पत्र जारी किए गए हैं।***

पुस्तक संवर्धन

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत (एनबीटी)

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, भारत सरकार के पूर्वमानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है जिसे 1957 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस ट्रस्ट के माध्यम से उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने और उन्हें जनसाधारण को कम दाम पर उपलब्ध कराना अधिदेशित है। ट्रस्ट के लिए पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों की व्यवस्था करने और देश में लोगों में पुस्तकों के प्रति रूचि पैदा करने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाना अधिदेशित है।

न्यास की गतिविधियां

क) प्रकाशन

यह ट्रस्ट सामान्य पठन सामग्री का प्रकाशन करता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों तथा सभी आयु समूहों के लिए काल्पनिक कथाएं, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रकाशन शामिल होते हैं। यह ट्रस्ट नव साक्षरों, बालकों के लिए पुस्तकें तथा साक्षरता पश्चात उपयोग हेतु एक विस्तृत विविधतायुक्त पठन सामग्री का प्रकाशन भी करता है। एनबीटी प्रकाशन अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मामूली दाम पर होते हैं। एनबीटी द्वारा 22 श्रृंखलाओं के तहत पुस्तकें प्रकाशित होती हैं जैसे कि (क) भारत–देश और इसके लोग (ख) लोकप्रिय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान (ग) लोकगीत (घ) उन भारतीयों की राष्ट्रीय जीवनी और आत्मकथा जिन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि के विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान दिया है (ङ) नेहरू बाल पुस्तकालय (च) रचनात्मक अध्ययन (छ) नव साक्षरों के लिए पुस्तकें (ज) विभिन्न क्षेत्रों के रचनात्मक साहित्य के आदान–प्रदान से राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए आदान–प्रदान (झ) भारतीय साहित्य (ण) प्रवासी भारतीय अध्ययन (ट) सामान्य श्रृंखलाएं और (ठ) ब्रेल पुस्तकें (ड) वीरगाथा श्रृंखला (ढ़) वूमेन पायनीयर (ण) नवलेखन माला,कोरोना अध्ययन श्रृंखला इत्यादि।

अपनी वर्तमान गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए, ट्रस्ट ने विभिन्न अल्प भाषाओं जैसे कि धुरबी, डोरली, गोंडी, खदिया, कुदुख,माटो,मुंदरी आदि में पुस्तकों के प्रकाशन की ओर भी विशेष प्रयास आरंभ कर दिए हैं। ट्रस्ट प्रकाशन की उन शैलियों की ओर विशेष ध्यान दे रहा है जिन्हें महत्व के बावजूद भारत के अन्य प्रकाशकों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया है। इसके साथ–साथ, राजीव गांधी– लोंगोवाल समझौते के अंतर्गत, ट्रस्ट द्वारा पंजाबी भाषा, इसके साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी में चुनिंदा पुस्तकें प्रकाशित करता है।

वर्ष 2020 के दौरान, ट्रस्ट द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में 1827 शीर्षकों का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है:

एनबीटी द्वारा प्रकाशित शीर्षकों की संख्या

क्र. सं.	भाषा	मूल	अनुवाद	पुनःमुद्रित	संशोधित	कुल
1	असमिया		13	70		83
2	बांग्ला	01	01	35		37
3	भोजपुरी	01				01
4	द्विभाषिक			01		01
5	बोडो			18		18
6	अंग्रेज़ी	19		549	03	571
7	गुजराती		30	58		88
8	हिंदी	24	32	429	01	486
9	कन्नड़			40		40
10	खासी		01			01
11	खड़िया		01			01
12	मैथिली		01			01
13	मलयालम		01	02		03
14	मराठी		05	38	05	48
15	मिज़ो			01		01
16	मुंडारी		01			01
17	उड़िया	01	43	205		249
18	पंजाबी	08	14	32		54
19	संस्कृत		04			04
20	तामिल		26	15	01	42
21	तेलुगू		09	62		71
22	उर्दू	05	02	18	01	26
	कुल	**59**	**184**	**1573**	**11**	**1827**

एनबीटी प्रकाशन का विपणन और वितरण

एनबीटी प्रकाशनों को स्कूलों, पंचायतों, आंगनवाड़ियों, संस्थानों आदि में प्रदर्शन, बिक्री प्रदर्शनियों, मोबाइल प्रदर्शनियों और सहयोग आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। एनबीटी की किताबें 11 शहरों— अगरतला, बेंगलुरु, चेन्नई, कटक, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई और पटना में एनबीटी प्रबंधित 13 भौतिक किताबों की दुकानों पर बेची जाती हैं। ये बुकस्टोर्स अपने ट्रेड पार्टनर्स के माध्यम से रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध हैं। खरीदारों की सुविधा के लिए, एनबीटी की किताबें इसके ऑनलाइन वेब पोर्टल www.nbtindia.gov.in के माध्यम से बेची जाती हैं। एनबीटीने एमजोन जैसे अन्य डिजिटल मार्केटप्लेस पर भी अपना टाइटल उपलब्ध कराया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनबीटी ने अपने प्रकाशनों की लगभग 1.20 करोड़ प्रतियां बेचीं। एनबीटी एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से ई–किताबों का भी विक्रय करता है।

उत्तर–पूर्व में पुस्तक संवर्धन गतिविधियां

ट्रस्ट ने कई पुस्तक मेलों, साहित्यिक गतिविधियों और विशेष बिक्री अभियान के माध्यम से पूर्वोत्तर में अपनी पुस्तक प्रचार गतिविधियों को भी आगे बढ़ाया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ट्रस्ट ने 1 फरवरी 2020 को इंडिया क्लब, गुवाहाटी, असम में ज्योति दास द्वारा लिखित नॉर्थ ईस्ट कुजीन टाइटल एसेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट पर एनबीटी बुक के विमोचन सहित कई साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध अभिनेता एवं लेखक श्री विक्टर बनर्जी मुख्य अतिथि थे।

10 से 14 फरवरी 2020 तक गुवाहाटी में आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य अध्ययन विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय और एडम नेपाली साहित्य सभा के सहयोग से पांच दिवसीय नेपाली अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। राइटर्स फोरम के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इंफाल, मणिपुर में 25 से 27 फरवरी 2020 तक तीन दिवसीय मणिपुरी अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया।

16 से 19 मार्च 2020 तक बोडो राइटर्स अकादमी के सहयोग से चार दिवसीय बोडो अनुवाद कार्यशाला का आयोजन सरुपथर कॉलेज, सरुपथर, जिला गोलाघाट, असम में किया गया।

जम्मू और कश्मीर में पुस्तक संवर्धन गतिविधियां

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत देश भर में पुस्तक मेलों, मोबाइल प्रदर्शनियों और अन्य पुस्तक संबंधी गतिविधियों जैसे पैनल चर्चा, पुस्तक विमोचन समारोह, सेमिनार आदि का आयोजन कर रहा है ताकि लोगों में विशेष रूप से युवाओं में किताबी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा सके और कम लागत वाली पुस्तकों को बुक करने के लिए उपलब्ध कराया जा सके। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने और जम्मू–कश्मीर के पुस्तक प्रेमियों की लगातार बढ़ती मांगों को ध्यान में रखते हुए, एनबीटी पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। ट्रस्ट ने श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में 23 वें अखिल भारतीय उर्दू पुस्तक मेले में अपने प्रकाशनों का प्रदर्शन किया और आंगनवाड़ी केंद्रों और जम्मू और कश्मीर के स्कूल के लिए आयु उपयुक्त पुस्तकों को सूचीबद्ध करने के लिए समग्र शिक्षा अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2020 का आयोजन

ट्रस्ट ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के सहयोग से 4 से 12 जनवरी 2020 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वार्षिक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने मेले का उद्घाटन किया। प्रख्यात गांधीवादी विद्वान प्रो. गिरीश्वर मिश्रा विशिष्ट अतिथि थे।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के हिस्से के रूप में, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का विषय 'गांधी: द राइटर्स राइटर' था। डिज़ाइन पार्टनर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन, अहमदाबाद के साथ विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए थीम मंडप (साबरमती आश्रम से प्रेरित) में, वॉल क्लैडिंग के रूप में हाथ से काते हुए सामग्री के साथ; गांधी पर और विभिन्न भारतीय भाषाओं में

100 प्रकाशकों की 500 पुस्तकों की एक विशेष प्रदर्शनी थी, साथ ही पैनल चर्चा, पुस्तक लॉन्च और विषय से संबंधित प्रदर्शन सहित बड़ी संख्या में गतिविधियों का आयोजन किया गया था। थीम मंडप में प्रदर्शित अभिलेखीय सामग्री नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली से थी। मेले के विदेशी मंडप में अबू धाबी, चीन, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, नेपाल, पोलैंड, सऊदी अरब, शारजाह, स्पेन, श्रीलंका, यूके, यूएसए सहित 15 से अधिक देशों ने भाग लिया।

इस वर्ष भारत और विदेश के 600 से अधिक प्रकाशकों ने पुस्तक मेले में भाग लिया। भारतीय प्रकाशकों ने मेले में 1300 से अधिक स्टालों पर बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, मैथिली, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू जैसी विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों ने मेले में 42 स्टालों पर अपनी पुस्तकों का प्रदर्शन किया।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की अन्य विशेषताओं में सीईओ स्पीक, नई दिल्ली राइट्स टेबल, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन रीडरशिप एंड बुक प्रमोशन, ट्रेड पार्टनर्स के साथ व्यापार बैठक, चिल्ड्रन पवेलियन, ऑथर्स कॉर्नर, फॉरेन पैवेलियन, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत की विशेष फोटो प्रदर्शनी, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों और पढ़े भारत बढ़े भारत में; दूसरों के बीच में ब्रेल पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनी शामिल हैं।

विदेशों में भारतीय पुस्तक संवर्धन

विदेशों में भारतीय पुस्तकों को बढ़ावा देने हेतु, ट्रस्ट विभिन्न भारतीय प्रकाशकों के भारतीय प्रकाशनों के व्यापक प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों मेलों में भाग लेता है। 1970 के बाद से, ट्रस्ट ने 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान ट्रस्ट ने कोलंबो इंटरनेशनल बुक फेयर (18 – 27 सितंबर 2020) और फ्रैंकफर्ट बुक फेयर (14 – 18 अक्टूबर 2020) सहित 02 ऐसे अंतराष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया।

राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र (एनसीसीएल)

राष्ट्रीय बाल साहित्यक केन्द्र की स्थापना भारत की सभी भाषाओं में बच्चों के साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1993 में की गई थी। एनसीसीएल, देश में बच्चों की पुस्तकों के सृजन और अनुवाद तथा बच्चों के लिए पुस्तकों के प्रकाशन की निगरानी, संयोजन, योजना और सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। एनसीसीएल को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य, बच्चों के साहित्य के तीव्र और संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त भारतीय और विदेशी सामग्री और विशेषता को उपलब्ध कराना है। एनसीसीएल स्कूल में रीडर क्लब के माध्यम से बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित भी करता है और माता–पिता, शिक्षकों, शिक्षाविदों और योजनाकारों के बीच बच्चों के साहित्य पर सूचना को प्रोत्साहित करता है। स्कूल स्तर पर बच्चों की पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित और विकसित करने की दृष्टि से एनसीसीएल देशभर में स्कूलों में रीडर क्लब स्थापित करने को प्रोत्साहित करता है और बच्चों के साहित्य से संबंधित सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम भी आयोजित करता है। देशभर के विभिन्न भागों मीट–दी–आर्थर कार्यक्रम, कहानी सत्र, कार्यशालाएं, सेमिनार, रीडर क्लब अभिमुखी कार्यक्रम और अन्य बाल गतिविधियों के अतिरिक्त 48,437 रीडर क्लब स्थापित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए रीडर्स क्लब बुलेटिन के तीन त्रैमासिक अंक, एक द्विभाषी पत्रिका को भी डिजिटल प्रारूप में लाया गया। इस दौरान देशभर में अलग–अलग जगहों पर बच्चों के लिए करीब 50 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

एनबीटी का स्थापना दिवस समारोह

एनबीटी स्थापना दिवस के अवसर पर नौवां व्याख्यान, श्रृंखला, 'आज के भारत में किताबें और पढ़ना' पर 1 अगस्त 2020 को वसंत कुंज, नई दिल्ली में एनबीटी के 63 वें स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया था।

भारत चीन अनुवाद कार्यक्रम

सांस्कृतिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण पहल में, भारत सरकार और चीन गणराज्य की सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अनुवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है जिसमें चीनी से हिंदी और भारतीय साहित्यिक कृतियों में से प्रत्येक 25 शास्त्रीय और समकालीन साहित्यिक कार्यों का चीनी में अनुवाद शामिल है। इस पहल को प्रभावी बनाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और चीन जनवादी गणराज्य के प्रेस, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन राज्य प्रशासन के बीच आपसी अनुवाद और प्रकाशन में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर प्रधानमंत्री ली खछ्यांग की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।

इस परियोजना को नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना को लागू करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के विदेश प्रचार और सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत ने 25 चीनी कृतियों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

लगभग 20 चीनी साहित्यिक कृतियों को अनुवाद के लिए सौंपा गया है, जिनमें से अब तक पांच पुस्तकें, कन्फ्यूशियस केचरग्रंथ (कन्फ्यूशियस के एनालेक्ट्स) और प्रो. बी आर दीपक द्वारा अनुवादित हैं; वांग शुओ द्वारा देखने में खुबसूरत (लुक्स ब्यूटीफुल) और श्री मधुरेंद्र झा द्वारा अनुवादित; लाओ शी द्वारा रिक्शावाला (कैमल जियांगज़ी), और सुश्री तन्वी नेगी द्वारा अनुवादित, बिंग शिन के कलेक्टेड वर्क्स (बिंग शिन रचनावली), बा जिन द्वारा सुश्री सेवेरिन कुओकंद परिवार (परिवार) द्वारा अनुवादित, और सुश्री दयावंती द्वारा अनुवादित, प्रकाशित हुई हैं।

एनबीटी—वित्तीय सहायता कार्यक्रम

विदेशों में भारतीय पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए, ट्रस्ट ने अनुवाद के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम (एफएपी) शुरू किया है। इस योजना के तहत ट्रस्ट द्वारा उन विदेशी प्रकाशकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो भारतीय पुस्तकों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने के इच्छुक हैं। अब तक निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैः लिट एडिज़ियोनी एसआरएल द्वारा इतालवी में प्रकाशित संहिता अरनी (मूल रूप से जुबान द्वारा प्रकाशित) द्वारा द मिसिंग क्वीन; मनोज दास द्वारा माई लिटिल इंडिया (मूल रूप से एनबीटी, भारत द्वारा प्रकाशित) बुकसी पब्लिशिंग द्वारा कोरियाई में प्रकाशित; लुकिंग बैकः इंडिया इन 20थ सेंचुरी (मूल रूप से एनबीटी, इंडिया द्वारा प्रकाशित) बुकसी पब्लिशिंग इन कोरियन और स्टोरीज़ बाई अंबाई बाई अंबाई (मूल रूप से कलचुवाडु द्वारा प्रकाशित) फ्रांसीसी में जुल्मा संस्करण द्वारा प्रकाशित। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, ट्रस्ट ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 के दौरान प्रकाशकों के लिए आठवें राइट्स टेबल फोरम का आयोजन किया, जिसमें भारत भर के प्रमुख प्रकाशकों और फ्रांस, ईरान, नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के विदेशी प्रकाशकों ने भाग लिया।

पुस्तक परिक्रमा— ग्राम स्तरीय मोबाइल प्रदर्शनियों का आयोजन

न्यास देश भर के दूरदराज के क्षेत्रों में जहां पर्याप्त किताबों की दुकान उपलब्ध नहीं है, किताबें उपलब्ध कराने के लिए ग्राम स्तरीय मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करता रहा है। अब तक यह पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश में 16,000 से अधिक मोबाइल प्रदर्शनियों का आयोजन कर चुका है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ट्रस्ट ने बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और पंजाब सहित 09 राज्यों में लगभग 74 स्थानों पर मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

पुस्तक प्रचार गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम

शिक्षा मंत्रालय ने पुस्तक प्रचार गतिविधियों से संबंधित सेमिनारों / प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों / कार्यशालाओं/वार्षिक सम्मेलनों/पुस्तक मेलों के आयोजन के लिए स्वयंसेवी/ निजी संगठनों को वित्तीय सहायता की एक योजना ट्रस्ट

को सौंपी थी। योजना में संशोधन किया जा रहा है, इसलिए वर्ष 2020 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों का चयन नहीं किया जा सका।

पुस्तक प्रकाशन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रकाशन उद्योग के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों का एक प्रतिभा पूल बनाने के उद्देश्य से ट्रस्ट देश के विभिन्न हिस्सों में पुस्तक प्रकाशन में अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, तीन पाठ्यक्रमों एक भौतिक रूप से इंफाल में (10–22 फरवरी 2020) और पहला तीन महीने का ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (26 जून – 20 सितंबर 2020) और दूसरा ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (26 सितंबर – 20 दिसंबर 2020)का आयोजन किया गया।।

बुक क्लब

बुक क्लब योजना जनता के बीच पुस्तकों को बढ़ावा देने और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। इस अवधि के दौरान ट्रस्ट ने 1574 नए बुक क्लब सदस्यों को नामांकित किया। यह योजना सभी एनबीटी प्रकाशनों पर 20% की छूट प्रदान करती है।

नई पहलें

कोरोना स्टडीज सीरीज

आने वाले समय में मानव समाज के लिए कोरोना महामारी के असाधारण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को महसूस करते हुए, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया ने सभी के लिए प्रासंगिक पठन सामग्री प्रदान करने के लिए 'कोरोना स्टडीज सीरीज' के तहत पुस्तकों की एक श्रृंखला शुरू की। कोरोना के बाद पाठकों की जरूरतों के लिए इस श्रृंखला के तहत, सात शीर्षक प्रकाशित किए गए, जिनमें शामिल हैं वल्नरेबल इन ऑटमः अंडरस्टैंडिंग द एल्डरली; सामाजिक दूरी का भविष्यः बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए नए कार्डिनल्स; कोरोना योद्धाओं की परीक्षाः चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं के लिए एक दृष्टिकोण; घर पर नई सीमाएंः महिलाओं, माताओं और माता–पिता के लिए एक दृष्टिकोण; कोरोना संघर्ष में फंसेः कामकाजी आबादी के लिए एक दृष्टिकोण; यह सब समझनाः विकलांग व्यक्तियों की चिंताओं को समझना; और अलगाव और लचीलापनः कोरोना प्रभावित परिवारों को समझना।

पुस्तकों का विमोचन 15 मई 2020 को माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा किया गया था। पुस्तकों का विमोचन करते हुए, डॉ पोखरियाल ने आसान पठन के लिए एनबीटी और लेखकों दोनों को इस महत्वपूर्ण सामग्री को एक साथ लाने के उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।

माननीय एचआरएम एनबीटी वेबसाइट पर कोरोना सीरीज की किताबों की ई–लॉन्चिंग करते हुए

बच्चों के लिए एनबीटी स्टोरी लाउंज

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया ने प्रसार भारती के ऑल इंडिया रेडियो के विदेश सेवा प्रभाग के सहयोग से– स्टोरी लाउंज– एक अनूठा कहानी उत्सव शुरू किया है। कार्यक्रम में बच्चों को प्रसिद्ध लेखकों की एनबीटी द्वारा प्रकाशित उनकी कहानियों को पढ़ते हुए दिखाया गया। स्टोरी लाउंज का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:20 बजे और आकाशवाणी एफएम गोल्ड, एआईआर लाइवन्यूज 24×7, एआईआर इंद्रप्रस्थ सहित ऑल इंडिया रेडियो चैनलों पर रात 10:20 बजे पुनः प्रसारित किया जाता था। कहानियों को न्यूज़ऑनएयर और

ऑल इंडिया रेडियो लाइव पर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा, स्टोरी लाउंज का प्रसारण हर शनिवार को वर्ल्ड सर्विसेज के यूट्यूब चैनल एआईआर हिंदी और वर्ल्ड सर्विसेज एआईआर इंग्लिश पर भी किया जाता था। कहानियों को एनबीटी की वेबसाइट, एनबीटी यूट्यूब चैनल और एनबीटी के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड किया गया था।

हरियाणा में ग्राम पंचायत पुस्तकालय परियोजना की स्थापना

देश में 'पठन और पुस्तकालय आंदोलन' के लिए माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में, शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक' के मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पुस्तकालय स्थापित करके अपनी नोडल एजेंसी नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत के माध्यम से एक ज्ञान संचार केंद्र (केसीसी) को लागू करने की दिशा में पहला कदम उठाया है।

सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए ज्ञान आधारित समाज के लिए रीडिंग एंड लाइब्रेरी आंदोलन की दिशा में एक कदम के रूप में, हरियाणा राज्य में ग्राम पंचायतों में पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हो गई है। 23 नवंबर 2020 को, चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री एमएल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्री युवराज मलिक, निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत ने केसीसी परियोजना प्रस्तुत किया एवं इस पर विस्तार से चर्चा की।

21 दिसंबर 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक हरियाणवी अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान, प्रतिभागियों ने हरियाणवी पुस्तकों के अनुवाद की संभावना के बारे में चर्चा की। 25 से अधिक एनबीटी पुस्तक नियोलिटरेट, एनबीपी और सतत शिक्षा श्रृंखला के तहत प्रकाशित की गई। इसके अलावा, एनबीटी पाठकों के लिए हरियाणा वार्ता, हरियाणा साप्ताहिक और ऑनलाइन पठन सामग्री नामक एक पत्रिका भी लाएगा।

द्विभाषी पुस्तकें

भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है और मातृभाषा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत बच्चों के लिए 25 द्विभाषी पुस्तकों (हिंदी–अंग्रेजी) के पहले चरण में ला रहा है। नेहरू बाल प्रकाशन श्रंखला के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के युवा पाठकों की आवश्यकता के अनुसार द्विभाषी पुस्तकें विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जाएंगी। द्विभाषी प्रारूप में प्रकाशित होने वाली कुछ चुनिंदा एनबीटी पुस्तकें हैं: ए फ्रेंड फॉरएवर, आनंदी रेनबो, फू–कू: एन एलियन, वन डे एंड व्हाई?

एक भारत श्रेष्ठ भारत/आदान प्रदान

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के भाग के रूप में, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रसिद्ध साहित्यिक कार्यों के अनुवाद प्रकाशित करेगा। इन पुस्तकों का प्रकाशन इसकी अदान प्रदान श्रृंखला के तहत किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के रचनात्मक साहित्य के आदान–प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने की अपनी अनूठी क्षमता के कारण श्रृंखला का विशेष महत्व है।

संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और पुस्तक विमोचन समारोह जैसी साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ट्रस्ट ने 60 से अधिक साहित्यिक गतिविधियों जैसे लेखक से मिलें कार्यक्रम, कार्यशालाएं, पुस्तक विमोचन समारोह और ऑनलाइन गोलमेज बैठकें संगोष्ठियों 'महामारी के दौरान मनोसामाजिक दबावों के प्रबंधन' पर एक गोलमेज बैठक, नव–साक्षरों के लिए सामग्री विकसित करने पर कार्यशाला, 'आधिकारिक तौर पर मानक हिंदी का उपयोग कैसे करें' पर कार्यशाला, 'तमिल अनुवाद कार्यशाला; और 'अनुवाद में चुनौतियाँ,' 'इतिहासकारों की नज़र में पंजाब' जैसे विषयों पर पैनल चर्चाओं का आयोजन किया।

विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस

विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत ने फिक्की के सहयोग से 23 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में एक वेबिनार पोस्ट–कोविड प्रकाशन परिदृश्य का आयोजन किया। इस अवसर पर डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मुख्य अतिथि थे। वेबिनार ने प्रकाशन उद्योग के लिए कोविड के बाद के परिदृश्य और प्रकाशन, शिक्षण, सीखने के तरीकों में संभावित बदलाव के बारे में जानकारी का आदान–प्रदान किया गया, साथ ही उन तरीकों को भी समझा जिससे शिक्षा को बढ़ती ई–लर्निंग प्रथाओं के साथ फिर से देखा जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी (आईएसबीएन)

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक, मोनोग्राफिक प्रकाशनों जैसे पुस्तकों, पर्चों, शैक्षणिक किट, सीडी रोम और अन्य डिजिटल प्रकाशनों की पहचान के संबंध में एक अद्वितीय संख्यातमक पहचान है। 1 जनवरी 2007 से, राष्ट्रीय आईएसबीएन पंजीकरण एजेंसियां आईएसबीएन प्रदान कर रही हैं जिसमें 13 अंक शामिल हैं (पहले यह 10 अंकों का था) इसमें (i) जीएसआई तत्व, (ii) पंजीकरण समूह तत्व, (iii) पंजीकरण तत्व, (iv) प्रकाशन तत्व, (v) चेक अंक जैसे तत्व शामिल थे।

आईएसबीएन ने लंबे ग्रंथसूची वर्णनात्मक अभिलेखों के रख–रखाव का कार्य संभाला है, जिससे समय और कर्मचारी लागत की बचत होती है और नकल त्रुटियों को कम किया जाता है। आईएसबीएन का सही उपयोग विभिन्न उत्पाद रूपों और पुस्तक के संस्करणों, चाहे मुद्रित या डिजिटल, को स्पष्ट रूप से विभेदित करने के लिए है, जो यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को वह संस्करण प्राप्त हो, जिसकी उन्हें आवश्यकता है। आईएसबीएन, पुस्तक–व्यापार निर्देशिकाओं और ग्रंथ सूची जैसे ग्रंथ सूची के डेटाबेस के संकलन और अद्यतन की सुविधा प्रदान करता है। उपलब्ध पुस्तकों की जानकारी को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

एक पंजीकरण समूह के भीतर आईएसबीएन प्रणाली का प्रबंधन आईएसबीएन पंजीकरण एजेंसी का दायित्व है और भारत के मामले में, वर्तमान में आईएसबीएन (आरआरआरएनए) के संबंध में जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित राजा राममोहन रॉय राष्ट्रीय एजेंसी है। दिल्ली। आईएसबीएन पंजीकरण एजेंसी प्रकाशकों को आईएसबीएन प्राप्त करने संबंधी सभी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है। राजा राममोहन रॉय राष्ट्रीय एजेंसी भारत स्थित प्रकाशकों, लेखकों, सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों आदि को आईएसबीटी आवंटित करती है।

2. समयावधि के दौरान, प्रकाशन उद्योग की वृद्धि और आईएसबीएन के बारे में जागरूकता के साथ–साथ, आईएसबीएन जारी करने के अनुरोधों में तेजी से वृद्धि हुई है। पूरे देश के आवेदकों की आवश्यकता को पूरा करने वाली एजेंसी के संचालन को सुचारू बनाने हेतु समय–समय पर प्रयास किए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, वेब पोर्टल http:\\isbn.gov.in के माध्यम से आईएसबीएन का आवंटन पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है।

इस प्रकार, 30 अप्रैल 2016 से, सभी आईएसबीएन आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है और प्रक्रिया को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय आईएसबीएन एजेंसी, लंदन के मानदंडों के अनुरूप, मौजूदा पोर्टल को बढ़ाया गया है और यह 09.07.2020 से अस्तित्व मौजूद है। 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान, पोर्टल पर 12,000 से अधिक नए उपयोगकर्ता पंजीकृत किए गए, आईएसबीएन नंबर जारी करने के लिए 15,041 आवेदन प्राप्त हुए हैं और प्रकाशकों, लेखकों और सेमिनारों को 1,43,789 आईएसबीएन नंबर जारी किए गए हैं। 1 जनवरी,

2020 से 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान आवश्यकता/उपयोग के आधार पर,विभिन्न श्रेणियों के तहत आवंटित आईएसबीएन की संख्या इस प्रकार है: –

श्रेणी	आईएसबीएन आवंटित किए गए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या
प्रकाशकों को जारी 10 आईएसबीएन	5763
प्रकाशकों को जारी 100 आईएसबीएन	848
प्रकाशकों को जारी 1000 आईएसबीएन	38
संगोष्ठियों और सम्मेलनों सहित लेखकों द्वारा स्वयं प्रकाशन	6973
प्रकाशकों को एकल संख्या	72

❖ ❖ ❖

06

केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थान

केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थान

केंद्रीय विश्वविद्यालय

प्रत्येक वर्ष, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बीच उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रमुख प्रदर्शन पैरामीटर निम्नलिखित हैं:

(i) पहुंचः छात्र वार्षिक इनटेक

(ii) इक्विटी और विविधता

(iii) गुणवत्ताः संकाय सुदृढ़ीकरण

(iv) शैक्षणिक परिणाम

(v) अनुसंधान

(vi) पेटेंट

(vii) रैंकिंग

(viii) ई–शासन

(ix) स्थानीय समाज में योगदान

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करता है, (क) आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएपी); और (ख) आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (सीटीयूएपी) की स्थापना के लिए, पूरे आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के साथ, संसद द्वारा पारित किया गया है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। उक्त अधिनियम के प्रावधान दिनांक 05.08.2020 से लागू हो गए हैं।

एमएचआरडी के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम	राज्य जहां स्थापित है	स्थापना वर्ष
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद।	तेलंगाना	1974
2.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	1997
3.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	2007
4.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर।	अरुणाचल प्रदेश	2007
5.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	असम	1994
6.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	असम	1994
7.	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया	बिहार	2009
8.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	छत्तीसगढ	2009
9.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	दिल्ली	1968
10.	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी	बिहार	2014
11.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	दिल्ली	1988
12.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	दिल्ली	1922
13.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर	गुजरात	2009

क्र.सं.	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम	राज्य जहां स्थापित है	स्थापना वर्ष
14.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल	हरियाणा	2009
15.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश	2009
16.	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर।	जम्मू और कश्मीर	2009
17.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	जम्मू और कश्मीर	2011
18.	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची	झारखंड	2009
19.	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	कर्नाटक	2009
20.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड	केरल	2009
21.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक	मध्य प्रदेश	2008
22.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	मध्य प्रदेश	2009
23.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा	महाराष्ट्र	1997
24.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल	मणिपुर	2005
25.	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	मेघालय	1973
26.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल	मिजोरम	2001
27.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	नगालैंड	1994
28.	उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट	ओडिशा	2009
29.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी	पुद्दुचेरी	1985
30.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा	पंजाब	2009
31.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़	राजस्थान	2009
32.	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	सिक्किम	2007
33.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरुर	तमिलनाडु	2009
34.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	त्रिपुरा	2007
35.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1916
36.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	1920
37.	बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	1996
38.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	2005
39.	हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	उत्तराखंड	2009
40.	विश्व भारती, शांति निकेतन	पश्चिम बंगाल	1951
41.	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	2019
42.	आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम	आंध्र प्रदेश	2019
43.	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली	दिल्ली	2020
44.	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति	आंध्र प्रदेश	2020
45.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, कटवारिया सराय, नई दिल्ली	दिल्ली	2020

उत्कृष्टता संस्थान

बजट घोषणा के अनुसार, सरकार ने 'उत्कृष्टता संस्थान' नामक विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में 20 संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र से 10 और निजी क्षेत्र से 10) की स्थापना/उन्नयन के लिए नियामक संरचना प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी। सार्वजनिक संस्थानों के लिए यूजीसी (सरकारी संस्थानों को उत्कृष्टता संस्थानों के रूप में घोषणा) दिशानिर्देश, 2017 और निजी संस्थानों के लिए यूजीसी (उत्कृष्टता संस्थान समवत् विश्वविद्यालय) विनियम, 2017 के रूप में नियामक संरचना प्रदान की गई है।

योजना की स्थिति

यूजीसी और ईईसी की सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय ने कुल 20 संस्थानों (10 सार्वजनिक और 10 निजी) को प्रतिष्ठित संस्थान (आईओई) के रूप में घोषित करने के लिए चुना है। मंत्रालय ने अब तक 08 सार्वजनिक संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान और 03 निजी संस्थानों को प्रतिष्ठित समवत् विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया है।

(क) **तालिका 1:** सार्वजनिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन की स्थितिः मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और कैलेंडर वर्ष 2020–21 में निम्नलिखित 05 सार्वजनिक संस्थानों को आईओई के रूप में घोषित किया हैः

क्र. सं.	सार्वजनिक संस्थान	समझौता ज्ञापन स्थिति
1.	आईआईटी मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु	फरवरी 2020 में हस्ताक्षरित और आईओई के रूप में घोषित
2.	आईआईटी खड़गपुर, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल	
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	
4.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस, उत्तर प्रदेश	
5.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना	

इसी तरह, ईईसी और यूजीसी की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित 10 निजी संस्थानों को इस शर्त पर लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी किया था कि वे 3 वर्ष की अवधि के भीतर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी तैयारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ख) **तालिका 2:** निजी संस्थानों की स्थितिः आईओई के रूप में घोषित किए जाने वाले निजी संस्थानों की स्थिति नीचे दी गई हैः

क्र.सं.	निजी संस्थान	स्थिति
1.	बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी, राजस्थान	अक्टूबर, 2020 में आईओई के रूप में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और घोषित किया गया
2.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल, कर्नाटक	
3.	ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा	
4.	कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा	तैयारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और विशेषज्ञ समिति का दौरा किया गया।
5.	अमृता विश्वविद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु	
6.	वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लोर, तमिलनाडु	
7.	शिव नादर विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	मंत्रालय में एमओयू का मसौदा प्रस्तुत
8.	जियो इंस्टिट्यूट, महाराष्ट्र	तैयारी रिपोर्ट प्रस्तुत
9.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	प्रस्तुत की जाने वाली तैयारी रिपोर्ट
10.	सत्य भारती, पंजाब	

कैलेंडर वर्ष 2020–21 के दौरान उपर्युक्त 08 सार्वजनिक संस्थानों अर्थात आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, हैदराबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को 484.81 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

समवत् विश्वविद्यालय

यूजीसी अधिनियम, 1956 (धारा 3) के प्रावधानों के तहत, प्रशासनिक आदेश (अधिसूचना) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा, यूजीसी की सलाह पर, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को समवत् विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। वर्तमान में, समवत् विश्वविद्यालय संस्थान समय–समय पर संशोधित यूजीसी (संस्थान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) विनियम, 2019 द्वारा विनियमित होते हैं। दिनांक 31.12.2020 तक, भारत में 125 समवत विश्वविद्यालय हैं। विवरण https://www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020) के दौरान, उच्चतर शिक्षा के केवल एक संस्थान को समवत् विश्वविद्यालय घोषित किया गया–राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर – 302002, राजस्थान।

निजी विश्वविद्यालय

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा की जाती है। दिनांक 31.12.2020 तक, देश में 370 राज्य निजी विश्वविद्यालय कार्यरत थे।

निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 के माध्यम से विनियमित किया जाता है। दिनांक 31.12.2020 को निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	निजी विश्वविद्यालयों की संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	06
2.	अरुणाचलप्रदेश	08
3.	असम	06
4.	बिहार	07
5.	छत्तीसगढ	12
6.	गुजरात	42
7.	हरियाणा	24
8.	हिमाचलप्रदेश	17
9.	झारखंड	15
10.	कर्नाटक	19
11.	मेघालय	08
12.	मिजोरम	01
13.	मध्यप्रदेश	38
14.	महाराष्ट्र	18
15.	मणिपुर	03
16.	नागालैंड	03
17.	ओडिशा	08
18.	पंजाब	15
19.	राजस्थान	52
20.	सिक्किम	04
21.	तेलंगाना	05
22.	त्रिपुरा	01
23.	उत्तरप्रदेश	29
24.	उत्तराखंड	18
25.	पश्चिमबंगाल	11
	कुल	**370**

विवरण https://www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु

भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रमुख संस्थान है, जिसकी स्थापना 1909 में धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 के तहत की गई थी, और बाद में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के कार्यक्षेत्र में

लाया गया। आईआईएससी परिषद द्वारा शासित, संस्थान विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी ज्ञान की खोज के साथ–साथ औद्योगिक और सामाजिक लाभों के लिए अपने शोध निष्कर्षों के आवेदन पर संतुलित जोर देता है। संस्थान देश के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में से सबसे बड़ी कंप्यूटिंग सुविधाओं वाला एक संस्थान है और इसके पास विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय संग्रह भी है। संस्थान ने नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना की है, जिसमें राष्ट्रीय नैनो फैब भी है, जो अनुसंधान और विकास की सुविधा है जो दुनिया में इस तरह की सबसे अच्छी शैक्षणिक सुविधाओं में से एक है।

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को बुनियादी विज्ञान पर विशेष जोर देने के साथ विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित नए संस्थानों के रूप में परिकल्पित किया गया है। इन संस्थानों को विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। आईआईएसईआर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) अधिनियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भी घोषित किया गया है। ऐसे सात संस्थान कोलकाता (2006), पुणे (2006), मोहाली (2007), भोपाल (2008), तिरुवनंतपुरम (2008), तिरुपति (2015) और बरहामपुर (2016) में स्थापित किए गए हैं।

विश्व स्तर की विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय प्रत्येक स्थापित आईआईएसईआर पर प्रतिवर्ष लगभग 100–110 करोड़ रुपये खर्च करता है। आईआईएसईआर बुनियादी विज्ञान में 5 वर्षीय बीएस–एमएस दोहरी डिग्री कार्यक्रम तथा पीएचडी और एकीकृत पीएचडी कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। जबकि आईआईएसईआर भोपाल डेटा विज्ञान में पांच वर्षीय बीएस–एमए कार्यक्रम भी प्रदान करता है, आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम ने जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान और डेटा विज्ञान में एकीकृत और अंतःविषय विज्ञान (i2–विज्ञान) बीएस–एमएस कार्यक्रम के नाम से पांच नए स्नातक शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस वर्ष के दौरान आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम में एक 200 टेराफ्लॉप उच्च प्रदर्शन संगणना सुविधा संस्थापित और चालू की गई है। आईआईएसईआर पुणे के भौतिकी विभाग में एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है, जिसे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार आदि के लिए उपकरणों के विकास के लक्ष्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय 2020 के राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार, आईआईएसईआर पुणे को 25, आईआईएसईआर कोलकाता– 29, आईआईएसईआर भोपाल –40, आईआईएसईआर मोहाली–59 और आईआईएसईआर टीवीएम – 80 को स्थान मिला है। साथ ही, आईआईएसईआर भोपाल को रैंक इनोवेशन अचीवमेंट्स (एआरआईआईए) संस्थान 2020 की अटल रैंकिंग में 26 से 50 के बीच, क्यूएस–एशिया रैंकिंग 2021 में 201 रैंक, भारत में मिलाकर नवीनतम टाइम्स उच्चतर शिक्षा 2021 विश्व रैंकिंग में शीर्ष 1000 में 63 में से 26वीं रैंकिंग मिला है। नेचर इंडेक्स रैंकिंग में, आईआईएसईआर मोहाली को वर्ष 2020 में जीवन विज्ञान के क्षेत्र में भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईएसईआर के संकाय और छात्र दोनों अत्याधुनिक अनुसंधान में शामिल रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं।

अकादमिक सहयोग और सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए, आईआईएसईआर ने विभिन्न राष्ट्रीय और विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। आईआईएसईआर पुणे ने ग्लासगो विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है; जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय; किंग्स कॉलेज लंदन; और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ओसाका विश्वविद्यालय के साथ नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। आईआईएसईआर तिरुपति ने शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से आईआईटी तिरुपति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

सभी आईआईएसईआर ने संस्थान परिसर में एक कोविड–19 परीक्षण केंद्र स्थापित किया। स्वयंसेवकों/छात्रों/संकाय की सहायता से चलाए जा रहे इन केंद्रों ने अस्पतालों और स्थानीय क्षेत्रों से आने वाले नमूनों का परीक्षण किया है और इस तरह उनकी संबंधित राज्य सरकारों की परीक्षण क्षमता को बढ़ाया है। आईआईएसईआर पुणे और आईआईएसईआर बरहामपुर द्वारा दिसंबर, 2020 तक 30,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। आईआईएसईआर बरहामपुर ने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) आधारित एल्गोरिदम भी विकसित किया है, जिसने आईसीएमआर पोर्टल पर परीक्षण डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया को सरल, तेज, कुशल, और सुरक्षित बना दिया है।

कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद, विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। संस्थानों में शिक्षण के मिश्रित मॉडल अपनाए गए हैं, जहां प्रशिक्षकों ने छात्रों को हर हफ्ते पहले से रिकॉर्ड किए गए मूल व्याख्यान भेजे, इसके बाद संदेह निवारण, समस्या समाधान आदि के लिए लाइव इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए। ऑनलाइन व्याख्यान रिकॉर्ड किए गए हैं और भविष्य के संदर्भों के लिए छात्रों द्वारा अपनी सुविधानुसार आवश्यक डाउनलोडिंग के लिए उपयुक्त वेबलिंक/पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। इंस्ट्रक्टर–इन–चार्ज द्वारा छात्रों के साथ लिंक साझा किए गए हैं।

आर्थिक रूप से अक्षम छात्रों को प्रतिपूर्ति के आधार पर डेटा प्लान की सुविधा प्रदान की गई है। कुछ संस्थानों में, ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी वाले छात्रों की परिसर में वापसी को प्राथमिकता दी गई थी। कुछ अन्य में, संस्थान के संकाय और कर्मचारियों ने सभी जरूरतमंद छात्रों को लैपटॉप प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से अपने व्यक्तिगत निधि से योगदान दिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कि इस महामारी की स्थिति के दौरान सभी को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हो।

ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए संकाय को प्रशिक्षण देने हेतु, आईआईटी के प्रमुख संकायों को शिक्षण और मूल्यांकन के ऑनलाइन संसाधनों के साथ शिक्षक वर्ग को परिचित करने के लिए ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित करने हेतु आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा, वरिष्ठ संकाय सदस्य अन्य संकाय सदस्यों को इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। साथ ही, ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में संकाय के लिए संस्थानों की संबंधित आईटी टीमों द्वारा अभिविन्यास सत्र आयोजित किए गए हैं।

सभी आईआईएसईआर उन्नत भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान आदि सहित शिक्षा मंत्रालय के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं। संस्थानों ने विभिन्न उच्चतर शिक्षण संस्थानों और स्कूलों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन किया है। आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम ने विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए गणित में शीतकालीन स्कूल, स्कूली छात्रों के लिए रसायन विज्ञान में साल्टर्स शिविर, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा प्रायोजित कई संगोष्ठियों का आयोजन किया है, जिसमें नवंबर 2020 में महामारी को देखते हुए एक ओपन–एयर इवेंट के रूप में आयोजित किया गया था। कोविड–19 लॉकडाउन से पहले, आईआईएसईआर पुणे के शोधकर्ताओं ने 7 वैज्ञानिक सम्मेलनों और कार्यशालाओं; एक डीएसटी–इंस्पायर साइंस इंटर्नशिप कैंप; मराठी में वैज्ञानिक परियोजना वित्तीय प्रबंधन और विज्ञान संचार पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। आईआईएसईआर पुणे परिसर भारत विज्ञान महोत्सव का आयोजन स्थल था जो जनता के लिए खुला था। संस्थान ने 4 परिचर्चा की मेजबानी की थी, जो जनता के लिए खुले थे। लॉकडाउन के बाद, कई कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए जाने लगे। इनमें विभागों द्वारा आयोजित सेमिनार शामिल हैं; आईआईएसईआर पुणे में श्रीमती इंद्राणी बालन विज्ञान गतिविधि केंद्र (लाइव विज्ञान और गणित डेमो सत्र) द्वारा वेबिनार श्रृंखला; महाराष्ट्र राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एमएससीईआरटी) पुणे के सहयोग से स्कूल विज्ञान और गणित के शिक्षकों के लिए मराठी में

ऑनलाइन कार्यशालाएँ; रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के साथ सहयोग से अगली पीढ़ी को पढ़ाना विषय पर 12–एपिसोड वेबिनार श्रृंखला); सीओईएसएमई द्वारा वित्त पोषित पीएमएमएमएनएमटीटी द्वारा एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला; आईआईएसईआर पुणे में विज्ञान मीडिया केंद्र द्वारा विज्ञान संचार कार्यशालाएँ; और परिसर में डीबीटी–वित्त पोषित मानव परियोजना द्वारा आयोजित डेटा विज्ञान वेबिनार श्रृंखला की मेजबानी की गई।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)

1. **विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षा:** अत्यधिक कुशल तकनीकी मानवशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, आज की तारीख में देश में 23 आईआईटी कार्यरत हैं, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। इन आईआईटी, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में नामित किया गया है, सरकार द्वारा 'आईआईटी को सहायता' योजना के तहत आवश्यक बजटीय सहायता के साथ वित्त पोषित किया जाता है।

2. **गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा का विस्तार:** देश में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए, सरकार द्वारा जम्मू, भिलाई, गोवा, धारवाड़, तिरुपति और पलक्कड़ प्रत्येक में एक नए आईआईटी स्थापित किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन वर्ष की अवधि के लिए 1411.80 करोड़ रुपये की लागत से इन आईआईटी को उनके अस्थायी परिसरों से संचालन की मंजूरी दी। बाद में 24 अक्टूबर, 2017 को मंत्रिमंडल ने चरण–क के तहत दिनांक 31.03.2020 तक 7002 करोड़ रुपये की लागत से इन आईआईटी के स्थायी परिसरों के निर्माण को मंजूरी दी, जिसे 5 आईआईटी (अर्थात् आईआईटी जम्मू, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति और आईआईटी पलक्कड़) के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक और आईआईटी गोवा के लिए 31 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। आईआईटी जम्मू, भिलाई, धारवाड़, पलक्कड़ और तिरुपति में स्थायी परिसर का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। जहां तक आईआईटी गोवा का संबंध है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है और संस्थान ने स्थायी परिसर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए आईआईटी की स्थापना ने एक ओर अधिक संख्या में छात्रों को आईआईटी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया है और दूसरी ओर देश के तकनीकी और अनुसंधान परिणाम को बढ़ाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है।

3. **अनुसंधान पर फोकस:** देश में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को विकसित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और एक सफल स्टार्टअप संस्कृति बनाने पर सरकार के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कई कदम उठाए गए हैं:–

   (i) **अनुसंधान पार्क:** स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को विकसित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश में एक सफल स्टार्टअप संस्कृति बनाने पर सरकार के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए, वर्ष 2017–18 में सरकार द्वारा कुल 75.00 करोड़ रुपये की लागत से आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बैंगलोर में पांच नए अनुसंधान पार्क को मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2017–18 में, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से पहले से ही स्वीकृत दो अनुसंधान पार्कों के लिए शेष राशि की भी मंजूरी दी गई थी। तब से आईआईटी खड़गपुर अनुसंधान पार्क का उद्घाटन किया गया है और अन्य सभी अनुसंधान पार्क स्थापित किए जा रहे हैं।

(ii) **इम्प्रिंट** : इम्प्रिंट सरकार की एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है, जिसे 5 नवंबर, 2015 को शुरु किया गया था, जिसका उद्देश्य सबसे प्रासंगिक इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान प्रदान करना और ज्ञान को 10 चयनित प्रौद्योगिकी डोमेन अर्थात स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, स्थायी आवास, नैनो प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, जल संसाधन और नदी प्रणाली, उन्नत सामग्री, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, सुरक्षा और रक्षा, और पर्यावरण विज्ञान और जलवायु परिवर्तन में व्यवहार्य प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करना है। यह एक अखिल आईआईटी और आईआईएससी संयुक्त पहल है जो अनुसंधान के लिए एक रोडमैप विकसित करने की मांग कर रही है। एमओई और विभिन्न भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा संयुक्त वित्त पोषण के साथ 3 वर्षों के लिए कुल 323.17 करोड़ रुपये की लागत पर 142 अनुसंधान परियोजनाएं वर्तमान में इम्प्रिंट–I के तहत निष्पादनाधीन हैं। 142 परियोजनाओं में से 29 परियोजनाओं ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, 42 परियोजनाओं के लिए प्रोटोटाइप तैयार हैं और बाकी परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है ताकि आवश्यकता पड़ने पर विस्तारित अवधि में उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

इम्प्रिंट–II को थोड़ी संशोधित रणनीति के साथ तैयार किया गया था, जिसका मूल्यांकन ईएफसी द्वारा 21.02.2018 को हुई अपनी बैठक में इम्प्रिंट–I और यूएवाई को मिलाकर 425 करोड़ रुपये की कुल लागत पर किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इम्प्रिंट–II के तहत परियोजनाओं को एमओई और डीएसटी द्वारा संयुक्त रूप से 50:50 के अनुपात में संयुक्त कोष बनाकर वित्त पोषित किया जाएगा। अन्य भाग लेने वाले मंत्रालय/उद्योग अपने लिए प्रासंगिक परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए स्वेच्छा से काम कर सकते हैं। स्वीकृत परियोजनाओं और उनकी लागत का विवरण निम्नानुसार हैः–

चरण	परियोजना	लागत
इंप्रिंट–I	142	320.72
इंप्रिंट–II (क+ख)	125	104.58
इंप्रिंट–II–ग	51	41.18
कुल	**318**	**466.48**

एसईआरबी द्वारा कंसोर्टियम मोड में प्रस्तावों के लिए कॉल किया गया है, जो मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

(iii) **उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई):** 6 अक्टूबर, 2015 को आयोजित आईआईटी परिषद की बैठक में यूएवाई की घोषणा एक उच्च क्रम के नवाचार को बढ़ावा देने की दृष्टि से की गई थी जो सीधे उद्योग की जरूरतों को प्रभावित करती है और इस तरह भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में सुधार करती है। इस परियोजना में भारत के भीतर या बाहर शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग की परिकल्पना की गई है। उद्योग द्वारा चयनित परियोजनाओं का वित्त पोषण पैटर्न उद्योग द्वारा 25%; भाग लेने वाले विभाग/मंत्रालय द्वारा 25%; और एमओई द्वारा 50% होगा। वर्तमान में, एमओई, भाग लेने वाले मंत्रालयों और उद्योग द्वारा संयुक्त वित्त पोषण के साथ 360.50 करोड़ रुपए की कुल लागत से 136 परियोजनाएँ निष्पादनाधीन हैं। एमओई ने 150.00 करोड़ रुपये जारी किए हैं, भाग लेने वाले मंत्रालय/विभाग और उद्योग ने क्रमशः

44.17 करोड़ रुपये और 67.95 करोड़ रुपये जारी किए हैं। राष्ट्रीय समन्वयक यूएवाई अर्थात आईआईटी–मद्रास ने सूचित किया है कि 32 यूएवाई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

4. **जेंडर संतुलन में सुधारः** आईआईटी में बी.टेक कार्यक्रमों में महिला नामांकन में सुधार की दृष्टि से, उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) द्वारा निदेशक, आईआईटी–मंडी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों पर आईआईटी परिषद ने दिनांक 28.04.2017 को हुई अपनी 51वीं बैठक में विचार–विमर्श किया और अतिरिक्त सीटों का सृजन कर वर्ष 2016 में महिला नामांकन 8% से बढ़ाकर 2018–19 में 14%, 2019–20 में 17% और 2020–21 में 20% करने का निर्णय लिया गया था। जेईई (एडवांस्ड) के लिए संयुक्त प्रवेश बोर्ड उपर्युक्त निर्णय को लागू कर रहा है। वर्ष 2018 और 2019 के दौरान आईआईटी में बी. टेक कार्यक्रमों में महिला नामांकन क्रमशः 15.29% और 18% था। वर्ष 2020 में जेईई (एडवांस्ड) 2020 के आधार पर महिला नामांकन बढ़कर 19.8% हो गया।

5. **राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए)** की स्थापना मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख, विशेषज्ञ, स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन के रूप में की गई थी, जो देश में उच्चतर शिक्षण संस्थानों में दाखिला/फैलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए दिनांक 10.11.2017 को मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसरण में की गई थी। एनटीए को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860) के तहत 15.05.2018 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। एनटीए ने अपनी स्थापना के बाद से 38 परीक्षाएं आयोजित की हैं। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट/पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रमों और फेलोशिप में दाखिला के लिए 19 परीक्षाएँ आयोजित की हैं, जिनमें शामिल हैंः जेईई (मेन), एनईईटी (यूजी), यूजीसी नेट, सीएमएटी, जीपीएटी, संयुक्त सीएसआईआर – यूजीसी नेट, जेएनयूईई, डीयूईटी, इग्नू ओपनमैट (एमबीए) और पीएचडी, आईसीएआर, एआईएपीजीईटी, एनसीएचएम–जेईई, इंड–सैट, एआईएलईटी, अर्पित और स्वयं। इन परीक्षाओं में 32, 95,158 अभ्यर्थी 709 विषयों और 11 भाषा माध्यम में शामिल हुए। सभी परीक्षाएं, क्ष्एनईईटी (यूजी) को छोड़कर, जो पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थींद्व कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की गईं।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)

सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानः

आईटी क्षेत्र में उच्च कुशल पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए, ग्वालियर (1998), इलाहाबाद (1999), जबलपुर (2005), कांचीपुरम (2007) और कुरनूल (2015) में पांच केंद्रीय वित्त पोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) स्थापित किए गए हैं। भारतीय आईटी उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने और घरेलू आईटी बाजार के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय ने नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड (एन–पीपीपी) के आधार पर 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) की स्थापना की है। इस योजना के तहत सभी 20 आईआईआईटी खोले गए हैं। ये हैं आईआईआईटी चित्तूर (आंध्र प्रदेश), आईआईआईटी रायचूर (कर्नाटक), आईआईआईटी गुवाहाटी (असम), आईआईआईटी धारवाड़ (कर्नाटक), आईआईआईटी कोट्टायम (केरल), आईआईआईटी तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), आईआईआईटी वडोदरा (गुजरात), आईआईआईटी पुणे (महाराष्ट्र), आईआईआईटी, सेनापति (मणिपुर), आईआईआईटी अगरतला (त्रिपुरा), आईआईआईटी भोपाल (मध्य प्रदेश), आईआईआईटी सोनीपत (हरियाणा), आईआईआईटी लखनऊ (उत्तर प्रदेश), आईआईआईटी ऊना (हिमाचल प्रदेश), आईआईआईटी कल्याणी (पश्चिम बंगाल), आईआईआईटी कोटा (राजस्थान), आईआईआईटी सूरत (गुजरात),

आईआईआईटी नागपुर (महाराष्ट्र), आईआईआईटी भागलपुर (बिहार) और आईआईआईटी रांची (झारखंड)।

आईआईआईटी

सीएफटीआई (केंद्र से वित्त पोषित तकनीकी संस्थान) मोड में आईआईआईटी

1. आईआईआईटी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
2. एबीवी–आईआईआईटी एंड एम ग्वालियर, मध्य प्रदेश
3. पीडीपीएम–आईआईआईटीडी एंड एम जबलपुर, मध्य प्रदेश
4. आईआईआईटीडी एंड एम कांचीपुरम, चेन्नई, टीएन
5. आईआईआईटीडी एंड एम कुरनूल, आंध्र प्रदेश

पीपीपी (सार्वजनिक निजीभागीदारी) मोड में आईआईआईटी

1. आईआईआईटी श्री सिटी चित्तूर आंध्र प्रदेश
2. आईआईआईटी गुवाहाटी, असम
3. आईआईआईटी वडोदरा, गुजरात
4. आईआईआईटी सोनीपत, हरियाणा
5. आईआईआईटी ऊना, हिमाचल प्रदेश
6. आईआईआईटी धारवाड़, कर्नाटक
7. आईआईआईटी कोट्टायम, केरल
8. आईआईआईटी सेनापति, मणिपुर
9. आईआईआईटी कोटा, राजस्थान
10. आईआईआईटी श्रीरंगम, तिरुचिपल्ली, तमिलनाडु
11. आईआईआईटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश
12. आईआईआईटी कल्याणी, पश्चिम बंगाल
13. आईआईआईटी पुणे, महाराष्ट्र
14. आईआईआईटी रांची, झारखंड
15. आईआईआईटी नागपुर, महाराष्ट्र
16. आईआईआईटी भोपाल, मध्य प्रदेश
17. आईआईआईटी सूरत, गुजरात
18. आईआईआईटी भागलपुर, बिहार
19. आईआईआईटी अगरतला, त्रिपुरा
20. आईआईआईटी रायचूर, कर्नाटक

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी), शिबपुर

➢ पूर्ववर्ती सत्रह क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (आरईसी): इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), कालीकट (केरल), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), जालंधर (पंजाब), जमशेदपुर (झारखंड), कुरुक्षेत्र (हरियाणा), नागपुर (महाराष्ट्र), राउरकेला (उड़ीसा), सिलचर (असम), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), सूरत (गुजरात), सुरथकल (कर्नाटक), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) और वारंगल (आंध्र प्रदेश) में स्थित हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित किया गया और 14 मई, 2003 से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद, मंत्रालय ने बागडोर संभाला और वर्ष 2004, 2005 और 2006 में एनआईटी के रूप में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग– पटना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज – रायपुर और त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज – अगरतला को अपग्रेड किया।

➢ वर्ष 2007 में, उपर्युक्त बीस संस्थानों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) अधिनियम, 2007 के तहत 15 अगस्त, 2007 से 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' के रूप में घोषित किया गया था। अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनआईटी की पहली विधियों को तैयार और इन संस्थानों को और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए 23 अप्रैल, 2009 को अधिनियमित किया गया था।

- इसके बाद, ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, सितंबर, 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद गैर–एनआईटी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और उत्तराखंड में 10 नए एनआईटी स्थापित किए गए हैं। इन 10 नए एनआईटी ने अपना पहला शैक्षणिक सत्र वर्ष 2010–2011 से शुरू किया। वर्ष 2015 में, नव–विभाजित राज्य आंध्र प्रदेश में एक एनआईटी भी ताडेपल्लीगुडेम में स्थापित किया गया है और इसका पहला शैक्षणिक सत्र 2015–2016 से शुरू हुआ है। इस प्रकार, एनआईटी की संख्या 31 हो गई है अर्थात सभी राज्यों और प्रमुख संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली, श्रीनगर और पुडुचेरी में क्रमशः एक–एक।
- सभी 11 एनआईटी को "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" के रूप में घोषित किया गया है और उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 के दायरे में लाया गया है, जिसे क्रमशः वर्ष 2012 और 2016 में अधिनियमित किया गया था।

आईआईईएसटी, शिबपुर

बंगाल इंजीनियरिंग और विज्ञान विश्वविद्यालय (बीईएसयू), शिबपुर (पश्चिम बंगाल), राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक विश्वविद्यालय को भी केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया है और भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी), शिबपुर (पश्चिम बंगाल) के रूप में उन्नत किया गया है और एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया। अधिनियम के तहत आईआईईएसटी, शिबपुर को शामिल करने संबंधी आवश्यक संशोधन की स्वीकृति 4 मार्च, 2014 को मिली थी।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) पूर्ण वित्त पोषित और भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण वाला स्वायत्त संस्थान हैं। वर्तमान में 20 आईआईएम हैं। इन आईआईएम को तीन श्रेणियों में बांटा गया है अर्थात पहली पीढ़ी के आईआईएम, दूसरी पीढ़ी के आईआईएम और तीसरी पीढ़ी के आईआईएम।

- **पहली पीढ़ी के आईआईएम:** ये आईआईएम अहमदाबाद (1961 में स्थापित), कोलकाता (1961), बैंगलोर (1973), लखनऊ (1984), इंदौर (1996) और कोझीकोड (1997) में स्थित हैं और अपने स्थायी परिसरों से काम कर रहे हैं।
- **दूसरी पीढ़ी के आईआईएम:** उच्च गुणवत्ता प्रबंधन संस्थान के लिए सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सात आईआईएम स्थापित किए गए हैं, जिनमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित एक आईआईएम नामतः राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान (आरजीआईआईएम), शिलांग ने वर्ष 2008–2009 से अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू की है और रोहतक (हरियाणा), रायपुर (छत्तीसगढ़), रांची (झारखंड) और तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) में स्थापित आईआईएम वर्ष 2010–11 से काम कर रहे हैं और आईआईएम काशीपुर (उत्तराखंड) और उदयपुर (राजस्थान) शैक्षणिक वर्ष 2011–12 से अपने अस्थायी परिसरों से कार्यात्मक हैं।
- **तीसरी पीढ़ी के आईआईएमएस:** वर्ष 2015–16 के दौरान, छह और आईआईएम अमृतसर (पंजाब), बोधगया (बिहार), नागपुर (महाराष्ट्र), संबलपुर (ओडिशा), सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में स्थापित किए गए हैं। इन आईआईएम के शैक्षणिक सत्र शैक्षणिक वर्ष 2015–16 से उनके अस्थायी परिसरों से शुरू हो गए हैं। एक अन्य आईआईएम जम्मू में स्थापित किया गया है जिसने शैक्षणिक वर्ष 2016–17 से अपना शैक्षणिक सत्र शुरू किया है।

शिक्षा मंत्रालय अकादमिक गतिविधियों और अस्थायी परिसरों की स्थापना और स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए आईआईएम की स्थापना के लिए निधि उपलब्ध करा रहा है।

01.01.2020 से 31.12.2020 के दौरान आईआईएम में छात्र संख्या और जारी निधि

क्र. सं.	नाम	31.12.2020 तक छात्रों की संख्या		31.12.2020 तक संकाय की स्थिति	जारी निधि (01.01.2020 से3 11. 12.2020 के दौरान) एचईएफए सहित (लाख रुपये में)
		पीजीपी	एफपीएम		
1	अहमदाबाद	869	132	101	शून्य
2	बैंगलोर	967	114	109	शून्य
3	कलकत्ता	945	97	82	शून्य
4	लखनऊ	974	114	87	शून्य
5	इंदौर	1229	159	104	शून्य
6	कोझिकोड	1152	86	93	16.62
7	शिलांग	448	23	26	1270.00
8	रोहतक	497	19	31	800.00
9	रायपुर	528	31	31	शून्य
10	रांची	602	44	46	6818.00
11	तिरुचिरापल्ली	623	25	32	शून्य
12	काशीपुर	540	38	40	शून्य
13	उदयपुर	603	23	37	शून्य
14	अमृतसर	360	1	21	1786.50
15	बोधगया	294	4	21	1056.00
16	नागपुर	329	शून्य	26	6051.84
17	संबलपुर	252	8	14	1514.50
18	सिरमौर	332	7	15	1654.00
19	विशाखापत्तनम	376	9	23	6390.33
20	जम्मू	319	4	22	5696.71
	कुल	**12239**	**938**	**961**	**33054.50**

योजना और वास्तुकला विद्यालय

योजना और वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली

संसद के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान, योजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), नई दिल्ली वर्ष 1941 में दिल्ली पॉलिटेक्निक के वास्तुकला विभाग के रूप में शुरू हुआ था। वैश्विक ख्याति संपन्न संस्थान, स्कूल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्याधुनिक आयोजना, वास्तुकला और डिजाइन समाधान, और परामर्श और अनुसंधान वातावरण प्रदान कर रहा है। एसपीए की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने 1979 में स्कूल को 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' का दर्जा दिया गया। इसने स्कूल को नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए और

महत्वपूर्ण अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों को बढ़ावा देकर अपने शैक्षणिक क्षितिज को व्यापक बनाया है। योजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए) अधिनियम 2014 के तहत भारत सरकार द्वारा स्कूल को "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" घोषित किया गया था।

योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा

योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा की स्थापना वर्ष 2008 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। योजना और वास्तुकला विद्यालय, 2014 के संसद में अधिनियमित होने के बाद, स्कूल ने वर्ष 2014 में 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' का दर्जा हासिल कर लिया है। स्कूल ने वास्तुकला और योजना में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की पेशकश करते हुए विशेष व्यावसायिक शिक्षा में एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित होने की क्षमता के मामले में खुद को प्रतिष्ठित किया है, साथ ही इन क्षेत्रों में एक उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा दिया है।

योजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल

योजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), भोपाल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है। योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम एक्ट, 2014 के तहत, स्कूल को 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया गया था। स्कूल वर्तमान में भौरी, भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित अपने नए स्थायी परिसर से काम कर रहा है।

वास्तुकला परिषद

(एक वैधानिक प्राधिकरण, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

वास्तुकला परिषद (सीओए) का गठन भारत सरकार द्वारा वास्तुकला अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है, जो संसद द्वारा अधिनियमित है, जो 1 सितंबर, 1972 को लागू हुआ। यह अधिनियम वास्तुकला के पंजीकरण और उससे जुड़े मामलों का प्रावधान करता है।.

सीओए, वास्तुकलाओं के एक रजिस्टर का रखरखाव करने के अलावा, विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से निरीक्षण करने के माध्यम से, अधिनियम के तहत समय–समय पर मान्यता प्राप्त योग्यता मानकों के रखरखाव की देखरेख करता है। निरीक्षणों के आधार पर, सीओए संस्थानों द्वारा बनाए गए मानकों की अपर्याप्तता के संबंध में उपयुक्त सरकारों को अभ्यावेदन दे सकता है।

वास्तुकला संस्थानः

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान 7 नए संस्थानों को बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम प्रदान करने की मंजूरी दी गई और 13 मौजूदा संस्थानों को पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी गई। वर्तमान में, 469 संस्थान हैं जो परिषद के अनुमोदन से शैक्षणिक सत्र 2020–2021 के दौरान मान्यता प्राप्त वास्तुकला योग्यता प्रदान कर रहे हैं। संस्थानों की राज्यवार संख्या नीचे सूचीबद्ध हैः

राज्य	स्कूलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	9
असम	2
बिहार	2
छत्तीसगढ़	4
चंडीगढ़	1
दिल्ली	6
गोवा	1
गुजरात	34
हिमाचल प्रदेश	3
हरियाणा	25
झारखंड	2
जम्मू और कश्मीर	4
कर्नाटक	42
केरल	36
महाराष्ट्र	103
मेघालय	1
मध्य प्रदेश	16
मिजोरम	1

राज्य	स्कूलों की संख्या
ओडिशा	9
पंजाब	14
पुदुचेरी	1
राजस्थान	15
तमिलनाडु	76
तेलंगाना	14
उत्तराखंड	5
उत्तर प्रदेश	35
पश्चिम बंगाल	8
कुल	**469**

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए)

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) न केवल भारत में बल्कि दक्षिण एशिया में भी शिक्षा की योजना और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान से संबंधित एक प्रमुख संगठन है। वर्ष 1961–62 में शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय केंद्र के रूप में शुरुआत; और इसके नामकरण और कार्यक्षेत्र में आगे परिवर्तनों के माध्यम से, इसे 1979 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) के रूप में बदल दिया गया। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में संगठन द्वारा किए गए अग्रणी कार्यों की मान्यता देते हुए, भारत सरकार ने इसे अगस्त 2006 में समवत विश्वविद्यालय का दर्जा देकर अपनी डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह, एनआईईपीए का पूर्ण रखरखाव भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

एनआईईपीए का अधिदेश

एनआईईपीए शैक्षिक नीति, आयोजना और प्रशासन के क्षेत्रों में शिक्षण, अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। विश्वविद्यालय की मुख्य गतिविधियों में शैक्षिक नीति और योजना में केंद्र और राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करना; देश के शैक्षिक पेशेवरों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित करना; एम.फिल और पीएच.डी के कार्यक्रमों के माध्यम से युवा विद्वानों में विशेषज्ञता का विकास करना, साथ ही अन्य क्षमता निर्माण गतिविधियां; स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी पहलुओं में अनुसंधान करना; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करना; ज्ञान और सूचना के प्रसार के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना; और नीति निर्माताओं, योजनाकारों, प्रशासकों और शिक्षाविदों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना शामिल है।

लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

एनआईईपीए ने वर्ष 2007 के बाद से एक व्यापक अंतर–अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान परिप्रेक्ष्य के साथ शैक्षिक योजना और प्रशासन में एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रम शुरु किया है। तब से, एनआईईपीए में एम.फिल के लिए 255 और पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए 136 शोध विद्वानों को पंजीकृत किया गया है। 143 एम.फिल. और 29 पीएच.डी. नवंबर 2020 तक अब तक डिग्री प्रदान की जा चुकी हैं। वर्ष 2020–21 में एम.फिल में 24 और 18 (1 विद्वान सीधे भर्ती हुए और एकीकृत एम.फिल.–पी.एच.डी. कार्यक्रम के तहत एम.फिल. से पीएच.डी. में प्रोमोट के गए 17 विद्वान) सहित 42 छात्रों को एनआईईपीए में पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए नामांकित किया गया है। विश्वविद्यालय एम.फिल और पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करता है। यह सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों को सामाजिक रूप से वंचित समूहों, अर्थात, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की शिक्षा सहित भारत सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करने, सेमिनार आयोजित करने आदि के लिए अनुदान देता है। एनआईईपीए ने शैक्षिक प्राप्ति के निम्न स्तर की असमानता को कम करने और गरीबी को कम करने और उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन को ऊपर

उठाने के लिए कई सर्वेक्षण, शोध अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किए हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान, 106 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन और वरिष्ठ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं, योजनाकारों और प्रशासकों की बैठकें शामिल हैं। एनआईईपीए ने अब तक ऐसे 52 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, एनआईईपीए प्रत्येक वर्ष तीन डिप्लोमा कार्यक्रम भी आयोजित करता है (i) शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईपीए), और (ii) शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडीईपीए) और (iii) स्कूल नेतृत्व पर ऑनलाइन कार्यक्रम और प्रबंधन (ओपीएसएलएम)। इसके अलावा, एनआईईपीए ने 2020 में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में 10 शोध अध्ययन पूरे किए हैं और जनवरी से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान शोध अध्ययन आयोजित करने के लिए 29 नए शोध प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

डिजाइन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पहल

शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2013–14 के दौरान "नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिज़ाइन इनोवेशन" योजना शुरू की है। इस पहल के तहत, 240 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 20 नए डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर, एक ओपन डिज़ाइन स्कूल और एक नेशनल डिज़ाइन इनोवेशन नेटवर्क, इन सभी संस्थानों को एक साथ जोड़कर स्थापित किया जाना है। इस योजना के तहत, संकाय और भूमि सहित मौजूदा संसाधन के इष्टतम उपयोग की सुविधा के लिए मौजूदा सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में उन्हे सह–अवस्थान द्वारा 20 डीआईसी की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक डीआईसी को 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डीआईसी की पहचान देश की लंबाई और चौड़ाई को कवर करने के लिए भौगोलिक प्रसार के आधार पर की जाती है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से उदारवादी कला तक शामिल किए जाने की संभावना है। ओडीएस विभिन्न सहयोगी शिक्षा कार्यक्रमों (शिक्षा संस्थानों के व्यापक स्पेक्ट्रम को जोड़ने), और इंटरनेट के माध्यम से इसके पाठ्यक्रम मदों का मुफ्त साझाकरण के माध्यम से देश में डिजाइन शिक्षा और अभ्यास की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करेगा। एनडीआईएन डिजाइन स्कूलों का एक नेटवर्क होगा जो उद्योग और शिक्षा के अन्य प्रमुख संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और सरकार के साथ मिलकर काम करता है ताकि डिजाइन शिक्षा तक पहुंच और सभी क्षेत्रों में डिजाइन नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और संस्थानों के बीच व्यापक सहयोगी परियोजनाओं को विकसित किया जा सके।

नेशनल डिजाइन इनोवेशन नेटवर्क (एनडीआईएन)– एनडीआईएन भारत के अकादमिक डिजाइन समुदाय को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एनडीआईएन का लक्ष्य अकादमिक डिजाइन संस्थानों को उद्योग, व्यक्तिगत चिकित्सकों, गैर सरकारी संगठनों, दुनिया भर में पेशेवर डिजाइन निकायों और आम जनता के साथ जोड़ना है। एमओई द्वारा परिकल्पित, एनडीआईएन का लक्ष्य डिजाइन शिक्षा तक पहुंच और पहुंच को अधिकतम करना, सभी क्षेत्रों में डिजाइन नवाचार को बढ़ावा देना और संस्थानों के बीच व्यापक सहयोगी परियोजनाओं को विकसित करना है। आईआईएससी बैंगलोर ने एनडीआईएन विकसित किया है और बीटा संस्करण 27 अक्टूबर 2019 को सभी डीआईसी के लिए जारी किया गया था।

ओपन डिजाइन स्कूल (ओडीएस)– ओपन डिजाइन स्कूल का लक्ष्य बड़ी संख्या में आकांक्षियों के लिए डिजाइन शिक्षा लाना और विशेषज्ञ मेंटरों के तहत पूरे देश में कार्यशालाओं में उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस उद्देश्य के साथ परियोजना "ओपन डिजाइन स्कूल" चल रहा है। आईआईटी बॉम्बे के सेंटर फॉर डिस्टेंस इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम (सीडीईईपी) के तहत जुलाई 2017 में "इनोवेशन बाई डिज़ाइन" पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पेश किया गया था। पाठ्यक्रम "अंडरस्टैंडिंग डिज़ाइन" 4 जनवरी 2018 को पपजइवउइंलग.पद पर लॉन्च किया गया था। आईआईटीबी शैक्षणिक संरचना के अनुसार दो पाठ्यक्रम (1) डिजाइन द्वारा नवाचार और (2) डिजाइन को समझना आईआईटी बॉम्बे की सीनेट द्वारा अनुमोदित हैं। अन्य संस्थानों के छात्रों को "अंडरस्टैंडिंग डिज़ाइन" पाठ्यक्रम भी पेश किया गया था।

वर्ष 2020 के दौरान

- लगभग 48 उत्पाद हैं जिनका डीआईसी द्वारा पेटेंट कराया गया है और लगभग 475 नवीन उत्पाद प्रक्रियाधीन हैं। इस योजना के तहत शुरू किए गए पाठ्यक्रमों के लिए वर्तमान में 9466 छात्रों ने नामांकन किया है। नई अभिनव प्रक्रियाओं और डिजाइन सोच को बढ़ावा देने के लिए, डीआईसी ने 250 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया था।
- **कोविड–19 के लिए एनडीआईएन इनोवेशन चैलेंज** 23–31 मार्च, 2020 के दौरान आयोजित किया गया था। 12 डीआईसी से पैंतीस अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, इनमें से आठ प्रविष्टियों को प्रथम पुरस्कार (1), द्वितीय पुरस्कार (2) और ऑनरेबल मेंशन पुरस्कार (5) के लिए चुना गया था।
- **कोविड–19 से लड़ने के लिए योजना के तहत उत्पाद विकास**– इस महामारी की स्थिति में कई डीआईसी ने कई उत्पाद / प्रौद्योगिकी विकसित की और कोविड–19 से लड़ने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया। कुछ उत्पादों का उल्लेख नीचे किया गया है–
  - इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा, जम्मू–कश्मीर ने डीआईसी–आईयूएसटी में तैयार "मितव्ययी वेंटिलेटर रूहदार" प्रोटोटाइप विकसित किया था;
  - पंजाब विश्वविद्यालय ने उद्योग भागीदार कोरल टेलीकॉम और स्टार्ट–अप, नई दिल्ली के साथ "आईपी आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सूट" विकसित किया था।
  - **जेएनटीयू, काकीनाडा ने वेबसाइट:** https://help4covid.org/ **और एक ऐप:** help4covid **बनाई थी**– यह लॉकडाउन अवधि के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने के लिए एक बिंदु स्रोत है। चाहे वह फंसे हुए प्रवासी कामगारों के लिए आवश्यक भोजन हो या डॉक्टरों द्वारा कुछ सर्जिकल मास्क, वे अपनी जरूरतों को रख सकते हैं और वेबसाइट और ऐप के माध्यम से काम करवा सकते हैं।
  - एमएनएनआईटी इलाहाबाद (आईआईटी बीएचयू और बीएचयू के स्पोक) ने वायरलाईजर 1.0 विकसित किया था, जो कार्यालयों (फाइलों, पत्रों, मुद्रा और अन्य निर्जीव वस्तुओं) और घरेलू उद्देश्यों के लिए कमरे में कीटाणुशोधन यूवी–सी उपकरणों में पोर्टेबल है। **विनिर्माण और व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लाइसेंस समझौता पूरा हुआ।**
  - डीआईसी– यूआईईटी, पंजाब विश्वविद्यालय ने कार्यालय फाइलों और उपकरणों की सतह कीटाणुशोधन के लिए धूमन कक्ष विकसित किया है। यह सभी कार्यालयों में फाइलों, पुलिस थानों में छोटे उपकरणों आदि के लिए बहुत उपयोगी है। यूवी प्रकाश के साथ कीटाणुशोधन से अधिक प्रभावी और सुविधाजनक।
  - पंजाब विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से एक उद्योग आयोटाइज और स्टार्टअप के साथ मिलकर कोविड–19 आशंका (रेड जोन) क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन विकसित किए।
  - डीआईसी–सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) ने कोविड–19 के उपचार के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी–वायरल आयुर्वेदिक दवा "गंजुवीर" का पुनः उपयोग विकसित किया है।

❖ ❖ ❖

07

अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थाएं

अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थाएं

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत स्वायत्त समितियों के रूप में देश में चेन्नई, भोपाल, कोलकाता और चंडीगढ़ में चार राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों (एनआईटीटीटीआर) की स्थापना की गई। इन संस्थानों को तकनीकी शिक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, पाठ्यक्रम और संस्थागत संसाधनों का विकास करने, संबंधित प्रक्रियाओं और उत्पादों में सुधार के लिए राष्ट्रीय, राज्य सरकारों और तकनीकी संस्थानों की सहायता करने आदि का कार्य सौंपा गया है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)

स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों (तकनीशियनों) और व्यावसायिक उत्तीर्ण छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) का कार्यान्वयन मुंबई, कानपुर, चेन्नई और कोलकाता के चार क्षेत्रीय प्रशिक्षुता/प्रैक्टिकल बोर्ड (बीओएटी/बीओपीटी) के माध्यम से किया जाता है। एनएटीएस प्रशिक्षुता अधिनियम 1961के तहत गठित एक शीर्ष सांविधिक निकाय केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद (सीएसी) द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानों/संगठनों में स्नातक इंजीनियरों और डिप्लोमा धारकों (तकनीशियनों) को व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। इन बोर्डों बीओएटी/बीओपीटी जो शिक्षा मंत्रालय के पूर्ण वित्त पोषित स्वायत्त संगठन हैं, को समय–समय पर यथासंशोधित प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना को अपने–अपने क्षेत्रों में लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजना का मूल उद्देश्य नए स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों और 10+2 के अब तक के व्यावहारिक/अनुभव में अंतर, यदि कोई हो, को पाटना और व्यावसायिक उत्तीर्ण को उद्योग की जरूरतों के अनुसार नौकरी प्राप्त करने में उनको योग्य बनाने हेतु उनके तकनीकी कौशल को बढ़ाना है।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (एनआईटीईआई), पवई, मुंबई

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (एनआईटीआईई) औद्योगिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन शिक्षा में कार्यरत एक प्रमुख भारतीय संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1963 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से की गई थी। एनआईटीआईई ने पिछले पांच दशकों से उद्योग जगत की सेवा की है और आज इसके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और प्रबंधन विकास कार्यक्रम गर्व से इस सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं। एनआईटीआईई परिसर मुंबई में 63 एकड़ में एक पहाड़ी पर फैले सबसे मनोहर परिवेश में से एक में स्थित है, जो पवई और विहार झीलों से घिरा है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी हतिया, रांची, झारखंड

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी (एनआईएफएफटी), रांची, की स्थापना भारत सरकार द्वारा यूएनडीपी–यूनेस्को के सहयोग से वर्ष 1966 में की गई थी। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। संस्थान का प्रबंधन शासी बोर्ड के पास है, जिसके शीर्ष में अध्यक्ष हैं और इसके सदस्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), शिक्षा मंत्रालय, निजी और सार्वजनिक उद्यम, तकनीकी और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से हैं।

उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

"उगते सूरज की भूमि" की बेमिसाल सुंदरता में स्थित उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी) की स्थापना क्षेत्र में विकास के विभिन्न स्तरों पर चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से तकनीकी जनशक्ति का आधार बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग की एक पायलट परियोजना के रूप में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत 9 जुलाई 1983 को की गई थी। संस्थान का परिसर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी निर्जुली, ईटानगर में स्थित है और सड़क, हवाई और रेल मार्ग से गुवाहाटी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।

यह संस्थान 1 अप्रैल, 1994 से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा 31 मई, 2005 को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा –3 के तहत "समवत विश्वविद्यालय" का दर्जा दिया गया है।

संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल, पंजाब

1989 में भारत सरकार द्वारा स्थापित, संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश के व्यावसायिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। विभिन्न विषयों में सर्टिफिकेट से लेकर डॉक्टरेट तक के कार्यक्रमों के साथ, संस्थान इंजीनियरिंग पद्धति और दृष्टिकोण को विकसित करने जो स्नातकों को दुनिया में प्रवेश करने के दौरान रचनात्मक लेकिन व्यावहारिक परिणामों के साथ "वास्तविक दुनिया" की समस्याओं पर काम करने और उनसे निपटने में सक्षम बनाए इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों में मजबूती के साथ सभी स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाले लचीले इंजीनियरिंग कौशल का निर्माण करता है। छात्रों को कौशल से युक्त करने के दौरान, वैज्ञानिक और तकनीकी समझ और समस्या समाधान के लिए उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच सही संतुलन बनाए रखा जाता है। सैद्धांतिक समझ, रचनात्मकता और नवाचार, तकनीकी गहराई और व्यावसायिक कौशल के साथ–साथ संचार और बातचीत के विशेष कौशल, टीम वर्क और अंतर–विषयक कामकाज, योजना–लागत और एंटरप्रेन्योरियल सोच को उत्पन्न किया जाता है।

केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार

केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), कोकराझार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान है। संस्थान एक स्वायत्त निकाय है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है और जो इसके शासी बोर्ड (बीओजी) के निर्देशों के तहत कार्य करता है। सीआईटी असम के कोकराझार जिले में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के मुख्यालय के पास एक शांत परिदृश्य में स्थित है। सीआईटी की स्थापना निचले असम के स्थानीय लोगों की उनकी सांस्कृतिक पहचान, भाषा, शिक्षा और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास से संबंधित आकांक्षाओं को पूरा करने और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देने और स्थानीय लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु श्रमशक्ति का निर्माण करने के लिए स्थानीय युवाओं को आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के मूल उद्देश्य के साथ की गई थी।

सीआईटी की स्थापना 6 दिसंबर, 2006 को हुई थी। इस संस्थान की उत्पत्ति 10 फरवरी, 2003 को केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच हस्ताक्षरित बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) पर हुआ समझौता ज्ञापन (एमओएस) था। 13 दिसंबर, 2018 को इसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा "समवत विश्वविद्यालय संस्थान" के रूप में घोषित किया गया है।

गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी), मालदा

गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी), मालदा की शुरूआत एक बहुस्तरीय अंतर अनुशासनात्मक और अंतर–क्षेत्रीय कुशल पेशेवर तकनीकी श्रमशक्ति का निर्माण करने और शिक्षाविदों में तकनीकी क्षमता विकास और हस्तांतरण हेतु एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई है। मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में लचीले,

मॉड्यूलर, क्रेडिट आधारित बहु—बिंदु प्रवेश कार्यक्रम प्रदान करने और सभी कार्यक्रमों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रारंभिक उद्यमिता शुरू करके, छात्रों को स्व—रोजगार उद्यम शुरू करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी), बैंकॉक को सहायता

एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एआईटी) की स्थापना 1959 में सीटो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य सीटो सदस्य राज्यों की उन्नत तकनीकी शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करना था। 1967 में, सीटो ने संस्थान पर से अपना नियंत्रण छोड़ दिया और संस्थान का नाम बदलकर एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया गया और यह एक स्वायत्त संस्थान बन गया, जिसका प्रबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड को सौंपा गया। वर्तमान में बैंकॉक में भारत के राजदूत एआईटी, बैंकॉक के न्यासी बोर्ड के सदस्य हैं। संस्थान एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय स्नातकोत्तर संस्थान है जो इंजीनियरिंग, विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में उन्नत शिक्षा प्रदान करता है।

भारत सरकार विशेषज्ञता के चयनित क्षेत्रों में 16 सप्ताह की अवधि के लिए भारतीय संकाय के सेकेंडमेंट के माध्यम से एआईटी को सहायता प्रदान करती है और प्रति वर्ष दूसरे संकाय को प्रतिपूर्ति की जाती है। एआईटी के लिए वार्षिक बजट 50 लाख रुपये के रूप में रखा गया है जिसमें भारतीय उपकरण, किताबें और पत्रिकाओं की खरीद के लिए 3 लाख रुपये शामिल हैं।

कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज फॉर टेक्निशियन एजुकेशन (सीपीएससी), मनीला, फिलीपींस को सहायता

कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज फॉर टेक्निशियन एजुकेशन (सीपीएससी), मनीला कोलंबो योजना की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 5 दिसंबर, 1973 को वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में आयोजित कोलंबो योजना की 23वीं सलाहकार समिति की बैठक में की गई थी, ताकि कोलंबो योजना के सदस्य देशों को उनकी तकनीशियन शिक्षा प्रणालियों को विकसित और विस्तारित करने में उनकी सहायता की जा सके। इसने 1974 में सिंगापुर गणराज्य के साथ बारह वर्षों के लिए पहली मेजबान सरकार के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। 1986 में, सीपीएससी मनीला, फिलीपींस में स्थानांतरित हो गया। कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज एक अनूठा संगठन है, जो एशिया—प्रशांत क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार से संबंधित मुद्दों के लिए कार्य करने वाला एकमात्र क्षेत्रीय संस्थान है। स्टाफ कॉलेज का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में तकनीकी शिक्षक शिक्षकों और प्रशिक्षकों और वरिष्ठ कर्मचारियों जो सेवाकालीन प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास कार्यक्रम में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, की आवश्यकता को पूरा करके कोलंबो योजना क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है।

❖ ❖ ❖

08

प्रौद्योगिकी सक्षम अधिगम

प्रौद्योगिकी सक्षम अधिगम

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (आईसीटी)

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा संस्थानों में कभी भी कहीं भी मोड में सभी शिक्षात्त्थयों के लिए इंटरनेट/इंट्रानेट पर उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव ज्ञान मॉड्यूल प्रदान करने में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन' (एनएमईआईसीटी) योजना का संचालन कर रहा है। शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांत अर्थातपहुंच, समानता और गुणवत्ता कोसभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कनेक्टिविटी प्रदान करके और देश के सभी शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली ई–सामग्री निःशुल्क में प्रदान करके प्राप्त किया जाएगा। एनएमईआईसीटी में तीनों तत्व शामिल हैं।

मिशन के दो प्रमुख घटक हैं अर्थात : (क) ऑनलाइन शिक्षा और (ख) प्रचार–प्रसार जिसमें संस्थानों और शिक्षात्त्थयों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल है। यह उच्च शिक्षा क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण शिक्षकों/शिक्षात्त्थयों के बीच शिक्षण और सीखने के उद्देश्य से कंप्यूटिंग उपकरणों का उपयोग करने के लिए डिजिटल डिवाइड, यानी कौशल में अंतर को पाटने का प्रयास करता है और उन लोगों को सशक्त बनाता है, जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। यह राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल), ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकास, रोबोटिक्स, ई–लर्निंग के लिए उपयुक्त शिक्षाशास्त्र, आभासी प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने, ऑनलाइन परीक्षण और प्रमाणन, शिक्षात्त्थयों को मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए शिक्षकों की ऑनलाइन उपलब्धता, पाठ्यक्रमों के वितरण के लिए 24×7 आधार पर 32 डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) शैक्षिक चैनलों का शुभारंभ पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है।

एनएमईआईसीटी योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं ने कैसे साकार किया गया है:

वर्चुअल लैब्सः

वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट का विज़न प्रयोग करने, डेटा एकत्र करने और प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने के लिए प्रश्नों के उत्तर देने हेतु पूरी तरह से इंटरैक्टिव सिमुलेशन वातावरण विकसित करना है। इस तरह की महत्वाकांक्षी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, वास्तविक दुनिया के वातावरण और समस्या से निपटने की क्षमता बनाने के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक के साथ आभासी प्रयोगशालाओं को विकसित करना आवश्यक है। अन्य 10 संस्थानों के साथ समन्वयक संस्थान के रूप में आईआईटी दिल्ली इस पहल को अंजाम दे रहा है।

लगभग 120 ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जो 1200 से अधिक प्रयोगों के साथ काम कर रही हैं और देश में 25 लाख से अधिक छात्रों को लाभ हुआ है। लगभग 1100 कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को नोडल केंद्रों के रूप में नामांकित किया गया है और देश भर में लगभग 2500 कार्यशालाओं में भाग लिया है। कोविड–19 महामारी के दौरान दुनिया भर में 15 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने वर्चुअल लैब्स की वेबसाइट (www.vlab.co.in) देखी थी और 2 करोड़ से अधिक पेज व्यू दर्ज किए गए थे।

शोधशुद्धिः

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने शोध शुद्धि नामक अपनी पहल के अंतर्गत 01 सितंबर 2019 से संस्थानों में अकादमिक अखंडता को बढ़ाने और साहित्यिक चोरी पर भी अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय वित्त पोषण के माध्यम से भारत में केंद्रीय, राज्य, समवत और निजी विश्वविद्यालयों के साथ–साथ केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों

(सीएफटीआइ) सहित सभी विश्वविद्यालयों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर (पीडीएस) तक पहुंच प्रदान की है। यह कार्यक्रम माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिल्ली में सीएबीई बैठक के दौरान शुरू किया गया है और इनफ्लिबनेट केंद्र, गांधीनगर द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। प्रशासन अधिकारों के साथ विश्वविद्यालय समन्वयकों (यूसी) के लिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर केंद्र द्वारा पहचाने गए 1038 विश्वविद्यालयों/संस्थानों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर (पीडीएस) प्रदान किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मांग के आधार पर अपने स्वयं के उपयोगकर्ता बना सकते हैं। दिनांक 7.12.2020तक, इसकी स्थापना के बाद से 98613उपयोगकर्ताओं द्वारा साहित्यिक चोरी की जांच के लिए कुल 828381 दस्तावेज जमा किए गए हैं। 1 अप्रैल से 30 नवंबर 2020 तक मासिक औसत 53680 दस्तावेजों के साथ 4,83,126 दस्तावेज जमा किए गए।

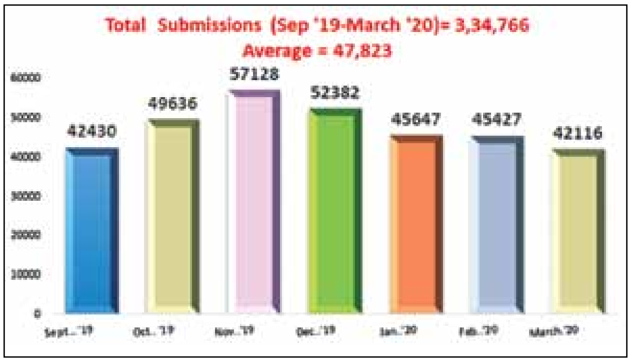

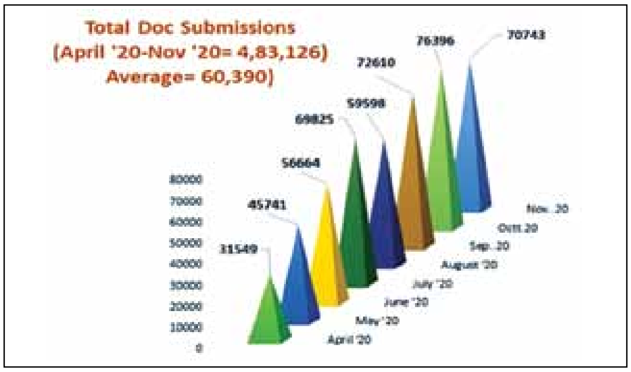

ई–यंत्रः

ई–यंत्र भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने के लिए आईआईटी बॉम्बे द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। यह परियोजना छात्रों को ई–यंत्र रोबोटिक्स प्रतियोगिता के माध्यम से रोबोटिक्स कौशल में प्रशिक्षित करती है, जहां पंजीकरण 2012 में 4500 से बढ़कर 2019 में 34500 हो गए हैं। ई–यंत्र इनोवेशन चैलेंज (ईवाईआईसी) छात्रों को नवाचार और उद्यमिता कौशल में प्रशिक्षित करता है। छात्रों को एक समस्या क्षेत्र दिया जाता है और समस्याओं को हल करने के लिए प्रस्तावों को स्पष्ट करना सिखाया जाता है। प्रतिस्पर्धा–घटना के माध्यम से रोबोट के साथ प्रायोगिक प्रयोगों में शिक्षकों और छात्रों की भागीदारी "स्थानीय व्यवधान के लिए छात्र नवप्रवर्तनकर्ता" के निर्माण का एक अभिनव तरीका है। ई–यंत्र कॉलेजों को रोबोटिक्स लैब/क्लब स्थापित करने में भी मदद करता है ताकि इसे उनके नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा सके। इस पहल से पूरे भारत में 2300 से अधिक कॉलेज लाभान्वित हुए हैं। लगभग 395 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और 7800 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण ऑनलाइन / ऑफलाइन कार्यशालाओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है जहां प्रतिभागियों को एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं। ई–यंत्र अपनी पहल में केवल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और टूल्स (www.e-yantra.org) का उपयोग करता है।

विज्ञान और इंजीनियरिंग में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग (एफओएसएसईई):

एफओएसएसईई (https://fossee.in) परियोजना का फोकस मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों में निःशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना, और वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर पर निर्भरता को कम करना है। यह कार्य स्थापित व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर के लिए अच्छे ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर विकल्पों की पहचान करके और उन्हें बढ़ावा देकर किया जाता है। एफओएसएसईई टीम विभिन्न सॉफ्टवेयर पर हजारों छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करती है, इस हद तक कि वे स्वयं उपयोगी कोड और सामग्री बना सकते हैं। यह ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर के लिए दस्तावेज़ीकरण की कमी की समस्या का समाधान करता है। इसके अलावा, यह प्रशिक्षण देश भर के विभिन्न कॉलेजों में उत्कृष्टता के क्षेत्र बनाने में मदद करता है। एफओएसएसईईकी लोकप्रिय गतिविधियाँ हैं पाठ्यपुस्तक साथी, लैब प्रवास, केस स्टडी, हैकाथॉन,

मैपथॉन, कार्यशालाएँ और सम्मेलन। एफओएसएसईई साइलैब, पायथन, डीडब्ल्यूएसआईएम, ओपनफ़ोम, ओपनमॉडलिकल, आर, क्यूजीआईएस, ई सिम, ओसदाग और आत्त्डनो को बढ़ावा देता है। महामारी के दौरान देश भर के कॉलेजों द्वारा इन संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है।

स्पोकन ट्यूटोरियल का अनुप्रयोग:

स्पोकन ट्यूटोरियल (https://spoken-tutorial.in) ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के आईसीटी प्रशिक्षण के लिए बनाया गया 10 मिनट लंबा ऑडियो–वीडियो ट्यूटोरियल है। ये ट्यूटोरियल स्व शिक्षण के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें हमारी सभी 22 भाषाओं (बोली जाने वाली संस्कृत सहित) में डब किया गया है, और ऑफ़लाइन उपयोग करने योग्य है।1,000 से अधिक स्पोकन ट्यूटोरियल हैं, और उनमें से 10,000 से अधिक डब किए गए संस्करण हैं, जो लगभग 75 विषयों को कवर करते हैं। इनमें सी/सी++, जावा, पीएचपी, लिनक्स, पर्ल, रूबी, साइलैब, पायथन, डीडब्ल्यूएसआईएम, ओपनफ़ोम, ओपनमॉडलिकल, आर, क्यूजीआईएस, ई सिम, ओसदाग और आत्त्डनो जैसे विषय शामिल हैं। शुरुआती लोगों के लिए भी विषय हैं, जिसके कुछ उदाहरण लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और कंप्यूटर से परिचय हैं। पिछले 7–8 वर्षों के दौरान, स्पोकन ट्यूटोरियल टीम ने 70 लाख छात्रों को प्रशिक्षित किया है।कोविड महामारी के दौरान स्पोकन ट्यूटोरियल्स का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल अब अन्य कौशलों तक विस्तारित हो गए हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय स्वास्थ्य और पोषण है। स्पोकन ट्यूटोरियल टीम ने 30,000 स्वास्थ्य कत्त्मयों, नर्सों, डॉक्टरों और माताओं को विशेष स्तनपान के बारे में प्रशिक्षित किया है।

स्वयम प्रभा– डीटीएच शैक्षिक चैनल:

स्वयम प्रभा 24×7 आधार पर देश भर में डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। यह सबसे अधिक लागत प्रभावी और समावेशी तरीके से ई–शिक्षा देने में सक्षम होगा।अंतरिक्ष विभाग ने इसके लिए दो जीसैट–15 ट्रांसपोंडर आवंटित किए हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 9–जुलाई–2017 को स्वयम प्रभा का शुभारंभ किया। दूरदर्शन (फ्री डिश) और डिश टीवी (ज़ी) की मुफ्त डीटीएच सेवा के ग्राहक एक ही सेट टॉप बॉक्स और टीवी का उपयोग करके इन शैक्षिक चैनलों को देख सकेंगे। कोई अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता नहीं होगी।

उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए स्वयम प्रभा पोर्टल (http://www.swayamprabha.gov.in/) है। यह पोर्टल सभी चैनलों की कार्यक्रम अनुसूची, प्रतिक्रिया, तंत्र, वीडियो का संग्रह और खोज और ब्राउज़ सुविधा प्रदान करता है।

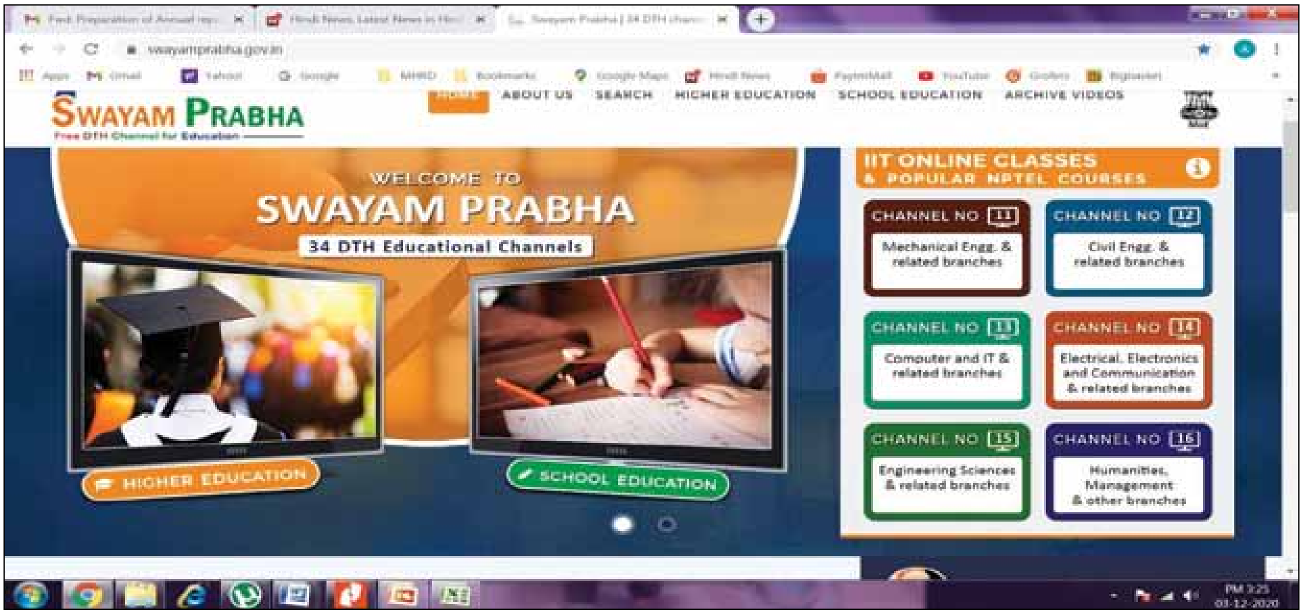

यह सामग्री शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न शिक्षा एजेंसियों जैसे सीईसी, इग्नू, आईआईटी, एनआईओएस और एनसीईआरटी द्वारा तैयार की जाती है।

34 डीटीएच चैनल निम्नलिखित को कवर करते हैं:

- 12 स्कूल शिक्षा चैनल कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षण सामग्री को कवर करते हैं।
- 22 उच्च शिक्षा चैनल कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विधि, चिकित्सा, कृषि, आदि जैसे विविध विषयों को कवर करते हुए स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर पाठ्यचर्या–आधारित पाठ्यक्रम सामग्री को कवर करते हैं।
- अधिकतर पाठ्यक्रम स्वयम– एमओओसी पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए विकसित किया जा रहा मंच के माध्यम से अपनी विस्तृत पेशकश में प्रमाणन– तैयार होंगे।
- 6 चैनल आईआईटी/एनपीटीईएल पाठ्यक्रमों के लिए आईआईटी प्रोफेसर द्वारा दिए गए व्याख्यानों का प्रसारण कर रहे हैं।
- आईआईटी पाल चैनल का उद्देश्य जेईई एडवांस के 'कठिन' सवालों के जवाब देने के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सोच और वैचारिक समझ को प्रोत्साहित करके आईआईटी में शामिल होने के इच्छुक कक्षा 11 और 12 में छात्र की सहायता करना है।
- कोविड–19 के प्रकोप के दौरान एनसीईआरटी और एनआईओएस द्वारा विषय वस्तु विशेषज्ञों के साथ लाइव इंटरैक्टिव कार्यक्रम शुरू किए गए थे।
- प्रत्येक दिन कम से कम (4) घंटे के लिए नई सामग्री होगी जिसे एक दिन में 5 बार दोहराया जाएगा, जिससे छात्र अपनी सुविधा के लिए समय चुन सकेगा।
- 3000 से अधिक संस्थानों ने स्वागत के लिए सुविधाएं स्थापित की।
- लगभग 38,000 घंटों के लगभग 57,000 अद्वितीय वीडियो प्रसारित किए जा चुके हैं।
- लगभग 9 लाख सब्सक्राइबर और यूट्यूब पर अभिलेखागार के लिए लगभग 4 करोड़ व्यूज़।

भारतीय अनुसंधान सूचना नेटवर्क प्रणाली (आईआरआईएनएस)

भारतीय अनुसंधान सूचना नेटवर्क प्रणाली (आईआरआईएनएस) आईसीटी–II के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (आईएनएफएलआईबीएनईटी) द्वारा विकसित वेब आधारित अनुसंधान सूचना प्रबंधन प्रणाली है। यह पोर्टल अकादमिक, अनुसंधान एवं विकास संगठनों और संकाय सदस्यों, वैज्ञानिकों को विद्वानों की संचार गतिविधियों को एकत्र करने, क्यूरेट करने और प्रदत्त्शत करने की सुविधा प्रदान करता है और विद्वानों के नेटवर्क बनाने का अवसर प्रदान करता है। आईआरआईएनएस भारत में शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए मुफ्त सॉफ्टवेयर–एज–सत्त्वस के रूप में उपलब्ध है। यह मौजूदा शैक्षणिक प्रणाली जैसे मानव संसाधन प्रणाली, अनुदान प्रबंधन प्रणाली, संस्थागत भंडार आदि को एकीकृत करने के लिए संगठन का समर्थन करेगा।इसे अकादमिक पहचान जैसे ओआरसीआईडी आईडी, स्कोपस आईडी, रिसर्च आईडी, माइक्रोसॉफ्ट अकादमिक आईडी, गूगलविद्वान आईडी के साथ विद्वानों के प्रकाशन और उद्धरण प्राप्त करने के लिए एकीकृत किया गया है। सोशल मीडिया मेट्रिक्स को पुनः प्राप्त करने के लिए सिस्टम को आल्टमेट्रिक्स के साथ एकीकृत किया गया है। आईआरआईएनएस अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपने शोध योगदान को साझा करने के लिए संकाय सदस्यों को विशेष रूप से रूबरू करता है और बहु–विषयक अनुसंधान के लिए अधिक सहयोगियों को लाता है और यह अनुसंधान मेटाडेटा गुणवत्ता में सुधार करता है और विभिन्न मूल्यांकन प्रणालियों के लिए दोहराए जाने वाले डेटा एंट्री को कम करता है। आईआरआईएनएस प्रशासक को अनुसंधान रिपोर्ट, प्रदर्शन मूल्यांकन बनाने और वित्त पोषण, संकाय मूल्यांकन और संसाधन आवंटन पर बेहतर निर्णय लेने के लिए अनुसंधान प्रगति का रणनीतिक विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है।

भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएलआई):

शिक्षा मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर अपने राष्ट्रीय मिशन के तहत भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएलआई) (https://ndl-iitkgp.ac.in; https://www/ndl/gov/in) परियोजना की सिंगल–विंडो सर्च/ब्राउज़ सुविधा के साथ अधिगम संसाधनों के वर्चुअल रिपोजिटरी की 24×7 सेवा विकसित करने के लिए 'वन लाइब्रेरी – ऑल ऑफ इंडिया' विज़न के साथ शुरुआत की।

इसकी औपचारिक रूप से श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा श्री महेश शर्मा, माननीय संस्कृति मंत्री और माननीय डॉ. सत्य पाल सिंह, शिक्षा राज्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में 19. 06. 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में शुरूआत की गई थी।

एनडीएलआईको आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है और यह एक राष्ट्रीय ज्ञान संपत्ति है जिसे देश की शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख प्रेरक शक्ति बनना चाहिए। यह परियोजना भौगोलिक और भाषा की बाधाओं को पार करते हुए संपूर्ण जनसंख्या के उपयोगकर्ताओं के विभिन्न समूहों को सिंगल–विंडो पहुंच प्रदान करने के लिए शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों/निकायों में मौजूदा डिजीटल और डिजिटल सामग्री को एकीकृत करती है।एनडीएलआईसामग्री का मेटाडेटा प्राप्त करता है और इन मेटाडेटा को एनडीएलआईसर्वर में संग्रहीत और अनुक्रमित करता है ताकि सभी ई–सामग्री को सिंगल–विंडो के माध्यम से उपयोगकर्ताओं द्वारा पूर्ण–पाठ में खोजा और एक्सेस किया जा सके। एनडीएलआई अपने सर्वर में वास्तविक (पूर्ण–पाठ) सामग्री संग्रहीत नहीं करता है; इसके बजाय यह उपयोगकर्ताओं को संबंधित सामग्री होस्टिंग साइटों के लिंक खोज परिणामों के हिस्से के रूप में देता है। उपयोगकर्ता इन लिंक्स पर क्लिक करके संबंधित सामग्री होस्टिंग साइटों से सामग्री का उपयोग करते हैं।

- एनडीएलआई वेबसाइट के साथ–साथ मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस) के रूप में उपलब्ध है और उमंग (नए जमाने के अभिशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन) के साथ एकीकृत है।
- यह स्कूली छात्रों, यूजी, पीजी छात्रों, शोधात्त्थयों और आजीवन शिक्षार्थियों के लिए है। इसमें सभी भारतीय भाषाओं और 300 से अधिक विदेशी भाषाओं में सामग्री शामिल है। यह सामग्री ई–पुस्तकों, ऑडियो पुस्तकों, व्याख्यान सामग्री, वीडियो व्याख्यान, पाठ्यक्रम, थीसिस, रिपोर्ट, लेख, जर्नल पेपर, प्रश्न पत्र, समाधान बैंकों, डेटा सेट और सिमुलेशन उपकरण के रूप में हैं। यह

सामग्री विज्ञान, इतिहास और भूगोल, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, साहित्य, ललित और सजावटी कला, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कानून और चिकित्सा जैसे सभी विषय क्षेत्रों को कवर करती है।

➢ अब तक, एनडीएलआई यूजर इंटरफेस 11 भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, मराठी, तमिल, कन्नड़ तेलुगु, मलयालम और असमिया) में उपलब्ध है।

➢ 330 संसाधनों से 400+ भाषाओं में 5.6 करोड़ सामग्री प्राप्त की।

1. सामग्री की मात्रा
   - i. सामग्री की कुल संख्याः 5.6 करोड़
   - ii. पूर्ण—पाठसुलभः
     - क) कुलः 4.25 करोड़
     - ख) मुक्त सामग्रीः 3.48 करोड़
     - ग) राष्ट्रीय लाइसेंस प्राप्त सामग्रीः 77 लाख
2. सामग्री स्रोतः 330 स्रोत
3. सामग्री प्रकार (पूर्ण—पाठसुलभ)
   - i. किताबः 62 लाख
   - ii. लेखः 2.03 करोड़
   - iii. जर्नल और कार्यवाहीः 4.66 लाख
   - iv. थीसिसः 7.15 लाख
   - v. प्रश्न, प्रश्न पत्र/सेट, प्रश्नोत्तरी, अभ्यास और समाधानः 1.40 लाख
   - vi. वीडियो लेक्चरः 4.70 लाख
   - vii. वेब कोर्सः 17 हजार
   - viii. सिमुलेशनः 7 हजार
   - ix. प्रस्तुतिः 2.04 लाख
   - x. अन्यः 1.02 करोड़
4. सामग्री विषय (कुल)
   - i. कंप्यूटर विज्ञान, सूचना और सामान्य कार्यः 1.3 करोड़
   - ii. इतिहास और भूगोलः 9.30 लाख
   - iii. भाषाः 1.47लाख
   - iv. साहित्य और साहित्य शास्त्रः8.27 लाख
   - v. प्राकृतिक विज्ञान और गणितः 90 लाख
   - vi. फिलॉसफी एंड साइकोलॉजीः 5.82 लाख
   - vii. धर्मः 2.23 लाख
   - viii. सामाजिक विज्ञानः 50 लाख
   - ix. प्रौद्योगिकीः 1.1 करोड़
   - x. कला और सजावट करनाः 6.82 लाख
5. सामग्री भाषा (कुल)
   - i. 400 भाषाओं में उपलब्ध सामग्री
   - ii. अंग्रेजीः 4.0 करोड़
   - iii. हिंदीः 75 हजार
   - iv. बंगालीः 1.64 लाख
   - v. तेलुगुः 20 हजार
   - vi. तमिलः 18 हजार
   - vii. मराठीः 10 हजार
   - viii. गुजरातीः 16 हजार
   - ix. कन्नड़ः 6126
   - x. मलयालमः 3596
   - xi. असमियाः 4596
   - xii. उड़ियाः 1691
   - xiii. संस्कृतः 34 हजार
   - xiv. उर्दूः 30 हजार
6. सामग्री प्रपत्र
   - i. मूल पाठ

ii. वीडियो

iii. चित्र

iv. ऑडियो

v. प्रस्तुति

vi. सिमुलेशन

vii. एनीमेशन

viii. आवेदन

- सभी सामग्री का 70% मुफ्त डाउनलोड करने योग्य है। बाकी प्रतिबंधित हैं या सदस्यता के लिए हैं।
- एनडीएलआईछात्रों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों, जो संकट को हैक करना चाहते हैं, के लिए राष्ट्रीय कोविड रिसर्च रिपॉजिटरी की मेजबानी करता है। इसमें कोविड–19 अनुसंधान के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, न केवल कोविड –19 अनुसंधान के जैविक, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलुओं, बल्कि कोविड–19–प्रेरित समस्याओं पर संसाधन, और जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित चुनौतियों और अवसरों को शामिल किया गया है। यह रिपॉजिटरी निम्नलिखित संग्रह के रूप में कोविड–19 अनुसंधान संसाधन प्रदान करती हैः
  - विद्वानों के प्रकाशन
  - डेटा सेट
  - दस्तावेज़ और वीडियो
  - पत्रिकाएं और सम्मेलन
  - विचार और फंडिंग
  - चुनौतियाँ और स्टार्टअप
- बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए अनुशंसित होने पर भी पंजीकरण/लॉगिन वैकल्पिक है। अधिकांश पूर्ण–पाठ सामग्री को बिना पंजीकरण/लॉगिन के देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।
- कुल पंजीकृत उपयोगकर्ताः 53 लाख
- सक्रिय पंजीकृत उपयोगकर्ताः 29 लाख
- औसत दैनिक हिटः 100,000
- महामारी की अवधि के दौरान देखी/डाउनलोड की गई सामग्रीः 2.5 करोड़
- सहभागी (उपयोगकर्ताओं से पंजीकृत) संस्थानः 15,000
- एनडीएलआई में एक अद्वितीय खोज सुविधा है, जहां उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक संसाधनों की उपलब्धता की सटीक जानकारी मिलेगी।
- एनडीएलआई ने अब तक कार्यशालाओं के माध्यम से आईडीआर स्थापित करने के लिए लगभग 1075 संस्थानों को कवर करते हुए लगभग 2000 पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षित किया है।
- एनडीएलआई एक पुस्तकालय है जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा और अनुसंधान में हर नागरिक को उस ज्ञान के साथ सक्षम बनाना है जो उन्हें खुद को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, पत्रिकाओं और 250+ अन्य प्रासंगिक भंडारों से सामग्री की ओर ले जाने वाले लिंक का एक संग्रह होने के कारण, एनडीएलआई निम्नलिखित के कारण भारत के लिए एक एकल ज्ञान पोर्टल बनने हेतु नियत हैः
  - एनडीएलआईके पास पहले से ही 80% एनएमईआईसीटी परियोजनाओं की एकीकृत सामग्री है
  - ई–पुस्तकों, वीडियो, ऑडियो के अलावा, एनडीएलआई के पास अन्य मदों का समृद्ध संग्रह है जैसे प्रश्न और समाधान, डेटासेट, सॉफ्टवेयर टूल, सिमुलेशन, एनीमेशन, प्रस्तुति, आदि।
  - एनडीएलआई में पहले से ही कीवर्ड खोज से परे एक उच्च गुणवत्ता वाला खोज एल्गोरिथम है और सर्च बहुत तेज है
  - एनडीएलआई का मेटाडेटा समृद्ध है और इस प्रकार एनडीएलआई उपयोगकर्ता–उन्मुख सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है जैसे संबंधित

सामग्री का आसान नेविगेशन (सामग्री सिलाई)

- एनडीएलआई ने बड़ी मात्रा में मेटाडेटा को क्यूरेटर की बेहतर उत्पादकता के साथ क्यूरेट करने के लिए वर्कफ़्लो और क्यूरेशन टूल विकसित किए हैं
- प्रौद्योगिकी पहले से ही अच्छी तरह से नित्त्मत है और इसे आसानी से पुनः उपयोग किया जा सकता है
- एनडीएलआई का उपयोग भारत में उपयोग के लिए कई वत्त्टकल डोमेन के उपयोग के लिए किया जा सकता है, जिसमें स्टील, टेक्सटाइल, पारंपरिक ज्ञान आदि जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
- एनडीएलआई के पास पहले से ही कंटेंट क्यूरेशन, सर्च टेक्नोलॉजी, सिस्टम मैनेजमेंट आदि सभी पहलुओं में विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह है।
- एनडीएलआई में केवल शिक्षा सामग्री के अलावा और भी बहुत कुछ है। इसमें सत्यजीत रे कलेक्शन, साउथ एशिया आर्काइव्स आदि जैसे विशेष आइटम हैं, जो सामाजिक विज्ञान से लेकर प्राचीन इतिहास तक के सभी प्रकार के शोधकर्ताओं के लिए हैं। भारत के लिए एक एकल डिजिटल पुस्तकालय सिर्फ डिग्री–उन्मुख लोगों के लिए नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए है।

एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी–समर्थ):

समर्थ eGov Suite एक विश्वविद्यालय सूचना प्रबंधन प्रणाली परियोजना है जिसे सूचना और संचार संस्थान (आईआईसी), दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के लिए एक स्वचालन इंजन को लागू करके वर्तमान शिक्षा प्रबंधन प्रणाली में क्रांति लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक आईसीटी पहल है।

वर्तमान में, समर्थ eGov Suite एक विश्वविद्यालय में परिचालन प्रक्रियाओं के स्वचालन की सुविधा के लिए 40 से अधिक मॉड्यूल प्रदान करता है। समर्थ ने विश्वविद्यालयों को कागजी और गैर–समान तृतीय पक्ष ईआरपी सिस्टम से एक ऐसी प्रणाली में स्थानांतरित करने में मदद की है जो यूजीसी दिशानिर्देशों के साथ अधिक मजबूत और सुगम है। समर्थ को पूरे भारत में कुल 29 विश्वविद्यालयों / एचईआई के लिए "सॉफ्टवेयर एज़ ए सत्त्वस (एसएएएस)" मॉडल पर लागू किया गया है। इनके अलावा, समर्थ को गैर–एसएएएस सेल्फ–होस्टेड और स्व–प्रबंधित आधार पर भी 20 टीईक्यूआईपी–3 संस्थानों को प्रदान किया गया है। इनके अलावा, कई राज्य और क्षेत्रीय विश्वविद्यालय भी समर्थम Gov Suite के कार्यान्वयन का अनुरोध करते रहे हैं।समर्थ पर सभी सीयू के 8000 से अधिक कर्मचारियों का पंजीयन किया जा चुका है। समर्थ ने विभिन्न शिक्षण और गैर–शिक्षण पदों के लिए नवीनतम यूजीसी और राज्य दिशानिर्देशों के अनुपालन में एचईआई को ऑनलाइन भर्ती करने में सक्षम बनाया है। समर्थ के माध्यम से प्रवेश के लिए 23 लाख से अधिक ऑनलाइन आवेदन संसाधित किए गए हैं।

समर्थ ने कोविड–19 महामारी के दौरान अधिगम समुदाय की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समर्थ परियोजना ने दिल्ली विश्वविद्यालय को जुलाई 2020 में 200+ कार्यक्रमों में 2.5 लाख से अधिक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए "नॉवेल" ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा और ऑनलाइन मूल्यांकन आयोजित करने में सक्षम बनाया। परीक्षा के ऑनलाइन मोड का चयन करने वाले सभी छात्रों के लिए ओबीई का दूसरा चक्र दिसंबर, 2020 में शुरू किया गया है। अधिगम समुदाय के विभिन्न हितधारकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) भी तैयार किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मार्च, 2021 तक कुल 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में समर्थ ई–गवर्नेंस के कार्यान्वयन का लक्ष्य निर्धारित है।

स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम):

'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स' (स्वयम) भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है और इसे शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों, पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी तक पहुँचाना है। स्वयम उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटना चाहता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए हैं।

यह एक स्वदेशी रूप से विकसित आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है, जो 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट–ग्रेजुएशन तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों की मेजबानी की सुविधा प्रदान करता है, जिसे कोई भी, कहीं भी, कभी भी एक्सेस कर सकता है। सभी पाठ्यक्रम इंटरैक्टिव हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं और निःशुल्क उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों को तैयार करने में देश भर से विशेष रूप से चुने गए 1,000 से अधिक शिक्षकों और संकाय ने भाग लिया है।

स्वयम पर होस्ट किए गए कोर्स 4 क्वाड्रंट में हैं – (1) वीडियो लेक्चर, (2) विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड/प्रिंट किया जा सकता है (3) परीक्षा और क्विज़ के माध्यम से स्व–मूल्यांकन परीक्षण और (4) संदेह स्पष्ट करने के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच । ऑडियो–वीडियो और मल्टी–मीडिया और अत्याधुनिक शिक्षाशास्त्र/प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए कदम उठाए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन और वितरण किया जाता है, 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। वे हैं, स्नातकोत्तर गैर इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए यूजीसी, अंडर–ग्रेजुएट गैर इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए सीईसी, इंजीनियरिंग के लिए एनपीटीईएल, स्कूल शिक्षा के लिए एनसीईआरटी और एनआईओएस, सर्त्टफिकेट और डिप्लोमा के लिए इग्नू, प्रबंधन अध्ययन के लिए आईआईएम बैंगलोर, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एनआईटीटीटीआर और स्व–गति पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई, और विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा अत्त्पत पाठ्यक्रम। हाल ही में एनआईटी त्रिची को इंजीनियरिंग के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में जोड़ा गया है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से 09.07.2017 को स्वयम की शुरुआत की गई थी। अब तक, स्वयम के माध्यम से कुल 4964 पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई है और जनवरी 2021 सेमेस्टर में लगभग 757 पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाएगी। स्वयमप्लेट फॉर्म पर लगभग 59.51 लाख (59,51,571) अद्वितीय उपयोगकर्ता / पंजीकरण किए गए हैं और स्वयमके विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 1.91 करोड़ (1,91,09,035) नामांकन किए गए हैं। एआईसीटीई और यूजीसी द्वारा आवश्यक विनियमों से क्रेडिट ट्रांसफर (अधिकतम 40% तक) की रूपरेखा तैयार की गई है। इससे पारंपरिक संस्थानों/कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र स्वयम पाठ्यक्रमों के माध्यम से अत्तजत क्रेडिट को अपने अकादमिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर सकते हैं। लगभग 145 संस्थानों/विश्वविद्यालयों ने क्रेडिट ट्रांसफर के लिए स्वयम पाठ्यक्रम को मान्यता दी है और कई अन्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं।

हाल ही में पंजीकृत छात्र क्रेडिट ट्रांसफर के लिए 29 से 30 सितंबर 2020 को सीईसी/आईआईएमबी/इग्नू/एनआईटीटीटीआरके 169 पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित स्वयमपरीक्षा में शामिल हुए थे। 40% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

स्वयम के माध्यम से संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) भी विकसित किया जा रहा है। स्वयम के माध्यम से वितरित एनआईओएस के डीईआईईडी कार्यक्रम के तहत पंद्रह लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। सरकार ने शिक्षण में वात्तक पुनश्चर्या कार्यक्रम (एआरपीआईटी) शुरू किया है, जो स्वयम के एमओओसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए 15 लाख उच्च शिक्षा संकाय के ऑनलाइन व्यावसायिक विकास की एक प्रमुख और अनूठी पहल है। कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से स्वयम पर जागरूकता पैदा करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थानों में लगभग 3,800 स्थानीय केंद्र बनाए गए हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने स्वयम पोर्टल के माध्यम से अखिल अफ्रीकी छात्रों को पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली ई–वीबीएबी (ई–विद्या भारती आरोग्य भारती) परियोजना को सक्षम करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ भी करार किया है।

शिक्षा मंत्रालय ने 15.03.2019 को आईआईटीएम, चेन्नई में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्वयम चरण–II के तहत, वीडियो के ट्रांसक्रिप्शन सहित कुछ एमओओसी सामग्री का 10 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, ताकि शिक्षार्थी अपनी पसंद की भाषा का चयन कर सकें और अपनी स्थानीय भाषा में बेहतर तरीके से पाठ्यक्रम सीख सकें।

स्वयमपर दिए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल डिवाइड को कम करने जा रहे हैं। यह एक विघटनकारी तकनीक साबित होगी और उच्च शिक्षा के वर्तमान व्यवसाय मॉडल को बदल देगी। चूंकि स्वयम पर एमओओसी पारंपरिक शिक्षा के साथ एकीकृत है, यह आने वाले दिनों में सीखने के जबरदस्त अवसर लाएगा और शिक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगा।

ई–शोध सिंधुका आईएनएफएलआईबीएनईटी केंद्रः

ई–शोध सिंधु उच्च शिक्षा ई–संसाधनों के लिए एक संग्रह है जो शैक्षणिक संस्थानों को सदस्यता की कम दर पर पूर्ण–पाठ, ग्रंथ सूची और तथ्यात्मक डेटाबेस सहित गुणात्मक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। ई–शोध सिंधु के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं: –

- ई–शोधसिंघु की स्थापनाः शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और गतिविधियों को बढ़ाने और मजबूत करने के उच्च शिक्षा ई–संसाधनों के लिए संग्रह –वित्तपोषित संग्रह;
- सतत पहुंच के आधार पर ई–जर्नल्स, ई–जर्नल अभिलेखों और ई–पुस्तकों का एक शानदार संग्रह विकसित करना;
- जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में सदस्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में ई–संसाधनों के उपयोग की निगरानी और बढ़ावा देना;
- सभी शैक्षणिक संस्थानों को सदस्यता–आधारित विद्वतापूर्ण जानकारी (ई–पुस्तकें और ई–पत्रिकाओं) तक पहुंच प्रदान करना;
- विषय पोर्टल्स और विषय गेटवे के माध्यम से ओपन एक्सेस में उपलब्ध विद्वतापूर्ण सामग्री तक पहुंच प्रदान करना;
- डिजिटल विभाजन को पाटना और सूचना–समृद्ध समाज की ओर बढ़ना;
- मुक्त विश्वविद्यालयों और शिक्षा मंत्रालय– वित्त पोषित संस्थानों सहित अतिरिक्त संस्थानों को चयनित ई–संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना जो मौजूदा संग्रह के अंतर्गत शामिल नहीं हैं;
- अतिरिक्त गतिविधियों और सेवाओं जिनके लिए सहयोगी मंच की आवश्यकता होती है और मौजूदा संग्रह द्वारा निष्पादित नहीं की जा रही हैं, को शुरू करना; तथा
- इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों के साथ एक प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना।

आईएनएफएलआईबीएनईटी केंद्र को ई–शोध सिंधु के निष्पादन और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ई–शोध सिंधु, यूजीसी अधिनियम की धारा 12(ख) और 2(च) के तहत कवर किए गए 217 से अधिक विश्वविद्यालयों और 3,200+ और कॉलेजों और आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, आईआईआईटी आदि सहित 97 केंद्र–वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) की सेवा करना जारी रखेगा। वर्ष 2020 के लिए, कंसोर्टियम ने ई–शोध सिंधु पोर्टल के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पंजीकृत करने वाले पात्र विश्वविद्यालयों/सीएफटीआई के लिए केंद्रीय वित्त पोषण के माध्यम से 22 संसाधनों (10000+ पत्रिकाओं और

चार डेटाबेस सहित) की सदस्यता ली, शेष संसाधनों को व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा अपने स्वयं के धन का उपयोग करके कंसोर्टियम द्वारा बातचीत की गई दरों पर सब्सक्राइब किया जा सकता है। कंसोर्टियम ने मुक्त मॉडल में 120+ संसाधनों के लिए सदस्यता की दरों पर बातचीत की। कंसोर्टियम के कॉलेज घटक, जिसे एन–लिस्ट कहा जाता है, ने एन–लिस्ट कार्यक्रम के तहत 3200+ से अधिक कॉलेजों को 6,500+ पत्रिकाओं और 1,64,000+ ई–पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करना जारी रखा। कंसोर्टियम एआईसीटीई से वित्त पोषण के साथ 89 संस्थानों को तीन ई–संसाधनों, नामतः एएससीई, एएसएमई, बेंथम फार्मेसी तक पहुंच प्रदान करता है।

ई–शोध सिंधु (ईएसएस) ने ई–संसाधनों तक निर्बाध पहुंच की सुविधा के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को और एकीकृत किया है जैसे:

क) आईएनएफएलआईबीएनईटी एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन (आईएनएफईडी)– शिबोलेथ प्रमाणीकरण और उपयोगकर्ताओं को प्राधिकृत करना।

ख) इनफिस्टेट– सब्स्क्राइब्ड ई–संसाधनों के लिए काउंटर अनुपालक उपयोग।

ग) दस्तावेज़ वितरण सेवा (डीडीएस), मेटा हार्वेस्टिंग और डिस्कवरी सेवाओं (डीएस) के लिए जीगेटप्लस।

❖ ❖ ❖

09

दूरस्थ शिक्षा

दूरस्थ शिक्षा

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की स्थापना 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा समाज के सभी वर्गों को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई थी। विश्वविद्यालय विभिन्न स्तरों पर नवीन और आवश्यकता–आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालयशिक्षा के लोकतंत्रीकरणके लिए इसे समावेशी बनाकर तथा देश के सभी हिस्सों में समाज के वंचित और हाशिए पर रह रहे वर्गों तक सस्ती कीमत पर पहुँच प्रदान करता है। इग्नू एक लचीला और अभिनव शिक्षण दृष्टिकोण अपनाकर उच्च शिक्षा के अवसरों का लगातार विस्तार कर रहा है जो शिक्षार्थियों को शिक्षा से काम की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसके विपरीत, देश की विविध आवश्यकताओं के अनुकूल है, और पूरी क्षमता के साथ मानव संसाधन का उपयोग करने और जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने की आवश्यकता है। इग्नू को जून 2019 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 और जनवरी, 2020 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम, 2018 से छूट दी गई है। इन छूटों के साथ, विश्वविद्यालय डिजाइन और सीखने के वितरण में और अनुमोदन में देरी को समाप्त करके ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल स्थापित उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सक्षम हुआ है।

विश्वविद्यालय में 254 शिक्षक, 233 शिक्षाविद, 382 तकनीकी और 882 प्रशासनिक कर्मचारी हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 30.0 करोड़रुपये के साथ रिपोर्ट की गई अवधि में एचईएफए ऋण के माध्यम से अतिरिक्त 130.0 करोड़ के अनुदान को मंजूरी दी है।

इग्नू 21 स्कूल ऑफ स्टडीज के माध्यम से डॉक्टरेट, मास्टर, स्नातक, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर पर 262 शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है।

जनवरी 2020 प्रवेश चक्र में शुरू किए गए शैक्षणिक कार्यक्रमः

क) कला में स्नातकोत्तर (पत्रकारिता और जनसंचार);

ख) बिजनेस प्रशासन मे स्नातक (सेवा प्रबंधन);

ग) बी.ए. (व्यावसायिक अध्ययन) पर्यटन प्रबंधन;

घ) कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;

ङ) शांति अध्ययन और संघर्ष प्रबंधन में प्रमाणपत्र;

च) सीबीआरएनई आपदाओं के चिकित्सा प्रबंधन में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र;

क्रेडिट आधारित विकल्प प्रणाली (यूजीसी) के तहत शैक्षणिक कार्यक्रम

क) बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र

ख) बीए (ऑनर्स) इतिहास

ग) बीए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान

घ) बीए (ऑनर्स) मनोविज्ञान

ङ) बीए (ऑनर्स) लोक प्रशासन

च) बीए (ऑनर्स) समाजशास्त्र

छ) विज्ञान स्नातक (ऑनर्स) (मानव विज्ञान)

ज) बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी

झ) बीए (ऑनर्स) हिंदी

विश्वविद्यालय ने जनवरी 2020 के प्रवेश चक्र से पहली बार ऑनलाइन मोड के माध्यम से निम्नलिखित प्रमाणपत्र स्तर के शैक्षणिक कार्यक्रम भी शुरू किए:

क) अरबी में प्रमाणपत्र,

ख) रूसी में प्रमाण पत्र और

ग) पर्यटन अध्ययन में प्रमाण पत्र.

जुलाई 2020 में ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रवेश सत्र में शुरू किए गए शैक्षणिक कार्यक्रम

क) गांधी और शांति अध्ययन में एमए

ख) अनुवाद अध्ययन में एमए

ग) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रमाण पत्र

विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए दो वार्षिक अकादमिक चक्रों का अनुसरण करता है, जो जनवरी से दिसंबर और जुलाई से अगले जून तक हैं। प्रवेश के लिए क्षेत्रीय केंद्र नोडल बिंदु हैं। जनवरी 2020 और जुलाई 2020 में नामांकन की संख्या 12,16,752 थी; जिनमें से 50.2% छात्राएं थीं, 17.8% अनुसूचित जाति, 13.1% अनुसूचित जनजाति, और 18.3% छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में 3.3 मिलियन से अधिक छात्र ऑन—रोल हैं। जीईआर को बेहतर बनाने हेतु उच्च शिक्षा में प्रवेश की मात्रा स्पष्ट रूप से इग्नू के योगदान के बारे में बताती है। विश्वविद्यालय को छात्रों को अधिगम प्रदान करने और मूल्यांकन के प्रदर्शन के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इग्नू छात्रों को तीन स्तरीय छात्र सहायता नेटवर्क के माध्यम से अकादमिक सहायता प्रदान करता है जिसमें नई दिल्ली में मुख्यालय, दूसरे स्तर पर 67 क्षेत्रीय केंद्र (आरसी) (पूर्वोत्तर राज्यों में 9 आरसी, शेष भारत में 47 आरसी, 11 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्र शामिल हैं। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और असम राइफल्स (भारतीय सेना में छह, भारतीय नौसेना में चार और असम राइफल्स में एक) के सहयोग से स्थापित, और तीसरे स्तर पर देश भर में फैले 3,598 लर्नर सहायता केंद्र(एलएससी), जिनमें से रिपोर्ट की गई अवधि में 58 एलएससी स्थापित किए गए थे। एलएससी मौजूदा अकादमिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण और उद्योग में स्थापित हैं। इग्नू ने समाज के वंचित और वंचित वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष एलएससी की स्थापना की। रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष में हाशिए पर रहने वाले समुदाय की समावेशिता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय ने 6 नए विशेष एलएससी की स्थापना की; देश भर में फैले विशेष अध्ययन केंद्रों की कुल संख्या लगभग 497 है, जिनमें से 171 जेल परिसर के अंदर, 152 दूरदराज के इलाकों में, 49 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए और 44 अल्पसंख्यक के लिए हैं। एलएससी से जुड़े लगभग 42,915 अंशकालिक परामर्शदाताओं के माध्यम से व्यक्तिगत छात्र को परामर्श और अकादमिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें से रिपोर्ट की गई अवधि में 7530नए जुड़े थे। विश्वविद्यालय ने कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन परामर्श प्रदान करने के लिए 7211 शैक्षणिक परामर्शदाताओं को सूचीबद्ध किया। विश्वविद्यालय ने इस कठिन समय के दौरान अपने छात्रों को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी—सक्षम उपकरणों और तकनीकों का इष्टतम उपयोग किया। व्यक्तिगत छात्र को परामर्श और शैक्षणिक सहायता एलएससी में लगे लगभग 42,915 अंशकालिक परामर्शदाताओं के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिनमें से 7530 रिपोर्ट की गई अवधि में नए नियुक्त किए गए थे। विश्वविद्यालय ने कोविडमहामारी के दौरान ऑनलाइन परामर्श प्रदान करने के लिए 7211 शैक्षणिक परामर्शदाताओं को सूचीबद्ध किया। विश्वविद्यालय ने इस कठिन समय के दौरान अपने छात्रों को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी—सक्षम उपकरणों और तकनीकों का इष्टतम उपयोग किया। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल मीट जूम का व्यापक रूप से अकादमिक सत्र आयोजित करने के लिए उपयोग किया गया था। विश्वविद्यालय ने कोविड महामारी के दौरान 39336 वेब परामर्श सत्र आयोजित किए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्देशित "दीक्षारम्भः छात्र प्रेरण कार्यक्रम" प्रकाशित किया। रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान 262 अकादमिक कार्यक्रमों में पंजीकृत 13.5 लाख छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय ने अध्ययन सामग्री के 296 लाख ब्लॉक प्रकाशित किए हैं। छात्रों को गुणवत्ता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए मुद्रित सामग्री के

उत्पादन और वितरण की बारीकी से निगरानी की जाती है। विश्वविद्यालय डिजिटल पहल को बढ़ावा देने और कागज के उपयोग को कम करने के लिए डिजिटल एसएलएम चुनने वाले छात्रों के लिए शुल्क में 15% की छूट देता है। सत्रांत परीक्षा (टीईई) के रूप में छात्रों के प्रदर्शन का योगात्मक असाइनमेंट साल में दो बार जून और दिसंबर के महीनों में आयोजित किया जाता है। कोविडमहामारी के कारण जून 2020 में आयोजितकी जाने वाली सत्रांत परीक्षा को अक्टूबर 2020 में पुनर्निर्धारित किया गया था, विश्वविद्यालय ने शिक्षा मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोगों द्वारा निर्देशित कोविड के खिलाफ सभी आवश्यक सावधनियाँ और उपाय किए और देश भर में परीक्षा आयोजित की, 3.6 लाख से अधिक छात्रों ने 720 परीक्षा केंद्रों में 1,212 पाठ्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें 55 जेल केंद्रों की एक बड़ी संख्या शामिल थी। दिसंबर 2020 का टीईई अंतरिम रूप से फरवरी 2021 में आयोजित होने वाला है। विश्वविद्यालय ने जून 2020 की परीक्षा में 20.3 लाख से अधिक असाइनमेंट और 24.2 हजार परियोजनाओं का समय पर मूल्यांकन भी किया। माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" ने 17 फरवरी 2020 को आयोजित विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। दीक्षांत समारोह के दौरान भारत और विदेशों के सभी क्षेत्रों में फैले 2,31,622 सफल शिक्षार्थियों को डिग्री/डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान किए गए; 91,588 (39.5%) के साथ मास्टर्स सबसे बड़ी संख्या में है, इसके बाद स्नातक 81,403 (35.1%), डिप्लोमा 41275 (17.8%), 17,253 प्रमाण पत्र (7.4%), 13एम.फिल. और 90पीएच.डी. अवार्डी हैं।

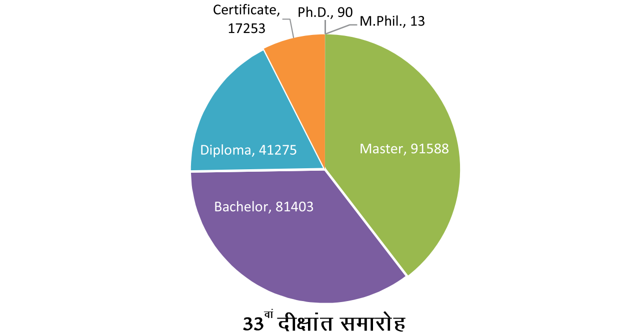

33वें दीक्षांत समारोह में डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र प्रदान किए गए छात्रों की संख्या

विश्वविद्यालय के पुस्तकालय संग्रह में मुख्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 1.54 लाख मुद्रित पुस्तकें और क्षेत्रीय केंद्रों और एलएससी में स्थित पुस्तकालयों में 2.51 लाख मुद्रित पुस्तकें शामिल हैं। विश्वविद्यालय ई–शोध सिंधु का मुख्य सदस्य है और इसकी 7.9 हजार पत्रिकाओं और 1.7 हजार किताबों की डिजिटल रूप में दूरस्थ पहुंच है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, शिक्षा मंत्रालय की एक परियोजना के साथ भी सहयोग किया है, जो सभी क्षेत्रों और आयु के छात्रों के लिए एक साझा मंच पर डिजिटल शिक्षा सामग्री तक पहुंचने के लिए ज्ञान का आधार निर्मित करता है। विश्वविद्यालय को 2019 में राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी से 2 डेटाबेस की मुफ्त पहुँच प्राप्त हुई है। ई–संसाधन (ई–जर्नल्स/ई–किताबें) 2,460 उपयोगकर्ताओं के लिए दूरस्थ रूप से सुलभ हैं, जिनमें मुख्यालय, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों में फैले अनुसंधान विद्वान, कर्मचारी और संकाय शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने यूजीसी के इनफ्लिबनेट केंद्र के शोधगंगा पोर्टल पर 35 शोध प्रबंध अपलोड किए।

मल्टीमीडिया, ज्ञान वाणी और ज्ञान दर्शन

विश्वविद्यालय पूरे देश में फैले ज्ञान दर्शन (जीडी) शिक्षा टीवी चैनल और ज्ञान वाणी (जीवी) एफएम शिक्षा रेडियो स्टेशनों के प्रबंधन के लिए नोडल केंद्र है। ज्ञान दर्शन और ज्ञान वाणी का प्रबंधन अन्य शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से किया जाता है। भारत के पहले शैक्षिक टीवी चैनल, ज्ञान दर्शन ने अपने संचालन के 20 साल पूरे कर लिए हैं। ज्ञान दर्शन अब स्वयं प्रभा का हिस्सा है और इसे शिक्षा मंत्रालय चैनल नंबर 25. पर देखा जा सकता है। जीडी पर प्रसारित कार्यक्रमों को एनसीईआरटीके केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, एनआईओएस, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, सीईसी (यूजीसी), डीएसटी, डीएई (प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय), एनएलएम (राष्ट्रीय साक्षरता मिशन) एनआईटीटीआर, बीआरएओयू और भारत सरकार के मंत्रालय जैसे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों से एकत्र किया गया था। ऑडियो/वीडियो शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को मल्टीमीडिया सहायता प्रदान की

जाती है।रिपोर्ट कीगई अवधि के दौरान विश्वविद्यालय ने 164 नए ऑडियो कार्यक्रम और 80 नए वीडियो कार्यक्रम विकसित किए, इसके अलावा ज्ञान दर्शन चैनल ने 8244 घंटे के रिकॉर्ड किए गए शैक्षिक कार्यक्रमों और 516 घंटे के लाइव सत्रों का प्रसारण किया। विश्वविद्यालय ने दिल्ली में ज्ञान वाणी स्टेशन पर इंटरएक्टिव रेडियो परामर्श (आईआरसी) के 1471 सत्र और 140 विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया।जीवी रेडियो का प्रसारण 01 सितंबर को पटना स्टेशन पर और 21 सितंबर 2020 को तिरुवनंतपुरम में फिर से शुरू किया गया था। ट्रांसमिशन पहले ही 16 शहरों में शुरू हो चुका था, इसलिए आज की तारीख में 18 शहरों से ज्ञान वाणी रेडियो प्रसारित किया जाता है।

व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना

विश्वविद्यालय विभिन्न व्यावसायिक और कौशल क्षेत्रों में सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। ये कार्यक्रम नियोजित छात्रों के साथ–साथ नयी नौकरी प्राप्त करने वालों के ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए लाभदायक हैं। विश्वविद्यालय उद्योगों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ संबंधों को मजबूत करने को प्राथमिकता देता है। विश्वविद्यालय समय–समय पर अकादमिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की समीक्षा करता है और उन्हे अद्यतन करता है तथा उद्योगों और नौकरी बाजार के बदलते ज्ञान और कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए अकादमिक कार्यक्रम प्रस्तावित करता है। विश्वविद्यालय ने सशस्त्र बलों, पैरामेडिकल बलों और नागरिकों के लिए विशेष तकनीकी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के विकास औरप्रस्ताव के लिए आईएनएमएस, डीआरडीओके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; विश्वविद्यालय ने इस पहल के अंतर्गत जनवरी 2020 के प्रवेश सत्र में रासायनिक, जैविक रेडियोलॉजिकल परमाणु और विस्फोटक चिकित्सा प्रबंधन में स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट लॉन्च किया।विश्वविद्यालय ने उसी प्रवेश सत्र में नया कार्यक्रम यानी डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस शुरू किया। विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति और व्यावसायिक शिक्षा पर सीबीएसई, पीएसएससीआईवीई (एनसीईआरटी), एनआईटीटीआरऔर एसएससीके बाहरी विशेषज्ञों के साथ वेबिनार का आयोजन किया।विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा पर पांच दिनों का एक संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किया।विश्वविद्यालय ने गांधी स्मृति और दर्शन समिति के सहयोग से "समकालीन विश्व में गांधी की प्रासंगिकता" पर एक प्रशंसा प्रमाणपत्र कार्यक्रम विकसित किया। यह पाठ्यक्रम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आईजीओटी (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) कार्यक्रम के माध्यम से माननीय डॉ जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 जनवरी, 2020 को शुरू किया गया हैताकि सरकारी अधिकारियों के लिए फ्लेक्सिटाइम आधार पर ऑनलाइन मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण को बढ़ाया जा सके।यह पाठ्यक्रम सभी आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए उपलब्ध है। विश्वविद्यालय ने हथकरघा, कपड़ा और हस्तशिल्प विभाग, ओडिशा सरकार और राज्य कला और शिल्प विकास संस्थान (एसआईडीएसी), ओडिशा सरकार (एचटी एंड एचडी) के साथ कलाकारों और बुनकरों के कौशल उन्नयन के लिए 05 अगस्त 2019 को एक समझौता ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए। विश्वविद्यालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संकल्प (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता) परियोजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण और कौशल विकास में भी सक्रिय रूप से कार्यरत है।

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का क्षमता निर्माण

विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा स्टाफ प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र (स्ट्राइड) राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जो ओडीएल संस्थानों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण में संलग्न है। शिक्षा के विशिष्ट स्कूलों और विश्वविद्यालय की अन्य अकादमिक/अनुसंधान इकाइयों द्वारा नियमित रूप से अनुशासन विशिष्ट कार्यशाला और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। कोविडमहामारी के दौरान, विश्वविद्यालय

ने अकादमिक कार्यक्रमों के डिजाइन और वितरण में आईसीटी/वेब उपकरणों के अभिनव उपयोग के लिए संकाय सदस्यों को सशक्त बनाने हेतु क्षमता विकास कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने के लिए ऑनलाइन मोड का अधिग्रहण किया। विश्वविद्यालय ने कोविड–19 महामारी के दौरान वर्चुअल मोड में कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों/सेमिनारों की श्रृंखला आयोजित की। विश्वविद्यालय ने ओडीएल प्रणाली और अनुसंधान पद्धतियों पर प्रणालीगत अनुसंधान में ज्ञान को अद्यतन करने के लिए 21 दिन की अवधि के दो संकाय विकास कार्यक्रम, सात दिन की अवधि के एक संकाय विकास कार्यक्रम और प्रत्येक पांच दिन की अवधि के चार संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किए ।इन कार्यक्रमों के अलावा; विश्वविद्यालय ने ओडीएल प्रणाली के तहत क्षमता निर्माण और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर वेबिनार की एक श्रृंखला भी आयोजित की। विश्वविद्यालय ने बातचीत और भागीदारी के माध्यम से निरंतर संकाय विकास के लिए एक आभासी प्रशिक्षण लाउंज (वीटीएल) विकसित किया। विश्वविद्यालय ने अपने क्षेत्रीय केंद्रों के समर्थन से अकादमिक परामर्शदाताओं के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों की श्रृंखला; वर्चुअल मोड में एलएससी के कर्मचारियों के लिए समन्वयक बैठकें और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए।

सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण :

विश्वविद्यालय ने जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), जम्मू सरकार के साथ जम्मू और श्रीनगर में स्थित अपने क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत जम्मू–कश्मीर राज्य के 19,909 सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उन्हें बी.एड कार्यक्रम प्रस्तावित करते हुये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विश्वविद्यालय ने इस पहल के अंतर्गत सहायता सेवाओं की पेशकश हेतु परियोजना मोड में 109 एलएससी की स्थापना की।

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की समावेशिता

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) जेंडरस मानता और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए सक्रिय प्रयास/कदम उठा रहा है। विश्वविद्यालय ने महिलाओं के लिए विशेष लर्नर सहायता केंद्रों (एलएससी) का एक नेटवर्क स्थापित किया है। वर्तमान में, विश्वविद्यालय में विशेष रूप से महिलाओं के लिए 26 एलएससी हैं।

स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज (एसओजीडीएस) का उद्देश्य अनुसंधान, अकादमिक कार्यक्रमों और महिलाओं और लैंगिक शिक्षाके क्षेत्र में प्रशिक्षणके साथ–साथ जेंडर और विकास शिक्षा के माध्यम से लैंगिक न्याय और समानता प्राप्त करना है। जेंडर और विकास अध्ययन से जुड़ा अनुसंधान मौजूदा जेंडर अंतर की जांच करता है और लिंग असमानता के मुद्दे को संबोधित करता है। महिला और जेंडर अध्ययन समाज में महिलाओं और अन्य जेंडर की स्थिति का विश्लेषण करते हैं जिसका उद्देश्य उन कारकों की गहरी वैचारिक समझ को बढ़ावा देना है जो समाज में उनकी स्थिति का निर्धारण करते हैं और सिद्धांत, महत्वपूर्ण विश्लेषण, अभ्यास, अनुसंधान और अभ्यास के माध्यम से इनका निवारण करते हैं। एसओजीडीएस दो स्नातकोत्तर कार्यक्रम के अलावा "महिला अध्ययन" और "जेंडर और विकास अध्ययन" में दो शोध कार्यक्रम (पीएचडी) प्रदान करता है; स्नातक उपाधि (बीए, बीकॉम और बीएससी) में वैकल्पिक पाठ्यक्रम और लिंग और विकास शिक्षा के अनुशासन में दो डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम। विश्वविद्यालय भोजन और पोषण, ग्रामीण विकास, सामाजिक कार्य और कृषि में अल्पकालिक व्यावसायिक और जागरूकता ज्ञान कार्यक्रम भी प्रदान करता है, इन शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य समूह महिलाएं हैं। स्कूल मौजूदा कार्यक्रमों से प्राप्त अभिनव ऑनलाइन (मिश्रित) कार्यक्रमों/पैकेजों/मॉड्यूल और जेंडर संवेदीकरण में नए कुशल आधारित (प्रैक्सिस) मॉड्यूल/पहलों के माध्यम से प्रौद्योगिकी–सक्षम शिक्षण/प्रशिक्षण पहल की परिकल्पना करता है। सीखने/प्रशिक्षण की पहल का विस्तार, शिक्षण सामग्री का डिजिटली करण, चर्चा मंच और इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री का प्रावधान कोविडमहामारी के दौरान प्रमुख क्षेत्रों का गठन

करेगा।. विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से सीमित नामांकन वाले क्षेत्रों मेंजेंडर और विकास अनुशासन में अकादमिक कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए वेब सक्षम प्रणाली की शुरुआत कीताकि दूरस्थ क्षेत्रों के शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक समर्थन प्राप्त हो सके। महिलाओं और लिंग अध्ययन के क्षेत्र में पुस्तकों, दस्तावेजों, ई–संसाधनों, मोनोग्राफ, रिपोर्ट और ऑडियो–विजुअल सामग्री की एक सूची बनाने के लिए विश्वविद्यालय ने एक महिला और जेंडर संसाधन (वाईएनजीएस) स्पेस बनाया है। विश्वविद्यालय ने वर्तमान महामारी के दौरान महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले अनुपातहीन सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और मानसिक बोझ के मुद्दे को संबोधित करने के लिए "कोविड–9 महामारी के दौरान भारत में जेंडर मुद्दे" पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। "समकालीन भारत में जेंडर हिंसा के बदलते पैटर्न" पर एक और राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 6 नवंबर 2020 को किया गया था। आरसी–भुवनेश्वर ने 5 जनवरी 2020 को ओडिशा के अंगुल जिले के खेत्रपाल गांव में इलाके के स्वयं सहायता समूहों के सहयोग और समर्थनसे महिलाओं के लिए मुर्गी पालन पर जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में सुधार लाने में मदद मिली।

स्वदेशी ज्ञान

विश्वविद्यालय ने अकादमिक कार्यक्रम और जागरूकता कार्यक्रम विकसित किए हैं; स्वदेशी ज्ञान के प्रसार के लिए सेमिनार और व्याख्यान आयोजित करता है। विश्वविद्यालय मूल्य शिक्षा, क्षेत्रीय भाषाओं, पर्यावरण/जलवायु परिवर्तन, पारंपरिक नृत्यों के विभिन्न रूपों आदि में कार्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय ने संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि की परिकल्पना शुरू की। अगले वित्तीय वर्ष में एमए–हिंदी और एमए संस्कृत को ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के शिक्षार्थी भी लाभान्वित होंसके। विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रीय केंद्रों के सहयोग के द्वारा'स्वयं' वीडियो का आठ क्षेत्रीय भाषाओं यानी बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलुगु में अनुवाद करने में कार्यरत है। विश्वविद्यालय ने इस उद्देश्य के लिए 540 अनुवादकों को सूचीबद्ध किया और रिपोर्ट की गई अवधि में 11 पाठ्यक्रमों का अनुवाद किया। 21 जनवरी 2020 को सिंधी चेयर के अंतर्गत अमर शहीद हेमू कलानी के 77 वें शहीद दिवस को मनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीएसएल) के सहयोग से एक विशेष व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया था। संघ में 21 फरवरी 2020 को सिंधी चेयर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर एनसीपीएसएल के साथ एक विशेष व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया था।

आरसी–भुवनेश्वर और आरसी–बीजापुर ने स्वदेशी ज्ञान के समर्थन से आदिवासी क्षेत्रों में वन संरक्षण को बढ़ावा दिया। आरसी–लखनऊ ने 26 जनवरी, 2020 को विध ाानसभा सचिवालय, लखनऊ के सामने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक झांकी के माध्यम से थारू जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत और विश्वविद्यालय द्वारा उनके दरवाजे पर उच्च शिक्षा प्रदान करने की पहल का प्रदर्शन किया।थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में से एक है, जो बलरामपुर से लेकर लखीमपुर खीरी तक भारत–नेपाल सीमाओं के जंगलों में रहती है। 29 जनवरी, 2020 को गणतंत्र दिवस परेड के बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा झांकी ने तीसरा पुरस्कार जीता है।

26 जनवरी, 2020 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान आर सी लखनऊ की झांकी

विशेष श्रेणी के राज्यों में शैक्षिक विकास के लिए इग्नू की पहल

इग्नू ने उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू–कश्मीर सहित अविकसित, कठिन, दूरस्थ और अल्पसंख्यक बहुल विशेष श्रेणी के राज्यों में रहने वाले छात्रों के लिए इसे आसानी से सुलभ बनाने के लिए उच्च शिक्षा के विकास हेतु विशेष पहल की है।इन सभी राज्यों में इग्नू क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना के साथ पहल की शुरुआत हुई है । तब से, विश्वविद्यालय ने इन राज्यों के दूरस्थ कोनों में उच्चतर की इक्विटी में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपने छात्र सहायता नेटवर्क का विस्तार करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है; शिक्षा के पारंपरिक रूपों का पूरक। विश्वविद्यालय ने पहाड़ी राज्यों में अपने नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उत्तराखंड में छात्र सहायता नेटवर्क में 62 एलएससी शामिल हैं और रिपोर्टाधीन अवधिके दौरान में आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है।जम्मू और कश्मीर में 122 एलएससी हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पैनल में शामिल 115 अकादमिक सलाहकारों की मदद से दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में वेब के माध्यम से अकादमिक और परामर्श सहायता प्रबंधित की जाती है। प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट परीक्षाएं आरसी–श्रीनगर के अंतर्गत वर्चुअल मोड में आयोजित की जाती हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के सहयोग से विश्वविद्यालय लगभग 20 हजार सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण में संलग्न है; विश्वविद्यालय ने इस पहल के अंतर्गत109 विशेष अध्ययन केंद्रों की स्थापना की। हिमाचल प्रदेश में 62 अध्ययन केंद्रों की सहायता से अकादमिक और परामर्श सहायता प्रबंधित की जाती है। आरसी–जम्मू ने कोविड–19 महामारी के दौरान 571 ऑनलाइन परामर्श सत्र आयोजित किए।

जेल के कैदियों का शैक्षिक विकास

जेल में बंदियों के बीच शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए इग्नू जेल में बंद कैदियों को शुल्क में छूट प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय ने देश भर में फैले जेल परिसर के भीतर 171 विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे 33 हजार से अधिक कैदी शिक्षित मानव संसाधन के राष्ट्रीय पूल में शामिल हो सकें। विश्वविद्यालय भी इन केंद्रों के माध्यम से वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करता है। विश्वविद्यालय ने जेल परिसर के भीतर अपने विशेष अध्ययन केंद्रों के माध्यम से कथित अवधि में 15,742 जेल कैदियों को नामांकित किया।

उत्तर पूर्व क्षेत्र का शैक्षिक विकास

इग्नू एनईआर में 8 राज्यों में 9 क्षेत्रीय केंद्रों (आरसी) और 535 शिक्षार्थी सहायता केंद्रों (एलएससी) के अपने नेटवर्क के माध्यम से उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास और अन्य पहल के अवसर प्रदान करके एनईआर में शैक्षिक विकास के विस्तार की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें से 37 विशेष शिक्षार्थी सहायता केंद्र उच्च शिक्षा में हाशिए के वर्गों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हैं। वर्तमान में, विश्वविद्यालय के नामांकन का लगभग 6.5 प्रतिशत उत्तर–पूर्वी क्षेत्र से आता है।

इग्नू क्षेत्रीय केंद्रों के लिए उत्तर–पूर्व परिषद (एनईसीआईआरसी) उत्तर–पूर्व क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें उत्तर–पूर्व क्षेत्र के समग्र शैक्षिक विकास के लिए रणनीति विकसित करना अनिवार्य है।

ओडीएल संस्थानों के आकलन और प्रत्यायन पर नीति, एनएएसी की एक पहल

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और यूजीसी ने देश के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) संस्थानों के आकलन और प्रत्यायन (ए और ए) के लिए एक योजना विकसित करने की पहल कीहै। ओडीएल के आकलन और प्रत्यायन पर राष्ट्रीय कार्य बल की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो नागेश्वर राव की गई।

इस टास्क फोर्स ने राष्ट्रव्यापी परामर्श के माध्यम से राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालयों (एसओयू) और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों (डीईआई) के निदेशालयों के लिए मसौदा नियमावली और स्व अध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर) के संकलन के साथ इग्नू के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (सीआईक्यूए) को सौंपा गया है। एसओयू और डीईआई के लिए नियमावली और स्व अध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर) 29 अप्रैल 2019 को एनएएसी पोर्टल पर अपलोड की गई थी, जिसके बाद नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय,

कोलकाता में सीआईक्यूए द्वारा 01 अक्टूबर 2019 को आयोजित एक कार्यशाला में पायलट परीक्षण किया गया था।कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित 15 दूरस्थ शिक्षा निदेशालय (डीडीई) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रिपोर्टाधीन अवधिके दौरान , नियमावलीकी शुरुआत 07 फरवरी 2020को की गई थी ताकि राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के निदेशालय एनएएसी से मान्यता के लिए आवेदन कर सकें।नियमावली और आवेदन करने की प्रक्रिया एनएएसी की वेबसाइट http://naac.gov.in/images/docs/Manuals/final-Dual-Mode-University-Manual-7feb2020.pdf पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय ने यूजीसी की परामर्श योजना के कार्यान्वयन के लिए घर में एक ऑनलाइन सलाह मॉडल विकसित किया।

अंतर्राष्ट्रीय संचालन और सहयोग

ओडीएल क्रॉस बोर्डर शिक्षा में वितरण तंत्र का अभिन्न अंग है जहां छात्र और शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार किए बिना सीखने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इग्नू ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इग्नू की पहुंच बढ़ाने के लिए सहयोग, समन्वय, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के रूप में चौतरफा दृष्टिकोण अपनाया है। इसकी पहुंच दक्षिण एशियाई, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों तक है। विश्वविद्यालय भारत में रहने वाले अपने विदेशी/विदेशी छात्रों (एफएसआरआई) के छात्रों को 64 शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है। वर्तमान में, इग्नू के शैक्षणिक कार्यक्रम 19 विदेशी अध्ययन केंद्रों (ओएससी) के नेटवर्क और चौदह देशों में तीन भागीदार संस्थानों अर्थात यूएई (शारजाह), कुवैत, सऊदी अरब साम्राज्य, बहरीन के साम्राज्य और ओमान की सल्तनत खाड़ी देशों में; सार्क देशों में नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका; अफ्रीका, किर्गिस्तान, मॉरीशस और सिंगापुर में इथियोपिया, केन्या और आइवरी कोस्टके माध्यम से उपलब्ध हैं। इग्नू में अब तक 77,018 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का संचयी नामांकन है। जनवरी 2020 और जुलाई 2020 सत्रों के लिए नये प्रवेश 885 और इसी अवधि में पुनः पंजीकरण 1535 था। विश्वविद्यालय ने रिपोर्टाधीन अवधि में 3.9 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।

उन्नत भारत अभियान

शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसरण में और उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इग्नू इस मिशन में शामिल हो गया है और पूरे भारत में क्षेत्रीय केंद्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से 90 गांवों को गोद लिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जाति प्रभावी, शिक्षार्थी केंद्रित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके समाज के ग्रामीण, वंचित और हाशिए के वर्ग पर विशेष ध्यान दिया है।इन गोद लिए गए गांवों में इग्नू नियमित रूप से ग्रामीणों की आजीविका के विकल्पों में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता अभियान, मुफ्त स्वास्थ्य जांच, डिजिटल साक्षरता पर कार्यक्रम, मतदाताओं के बीच जागरूकता, कृषि विकास और उद्यमिता और ग्रामीणों से संबंधित चिंताओं पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। विश्वविद्यालय ने पिछले एक साल में उन्नत भारत अभियान गतिविधियों के अंतर्गत कई गतिविधियों का आयोजन किया।

प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षण–अधिगम पहल

वेब सक्षम शैक्षणिक सहायता (WEAS–व्यास)

विश्वविद्यालय ने सामग्री प्रस्तुति की शैलियों, और निर्देशों की रणनीतियों, स्व–मूल्यांकन और सीखने के वितरण में नवीन शिक्षाशास्त्र विकसित किया। अंतः क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। विश्वविद्यालय ने छात्रों को वेब सक्षम अकादमिक परामर्श और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए इन–हाउस एलएमएस पैकेज 'वेब सक्षम अकादमिक समर्थन (डब्ल्यूईएएस–व्यास)' तैयार किया।वेब सक्षम अकादमिक समर्थन (डब्ल्यूईएएस) का उद्देश्य शिक्षार्थियों को एक इंटरैक्टिव वन–स्टॉप शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है। विश्वविद्यालय ने प्रारंभिक चरण में 13 शैक्षणिक कार्यक्रमों की पहचान की, जो जनवरी 2020 के प्रवेश चक्र में डब्ल्यूईएएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश किए गए थे।

डिजिटल शिक्षण सामग्री

बड़े पैमाने पर मुद्रण के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पर विश्वविद्यालय की चिंता छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री का एक विकल्प तैयार करती है। विश्वविद्यालय डिजिटल

रूप में एसएलएम चुनने वाले छात्रों को फीस में 15% की छूट प्रदान करता है। विश्वविद्यालय द्वारा घर में विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन–'इग्नू ई–कंटेंट' के माध्यम से छात्र डिजिटल एसएलएम का उपयोग कर सकते हैं।

प्रवेश

विश्वविद्यालय ने जुलाई 2015 के प्रवेश चक्र में ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली की शुरुआत की ताकि दूरदराज के क्षेत्रों से प्रवेश के इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय और बैंक के क्षेत्रीय केंद्रों का दौरा किए बिना इग्नू में नामांकन कर सकें। ऑनलाइन प्रवेश जून 2019 प्रवेश चक्र तक इन–हाउस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रबंधन किया जाता था। ऑनलाइन प्रवेश जून 2019 की प्रवेश प्रक्रिया तक इन–हाउस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रबंधित किया गया था। विश्वविद्यालय ने जनवरी 2020 के प्रवेश सत्र से समर्थ मंच पर विश्वविद्यालय के लिए एक नई ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली शुरू की। समर्थ परियोजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित है और क्लाउड–आधारित समाधान प्रदान करती है। नई ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली उपयोगकर्ता के अनुकूल और मजबूत है। क्लाउड–आधारित प्रणाली होने के कारण, यह बहुत बड़ी संख्या में समवर्ती उपयोगकर्ताओं को संभालने में सक्षम है।

स्वयम

डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तरों पर डिजाइन और विकास पाठ्यक्रमों के लिए स्वयं परियोजना के लिए इग्नू राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्य करता है। स्वयंम शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जो एमओओसी पाठ्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय ने जनवरी 2020 सत्र में स्वयं पोर्टल पर 21 पाठ्यक्रमों की पेशकश की। विश्वविद्यालय ने जनवरी 2020 सत्र में स्वयंपाठ्यक्रमों में 48,516 शिक्षार्थियों को पंजीकृत किया।अब तक 91,458 नामांकन, 1,271 परीक्षा पंजीकरण और 1,014 सफल प्रमाणपत्रों के साथ कुल मिलाकर 52 पाठ्यक्रम पुनः संचालन के साथ पूरे किए जा चुके हैं। जनवरी 2020 सत्र के लिए परीक्षा 29–30 सितंबर, 2020 को आयोजित की जाएगी। इस अवधि के दौरान स्वयंम पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 240 वीडियो विकसित किए गए।

स्वयम प्रभा

इग्नू, स्वयं प्रभा के पांच डीटीएच चैनलों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्य करता है, यह भारत सरकार की एक पहल है। विश्वविद्यालय विशेष रूप से 4 चैनलों और एक का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) के सहयोग से समन्वय करता है। ये चैनल लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज हैं; राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम; ज्ञान दर्शन; कृषि, व्यावसायिक और संबद्ध विज्ञान; और शिक्षक शिक्षा (एनआईओएस के साथ संयुक्त रूप से)। इग्नू को आवंटित सभी चैनलों को व्यापक पैमाने पर देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय स्वयं प्रभा परियोजनाओं के अंतर्गत टेली–व्याख्यान और डीटीएच चैनलों के उत्पादन में सक्रिय रूप से शामिल है। चैनलों पर प्रतिदिन चार घंटे नवीन विषयसामग्री प्रदान की गई और पांच बार दोहराया गया। यूट्यूब संग्रह रिकॉर्ड के अनुसार, इस अवधि के दौरान इग्नू के सभी पांच चैनलों के लिए 37.11 हजार सदस्य हैं और इसे 60,66,452 बार देखा गया।

ई–ज्ञानकोश

यह इग्नू का डिजिटल शैक्षिक संसाधन भंडार है जो इसके निर्देशात्मक सामग्री और वीडियो कार्यक्रमों की खुली पहुंच प्रदान करता है। यह रिपोजिटरी शिक्षार्थियों को इग्नू द्वारा प्रदान किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों की सेल्फ लर्निंग निर्देशात्मक सामग्री को खोजने और उन तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान लगभग 3,008 पाठ्यक्रम सामग्री को रिपोजिटरीपर अपलोड किया गया। 31 दिसंबर 2020 तक पोर्टल पर कुल 1.31 करोड़ विज़िटर और 12.8 करोड़ पेज व्यू थे। रिपॉजिटरी को ई–ज्ञानकोशपोर्टल (www.egyankosh.ac.in) के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

ज्ञान धारा

ज्ञान धारा दुनिया भर के शिक्षार्थियों के लिए ज्ञान वाणी की स्ट्रीमिंगसामग्री हेतु 2016 में शुरू की गई एक इंटरनेट ऑडियो परामर्श सेवा है। ज्ञानधारा दुनिया भर में शिक्षार्थियों तक पहुंचने का बहुत उपयोगी और लागत प्रभावी तरीका है, इस प्रकार यह 2017 में विश्वविद्यालय की एक नियमित

सेवा कार्यप्रणाली बन गई। ज्ञानधारा पर अपलोड किए गए ज्ञानवाणी के रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रम विभिन्न समय–क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हैं।

इग्नू में दिव्यांगजनों की शिक्षा

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय समावेशी शिक्षा के माध्यम से ज्ञान समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है। बहुत ही कम समय में इग्नू ने उच्चतर शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, विस्तार गतिविधियों और शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ माध्यम के माध्यम से निरंतर व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्षों से इग्नू ,समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रयास में देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है।ऐसा ही एक महत्वपूर्णवर्ग विकलांग व्यक्तियों का है। दिव्यांग अनुकूलन शिक्षा प्रदान करना, लचीला प्रवेश मानदंड और घर पर शिक्षा की पहुँच विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) के प्रवेश को प्रोत्साहित करती है। विकलांगता अध्ययन और पुनर्वास के क्षेत्र में वकालत, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से राष्ट्रीय विकलांगता अध्ययन केंद्र (एनसीडीएस) की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय ने विकलांग छात्रों और अन्य वंचित समूहों के मुद्दों को हल करने की प्राथमिकताओं के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना की।नेत्रहीन शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री ब्रेल और ऑडियो प्रारूपों में अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाती है। विश्वविद्यालय ने सुगम्य पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त की ताकि नामांकित दिव्यांग सुलभ प्रारूप में 3.5 लाख से अधिक पुस्तकों तक पहुंच प्राप्त कर सके। सुगम्य पुस्तकालय ने विश्वविद्यालय की 30 हजार पृष्ठों की अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में बदलने में भी मदद की।विश्वविद्यालय नियमित रूप से अपने कर्मचारियों और छात्रों को विकलांग समुदाय के मुद्दों और चिंताओं के बारे में जागरूक करने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करता है। क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों में भवन विकलांगों के लिए सुलभ वातावरण प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय ने रिपोर्टाधीन अवधिके दौरान विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में 4081 विकलांग छात्रों को नामांकित किया, इन पीडब्ल्यूडी छात्रों को 15 विशेष शिक्षार्थी सहायता केंद्रों (एलएससी) के माध्यम से शैक्षणिक और परामर्श सहायता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय ने 3 दिसंबर, 2020 को दिव्याङ्ग्जनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया।

इग्नू द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रदान किए गए लिए लाभ

विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में 49 शिक्षार्थी सहायता केंद्र (एलएससी) की स्थापना की जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों, विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा में दूरदराज के क्षेत्रों से शिक्षार्थियों का उल्लेखनीय नामांकन हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक क्षेत्रीय केंद्र (छात्र समर्थन नेटवर्क की मध्य परत) की स्थापना की है, इन राज्यों में अनुसूचित जनजाति की अत्यधिक आबादी हैं, ये क्षेत्रीय केंद्र नियमित रूप से स्थानीय मेलों, त्योहारों में भाग लेते हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के युवाओं को उनकी शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों का चयन करने में मदद करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों का निरीक्षण करते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शुल्क में छूटः इग्नू अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार छात्रों को स्नातक, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र स्तरों पर प्रस्तावित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में शुल्क में छूट प्रदान करता रहा है।

अनुसंधान

विश्वविद्यालय मुक्त दूरस्थ शिक्षा और नवीकरण के विभिन्न पहलुओं पर रेफरीड अनुसंधान के विद्वानों और सार्वजनिक गुणवत्ता दोनों में सुधारकरने के लिए इंडियन जर्नल ऑफ ओपन लर्निंग (आईजेओएल) प्रकाशित करता है। यह सामाजिक विज्ञान अनुशासन में यूजीसी–केयर ग्रुप 1 में सूचीबद्ध है। आईजेओएल का यूआरएल हैः http://journal.ignouonline.ac.in/iojp/। प्रो वी. वी. सुब्रमण्यम, कंप्यूटर विज्ञान ने टीम के सदस्य के रूप में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वायरस स्कैनिंग के लिए स्वायत्त रोगाणु विहीन थर्मल संवेदन प्रणाली के लिए

स्थापत्य पर एक पेटेंट प्रकाशित किया। दर्शनशास्त्र निष्णात (एमफिल) और पीएचडी (पीएचडी) का प्रस्ताव और संचालन विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी (एमफिल/पीएचडी डिग्री के पुरस्कार के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अनुसार किया जाता है और समय–समय पर संशोधन किया जाता है। यूजीसी और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसंधान अध्यादेश और विनियमों के साथ पीएचडी के लिए दिशानिर्देश सिंक्रनाइज़ किए गए थे। भारत का विश्वविद्यालय अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम, बयालीस (42) विषयों में पीएचडी और दस (10) विषयों में एम–फिल प्रदान करता है। चालू वर्ष में, विश्वविद्यालय ने 28 विषयों में शोध डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा है; पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों से 11,457 आवेदन प्राप्त हुए थे। भयानककोविड–19 महामारी के बावजूद प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न हुई। विश्वविद्यालय ने इग्नू–शोध छात्रवृत्ति (इग्नू–आरएफ) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य उन प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को प्रेरित करना है, जिन्हें शोध डिग्री प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। विश्वविद्यालय एमफिल और पीएचडी स्कॉलरों को क्रमशः 5,000/– रुपए प्रति माह और 8,000/– रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान करता है। । चयनित उम्मीदवारों को 8000/– रुपये की वार्षिक आकस्मिकतानिधि भी प्रदान की जाती है।वर्ष 2020 के दौरान, इकतीस (31) शोधर्थियों को तेरह (13) यूजीसी–जेआरएफ/एसआरएफ, एक (01) इंस्पायर छात्रवृत्ति (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) और सत्रह (17) इग्नू शोध छात्र वृत्ति सहित विभिन्न फंडिंग एजेंसियों के द्वारा छात्रवृत्ति से प्रदान की गई है। 17 फरवरी, 2020 को आयोजित 33वें दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों में तेरह (13) एम.फिल और नब्बे (90) पीएचडी डिग्री प्रदान की गई। विश्वविद्यालय ने आभासी मोड के माध्यम से महामारी के दौरान सुचारू रूप से अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम संचालित किए; 32 शोधार्थियों ने महामारी की अवधि के दौरान ज्यादातर आभासी मोड के माध्यम से शोध डिग्री प्रदान करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कीं। विश्वविद्यालयी पुस्तकालय ने व्यावसायिक प्रकाशक एल्सेवियर के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ "अकादमिक पुस्तकालयों पर कोविड –19 का प्रभावः सूचना और संसाधनों का विकास" और "पुस्तक प्रकाशन" पर वेबिनार का आयोजन किया। विश्वविद्यालय ने 5–6 मार्च 2020 को "21वीं सदी में जेंडर पर शोध" विषय पर इग्नू के शोधार्थियों के लिए दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इन पहलों से शोधार्थियों को लाभ हुआ है।

कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (सीओएल)

कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (सीओएल) मुक्त शिक्षा/दूरस्थ शिक्षा ज्ञान, संसाधनों और प्रौद्योगिकियों के विकास और साझा करने को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों द्वारा बनाया गया एक अंतर्सरकारी संगठन है। सीओएल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच में सुधार करने के लिए विकासशील देशों की मदद कर रहा है। सीओएल अपने साझेदार संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु काम करता है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक व्यापक पहुंच प्राप्त करने हेतु राष्ट्रमंडल के 53 सदस्य देशों को सहायता प्रदान करता है। सीओएलको राष्ट्रमंडल सरकारों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर वित्तीय रूप से सहायता प्रदान की जाती है। भारत एक प्रमुख दानकर्ता है।

2020–21 के दौरान, शिक्षा मंत्रालय ने सीओएल को 12.00 करोड़ रुपये निर्धारित और जारी किए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव के माध्यम से सीओएल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और कार्यकारी समिति में किया जाता है।.सीओएलने अपना एशिया का शैक्षणिक मीडिया केंद्र (सीईएमसीए) नई दिल्ली, भारत में स्थापित किया है और दूरस्थ शिक्षा के प्रभारी संयुक्त सचिव सीईएमसीएकी सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। सीओएलने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शैक्षणिक मीडिया केंद्र (सीईएमसीए) की स्थापना की है। सीईएमसीए क्षेत्र में परामर्श क्षमता निर्माण और सूचना संसाधन और विनिमय तंत्र प्रदान करता है। सीईएमसीए 10,000 शैक्षिक रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए एक डेटा बेस का प्रबंधन करता है जो पूरे एशियाई क्षेत्र में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

❖ ❖ ❖

10

भाषा संस्थान

भाषा संस्थान

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

हिंदी भाषा के विकास के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत दिए गए निर्देश इस प्रकार हैं–

"संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में काम इसमें हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त आत्मसात रूप, शैली और भावों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार इसकी के लिए मुख्य रूप से संस्कृत से और गौंणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।''

उपरोक्त उल्लिखित संवैधानिक आदेश को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च, 1960 को शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। निदेशालय के चार क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता में स्थित हैं। केन्द्र सरकार का यह सर्वोच्च निकाय अपने अस्तित्व में आने के समय से ही हिन्दी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने, भिन्न–भिन्न लोगों को इस भाषा के माध्यम से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों को बहु–आयामी रूप से कार्यान्वित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और हिंदी को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा 1 अक्टूबर, 1961 को की गई थी। सरकार का संकल्प संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के प्रावधानों के तहत गठित एक समिति की सिफारिशों के अनुसार था। 1960 के संकल्प के अनुसार आयोग के कार्य हैं:

क) 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के पैरा 3 में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा।

ख) हिंदी और अन्य भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास और समन्वय से संबंधित सिद्ध ांतों का निर्माण।

ग) वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध या सहमति औरसंबंधित एजेंसियों द्वारा इसे प्रस्तुत किए जाने हेतु हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपयोग के लिए शब्दावलियों के अनुमोदन से वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों का समन्वयन।

घ) आयोग अपने द्वारा विकसित या अनुमोदित नई शब्दावली का उपयोग करके मानक वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, विदेशी भाषाओं में वैज्ञानिक पुस्तकों काभारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों की और अनुवाद की सामग्री तैयार करना शुरु कर सकता है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है आयोग की सिफारिशों और उसके बाद जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का अनुसरण करते हुए वर्तमान में सीएसटीटी के कार्यों और कर्तव्यों को निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता है: –

आयोग के कर्तव्य और कार्य

(क) हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों को विकसित और परिभाषित करना एवं शब्दकोश, परिभाषात्मक शब्दकोश औरविश्वकोश प्रकाशित करना।

(ख) यह देखनाकि विकसित शब्दावलियां और उनकी परिभाषाएं छात्रों, शिक्षकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि तक पहुंच रही हों।

(ग) उपयोगी फीडबैक प्राप्त करके किए गए कार्य (कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/अभिविन्यास कार्यक्रमों/सेमिनारों के माध्यम से) काउचित उपयोग/आवश्यक अद्यतनीकरण/सुधार/संशोधन सुनिश्चित करना।

(घ) हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर संगोष्ठियों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों को प्रायोजित करके हिंदी तकनीकी लेखनों को प्रोत्साहित करना।

(ङ) हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावलियों की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के साथ समन्वय करना। (राज्य सरकारों/ग्रंथ अकादमियों/विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों/शब्दावली क्लब या अन्य एजेंसियों के माध्यम से)

(च) मानक शब्दावलियों के लोकप्रियी करण और उपयोग के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना।

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा एक स्वायत्त संगठन है और शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित है। मंडल अपने तत्वावधान में केन्द्रीय हिंदी संस्थान चलाता है। संस्थान अध्यापन, प्रायोगिक हिंदी, भाषा विज्ञान और कार्यात्मक हिंदी में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक उन्नत केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। मुख्यालय में इसके 08 शैक्षणिक विभाग हैं और ये क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में स्थित हैं। ये केंद्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तुलनात्मक और विषम भाषा विज्ञान में अनुसंधान और शोध क्षेत्र के हिंदी सीखने वालों की आवश्यकता के अनुसार निर्देशात्मक सामग्री तैयार करने में भाग लेते हैं। इसके अलावा, संस्थान के पास नागालैंड और मिजोरम सरकार के स्वामित्व और शासित 02 संबद्ध कॉलेज हैं।

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान

संस्थान ने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए और अपनी स्थापना के 51वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। यह भाषा और भाषा विज्ञान पर कई प्रकाशनों के साथ चिह्नित किया गया था। सख्त तालाबंदी के बावजूद, संस्थान और इसकी योजनाओं और परियोजनाओं के बुनियादी कार्य जारी रहे, हालांकि एक लडखडातीगति से। लॉक डाउन ने 10 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सबसे ज्यादा प्रभावित किया जिसे एक महीने पहले ही पूरा कर लिया गया था जबकि कुछ महीने बाद इसे पूरा किया जाना था।

केंद्रीय शास्त्रीय तामिल संस्थान

भारत सरकार द्वारा तमिल को शास्त्रीय भाषा की घोषणा के परिणामस्वरूप चेन्नई मेंकेंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) की स्थापना की गई थी जोकि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। सीआईसीटी तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री सीआईसीटी के अध्यक्ष हैं।

शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित यह संस्थान तमिल भाषा के शास्त्रीय चरण अर्थात प्रारंभिक काल से 600 ई. तक इससे संबंधित अनुसंधान पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। संस्थान की भूमिका बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राचीन तमिल समाज पर शोध करता है और तमिल भाषा की प्राचीनता से संबंधित या उसे प्रतिबिंबित करने वाली वस्तुओं कोसंरक्षित करता है। प्राचीन तमिलों और उनकी सभ्यता की प्राचीनता और विशिष्टता का अध्ययन करने के उद्देश्य से 600 ईस्वी तक की अवधि से संबंधित 41 प्राचीन तमिल कार्यों को चिन्हित किया गया है।

राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (धारा 21) के तहत दिनांक 26.05.1994 को पंजीकरण संख्या 1085 के माध्यम से वडोदरा, गुजरात में राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद (एनसीपीएसएल) की स्थापना की गई थी जो शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त पंजीकृत संगठन है। परिषद का मुख्यालय 2006 से दिल्ली में है। परिषद का उद्देश्य सिंधी भाषा को बढ़ावा देना, विकसित करना और प्रचार करना है और आधुनिक पाठ्य पुस्तकों में विकसित विचारों के ज्ञान को उपलब्ध कराने के लिए समुचित अभियान चलाना और सिंधी भाषा से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देना।

❖ **परिषद के उद्देश्य**

- सिंधी भाषा का उन्नयन, विकास और प्रचार करना।
- आधुनिक संदर्भ में विकसित विचारों के ज्ञान के साथ–साथ सिंधी भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के ज्ञान को उपलब्ध कराने के लिए समुचित अभियान चलाना।
- भारत सरकार को सिंधी भाषा से जुड़े मुद्दों पर सलाह देना और शिक्षा पर छाप छोड़ना है जिसका उल्लेख किया जा सके।
- सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अन्य गतिविधि को शुरु करना, जैसा परिषद द्वारा उचित समझा जाए।

सिंधी भाषा के प्रचार–प्रसार एवं विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं:–

- सिन्धी भाषा से जुड़ी चयनित प्रचार संबंधी क्रियाकलापों के लिए ऐच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता
- सिंधी से जुड़ी सिंधी पुस्तकों / पत्र – पत्रिकाओं ऑडियो – विडियो साम्रगी की थोक खरीद, संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान शैक्षिक संस्थाओं / स्कूलों / कॉलेजों / सार्वजनिक पुस्तकालयों आदि को निःशुल्क वितरण
- सिन्धी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता
- सिन्धी भाषा में अधिगम कक्षाओं का संचालित करना; और
- सिन्धी लेखकों को साहित्यिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार प्रदान करना।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद (एनसीपीयूएल)

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् (एनसीपीयूएल), राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल), शिक्षा मंत्रालय का स्वायत्त संगठन है जो देश में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं के संवर्धन पर ध्यान देता है और यह भारत सरकार को शिक्षा को उर्दू भाषा से संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है और जैसा संदर्भित किया जाए, यह शिक्षा पर उल्लेखनीय छाप छोड़ता है।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत ने सभी भारतीय भाषाओं के विकास और कुछ विदेशी भाषाओं एवं विशेष रूप से भारत और सामान्य रूप से विश्व की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में व्यापक भूमिका निभाई है। संस्कृत से उदभूत लगभग सभी भारतीय भाषाएँ और कोई भी अन्य भाषा संस्कृत के भाषाई सहयोग सहयोग के बिना समृद्ध नहीं हो सकती। सभी भारतीय भारतीय भाषाएँ संस्कृत की समृद्धता से विकसित और पल्लवित होती हैं। तथापि, भारत में चहुंमुखी विकास के लिए संस्कृत को संरक्षित करना और प्रसारित करना अनिवार्य हो गया है। भारत सरकार ने इस उत्तरदायित्व से पूर्णतः जागरूक होकर, संस्कृत भाषा, साहित्य और परंपरागत शास्त्रों के संरक्षण और प्रचार एवं पूरे देश और विदेश में संस्कृत के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत अक्टूबर, 1970 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना की राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) को अब भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद संसद के एक

अधिनियम के तहत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के रूप में प्रस्थापित किया और इसे 30 अप्रैल, 2020 को लागू कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है और संस्कृत भाषा और संस्कृति से जुड़े सभी नीति मामलों में केंद्रीय सरकार की एक व्यापक एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का मुख्य लक्ष्य संस्कृत अधिगम और अनुसंधान का प्रचार, विकास और प्रोत्साहित करना है। चूँकि संस्कृत अनिवार्य रूप से ही पालि और प्राकृत भाषाओं के साथ 2009–10 से संबद्ध है, इसलिए विश्वविद्यालय ने पालि और प्राकृत दोनों भाषाओं और उनके साहित्य को बढ़ावा देने का कार्य शुरू किया है। विश्वविद्यालय अपने सभी परिसरों के लिए केंद्रीय, प्रशासकीय और सहयोगी मशीनरी के रूप में भी सेवा प्रदान करता है। भारत सरकार ने संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का गठन किया है और इसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और अन्य एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है तथा संस्थान शास्त्रों, संस्कृत भाषा और साहित्य से जुड़े सभी प्रयासों को सहयोग देने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में इसके पदों, बहु–परिसर इकाई कार्यों के आधार पर कार्यरत है। तब से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और यूजीसी द्वारा दिनांक 7 मई, 2002 से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को समवत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

वर्ममान में, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली (मुख्यालय), इलाहाबाद (यू.पी.), पुरी (उड़ीसा), जम्मू (जम्मू और कश्मीर), त्रिसूर (केरल), जयपुर (राजस्थान), लखनऊ (यू.पी.), श्रृंगेरी (कर्नाटक), बलाहर (गरली) (हिमाचल प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), मुंबई (महाराष्ट्र), अगरतला (त्रिपुरा) और देव प्रयाग (उत्तराखंड) में स्थित अपने 13 परिसरों का प्रबंधन कर रहा है परिसर विद्यावारिधि (पीएचडी) की डिग्री के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है और आचार्य एवं शास्त्री स्तर पर विभिन्न संस्कृत विषयों में शिक्षा भी प्रदान करते हैं। दस परिसरों में शिक्षा शास्त्री (बी.एड) भी उपलब्ध हैं और जयपुर, जम्मू, भोपाल और पुरी में स्थित 4 कैम्पसों में शिक्षा आचार्य (एम.एड.) भी उपलब्ध है।

राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम(पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत घोषित एक जाने–माने विश्वविद्यालय) द्वारा की गई, यह संस्थान संस्कृत अध्ययन, पारंपरिक शास्त्र और शिक्षाशास्त्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। यह पूरी तरह से यूजीसी, नई दिल्ली द्वारा वित्तपोषित है। विद्यापीठ का 1961 से संस्कृत शिक्षा की सेवा में एक लंबा इतिहास रहा है और वर्ष 1987 में इसकी एक जाने–माने विश्वविद्यालय के रूप में पदोन्नति की गई। इसे शैक्षणिक वर्ष 2015–16में 4.0 अंक के पैमाने (चक्र–2) में 3.71 स्कोर कि सीजीपीए के साथ मुल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ग्रेड"।" कीमान्यता प्राप्त हुई। यूजीसी ने इसे श्रेणी–I के जाने–माने विश्वविद्यालय, 12 बी का दर्जा भी दियाजो इस विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपलब्धि है।.

विश्वविद्यालय के पिछले गौरव और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपतिविद केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 घोषित किया। विश्वविद्यालय की स्थापना तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा पट्टे पर दी गई 41.48 एकड़ भूमि के क्षेत्र में की गई थी। वर्तमान में परिसर में नौ छात्रावास, शैक्षणिक भवन, प्रशासनिक भवन, शिक्षा भवन, संस्कृत नेट सेंटर, 22 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गयाहै। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 56.79 करोड़ रुपये में 500 बिस्तरों वाले लड़कों के छात्रावास और कक्षा परिसर के दो प्रमुख निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर हैं और फरवरी, 2021 तक उनकेपूरा हो जाने की संभावना है।

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान

राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना जनवरी, 1987 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। मई, 1993 में प्रतिष्ठान का कार्यालय उज्जैन में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद प्रतिष्ठान का नाम बदलकर 'महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद

विद्या प्रतिष्ठान' कर दिया गया। प्रतिष्ठान सीधे शिक्षा मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त करता है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना शास्त्री परंपरा को संरक्षित करने, भारतीय पारंपरिक ज्ञान में उच्च शिक्षा प्रदान करने और एक विश्वविद्यालय की अवधारणा को पूरी तरह से अनुरूप करने के लिए की गई है। यहएक जाने–माने विश्वविद्यालय के रूप में, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षाप्रदान कर रहा है और विभिन्न शोध कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान की उन्नति और इसके प्रसार के लिए लगातार काम कर रहा है।

राजभाषा

परिचय

मंत्रालय के दोनों विभाग गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान देते हैं। मंत्रालय के दोनों विभागों अर्थात उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित हैं।

मंत्रालय में राजभाषा का कार्यान्वयन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के साथ–साथ उस विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान अधिसूचित कार्यालय

उक्त अवधि के दौरान इस मंत्रालय के दोनों विभागों के तहत अन्य20 कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों और स्कूलों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 137 कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों और स्कूलों को पहले ही पिछ्ले वर्ष अधिसूचित किया जा चुका है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी

क) उक्त अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा 13 कार्यालयों (महामारी के कारण) का राजभाषा निरीक्षण किया गयाहै। इसके अलावा मंत्रालय की ओर से इस मंत्रालय के दायरे में आने वाले कार्यालयों की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भी प्रतिनिधित्व किया जाता है।

ख) मंत्रालय में संयुक्त सचिव (भाषाएं) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं। बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर उचित कार्रवाई की जाती है।

ग) अपने अधीनस्थ कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, संगठनों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति पर नजर रखने के लिए मंत्रालय द्वारा उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं और उनकी समीक्षा की जाती है और मंत्रालय द्वारा उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जाता है।

❖ ❖ ❖

11

अनुसंधान परिषद और अन्य निकाय

अनुसंधान परिषद और अन्य निकाय

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) की स्थापना वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अधीन भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित शीर्ष सामाजिक विज्ञान अनुसंधान निकाय है। भारत में उच्च शिक्षा के विस्तार और कलेवर एवं विविध समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देना और वित्त पोषण करना आईसीएसएसआर का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। आईसीएसएसआर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और कॉलेजों में संकायों/छात्रों को अनुसंधान के लिए निधि प्रदान करता है। यह संकायों और शोधकर्ताओं को राष्ट्रीय, वरिष्ठ, पोस्ट–डॉक्टोरल और डॉक्टोरल फेलोशिप, सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध करने, सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पत्रिकाओं को प्रकाशन में सहायता प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत और विदेशों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों के साथ नेटवर्किंग को भी प्रोत्साहित भी करता है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आईसीएसएसआर में अनेक कार्यक्रम और योजनाएं हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. शोध अध्येतावृत्ति
2. अनुसंधान कार्यक्रम (अंतःविषयक/बहुविषयक/अंतर–संस्थागत)
3. अनुसंधान परियोजनाएं (प्रमुख और लघु)
4. संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, प्रकाशनों आदि जैसी गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
5. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार
6. अनुसंधान संस्थानों को सहायता
7. क्षेत्रीय केंद्र (क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के मुद्दों पर शोध के लिए)
8. अनुसंधान पद्धति और क्षमता निर्माण कार्यक्रम
9. प्रकाशन और अनुसंधान सर्वेक्षण
10. पुस्तकालय और प्रलेखन (एनएएसएसडीओसी)
11. इम्प्रेस योजना के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाएं और सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएँ।

भारत और विदेशों में सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। आईसीएसएसआर के विदेशों में सरकारी स्तर के प्रमुख सामाजिक विज्ञान संगठनों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध हैं। भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों/विद्वानों को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में भाग लेने और विदेशों में डाटा संग्रह के लिए वित्तीय सहायता (आंशिक/पूर्ण) प्रदान की जाती है। आईसीएसएसआर भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों के आयोजन को प्रोत्साहित करती है और इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आईसीएसएसआर अनुसंधान संस्थानों को रखरखाव और विकास अनुदान प्रदान करती है और देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने क्षेत्रीय केंद्रों को पूरी तरह से निधि प्रदान करती है। वर्तमान में, परिषद 24 अनुसंधान संस्थानों, 6

क्षेत्रीय केंद्रों और 5 मान्यता प्राप्त संस्थानों की सहायता कर रही है।

परिषद पहले ही पत्रिकाओं के अलावा, अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर काफी किताबें और मोनोग्राफ प्रकाशित कर चुकी है। आईसीएसएसआर अपनी शोध परियोजनाओं, कार्यक्रमों, फैलोशिप, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, संयुक्त परियोजनाओं आदि के परिणामस्वरूप शोध पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन में भी सहयोग करती है। यह अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान, मनोविज्ञान और भूगोल जैसे सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में अनुसंधान के सर्वेक्षण को भी प्रकाशित करती है।

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नैसडॉक) सामाजिक विज्ञान में शोधकर्ताओं को पुस्तकालय और सूचना सहायता सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें शैक्षणिक संस्थानों और स्वायत्त अनुसंधान संगठनों में संकाय और अन्य स्कालर्स, नीति निर्माता, सरकारी विभागों और उद्योग की योजना और अनुसंधान इकाइयां शामिल हैं। स्कालर्स और बड़ी संख्या में आईसीएसएसआर अनुसंधान संस्थानों के लाभ के लिए आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नैसडॉक) द्वारा काफी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ई–संसाधनों की सदस्यता ली गई है।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर)

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) एक स्वायत्त संगठन है जिसे 1972 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के तहत स्थापित किया गया था। परिषद का मुख्य उद्देश्य इतिहास अनुसंधान को एक उचित दिशा देना और इतिहास के वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। परिषद का व्यापक उद्देश्य इतिहासकारों को एक साथ लाना, उनके बीच विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना, इतिहास की वस्तुपरक और तर्कसंगत प्रस्तुति व्याख्या को राष्ट्रीय दिशा देना, ऐतिहासिक अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं को प्रायोजित करना और ऐतिहासिक शोध में लगे हुए संस्थानों और संगठनों की सहायता करना है। इसमें इतिहास का एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य, दर्शनशास्त्र, पुरालेख, मुद्राशास्त्र, पुरातत्व, सामाजिक–आर्थिक गठन प्रक्रियाओं और मजबूत ऐतिहासिक पूर्वाग्रह और सामग्री वाले संबद्ध विषयों के इतिहास को शामिल किया गया है।

परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न विशेष परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जैसेः (i) भारतीय अभिलेखों में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक शब्दों का शब्दकोश (ii) भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास (iii) भारत के कस्बों और गांवों का ऐतिहासिक विश्वकोश (iv) भारत के बारे में विदेशी स्रोतों का अनुवाद (v) आधुनिक भारतः रियासतें (vi) आधुनिक भारतः राजनीति और जनसांख्यिकी (vii) भारत का पर्यावरण इतिहास (viii) उन्नीसवीं सदी के अंत में भारत, उत्तरी और पश्चिमी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक इतिहास पर दस्तावेज़ः जीवन की गुणवत्ता (ix) पूर्वोत्तर भारत के अभिलेखीय स्रोतों का सर्वेक्षण, संग्रह, प्रलेखन और डिजिटलीकरण। (x) भारत का व्यापक इतिहास (xi) जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 का पुनर्लोकन (xii) शहीदों का शब्दकोशः 1961 में गोवा की आजादी तक (xiii) यादवों के इतिहास के लिए स्रोत सामग्री का संग्रह– पश्चिमी क्षेत्र में यादव अभिलेखों का प्रलेखन (xiv) सांस्कृतिक विरासत का प्रलेखन और भारत के परिधीय क्षेत्रों/गांवों में छोटे–छोटे संग्रहालयों की स्थापना (xv) भारत के संग्रहालयों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद को मार्च 1977 में सोसायटी अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, किन्तु वास्तव में इसने जुलाई 1981 में काम करना शुरू किया।

भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ परिषद की स्थापना की गई थीः (1) समय–समय पर दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना; (2) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की परियोजनाओं या कार्यक्रमों को प्रायोजित करना या उनमें सहायता करना; (3)

दर्शनशास्त्र में अनुसंधान कर रहे संस्थानों और संगठनों को वित्तीय सहायता देना; (4) व्यक्तियों अथवा संस्थानों द्वारा दर्शनशास्त्र में अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता अथवा मार्गदर्शन प्रदान करना, और/या अनुसंधान पद्धति में प्रशिक्षण के लिए संस्थागत या अन्य व्यवस्था का आयोजन और समर्थन करना; (5) समय–समय पर उन क्षेत्रों और विषयों को इंगित करना जिन पर दर्शनशास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और दर्शनशास्त्र में उपेक्षित या विकासशील क्षेत्रों में अनुसंधान के विकास के लिए विशेष उपाय अपनाना; (6) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय करना और अंत:विषय अनुसंधान के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना; (7) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियों, विशेष पाठ्यक्रमों, अध्ययन मंडलियों, कार्य समूहों/दलों और सम्मेलनों को आयोजित, प्रायोजित और सहायता करना और इस उद्देश्यार्थ संस्थानों की स्थापना करना; (8) दर्शनशास्त्र में शोध के लिए समर्पित डाइजेस्ट, शोध–पत्रिकाओं (जर्नल), मासिक–पत्रिकाओं (पीरिऑडिकल्स) और विद्वतापूर्ण कार्यों को अनुदान प्रदान करना और उनका प्रकाशन भी करना; (9) छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों द्वारा दर्शनशास्त्र में शोध के लिए फेलोशिप, छात्रवृत्ति और पुरस्कारों की स्थापना करना और उन्हें देना; (10) प्रलेखन सेवाओं का विकास और समर्थन करना, जिसमें डाटा का रखरखाव और आपूर्ति, दर्शनशास्त्र में वर्तमान शोध की एक सूची तैयार करना और दार्शनिकों के एक राष्ट्रीय रजिस्टर का संकलन शामिल है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद (एमजीएनसीआरई) हैदराबाद

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद (एमजीएनसीआरई) आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) सार्वजनिक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1350च (1350च की अधिनियम संख्या 1) के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है, जिसे वर्ष 1995 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई)–1986 पर कार्यान्वयन कार्यक्रम (पीओए) के अनुसार उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित किया गया था।

यह परिषद उच्चतर शिक्षा के माध्यम से प्रबल ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। एमजीएनसीआरई, भारत में विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम इनपुट को डिजाइन, विकसित और प्रचारित करती है तथा एक उत्प्रेरक संगठन के रूप में निम्नलिखित ग्रामीण परिवर्तन और समावेशी विकास लाना चाहती है:

(i) ग्रामीण संस्थानों को शामिल करते हुए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना (ii) भारत में ग्रामीण उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित करना; (iii) उभरते हुए ग्रामीण व्यवसायों के आसपास तृतीयक स्तर पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करना; (iv) विश्वविद्यालयों के क्षेत्र–उन्मुख पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और (v) सामाजिक और ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए साधन के रूप में कार्रवाई अनुसंधान को बढ़ावा देना और ग्रामीण पहलुओं पर उच्च शिक्षा से संबंधित समय–समय पर संदर्भित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना।

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान सोसाइटी की स्थापना 6 अक्टूबर 1964 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का XXI (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1957 के तहत की गई थी। राष्ट्रपति निवास, शिमला में स्थित यह संस्थान मुख्य रूप से मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान के उच्च स्तर को समर्पित है। संस्थान के शैक्षणिक समुदाय में मुख्य रूप से स्थानिक अध्येता, अतिथि प्रोफेसर, अतिथि विद्वान और सहयोगी आदि शामिल हैं जो अपने व्यक्तिगत शोध करते हैं और औपचारिक और अनौपचारिक रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। स्वयं राष्ट्रपति निवास, और इस संपत्ति के आस–पास का प्राकृतिक परिवेश सोचने समझने और मानव स्थिति के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करते हैं।

संस्थान के संगम ज्ञापन में अनुसंधान पर इसका दृष्टिकोण दिया गया है:

(क) भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की स्थापना,

प्रशासन और प्रबंधन करने के लिए जो मौलिक विषयों तथा जीवन की समस्याओं और विचारों की स्वतंत्र और रचनात्मक जांच के लिए एक आवासीय केंद्र होगा।

(ख) जांच क्षेत्रों में अंतर–विषयात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना;

(ग) पहचाने गए क्षेत्रों का गहरा मानवीय महत्व होना चाहिए।

अध्येतावृत्ति कार्यक्रमः अध्येतावृत्ति कार्यक्रम संस्थान का प्रमुख कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्येता/ अध्येता/टैगोर अध्येता संस्थान में रहते हैं और अपनी अपनी अनुसंधान परियोजनाओं पर शोध करते हैं।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) भारतीय उच्च शिक्षा के हितों की रक्षा करने और वैश्विक स्तर पर इसे बढ़ावा देने के लिए भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक साझा मंच पर लाने के लिए स्थापित एक शीर्ष अंतर–विश्वविद्यालय संगठन है।

स्थापना और यात्रा

भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना 23 मार्च, 1925 को एक 'अंतर–विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड' के रूप में की गई थी, जो सभी विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा निकायों के संयुक्त प्रयासों के साथ भारतीय उच्च शिक्षा को उच्चतम मानकों तक विकसित करने के लिए एक अधिकृत केंद्रीय एजेंसी था। इसे 29 सितंबर, 1967 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और 1973 में भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) के रूप में पुनःनामित किया गया था। अब यह भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक प्रमुख निकाय है और अनुसंधान–आधारित नीतिगत सलाह देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत है। उच्चतर शिक्षा पर फोकस के साथ सतर्क स्टार्टअप के रूप में शुरू होने वाला यह संस्थान दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है और अपने दायरे में भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री/योग्यताओं में समानता, अनुसंधान और प्रशिक्षण, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, युवा कार्यों को बढ़ावा देने आदि जैसे नए और संबद्ध आयामों को जोड़ रहा है। समान हित के मामलों में विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बीच सहयोग और समन्वय करने के अलावा, एआईयू देश में उच्च शिक्षा के सभी प्रमुख निर्णय लेने वाली समितियों और आयोगों का एक अभिन्न अंग बनकर भारतीय उच्च शिक्षा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

एआईयू के मुख्य उद्देश्य हैं (क) एक अंतर–विश्वविद्यालय संगठन के रूप में कार्य करना; (ख) सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करना और विश्वविद्यालयों के बीच संचार, समन्वय और पारस्परिक परामर्श को सुविधाजनक बनाना; (ग) विश्वविद्यालयों और सरकार (केंद्र के साथ–साथ राज्य सरकारों) के बीच संपर्क के रूप में कार्य करना और सामान्य हित के मामलों में अन्य विश्वविद्यालयों या निकायों (राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय) के साथ सहयोग करना; (घ) भारत के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना; (ङ) भारतीय और विदेशी दोनों ही छात्रों को विदेशी योग्यता के लिए शैक्षणिक समकक्ष जारी करके उन्हें उच्च शिक्षा / रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सुविधा प्रदान करना।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों में डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन (भारत के राष्ट्रपतिः 1962–1967), डॉ जाकिर हुसैन (भारत के राष्ट्रपतिः 1967–1969), डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी (उद्योग और आपूर्ति मंत्री 1947–50, प्रख्यात शिक्षाविद), दीवान बहादुर सर ए एल मुदलियार (पद्म भूषण और प्रख्यात शिक्षाविद्), डॉ अकबर हैदरी (हैदराबाद राज्य के प्रधान मंत्रीः 1937–1941), प्रोफेसर ए.सी वूल्नर (प्रख्यात संस्कृत विद्वान), प्रो जीएच लैंगली (कुलपति, ढाका विश्वविद्यालयः 1926–1934), श्री आर लिटिलहेल्स (कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालयः 1934–1937) पंडित अमरनाथ झा (कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालयः 1938–1947 और कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालयः 1948), सर मौरिस ग्वायर (कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालयः 1938–1950), डॉ केएल श्रीमाली (पद्म विभूषण और केंद्रीय शिक्षा मंत्रीः 1955–1963), प्रो एसएम सिंह 'सुमन' (पद्म भूषण और हिंदी कवि), प्रो एम एस गोर (पद्म भूषण और

प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक), प्रो एम एस आदिशेषिया (पद्मभूषण और प्रख्यात अर्थशास्त्री), प्रो एम एस वलियाथन (पद्म विभूषण और कार्डिएक सर्जन) शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी

सरकार द्वारा वर्ष 2017 में उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (हेफ़ा) की स्थापना प्रमुख उच्चतर शिक्षण संस्थानों की अवसंरचना परियोजनाओं को निधि देने के लिए धारा 8 कंपनी और एनबीएफसी के रूप में की गई थी, जिसमें केनरा बैंक संयुक्त उद्यम भागीदार था। तत्पश्चात, 2019 में, शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों के पुनरुद्धार (राइज़ 2022) के भाग के रूप में, संस्थानों के एज़ प्रोफाइल और उनकी वित्तीय क्षमता के अनुसार संरचित वित्तपोषण विकल्पों के अनुसार उच्चतर शिक्षा, स्कूल शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की भौतिक अवसंरचना और प्रयोगशालाओं आदि के वित्तपोषण को हेफ़ा के माध्यम से वित्तपोषित करना अनिवार्य किया गया था। सरकार संस्थान की वित्तीय क्षमता के आधार पर विभिन्न बैंकों में ऋण सेवा दायित्व निभाएगी। इस व्यवस्था से सरकार बजटीय अनुदानों की कमी को पूरा करते हुए अनेक संस्थानों की अवसंरचनात्मक जरूरतों को पूरा कर पाएगी। सभी संस्थान परियोजना मोड में निधि प्राप्त करेंगे न कि अनुदान मोड में, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। हेफ़ा का तंत्र, जिसमें परियोजना को निष्पादित करने वाले विक्रेता को ऋण राशि सीधे जारी की जाती है, वित्तीय दक्षता सुनिश्चित करता है और संस्थानों के पास निधियों की पार्किंग को रोकता है। इससे लागत और समय की अधिकता भी नहीं होती क्योंकि निधियन केवल कार्य पूरा होने के चरणों के आधार पर प्रदान किया जाता है।

हेफ़ा की अधिकृत इक्विटी 10,000 करोड़ रु. है, जिसमें से सरकारी इक्विटी 6,000 करोड़ रु. है और केनरा बैंक का योगदान सरकारी हिस्सेदारी का 10% होगा। हेफ़ा को या तो चल ऋण पत्रों या प्रत्यक्ष उधार के माध्यम से ऋण के जरिए अतिरिक्त लाभ उठाने के लिए भी अधिकृत किया गया है। वर्ष 2022 तक हेफ़ा द्वारा 100,000 करोड़ रुपये की राशि की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की आशा है।

एडसिल (इंडिया) लिमिटेड

एडसिल (इंडिया) लिमिटेड शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक श्रेणी – I, मिनी–रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एकमात्र सीपीएसई है। यह कंपनी भारत और विदेशों में संपूर्ण शिक्षा और मानव संसाधन विकास मूल्य श्रृंखला में परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है।

एडसिल के क्लाइंट्स में शिक्षा मंत्रालय सहित केंद्र और राज्य सरकार के विभाग, केंद्र और राज्य के पीएसयू और आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, आईआईएसईआर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और सैनिक स्कूल सोसायटी सहित स्वायत्त निकाय शामिल हैं। कंपनी ने मॉरीशस के कक्षा– I, II, III और IV के बच्चों के लिए 52,480 शिक्षा टैबलेट की आपूर्ति के लिए हाल ही में निष्पादित आदेश सहित विदेशों में भी कई परियोजनाओं को निष्पादित किया है। वर्तमान में कंपनी भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करने के लिए अधिक संख्या में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए "स्टडी इन इंडिया" नामक भारत सरकार की एक प्रमुख योजना को कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ऑनलाइन मोड में कई संगठनों के लिए भर्ती, जो भर्ती का एक पारदर्शी तरीका है, डिजिटल शिक्षा सेवाएं, डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट), विभिन्न सरकारी क्लाइंट्स के लिए अवसंरचना और अधिप्राप्ति से संबंधित परियोजनाएं भी चलाती है और इसे विभिन्न प्रतिष्ठित निकायों द्वारा निष्पादन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया गया है।

❖ ❖ ❖

12

आईसीसी और यूनेस्को

आईसीसी और यूनेस्को

मंत्रालय शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम/सहयोग/समझौता ज्ञापन/आशय की संयुक्त घोषणा/आशय पत्र पर हस्ताक्षर करके शैक्षिक सहयोग और सहकार्यता के माध्यम से अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय द्वारा स्टडी इन इंडिया (एसआईआई), शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के संवर्धन हेतु योजना (स्पार्क) और एएसईएम डीयूओ इंडिया फेलोशिप कार्यक्रम नामक योजनाएं भी कार्यान्वित की जाती हैं। कुछ उपलब्धियां इस प्रकार हैं।

स्टडी इन इंडिया

स्टडी इन इंडिया (एसआईआई) कार्यक्रम भारत में आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या को बढ़ाने और भारत को एक पसंदीदा शिक्षा गंतव्य/केंद्र बनाने के उद्देश्य से 18 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में 160 से अधिक चुनिंदा भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी की गई है और भारतीय शिक्षा प्रणाली की ब्रांडिंग के लिए दक्षिण–पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के 42+ देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए, कार्यक्रम में एसआईआई कार्यक्रम के तहत चयनित मेधावी छात्रों को ट्यूशन फीस में 100 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की छूट भी प्रदान की जाती है। एसआईआई के तहत विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, प्रत्येक वर्ष इंडियन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट (इंड–सैट) आयोजित किया जाता है। एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, जो शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के अधीन एक सीपीएसई है, यह स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी है। 2019–20 के दौरान एसआईआई के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों की कुल संख्या 3164 है, जिसमें से 1723 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ अल्पकालिक पाठ्यक्रम (आदर्श पाठ्यक्रम) भी शुरू किए जा रहे हैं। 2020–21 के दौरान कोविड–19 के कारण प्रवेश प्रक्रिया में विलंब हुआ।

भारतीय शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षा (इंड–सैट) का आयोजन:

बजट घोषणा 2020 के पैरा नंबर 36 में उल्लेख किया गया है "भारत को उच्चतर शिक्षा के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने हेतु, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, एशियाई और अफ्रीकी देशों में इंड–सैट आयोजित करने का प्रस्ताव है।"

शिक्षा मंत्रालय के स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जुलाई, 2020 के महीने में पहली बार भारतीय शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षा (इंड–सैट) आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा संचालित इंटरनेट मोड में आयोजित इस परीक्षा में नेपाल, इथियोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया, इंडोनेशिया और मॉरीशस के लगभग पांच हजार छात्र शामिल हुए। इंड–सैट, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रवेश प्रदान करने वाली परीक्षा है।

शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना (स्पार्क):

यह संयुक्त अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई पहल है। यह योजना 28 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हो गई है। इसका उद्देश्य 28 चयनित देशों (यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, कनाडा, इटली, चीन और हांगकांग,

जापान, सिंगापुर, रूस, इज़राइल, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, ताइवान, बेल्जियम, स्पेन, ब्राजील और फिनलैंड) के 600 संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों को सहायताबद्ध करके और मानदंडों को पूरा करने वाले भारतीय संस्थानों (एनआईआरएफ रैंकिंग में समग्र रूप से शीर्ष–100 या श्रेणी–वार रैंकिंग में शीर्ष –100) और मानदंडों को पूरा करने वाले सर्वश्रेष्ठ विदेशी संस्थानोंः (क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में समग्र रूप से शीर्ष–500 और सूचीबद्ध विषय–वार संस्थानों में शीर्ष–200) के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है। योजना में यह परिकल्पना की गई है कि संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय और/अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।

2019 में, सचिव (एचई) की अध्यक्षता में गठित शीर्ष समिति द्वारा स्पार्क के पहले चरण के लिए कुल 25109.21 लाख के बजट वाली कुल 394 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया। 2020–21 के दौरान, प्रतिबंधित आवागमन के कारण, उन परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है जिन्हें ऑनलाइन मोड में शुरू किया जा सकता है।

एएसईएम– ड्युओ भारत अध्येतावृत्ति कार्यक्रमः

ड्युओ– भारत छात्रवृत्ति कार्यक्रम वर्ष 2019 में भारत और यूरोपीय देशों के बीच संतुलित और स्थायी आधार पर शिक्षकों और छात्रों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में केवल ऐसे संस्थान भाग लेने के पात्र हैं जो स्पार्क के तहत संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का हिस्सा हैं।

ड्युओ–इंडिया का लक्ष्य 2020 से एक सेमेस्टर के लिए प्रत्येक वर्ष छात्रों की जोड़ियों और संकाय की जोड़ियों के आदान–प्रदान के लिए निधि प्रदान करना है जिससे भारतीय और यूरोपीय संस्थानों के बीच गतिशीलता को बेहतर बनाया जा सके। इस संबंध में, ड्युओ–इंडिया में छात्रों के एक जोड़े (दो व्यक्ति) का आदान–प्रदान किया जाता है, और वे स्पार्क परियोजनाओं के तहत किसी भी सहयोगी संस्थान (घर और मेजबान दोनों) से होने चाहिए।

पहले वर्ष में छात्रों की 15 जोड़ियों (30 छात्र, भारत और एएसईएम देशों से प्रत्येक में 15) और प्रोफेसरों की 97 जोड़ियों (194 प्रोफेसर) को फेलोशिप प्रदान की गई, जबकि मुख्य लक्ष्य छात्रों की 100 जोड़ियों और प्रोफेसरों की 50 जोड़ियों को फेलोशिप प्रदान करना था। .

इस वर्ष वैयक्ति तक आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण कोई निर्णय नहीं लिया गया है और पहले की अध्येतावृत्तियों का मामला–दर–मामला आधार पर समय बढ़ाया गया है।

2020–21 के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण द्विपक्षीय / बहुपक्षीय बैठकें:

प्रशासकों के लिए भारत–यूके उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रमः

माननीय शिक्षा मंत्री ने 26.02.2020 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों में मध्यम और वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम प्रदान करना है।

जी20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक (ईएमएम):

माननीय शिक्षा मंत्री ने 05.09.2020 को जी20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भाग लिया। जी20 के शिक्षा मंत्रियों ने जी20 अनुसचिवीय विज्ञप्ति को अंतिम रूप दिया।

ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक (ईएमएम):

21.10.2020 को सचिव (एचई) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2020 में वर्चुअल रूप से भाग लिया। सभी देशों ने कोविड के बाद शिक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के विकास पर अपनी कार्यनीतियों पर चर्चा की।

ऑस्ट्रेलिया–भारत ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्ता आश्वासन वेबिनारः

भारत और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने संयुक्त रूप से ऑनलाइन शिक्षा के लिए गुणवत्ता आश्वासन पर चर्चा करने के लिए 19.11.2020 और 20.11.2020 को दो वेबिनार आयोजित किए। वेबिनार में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के

अधिकारियों और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

फिनलैंड के राजदूत के साथ माननीय शिक्षा मंत्री की बैठक:

27.11.2020 को माननीय शिक्षा मंत्री और फिनलैंड के राजदूत के बीच बैठक हुई। बैठक का आयोजन दोनों देशों के बीच शैक्षिक संबंधों को मजबूत बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों को खोजने के लिए किया गया था।

संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री के साथ माननीय शिक्षा मंत्री की वर्चुअल बैठक:

09.12.2020 को माननीय शिक्षा मंत्री और महामहिम हुसैन बिन इब्राहिम अल हम्मादी, शिक्षा मंत्री, संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। माननीय शिक्षा मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के बारे में जानकारी दी और दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच संस्थागत सहयोग बढ़ाने में अपनी रुचि व्यक्त की।

माननीय शिक्षा मंत्री की यूके के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास संबंधी मामलों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बैठक:

15.12.2020 को माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय डोमिनिक राब, विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास संबंधी मामलों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूके के बीच एक प्रत्यक्ष बैठक आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने भारत–यूके रोडमैप 2030 के मसौदे में सहयोग बढ़ाने, शैक्षणिक आदान–प्रदान को मजबूत करने, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास प्रयासों, डिग्री और व्यावसायिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता की दिशा में काम करने में अपनी रुचि व्यक्त की।

यूनेस्को शाखा

शिक्षा मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की गतिविधियों में सहयोग के लिए नोडल मंत्रालय है। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू) में शिक्षा, संस्कृति, संचार, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में पांच उप–आयोग शामिल हैं। माननीय शिक्षा मंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं और सचिव (उच्चतर शिक्षा) इसके महासचिव हैं।

यूनेस्को का छठाँ विशेष सत्र

महामारी के दौरान संगठन के कामकाज के लिए भावी मार्ग पर विचार–विमर्श करने के लिए यूनेस्को ने 8–9 जून 2020 तक छठे विशेष सत्र का आयोजन किया। कार्यकारी बोर्ड के अधिकांश सदस्यों ने महामारी से निपटने के लिए अपने–अपने देशों द्वारा किए गए उपायों को साझा किया। आम सहमति से, "बंद के दौरान कार्यकारी बोर्ड की कार्यप्रण ाली" और "यूनेस्को के कार्यक्रमों और कार्यकलापों पर कोविड का प्रभाव" नामक दो एजेंडा मदों पर निर्णय लिया गया। एक अनौपचारिक कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रत्येक निर्वाचित समूह से कार्यकारी बोर्ड के चार सदस्य शामिल होंगे, जो अपने 209वें सत्र में कार्यकारी बोर्ड के वर्चुअल सत्र के लिए कार्य विधियों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

यूनेस्को चेयर की स्थापना

यूनिटविन, यूनेस्को ने सूचित किया है कि 12 जून 2020 को अमृता विश्व विद्या पीठम, केरल में सतत नवाचार और विकास के लिए प्रायोगिक शिक्षा पर यूनेस्को चेयर आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया है।

कार्यकारी बोर्ड 209वां सत्र

कार्यकारी बोर्ड का 209वां सत्र 2–10 जुलाई 2020 के बीच आयोजित किया गया था। यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री ऑड्री अज़ोले ने पूर्ण सत्र में सभा को संबोधित किया। उन्होने कहा कि अप्रैल की शुरुआत में, संकटकाल के चरम पर, 190 से अधिक देशों में 91% से अधिक छात्र, 1.5 बिलियन से अधिक युवा, स्कूल और विश्वविद्यालय के बंद होने से प्रभावित हुए थे। चूंकि इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी, यूनेस्को ने डाटा, मार्गदर्शन और सिफारिशों के साथ कार्रवाई शुरू कर दी थी। वैश्विक शिक्षा गठबंधन द्वारा किए गए संचालन से भी इस प्रयास में सहायता मिली। महानिदेशक ने सभा

को सूचित किया कि विश्व बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के साथ काम करते हुए, यूनेस्को ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए एक रूपरेखा विकसित की है।

यूनेस्को में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि श्री आरिफ सईद द्वारा कार्यकारी बोर्ड को राष्ट्रीय वक्तव्य संबोधित किया गया जिसमें उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इसके बाद, कार्यकारी बोर्ड ने सिफारिशों, वित्त और प्रशासनिक आयोग एवं कार्यक्रम और विदेश संबंध आयोग संबंधी समिति के साथ बैठक कीं। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष ने वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान संगठन की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों, अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (आईओसी), यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान (यूआईएस), और दो वैश्विक प्राथमिकताओं, अफ्रीका और जेंडर समानता के लिए मूल्यांकन कार्य आयोजित करने में डीजी के प्रयासों के लिए भी सराहना व्यक्त की।

कार्यकारी बोर्ड ने सिफारिश की कि फ्यूचर्स ऑफ एजुकेशन पहल विशेष रूप से बढ़ते डिजिटल विभाजन और शिक्षा के क्षेत्र में विकासशील और कम विकसित देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करती है। इसने सदस्य राज्यों से यूनेस्को के शिक्षा अनुसंधान और दूरदर्शिता कार्य को मजबूत करने और फ्यूचर्स ऑफ एजुकेशन पहल को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। महानिदेशक से अनुरोध किया गया था कि वे इसे अपने 210वें सत्र में शिक्षा के भविष्य पर वैश्विक रिपोर्ट की संरचना और मुख्य विषयों पर जानकारी प्रदान करें।

कार्यकारी बोर्ड ने अपने 41 वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो (आईबीई) के नवीनीकृत जनादेश सहित संशोधित संविधियों को अनंतिम रूप से मंजूरी दी और सामान्य सम्मेलन द्वारा अंतिम समर्थन से पहले कोई भी आवश्यक परिवर्तनकारी उपाय करने के लिए महानिदेशक को आमंत्रित किया। उन्होंने शंघाई में आईबीई के सहयोगी परिसर की स्थापना के लिए चीन के प्रस्ताव पर ध्यान दिया और इस प्रस्ताव की जांच के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय समूह से चार सदस्यों से बने एक कार्य समूह का गठन करने के लिए महानिदेशक को भी आमंत्रित किया। उन्होंने महानिदेशक को अपने 210 वें सत्र में नए कार्य समूह के प्रस्ताव पर और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो के अनंतिम क़ानून के कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले परिवर्तनकारी उपायों पर रिपोर्ट करने के लिए आमंत्रित किया। यह एक अत्यधिक विवादास्पद मुद्दा था जिस पर कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के अलग अलग विचार थे।

कार्यकारी बोर्ड की प्रक्रिया नियमावली के नियम 48 में संशोधन करके यह जोड़ा गया कि किसी भी सदस्य राज्य का कार्यकारी बोर्ड या उसकी किसी भी समिति, आयोगों और अन्य सहायक निकायों में कोई वोट नहीं होगा यदि उसके देय योगदान की कुल राशि चालू वर्ष और उससे ठीक पहले के कैलेंडर वर्ष के लिए इसके द्वारा देय योगदान की कुल राशि से अधिक होगी। आम सम्मेलन में फिर भी ऐसे सदस्य राज्य को मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह आम सम्मेलन की प्रक्रिया नियमावली के नियम 80 में प्रदान की गई इस प्रक्रिया और निर्णय से संतुष्ट है कि सदस्य राज्य के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के चलते भुगतान नहीं किया जा सका।

कार्यकारी बोर्ड का 210 वां सत्र

कोविड 19 के घातक वायरस के कारण यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का 210वां सत्र 2 से 10 दिसंबर, 2020 तक यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि प्रो. जे. एस राजपूत ने 2 दिसंबर, 2020 को भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया।

अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवसः कार्यकारी बोर्ड के 209 वें सत्र ने सिफारिश की कि आम सम्मेलन अपने 41वें सत्र में महानिदेशक से अनुरोध करें कि 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस के रूप में मनाया जाए और सभी सदस्य राज्यों और भागीदारों को एक ऐसी स्थिति में लाएं कि वे शांति और अहिंसा की संस्कृति से संबंधित यूनेस्को के कार्यकलापों में सहायता करने के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करें;

कार्यकारी बोर्ड ने यूनेस्को की क्षमता के क्षेत्रों में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के मामलों और प्रश्नों के विषय पर संगठन द्वारा प्राप्त पत्रों से संबंधित सम्मेलन और सिफारिश (सीआर) समिति की रिपोर्ट की जांच की। सीआर समिति की बैठकें निजी रूप से आयोजित की गई थीं और ईरान, वियतनाम, सऊदी अरब के विरुद्ध मामलों पर चर्चा की गई। कार्यकारी बोर्ड ने समिति की रिपोर्ट को नोट किया।

2003 के कन्वेंशन के लिए राष्ट्र पक्षों की महासभा का आठवां सत्र

2003 के कन्वेंशन के लिए राष्ट्र पक्षों की महासभा का आठवां सत्र 8 से 10 सितंबर 2020 तक आयोजित किया गया। प्रतिनिधियों ने जीवित विरासत पर कोविड–19 महामारी के प्रभावों के बारे में चर्चा की और आपात स्थिति में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए परिचालनात्मक सिद्धांतों और तौर–तरीकों को मंजूरी दी। प्रतिनिधियों ने कन्वेंशन के लिस्टिंग तंत्र पर वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता की भी दृढ़ता से पुष्टि की। महासभा ने कन्वेंशन के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यायित गैर–सरकारी संगठनों और आईसीएच एनजीओ फोरम की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और छत्तीस अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों को प्रत्यायन दिया। निर्वाचन समूह IV में आईसीएच की 21 सदस्यीय समिति के लिए भारत, दक्षिण कोरिया से 14 मतों के अंतर से हार गया।

2020 वैश्विक शिक्षा बैठक

घाना, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम की सरकारों और यूनेस्को द्वारा 20–22 अक्टूबर 2020 तक आयोजित 2020 वैश्विक शिक्षा बैठक, कोविड–19 के बाद शिक्षा पर असाधारण सत्र की मेजबानी मिल जुलकर की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि भारत को इस बैठक में भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें अपनाए जाने वाले संकल्प में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के हिस्से को जीडीपी के कम से कम 4–6% और/या सार्वजनिक व्यय के 15–20% के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क तक बढ़ाने या बनाए रखने की प्रतिबद्धता शामिल थी।

विश्व धरोहर समिति का 14वां असाधारण सत्र

विश्व धरोहर समिति का 14वां असाधारण सत्र 2 नवंबर 2020 को ऑनलाइन आयोजित किया गया था। जून/जुलाई 2021 में फूज़ौ, चीन में विस्तृत 44 वां सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि (पीआरआई) की नियुक्तिः

श्री विशाल वी. शर्मा को पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को में भारत के राजदूत / भारत के स्थायी प्रतिनिधि (पीआरआई) के रूप में नियुक्त किया गया है।

यूनेस्को एमजीआईईपी के शासी बोर्ड की 8वीं वार्षिक बैठक

यूनेस्को, महात्मा गांधी शांति और सतत विकास शिक्षा संस्थान (एमजीआईईपी) की 8वीं वार्षिक बैठक का आयोजन 7 और 8 दिसंबर, 2020 को किया गया। प्रो. जे. एस. राजपूत को एमजीआईईपी के शासी बोर्ड के लिए भारत के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में पुनःनामित किया गया।

ऑरोविले फाउंडेशन

'ऑरोविले' की स्थापना श्री अरबिंदो की आध्यात्मिक सहयोगी 'माँ' ने 28 फरवरी, 1968 को तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में पुडुचेरी के बाहरी इलाके में एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक टाउनशिप के रूप में की थी, जहाँ भारत सहित 46 देशों के 2166 लोग एक समुदाय के रूप में एक साथ रहते हैं और मानव एकता के उद्देश्य से सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और अन्य कार्यकलाप करते हैं। यूनेस्को ने सन 1966, 1968, 1970, 1983 में चार प्रस्तावों के माध्यम से ऑरोविले की परियोजना का समर्थन किया था। यह टाउनशिप 1980 से शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसे भारत की संसद द्वारा पारित ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार प्रशासित किया जाता है।

ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार फाउंडेशन को ऑरोविले की स्थापना, रखरखाव और विकास पर अपने व्यय की पूर्ति हेतु अनुदान के रूप में आंशिक निधि प्रदान करती है। वर्ष 2020–21 के लिए 18.20 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

ऑरोविले फाउंडेशन के शासी बोर्ड के साथ–साथ अध्यक्ष के रूप में डॉ. कर्ण सिंह का कार्यकाल 22 नवंबर, 2020 को समाप्त हो गया है और एक नए शासी बोर्ड के पुनर्गठन / अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और शास्त्री इंडो–कैनेडियन इंस्टीट्यूट (एसआईसीआई) ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त करने के बाद 15 जुलाई, 2016 को 1 अप्रैल से 2016 से 31 मार्च, 2021 तक अर्थात पांच साल की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन (मूल रूप से 29 नवंबर, 1968 को हस्ताक्षरित) के परिशिष्ट X पर हस्ताक्षर किए हैं। परिशिष्ट पर हस्ताक्षर के बाद, भारतीय सलाहकार परिषद और प्रशासनिक समिति का गठन किया गया।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का पुनर्गठन और इसकी पहली बैठक

यूनेस्को (आईएनसीसीयू) के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू) के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष है और इसे जनवरी, 2020 में पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित आईएनसीसीयू की पहली बैठक माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 30.01.2020 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी। बैठक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:

- ➢ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने साझा किया कि ऐसे 80 देश हैं जिनके साथ विज्ञान के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध हैं।
- ➢ संस्कृति मंत्रालय ने साझा किया कि वैश्विक विरासत कन्वेन्शन, 1954, 1970, 1972, 2003, 2005 के कन्वेन्शन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- ➢ अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने साझा किया कि संयुक्त राष्ट्र का एसडीजी लक्ष्य 4.3, शिक्षा उप–आयोग की नई योजनाओं और पहलों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गुणवत्ता और पहुंच पर जोर दिया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए 20 प्रतिष्ठित संस्थान बनाए गए हैं। उच्च शिक्षा में मूल्यांकन सुधार शुरू किए गए हैं।

यूनेस्को एसोसिएटेड स्कूल प्रोजेक्ट नेटवर्क (एएसपीनेट)

यूनेस्को ने सन 1953 में एसोसिएटेड स्कूल प्रोजेक्ट नेटवर्क (एएसपीनेट) की स्थापना की ताकि शांति और अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के यूनेस्को के व्यापक लक्ष्य से संबंधित मुद्दों पर छात्रों को शिक्षित करने के लिए विश्व भर के स्कूलों को प्रोत्साहित किया जा सके। कार्यक्रम में अब 180 से अधिक देशों में 9000 हजार शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। अब तक, भारत में 63 स्कूल हैं जो एएसपीनेट से संबद्ध हैं और भारत में 19 स्कूलों के आवेदन इन स्कूलों को संबद्धता प्रदान करने के लिए यूनेस्को के विचारार्थ भेजे गए हैं।

यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का नामांकन

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के नामांकन का समर्थन किया और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को भेज दिया। इसके परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। यह लोकप्रिय पर्यटक स्थल अब जैव मंडल के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गया है।

यूनेस्को पुरस्कार/छात्रवृत्ति

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू) ने सभी पात्र व्यक्तियों, संस्थानों और गैर–सरकारी संगठनों को निम्नलिखित पुरस्कार/ छात्रवृत्ति के लिए आमंत्रित किया:

I. ल्यूसर्न समर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप

ल्यूसर्न समर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसका विषय एथिक्स इन ए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एलएसयूई था, जो 10–15 जून, 2021 में आयोजित किए जाने थे। अनुशंसित आवेदनों को निदेशक, ल्यूसर्न समर यूनिवर्सिटी को भेजा गया था।

II. वेनहुई पुरस्कार

2010 में यूनेस्को एशिया–पैसिफिक प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट (एपीईआईडी) और यूनेस्को के लिए नेशनल कमीशन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वेनहुई पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, ताकि एशिया–पैसिफिक क्षेत्र में शैक्षिक नवाचार में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी जा सके। अनुशंसित आवेदकों के लिए आईएनसीसीयू से पृष्ठांकन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

III. दिव्यांगजनों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए यूनेस्को/अमीर जाबेर अल–अहमद अल–जबेर अल–सबा पुरस्कार, 2020–2021

दिव्यांगजनों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए यूनेस्को/अमीर जाबेर अल अहमद अल जबेर अल सबा पुरस्कार की स्थापना डिजिटल समाधान, संसाधनों और प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के माध्यम से दिव्यांगजनों को शामिल करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए की गई है। अनुशंसित आवेदकों के लिए आईएनसीसीयू से पृष्ठांकन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

यूनेस्को के लिए थाई राष्ट्रीय आयोग और यूनेस्को के लिए वियतनाम राष्ट्रीय आयोग को आईएनसीसीयू का समर्थन पत्र

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को के लिए थाई राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत फ्राया श्री सुंदर वोहारा (नोई आचार्या कुरा) की वर्षगांठ के प्रस्ताव और 2022–2023 द्विवार्षिक के लिए वर्षगाँठ के भीतर यूनेस्को के लिए वियतनाम राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित वर्षगांठ के प्रस्ताव को समर्थन प्रदान किया:

1. कवि गुयेन दिन्ह चिउआन्द के जन्म की 200वीं वर्षगांठ।
2. कवयित्री हो जुआनहुओंग के जन्म की 250वीं जयंती और 200वीं पुण्यतिथि।

❖ ❖ ❖

अनुबंध

एनआईटी और आईआईईएसटी की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
1.	एनआईटी–अगरतला	त्रिपुरा
2.	एमएनएनआईटी–इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
3.	मानित –भोपाल	मध्य प्रदेश
4.	एनआईटी–कालीकट	केरल
5.	एनआईटी–दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
6.	एनआईटी–हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश
7.	एमएनआईटी–जयपुर	राजस्थान
8.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर एनआईटी–जालंधर	पंजाब
9.	एनआईटी–जमशेदपुर	झारखंड
10.	एनआईटी कुरुक्षेत्र	हरियाणा
11.	वीएनआईटी–नागपुर	महाराष्ट्र
12.	एनआईटी–पटना	बिहार
13.	एनआईटी–रायपुर	छत्तीसगढ़
14.	एनआईटी राउरकेला	उड़ीसा
15.	एनआईटी सिलचर	असम
16.	एनआईटी–श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर (यूटी)
17.	एसवीएनआईटी–सूरत	गुजरात
18.	एनआईटीके–सूरतकल	कर्नाटक
19.	एनआईटी–तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
20.	एनआईटी वारंगल	तेलंगाना
21.	एनआईटी–अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
22.	एनआईटी–दिल्ली	दिल्ली (यूटी)
23.	एनआईटी–गोवा	गोवा
24.	एनआईटी–मणिपुर	मणिपुर
25.	एनआईटी–मेघालय	मेघालय
26.	एनआईटी–मिजोरम	मिजोरम
27.	एनआईटी–नागालैंड	नगालैंड
28.	एनआईटी–पुदुचेरी	पुडुचेरी (यूटी)
29.	एनआईटी–सिक्किम	सिक्किम
30.	एनआईटी–उत्तराखंड	उत्तराखंड
31.	एनआईटी–आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
32.	आईआईईएसटी–शिबपुर	पश्चिम बंगाल

पार्ट - II

स्कूल शिक्षा
और
साक्षरता विभाग

01

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

I. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

I. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (1968 और 1986, 1992 में संशोधित) की श्रृंखला में तीसरी नीति है और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया सन 2016 में टी.एस. आर. सुब्रमण्यम समिति के गठन के साथ शुरू हुई थी। इस समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी थी। इसके बाद, डॉ. के. आर. कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया जिसने 2019 में मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की।

एक विस्तृत और गहन परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई और राज्य सचिवों माननीय सांसदों, संसदीय स्थायी समितियों के साथ परामर्श किया गया और सीएबीई की विशेष बैठक भी आयोजित की गई जिसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। मसौदे को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था और 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनकी विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा जांच की गई थी। सभी हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अंतिम रूप दिया गया और 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य हमारे देश की अनेक बढ़ती हुई विकासात्मक अनिवार्यताओं का समाधान करना है। यह नीति शिक्षा संरचना के विनियमन और अभिशासन सहित इसके सभी पहलुओं के संशोधन और सुधार का प्रस्ताव करती है जिससे भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों को मजबूत बनाते हुए एसडीजी 4 सहित 21 वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ एक नई प्रणाली का सृजन किया जा सके।

II. एनईपी 2020 का विजन :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) की स्थापना पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के पांच मार्गदर्शी स्तंभों पर की गई है। यह हमारे युवाओं को वर्तमान और भविष्य की विविध राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। एनईपी 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा को एकल जैविक निरंतरता के रूप में देखती है, और भारतीय लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होने के साथ साथ 21वीं सदी के कौशलों को आत्मसात करने पर बल देती है।

III. सुधार क्षेत्र :

नीति का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार करना है:

प्रारंभिक बाल्यकाल विकास, देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई)

2030 तक गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई के सार्वभौमिक प्रावधान को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इस स्तर पर अधिकतम संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावनात्मक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा (एनसीपीएफ़ईसीई) विकसित किया जाएगा। 5 वर्ष की आयु से पहले आंगनवाडी/प्री–स्कूल से स्कूल तक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बच्चे को "प्रिपरेटरी कक्षा" या "बालवाटिका" (अर्थात कक्षा 1 से पहले) में जाना होगा। स्कूल में जाने से पहले की शिक्षा का यह एक वर्ष, बाल शिक्षार्थियों को स्कूल के लिए तैयार करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र स्कूल के लिए तैयार हैं, एक अतिरिक्त 3 महीने का प्ले–आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल' विकसित किया जाएगा, जो सभी छात्रों के

लिए ग्रेड 1 में प्रवेश करते ही शुरू हो जाएगा। इससे इन बच्चों का संज्ञानात्मक आधार और मजबूत होगा।

मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना:

स्कूल शिक्षा प्रणाली के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक स्तर पर मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल की सार्वभौमिक पहुँच को प्राप्त करना है। मूलभूत अधिगम एक बच्चे के भावी अधिगम का आधार है। समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणित के मूल कार्य को कर पाने के बुनियादी मूलभूत कौशल प्राप्त न कर पाने के कारण बच्चा कक्षा 3 के बाद पाठ्यक्रम की जटिलताओं के लिए तैयार नहीं होता। इस संदर्भ में, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन स्थापित किया जा रहा है। इस मिशन का ध्यान पांच क्षेत्रों पर केंद्रित होगा– विद्यालयी शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक शिक्षा की पहुंच प्रदान करना और उन्हें बनाए रखना, शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्तापूर्ण और विविध छात्र और शिक्षक संसाधन/शिक्षण सामग्री का विकास, अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखना, और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पहलुओं पर ध्यान देना।

ड्रॉप आउट दर को कम करना और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना:

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संदर्भानुसार अपनाए जाने वाले विभिन्न उपायों के माध्यम से 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त किया जाएगा। लक्ष्य यह है कि प्री–प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक के किसी भी स्कूल को अवसंरचनात्मक सहायता की कमी हो। इसके साथ–साथ स्कूलों में सार्वभौमिक भागीदारी प्राप्त करने के लिए छात्रों के साथ–साथ उनके सीखने के स्तर की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाएगी। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पद्धतियों को शामिल करते हुए सीखने की कई विधियाँ भी स्थापित की जाएंगी।

पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र:

स्कूल शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना 3–8, 8–11, 11–14 और 14–18 वर्ष की आयु सीमा के अनुरूप क्रमशः 5+3+3+4 डिजाइन द्वारा निर्देशित होगी। देश में पहली बार, इस नीति में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नवीन शिक्षाशास्त्र के महत्व पर चर्चा की गई है। अतः, 5+3+3+4 ढांचे में शिक्षाशास्त्र इस प्रकार हैं:

5: **लचीली, बहुस्तरीय, खेल/गतिविधि–आधारित शिक्षा**

+3: खेल, खोज और गतिविधि–आधारित शिक्षाशास्त्र का निर्माण

+3: प्रत्येक विषय में अधिक भावात्मक अवधारणाओं को सीखने और चर्चा के लिए विषय शिक्षकों को शामिल करना; प्रत्येक विषय के भीतर अनुभवात्मक शिक्षा और विभिन्न विषयों के बीच संबंधों की खोज

+4: बहुविषयक अध्ययन जो विषय के अध्ययन पर आधारित होता है, लेकिन अधिक गहराई/विवेचनात्मक सोच/लचीलेपन/विषयों की पसंद के साथ, जिससे जीवन की आकांक्षाएं भी विकसित होती हैं।

एनईपी 2020 के विजन के आधार पर स्कूल शिक्षा के लिए एक नई और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफएसई 2020–21 तैयार की जा रही है। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा सुनिश्चित करेगी कि 'पाठ्यचर्या', 'पाठ्यचर्या से इत्तर', या 'सह–पाठ्यचर्या' के बीच, 'कला', 'मानविकी', और 'विज्ञान' के बीच, या 'व्यावसायिक' अथवा 'शैक्षणिक' विषयों के बीच कोई कठोर विभाजन न हो। प्रत्येक विषय में पाठ्यचर्या सामग्री को उसकी मूल अनिवार्यता तक कम कर दिया जाएगा, और विवेचनात्मक सोच और अधिक समग्र, पूछताछ–आधारित, खोज–आधारित, चर्चा–आधारित और विश्लेषण–आधारित अधिगम के लिए स्थान बनाया जाएगा।

अनुभवात्मक अधिगम और समग्र विकास

सभी चरणों में, अनुभवात्मक अधिगम को अपनाया जाएगा और इसमें मानक शिक्षाशास्त्र के रूप में अन्य के साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा, कला–एकीकृत और खेल–एकीकृत शिक्षा, कहानी सुनाना–आधारित शिक्षाशास्त्र, शामिल होंगे।

कक्षा–कक्ष में योग्यता–आधारित अधिगम और शिक्षा का आदान–प्रदान होगा।

बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति

मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता जब तक कि शुरू से ही 'समझ की भाषा' को शामिल न किया जाए। पढ़ना और लिखना सीखना मात्र किसी आलेख को डिकोड करना ही नहीं है–अन्य भाषाओं को बेहतर ढंग से तभी सीखा जा सकता है जब एक परिचित (पहली या घरेलू) भाषा में हुमारी नींव मजबूत हो। परस्पर संबंधित तरीके से विकसित भाषाओं से अन्य विषयों को सीखने और शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार होता है। इससे बच्चों की भाषा, संस्कृति और पहचान की भी पुष्टि होती है जिससे बच्चों में सकारात्मक आत्म–छवि और आत्म–प्रभावकारिता पैदा होती है, जिसके परिणामस्वरूप कक्षा–कक्ष अधिक संवादात्मक और बाल–केंद्रित बनते हैं। एनईपी, 2020 की परिकल्पना है कि जहां भी संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। सभी भाषाओं को मनोरंजक और संवादात्मक शैली में सिखाया जाएगा।

छात्र विकास के लिए मूल्यांकन रूपान्तरण

छात्रों द्वारा विषय/शीर्षकों में उनकी समझ का प्रदर्शन सीखने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, और जब तक एक प्रभावी मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि पाठ्यचर्या के शैक्षिक लक्ष्यों और मानकों को पूरा किया जा रहा है अथवा नहीं। एनईपी 2020 में निध् ाारित किया गया है कि सभी छात्र कक्षा 3, 5 और 8 में भी स्कूल की परीक्षा देंगे, जिससे बुनियादी अधिगम परिणामों की उपलब्धि और वास्तविक जीवन की स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग की परीक्षा होगी। कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड की परीक्षाएं जारी रहेंगी, हालांकि, उन्हें 'आसान' बनाया जाएगा, क्योंकि इन परीक्षाओं में महीनों की कोचिंग/याद रखने के बजाय मुख्यतया प्रमुख क्षमताओं/ योग्यताओं की परीक्षा ली जाएगी। सभी छात्रों का 360–डिग्री, बहुआयामी समग्र प्रगति कार्ड तैयार किया जाएगा। भारत में माध्यमिक बोर्डों को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षमता निर्माण और हैंड–होल्डिंग की आवश्यकता होगी, इसलिए परख (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा, और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण) नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा जो सभी बोर्डों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले बेंचमार्क / मानदंड विकसित करेगा और इस प्रक्रिया में उनका भी मार्गदर्शन करेगा।

शिक्षक और शिक्षक शिक्षा

वर्तमान में, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) केवल कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को कवर करती है। सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में प्री–प्राइमरी से कक्षा 12 के शिक्षकों को कवर करने के लिए टीईटी को मजबूत और विस्तारित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल शिक्षा प्रणाली में केवल कुशल शिक्षकों की भर्ती हो। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की जाएगी कि वह स्व–हित से प्रेरित होकर प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 घंटे सीपीडी (सतत व्यावसायिक विकास) के अवसरों में भाग ले। एनसीटीई द्वारा 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एक सामान्य मार्गदर्शी सेट विकसित किया जाएगा। 2030 तक शिक्षक शिक्षा को धीरे–धीरे बहु–विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक ले जाया जाएगा। 2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड डिग्री होगी। सभी स्टैंड–अलोन टीईआई को 2030 तक बहु–विषयक संस्थानों में परिवर्तित करना अपेक्षित होगा, क्योंकि उन्हें 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक तैयारी कार्यक्रम प्रदान करना होगा। 2021 तक, एनसीईआरटी के परामर्श से एनसीटीई द्वारा शिक्षक शिक्षा के लिए एक नयी और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफटीई 2021 तैयार की जाएगी।

समान और समावेशी शिक्षाः सभी के लिए शिक्षा

एनईपी, 2020 की एक अन्य संबंधित थीम है सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर फोकस करना। सभी बालिकाओं के साथ–साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए एक 'जेंडर–समावेशन निधि' का गठन किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को मजबूत किया जाएगा और उनका विस्तार किया जाएगा ताकि

गुणवत्तापरक स्कूलों (कक्षा 12 तक) में भागीदारी बढ़ाई जा सके। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार सभी दिव्यांग बच्चों के लिए निर्बाध पहुंच बनाई जाएगी। एनआईओएस भारतीय सांकेतिक भाषा सिखाने के लिए और भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को पढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त मॉड्यूल विकसित करेगा।

स्कूल परिसरों/क्लस्टरों के माध्यम से संसाधनों का कुशल उपयोग और प्रभावी प्रशासन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कूलों को स्कूल परिसरों/स्कूलों के समूह या किसी अन्य प्रकार के समूह में संगठित करने के लिए नवीन तंत्र अपनाएंगे, जो शासन और प्रशासन की बुनियादी इकाई होगी। प्रत्येक राज्य/जिले को "बालभवन" स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो एक दिन के समय के लिए विशेष बोर्डिंग स्कूल होगा, जिससे छात्र कला–संबंधी, करियर–संबंधी और खेल–संबंधी गतिविधियों में भाग ले सकेंगे।

स्कूलों का नियमन :

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) नामक एक स्वतंत्र, राज्य–व्यापी निकाय स्थापित करेंगे। सार्वजनिक और निजी स्कूलों (केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित/सहायता प्राप्त/नियंत्रित स्कूलों को छोड़कर) का मूल्यांकन और मान्यता समान मानदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं पर किया जाएगा। एससीईआरटी सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन रूपरेखा (एसक्यूएएएफ) विकसित करेगा।

व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार:

व्यावसायिक अनुभवों पर रोचक पाठ्यक्रम कम उम्र में, ग्रेड 6–8 के दौरानशुरू होंगे, जो राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए अनुसार व्यावसायिक शिल्प, जैसे बढ़ईगीरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि का व्यावहारिक अनुभव देंगे। इन्हें बाद मेंमाध्यमिक विद्यालय स्तरपर विशिष्ट कौशल की ओरले जाया जाएगा और ये उच्च शिक्षा में आसानी से एकीकृत हो जाएंगे।स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार, आदि के साथ कक्षा 6–8 के दौरान कभी–कभी 10–दिवसीय बैगलेस अवधि को भी एक आनंददायक शिक्षण के अभ्यास के रूप में परिकल्पित किया गया है।लोकविद्या,'यानी, भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा:

पहली बार एक प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचे की परिकल्पना की गई है, जिसे एनसीईआरटी के एक नए घटक निकाय द्वारा विकसित किया जाएगा जो प्रौढ़ शिक्षा के प्रति समर्पित है।प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प जैसे एप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम/मॉड्यूल, उपग्रह आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें, और आईसीटी से सुसज्जित पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे।

शिक्षा में प्रौद्योगिकीए कीकरण:

एनईपी, 2020 स्कूली शिक्षा के पूरे क्षेत्र के लिए तकनीकी कार्यक्रमों की परिकल्पना करता है– जिसमें शिक्षण–अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार, शिक्षक तैयारी और व्यावसायिक विकास में सहायता, शैक्षिक पहुंच में वृद्धि, शैक्षिक योजना, प्रबंधन और प्रशासन, आकलन आदि को सुव्यवस्थित करने से लेकर प्रवेश, उपस्थिति से संबंधित प्रक्रियाएं शामिल हैं।

II. समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षा, पूर्व–विद्यालय से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम, स्कूली शिक्षा और तुलनीय अधिगम परिणामों के लिए समान अवसरों के संदर्भ में मापी गई स्कूल प्रभावशीलता में सुधार के व्यापक लक्ष्य के साथ लागू किया जा रहा है।योजना का दृष्टिकोण शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुसार पूर्व–विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी

और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के मुख्य परिणामों की परिकल्पना व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को मजबूत करने सहित सार्वभौमिक पहुंच, समानता और गुणवत्ता के रूप में की गई है। यह योजना 2018–19 में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं के साथ शुरू की गई थी।

समग्र शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं

शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण

- स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से प्री–स्कूल से कक्षा 12 तक एक निरंतरता के रूप में मानना
- पहली बार स्कूली शिक्षा की सहायता में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर और पूर्व–विद्यालय स्तर को शामिल करना

प्रशासनिक सुधार

- सामंज स्यपूर्ण कार्यान्वयन के लिए अग्रणी एकल और एकीकृत प्रशासनिक संरचना
- योजना के तहत राज्यों को उनके हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने का लचीलापन
- एक एकीकृत प्रशासन जो 'स्कूल' को एक निरंतरता के रूप में देखे।

शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना

- दो टी – (टीचर एंड टेक्नोलॉजी) शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना
- सीखने के परिणामों में सुधार पर जोर देना
- शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की क्षमता संवर्द्धन निर्माण
- सिस्टम में भावी शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एससीईआरटी और डाइट जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने पर ध्यान देना
- सेवाकालीन और सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण केलिए एससीईआरटी नोडल संस्थान होगा – प्रशिक्षण को गतिशील और आवश्यकता आधारित बनाएगा।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में शिक्षकों की क्षमता निर्माण के साथ–साथ शिक्षक शिक्षा संस्थानों एससीईआरटी / डाइट / बीआरसी / सीआरसी / सीटीई / आईएएसई को मजबूत करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर मुख्य ध्यान देना।
- पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति विद्यालय वार्षिक अनुदानः पुस्तकालय अनुदान 5,000 रु. से 20,000 रु.
- स्कूलों में विज्ञान और गणित सीखने को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को सहायता देना।
- प्राथमिक स्तर पर मूलभूत कौशल विकसित करने के लिए पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम को सहायता प्रदान करना।

डिजिटल शिक्षा पर ध्यान देना

- स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड और डीटीएच चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना।
- उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक केस्कूलों में आईसीटी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- ''दीक्षा'', डिजिटल पोर्टल को सहायता प्रदान करना

स्कूलों का सुदृढ़ीकरण

- सभी स्तरों पर सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करना।
- कक्षा I से VIII तक के बच्चों को स्कूल में सार्वभौमिक पहुंच के लिए उन्नत परिवहन सुविधा
- वार्षिक समग्र स्कूल अनुदान को 14,500–50,000 से 25,000–1 लाख रु. प्रति स्कूल बढ़ाया गया और इसे स्कूल नामांकन के आधार पर आवंटित किया जाना है।
- स्वच्छता गतिविधियों के लिए विशिष्ट प्रावधान – 'स्वच्छ विद्यालय' का सहयोग

बालिका शिक्षा पर ध्यान देना

- लड़कियों का सशक्तिकरण
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का कक्षा 6–8 से कक्षा 6–12 तक उन्नयन।
- उच्च प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण
- कक्षा I से XII तक की दिव्यांग लड़कियों के लिए वजीफा प्रदान किया जाएगा। –पहले केवल IX से XII तक दिया जाता था।
- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाना

समावेशन पर ध्यान देना

- आरटीई अधिनियम के तहत वर्दी के लिए आवंटन बढ़ाया गया। 400 रू. से रु. 600 प्रति बच्चा प्रति वर्ष बढ़ाया गया।
- आरटीई अधिनियम के तहत पाठ्यपुस्तकों के लिए आवंटन 150/250 से रु. 250/400 रू. प्रति बच्चा प्रति वर्ष से बढ़ाया गया। सक्रिय पाठ्य पुस्तकें लाई जाएंगी।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए आवंटन को 3000 रू. से रु. 3500 प्रति बच्चा प्रति वर्ष बढ़ाया गया। कक्षा 1 से 12 तक की विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के लिए 200 प्रति माह रुपये का वजीफा।
- स्कूल न जाने वाले बच्चों के प्रारंभिक स्तर पर आयु के अनुरूप प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण।

(कौशल विकास) स्किल डेवलपमेंट पर फोकस

- उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक कौशल के लिए एक्सपोजर बढ़ाया जाएगा।
- पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग के रूप में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना
- कक्षा 9–12 के लिए व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत और अधिक व्यावहारिक और उद्योग उन्मुख बनाना।
- 'कौशल विकास' पर जोर देना

खेल और शारीरिक शिक्षा पर ध्यान देना

- खेल शिक्षा पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाना
- खेल की प्रासंगिकता को विकसित करने और उस पर जोर देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5000 रु. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 और रु. माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 की लागत पर खेल उपकरण प्राप्त होंगे। 'खेलो इंडिया' को सहयोग

क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान देना

- संतुलित शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना
- शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी), वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों, विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी), सीमावर्ती क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों को वरीयता।

III. अधिगम परिणामः

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 6–14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है।सतत विकास लक्ष्य 4 का लक्ष्य हैः–

> **"समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षण अवसरों को बढ़ावा देना।"**

लक्ष्य का तात्पर्य जीवन पर्यंत शिक्षण के आधार के रूप में आधारभूत और हस्तांतरणीय कौशल के प्रभावी अधिग्रहण के साथ–साथ सीखने की प्रासंगिकता काम की दुनिया और व्यक्तिगत, सिविल और सामाजिक जीवन दोनों पर ध्यान केंद्रित करना है–

जबकि सरकारी पहलों के कार्यान्वयन से प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच में बड़ा सुधार हुआ है, शिक्षा की गुणवत्ता एक

ऐसा क्षेत्र है जिस पर हाल के वर्षों में अधिक ध्यान दिया गया है।इस फोकस का उन क्षेत्रों में निहितार्थ है जो सीखने की प्रक्रियाओं और परिणामों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं।इनमें शिक्षक शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम विकास, और शिक्षण और सीखने की सामग्री के डिजाइन के साथ–साथ सीखने का मूल्यांकन शामिल है।

सीखने के परिणामों का संहिताकरण

गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, केंद्रीय आरटीई नियमों को 20 फरवरी, 2017 को संशोधित किया गया था, जिसमें कक्षा–वार, विषय–वार सीखने के परिणामों पर संदर्भ शामिल किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बच्चे उचित सीखने के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। सीखने के परिणामों का संदर्भ इस प्रकार शामिल किया गया है– (i) सभी प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षावार, विषयवार सीखने के परिणाम तैयार करनाः और (ii) परिभाषित सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए निरंतर और व्यापक मूल्यांकन को व्यवहार में लाने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने संबंधित आरटीई नियमों में सीखने के परिणामों के संदर्भ को भी शामिल किया है।

कक्षा I से VIII तक भाषा (हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू), गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्रारंभिक स्तर तक सीखने के परिणाम NCERT द्वारा तैयार और विकसित किए गए हैं। दस्तावेज़ में प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं, शैक्षणिक प्रक्रियाएं और सीखने के परिणाम शामिल हैं।

ये नियामक नहीं हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पर विकसित सीखने के परिणामों से बहुत अधिक विचलन के बिना स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रासंगिक हैं।सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सीखने के परिणामों के दस्तावेज़ का अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया है और इसे सभी स्कूलों में परिचालित किया है।

माता–पिता और समुदाय के सदस्यों को इसके बारे में जागरूक करने हेतु स्कूल परिसर में प्रदर्शन के लिए 'कॉम्पैक्ट लर्निंग आउटकम' के पोस्टर का एक सेट भी विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस), 2017 13 नवंबर, 2017 को आयोजित किया गया था, जिसके माध्यम से सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 701 जिलों के 1.10 लाख स्कूलों की कक्षा III, V और VIII के लगभग 22 लाख छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन किया गया। यह योग्यता–आधारित मूल्यांकन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा ग्रेड I से VIII तक के सभी विषयों के लिए विकसित किए गए सीखने के परिणामों पर आधारित था। कक्षा III और V के छात्रों का मूल्यांकन पाठ बोध (रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन) गणित और पर्यावरण अध्ययन पर किया गया और कक्षा VIII के छात्रों का भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर मूल्यांकन किया गया।

सीखने के परिणामों की संख्या (प्राथमिक)

सीनियर नहीं	विषय	कक्षा I	कक्षा II	कक्षा III	चतुर्थ श्रेणी	कक्षा V	कक्षा VI	कक्षा VII	कक्षा आठवीं
1	हिंदी	14	17	14	18	17	20	22	23
2	अंग्रेज़ी	15	12	14	19	19	17	22	27
3	गणित	9	7	12	13	8	18	21	21
4	उर्दू	7	13	10	7	8	4	6	4
5	ईवीएस			15	15	13	14	16	15
6	सामाजिक विज्ञान						26	34	32

माध्यमिक स्तर के लिए सीखने के परिणाम भी सभी विषय क्षेत्रों में विकसित किए गए हैं और फरवरी, 2020 में जारी किए गए हैं। सीखने के परिणामों में सामग्री के प्रभाव की चुनौती को इस तरह से हल किया गया है कि हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें के बावजूद इनका उपयोग कर सकता है। इन सीखने के परिणामों का सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरोकारों के संबंध में सतत विकास लक्ष्य –4 के साथ मजबूत संबंध हैं।

सीखने के परिणामों की संख्या (माध्यमिक)

क्रमांक	विषय	कक्षा IX	कक्षा X
1	अंग्रेज़ी	30	36
2	हिंदी	24	27
3	विज्ञान	19	19
4	सामाजिक विज्ञान	12	12
5	गणित	13	15
6	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	19	16
7	कला शिक्षा (दृश्यकला)	17	17
	प्रदर्शन कला (संगीत)	26	37
	नृत्य	24	17
	थिएटर	11	21

अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लेखा और व्यवसाय अध्ययन, चित्रकला और संगीत, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्रों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम क्षेत्रों के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सीखने के परिणामों का मसौदा विकसित किया गया है और हितधारक परामर्श के लिए परिचालित किया गया है।

सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो अपेक्षित उपलब्धि है के बीच के अंतराल से उपयुक्त कार्यनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सभी छात्र वांछित शिक्षण परिणाम प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन में उनका उपयोग करने में सक्षम हैं।

सीखने के परिणाम पाठ्यक्रम और सामग्री में विविधता को हल करेंगे और शिक्षकों को एक अच्छी तरह से परिभाषित मानदंड प्रदान करेंगे। छात्र उपयुक्त दक्षताओं को विकसित करने में भी सक्षम होंगे। सीखने के परिणाम मापने योग्य हैं और ये सभी हितधारकों की शिक्षा प्रणाली के प्रति जवाबदेही निश्चित करेंगे। शिक्षण–अधिगम और मूल्यांकन के केन्द्रबिंदु को विषयवस्तु दक्षता से योग्यता दक्षता की ओर स्थानांतरित किया जाएगा।वांछित सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या, शैक्षणिक प्रक्रियाओं और आकलनों को भी बदला जाएगा।

IV. सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आरटीई अधिनियम 2009 में संशोधन

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने बताया था कि सरकारी स्कूलों में 511,679 अप्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत हैं। इसके अलावा, यू–डीआईएसई के अनुसार, 2015–16 में, देश भर में गैर–सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में 597,765 गैर–प्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत थे।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) में प्रावधान है कि–

> ऐसी न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

आरटीई अधिनियम की धारा 23(2) का परंतुक इस प्रकार है:

> बशर्ते कि एक शिक्षक, जो इस अधिनियम के प्रारंभ में, उप–धारा (1) के तहतनिर्धारितन्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, पांच साल की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेगा।

आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक प्राधिकरण के

रूप में अधिसूचित किया गया है ताकि किसी व्यक्ति की एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जा सके। तदनुसार, एनसीटीई ने अपनी अधिसूचना दिनांक 23.08.2010 (समय–समय पर संशोधित) के माध्यम से कक्षा I से VIII के लिए शिक्षक के रूप में पात्र होने हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। इन न्यूनतम योग्यताओं में 50 प्रतिशत के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (डी.ईएल.एड) शामिल हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक, शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करें, यह निर्णय लिया गया कि इस तरह के प्रशिक्षण को प्राप्त करने की अवधि को 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाने के लिए आरटीई अधिनियम, 2009 में एक उपयुक्त संशोधन किया जाए। .

अप्रशिक्षित सेवाकालीन प्राथमिक शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा आरटीई अधिनियम की धारा 23 (2) में संशोधन 1 अगस्त 2017 को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

संशोधन के बाद जोड़ा गया नया परंतुक इस प्रकार हैः

> बशर्ते यह भी कि 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक, जिसके पास उप–धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं नहीं हैं, ऐसी न्यूनतम योग्यताएं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 के शुरू होने की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर हासिल कर लेगा।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) को 'ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड' के माध्यम से अप्रशिक्षित इन–सर्विस प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा गया था।सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पाठ्यक्रम के तौर–तरीकों के बारे में सूचित किया गया और एनआईओएस ने राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए ताकि पाठ्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अप्रशिक्षित सेवाकालीन प्राथमिक शिक्षक रह न जाए। परिणामस्वरूप, पाठ्यक्रम के लिए एनआईओएस पोर्टल पर 13 लाख से अधिक शिक्षकों ने पंजीकरण कराया। पाठ्यक्रम 3 अक्टूबर 2017 से शुरू हुआ।

इस पहल की एक अनूठी विशेषता यह थी कि एनआईओएस द्वारा तैयार की गई अध्ययन सामग्री स्व–निर्देशन मोड में थी और इन्हें स्वयम मंच पर चार आयामों में अपलोड किया गया अर्थात (1) ऑडियो/वीडियो व्याख्यान (2) विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड/मुद्रित किया जा सकता है (3) परीक्षण और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्व–मूल्यांकन परीक्षण और (4) संदेहों को दूर करने के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच।

सभी शिक्षकों को एनआईओएस पोर्टल, स्वयम पोर्टल और स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से आमने–सामने कार्यक्रम के लिए अलग–अलग व्यवस्था के साथ ऑनलाइन निर्देश दिए गए थे। सभी अप्रशिक्षित इन–सर्विस शिक्षकों को इस पाठ्यक्रम के माध्यम से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने का अवसर दिया गया। ऑनलाइन डी.ईएल.एड पाठ्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करना था जिससे गुणवत्ता में सुधार हो। यह आशा की जाती है कि व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों की उपस्थिति से अंततः स्कूल जाने वाले बच्चे लाभान्वित होंगे।

सरकारी, सरकारी–सहायता–प्राप्त और निजी–गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों के कुल 13,78,979 प्राथमिक शिक्षकों ने डी.ईएल.एड पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करवाया, जिसे आरटीई अधिनियम में संशोधन के अनुसार 31 मार्च, 2019 को पूरा किया गया। और कुल 9,64,300 शिक्षकों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया था।

इस प्रणाली में सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के इस व्यापक अभ्यास के बाद, छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार की उम्मीद है।शिक्षक सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे।पेशेवर योग्यता प्राप्त करने के बाद, शिक्षक अब विशेष सेवाकालीन प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि नवाचारी शिक्षाशास्त्र, सीखने का मूल्यांकन आदि। शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और शिक्षाशास्त्र में नए परिवर्तनों को अपनाने और अनुकूलित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

V. "नो डिटेंशन प्रोविजन" के संबंध में आरटीई अधिनियम का संशोधन:

आरटीई अधिनियम, 2009,संविधान (86वें संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारत के संविधान में समाहित अनुच्छेद 21–ए परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है। आरटीई अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी है, यह अनिवार्य बनाता है कि प्रत्येक छह से चौदह वर्ष आयु के बच्चों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

i) हाल के वर्षों में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बच्चों के सीखने के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव के मुद्दे को उठाया है क्योंकि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 16 प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में बच्चों को डिटेन करने की अनुमति नहीं देती है।

ii) प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए और सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के बाद, उपयुक्त सरकार को यह निर्णय लेने के लिए कि पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा या दोनों में बच्चे को कक्षाओं में अतिरिक्त शिक्षा प्रदान करने और पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान करने के बाद डिटेन करना है या नहीं, यह निर्णय लेने के लिए धारा 16 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

iii) तदनुसार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 16 और 38 में संशोधन करते हुए, 11 जनवरी, 2019 को अधिसूचित किया गया और यह 1 मार्च 2019 से प्रभावी हुआ।

iv) राज्यों को बच्चों को डिटेन करने के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। राज्यों को निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बच्चे वार्षिक परीक्षा पास करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें 2 महीने की अवधि के लिए पूरक शिक्षण दिया जाता है और उन्हें वार्षिक परीक्षा के लिए फिर से उपस्थित होने का अवसर दिया जाता है और उन्हें केवल तभी डिटेन किया जाए जब वे पूरक परीक्षा पास करने में असमर्थ रहते हैं।

v) यदि किसी बच्चे को कक्षा दोहरानी पड़ती है तो उसे निष्कासित नहीं किया जाएगा या प्राथमिक विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।अब तक 9 राज्यों यानी बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा ने अपने राज्य के आरटीई नियमों में संशोधन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संशोधन के लिए केंद्रीय आरटीई नियमावली की समीक्षा की जा रही है।

vi) कक्षा 5 या 8 या दोनों में वार्षिक परीक्षा और डिटेन करने के प्रावधान से सभी हितधारकों के लिए शिक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता और जवाबदेही शुरू होने की संभावना है। बिना सीखे शिक्षा के बजाय सभी छात्रों द्वारा सीखने के परिणामों को प्राप्त करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।इससे शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।चूंकि परीक्षा में कक्षा–आधारित गतिविधियों पर निरंतर मूल्यांकन शामिल है, इससे बच्चे के समग्र विकास में मदद मिलेगी।

VI. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण:

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) के पहले दौर एक छोटे राज्य–वार नमूने का उपयोग करके आयोजित किए गए थे और सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, जिससे स्थानीय स्तर पर देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यक्रमों को डिजाइन करना बेहद मुश्किल हो गया था।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2017 का आयोजन 13 नवंबर, 2017 को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कक्षा III, V और VIII के विभिन्न विषय क्षेत्रों जैसे कि भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान/विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में बच्चों द्वारा विकसित दक्षताओं का आकलन करने के लिए किया गया था।

एनएएस 2017 सीखने के परिणामों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की मैपिंग और देश की शिक्षा प्रणाली की मजबूती की निगरानी के लिए आयोजित किया गया है। इसने जिले को सैंपलिंग फ्रेम के रूप में इस्तेमाल किया गया और यह कक्षा III, V और VIII के लिए विषय विशिष्ट सीखने के परिणामों (एलओ) के आधार पर सीखने के स्तर का आकलन करने के लिए विकसित एक मूल्यांकन ढांचे पर आधारित था।

एनएएस 2017 को सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 701 जिलों को कवर करने वाली रिपोर्टिंग की इकाई के रूप में जिलों के साथ आयोजित किया गया था और 1.10 लाख स्कूलों के 22 लाख छात्रों को कवर किया गया। सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 05 फरवरी, 2018 को पूरे देश में दसवीं कक्षा के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण भी आयोजित किया गया था।

दसवीं कक्षा के लिए, 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 610 जिलों के 44,304 स्कूलों में 15 लाख छात्रों के सीखने के स्तर का मूल्यांकन अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) के 5 विषय क्षेत्रों में किया गया।

एनएएस 2017 के निष्कर्ष बताते हैं कि हमारे बच्चों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए हमारी शिक्षा नीतियों और प्रथाओं को कैसे विकसित करने की आवश्यकता है।

एनएएस 2017 के लिए प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए राज्य और जिला रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और इन्हें ncert.nic.in पर सार्वजनिक डोमेन में डाला गया।

इसने शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर को ध्यान में लाया है और बाद के मूल्यांकन चरणों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए राज्यों द्वारा रोडमैप तैयार करने में मदद की है।

नीतियों, प्रथाओं और शिक्षण शिक्षण कार्यनीति को सूचित करने के लिए 701 जिला रिपोर्ट कार्ड (डीआरसी), 36 राज्य शिक्षण रिपोर्ट (एसएलआर) और राष्ट्रीय तकनीकी रिपोर्ट का उपयोग किया जा रहा है। पहचाने गए सीखने के अंतराल का उपयोग अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों को फीडबैक प्रदान करने और शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा इसे सुनिश्चित करने और समझने के लिए किया जा रहा है। स्कूलों में सीखने के स्तर में सुधार के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा का सुझाव दिया गया था।

एनएएस 2017 में भागीदारी

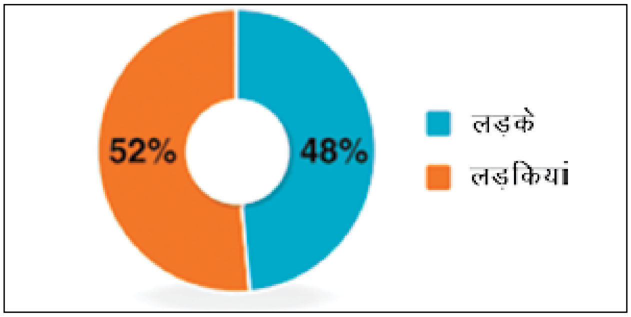

चित्र 1 : जेंडर के आधार पर भागीदारी

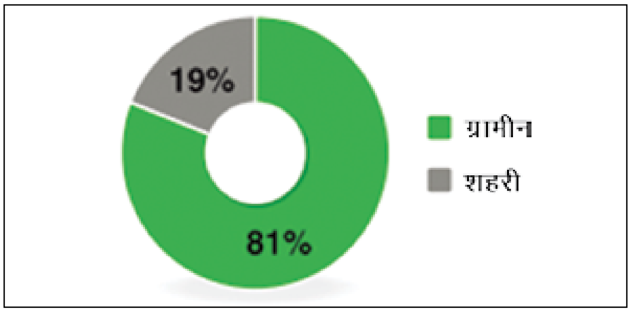

चित्र 2 : स्थान के अनुसार भागीदारी

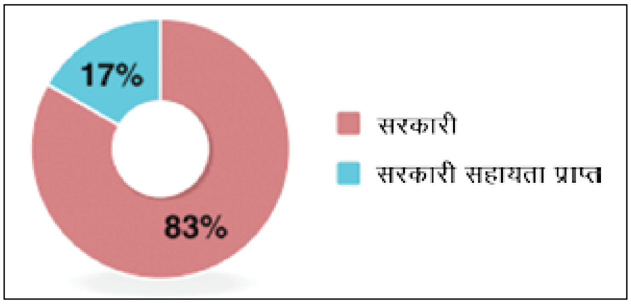

चित्र 3 : स्कूल प्रबंधन द्वारा भागीदारी चित्र

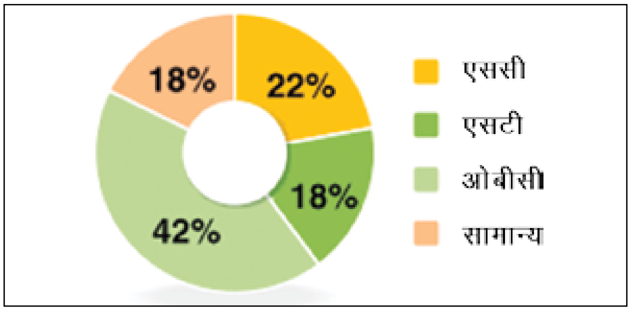

चित्र 4 : सामाजिक समूहों द्वारा भागीदारी

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनएएस के बाद की गतिविधियों को शुरू करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें वैचारिक परिभाषा विकसित करने और ग्रेड– III, V और VIII में दक्षता स्तरों को परिभाषित करने के लिए कट स्कोर पद्धति का उपयोग करने के लिए कार्यशाला आयोजन शामिल है।

एनसीईआरटी ने वैचारिक परिभाषा विकसित करने और ग्रेड– III, V और VIII में प्रवीणता स्तरों को परिभाषित करने के लिए कट स्कोर पद्धति का उपयोग करने के लिए पांच दिवसीय हितधारकों की कार्यशाला का आयोजन किया।

शिक्षकों द्वारा सुविधा (बीआरसी/सीआरसी की सहायता से सीखने के अंतराल को दूर करने के लिए वैकल्पिक निर्देशात्मक कार्यनीतियों का उपयोग) और साथियों की सहायता (उदाहरण के लिए, शिक्षक– शिक्षक और छात्र– छात्र सहायता)।

एनएएस 2017 द्वारा निर्धारित और स्केल किए गए डेटा को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया ताकि उन्हें अपनी–अपनी अभिरूचि के आधार पर स्वतंत्र शोध करने में मदद मिल सके।

अगला एनएएस 12 नवंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। उपकरण विकास, परीक्षण, परीक्षण मदों को अंतिम रूप देना, विद्यालयों के नमूने आदि का कार्य एनसीईआरटी द्वारा किया जाएगा।हालांकि, सैंपल किए गए स्कूलों में वास्तविक परीक्षा संचालन सीबीएसई द्वारा किया जाएगा।

VII. पीसा के लिए क्षमता निर्माण:

भारत ने 2009 में पीसा में भाग लिया जब यह हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया था। हालांकि, 74 प्रतिभागी देशों में भारत 72वां स्थान प्राप्त कर सका। इसके बाद, भारत भागीदारी से हट गया, जिससे दुनिया की तुलना में भारतीय शिक्षा प्रणाली के बेंचमार्किंग और दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुभव प्राप्त करने में कमी आई।

वैश्विक मानकों के साथ–साथ शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करने और सीखने के अंतराल को पाटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, पीआईएसए 2022 में भाग लेने का निर्णय लिया गया है। यह योग्यता आधारित शिक्षा और रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच की ओर बढ़ते हुए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन का कारण बनेगा।

PISA में स्कूली शिक्षा के सभी रूपों अर्थात, सरकारी, निजी, सरकारी सहायता प्राप्त आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 वर्षीय छात्रों को शामिल किया गया है, इसे 15 वर्षीय आयु वाले स्कूल जाने वाले बच्चों की पूरी आबादी से लिया गया है।

यूटी चंडीगढ़ राज्य के स्कूलों, केवीएस और एनवीएस को पीआईएसए 2022 में भाग लेने के लिए चुना गया है। फील्ड ट्रायल अगस्त–सितंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा और पीआईएसए परीक्षा का वास्तविक संचालन अगस्त–सितंबर 2022 में होगा।

क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम

शिक्षक प्रशिक्षण, छात्रों का पुनः अभिविन्यास और तैयारी और योग्यता आधारित पाठ्यक्रम का विकास और अभिभावकों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

क्षमता निर्माण और करीबी निगरानी और पारस्परिक शिक्षण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए स्कूलों के सहयोगात्मक विकास हेतु 'हब ऑफ लर्निंग' मॉडल विकसित किया गया है।शिक्षक सलाहकारों को छात्रों के समूहों के लिए नियमित रूप से सलाह देने और उनकी सहायता करने के लिए नामित किया गया है।

चंडीगढ़, केवीएस और एनवीएस के सभी शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की एक श्रृंखला आयोजित की गई है ताकि

उन्हें योग्यता आधारित शिक्षण की ओर उन्मुख किया जा सके। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के मास्टर फैसिलिटेटर का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।भाषा, गणित और विज्ञान के शिक्षकों के लिए विभिन्न ऑनलाइन शिक्षक कार्यशालाओं का आयोजन डोमेन विशिष्ट दक्षताओं को समझाने के लिए किया जा रहा है ताकि वे छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने में उनका उपयोग कर सकें। 'एनहांसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स' पर वेबिनार भी आयोजित किया गया।

पीआईएसए योग्यता ढांचे का विकास और इस सर्वेक्षण में शामिल होने वाले छात्रों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। योग्यता–आधारित शिक्षा पर ध्यान देने के साथ कक्षा शिक्षण कार्यनीतियों और मूल्यांकन पैटर्न को संशोधित किया गया है।

दीक्षा पोर्टल पर योग्यता आधारित शिक्षा (सीबीई) पर ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है।

छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जैसे– आर्यभट्ट गणित चैलेंज, जॉयफुल साइंस चैलेंज, रीडिंग चैलेंज और हेरिटेज चैलेंज और ब्रिक्समैथ।

छात्रों, शिक्षकों के विवरण ऑनलाइन जमा करने के लिए पीआईएसए पोर्टल विकसित किया गया है। इसके अलावा, संसाधनों को साझा करने और विभिन्न हितधारकों के बीच क्रॉस लर्निंग की सुविधा के लिए एक सीसीटी ट्रैकर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से सभी स्कूल संसाधनों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें उपयोग के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। माता–पिता का प्राइमर सीसीटी पर उनके उन्मुखीकरण के लिए विकसित किया गया है।

यूटी चंडीगढ़ के छात्रों के माता–पिता के लिए 4, 5 और 6 सितंबर 2020 को वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। इन वेबिनार का मुख्य लक्ष्य 21 वीं सदी के कौशल को बढ़ाने के लिए, योग्यता आधारित शिक्षा में बच्चों की सहायता करने और अन्य सरल व्यावहारिक सीखने की कार्यनीतियों में माता–पिता को उन्मुख बनाना और पीसा के बारे में जागरूकता पैदा करना था। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के माता–पिता के लिए माता–पिता अभिविन्यास वेबिनार, ऑनलाइन अभिभावक–शिक्षक बैठकें और माता–पिता–एडवोकेसी वेबिनार हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।

पीआईएसए में भागीदारी से शिक्षा प्रणाली को दक्षताओं, महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच (सीसीटी) की ओर उन्मुख करने में मदद करेगी। यह परिकल्पना की गई है कि PISA 2022 में भागीदारी से प्राप्त अनुभवों को अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाएगा और उन्हें भविष्य में योग्यता–आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें 21 वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जा सकेगा।

चूंकि पीआईएसए एक योग्यता–आधारित मूल्यांकन है, इसलिए यह अनिवार्य है कि छात्रों के लिए संसाधन सामग्री और कक्षा शिक्षण कार्यनीतियों को सीखने के परिणामों पर गहरा प्रभाव डालने के लिए इन्हें संरेखित किया जाए। ये संसाधन सामग्री पाठ्यपुस्तक आधारित रटकर सीखने से एक योग्यता–आधारित सीखने के दृष्टिकोण की ओर बढ़ने में मदद करेगी।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पीआईएसए के लिए विशेष शिक्षण–अधिगम सामग्री विकसित की गई है, जिसे पठन साक्षरता, गणितीय साक्षरता और वैज्ञानिक साक्षरता में कक्षा VI से X तक के पाठ्यक्रम के साथ मैप किया गया है।

सीसीटी मासिक अभ्यास प्रश्न छात्रों को आने वाली पीआईएसए परीक्षा हेतु तैयार करने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण और योग्यता–आधारित प्रश्न उपलब्ध कराने हेतु इन्हें दीक्षा और पीआईएसए पोर्टल के माध्यम से विकसित और प्रकाशित किया जा रहा हैं। सीसीटी VII मासिक अभ्यास प्रश्न हाल ही में शुरू किए गए थे।

छात्रों को हल करने के लिए जनवरी 2020 से दीक्षा पर साप्ताहिक महत्वपूर्ण और रचनात्मक प्रश्न (5QAW) डाले जा रहे हैं। इन प्रश्नों को साप्ताहिक आधार पर लगातार जारी रखा जा रहा है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सीसीटी साप्ताहिक अभ्यास के सभी प्रश्नों का हिंदी में अनुवाद भी किया जा रहा है।

अधिगम भ्रांति संबंधी पोस्टरः पहली से दसवीं कक्षा के लिए अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और हिंदी के लिए लगभग 190 अधिगम भ्रांति संबंधी पोस्टर बनाए गए हैं ताकि शिक्षण भ्रांतियों को दूर किया जा सके।

सीबीएसई ने दो कॉमिक पुस्तकें 'कोगिटो' और 'द प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक' बनाई और प्रसारित की हैं।इन कॉमिक पुस्तकों को कॉमिक के चरित्र की कहानी के माध्यम से छात्रों को अपनी रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बनाया गया है। इन कॉमिक बुक्स को दीक्षा पर भी अपलोड किया गया है।

विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तकें : कक्षा 6वीं से 10वीं तक की गणित अभ्यास कार्यपुस्तिका को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक संवादात्मक पुस्तक है जिसमें समस्या समाधान, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच पर केंद्रित प्रश्न हैं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि छात्रों को स्व–शिक्षण मोड में घर पर अभ्यास करने में मदद मिल सके।छात्रों के लिए विज्ञान और अंग्रेजी अभ्यास पुस्तकों के विकास पर काम अंतिम चरण में है।

सीबीएसई ने अपने स्कूलों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए विभिन्न विषयों पर 12 हैंडबुक/मैनुअल तैयार किए हैं। ये हैं– प्रायोगिक अधिगम पर पुस्तिका; कला एकीकरण; आनंदमय शिक्षण और गणित सीखने पर शिक्षकों के लिए मैनुअल; सीखने के केंद्रों पर हैंडबुक; स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आश्वासन (एसक्यूएए); संबद्धता के लिए परिणाम आधारित निरीक्षण पर मैनुअल; इको–क्लब और जल संरक्षण पर हैंडबुक; शिक्षकों के लिए हैंडबुक; छात्रों के लिए हैंडबुक।

टर्म (टीईआरएम) (शिक्षक सक्रिय संसाधन सामग्री) – गणित और विज्ञान के लिए टर्म (कक्षा 6 से 10 वीं) और सीखने के परिणामों को प्राप्त करना सभी स्कूलों के साथ विकसित और साझा किया गया है।

पीआईएसए के लिए विकसित शिक्षण अधिगम सामग्री दक्षता–आधारित सीखने और दक्षताओं के विकास के लिए एकल पाठ्यपुस्तक स्रोत से कई स्रोतों तक जाने में मदद कर रही है।

टीएलएम को ज्यादातर विशेषज्ञों के सहयोग से चंडीगढ़, केवीएस, एनवीएस और सीबीएसई के शिक्षकों द्वारा इन–हाउस विकसित किया जा रहा है, जो दिलचस्प योग्यता–आधारित शिक्षण और मूल्यांकन संसाधनों को विकसित करने संबंधी उनकी क्षमता को बढ़ा रहा है, जो लंबे समय में बेहद मददगार होगा।

इन शिक्षकों द्वारा विकसित सामग्री और क्षमताओं का उपयोग संसाधन सामग्री और संसाधन व्यक्तियों के रूप में पूरे देश में इसी तरह की पहल करने के लिए किया जाएगा।

VIII. स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा)

स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में उल्लेखनीय रूप से उच्च अंक प्राप्त करना एक मूल्यांकन प्रणाली का एक लक्षण है जो रटने पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ऐसे व्यक्तियों की पीढ़ियाँ तैयार होती हैं जिन्हें सोचने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया है, अपितु यह एक अनुचित स्थिति की ओर भी ले जाता है जहाँ उन्हीं छात्रों को प्रवेश परीक्षाओं के लिए बैठना पड़ता है, जिनमें से कई परीक्षाएं दक्षताओं और उच्च क्रम की सोच के लिए तैयार की जाती है। इस विसंगति ने कोचिंग संस्थानों को फलने–फूलने और स्कूली शिक्षा प्रणाली द्वारा बनाए गए इस अंतराल का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

स्कूलों के लिए रटकर सीखने–आधारित दृष्टिकोण से अधिक योग्यता–आधारित झुकाव की ओर बढ़ना संभव नहीं है, जब तक कि सभी शिक्षक, स्कूल के प्रमुख और स्कूल प्रशासन में शामिल अन्य लोग अपने छात्रों में योग्यता आधारित उच्च क्रम सोच कौशल विकसित करने के लिए उन्मुख न हों।

एनएएस 2017 के निष्कर्षों ने हमें बताया है कि जब बच्चे बाहर जाते हैं और खेल की अवधि के दौरान खेलते हैं, शिक्षा का माध्यम घर पर बोली जाने वाली भाषा में होता है, बच्चे पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य सामग्री पढ़ते हैं और बच्चे कक्षा की गतिविधियों में भाग लेते हैं तो छात्रों का उपलब्धि स्तर बढ़ता है। इन निष्कर्षों को शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए सक्रिय रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के आलोक में, त्रिपुरा राज्य में एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया और पायलट परीक्षण किया गया, जिसमें एनसीईआरटी ने 284 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने दो महीने के भीतर 31,000 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

इस कार्यक्रम से सीखने के आधार पर, सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षकों, स्कूलों के प्रमुखों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषदों प्रशिक्षण (एससीईआरटी), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के संकाय सदस्यों के साथ–साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन केंद्रों (सीआरसी) के अधिकारी और संसाधन व्यक्ति को शामिल करते हुए लगभग 42 लाख प्रतिभागियों के लिए क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रव्यापी एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने का निर्णय लिया गया।

नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट (NISHTHA) समग्र शिक्षा के तहत अपनी तरह का पहला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जहां शिक्षा विभाग, अपने शैक्षणिक निकायों जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन (एनआईईपीए), संस्थान के माध्यम से सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के परिदृश्य को बदलने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

प्रशिक्षण मॉड्यूल के डिजाइन और विकास पर विशेष जोर दिया गया है। निष्ठा के लिए मॉड्यूल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस, स्कूल के प्रधानाचार्यों और गैर–सरकारी संगठनों, जैसे कैवल्य फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अरबिंदो सोसाइटी के सुझावों को शामिल करते हुए एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किए गए हैं।

इस एकीकृत कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं शैक्षिक खेल और प्रश्नोत्तरी, सामाजिक–भावनात्मक शिक्षा, प्रेरक बातचीत, टीम निर्माण, स्कूल–आधारित मूल्यांकन की तैयारी, अंतर्निहित निरंतर प्रतिक्रिया तंत्र, ऑनलाइन निगरानी और सहायता प्रणाली प्रशिक्षण अंतराल और प्रभाव विश्लेषण (प्रशिक्षण पूर्व और पश्चात)।सहित गतिविधि–आधारित मॉड्यूल हैं।

'निष्ठा' में दिया जाने वाला प्रशिक्षण 'चॉक एंड टॉक' पद्धति पर आधारित नहीं है बल्कि गतिविधि आधारित है। प्रशिक्षण के दौरान, शिक्षकों को निबंध लिखने, किसी दिए गए विषय पर बोलने और खेल और प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सत्र के दौरान प्रतिभागियों को प्रेरित और सचेत रखने के लिए प्रशिक्षण के दौरान छोटे–छोटे आइस ब्रेकिंग/एनर्जाइज़र सत्र और पुनर्कथन होंगे।

इसके अलावा, प्रशिक्षण सत्र के लिए डिजिटल सामग्री जैसे वीडियो, प्रस्तुतीकरण का उपयोग किया जाएगा।इसका लक्ष्य शिक्षकों को कक्षा के लेन–देन में इन गतिविधियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना है ताकि सभी छात्रों की व्यस्तता सुनिश्चित हो सके और उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बाहर लाया जा सके।

कोविड–19 ने आमने–सामने प्रशिक्षण के लिए चुनौतियां खड़ी की हैं और साथ ही हमें "इन–सर्विस टीचर ट्रेनिंग" में प्रौद्योगिकी को नया बनाने, सुधारने और एकीकृत करने के कई अवसर भी प्रदान किए हैं। एनसीईआरटी द्वारा प्रारंभिक स्तर पर निष्ठा का शेष प्रशिक्षण अक्टूबर, 2020 से दीक्षा प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया। ऑनलाइन प्रशिक्षण मेंवीडियो, टेक्स्ट, स्व–मूल्यांकन और अधिक जाननेकेचार–आयामी दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए पेशेवर रूप से निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली ई–सामग्री का उपयोग करता है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रारंभिक प्रतिक्रिया के अनुसार, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्राप्त अन्य लाभों

में प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, संदर्भ के लिए पर्याप्त गुंजाइश के साथ मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री, विभिन्न हितधारकों के बीच एकजुटता, शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का स्व—मूल्यांकन आदि शामिल हैं। जरूरत के आकलन के माध्यम से, प्रणाली शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के प्रशिक्षण में अंतराल का पता लगा सकती है और उपयुक्त कार्यनीतियों के माध्यम से उन अंतरालों को दूर कर सकती है।

यह एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षकों का एक उच्च गुणवत्ता वाला कैडर बनाने, शिक्षकों के लिए एक सहायता प्रणाली, मजबूत अनुवर्ती तंत्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा मंच, शिक्षकों को उनकी पहल, चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह सभी आयु समूहों और विषय क्षेत्रों के शिक्षकों को बेहतर सहकर्मी शिक्षा के लिए एक साथ लाएगा।साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को भी योजनाओं के तहत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों और प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा।

इसके अलावा, एम्बेडेड पोस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एक व्यापक निगरानी और सलाह तंत्र सुनिश्चित किया गया है। केआरपी प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद, एनआरपी नियमित रूप से विभिन्न सोशल मीडिया समूहों और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से केआरपी के संपर्क में रहेंगे।एक बार ब्लॉक स्तर पर एक बैच का प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद, प्रत्येक 130 शिक्षकों के लिए एक केआरपी को संरक्षक के रूप में पहचाना जाएगा। मेंटर निरंतर मार्गदर्शन, प्रतिक्रिया और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा ताकि एक गुणवत्ता चक्र बनाया जा सके जो उन्हें शैक्षणिक कौशल तैयार करके और साथियों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है, जिससे कक्षा के शिक्षण—अधिगम पर दीर्घकालिक स्थायी प्रभाव पैदा होता है।

स्कूल शिक्षा विभाग एक अवधि से अधिक समय से केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू कर रहा है; तथापि, यह देखा गया है कि प्रधानाध्यापकों और स्कूल प्रमुखों को इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है जिससे उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए, समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न पहलों पर एक विशिष्ट मॉड्यूल जैसे कि युवा और इको क्लब का गठन, स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देशों पर प्रदर्शन बोर्ड, रंगोत्सव, स्कूल आधारित मूल्यांकन (एसबीए), और स्कूल आधारित जनगणना (शगुनोत्सव), स्कूलों की सीआरसी सलाह, पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने, खेल और शारीरिक शिक्षा आदि के लिए प्रधानाचार्य/स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

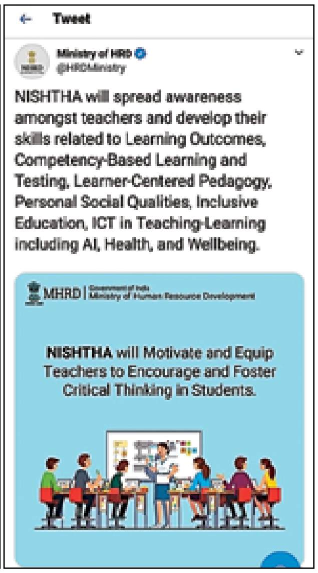

इस एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 42 लाख शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों, एससीईआरटी और डाइट के संकाय सदस्यों और ब्लॉक संसाधन समन्वयकों और क्लस्टर संसाधन समन्वयकों की क्षमता का निर्माण करना था। अगस्त 2019 से प्री—लॉकडाउन अवधि तक, निष्ठा के तहत कुल 23,137 केआरपी/एसआरपी और 1,699,931 स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। 18 मॉड्यूल को प्रासंगिक बनाया गया है और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और दीक्षा पर अपलोड किया गया है। एमओई और एमओडी के तहत 27 राज्य और 7 स्वायत्त (सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस, एईईएस, सैनिक स्कूल, सीटीएसए और सीआईसीएसई) संगठन इन 10 भाषाओं (असमिया, बंगाली, बोडो, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उड़िया तेलुगु और उर्दू)।) में एनआईएसएचटीएचए पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। 18 ऑनलाइन मॉड्यूल में लगभग 23 लाख शिक्षकों को कवर करते हुए 3.8 करोड़ से अधिक पंजीकरण और 3.4 करोड़ लोगों ने कार्यक्रम पूर्ण किए हैं।

21 अगस्त 2019 को निष्ठा का शुभारंभ

Training of KRPs and SRPs
by National Resource Person: NISHTHA

NISHTHA in Media

THE HINDU BusinessLine

HRD Ministry launches NISHTHA; to train over 42 lakh teachers

PTI New Delhi | Updated on August 21, 2019 Published on August 21, 2019

The Ministry of Human Resource Development (HRD) launched the National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancements (NISHTHA) here on Wednesday. This is aimed at training over 42 lakh teachers across the country.

"Teacher training is our priority. In a bid to boost education and employment, we are focusing on reskilling the teaching workforce. NISHTHA is the world's biggest such project and will focus on training 42 lakh teachers from across the country," HRD School Education Secretary Rina Ray said at the launch event.

HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank launched the initiative's website, training modules, primer booklet and mobile app built for the purpose.

IX. राज्यों के लिए शिक्षण–अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ बनाना (स्टार्स):

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर, 2020 को कुल 5583 करोड़ की परियोजना लागत के साथ राज्यों के लिए शिक्षण–अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ करना (स्टार्स) परियोजना को मंजूरी दी। जिसके लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर (3700 करोड़ लगभग) राशि की सहायता बर्ल्ड बैंक ने और शेष राशि भागीदारी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा ने दी है।

स्टार्स परियोजना को 2020–21 से 2024–25 तक 5 वर्षों की अवधि में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।

स्टार्स कार्यक्रम के दो परिणाम क्षेत्र हैं: एक राष्ट्रीय घटक जो भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में समग्र निगरानी और मापन गतिविधियों में सुधार के प्रयासों में सहायता करता है और निम्नलिखित पांच उप–घटकों के साथ एक राज्य घटक:

(i) **प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा को सुदृढ़ बनाना:** यह परियोजना शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार के विभिन्न हस्तक्षेपों को सहायता प्रदान करके प्रारंभिक बाल शिक्षा और आधारभूत शिक्षण नींव सीखने की गुणवत्ता में सुधार करने में राज्यों की सहायता करेगी।

(ii) **लर्निंग असेसमेंट सिस्टम में सुधार:** योजना, शासन और शैक्षणिक हस्तक्षेप करने के लिए सार्थक प्रतिक्रिया प्रदान की जाएगी। उन कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन (पीआईएसए) 2021 और 2024 के कार्यक्रम में भागीदारी करना, प्रत्येक राज्य में मूल्यांकन प्रकोष्ठ/केंद्र की स्थापना, ऑनलाइन आइटम बैंक, ऑनलाइन लैब, गेम, हैकथॉन आदि विकसित करना, विकिपीडिया, गिटहब, स्टॉक एक्सचेंज आदि जैसे ऑनलाइन ज्ञान बैंक बनाने के लिए विचारों की क्राउड सोर्सिंग सभी छात्रों के लिए एक ट्रैकिंग प्रणाली का विकास, सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता जैसी तकनीकों का उपयोग, और स्कूल बोर्ड की ग्रेड –10 और ग्रेड 12 परीक्षाओं को और अधिक योग्यता आधारित बनाने के लिए समीक्षा के माध्यम से परीक्षा सुधार करना शामिल है–

(iii) **शिक्षक विकास और स्कूल नेतृत्व के माध्यम से कक्षा शिक्षण और शिक्षण उपचार को मजबूत करना:** स्टार्स कक्षा शिक्षण और अधिगम बढ़ाने के लिए परियोजना राज्यों में शिक्षक विकास और स्कूल नेतृत्व गतिविधियों के एक समर्पित पैकेज की सहायता की जाएगी।

(iv) **बेहतर सेवा वितरण के लिए शासन और विकेन्द्रीकृत प्रबंधन:** स्टार्स बेहतर शैक्षिक शासन और सेवा वितरण के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

(v) **स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन कार्यनीतियाँ:** परियोजना राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित कार्यक्रमों का समर्थन करेगी–

आयु के अनुकूल पाठ्यक्रम विकास और विस्तार के लिए सहायता जिससे ग्रेड 7 से ही कार्यक्षेत्र की व्यापक दुनिया का अनुभव मिल सके।

(i) सॉफ्ट स्किल्स और एसटीईएम / स्टीम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित) से संबंधित कौशल पर प्रशिक्षण जिसमें एआई, कोडिंग और रोबोटिक्स शामिल हैं।

(ii) करियर मार्गदर्शन और परामर्श का अच्छी तरह से डिजाइन किया गया प्रावधान।

(iii) छात्रों की योग्यता, व्यक्तित्व और रुचियों को मापने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

(iv) इंटर्नशिप के माध्यम से नौकरी के अनुभव के साथ उद्यमिता को बढ़ाना और शिक्षुता के लिए संपर्क विकसित करना।

(v) माध्यमिक स्तर पर स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए कौशल विकास के अवसर।

X. समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण (परख):

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर, 2020, परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत मानक निर्धारक स्वायत्त संगठन निकाय है जो भारत के सभी मान्यता–प्राप्त स्कूलों के लिए छात्र मूल्यांकन हेतु मापदंड, मानक और दिशा–निर्देश निर्धारण

के मूल उद्देश्यों को पूरा करता है, राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण (एसएएस) का मार्गदर्शन करता है और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) पर कार्य करता है, देश में अधिगम परिणामों की निगरानी करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप 21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अपने मूल्यांकन पैटर्न में परिवर्तन करने हेतु स्कूल बोर्डों को प्रोत्साहित और उनकी सहायता करता है। यह भी परिकल्पना की गई है कि परख सभी अकादमिक संस्थाओं को मूल्यांकन एवं अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श सेवा और मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा ताकि ये संस्थाएं स्कूल शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन प्रकृति और संस्कृति में भी सुधार कर सकेगें।

परख को भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में गतिविधियों की निगरानी, मापन और मूल्यांकन में समग्र सुधार के लिए विकसित किया जाएगा। परख की स्थापना मूल्यांकन पैटर्न में प्रतिमान बदलाव के माध्यम से एक योग्यता आधारित शिक्षा के लिए अंतरण सुनिश्चित करेगी।

परख स्कूल बोर्डों को नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोधों के बारे में सलाह देगा, स्कूल बोर्डों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। यह स्कूल बोर्डों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सभी स्कूल बोर्डों में शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समानता सुनिश्चित करने के लिए एक साधन भी बन जाएगा।

परख सीखने की अक्षमता रखने वाले सभी छात्रों के लिए समान पहुंच और अवसर सुनिश्चित करने के लिए– बुनियादी स्तर से उच्च शिक्षा (प्रवेश परीक्षा सहित) तक मूल्यांकन करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा और उपयुक्त साधनों की सिफारिश करेगा।

XI. स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई):

कार्यात्मक शौचालयों और स्वच्छता सुविधाओं की कमी को छात्राओं की अनुपस्थिति और स्कूल छोड़ने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। यह बच्चों के बीच कई स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को भी जन्म दे सकता है, और यह छात्र प्रतिधारण को प्रभावित करता है।

आरटीई अधिनियम 2009 में सभी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालयों का प्रावधान किया गया था। हालाँकि, लगभग 25% स्कूलों में अभी भी कमी है।

15 अगस्त, 2014 को प्रधान मंत्री द्वारा किए गए स्पष्ट आह्वान के जवाब में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभागने सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग–अलग शौचालयों के प्रावधान हेतु स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई) की शुरुआत की।

इस पहल के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू और निजी कॉरपोरेट के सहयोग से 15 अगस्त, 2015 तक एक साल की अवधि में 2,61,400 सरकारी स्कूलों में 1,90,887 लड़कियों के लिए शौचालयों सहित 4,17,796 शौचालयों का निर्माण/कार्यात्मक किया गया।

निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक संख्या में शौचालयों का निर्माण या संचालन किया गया: बिहार (56912), आंध्र प्रदेश (49293), ओडिशा (43501), पश्चिम बंगाल (42054), तेलंगाना (36159), असम (35699) और मध्य प्रदेश (33201)।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, सबसे बड़ा योगदान कोल इंडिया लिमिटेड (51,115), एनटीपीसी (24,626), आरईसी (12,379), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (9026), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (7,958) और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (7104) का था।

निजी कॉरपोरेट्स के मामले में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (1433), महिंद्रा ग्रुप (1171), आईएफआईजी (150) और सीआईआई (138) का प्रमुख योगदान था।

डिजिटल इंडिया पहल की भावना को ध्यान में रखते हुए, स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम ने वास्तविक समय में इस पहल की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और सहायता के लिए

एक वेब पोर्टल की अवधारणा और उसका विकास किया।

वेब पोर्टल, अन्य सुविधाओं के अलावा, कॉरपोरेट्स और भागीदारों को आसानी से नेविगेट करने और विशिष्ट स्थानों और स्कूलों की पहचान करने में सक्षम बनाता है, जिन्हें वे शौचालयों के निर्माण और मरम्मत के लिए सहायता देना चाहते हैं।इसने उन्हें वित्तीय और वस्तुओं देने संबंधी प्रतिबद्धताएं करने की अनुमति दी है।

डिजिटल समाधान ने पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय में पहल की निगरानी करने का साधन प्रदान किया। इससे प्रगति की जानकारी भी पारदर्शी हुई और जनभागीदारी को प्रोत्साहन मिला।

स्वच्छ विद्यालय 2016 में सिविल सेवा दिवस परलोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चिन्हित प्राथमिकता कार्यक्रमोंमें सेएकथा।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार (एसवीपी)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पानी, स्वच्छता और सफाई प्रथाओं में उत्कृष्टता की पहचान करने, प्रेरित करने और उसे मनाने के लिए 2016—17 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार (एसवीपी) की स्थापना की।

एसवीपी—2016—17

35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2.68 लाख से अधिक स्कूलों ने एसवीपी 2016—17 में जिला और राज्य स्तर पर ऑनलाइन मोड में भाग लिया।

1 सितंबर, 2017 को माननीय शिक्षा मंत्री (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री) द्वारा 172 सरकारी स्कूलों को एसवीपी 2016—17 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्यों अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान और 11 उच्चतम भागीदारी के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए सम्मान प्रमाण—पत्र प्रदान किए गए।

एसवीपी—2017—18

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017—18 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अतिरिक्त निजी स्कूलों के लिए खुला था।

एसवीपी 2017—18 को स्कूलों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 6,15,152 स्कूलों ने पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया, जो एसवीपी 2016—17 में भाग लेने वाले स्कूलों की संख्या के दोगुने से भी अधिक है।

18 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री) द्वारा एसवीपी 2017—18 के लिए शीर्ष 52 स्कूलों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

शीर्ष 4 राज्य अर्थात पुदुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश और 9 जिलों नामतः पांडिचेरी, श्रीकाकुलम, चंडीगढ़, हिसार, कराईकल, लातूर, नेल्लोर, दक्षिण गोवा और वडोदरा, जिनमें सबसे अधिक स्कूल थे, को एसवीपी 2017—18के लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

2018–19 में नई शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना में स्कूलों में स्वच्छता और स्वच्छता के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छता कार्य योजना के लिए वार्षिक समग्र स्कूल अनुदान का कम से कम 10% निर्धारित करने का प्रावधान किया।

यह विभाग स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार (एसवीपी) के अगले दौर को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया में है।

यूनिसेफ के परामर्श से एसवीपी के दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। हालाँकि, कोविड –19 महामारी के कारण दिशानिर्देशों में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूल कोविड –19 से संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं।

एनआईसी वेब–ऐप और मोबाइल–ऐप तैयार कर रहा है।

एसवीपी ने स्कूलों के बीच स्वच्छता से संबंधित व्यवहार का पालन करने संबंधी जागरूकता पैदा करने और स्कूलों के बीच एक अभियान चलाने में सहायता की है।

स्वच्छता पखवाड़ा

पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आवंटित स्वच्छता पखवाड़ा कैलेंडर के अनुसार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए वर्ष 2020 के लिए स्वच्छता पखवाड़ा 16 से 30 अप्रैल, 2020 तक निर्धारित किया गया। लेकिन, यह कोविड–19 महामारी के कारण नहीं किया जा सका।

गंदगी मुक्त भारत (जीएमबी) अभियान

जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने 8 अगस्त 2020 को गांधी दर्शन, राजघाट में एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (आरएसके) शुरू किया था। इस अवसर पर, गंदगी मुक्त भारत (जीएमबी) अभियान – 8 अगस्त से 15 अगस्त, 2020 तक स्वच्छता के लिए एक सप्ताह भर चलने वाला विशेष अभियान शुरू किया गया। इस विभाग ने अभियान के दौरान 13 अगस्त, 2020 को "गंदगी मुक्त मेरा गांव" विषय पर एक ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता (कक्षा 6 से 8) और एक निबंध प्रतियोगिता (कक्षा 9 से 12) के लिए समन्वय किया। तदनुसार, पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं का विवरण डीडीडब्ल्यूएस को सूचित कर दिया गया। प्रतियोगिताओं के दोनों संस्करणों में राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2020 को माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक आभासी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।

जल जीवन मिशन

पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2020 को स्कूलों, आश्रमशालाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में सुनिश्चित नल पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जल जीवन मिशन – हर घर जल – 100 दिनों का अभियान" शुरू किया।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 23 अक्टूबर, 2020 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों से जल जीवन मिशन अभियान को सफल बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ताकि हमारे बच्चों को उनके संबंधित स्कूलों में स्वच्छ पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, 12 नवंबर, 2020 के पत्र के माध्यम से, सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) से सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों, लड़कों और सीडब्ल्यूएसएन (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) शौचालय में पाइप/नल के पानी हाथ धोने का क्षेत्र; और पेयजल की सुविधा की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और केवीएस/एनवीएस

को भी अपने नियंत्रण वाले स्कूलों में पाइप/नल के पानी की आपूर्ति के प्रावधान की मैपिंग के लिए कहा गया है और मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

स्कूल अवसंरचना विकास

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2018–19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना – समग्र शिक्षा शुरू की है। जो सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की तीन पूर्ववर्ती योजनाओं को शामिल करता है। समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा सरकारी स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के लिए, और एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) डेटाबेस से निर्धारित अंतराल और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में सभी सरकारी स्कूलों के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर 1,00,000/– रु. प्रति वर्ष के अनुदान को परिकल्पित किया है। प्रत्येक स्कूल को बुनियादी ढांचे को अच्छी स्थिति में रखने के लिए शौचालय और अन्य सुविधाओं सहित स्कूल भवन के रखरखाव और मरम्मत के लिए स्वच्छता कार्य योजना से संबंधित गतिविधियों पर समग्र स्कूल अनुदान का कम से कम 10% खर्च करना आवश्यक है।

पूर्व सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2017–18 तक और समग्र शिक्षा 2018–19 से प्रभावी 3.12 लाख स्कूल भवनों का निर्माण, 18.92 लाख अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, 2.52 लाख पेयजल सुविधा का प्रावधान, 4.12 लाख लड़कों के शौचालय का निर्माण, 5.31 लाख अलग लड़कियों के शौचालय और 1.54 लाख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) शौचालयों और 2.96 लाख रैंपों के साथ प्राथमिक विद्यालयों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंजूरी दी गई है। जिनमें से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 31.10.2020 तक 2.98 लाख स्कूल भवनों, 18.15 लाख अतिरिक्त कक्षाओं, 2.37 लाख पेयजल सुविधा के प्रावधान, 3.85 लाख लड़कों के शौचालयों के निर्माण, 5.15 लाख अलग लड़कियों के शौचालय, 1.28 लाख सीडब्ल्यूएसएन अनुकूल शौचालय और हैंड रेल के साथ 2.49 लाख रैंप के निर्माण की सूचना दी है।

तत्कालीन आरएमएसए के तहत (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लिए सीडब्ल्यूएसएन) 2017–18 तक और समग्र शिक्षा 2018–19 से, 12,708 स्कूल भवन का निर्माण, 54,400 अतिरिक्त कक्षाओं, 12,388 पेयजल सुविधाओं का प्रावधान, 34,207 लड़कों के शौचालय, 36,302 लड़कियों के शौचालय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 1,878 शौचालय और 4542 रैंप स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 31.10.2020 तक 9,703 स्कूल भवनों, 42,248 अतिरिक्त कक्षाओं, 10,486 पेयजल सुविधा के प्रावधान, 26,498 लड़कों के शौचालयों के निर्माण, 26,601 अलग लड़कियों के शौचालय, 140 सीडब्ल्यूएसएन शौचालय और 233 रैंप के पूरा होने की सूचना दी है।

XII. स्कूल बैग नीतिः

यह लंबे समय से माना जाता रहा है कि भारी स्कूल बैग छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक गंभीर खतरा हैं। बढ़ते बच्चों पर भारी स्कूल बैग का गंभीर, प्रतिकूल शारीरिक प्रभाव पड़ता है जो उनके वर्टेब्रल कॉलम और घुटनों को नुकसान पहुंचा सकता है और यह उनमें चिंता का कारण भी बनता है। एक संबंधित मुद्दा बच्चों पर पाठ्यक्रम का दबाब है।

गृहकार्य भी एक मुद्दा है, जो छात्रों और अभिभावकों दोनों को तनाव में डालता है क्योंकि एक सामान्य अभ्यास के रूप में इसे रात तक पूरा करने और अगली सुबह स्कूल में रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। यह प्रथा बच्चे के खेलने के समय, माता–पिता के बच्चे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय, परिवार के साथ समाजीकरण की ओर ले जाने वाली गतिविधियों को छीन लेती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रायः देखा जाता है कि छात्रों को यांत्रिक प्रकार का गृहकार्य दिया जा रहा है।

बच्चों के दबाब को कम करने के लिए इस संबंध में गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों और सुझावों के अनुसार

स्कूल बैग, 2020 पर एक नीति तैयार की गई है और इस विभाग द्वारा पत्र संख्या 1—4/2018—IS—3, दिनांक 24. 11.2020, के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन के लिए भेजा गया है।

नीति न केवल मुद्दों को हल करने के लिए सिफारिशें देती है बल्कि स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षा विभागों, प्रकाशकों, शिक्षक शिक्षा संस्थानों और स्वयं छात्रों जैसे विभिन्न हितधारकों के कार्यान्वयन और भूमिका के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी देती है।

इस क्षेत्र में किए गए शोध अध्ययनों के आधार पर, स्कूल बैग के मानक वजन के बारे में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की सिफारिशों और समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, स्कूल बैग के वजन, पाठ्यचर्या भार और गृहकार्य को कम करने और हर बच्चे के लिए सीखने को एक सुखद अनुभव बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें दी गई हैं।

सभी स्कूल कक्षा I से X तक के छात्र के शरीर के वजन के 10 प्रतिशत के रूप में स्कूल बैग के लिए वजन के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत अनुपात का पालन करते हैं और इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक स्तर के लिए वजन सीमा प्रदान करते हैं। स्कूल में नियमित रूप से स्कूल बैग के वजन की निगरानी और जांच करने की आवश्यकता है, जिसके लिए स्कूल में डिजिटल तौल मशीन रखी जा सकती है।

स्कूल बैग उचित डिब्बों के साथ हल्के वजन का होना चाहिए और इसमें दो गद्देदार और समायोज्य पट्टियाँ होनी चाहिए जो दोनों कंधों पर पूरी तरह फिट हो सकें। व्हिल्ड कैरियर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे सीढ़ियाँ चढ़ते समय बच्चों को चोट लग सकती है।

स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्कूलों द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य सुविधाएं, जैसे कि मध्याह्न भोजन, पीने योग्य पेयजल इत्यादि पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाले हों ताकि बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स, पानी बोतल जैसी वस्तुओं को ले जाने की आवश्यकता न हो।

स्कूल या कक्षा की समय सारिणी को लचीला बनाने की आवश्यकता है जिससे खेल और शारीरिक शिक्षा, पाठ्य पुस्तकों, कला और शिल्प आदि के अतिरिक्त स्कूल में उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो।

बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक का चयन करने के लिए वजन की कसौटी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक पाठ्यपुस्तक का भार ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) के साथ प्रकाशकों द्वारा पाठ्यपुस्तक पर मुद्रित किया जा सकता है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को पाठ्यपुस्तकों का दोहरा सेट स्कूलों में बुक बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है और विकलांग छात्रों के लिए कक्षाओं में लॉकर स्थापित किए जा सकते हैं ताकि किताबें और अन्य वस्तुओं को संग्रहीत और पुनर्प्राप्त किया जा सके।

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में स्कूल बैग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है, जिसमें माता—पिता और छात्र को इस मुद्दे पर उन्मुख बनाया लाए।

स्कूल केवल राष्ट्रीय/राज्य पाठ्यचर्या ढांचे द्वारा निर्धारित विषयों की पेशकश करेगा। कंप्यूटर अध्ययन, नैतिक शिक्षा, और सामान्य ज्ञान, जीवन कौशल जैसे अतिरिक्त विषयों को अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकों के बिना स्कूल में विषय क्षेत्रों और अन्य गतिविधियों में शामिल करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव और खेल और कला शिक्षा ऐसे क्षेत्र हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं। इन क्षेत्रों के लिए किसी पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता के बिना समय सारिणी में इन्हें पर्याप्त स्थान दिए जाने की आवश्यकता है।

छात्रों से आमने—सामने और स्व—अध्ययन या गृहकार्य दोनों में अपेक्षित कुल अध्ययन समय, को छात्रों के लिए पाठ्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, खासकर जब वे उच्च ग्रेड में जा रहे हों।

प्राथमिकः कक्षा II तक कोई गृहकार्य नहीं और कक्षा III-V से सप्ताह में अधिकतम दो घंटे। मिडिल स्कूल (कक्षा VI-

VIII से): दिन में अधिकतम एक घंटा (सप्ताह में लगभग पांच से छह घंटे)। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक: दिन में अधिकतम दो घंटे (सप्ताह में लगभग 10 से 12 घंटे)। शिक्षकों को उनके द्वारा दिए जाने वाले गृहकार्य की मात्रा की योजना बनाने और उसे युक्तिसंगत बनाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

भारी स्कूल बैग से संबंधित मुद्दों को सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता है

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूल बैग नीति और एनईपी, 2020 के प्रासंगिक सुझावों को अपनाने और अपने अधिकार क्षेत्र में उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, स्कूलों और शिक्षकों द्वारा स्कूल बैग और पाठ्यपुस्तकों के वजन को कम करने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में उपयुक्त बदलाव के माध्यम से ठोस प्रयास किए जाएंगे। नीति आगे सिफारिश करती है कि एनसीएफएसई 2020–21 को तैयार करते समय ग्रेड 6–8 के लिए अभ्यास–आधारित पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा उचित रूप से डिज़ाइन किया जाएगा। उपरोक्त के आधार पर, समिति अनुभवात्मक अधिगम के लिए कम जानकारी और अधिक स्थान वाली पाठ्यपुस्तकों को डिजाइन करने की सिफारिश करती है।

स्कूल बैग नीति के पैरा 3.15 और एनईपी, 2020 के पैरा 4.26 के अनुसार, प्रत्येक छात्र ग्रेड 6–8 के दौरान एक फन कोर्स करेगा, जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे बढ़ईगीरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना, आदि व्यावसायिक कार्यों में छात्रों को प्रायोगिक अनुभव एवं उनका सर्वेक्षण करने के अवसर प्रदान करेगा। जैसा कि राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किया गया है और स्थानीय कौशल आवश्यकताओं के अनुसार इन्हें मैप किया गया है। सभी छात्र ग्रेड 6–8 के दौरान कभी–कभी 10–दिन की बैगलेस अवधि में भाग लेंगे, जहां वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ इंटर्नशिप करेंगे। व्यावसायिक विषयों को सीखने के लिए इसी तरह के इंटर्नशिप अवसर छुट्टियों की अवधि सहित ग्रेड 6–12 के छात्रों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऑनलाइन मोड के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाएंगे। कला, प्रश्नोत्तरी, खेल और व्यावसायिक शिल्प सहित विभिन्न प्रकार की समृद्ध गतिविधियों के लिए पूरे वर्ष बैगलेस दिनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

बच्चे देश का भविष्य हैं। बौद्धिक विकास के साथ–साथ छात्रों का स्वस्थ और मजबूत विकास महत्वपूर्ण है। स्कूल बैग नीति, 2020 के प्रभावी अनुपालन से छात्रों के तनाव मुक्त होने और मनोरंजक शिक्षण प्रणाली तैयार होने की संभावना है। उनका अच्छा स्वास्थ्य और तनाव मुक्त दिमाग राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा।

XIII. कोविड के दौरान नवाचारी शिक्षा:

मार्च के दूसरे सप्ताह में, देश भर की राज्य सरकारों ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उपाय के रूप में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करना शुरू कर दिया। कई महीनों के बाद भी यह निश्चित नहीं है कि देश के सभी स्कूल सभी ग्रेड के लिए कब खुलेंगे। यह शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण समय था– बोर्ड परीक्षाएं, नर्सरी स्कूल प्रवेश, विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं और प्रतियोगी परीक्षाएं, अन्य सभी इस अवधि के दौरान आयोजित की जाती हैं। जैसे–जैसे दिन बीतते गए, कोविड 19 के प्रकोप को रोकने के लिए कोई तत्काल समाधान नहीं मिला, स्कूल बंद होने से न केवल भारत में 28.5 करोड़ से अधिक युवा शिक्षार्थियों के लिए सीखने की निरंतरता पर अल्पकालिक प्रभाव पड़ा, बल्कि दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणामों के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा।

शिक्षण और मूल्यांकन पद्धतियों सहित स्कूल शिक्षा और सीखने की संरचना, इन बंदों से सबसे पहले प्रभावित हुई। सभी स्कूल ऑनलाइन शिक्षण विधियों को नहीं अपना सके। दूरदराज के इलाकों में कम आय वाले निजी और सरकारी स्कूल अपने शिक्षार्थियों के लिए सामर्थ्य के मुद्दों पर विशेष रूप से गंभीर रूप से प्रभावित हुए। नई विधियों की एक श्रृंखला और पाठ्यचर्या संबंधी लेन–देन की एक नई प्रणाली विकसित की गई, जिनमें से कुछ अब तक लगभग अनसुनी थीं।

राज्यों द्वारा किए गए एक त्वरित मूल्यांकन के आधार पर यह स्पष्ट था कि ऑनलाइन शिक्षा 100% बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकती है। इस संदर्भ में, कुछ दिशानिर्देश तैयार किए गए और एक नई पद्धति– वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर– विकसित की गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने स्थानीय संदर्भ के अनुसार शिक्षण–अधिगम के कई अन्य स्वरूपों को अपनाने/अनुकूलन के लिए पहचाना गया।

i) विचार–विमर्श और परामर्श

कोविड–19 महामारी के दौरान, शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार–विमर्श किया है।

माननीय शिक्षा मंत्री ने 28 अप्रैल, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक की, जिसमें कोविड–19 स्थिति के दौरान बच्चों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। माननीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने पहली से आठवीं कक्षा के लिए एक अकादमिक कैलेंडर विकसित किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसे अपना सकते हैं/अनुकूलित कर सकते हैं।

सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता द्वारा 29 अप्रैल, 2020 से 25 जून, 2020 तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ पीएबी की बैठकें व्यक्तिगत रूप से आयोजित की गईं, जहां महामारी की पृष्ठभूमि में वर्ष 2020–21 के लिए समग्र शिक्षा और एमडीएम योजना के कार्यान्वयन की योजना पर चर्चा की गई।

इसके अतिरिक्त, 17, 18 और 19 अगस्त, 2020 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता) द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई गई। वीसी बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

- सीखने के लिए किसी भी डिजिटल डिवाइस तक पहुंच और पहुंच नहीं रखने वाले छात्रों का विवरण।
- जिन छात्रों के पास कोई डिजिटल उपकरण नहीं है, उन तक पहुंचने के लिए राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे छात्र के लिए उठाए गए कदम।
- छात्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया।
- महामारी की स्थिति के दौरान ऐसे बच्चों के लिए किसी भी अभिनव गतिविधि की योजना बनाई गई हो।

17–19 अगस्त, 2020 को ऑनलाइन शिक्षा मसौदा दिशानिर्देशों और सतत शिक्षण योजना और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए 1 जुलाई, 2020 को सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता द्वारा वीसी भी आयोजित किया गया।

01 अक्टूबर, 2020 को, सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता ने महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के लिए संचार अभियान की योजना बनाने और रिपोर्ट करने के बारे में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ एक वीसी का आयोजन किया।

बैठकों की इन श्रृंखलाओं के दौरान, और निरंतर पत्राचार के माध्यम से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड –19 अवधि के दौरान वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर, प्रज्ञता दिशानिर्देश, प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए दिशानिर्देश, मनोदर्पण कार्यक्रम, दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा, सुरक्षित ऑनलाइन दिशानिर्देश), ई–कंटेंट की क्राउड सोर्सिंग के लिए विद्यादान पोर्टल, निष्ठा (नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट), लर्निंग एन्हांसमेंट गाइडलाइंस, सीबीएसई शिक्षा वाणी (पॉडकास्ट) का उपयोग करने की सलाह दी गई।

एनसीटीई ने महामारी के दौरान आगे बढ़ने के बारे में 27 और 28 अगस्त, 2020 को शिक्षा सचिवों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च/स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य प्रमुखों की परामर्श बैठक भी आयोजित की।

ii) समर्थक के रूप में दिशानिर्देश

शिक्षण और अधिगम की नवीन विधियों को लागू करने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए दिशा–निर्देशों की एक श्रृंखला तैयार करने का निर्णय लिया गया। निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार और प्रसारित किए गए:

क) डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता दिशानिर्देश

प्रज्ञाता दिशानिर्देश उन छात्रों के लिए ऑनलाइन/मिश्रित/डिजिटल शिक्षा के लिए कार्यप्रणाली, समय देने आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किए गए हैं जो वर्तमान में स्कूलों के बंद होने के कारण घर पर हैं।

दिशानिर्देश विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के लिए स्क्रीन टाइम की सलाह देते हैं।

यह एर्गोनॉमिक्स और साइबर सुरक्षा के संबंध में पर्याप्त क्या करें और क्या न करें के संबंध में सूचना प्रदान करता है।

ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान उपकरणों का उपयोग कैसे करें और बैठने की उचित मुद्रा कैसे अपनाएं, इस पर इन्फोग्राफिक्स हैं।

दिशानिर्देशों को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pragyata-guidelines_0.pdf

ख) निरंतर अधिगम के लिए अधिगम संवर्धन दिशानिर्देश

महामारी के दौरान, शिक्षकों और छात्रों के साथ–साथ साथी शिक्षार्थियों के बीच आमने–सामने बातचीत के रूप में स्कूलों में होने वाली औपचारिक शिक्षा को विभिन्न वैकल्पिक तरीकों से बदल दिया गया है, जैसे– ऑनलाइन, टीवी, मोबाइल, रेडियो, पाठ्यपुस्तक, आदि।

वैकल्पिक तरीके, यद्यपि प्रशंसनीय हैं, इनकी कुछ सीमाएं हैं। वैकल्पिक तरीके शिक्षकों के समय के असमान वितरण, तकनीकी उपकरणों तक अलग–अलग पहुंच वाले छात्रों और कई मामलों में घरों में सीखने के लिए सहायता की कमी जैसे विभिन्न कारकों के कारण सभी छात्रों के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, स्कूलों को बंद करने से अधिगम हानि और छात्रों के अधिगम परिणामों की उपलब्धि में कमी होने की संभावना है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय बच्चों को उनके घरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए वैकल्पिक माध्यमों जैसे कि शिक्षार्थियों के घरों में पाठ्यपुस्तकों का वितरण, शिक्षकों द्वारा टेलीफोन पर मार्गदर्शन, टीवी और रेडियो के माध्यम से ऑनलाइन और डिजिटल सामग्री, एनसीईआरटी, आदि द्वारा जारी वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के माध्यम से गतिविधि–आधारित शिक्षा प्रदान करने के प्रयास कर रहे हैं।

लॉकडाउन के दौरान और बाद में छात्रों के बीच अंतराल और/या अधिगम की हानि से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को एक समिति गठित करने का कार्य सौंपा, जिसमें एनसीईआरटी, एनआईईपीए, सीबीएसई, केवीएस और एन वी.एस. से लिए गए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति ने केवीएस, एनवीएस और सीबीएसई स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों द्वारा उपयोग किए जा रहे विभिन्न डिजिटल तरीकों और डिजिटल डिवाइस नहीं रखने वाले बच्चों के बारे में उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। इसके अतिरिक्त, एससीईआरटी के साथ (22.06.2020 को) उनके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में उनके द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए चर्चा की गई। इस बीच, स्कूल शिक्षा और साक्षरता ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से उनकी सतत सीखने की योजनाओं पर एक रिपोर्ट एकत्र की, विशेष रूप से उन शिक्षार्थियों के बारे में जिनके पास डिजिटल उपकरणों के किसी भी तरीके तक पहुंच नहीं है।

कोविड–19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अधिगम संवर्धन (एलई) के लिए आगामी दिशानिर्देश उपरोक्त समिति की सिफारिशों और निम्नलिखित पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्टों के आधार पर तैयार किए गए थे:

- डिजिटल उपकरणों के बिना छात्रों के लिए कोविड –19 के दौरान अधिगम में वृद्धि
- डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच वाले छात्रों के लिए कोविड –19 के दौरान सीखने में वृद्धि
- डिजिटल उपकरणों वाले छात्रों के लिए कोविड –19 के दौरान सीखने में वृद्धि

दिशानिर्देशों को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ncert.nic.in/pdf/announcement/Learning_%20Enhancement_Guidelines.pdf

जेएनवी छात्रों के पास डिजिटल उपकरण नहीं होने के संबंध में, मुद्रित सामग्री, प्रश्न और उत्तर, वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर (एएसी), असाइनमेंट आदि जैसी संसाधन सामग्री व्यक्तिगत रूप से माता–पिता/छात्रों को सौंपी गई थी। इसके अतिरिक्त, मानसिक कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षाविदों के बारे में प्रत्येक छात्र के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए जेएनवी द्वारा दैनिक संपर्क प्रणाली मौजूद है।

जहां तक सीबीएसई स्कूलों का संबंध है, बोर्ड ने 2 सितंबर, 2020 के परिपत्र संख्या अकाद–63/2020 के माध्यम से अपने सभी संबद्ध स्कूलों को अपने छात्रों में अधिगम अंतराल को दूर करने और उनकी अधिगम उपलब्धि को अनुकूलित करने के लिए इन दिशानिर्देशों को अपनाने की सलाह दी है।

ग) प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए दिशानिर्देश

प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए दिशानिर्देश एक पहचान पत्र को छोड़कर कोई भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता के बिना पास के सरकारी स्कूलों में प्रवासी बच्चों को प्रवेश प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासीय विद्यालय के छात्रों को भी उनके घरों के आस–पास के स्कूलों में अस्थायी प्रवेश प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि वे कोविड 19 के दौरान अपने आवासीय विद्यालयों में वापस नहीं जा सकते हैं।

इन दिशानिर्देशों को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Migrant%20labour%20guideline.pdf

घ) स्कूल फिर से खोलने के लिए कोविड –19

संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा एसओपी/दिशानिर्देश, 5 अक्टूबर, 2020 को अनलॉक–5 के लिए गृह मंत्रालय के दिशा–निर्देश जारी होने के बाद, इस विभाग ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के संबंध में विस्तृत एसओपी/दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इन दिशानिर्देशों के भाग I में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलुओं का उल्लेख है। ये स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के मौजूदा निर्देशों पर आधारित हैं और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय स्थिति के अनुसार अपनाने/अनुकूलित करने के लिए लागू किए जाने हैं।

इन दिशानिर्देशों को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/SOP_Guidelines_for_reopening_schools.pdf

एनवीएस के साथ विभाग ने एमओई के एसओपी और एमएचए के दिशानिर्देशों के साथ संरेखण में आवासीय घटकों को शामिल करते हुए आवासीय स्कूल को फिर से खोलने के लिए एक एसओपी भी विकसित किया है।

ये दिशानिर्देश यहां उपलब्ध हैं:

https://drive.google.com/file/d/1LAc4iKQTqTJkNVDGc5glEDsrDGdAXwC8/view

ङ) सामाजिक दूरी के साथ शिक्षण हेतु स्कूल फिर से खोलने के लिए दिशा–निर्देश

ऊपर दिए गए क्रमांक 7 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का भाग–II शारीरिक/सामाजिक दूरी के साथ शिक्षा के संबंध

में है और स्कूलों के फिर से खुलने के बाद शैक्षणिक पहलुओं, जैसे पाठ्यचर्या आदान–प्रदान, पढ़ाई भार, समय सारिणी, मूल्यांकन, आदि का ध्यान रखा जाना है।

ये परामर्श प्रकृति के हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार करने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले तरीके से इनका उपयोग करें।

इन दिशानिर्देशों को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/SOP_Guidelines_for_reopening_schools.pdf

इसके साथ ही इन दिशानिर्देशों के विकास और गैर–औपचारिक शिक्षा को नवीन तरीकों से प्रोत्साहित करने वाले ढांचे के साथ, वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर विकसित किया गया:

वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर शिक्षा का एक तरीका है जो गतिविधि–आधारित है और छात्रों के घर पर उपलब्ध सामान्य संसाधनों का उपयोग करता है। पहली बार, सीखने की यह प्रणाली पूरी तरह से अधिगम परिणामों पर आधारित है और इनका जरूरी नहीं कि ये पाठ्यपुस्तकों की पढ़ाई के साथ–साथ समाप्त होते है। इसका उद्देश्य अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से शिक्षार्थियों में दक्षताओं/कौशलों का विकास करना है।

शिक्षकों और छात्रों के पास उपकरणों की उपलब्धता के विकल्प को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से 12 तक की एक सप्ताहवार योजना तीन भाषाओं में विकसित की गई है। इसे शुरू में 12 सप्ताह के लिए तैयार किया गया है।

सप्ताह–वार योजना में पाठ्यपुस्तक के अध्याय/विषय के संदर्भ में दिलचस्प गतिविधियाँ और चुनौतियाँ शामिल हैं। गतिविधियों की प्रकृति सुझाव के रूप में हैं, निर्देशात्मक नहीं हैं और न ही इनका अनुक्रम अनिवार्य है। शिक्षक और माता–पिता उन गतिविधियों को करने का विकल्प चुन सकते हैं जिनमें छात्र रुचि दिखाता है, चाहे वह क्रम कुछ भी हो। यदि एक ही परिवार के बच्चे विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं, तो भाई–बहन संयुक्त रूप से एक ही गतिविधि में शामिल हो सकते हैं; यदि गतिविधियाँ विभिन्न संज्ञानात्मक स्तरों को पूरा करती हैं, तो बड़े भाई–बहन छोटे का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विषयों को सीखने के परिणामों के साथ मैप करता है।

अधिगम परिणामों के साथ विषयों के मानचित्रण का उद्देश्य छात्रों की अधिगम प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों/अभिभावकों की सुविधा प्रदान करना है। यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे प्रश्न पूछना, बातचीत को प्रोत्साहित करना, इसी तरह की एक अन्य गतिविधि का सुझाव देना, बच्चों की रुचि और गतिविधि में भागीदारी का अवलोकन करना आदि।

इसके अतिरिक्त, शिक्षक दिए गए अधिगम परिणामों के आधार पर अधिक विषयों (यदि आवश्यक हो) पर गतिविधियों को डिजाइन कर सकते हैं। तथापि, अंकों के परीक्षण के बजाय, सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

गतिविधियों के साथ–साथ ई–संसाधनों के लिए लिंक प्रदान किए गए हैं। फिर भी, यदि छात्रों के लिए इन संसाधनों तक पहुंच संभव नहीं है, तो शिक्षक टेली–संपर्क के माध्यम से अन्य संदर्भ स्रोतों जैसे शब्दकोश, एटलस, समाचार सुर्खियों, कहानी की किताबों आदि के लिए उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं।

कक्षा 1 से 12 के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर https://ncert.nic.in/alternative-academic-calendar-php पर उपलब्ध हैं।

सीबीएसई ने शिक्षकों द्वारा इसके प्रभावी उपयोग के लिए 17 जुलाई 2020 को वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर पर एक ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया और इसे लगभग 2,55,000 शिक्षकों और प्राचार्यों ने देखा।

इस कैलेंडर को लगभग सभी राज्यों द्वारा अपनाया/अनुकूलित किया गया है, और इसके लिए केवल शिक्षकों को इस कैलेंडर को लागू करने के लिए शिक्षार्थियों या उनके

माता–पिता को सप्ताह में एक बार कुछ निर्देश (टेलीफोन द्वारा) देने की आवश्यकता है।

iii) स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना

समग्र शिक्षा के तहत, अधिगम प्रक्रियाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर विशेष जोर देने के साथ संकट के प्रबंधन के लिए पुनर्सरेखण की आवश्यकता का ध्यान रखा गया। निम्नलिखित दिशानिर्देशों के आधार पर कोविड –19 स्थिति से निपटने के लिए समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न घटकों के लिए निधियां प्रदान की गईः

क. अधिगम प्रक्रियाः

शिक्षक प्रशिक्षण, दीक्षा/डिजिटल सामग्री निर्माण और लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम (एलईपी) घटकों के तहत डिजिटल शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(i) सुरक्षा और ई–लर्निंग पहलुओं पर शिक्षकों का प्रशिक्षण।

- एनसीईआरटी द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जाएगा।
- शिक्षकों को सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड, स्वच्छता आवश्यकताओं, छात्रों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने आदि जैसे सुरक्षा उपायों के बारे में संवेदनशील और उन्मुख किया जा सकता है।
- यदि आवश्यक हो तो एनसीईआरटी के सहयोग से, राज्य एससीईआरटी/एसआईई और डीएलईटी द्वारा शिक्षकों और शैक्षणिक संसाधन व्यक्तियों के बीच आवधिक चेक–इन और परामर्श सत्र आयोजित किए जा सकते हैं।
- शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए कार्य नीति तैयार की जा सकती है, जहां शिक्षकों को निष्ठा और दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन ट्यूटोरियल और एमओओसी की लाइव–स्ट्रीमिंग के माध्यम से शिक्षण पद्धतियों पर मार्गदर्शन दिया जा सकता है।
- शिक्षकों को ई–लर्निंग से संबंधित अपने अनुभवों, विचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं, मुद्दों और समस्याओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सकता है।

(ii) ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म का संवर्धन

- शिक्षकों और छात्रों के बीच दीक्षा, ई–पाठशाला, स्वयं, स्वयं प्रभा, एनआरओईआर और निष्ठा जैसे ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा दिशानिर्देश 'प्रज्ञता' को संदर्भित किया जा सकता है।
- शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पाठ्यक्रम (विद्यादान) के अनुरूप सामग्री विकसित करने और योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। एससीईआरटी द्वारा अपेक्षित अवधि और अनुमोदन के बाद सामग्री को दीक्षा पर आगे अपलोड किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आयोजित किए जाने वाले सत्रों की नमूना अनुसूची (समय–सारणी) और उपयोग के घंटों की संख्या के संबंध में विभिन्न उपलब्ध ई–लर्निंग प्लेटफार्मों के उपयोग पर एससीईआरटी द्वारा दिशानिर्देश विकसित करना। दिशानिर्देशों में यह भी शामिल होना चाहिए कि घर पर अध्ययन कैसे किया जाए और दैनिक या साप्ताहिक समय सारिणी जारी की जा सकती है।

- शिक्षक आभासी कक्षाओं/चर्चाओं का संचालन कर सकते हैं। कक्षा सत्र या तो लाइव स्ट्रीम हो या रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। छात्रों के प्रश्नों और शंकाओं का पर्याप्त उत्तर दिया जाना चाहिए।
- प्रवेश की योजना इस प्रकार बनाई जाए कि कोई बच्चा छूट न जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि सीखने की सामग्री सीडब्ल्यूएसएन की जरूरतों के लिए सुलभ है। कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में, राज्य सरकार को दूरस्थ स्थान तक पहुंचने के लिए रेडियो और टीवी के माध्यम से सामग्री वितरित करनी चाहिए। जहां संभव हो वहां मातृभाषा/स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। राज्य सरकार कनेक्टिविटी में सुधार, लागत कम करके और एक्सेस असमानताओं को कम करने के लिए कवरेज बढ़ाकर पहुंच बढ़ाने के लिए दूरसंचार सेवाओं के साथ गठजोड़ कर सकती है।
- ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के माध्यम से सभी बच्चों को घर पर पाठ्यपुस्तकें और पूरक प्रिंट सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र विकसित किया जा सकता है और छात्रों को घर पर व्यस्त रखने के लिए उन्हें व्हाट्सएप, एसएमएस आदि के माध्यम से भी साझा किया जा सकता है।
- एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर, एससीईआरटी को अपने स्कूलों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक योजनाएं बनानी चाहिए, जिसमें पाठ्यक्रम के संचालन की योजना, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन शामिल हैं।
- ऐसे मामले हो सकते हैं जहां माता–पिता/अभिभावक छात्रों के सीखने में सहायता करने की स्थिति में न हों। तद्नुसार स्कूल खुलने के बाद पर्याप्त उपचारात्मक उपाय अपनाए जाएं।

ख. बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा

सामुदायिक संघटन और एसएमसी प्रशिक्षणः सामुदायिक संघटन और एसएमसी प्रशिक्षण के तहत धन का उपयोग बच्चों के लिए सुरक्षा और संरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। छात्रों, अभिभावकों और उनकी भूमिका के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमसी सदस्यों को वर्तमान कोविड स्थिति के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया जा सकता है जैसा कि नीचे बताया गया हैः

(i) कोविड –19 पर जागरूकता

- कोविड–19 के बारे में बुनियादी जानकारी, जिसमें इसके लक्षण, जटिलताएं, प्रतिरक्षा में सुधार, यह कैसे फैलता है और फैलाव को कैसे रोका जाए, का प्रसार किया जाना चाहिए।
- माता–पिता को अपने बच्चे की सीखने की गतिविधि और सुरक्षा में एक सूत्रधार की भूमिका निभाने के लिए संवेदनशील बनाया जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षकों द्वारा एसएमसी, पीटीएम, व्हाट्सएप या टेलीफोनिक सत्रों के माध्यम से संवेदीकरण सत्र/ कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।
- फर्जी सूचना/मिथकों के बारे में जागरूकता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एलसीएमआर, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ जैसे विश्वसनीय स्रोतों से होनी चाहिए।
- माता–पिता को किसी भी लक्षण के मामले में चिकित्सा सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यदि बच्चा बीमार है, तो उसे घर पर सुरक्षित रहना चाहिए।

- माता–पिता को बच्चे की अनुपस्थिति और लक्षणों के बारे में स्कूल को सूचित करना चाहिए।
- माता–पिता को पालन करना चाहिए और अपने बच्चे को अच्छी स्वच्छता की आदतों का पालन करने के लिए कहना चाहिए।

(ii) उनके बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता

- माता–पिता को बच्चे की प्रतिक्रियाओं पर सहायक तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में उनकी सामान्य प्रतिक्रियाएँ हैं।
- मार्गदर्शन और परामर्श के लिए काउंसलर (शिक्षक) को शामिल किया जाना चाहिए।
- मनोदर्पण ऐप और कॉल सेंटर का उपयोग परामर्श के लिए किया जा सकता है।
- **छात्रों को निर्देशित किया जाना चाहिए:**
  - ✓ शिक्षाविदों के साथ पेंटिंग, कहानी की किताबें पढ़ना, कहानियां लिखना, कविताएं जैसी गतिविधियां करना ताकि वे नए कौशल सीख सकें या अपने वर्तमान कौशल को समृद्ध कर सकें।
  - ✓ सोशल मीडिया समाचार देखने, पढ़ने या सुनने से ब्रेक लें। महामारी के बारे में बार–बार सुनना परेशान कर सकता है।
  - ✓ स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा करके अपना ख्याल रखें
  - ✓ स्वस्थ, संतुलित भोजन करने, नियमित व्यायाम करने, भरपूर नींद लेने से प्रतिरक्षा में सुधार होता है।
  - ✓ परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं।

ग. समग्र स्कूल अनुदान के तहत स्कूल सैनिटाइजेशन

(I) सुरक्षित स्कूल संचालन, स्वच्छता और क्वारेन्टाइन (भौतिक अवसंरचना)

क. बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान

- स्कूल बुनियादी वॉश सुविधाएं सुनिश्चित करें जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग वॉशरूम, हाथ धोने के स्था न और सभी के लिए सुरक्षित पेयजल की सुविधा शामिल है।
- स्कूल में साबुन, अल्कोहल रब/हैंड सैनिटाइज़र या क्लोरीन के घोल की कीटाणुशोधन और सफाई सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्ध ता सुनिश्चित करें।

ख) स्कूल सुविधाओं का सैनिटाइजेशन

- स्कूल परिसर के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए नियमित रूप से स्वच्छता और कीटाणुशोधन किया जाना चाहिए और इनडोर जगह में हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए।

राज्यों को आवश्यक सहायता के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़ने की सलाह दी गई।

मुख्य बिंदु

- कोविड–19 पर विस्तृत दिशा–निर्देश और मॉड्यूल मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किए गए।

- शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम और दीक्षा के तहत प्रदान की गई धनराशि का उपयोग ई–लर्निंग प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए किया जा सकता है।
- स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग सुविधाओं के लिए धन एमएमईआर/समग्र स्कूल अनुदान से प्राप्त किया जा सकता है।
- एसएमसी, माता–पिता, बच्चों और समाज के बीच कोविड–19 के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सामुदायिक लामबंदी और एसएमसी प्रशिक्षण के तहत प्रदान की गई धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।
- स्वच्छता कार्य योजना घटक, समग्र स्कूल अनुदान/सुरक्षा और संरक्षा के तहत प्रदान की गई धनराशि का उपयोग स्कूलों की स्वच्छता के लिए किया जा सकता है।

XIV. एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान:

पृष्ठभूमि:

भारत एक अनूठा राष्ट्र है, जिसका ताना–बाना विविध भाषाई, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सूत्रों से बुना गया है, जो सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास समग्र राष्ट्रीय पहचान बांधे रखता है, यह उस जोशीले स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है जो अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों रचा गया था। एक साझा इतिहास के बीच आपसी समझ की भावना ने विविधता में एक अद्यवितिय एकता को साकार किया है, जो राष्ट्रीयता की एक लंबी लौ के रूप में सामने आती है जिसे भविष्य में पोषित और पल्लवित करने की आवश्यकता है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर, 2015 को आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों के बीच एक सतत और संरचित सांस्कृतिक जुड़ाव का विचार प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया। माननीय प्रधान मंत्री ने प्रतिपादित किया कि सांस्कृतिक विविधता एक खुशी है जिसे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच पारस्परिक बातचीत और पारस्परिकता भाईचारे के माध्यम से मनाया जाना चाहिए ताकि पूरे देश में समझ की एक समान भावना प्रतिध्वनित हो। देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक वर्ष के लिए दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके दौरान वे भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि के क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ एक संरचित जुड़ाव करेंगे। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश को वर्ष 2017 के लिए पंजाब के साथ जोड़ा गया है। वर्ष के दौरान, पंजाबी तेलुगु में कीवर्ड सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ तेलुगु पुस्तकों का पंजाबी में अनुवाद किया जाएगा और इसके विपरीत, आंध्र के लोग पंजाबी व्यंजन पेश करने वाले फूड फेस्टिवल आयोजित करेंगे, पंजाबियों ने आंध्र लोक नृत्य का प्रदर्शन करेंगे, जबकि आंध्र के लोग मंचित कार्यक्रमों आदि में भंगड़ा का प्रदर्शन करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भागीदार राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के सांस्कृतिक अंगीकरण के इस पैटर्न का पालन किया जाएगा।

युग्मित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एक–दूसरे के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उन गतिविधियों के एक समूह को चित्रित करते हैं जिन्हें वे अंजाम देंगे। आपसी परामर्श के माध्यम से प्रत्येक जोड़ी के लिए एक गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया, जिससे आपसी जुड़ाव की एक साल लंबी प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हुआ। सांस्कृतिक स्तर पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जोड़े की आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच इस तरह की बातचीत ने लोगों के बीच समझ और प्रशंसा की जीवंतता पैदा की और आपसी संबंध बनाए, इस प्रकार राष्ट्र में एकता की एक समृद्ध मूल्य प्रणाली हासिल की।

एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की कृत कार्रवाई रिपोर्ट (स्कूल शिक्षा और साक्षरता): (2019–20)

- विभाग ने 20 नवंबर 2020 को अभियान के अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हैं।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने स्कूलों के साथ दिशा–निर्देश साझा किए हैं और स्कूलों ने गतिविधियों का आयोजन शुरू कर दिया है।
- 42 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/संस्थानों ने स्कूलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को "फोटो/वीडियो अपलोड करने के निर्देश और की गई कार्रवाई रिपोर्ट" के संबंध में एक विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किया गया है।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा किए गए फोटो/वीडियो एक भारत श्रेष्ठ भारत पोर्टल और शगुन पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

राष्ट्रीय एकता दिवसः

- राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटि डे –2019 31 अक्टूबर 2019 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों (सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी) में मनाया गया। "राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटि डे" में, देश भर के 7, 56,427 स्कूलों और 57,400,437 छात्रों ने भाग लिया।
- राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटि डे–2020 भी 31 अक्टूबर 2020 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों (सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी) में मनाया गया। इस वर्ष, "राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटि डे" में देश भर के 1, 27,496 स्कूलों और 53,93,399 छात्रों ने भाग लिया।

भाषा संगमः

- 20 नवंबर, 2018 से 21 दिसंबर, 2018 तक आयोजित देश के सभी स्कूलों में आयोजित भाषा संगम, राष्ट्रीय एकता की भावना का जश्न मनाने और सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में छात्रों के लिए बहुभाषी अनुभव प्रदान करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए "एक भारत श्रेष्ठ भारत" का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- इस कार्यक्रम के तहत, सभी कक्षाओं के छात्रों द्वारा उपयोग के लिए 22 भाषाओं में 5 सरल और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यों से युक्त एक संक्षिप्त संवाद तैयार किया गया। इन वाक्यों के सभी 22 भाषाओं में अनुवाद के साथ एक विशेष पुस्तिका विकसित की गई ताकि इन भाषाओं को सुनने, समझने और बोलने का अभ्यास किया जा सके।
- इस वर्ष भाषा संगम का आयोजन नहीं किया जा सका क्योंकि कोविड–19 महामारी के कारण स्कूल बंद हैं। स्कूलों को फिर से खोलने के बाद इसे ऑनलाइन माना जा सकता है।
- ऑडियो के साथ 100 वाक्यों को शुरू करके भाषा संगम के दायरे को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है ताकि बच्चे युग्मित राज्यों की भाषा सीख सकें। एनसीईआरटी ने 22 भाषाओं में 100 वाक्य तैयार किए हैं और हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी कर ली गई है।

कला उत्सवः

- एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राष्ट्रीय स्तर का कला उत्सव कार्यक्रम 2 जनवरी से 5 जनवरी, 2020 तक RIE, भोपाल, भारत में आयोजित किया गया था। कला उत्सव में 38/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/संस्थानों के 296 छात्रों (राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित) ने वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक, डांस और पेंटिंग चार विषयों में भाग लिया। प्रत्येक कला रूप में सभी विजेताओं (पहला– 25,000/– रुपये, दूसरा– 20,000/– रुपये और तीसरा– 15,000/– रुपये) को नकद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और पदक से सम्मानित किया गया और सभी

प्रतिभागियों को भागीदारी का प्रमाण पत्र दिया गया।

- राष्ट्रीय स्तर पर कला उत्सव–2020 का आयोजन 11 जनवरी से 22 जनवरी 2021 तक राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया गया था; जिसमें विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 574 छात्रों ने भाग लिया।

एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व:

- एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत केवीएस द्वारा 31–10–2019 से 03–11–2019 तक इंडिया गेट पर "एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व" का आयोजन किया गया; जिसमें 25 क्षेत्रों के 2375 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

मातृभाषा दिवस समारोह:

- सभी स्कूलों में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस–2020 मनाया गया जिसमें देश भर से 2,16,95,954 छात्रों ने भाग लिया।

बैंड प्रतियोगिता:

- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अब तक 3 इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, पहला–14 जनवरी, 2018 को दूसरा 21 दिसंबर, 2018 को और तीसरी 23 जनवरी, 2020 को। प्रतियोगिता तीन स्तरों राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग–अलग टीमें हैं।

बैंड प्रतियोगिता 2020:

- 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10,050 छात्रों (5650 लड़के और 4400लड़कियों) की 402 टीमों ने राज्य स्तरीय इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता में भाग लिया।
- जोनल स्तर की प्रतियोगिता में राज्य स्तर की विजेता टीम ने भाग लिया। छह जोनों (पूर्वोत्तर, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य) में 59 टीमों (31 लड़के और 28 लड़कियों) में 1475 छात्र (775 लड़के और 700 लड़कियां) शामिल हैं, जिन्होंने इस साल इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता में भाग लिया।
- जोनल स्तर की प्रतियोगिता जीतने वाली 16 टीमों ने त्यागराज स्टेडियम–नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा की।
- कोविड–19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने के कारण इस वर्ष इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई है। स्कूलों के फिर से खुलने के बाद ही ऐसा आयोजन किया जा सकता है।

ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता:

- विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संगठनों को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी लिखा है।
- विभाग ने राज्यों को सलाह दी कि वे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों का विवरण क्षेत्रीय/दूरदर्शन/ आकाशवाणी केंद्र के साथ पहले से ही साझा करें ताकि वे इसे दूरदर्शन/आकाशवाणी केंद्र पर उचित रूप से प्रसारित कर सकें।

ईबीएसबी क्लब:

- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्कूलों में ईबीएसबी क्लब गठित करें।
- जम्मू–कश्मीर, आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, त्रिपुरा,नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, तेलंगाना, केंद्रीय विद्यालयों और सीबीएसई आदि के स्कूलों में 1,46,776 ईबीएसबी क्लबों का गठन किया गया।

स्वदेशी खेलों पर ऑनलाइन श्रृंखला:

- लॉकडाउन की अवधि के दौरान, फिट इंडिया सेल, खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के समन्वय में

भारत के स्वदेशी खेलों पर एक ऑनलाइन श्रृंखला का आयोजन किया गया।

छात्रों के बीच ऑनलाइन वीडियो कॉल:

- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है और इसके दायरे में आने वाले संगठनों को पेयरिंग राज्यों के छात्रों के बीच ऑनलाइन वीडियो कॉल/टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए लिखा है।

सांस्कृतिक विविधता में एकता पर पुस्तक:

- एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई "सांस्कृतिक विविधता में एकता" नामक एक पुस्तक को आगे प्रसार के लिए सभी राज्यों के साथ साझा किया गया है।
- सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थानों के साथ साझा करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा "22 भाषाओं में 100 वाक्य" नामक एक अन्य पुस्तक की प्रक्रिया चल रही है।

सोशल मीडिया पर ईबीएसबी:

- विभाग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में जागरूकता अभियान चला रहा है। विभाग का ट्विटर हैंडल Ebsb_Dosel के रूप में उपलब्ध है
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/स्कूल/संस्थान #Ekbharatshreshthabharat का उपयोग करके वीडियो/फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और विभाग के साथ साझा करते हैं।

मासिक कृत कार्रवाई रिपोर्ट:

- राज्यों से अनुरोध है कि वे गतिविधियों का आयोजन करें और मासिक कार्रवाई की रिपोर्ट ekbharat.gov@gmail.com पर विभाग को साझा करें।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित तरीके से मासिक कार्रवाई रिपोर्ट विभाग को भेज रहे हैं।
- कार्यक्रम के तहत विभाग की मासिक कार्रवाई रिपोर्ट ईबीएसबी सेल, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के साथ हर महीने साझा की जाती है।
- नवंबर 2019– के महीने में 19,10,080 छात्रों ने सुझाई गई गतिविधियों में भाग लिया
- दिसंबर 2019 के महीने में 34,95,301 छात्रों ने सुझाई गई गतिविधियों में भाग लिया
- जनवरी 2020 के महीने में 49,59,834 छात्रों ने सुझाई गई गतिविधियों में भाग लिया
- फरवरी 2020– के महीने में 51,48,196 छात्रों ने सुझाई गई गतिविधियों में भाग लिया
- सितंबर 2020 के महीने में 3,67,628 छात्रों ने सुझाई गई गतिविधियों में भाग लिया
- अक्टूबर 2020– 8,07,729 छात्रों ने सुझाई गई गतिविधियों में भाग लिया
- नवंबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक ईबीएसबी गतिविधियों में 1,36,107 स्कूलों के कुल 1,66,88,768 छात्रों ने भाग लिया।

कोविड –19 का प्रभाव:

- कोविड–19 के कारण मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त माह के दौरान कैलेंडर के अनुसार ईबीएसबी के तहत शारीरिक गतिविधियां नहीं की जा सकीं। हालांकि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्यों में उपलब्ध विभिन्न डिजिटल मोड के माध्यम से गतिविधियों का संचालन किया है। गतिविधियों जैसे – भागीदारी राज्यों पर ऑनलाइन वेबिनार, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, ऑनलाइन कक्षाएं और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से वीडियो कॉल / चिट–चैट और छात्रों के बीच टेलीफोन पर बातचीत को बढ़ावा दिया गया है।

XV. संविधान दिवस और नागरिक कर्तव्य (नागरिक कार्तव्य पालन अभियान):

1. न्याय विभाग ने बताया कि 26 नवंबर 2019 को संविधान दिवस मनाया जाना है और 26 नवंबर, 2020 तक सभी स्कूलों में सालाना गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। तदनुसार, गतिविधियों का एक कैलेंडर तैयार किया गया था और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन करने का सुझाव दिया गया था:

i. स्कूल में एक विशेष सभा में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर इस अवसर को चिह्नित करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह।

ii. राज्य, जिला और स्कूल स्तर पर वाद–विवाद, निबंध प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, सेमिनार और व्याख्यान आदि आयोजित किए जा सकते हैं।

iii. संविधान से संबंधित मौलिक कर्तव्यों और विषयों पर राज्य स्तरीय निबंध, वाद–विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं राज्य भर में आयोजित की जा सकती हैं, राज्य स्तर पर विजेताओं को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जा सकता है।

iv. प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों का वाचन।

v. मॉक पार्लियामेंट का आयोजन।

vi. समारोह के दौरान छात्रों और कर्मचारियों के बीच मौलिक कर्तव्यों पर सार्वजनिक संदेश का प्रचार मौलिक कर्तव्यों पर ब्रोशर, पैम्फलेट और ई–पोस्टर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किए जा सकते हैं और छात्रों के बीच स्कूलों में वितरित किए जा सकते हैं।

vii. निर्धारित विषय पर नागरिक केंद्रित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार/संगठन वेबसाइटों और MyGov प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग। MyGov द्वारा आयोजित की जा रही ऑनलाइन क्विज/ओलंपियाड प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

viii. मौलिक कर्तव्यों के संदेश को प्रसारित करने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित हस्तियों को आमंत्रित करेना।

ix. स्कूलों में मौलिक कर्तव्यों और संबंधित विषयों पर प्रख्यात वकीलों और कानूनी विद्वानों द्वारा वार्ता आयोजित की जा सकती है।

2. **नागरिक कर्तव्य पालन अभियान** के तहत आयोजित विभिन्न गतिविधियों में मासिक भागीदारी के संबंध में संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	माह	भागीदार छात्रों की संख्या	भाग लेने वाले स्कूलों की संख्या
1	दिसंबर	3830611	44423
2	जनवरी	24062063	231785
3	फ़रवरी	21949661	172910

- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/संस्थानों ने नागरिक कर्तव्य पालन अभियान के तहत गतिविधियों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।
- इसके अतिरिक्त दिनांक 16 नवंबर, 2019 के पत्र द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संविधान दिवस 26 नवंबर, 2019 को पढ़ने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अग्रेषित किया गया 26 नवंबर 2019 को लगभग 9.63 लाख स्कूलों और 10.96 करोड़ छात्रों ने प्रस्तावना पढ़ने और अन्य गतिविधियों में भाग लिया।
- कोविड–19 महामारी के कारण सभी स्कूल बंद हैं; इस दौरान कुछ ऑनलाइन गतिविधियों के संचालन पर फोकस रहा। इस संबंध में एनसीईआरटी ने भारतीय संविधान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी शुरू की है।
- 14 अप्रैल, 2020 को भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बी.आर.अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारतीय संविधान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई जिसमें कुल 65114 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 26–11–2020 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रस्तावना पढ़ना, वेबिनार/मौलिक कर्तव्यों पर वार्ता आदि आयोजित करके संविधान दिवस मनाया। जिसमें 213641 स्कूलों के 7447702 छात्रों और 1125257 शिक्षकों / अन्य शैक्षिक हितधारकों ने भाग लिया।

3. 24 जनवरी 2020 को कैबिनेट सचिवालय में आयोजित सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक में यह सिफारिश की गई कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग इस संबंध में राज्य की पाठ्यपुस्तकों में मौलिक कर्तव्यों (प्रस्तावना के अतिरिक्त) पर एक पृष्ठ शामिल करेगा। 25.11.2019 को सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र भेजा गया है और फिर 21.02.2020, 02.03.2020, 04.09.2020 और 22.10.2020 को एक अनुस्मारक भेजा गया है।

- इसके अतिरिक्त , तेलंगाना, पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, लद्दाख, सिक्किम, बिहार, मेघालय, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, नागालैंड, मध्य प्रदेश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने राज्य पाठ्यक्रम की पाठ्यपुस्तकों में मौलिक कर्तव्यों (प्रस्तावना के अतिरिक्त) पर एक पृष्ठ को शामिल करने के बारे में सूचित किया है।
- एनसीईआरटी ने अपनी पाठ्यपुस्तक में प्रस्तावना के अतिरिक्त अन्य मौलिक कर्तव्यों पर एक पृष्ठ शामिल किया है।
- एनसीईआरटी ने कक्षा 11वीं और 12वीं के संविधान में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए तीन भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू) में एक पाठ्यपुस्तक प्रकाशित की है।

फिट इंडिया मूवमेंट पर प्रगति रिपोर्ट

पृष्ठभूमिः माननीय प्रधान मंत्री ने शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने की दृष्टि से 29 अगस्त 2019 को "फिट इंडिया मूवमेंट" शुरू किया है। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना है– गतिहीन जीवन शैली से लेकर शारीरिक रूप से सक्रिय दैनिक जीवन जीने के तरीके तक। फिट इंडिया तभी सफल होगा जब वह जन आंदोलन बनेगा। हमें उत्प्रेरक की भूमिका निभानी होगी।

यह देश को फिटनेस और वेलनेस के रास्ते पर ले जाने के लिए एक आंदोलन है। यह एक स्वस्थ भारत की दिशा में काम करने का एक अनूठा और रोमांचक अवसर प्रदान करता है। आंदोलन के हिस्से के रूप में, व्यक्ति और संगठन अपने स्वयं के स्वास्थ्य और कल्याण के साथ–साथ साथी भारतीयों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विभिन्न प्रयास कर सकते हैं।

वर्ष 2020–21 में आयोजित गतिविधियों के लिए अद्यतन रिपोर्ट (4 फरवरी 2021 तक)

1. दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 तक फिट इंडिया स्कूल वीक (संस्करण–2)

फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का दूसरा संस्करण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए और एमएचए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बहुत उत्साह और उत्साह के साथ मनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर माह में 299834 स्कूलों के 8028754 छात्रों ने भाग लिया और जनवरी माह में 130783 स्कूलों के 2884305 छात्रों ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के तहत सुझाई गई गतिविधियों में भाग लिया।

2. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस–2020

फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभाग हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए उस दिन स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम / गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं और बच्चों के बीच योग को और अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष भी एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से योग पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की है।

यह क्विज़ 30 सितंबर, 2020 तक खुला रहा और इसे क्विज़ खेलने वाले 807992 प्रतिभागियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कक्षा 6–8 के प्रथम 100 तथा कक्षा 10–12 के प्रथम 100 विद्यार्थियों को मेरिट प्रमाण पत्र दिए गए।

3. फिट इंडिया स्टार रेटिंग

फिट इंडिया को जन आंदोलन बनाने के लिए खेल विभाग ने फिट इंडिया स्कूलों की रैंकिंग प्रणाली तैयार की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों, को फिट इंडिया 3– या 5–स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए लिखा है। 04 फरवरी 2021 तक, 235345 स्कूलों ने फिट इंडिया फ्लैग, 37876 स्कूलों को 3 स्टार रेटिंग और 12333 स्कूलों को 5 स्टार रेटिंग दी है।

4. आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल

खेल विभाग ने विभिन्न आयु समूहों के लिए आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल विकसित किए हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके व्यापक उपयोग के लिए छात्रों, शिक्षकों और समुदाय के बीच इन प्रोटोकॉल का प्रसार करने के लिए भी लिखा है।

5. फिट इंडिया एक्टिव डे सेशन

सीबीएसई और फिट इंडिया सेल के समन्वय से विभाग ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान फिट इंडिया एक्टिव डे ऑनलाइन दैनिक सत्रों का आयोजन किया है।

XVI. सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेशी शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020:

जुलाई, 2020 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) शिक्षा की आधारशिला के रूप में पूर्ण समानता और समावेश की बात करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में कामयाब हो सकें। नीति ने समान और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की सुविधा के लिए बड़े सुधार किए हैं। सभी छात्रों के लिए अधिगम सुविधा के लिए और स्कूली शिक्षा तक पहुंच के अंतराल को दूर करने के लिए, जेंडर और सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान और अक्षमता आदि के आधार पर सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष बल दिया गया है।

यह अपने ढांचे के भीतर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की शिक्षा को भी रेखांकित करता है। यह नीति पूरी तरह से दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडबल्यूडी) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप है। सीडब्ल्यूएसएन के लिए समान गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सामग्री विकास, संसाधन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामान्य शिक्षकों के क्षमता निर्माण आदि जैसी सिफारिशों को नीति में शामिल किया गया है।

समग्र शिक्षा – सीडब्ल्यूएसएन घटक के लिए समावेशी शिक्षा:

केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना देश भर में प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को कवर करती है। यह योजना सीडब्ल्यूएसएन सहित सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों द्वारा विनियमित और शासित है। समग्र शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एक समर्पित समावेशी शिक्षा घटक है। घटक के माध्यम से, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट छात्र उन्मुख कार्यक्रमों जैसे कि पहचान और मूल्यांकन शिविर, सहायता के प्रावधान, उपकरण और सहायक उपकरण, परिवहन, स्क्राइब और एस्कॉर्ट भत्ता सहायता, ब्रेल किताबें और बड़े प्रिंट वाली किताबें, विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के लिए सामान्य स्कूलों में उनकी अनूठी शैक्षिक आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरा करने के लिए वजीफा और शिक्षण–अधिगम सामग्री आदि के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, ब्लॉक स्तर पर चिकित्सीय कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तिगत सहायता भी प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडबल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अनुसार सीडब्ल्यूएसएन का समर्थन करती है।

(आज दिनांक तक) वर्ष 2020–21 के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए हैं:

- समग्र शिक्षा वर्तमान में कक्षा I से XII तक के विशेष आवश्यकता वाले 20 लाख से अधिक बच्चों को कवर कर रही है, जिसका अनुमानित परिव्यय 1159.41 करोड़ रु. है।
- लड़कियों को नामांकन के लिए और स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आवश्यकता वाली 4.65 लाख लड़कियों के लिए वजीफा (10 महीने के लिए 200/– रुपये) के लिए 93.04 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वजीफा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से वितरित किया जाता है।
- 76.32 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एडीआईपी आदि जैसी अभिसरण योजना (ओं) के माध्यम से 2.3 लाख सीडब्ल्यूएसएन के लिए सहायता और उपकरण।
- योजना के तहत कक्षा XII तक के बच्चों के लिए 12.94 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 56,374 गंभीर और बहु–निःशक्तता वाले बच्चों को कवर करते हुए गृह आधारित शिक्षा का प्रावधान।
- प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सीडब्ल्यूएसएन की अधिगम जरूरतों को उचित रूप से पूरा करने के लिए विशेष शिक्षकों के माध्यम से संसाधन सहायता के लिए अलग से आवंटन किया गया है। विभाग ने वर्ष 2020–21 के लिए 27,587 विशेष शिक्षकों के लिए 676.17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।
- इसके अलावा, दिव्यांग बच्चों तक पहुंच के लिए हैंडरेल के साथ रैंप और स्कूलों में दिव्यांगों के अनुकूल शौचालयों के माध्यम से बाधा मुक्त बुनियादी ढांचा बनाया गया है। यूडाइस+ 2018–19 (नीति.) के अनुसार, देश भर में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (कक्षा I से XII) में 8,33,703 स्कूलों में हैंडरेल के साथ रैंप और दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग अनुकूल शौचालय वाले 1,49,501 स्कूल हैं।
- इसके अलावा, महामारी को देखते हुए, विभाग ने सभी छात्रों का अधिगम नुकसान कम से कम हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय शुरू किए हैं, जिसमें सीडब्ल्यूएसएन और समावेशी शिक्षा के लिए ई–सामग्री विकास के लिए एक कार्य समूह का गठन और विभाग द्वारा अगस्त, 2020 में गठित ऑनलाइन/डिजिटल लर्निंग शामिल है।

समग्र शिक्षा का फोकस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर है, जिसमें बच्चे अपनी क्षमताओं/अक्षमताओं की परवाह किए बिना एक ही कक्षा में एक साथ भाग लेते हैं और सीखते हैं, इस प्रकार सभी छात्रों के लिए एक सक्षम शैक्षिक वातावरण का निर्माण करते हैं।

फोटो (स्रोतः https://repository.seshagun.nic.in/)/पहचान और मूल्यांकन शिविर/सहायता एवं सहायक उपकरणों का प्रावधान

पहचान और मूल्यांकन केन्द्र

परिवहन और एस्कॉर्ट भत्ता

सहायता उपकरणों और यंत्रो का प्रावधान

शिक्षण–अधिगम सामग्री (टीएलएम)

सहयोगी यंत्र

सह पाठ्यक्रम गतिविधियां

XVII. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

समग्र शिक्षा के तहत, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) का प्रावधान है। केजीबीवी एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले वंचित समूहों से संबंधित कक्षा VI से XII तक की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय हैं। केजीबीवी की स्थापना का उद्देश्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके वंचित समूहों की लड़कियों तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करना है। केजीबीवी एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में स्थापित किए जाते हैं जहां महिला ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। यह शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रत्येक ब्लॉक में कक्षा VI–XII की लड़कियों के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान करता है जिनमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत आवासीय विद्यालय नहीं हैं।

11.01.2021 तक समग्र शिक्षा के तहत राज्यों में कुल 5726 केजीबीवी मंजूर किए गए थे। इसमें से 4886 केजीबीवी 607771 लड़कियों के नामांकन के साथ कार्यात्मक हैं। 607771 लड़कियों के नामांकन में से 171524 एससी लड़कियां हैं, 159517 एसटी लड़कियां हैं, 213179 ओबीसी लड़कियां हैं, 25827 मुस्लिम लड़कियां हैं और 37724 बीपीएल श्रेणी की लड़कियां हैं।

केजीबीवी का उन्नयन:

केजीबीवी के उन्नयन का कार्य वर्ष 2018–19 में शुरू किया गया था और वर्ष 2020–21 के अंत तक कुल 2410 केजीबीवी को कक्षा XII तक अपग्रेड किया जा चुका है।

XVIII. ईसीसीई – बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा:

आरटीई अधिनियम, 2009 अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को तैयार करने के लिए और सभी बच्चों को छः वर्ष की आयु पूरा होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए, समुचित सरकार इन बच्चों को प्री–स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य 4.2 में कहा गया है कि "वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बालिकाओं और बालकों की पहुँच में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यकाल विकास, देखभाल और पूर्व–प्राथमिक शिक्षा हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें।

प्री–स्कूल शिक्षा आजीवन सीखने के इन बुनियादी वर्षों में एक समर्थकारी और प्रेरणादायक माहौल की सुविधा देकर बच्चों के दीर्घकालिक विकास और सीखने में सकारात्मक योगदान देती है। एक भारतीय अध्ययन के हालिया साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान एक अच्छे गुणवत्तायुक्त ईसीसीई कार्यक्रम से बच्चे का समग्र विकास हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप स्कूल की तत्परता के स्तर में सुधार होता है जिसके परिण ाामस्वरूप अंततः प्राथमिक कक्षाओं में उच्च अधिगम स्तर प्राप्त कर पाते हैं। प्री–स्कूल शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों में विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने की उच्च दर, कम पुनरावृत्ति दर, पठन और गणित में अच्छे अंक और उच्च श्रम बाजार उत्पादकता होती है। एनएएस परिणाम –2018 रिपोर्ट से यह देखा गया है कि जो छात्र प्री–प्राइमरी स्कूल गए थे उनकी उपलब्धियां बेहतर थीं। उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों में, 73% छात्र प्री–प्राइमरी स्कूल गए थे।

समग्र शिक्षा स्कूल को प्री–स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में परिकल्पित करती है। यह योजना स्वच्छता सुविधाओं सहित संरक्षित और सुरक्षित अवसंरचना; विकासात्मक रूप से उपयुक्त पाठ्यक्रम, अधिगम गतिविधियाँ, शैक्षणिक अभ्यास और मूल्यांकन; शिक्षकों का व्यावसायिक विकास और सामुदायिक भागीदारी और सहभागिता पर बल देती है। यह योजना पाठ्यक्रम विकास, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण, स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों द्वारा सलाह और सहायता, शिक्षण सामग्री बढ़ाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय और अभिसरण सुनिश्चित करने पर बल देती है। यूडाइस 2018–19 (अनंतिम) के अनुसार, कुल 1,83,378 सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों में प्री–प्राइमरी सेक्शन जुड़े हुए हैं। समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों में ईसीसीई कार्यक्रम को लागू करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 31270.52 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

2020 में, ईसीसीई घटक के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई शिक्षा नीति 2020 को स्कूली शिक्षा की नींव के रूप में शामिल किया गया था। ईसीसीई बच्चों में प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान के अलावा संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं को विकसित करने के लिए खेल–आधारित अधिगम पर केंद्रित है। ईसीसीई के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने और सभी बच्चों को स्कूल जाने हेतु तैयारी के लिए, नीति दस्तावेज में चार मॉडल प्रस्तावित हैं अर्थात (क) स्टैंड–अलोन आंगनवाड़ी; (ख) प्राथमिक विद्यालय के साथ सह–स्थित आंगनवाड़ी; (ग) मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह–स्थित पूर्व–प्राथमिक विद्यालय/अनुभाग कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु को कवर करते हैं; और (घ) स्टैंड–अलोन प्री–स्कूल। नीति संबंधित गतिविधियों को लागू करने के लिए ईसीसीई के पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में प्रशिक्षित शिक्षक/कर्मचारियों की व्यवस्था के बारे में बात करती है। को–लोकेशन मॉडल में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आंगनबाडी केंद्र को प्रारंभिक कक्षा के लिए उपयोग किया जाएगा जो बच्चे की स्वास्थ्य जांच और वृद्धि निगरानी भी सुनिश्चित करेगा। ईसीसीई को शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। इसलिए, कार्यान्वयन योजना एनईपी सिफारिशों को लागू करने और ईसीसीई गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए जनशक्ति और उपलब्ध संसाधनों के युक्तिकरण पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करती है।

XVIII. समग्र शिक्षा के तहत खेल अनुदानः

नई एकीकृत योजना समग्र शिक्षा प्री–स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में परिकल्पित करती है और इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना में खेल और शारीरिक शिक्षा घटक शामिल हैं जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए खेल उपकरण के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है।

बच्चों के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता को समझते हुए समग्र शिक्षा के अंतर्गत खेलकूद, शारीरिक गतिविधियों, योग, सह–पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों आदि को बढ़ावा देने के लिए पहली बार खेल और शारीरिक शिक्षा घटक शुरू किया गया है। सरकारी स्कूलों में खेल उपकरण के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से अनुदान का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के सरकारी स्कूलों के लिए खेल अनुदान के तहत 674.80 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय ने खेल अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में सरकारी स्कूलों के लिए आयु उपयुक्त खेल उपकरणों की एक सांकेतिक सूची शामिल है। खेल के मैदान आदि की उपलब्धता सहित स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर स्कूलों द्वारा खेल विशिष्ट उपकरणों का भी चयन किया जा सकता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों को संबंधित राज्य/क्षेत्र के पारंपरिक/क्षेत्रीय खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। प्रत्येक स्कूल में एक जिम्मेदार व्यक्ति/शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी)/प्रभारी शिक्षक को खेल उपकरणों की देखभाल और उनके स्टॉक की स्थिति को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

XIX. समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय अनुदानः

पुस्तकालय स्कूल का एक अनिवार्य घटक है, जो न केवल अधिगम के लिए संसाधन प्रदान करता है, बल्कि आनंद, मनोरंजन और ज्ञान और कल्पना को और गहरा करने के लिए पढ़ने के विचार को मजबूत करता है। समग्र शिक्षा योजना के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक प्रमुख हस्तक्षेप के रूप में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर पुस्तकालय और पुस्तकों का प्रावधान शामिल है। इसमें कक्षा I से XII तक के सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय के लिए अनुदान प्रदान करना शामिल है। इस घटक का दृष्टिकोण स्कूल पुस्तकालयों को अधिगम स्थान के रूप में विकसित करना है जो जीवन भर पाठकों और ज्ञान के साधकों का पोषण करते हैं और उचित, आयु–उपयुक्त, विविध और आकर्षक पुस्तकों और अन्य पठन सामग्री के माध्यम से पढ़ने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं।

पुस्तकालय अनुदान के लिए प्राथमिक विद्यालय में राशि 5000/– रुपये से लेकर समग्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 20000/– रुपये तक है। समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय अनुदान के उपयोग के संबंध में पूर्व में जारी दिशा–निर्देश काफी हद तक खरीद तक ही सीमित थे। वर्तमान दिशा–निर्देशों में पुस्तकालयों के विकास, पुस्तकालय की पुस्तकों के चयन एवं खरीद के अलावा समग्र रूप से पठन–पाठन को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के लिए पुस्तकालय अनुदान के तहत 630.51 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

समग्र शिक्षा के घटक 'मौजूदा विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण' के अंतर्गत जिन विद्यालयों में पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध नहीं हैं, वहां पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। जिन विद्यालयों में पुस्तकालय कक्ष नहीं हैं उनमें वार्षिक कार्य योजना एवं राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों के बजट प्रस्ताव में विचारार्थ पुस्तकालय कक्षों की स्वीकृति का प्रस्ताव किया जा सकता है। प्रस्ताव में सिविल कार्य, फर्नीचर, अलमारी, रैक, फिक्सिंग और फिटिंग की लागत शामिल हो सकती है।

XX. डाटा साझाकरण नीतिः

डाटा को सार्वभौमिक रूप से एक मूल्यवान संसाधन के रूप में पहचाना जाता है जिसे इस तरह से बनाए रखा जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इसकी क्षमता का बेहतर उपयोग किया जाता हैं। आज अधिकांश डाटा का रखरखाव और आदान–प्रदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है, जिससे डाटा के उपयोग में आसानी हुई है। साथ ही, इसने ऐसे आदान–प्रदान के लिए एक संरचित और सुरक्षित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। भारत की राष्ट्रीय डाटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) में अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया है कि जिन सिद्धांतों पर डाटा साझाकरण और अभिगम्यता आधारित होने की आवश्यकता है उनमें: ***खुलापन, लचीलापन, पारदर्शिता, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, औपचारिक जिम्मेदारी, व्यावसायिकता, अंतः क्रियाशीलता, गुणवत्ता, सुरक्षा, दक्षता, जवाबदेही, स्थिरता और गोपनीयता*** शामिल हैं। माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा अनुमोदित डाटा साझाकरण नीति को वर्ष 2019–20 में एसई शगुन पोर्टल और यूडाइस+ वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

XXI. शगुन रिपोजिटरीः

यह अच्छी प्रथाओं का एक समृद्ध डिजिटल भंडार है जो भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई सकारात्मक कहानियों, विकास और नवाचारों पर केंद्रित है, जो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन में सुधार ला रहे हैं। इन नवीन प्रथाओं को केस स्टडी, वीडियो, प्रशंसापत्र और छवियों के रूप में प्रलेखित किया गया है। सामग्री को राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या समग्र शिक्षा घटकों द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है, जिसके अंतर्गत वे आते हैं।

XXII. विद्यांजलिः

कार्यक्रम को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से स्वयंसेवकों को शामिल कर सरकारी स्कूलों में सह–शैक्षिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्यांजलि, जिसे समग्र शिक्षा के सम्पूर्ण तत्वावधान में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, यह सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाएगा और बच्चों को पढ़ने, रचनात्मक लेखन, पब्लिक स्पीकिंग, नाटक अभिनय, कहानी की किताबें तैयार करने आदि में प्रभावी ढंग से जोड़ेगा। कार्यक्रम अद्वितीय है जो स्वयंसेवकों को स्कूल के परामर्श से अपनी गतिविधियों को डिजाइन करने की स्वतंत्रता देता है। यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त पेशेवरों, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, कामकाजी पेशेवरों, गृहिणियों और भारतीय प्रवासी व्यक्तियों सहित सभी भारतीय नागरिकों की भागीदारी के लिए खुला होगा।

XXIII. आकांक्षी जिला कार्यक्रमः

'आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण' का उद्देश्य 112 चिन्हित जिलों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार करना है। कार्यक्रम के तीन मूल सिद्धांत – समेकन (केंद्र और राज्य की योजनाओं का), सहयोग (जिला टीमों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नागरिकों और अधिकारियों के बीच), और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा हैं। मुख्य रूप से राज्यों द्वारा संचालित, यह पहल प्रत्येक जिले की मजबूती पर केंद्रित है, और तत्काल सुधार के लिए प्राप्य परिणामों को प्राथमिकता देती है।

शिक्षा क्षेत्र समग्र सूचकांक का 30% हिस्सा है। 8 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पहचान अधिगम परिणामों (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और बाद में माध्यमिक स्कूली शिक्षा में पारगमन की दर, गणित और भाषाओं में औसत अंक आदि) के साथ–साथ बुनियादी ढांचे (लड़कियों के लिए शौचालय की पहुंच, पीने के पानी, बिजली की आपूर्ति) और संस्थागत संकेतक (आरटीई अधिदेशित छात्र–शिक्षक अनुपात, पाठ्यपुस्तकों की समय पर उपलब्धता) पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई है।

XXIV. ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेसः

ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस (ईओडीबी) के तहत आवश्यक विभिन्न हस्तक्षेपों की प्रक्रिया में, इस विभाग ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सभी स्वायत्त संस्थानों जैसे एनवीएस, केवीएस, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईओएस, एनसीटीई, एनबीबी, सीटीएसए के लिए ई–ऑफिस लागू करना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही इन स्वायत्त निकायों ने ऑनलाइन प्रवेश, शुल्क संग्रह, स्थानांतरण प्रक्रिया, डिजी–लॉकर, शिक्षक अधिगम

सामग्री (टीएलएम) की उपलब्धता पर स्विच करके छात्रों और शिक्षक केंद्रित सुधारों की शुरुआत की है।

ऑनलाइन प्रवेश और शुल्क संग्रह के लिए जेएनवी/केवी द्वारा शुरू किए गए सुधार ग्रामीण अभिभावकों और छात्रों के बीच डिजिटल गतिविधि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करेंगे और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएंगे, जिससे पात्र छात्रों को जेएनवी/केवी में अध्ययन करने का उचित अवसर मिल सकेगा। ऑनलाइन कर्मचारी शिकायत निवारण से संबंधित सुधारों से प्रक्रिया तेज होगी और प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

परीक्षा, प्रवेश और शुल्क संग्रह के संबंध में एनआईओएस द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन प्रक्रिया छात्रों और प्रशासक के लिए बहुत मददगार रही है क्योंकि डाटा का सत्यापन आसान हो गया है और ऑनलाइन प्रक्रिया कम से कम समय में छात्रों के प्रश्नों को हल करने में भी मदद करेगी। एनआईओएस द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऑडियो, वीडियो और भारतीय सांकेतिक भाषा प्रारूपों में पाठ्यक्रम सामग्री और ई–संसाधनों की ऑनलाइन उपलब्धता के साथ, छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय सामग्री का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

सीबीएसई द्वारा परीक्षाओं में शुरू की गई सुधार प्रक्रिया छात्रों के लर्निंग पैटर्न को रटंत विद्या से संदर्भ आधारित विद्या में बदल देगी। यह शिक्षा प्रणाली बच्चों के समझने की क्षमता का परीक्षण करेगी और उन छात्रों की मदद करेगी जो गणित को एक चुनौती पूर्ण विषय के रूप में पाते हैं। सीडब्ल्यूएसएन के लिए परीक्षा के अच्छे माहौल से संबंधित सुधार से उनके नामांकन में वृद्धि होगी। सीबीएसई की एक और पहल डिजी–लॉकर से सभी छात्रों को प्रमाणपत्र, अंकतालिका और अन्य दस्तावेज जारी करने के लिए कागज की बचत होगी और सिस्टम को पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी।

XXV. प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई):

डीओएसईएल ने सितंबर–अक्टूबर, 2017 के दौरान एक प्रायोगिक परीक्षण किया, जब सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एसएसए के तहत उनके प्रदर्शन के आधार पर शगुन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ग्रेड दिया गया था। प्रायोगिक परीक्षण ने 10 संकेतकों को कवर किया और बहुत सफल रहा। डीओएसईएल द्वारा विकसित प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) इस प्रायोगिक परीक्षण के अनुभव और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के फीडबैक पर आधारित है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

1. यह सूचकांक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की ग्रेडिंग के उद्देश्य से है जो एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक ही ग्रेड को अपनाने की अनुमति देता है और इसलिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंततः उच्चतम स्तर पर पहुंचने का मौका देता है। पीजीआई की अवधारणा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती और स्थानांतरण, छात्रों और शिक्षकों की इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति आदि जैसी कुछ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक साधन के रूप में की गई है।
2. पीजीआई में सत्तर (70) संकेतक दो श्रेणियों परिणाम और शासन एव प्रबंधन में विभाजित हैं। पहली श्रेणी को चार डोमेन अधिगम परिणाम, पहुंच परिणाम, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं और इक्विटी परिणाम में विभाजित किया गया है; दूसरी श्रेणी में उपस्थिति, शिक्षक पर्याप्तता, प्रशासनिक पर्याप्तता, प्रशिक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता आदि शामिल हैं।

पीजीआई के तहत कुल वेटेज हजार अंक की है। प्रत्येक संकेतक को या तो बीस या दस अंक दिए गए हैं। पीजीआईः संदर्भ वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए राज्य रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसे सार्वजनिक डोमेन में https://www.education.gov.in/hi/statistics-new PGI REPORT 2018–19 (हिंदी) पीजीआई रिपोर्ट 2018–19 (अंग्रेज़ी), पीजीआई रिपोर्ट 2017–18 आदि में देखा जा सकता है। पीजीआई के अगले तार्किक चरण के रूप में: राज्य, 83 संकेतक आधारित पीजीआईः जिला को स्कूली शिक्षा में सभी जिलों के प्रदर्शन को ग्रेड करने के लिए विकसित किया गया है। पीजीआईः जिला के लिए ऑनलाइन डाटा संग्रह और संकलन तंत्र विकसित किया जा रहा है और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। पीजीआईः जिला द्वारा राज्य के शिक्षा विभागों को जिला स्तर पर कमियों की पहचान करने और उनके प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करने की उम्मीद है।

XXVI. जनसंख्या प्रक्षेपण:

डीओएसईएल स्कूली शिक्षा से संबंधित शैक्षिक आंकड़ों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी एकत्र, संकलित, विश्लेषण और प्रदान करता है। शिक्षा क्षेत्र में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कुछ संकेतक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), निवल नामांकन दर (एनईआर), समायोजित निवल नामांकन दर (एएनईआर), जेंडर समानता सूचकांक (जीपीआई), आदि हैं। इन सूचकांकों को विभिन्न आयु समूहों में नामांकन और जेंडर और आयु–समूह द्वारा संबंधित जनसंख्या के साथ शिक्षा के स्तर की तुलना की आवश्यकता है। भारत में जनसंख्या जनगणना एक दशकीय प्रक्रिया है। प्रत्येक जनसंख्या जनगणना के बाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नवीनतम उपलब्ध जनगणना परिणामों, जन्म और मृत्यु के आंकड़ों आदि के आधार पर अगले 25 वर्षों के लिए जनसंख्या अनुमान प्रकाशित करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपण पर विशेषज्ञ समूह द्वारा जारी नवीनतम जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2011–2021 के लिए आयु–समूह और जेंडर के अनुसार जनसंख्या का अनुमान तैयार किया है। यह सार्वजनिक डोमेन http://dashboard.seshagun.gov.in/mhrdreports/#/reportDashboard/sReport रिपोर्ट 5001 में उपलब्ध है।

XXVII. यूडाईस प्लस:

"एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडाइस)" लंबे समय से भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए डाटा एकत्र कर रहा था। यूडाइस के तहत, लगभग 1.5 मिलियन स्कूलों ने प्रत्येक वर्ष डाटा कैप्चर फॉर्मेट (डीसीएफ) के एक पेपर संस्करण में स्कूल स्तर पर डेटा को मैन्युअल रूप से फीड किया। इस प्रणाली में सुधार करने और डाटा संग्रह, संकलन और रिपोर्ट तैयार करने में समय के अंतराल को कम करने के लिए, डीओएसईएल ने संदर्भ वर्ष 2018–19 से "एकीकृत जिला सूचना प्रणाली शिक्षा प्लस (यूडाइस+)" विकसित किया है। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर इनबिल्ट सत्यापन जांच और बाद में डाटा सत्यापन के साथ–साथ यूडाइस + में डाटा की ऑनलाइन अपलोडिंग अनिवार्य कर दी गई है। वर्ष 2020–21 में, डीओएसईएल ने राष्ट्रीय, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों, जिला और ब्लॉक स्तरों पर स्कूली शिक्षा के आंकड़े दिखाने के लिए ऑनलाइन यूडाइस+ एप्लिकेशन पोर्टल में 80 से अधिक रिपोर्ट विकसित की हैं। इस पोर्टल में पिछले वर्षों के डाटा भी जोड़े जा रहे हैं, ताकि इस डाटा का उपयोग करके समय–श्रृंखला विश्लेषण किया जा सके। वर्तमान में, वर्ष 2012–13 से 2018–19 के लिए स्कूलों, नामांकन और शिक्षकों के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले अधिकांश आंकड़ों के डाटा उपलब्ध हैं। माइक्रो–डेटा का उपयोग करके अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए, शोधकर्ताओं के लिए स्कूली शिक्षा पर गुप्त माइक्रो डाटा को पंजीकृत करने और डाउनलोड करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा भी विकसित की गई है। ये सभी सुविधाएं पब्लिक डोमेन में https://udiseplus.gov.in/udise-home/#/Publication- पर उपलब्ध हैं। संदर्भ वर्ष 2019–20 के लिए डाटा का संकलन प्रक्रियाधीन है।

XXVIII. परीक्षा परिणाम

डीओएसईएल भारत में नियमित और मुक्त बोर्डों द्वारा आयोजित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के परिणामों का डाटा भी एकत्र करता है। इन्हें संकलित किया जाता है और समेकन "माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणाम" शीर्षक के तहत प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2017 और 2018 के परीक्षा परिणाम इस वर्ष डीओएसईएल द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, जो https://www.education.gov.in/en/statistics-new "माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के परिणाम 2018" लिंक पर उपलब्ध है।

वर्ष 2019 के परीक्षा परिणाम के डाटा का संकलन प्रक्रियाधीन है।

❖ ❖ ❖

02

स्कूलों में मध्याह्न भोजन की राष्ट्रीय योजना

स्कूलों में मध्याह्न भोजन की राष्ट्रीय योजना

1. पृष्ठभूमि

नामांकन, उपस्थिति और रिटेंशन और साथ ही बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार में वृद्धि के मद्देनजर एक केन्द्र प्रायोजित योजना 'प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम' (एनपी–एनएसपीई) 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। वर्ष 2008–09 में, इस योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था और इस योजना का नाम बदलकर 'स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम' रखा गया था। मिड–डे मील योजना में समग्र शिक्षा के तहत सरकारी और सरकारी–सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) और मदरसों और मकतबों में कक्षा I-VIII तक अध्ययनरत सभी बच्चों को शामिल किया गया है। योजना की विषयवस्तु और कवरेज को समय–समय पर संशोधित किया गया है।

योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

2. उद्देश्य

मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य निम्नलिखित के जरिए भारत में अधिकांश बच्चों की दो महत्वपूर्ण समस्याओं अर्थात् भूख और शिक्षा का समाधान करना है:

i. समग्र शिक्षा के तहत समर्थित सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) और मदरसों और मकतबों में कक्षा एक – आठवीं में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना।

ii. वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करना और कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी सहायता करना।

iii. गर्मी की छुट्टी के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।

iv. कोविड–19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने के दौरान सभी नामांकित बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता (एफएसए) प्रदान करना।

3. औचित्य

i. **कक्षा में भूख लगने की समस्या को रोकना:** समाज के वंचित वर्गों से संबंधित कई बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। यहां तक कि बच्चे, जो स्कूल जाने से पहले भोजन कर लेते हैं, उन्हें भी दोपहर तक भूख लग जाती है और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन उन परिवारों के बच्चों की सहायता कर सकता है जो लंच बॉक्स तैयार करने की स्थिति में नहीं होते हैं या "कक्षा में भूख लगने'' से बचने के लिए स्कूलों से दूर रहते हैं।

ii. **स्कूल की भागीदारी को बढ़ावा देना:** मध्याह्न भोजन का स्कूल की भागीदारी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, न केवल रजिस्टरों में अधिक बच्चों को दाखिला दिलाने के मामले में, बल्कि दैनिक आधार पर नियमित रूप से विद्यार्थियों की उपस्थिति के संदर्भ में भी।

iii. **बच्चों के स्वस्थ विकास को सुगम बनाना:** बच्चों को उनके स्वस्थ विकास की सुविधा के लिए मध्याह्न भोजन ''पूरक पोषण'' के नियमित स्रोत के रूप में भी काम कर सकता है।

iv. **वास्तविक शैक्षिक मूल्य:** एक सुव्यवस्थित मध्याह्न भोजन का उपयोग बच्चों को विभिन्न अच्छी आदतों को सिखाने के अवसर के रूप में

किया जा सकता है (जैसे कि खाने से पहले और बाद में अपने हाथ धोना) और उन्हें साफ पानी, अच्छी स्वच्छता और अन्य संबंधित मामलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना।

v. **सामाजिक समानता को बढ़ावा देना:** मध्याह्न भोजन समतावादी मूल्यों को फैलाने में सहायता कर सकता है, क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ बैठना और भोजन साझा करना सिखाता है। विशेष रूप से, मध्याह्न भोजन स्कूली बच्चों के बीच जाति और वर्ग की बाधाओं को तोड़ने में सहायता कर सकता है। एससी/एसटी समुदायों से रसोइया नियुक्त करना, जातिगत पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए बच्चों को सिखाने का एक और तरीका है।

vi. **जेंडर समता में वृद्धि:** स्कूल की भागीदारी में जेंडर अंतर कम हो जाता है, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना उन बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती हैं। यह योजना महिलाओं के लिए रोजगार का एक उपयोगी स्रोत भी प्रदान करती है और कामकाजी महिलाओं को दिन में घर पर खाना पकाने के बोझ से मुक्त करने में सहायता करती है। इन और अन्य तरीकों से, मध्याह्न भोजन योजना में महिलाओं और बालिकाओं की विशेष हिस्सेदारी है।

vii. **मनोवैज्ञानिक लाभ:** शारीरिक हानि आत्मसम्मान में कमी, परिणामी असुरक्षा, चिंता और तनाव को जन्म देती है। मध्याह्न भोजन योजना इनका समाधान करने और संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को सहज बनाने में सहायता कर सकती है।

4. कवरेज

वर्ष 2020–21 के दौरान, देश में 11.20 लाख पात्र विद्यालयों में कक्षा I–VIII में पढ़ने वाले 11.80 करोड़ बच्चे इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण **अनुबंध**–I में संलग्न है

5. मध्याह्न भोजन योजना के लिए मानदंड

i) मध्याह्न भोजन का कैलोरी मान

प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए, 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए प्रति बच्चा पकाए गए मध्याह्न भोजन में 100 ग्राम खाद्यान्न (चावल/गेहूं/पोषक तत्व से भरपूर अनाज), 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल/वसा होता है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए, प्रति बच्चा 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए इसमें 150 ग्राम खाद्य अनाज (गेहूं/चावल/पोषक तत्वों से भरपूर अनाज), 30 ग्राम दालें, 75 ग्राम सब्जियां और 7.5 ग्राम तेल/वसा होता है।

ii) खाना पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, खाना पकाने के तेल, मसालों, ईंधन आदि पर खर्च कवर होता है। खाना पकाने की लागत में पिछले 5 वर्षों में 7.5% की वृद्धि हुई है (वर्ष 2016–17 में 7% को छोड़कर)। वर्ष 2017–18 के लिए खाना पकाने की लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई। खाना पकाने की लागत में 2018–2019 में 5.35%, 2019–20 के दौरान 3.09% और 2020–21 के दौरान 10.99 की वृद्धि की गई। खाना पकाने की लागत केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों के साथ–साथ विधानमंडल वाले (जम्मू और कश्मीर) संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 90:10 के आधार पर, विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और विधानमंडल के साथ अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 60:40 आधार पर साझा की जाती है। पिछले वर्षों, वर्तमान वर्ष के दौरान खाना पकाने की लागत के मानदंड, और केंद्र और राज्यों के बीच साझाकरण पैटर्न निम्नानुसार हैं:

तालिका 1

वर्ष	स्तर	कुल लागत प्रति भोजन	केंद्र–राज्य शेयर			
			गैर पूर्वोत्तर राज्य (75:25)		पूर्वोत्तर राज्य (90:10)	
2013-14	प्राथमिक	₹ 3.34	₹ 2.51	₹ 0.83	₹ 3.01	₹ 0.33
	उच्च प्राथमिक	₹ 5.00	₹ 3.75	₹ 1.25	₹ 4.5	₹ 0.50
2014-15	प्राथमिक	₹ 3.59	₹ 2.69	₹ 0.90	₹ 3.23	₹ 0.36
	उच्च प्राथमिक	₹ 5.38	₹ 4.04	₹ 1.34	₹ 4.84	₹ 0.54
संशोधित निधियन पैटर्न		यूटी (100%) बिना विधान मंडल वाले	60:40 (गैर पूर्वोत्तर राज्य) विधानमंडल वाले यूटी		पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य (90:10)	
2015-16	प्राथमिक	₹ 3.86	₹ 2.32	₹ 1.54	₹ 3.47	₹ 0.39
	उच्च प्राथमिक	₹ 5.78	₹ 3.47	₹ 2.31	₹ 5.20	₹ 0.58
2016-17	प्राथमिक	₹ 4.13	₹ 2.48	₹ 1.65	₹ 3.72	₹ 0.41
	उच्च प्राथमिक	₹ 6.18	₹ 3.71	₹ 2.47	₹ 5.56	₹ 0.62
2017-18	प्राथमिक	₹ 4.13	₹ 2.48	₹ 1.65	₹ 3.72	₹ 0.41
	उच्च प्राथमिक	₹ 6.18	₹ 3.71	₹ 2.47	₹ 5.56	₹ 0.62
2018-19	प्राथमिक	₹ 4.35	₹ 2.61	₹ 1.74	₹ 3.91	₹ 0.44
	उच्च प्राथमिक	₹ 6.51	₹ 3.91	₹ 2.60	₹ 5.86	₹ 0.65
निधियन पैटर्न		यूटी (100%) बिना विधानमंडल वाले	60:40 (गैर पूर्वोत्तर राज्य) विधानमंडल वाले यूटी (दिल्ली और पुडुचेरी का जीएनसीटी)		एनईआर और 2 हिमालयी राज्य और जम्मू–कश्मीर, विधानमंडल वाले यूटी	
2019-20	प्राथमिक	₹ 4.48	₹ 2.69	₹ 1.79	₹ 4.03	₹ 0.45
	उच्च प्राथमिक	₹ 6.71	₹ 4.03	₹ 2.68	₹ 6.04	₹ 0.67
2020-21	प्राथमिक	₹ 4.97	₹ 2.98	₹ 1.99	₹ 4.47	₹ 0.50
	उच्च प्राथमिक	₹ 7.45	₹ 4.47	₹ 2.98	₹ 6.70	₹ 0.75

iii) रसाईया–सह–सहायक की नियुक्ति और उनका मानदेय:

25 छात्रों तक वाले विद्यालय के लिए एक रसोईया–सह–सहायक, 26 से 100 छात्रों वाले विद्यालयों के लिए दो रसोईया–सह–सहायक और प्रत्येक अतिरिक्त 100 छात्रों के लिए एक अतिरिक्त रसोईया–सह–सहायक की सेवाएं ली जा सकती हैं। उनमें से प्रत्येक 1,000 रुपये प्रति माह के न्यूनतम मानदेय का पात्र है। तथापि, राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से रसोइया–सह–सहायकों के लिए निर्धारित न्यूनतम से अधिक मानदेय देने के लिए स्वतंत्र हैं। 23 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र न्यूनतम अनिवार्य राज्य हिस्से से अधिक अतिरिक्त मानदेय अपने स्वयं के संसाधनों से प्रदान कर रहे हैं (अनुबंध–II)। रसोइया–सह–सहायकों के मानदेय की राशि केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 के आधार पर साझा की जाती है, विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और विधानमंडल वाले अन्य राज्यों एवं संघ राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर साझा की जाती है। सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड– मध्याह्न भोजन द्वारा योजना के तहत 25.92 लाख रसोइया–सह–सहायकों की सेवाएं लेने के लिए अनुमोदन दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 2020–21 के दौरान पीएबी के अनुमोदन से 24.80 लाख रसोइया–सह–सहायकों की नियुक्ति की है (अनुलग्नक–III)।

iv) रसोई–सह–भंडार गृह का निर्माण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्लिंथ एरिया के मानदंड और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित दरों की राज्य अनुसूची के आधार पर रसोई–सह–भंडारगृह के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता दी जा रही है। इस विभाग ने 100 बच्चों तक के स्कूलों में रसोई–सह–भंडारगृह के निर्माण के लिए 20 वर्ग मीटर प्लिंथ एरिया निर्धारित किया है। प्रत्येक अतिरिक्त 100 बच्चों के लिए, अतिरिक्त 4 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र जोड़ा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर 100 बच्चों के स्लैब को संशोधित करने की सुविधा है। रसोई–सह–भंडारगृह के निर्माण की लागत केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर) के बीच 90:10 आधार पर, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और विधानमंडल वाले अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली और पुडुचेरी) के साथ 60:40 के आधार पर साझा की जाती है।

2006–07 से 2019–20 तक 10,11,375 रसोई–सह–भंडारगृह के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8444.41 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई जिसमे से 8,75,980 (87.00%) रसोई–सह–भंडारगृहों का निर्माण किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुबंध**–IV में दिए गए हैं।

v) विशेष श्रेणी के राज्यों में परिवहन सहायता:

11 विशेष श्रेणी राज्यों (अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और त्रिपुरा) में परिवहन सहायता इन राज्यों में प्रचलित पीडीएस दरों के बराबर देय है। अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, खाद्यान्नों का परिवहन उनकी पीडीएस दरों के बराबर दिया जाता है, जो अधिकतम 150/– रुपये प्रति क्विंटल है।

vi) जिला स्तर पर एफसीआई को खाद्यान्न की लागत के भुगतान का विकेंद्रीकरण:

खाद्यान्नों की लागत का भुगतान, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर विकेंद्रीकृत किया गया था, को 01.04.2010 से जिला स्तर तक प्रभावी रूप से विकेन्द्रीकृत किया गया है ताकि खाद्यान्नों को शीघ्र उठाने, एफसीआई को भुगतान, जिसके परिणामस्वरूप एफसीआई को भुगतान करने में समय कम हो गया है, सुनिश्चित करने में जिला अधिकारियों की अधिक हिस्सेदारी और भूमिका सुनिश्चित की जा सके।

विकेंद्रीकृत खरीद योजना नौ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्यों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत उपयोग के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादित अनाज खरीदने की अनुमति दी गई है।

6. केंद्रीय सहायता का पैटर्न

मध्याह्न भोजन योजना के तहत, खाद्यान्न, परिवहन लागत, निगरानी, प्रबंधन और मूल्यांकन (एमएमई) और रसोई उपकरणों की खरीद का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है।

खाना पकाने की लागत, रसाईया–सह–सहायकों के मानदेय को केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर) के बीच 90:10 के आधार पर, बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और अन्य राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली और पुडुचेरी) के साथ 60:40 के आधार पर साझा किया जाता है।

इसी प्रकार, रसोई–सह–भडारण, रसोई–उपकरणों की खरीद/प्रतिस्थापन और दस वर्ष पुराने रसोई उपकरणों की मरम्मत के लिए गैर–आवर्ती केंद्रीय सहायता को केंद्र और एनईआर राज्यों और हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 के आधार पर, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और अन्य राज्यों और विधायका वाले संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और पुडुचेरी के जीएनसीटी) के साथ 60:40 के आधार पर साझा किया जाता है।

7. मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन

i. पात्र बच्चों को पका हुआ और पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र स्कूल में पका हुआ और पौष्टिक भोजन नियमित तौर पर दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी संभार और प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। इसमें पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास करना अर्थात योजना के तहत उपलब्ध धन के माध्यम से रसोई–सह–भंडार का निर्माण, और रसोई उपकरणों की खरीद और अन्य विभागों या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बजटीय सहायता के अन्य विकास कार्यक्रमों के अभिसरण से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना शामिल है। पेयजल और शौचालय सुविधाओं का निर्माण समग्र शिक्षा, पेयजल मिशन और संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अनुरूप किया जाना है।

ii. खाद्यान्न आवंटन अग्रिम में किया जाता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक बार में तिमाही आवंटन उठाने की छूट है। एफसीआई अपने डिपो और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में प्रधान वितरण केंद्रों में पर्याप्त खाद्यान्न की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक महीने पहले खाद्यान्न उठाने की अनुमति है। प्रत्येक स्कूल/कुकिंग एजेंसी को एक महीने की आवश्यकता के लिए खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाए रखना है।

8. खाना पकाने का कार्य

i. दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि, जहां तक संभव हो, मध्याह्न भोजन को पकाने/ पकाए गए मध्याह्न भोजन की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी स्थानीय महिलाओं के स्वयं सहायता समूह या स्थानीय युवा क्लब को सौंपी जाए या नेहरू युवक केंद्रों से संबद्ध स्वैच्छिक संगठन या एसएमसी/वीईसी/ एसएमडीसी/पीटीए/ग्राम पंचायत/नगर पालिका द्वारा सीधे सेवा पर लिए गए कर्मियों द्वारा की जाए।

ii. शहरी क्षेत्रों में, जहां किचन शेड के निर्माण के लिए जगह की कमी है, स्कूलों के एक समूह के लिए केंद्रीकृत रसोई के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। खाना एक केंद्रीकृत रसोई में पकाया जा सकता है और पकाया हुआ गर्म भोजन तब विभिन्न स्कूलों में एक विश्वसनीय परिवहन प्रणाली के माध्यम से स्वच्छ परिस्थितियों में पहुँचाया जा सकता है। शहरी क्षेत्र में एक या अधिक ऐसे नोडल रसाईघर हो सकते हैं, जो बच्चों की संख्या और सेवा प्रदाताओं की क्षमता पर निर्भर करते हैं।

iii. मॉडल समझौता ज्ञापन।

9. मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता

i. मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता काफी सीमा तक खाद्यान्न की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। एफसीआई सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता वाले खाद्यान्न प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जो किसी भी स्थिति में कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का होगा। एफसीआई प्रत्येक राज्य के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति में विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। जिला पंचायत के जिला कलेक्टर/सीईओ यह सुनिश्चित करते हैं कि दल द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद खाद्यान्न का उठाव किया जाए जिसमें एफसीआई और कलेक्टर के नामिति और/या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत हो और उनके द्वारा पुष्टि की जाए कि यह कम से कम एफएक्यू मानदंडों के अनुरूप है।

ii. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसमें विभिन्न स्तरों पर एमडीएम के लिए एक प्रभावी प्रबंधन संरचना स्थापित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है; जिनमें बच्चों को परोसा जाने से पहले भोजन कम से कम एक शिक्षक सहित 2–3 वयस्कों द्वारा अनिवार्य रूप से चखना; सामग्री का स्कूलों में सुरक्षित भंडारण और आपूर्ति; महाराष्ट्र की तर्ज पर ब्रांडेड और एग–मार्क गुणवत्ता वाली

दालों और अवयवों की खरीद और आपूर्ति ।

iii. मध्याह्न भोजन के तहत स्कूल स्तर के रसोई के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशानिर्देश 13.02.2015 को जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, तैयारी, परोसना और अपशिष्ट निपटान के सुरक्षा पहलुओं के साथ–साथ छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता और भोजन पकाने और परोसने के पहलू शामिल हैं।

iv. जिले से वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन;

v. **प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस):** वेब सक्षम एमडीएम–एमआईएस को योजना की प्रभावी ऑनलाइन निगरानी के लिए शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर वार्षिक आधार पर श्रेणी वार नामांकन, शिक्षक (एमडीएम की देखरेख) विवरण, सामाजिक संरचना के साथ रसोईया–सह–सहायक विवरण, रसोई–सह–भंडार और रसोई उपकरण, खाना पकाने के तरीके, पीने के पानी, प्रसाधन सुविधाओं आदि जैसी ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता, जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल में मासिक डाटा भी दे रहे हैं, जो एमडीएमएस के महत्वपूर्ण घटकों/संकेतकों की निगरानी में सहायता करता है जैसे कि परोसे गए भोजन की संख्या, खाद्यान्न और खाना पकाने की लागत का उपयोग, रसोईया–सह–सहायकों को मानदेय, स्कूल निरीक्षण विवरण आदि।

vi. **स्वचालित निगरानी प्रणाली (एएमएस):** इस विभाग ने एमडीएमएस के वास्तविक समय की निगरानी के लिए डेटा संग्रह की एक स्वचालित प्रणाली को अपनाया है। इस तरह के डेटा (उस विशेष दिन में परोसे जाने वाले भोजन की संख्या और भोजन नहीं परोसे जाने के कारणों) को स्कूल प्रमुख मास्टर/शिक्षक को बिना किसी लागत के स्कूलों से एकत्र किया जा रहा है। स्वचालित निगरानी प्रणाली के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने दैनिक आधार पर स्कूलों से डेटा संग्रह (यानी इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) / एसएमएस/मोबाइल एप्लीकेशन/वेब एप्लीकेशन) की एक उपयुक्त प्रणाली स्थापित की है और इसका उपयोग निगरानी और समय पर कार्रवाई के उद्देश्य से किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनआईसी द्वारा रखे गए केंद्रीय सर्वर के लिए वास्तविक समय के आधार पर एक निश्चित प्रारूप में विशिष्ट क्षेत्रों के डेटा पर जोर दे रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर डेटा के विश्लेषण और प्रदर्शन के लिए एक केंद्रीय पोर्टल प्रदान किया गया है। एकत्रित आंकड़ों के आधार पर, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर योजना के वास्तविक समय की निगरानी के लिए विभिन्न ड्रिल डाउन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती हैं। उन स्कूलों की संख्या के बारे में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को दैनिक ईमेल अलर्ट भेजे जाते हैं, जिन्होंने उस विशेष तिथि और उन स्कूलों के डेटा की सूचना दी है जहाँ भोजन नहीं परोसा गया है।

vii. स्कूलों में किसी भी तरह की अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन चिकित्सा योजना।

viii. हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र।

10. निगरानी तंत्र

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक और विस्तृत तंत्र निर्धारित किया है। निगरानी तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **स्थानीय स्तरीय निगरानी के लिए व्यवस्था:** ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों, एसएमसी, वीईसी, पीटीए, एसडीएमसी के सदस्यों के साथ–साथ मदर्स समितियों को दैनिक आधार पर (i) बच्चों को पौष्टिक एवं नियमित मध्याह्न भोजन परोसना (ii) मध्याह्न भोजन पकाने एवं परोसने में स्वच्छता (iii) अच्छी गुणवत्ता वाली

सामग्री, ईंधन आदि की खरीद में समयबद्धता, (iv) विविध मेनू का कार्यान्वयन, (v) सामाजिक और जेंडर समता की दैनिक आधार पर निगरानी करना अपेक्षित है।

ii. **सूचना का प्रदर्शनः** पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सभी स्कूलों और केंद्रों, जहां कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, को आम जनता के नोटिस के लिए परिसर में एक दृश्यमान जगह पर निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करना आवश्यक है:

क) प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा, प्राप्ति की तिथि।

ख) उपयोग किए गए खाद्यान्नों की मात्रा।

ग) खरीदी, उपयोग की गई अन्य सामग्री।

घ) बच्चों की संख्या, जिन्हें मध्याह्न भोजन दिया गया।

ङ) दैनिक मेनू।

च) पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए सामुदायिक सदस्यों का रोस्टर।

iii. **ब्लॉक स्तरीय समितिः** एक व्यापक आधारित संचालन–सह–निगरानी समिति, ब्लॉक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करती है।

iv. **राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षणः** राजस्व, ग्रामीण विकास, शिक्षा और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विभागों, जैसे महिला और बाल विकास, खाद्य, स्वास्थ्य आदि से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को भी स्कूलों और केंद्र का निरीक्षण करना आवश्यक है, जहां कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। यह सिफारिश की गई है कि प्रत्येक तिमाही में 25% स्कूलों/विशेष प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा किया जाए।

v. **जिला स्तरीय समितिः** एमडीएम योजना की निगरानी के लिए एक जिला स्तरीय संचालन–सह–निगरानी समिति के अलावा, त्रैमासिक आधार पर योजना की निगरानी करने के लिए जिले के वरिष्ठतम सांसद (सांसद) की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

यह समिति जिले में समग्र शिक्षा और भारत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करती है।

vi. **आवधिक रिटर्नः** राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित पर भारत सरकार को सूचना प्रदान करने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को समय–समय पर रिटर्न देने की भी आवश्यकता होती है, (i) बच्चों और संस्थानों के कवरेज, (ii) स्कूल के दिनों की संख्या (iii) केंद्रीय सहायता के उपयोग में प्रगति (iv) स्कूलों में आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता, (v) कोई अप्रिय घटना आदि।

vii. **शिकायत निवारणः** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लोक शिकायत निवारण के लिए एक समर्पित तंत्र विकसित करना आवश्यक है, जिसे व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए और आसानी से सुलभ बनाया जाए।

viii. **राज्य स्तरीय निगरानीः** योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को राज्य स्तर पर एक संचालन–सह–निगरानी समिति स्थापित करने की आवश्यकता होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र संस्थानों की तैनाती की है।

ix. **राष्ट्रीय स्तरः**

क) मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में पहुंच, सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता पहलुओं की निगरानी के लिए माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की गई है; योजना की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा तंत्र मौजूद है; योजना में सामुदायिक भागीदारी और इसकी प्रभावी निगरानी के लिए तंत्र व्यवस्था है।

ख) मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में समग्र शिक्षा (एसएस) के लिए राष्ट्रीय मिशन की कार्यकारी परिषद, भी मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करती है।

ग) राष्ट्रीय स्तर की संचालन–सह–निगरानी समिति (एनएसएमसी), सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता) की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी)।

घ) एमडीएमएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शिक्षा सचिवों और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के साथ राष्ट्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

x. 11 वें संयुक्त समीक्षा मिशन ने 2018–19 के दौरान 5 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का दौरा किया। 2019–20 के दौरान 12वें संयुक्त समीक्षा मिशन ने असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी का दौरा करना है। देश भर में कोविड–19 महामारी के कारण चूंकि स्कूल बंद हैं, इसलिए 2020–21 के दौरान संयुक्त समीक्षा मिशन किसी भी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का दौरा नहीं कर सका।

xi. **सामाजिक लेखापरीक्षा**

एनएफएसए की धारा 28 सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य करती है, जो कि लोगों की सक्रिय भागीदारी से किसी योजना की सामूहिक निगरानी है। इसमें कार्यक्रम कार्यान्वयन में व्यय के साथ–साथ समानता और समानता के मुद्दों को शामिल किया गया है। पीएबी–एमडीएम बैठक के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 के प्रावधानों के तहत योजना का सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य है। एमडीएम के दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी जिलों के कम से कम 20 स्कूलों में सामाजिक लेखा परीक्षा कराना अनिवार्य है। एमएनआरईजीएस के तहत स्थापित सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयाँ (एसएयू) सभी जिलों में एमडीएम की सामाजिक लेखा परीक्षा करने में सक्रिय रूप से शामिल हो सकती हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएबी–एमडीएम बैठक 2020–21 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना की सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सामाजिक लेखापरीक्षा करते रहे हैं।

11. योजना का प्रभाव

(i) अनेक अध्ययनों से पता चला है कि एमडीएमएस ने कक्षा में लगने वाली भूख को रोकने; स्कूल की भागीदारी को बढ़ावा देने और सामाजिक समानता को संपोषित करने और महिला–पुरूष समता बढ़ाने में सहायता की है जिससे बच्चों के समग्र स्वस्थ विकास में सुविधा होती है। उच्चतम न्यायालय आयुक्त का कार्यालय क्षेत्र ४मण के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा करता है। उन्होंने देखा कि एमडीएम को व्यापक रूप से भारत सरकार की अधिक सफल पात्रता योजनाओं में से एक के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन और रिटेंशन में वृद्धि हुई है।

(ii) **योजना की निगरानी और मूल्यांकन**

इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि नीति आयोग ने 2019–2020 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना का स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया है। प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

i. यह योजना सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2 और 4 के साथ–साथ 'स्कूली शिक्षा में समावेश' के राष्ट्रीय विकास एजेंडा के लिए प्रासंगिक है।

ii. एमडीएम छात्रों के लिए दिन के महत्वपूर्ण भोजन में से एक है और कुछ छात्रों का दिन के पहले भाग का एकमात्र भोजन है।

iii. यह योजना प्रभावी है क्योंकि इसमें लाभार्थी दृष्टिकोण के आधार पर अच्छी तरह से परिभाषित, यथार्थवादी लक्ष्य हैं।

iv. व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (2016–2018) के अनुसार एमडीएम का लाभ उठाने वाले छात्रों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है।

v. यह विशेष रूप से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा क्षेत्र की जरूरतों और परिणामों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और पूरा करता है।

vi. यह योजना विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों (सामाजिक और आर्थिक रूप से दोनों) के लिए महत्वपूर्ण है।

ये निष्कर्ष राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) के नेतृत्व में 2017—18 में 20 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के 70 जिलों में एमडीएम योजना के पहले किए गए तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के अनुरूप हैं। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

i. स्कूलों में भाग लेने वाले 92% छात्र एमडीएम का लाभ उठा रहे थे;

ii. 87% फीसदी छात्रों को एमडीएम का स्वाद पसंद आया;

iii. 72% बच्चों ने कहा कि एमडीएम ने उन्हें कक्षा के अध्ययन में अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद की;

iv. 96% माता—पिता ने कहा कि एमडीएम उनके बच्चों के लिए फायदेमंद है,

v. 80% से अधिक माता—पिता ने कहा कि एमडीएम ने उनके बच्चों के नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि की, एवं पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार किया;

vi. 96% शिक्षकों ने बताया कि एमडीएम ने स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किया है।

vii. 2% शिक्षकों ने कहा कि एमडीएम ने नामांकन बढ़ाया और उपस्थिति में सुधार किया।

viii. 86% शिक्षकों का यह भी मत था कि एमडीएम ने स्कूल छोड़ने वालों की दर को कम करने में मदद की है।

संस्तुतियां:

i. जो राज्य पहले से ही दोपहर के भोजन के समय एमडीएम के अलावा अंडा/दूध/नाश्ता आदि जैसी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, वे उन्हें सुबह नाश्ते के रूप में उपलब्ध करा सकते हैं।

ii. एमडीएम भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए 'किचन गार्डेन' विकसित करने की सिफारिश की गई है।

iii. एमडीएम में शिक्षकों की भूमिका यह निगरानी करने की होनी चाहिए कि रसोइया—सह—सहायक भोजन तैयार करें, बच्चों को परोसने से पहले भोजन का स्वाद चखें और यह भी सुनिश्चित करें कि एमडीएम के उपभोग की पूरी प्रक्रिया को अवकाश अवधि के भीतर व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाए।

iv. अंतर—राज्यीय, अंतर—जिला दौरों के माध्यम से अच्छी प्रथाओं को साझा करना।

v. रसोइया—सह—सहायकों की क्षमता बढ़ाना।

vi. चूंकि, रसोइया—सह—सहायक आधे दिन (4—5 घंटे/दिन) से अधिक काम कर रहे हैं, इसलिए पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए उनके मानदेय को पर्याप्त रूप से संशोधित किया जाए।

vii. डेटाबेस विकसित करने के लिए, एमडीएम लाभार्थियों के मानवमितीय माप को समय—समय पर एकत्र करने और उनकी पोषण स्थिति में एमडीएम प्रभाव और समय प्रवृत्तियों की निगरानी करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए स्थानीय गृह विज्ञान महाविद्यालयों और पोषण अनुसंधान संस्थानों को नियोजित किया जा सकता है।

viii. केवल आधे विद्यालयों में आग, चिकित्सा आदि जैसी आपात स्थितियों से निपटने की आकस्मिक योजना थी, इसलिए सभी विद्यालयों की अपनी आकस्मिक योजनाएं होनी चाहिए।

ix. मध्याह्न भोजन का व्यापक प्रभाव मूल्यांकन किया जाए।

x. एमडीएम निष्पादन, निगरानी, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के विशेष संदर्भ में सभी

पदाधिकारियों को स्वास्थ्य और पोषण पर उन्मुख किए जाने की आवश्यकता है।

xi. आवधिक तृतीय पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए।

10. उपलब्धियां

2020–21 के लिए बजट अनुमान 11,000.00 करोड़ रू. था। पिछले पांच वर्षों के दौरान योजना के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की वर्षवार उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:–

तालिका 2: कवरेज और व्यय के रुझान

घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
औसत भोजन लेने वाले बच्चे (करोड़ में)	10.22	10.03	10.08	9.52	9.12	9.01	9.52#
आवंटित खाद्यान्न (लाख मीमीट्रिक टन में)	29.33	28.83	27.17	27.01	26.94	26.90	29.99*
बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)	13215	9236.4	9700	10000	10500	11000	11000
जारी राशि (करोड़ रुपये में)	10526.97	9151.55	9483.40	9095.91	9518.08	9705.94	9909*

 # प्रदत्त खाद्य सुरक्षा भत्ता

** 31.01.2021 तक*

10. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए घटक–वार बजट आवंटन 11000 करोड़ रु है:

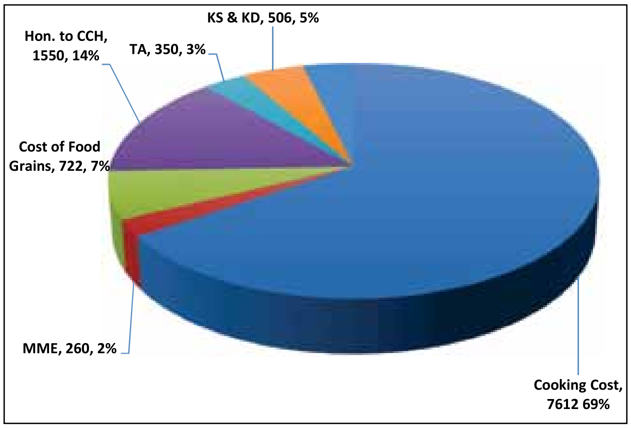

11. प्रशिक्षण के माध्यम से रसोइया–सह–सहायकों की क्षमता का निर्माण

एमडीएमएस के तहत स्वास्थ्यकर और पौष्टिक भोजन तैयार करना स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगे कर्मचारियों और रसोइया–सह–सहायकों के ज्ञान और कौशल पर निर्भर है। स्वयं सहायता समूह और रसोइया–सह–सहायक जो एमडीएमएस के स्तंभ हैं, मुख्य रूप से समाज के वंचित वर्गों से आते हैं, जहां उन्हें पोषण, खाना पकाने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे अनाज और सब्जियों, व्यंजनों की तैयारी, सेवा कौशल आदि के बारे में सीमित जानकारी होती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि क्षेत्र स्तर पर कार्यबल की क्षमता का निर्माण निरंतर आधार पर किया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तदनुसार, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में होटल प्रबंधन संस्थान, खाद्य शिल्प संस्थानों और खाद्य एवं पोषण संस्थानों के सहयोग से रसोइया–सह–सहायकों के प्रशिक्षण का संचालन करने का कार्य सौंपा है।

15. योजना में सुधार

पिछले कुछ वर्षों में मध्याह्न भोजन योजना में कई सुधार हुए हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

i) मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ी खाना पकाने की लागत में वार्षिक वृद्धि।

ii) गैर–विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए परिवहन दर 75 रुपये प्रति क्विंटल से पीडीएस दर (अधिकतम 150 रुपये प्रति क्विंटल) में संशोधन।

iii) कुल स्वीकार्य आवर्ती केंद्रीय सहायता के 2% से 3% तक प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई) दर में संशोधन।

iv) रसोई उपकरणों के लिए सहायता को नामांकन के आधार पर सीधे 5,000 रुपये प्रति स्कूल की दर से बढ़ाकर 10,000 रुपये से 25,000 रुपये कर दिया गया है।

v) 10 साल से अधिक पुराने किचन–सह–स्टोर की मरम्मत के लिए 10,000 रुपये का एक नया घटक पेश किया गया है।

vi) खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यवस्थित तरीके से 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

vii) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति को मौजूदा दिशा–निर्देशों से मामूली संशोधनों के साथ योजना को लागू करने की शक्ति का प्रत्यायोजन।

viii) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एमएचआरडी के पूर्व अनुमोदन के साथ, नए हस्तक्षेपों के लिए उनके वार्षिक कार्य योजना और बजट का 5% उपयोग करने के लिए छूट प्रदान की गई है।

ix) तिथि भोजन के रूप में सामुदायिक भागीदारी की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके तहत समुदाय के लोग मध्याह्न भोजन योजना में योगदान देकर महत्वपूर्ण दिन जैसे बच्चे का जन्म, विवाह, जन्मदिन आदि मनाएंगे।

x) नवीन व्यंजन सूची को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पाक कला प्रतियोगिताएं।

16. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मध्याह्न भोजन नियम, 2015 की अधिसूचनाः

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मध्याह्न भोजन नियम 2015 को 30.09.2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

i) कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे, जो सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकायों के स्कूलों और समग्र शिक्षा के तहत समर्थित मदरसों और मकतबों में दाखिला लेते हैं, उन्हें 450 कैलोरी और 700 कैलोरी साथ ही स्कूल की छुट्टी को छोड़कर हर दिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्रमशः 12 ग्राम और 20 ग्राम प्रोटीनयुक्त गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा।

ii) विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना को जारी रखने के उद्देश्य से विद्यालय में किसी भी निधि का अस्थायी रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा।

iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन एमडीएम नियमों द्वारा निर्धारित पोषण मानकों और गुणवत्ता को पूरा करता है, राज्य का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग गुणवत्ता का पालन सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक रूप से चयनित स्कूलों से नमूने एकत्र कर सकता है।

17. कोविड–19 के कारण विद्यालय बंद रहने के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान

i) भारत सरकार ने कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं और पूरे देश में तालाबंदी की स्थिति बनी हुई है। इस कठिन संकट के समय में, समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग आजीविका खोने के परिणामस्वरूप भोजन के अपर्याप्त भंडार से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और बच्चे इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। परिणामी अल्पपोषण या कुपोषण से उनकी कोविड –19 के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। इस प्रकार, विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद बच्चों को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और इस तरह उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की रक्षा के लिए भोजन उपलब्ध कराना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

ii) 20 मार्च 2020 को, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के अनुमोदन से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गर्म पका हुआ मध्याह्न भोजन या खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करने के लिए एक सलाह जारी की जिसमें बच्चों को खाद्यान्न और खाना पकाने की

लागत शामिल है ताकि वे अपनी पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकें और कोविड –19 के कारण स्कूलों को बंद करने के दौरान उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुरक्षित रख सकें।

iii) कोविड –19 के संदर्भ में, माननीय प्रधान मंत्री ने 14.04.2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान, लोगों को विशेष रूप से गरीबों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक के रूप में भोजन को चिह्नित किया है। इसके अलावा, माननीय प्रधान मंत्री ने दवाओं, भोजन–राशन और अन्य आवश्यक सामानों के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का आश्वासन देते हुए, पूरे देश को "गरीब परिवारों का जितना हो सके उतना ध्यान रखें विशेष रूप से उनकी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करें" का आह्वान किया।

iv) इन परिस्थितियों में, 28.04.2020 को गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत पर विचार करते हुए, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने, राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक विशेष एकमुश्त उपाय के रूप में घोषणा की कि खाद्य सुरक्षा भत्ता जिसमें खाद्यान्न और खाना पकाने की लागत शामिल है (या इसके समकक्ष दालें, तेल आदि) पात्र बच्चों को ग्रीष्म अवकाश में भी उपलब्ध करायी जाएंगी। 29 अप्रैल 2020 को, एक विशेष एक–बारगी उपाय के रुप में गर्मी की छुट्टियों के दौरान खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करना इस योजना के इतिहास में पहली बार है।

v) यह नोट करना उचित है कि हालांकि निर्धारित गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं, निरंतर कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण स्कूल फिर से नहीं खोले गए हैं। इसलिए, 31.07.2020 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के अनुमोदन से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि जब तक कि स्कूल फिर से नहीं खुल जाते वे सभी पात्र बच्चों को मध्याह्न भोजन, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत, मौजूदा सामाजिक दूरी के मानदंडों का विधिवत पालन करते हुए, गर्म पके हुए मध्याह्न भोजन के बदले में खाद्यान्न और दालें, तेल आदि (खाना पकाने की लागत के बराबर) सहित खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करें।

18. कोविड 19 महामारी से पहले मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त वस्तुएं:

क्र.सं.	सर्वोत्तम प्रथाएं	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
1	अंडे, केले, कोई अन्य फल	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, झारखंड, लक्षद्वीप, राजस्थान, अण्डमान द्वीप, दमन और दीव।
2	दूध	पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश,
3	डाइनिंग हॉल	त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश,
4	अतिरिक्त हिस्सा मानदेय सीसीएच और खाना पकाने की लागत	बिहार, उत्तराखंड, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, चंडीगढ़, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मिजोरम, केरल, ओडिशा, उत्तराखंड, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव।
5	किचन गार्डन	असम, केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, लक्षद्वीप
6	अतिरिक्त खाद्यान्न	गुजरात, केरल
7	टैबलेट आधारित निगरानी	बिहार
9	कक्षा IX और X को एमडीएम	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना
10	फैब्रिकेटेड किचन	महाराष्ट्र
11	खाने के बर्तन	बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार (एनएटी):

1. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रथम बार 1958 में युवाओं की बुद्धि के साथ–साथ भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को पहचानने के लिए शुरू किए गए थे। 60 के दशक के मध्य से, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समारोह के लिए 5 सितंबर की तिथि निश्चित की गई। यह पुरस्कार प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रतिभाशाली शिक्षकों को सार्वजनिक पहचान प्रदान करने के लिए था।

2. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के दिशा–निर्देशों को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था। अब मूल आधार यह है कि नई योजना पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिभाशाली शिक्षकों को पुरस्कृत करने वाली होनी चाहिए ताकि वे अन्य शिक्षकों के लिए उदाहरण और प्रेरणा का स्रोत बन सकें। नई योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

   i. संशोधित दिशा–निर्देशों में शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन स्व–नामांकन का प्रावधान है जिसे ऊीतक.हवअ.पद पर आमंत्रित किया जाता है।

   ii. सभी नियमित शिक्षक पात्र हैं और न्यूनतम वर्षों की सेवा की आवश्यकता नहीं है। इसने प्रतिभाशाली युवा शिक्षकों को आवेदन करने में सक्षम बनाया।

   iii. पुरस्कारों की संख्या को पहले के 378 की तुलना में 45 किया गया है, जिससे पुरस्कारों की प्रतिष्ठा बहाल हो सके।

   iv. इसके अलावा, विशेष श्रेणी के अंतर्गत 2 शिक्षकों का चयन दिव्यांग शिक्षकों, यदि कोई हो, आदि में से किया जा सकता है।

   v. अंतिम चयन में किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या संगठन का कोटा नहीं होता। इस प्रक्रिया ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों के लिए सही मायने में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

   vi. अंतिम चयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संगठनों से प्राप्त नामांकनों में से एक सेवानिवृत्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जूरी द्वारा किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि नई योजना के तहत इन एजेंसियों की भूमिका को कम नहीं किया गया है।

   vii. नामांकित शिक्षक अंतिम चयन के लिए जूरी के समक्ष एक प्रस्तुति देते हैं। यह सुनिश्चित होता है कि उन सभी को उनके द्वारा किए गए कार्यों को साझा करने का अवसर दिया जाए।

3. पुरस्कारों की तर्कसंगत संख्या ने पुरस्कारों की प्रतिष्ठा को बहाल किया और चयन प्रक्रिया की बढ़ी हुई पारदर्शिता और पवित्रता के साथ शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को गम्भीरता एवं सम्मान से लेना शुरू किया है।

4 माननीय प्रधान मंत्री ने अपने सरकारी आवास 7, लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली में पुरस्कृत शिक्षकों से बातचीत की और उनका अभिनंदन किया।

5. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के इतिहास में पहली बार, 2018 से पुरस्कार विजेताओं में से प्रत्येक द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों पर एक मिनट की उच्च गुणवत्ता वाली फिल्में बनाई गई हैं। पुरस्कार विजेताओं के संबंधित स्कूलों में मौके पर कला और रंगमंच के माध्यम से समुदाय से संसाधन जुटाकर, मुफ्त शैक्षिक ऐप और आईसीटी का उपयोग करने, स्कूल पोषण उद्यान का विकास करने आदि जैसी नवीन गतिविधियों के व्यापक विस्तार को कलात्मक रूप से और संक्षेप में कैप्चर करते हुए इन फिल्मों की शूटिंग की गई है।

6. इस प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पुरस्कार समारोह को विज्ञान भवन में आयोजित किया जाता है और भारत के माननीय राष्ट्रपति हर साल 5 सितंबर को चयनित शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करते हैं।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 5 सितंबर 2019 को पुरस्कार प्रदान किए।

वर्ष 2020 के लिए, कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण, भारत के माननीय राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति में 5 सितंबर, 2020 को वेबिनार/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया।

❖ ❖ ❖

03

छात्रवृत्ति योजनाएं और अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं

छात्रवृत्ति योजनाएं और अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं

I. राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस):

उद्देश्य:

केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना' आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों के कक्षा VIII में उनके ड्रॉपआउट को रोकने के लिए और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 6000/–रु प्रतिवर्ष (500/–रु प्रतिमाह) की छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य के साथ मई, 2008 में शुरु की गई थी। छात्रवृत्ति की दर 1 अप्रैल, 2017 से 6000/–रु से बढ़ाकर 12000/–रु कर दी गई है।

योजना का संक्षिप्त विवरण:

जिन छात्रों के माता–पिता की सभी स्रोतों से आय 1,50,000/– रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। यह योजना कक्षा IX के चयनित छात्रों को हर साल 1,00,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने और योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में अध्ययन के लिए कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण की परिकल्पना करती है। एनवीएस, केवीएस और आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्रवृत्ति के हकदार नहीं हैं। इसमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्तियों का कोटा और राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण है। योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों का चयन राज्य सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है और पात्र छात्रों की सूची संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाती है। योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% धनराशि प्रदान की जाती है। सटीकता बढ़ाने और एनएसपी के तहत आवेदन सत्यापन और छात्रवृत्ति के वितरण की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से छात्रों के खातों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा सीधे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा छात्रवृत्ति वितरित की जाती है।

लक्ष्य एवं उपलब्धि 2020–21:

इस योजना के अंतर्गत 2020–21 के लिए बजट अनुमान 373.00 करोड़ रुपये है और दिनांक 02.12.2020 तक 25.64 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

मद	लक्ष्य (लाभार्थियों की संख्या)	02.12.2020 तक उपलब्धि	
		भौतिक	वित्तीय
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर प्राप्त होने वाले 2020–21 (नई+नवीनीकनरण) के ऑनलाइन आवेदन	205252	175514	ऑन–लाइन आवेदन प्राप्त करने एवं सत्यापन की अंतिम तिथि 31.12.2020 है, अतः स्वीकृति की प्रक्रिया आवेदन एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही की जायेगी।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से 2017–18 तक प्राप्त होने वाले ऑफ–लाइन प्रस्ताव	100000	54000	20514 छात्रवृत्तियां जारी करने के लिए 02.12.2020 तक 25.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और शेष स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन है।

II. माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना (एनएसआईजीएसई):

केंद्र प्रायोजित "माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना (एनएसआईजीएसई)" मई 2008 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ड्रॉप आउट को कम करने हेतु समर्थित परिवेश स्थापित करना और माध्यमिक स्कूलों में एससी/एसटी समुदायों से संबंधित बालिकाओं में नामांकन को बढ़ावा देना तथा उनका प्रतिधारण सुनिश्चित करना है। इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की सभी लड़कियों, जो आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करती हैं और (ii) सभी लड़कियां जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं (भले ही वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ना हों) और कक्षा IX में राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूल में दाखिला लेती हैं, को शामिल किया गया है।

योजना के अनुसार, IX कक्षा में नामांकन पर सावधि जमा के रूप में पात्र अविवाहित लड़कियों के नाम पर रु 3000/– जमा किये जाते हैं। वे 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने और कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करनेपर इस राशि को ब्याज सहित वापस लेने की हकदार हैं। इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी हैं। यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दी गई है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत आती है।

एनएसआईजीएसई योजना को वर्ष 2018–19 से बंद कर दिया गया है। प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए इसे फिर से डिजाइन किया जा रहा है।

III. मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम):

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मदरसों / अल्पसंख्यकों (एसपीईएमएम) को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम लागू कर रहा है जिसमें मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचा विकास (आईडीएमआई) नाम की दो योजनाएं शामिल हैं। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है। दोनों योजनाएं स्वैच्छिक प्रकृति की हैं। 16 राज्यों अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम ने 2014–15 से इस योजना के तहत लाभ उठाया है।

एसपीईएमएम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. एसपीक्यूईएम

i) मदरसों और मकतबों जैसी पारंपरिक संस्थाओं को अपने पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करना ताकि इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कक्षा I-XII के लिए शैक्षणिक दक्षता प्राप्त की जा सके। हालांकि, पारंपरिक मदरसों और मकतबों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी।

ii) इन संस्थानों के छात्रों को विशेष रूप से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की तुलना में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना। यह इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को सीखने के उच्च स्तर पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा और उनके लिए नौकरी के बेहतर अवसर भी खोलेगा।

iii) मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की निगरानी करने और मुस्लिम समुदाय के बीच शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सहायता हेतु राज्य मदरसा बोर्डों को मजबूत करना।

iv) योजनान्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी एवं अंग्रेजी के आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना,

तांकि उनके शैक्षणिक कौशल और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

2. **आईडीएमआई**

(i) अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों (प्रारंभिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों) में स्कूल के बुनियादी ढांचे को संवर्धित और सुदृढ़ करके अल्पसंख्यकों की शिक्षा की सुविधा प्रदान करना।

(ii) लड़कियों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और अल्पसंख्यकों में शैक्षिक रूप से सबसे अधिक वंचित लोगों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को प्रोत्साहित करना।

संशोधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार फंडिंग पैटर्न

(i) एसपीईएमएम (एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई को मिलाकर) के तहत फंडिंग पैटर्न अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के समान होगा, यानी पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के लिए 90:10, विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% और जहां तक एसपीक्यूईएम घटक का संबंध है, शेष राज्यों के लिए 60:40।

(ii) आईडीएमआई घटक के लिए, फंडिंग पैटर्न समान होगा अर्थात 75% केंद्रीय शेयर और 25% संबंधित संस्थान द्वारा।

04

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा

साक्षरता सभी के लिए बुनियादी शिक्षा और सभी मानवीय क्षमताओं के केंद्र में है। गरीबी उन्मूलन, बाल मृत्यु दर को कम करने, जनसंख्या वृद्धि को रोकने, लैंगिक समानता प्राप्त करने और सतत विकास, शांति और लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी साक्षरता आवश्यक है। सार्वभौमिक साक्षरता का उन लोगों के लिए भी विशेष महत्व है जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहे हैं। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और वयस्कों को सशक्त बनाने के अलावा, सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता प्राप्त करना वयस्क और सतत शिक्षा का एक मौलिक लक्ष्य है। वास्तव में, बुनियादी साक्षरता कार्यक्रमों से शुरू होकर, इस क्षेत्र की गतिविधियाँ शिक्षा को आजीवन सीखने के परिप्रेक्ष्य में देखती हैं।

साक्षरता प्रोफ़ाइल

नियोजित पहलों और निरंतर प्रयासों के साथ, काफी प्रगति हुई है। 2001 में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत थी, जो 2011 में बढ़कर 72.98 प्रतिशत हो गई। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं में साक्षरता दर में तेजी से 10.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 53.67 से 64.63 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों के मामले में यह 75.26 से 80.88 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5.62 प्रतिशत है।

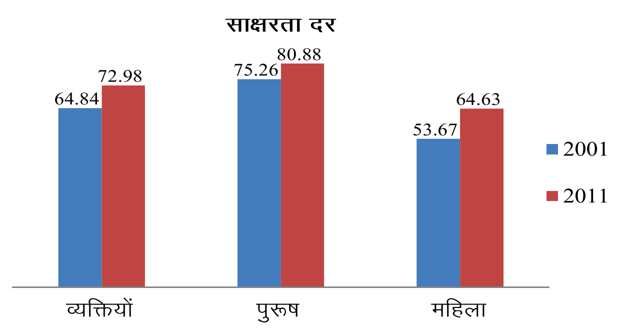

विभिन्न राज्यों, जिलों, सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों में साक्षरता का स्तर असमान बना हुआ है। जबकि कुछ राज्यों ने विशेष साक्षरता अभियान और सामुदायिक सहायता शुरू करने के कारण उच्च साक्षरता स्तर हासिल किया है, कुछ राज्य अभी भी पीछे हैं।

प्रौढ़ शिक्षा की नई योजना नामतः पढ़ना लिखना अभियान

प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक नयी योजना नामतः पढ़ना लिखना अभियान वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई हैद्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य और बल बुनियादी साक्षरता यानी निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाना है। बुनियादी साक्षरता प्रदान करने के लिए इस योजना में एक लचीला दृष्टिकोण और नवीन पद्धतियां हैं जैसे कि स्कूल और कॉलेज के छात्रों और राष्ट्रीय कैडेट कॉपर्स (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) जैसी योजनाओं के अन्य स्वयंसेवकों को शामिल करना। अभियान का मुख्य लक्ष्य वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 57 लाख वयस्क निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। यह योजना उन सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करती है जिनमें वयस्क निरक्षर हैं। हालांकि, नीति आयोग द्वारा चिह्नित 112 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी गई है।

वित्त वर्ष 2020–2021 के लिए पढ़ना लिखना अभियान का स्वी त बजट

पढ़ना लिखना अभियान को 224.95 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 148.74 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी और 76.21 करोड़

रुपये की राज्य हिस्सेदारी सहित 57 लाख शिक्षार्थियों को साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान लागू करने की मंजूरी दी गई थी। हालांकि, कोविड–19 द्वारा उत्पन्न महामारी की स्थिति को देखते हुए, व्यय विभाग ने बजट को घटाकर 95.25 करोड़ रु (केंद्रीय हिस्सा) कर दिया है।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह देश में वयस्क शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है और समय–समय पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) के तत्वावधान में शुरू किए गए कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पेशेवर, शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह निदेशालय शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास के लिए दिशानिर्देश तैयार करता है, प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करता है, मीडिया सामग्री तैयार करता है और सभी प्रकार के मीडिया और शिक्षार्थी आकलन का उपयोग करता है।

डीएई की प्रमुख गतिविधियों में शिक्षण–अधिगम सामग्री का विकास और उनका प्रकाशन; कार्यात्मक साक्षरता पर ऑडियो–वीडियो स्पॉट का उत्पादन और उन्हें दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्राइम स्लॉट पर चलाना; अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोहों का प्रचार और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार और प्रसार कार्य करना; अनुसंधान और मूल्यांकन; क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण; और शिक्षार्थियों के मूल्यांकन परीक्षणों की निगरानी शामिल है। यह गैर–साक्षर और नव–साक्षरों के लिए शिक्षण सामग्री के विकास के लिए दिशा–निर्देशों और गुणवत्ता मानकों का वर्णन करता है और शिक्षण–अधिगम सामग्री तैयार करने में एनएलएमए को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

जनवरी से दिसंबर, 2020 के दौरान डीएई द्वारा की गई मुख्य गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह, 2020

"साक्षरता विकास का एक उत्प्रेरक है जो व्यक्तियों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक लाभों को प्राप्त करने और लाभ उठाने में सक्षम बनाता है" – शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर, 2020 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से 54 वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' मुख्य अतिथि थे।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि औपचारिक तरीकों से ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की अंतहीन यात्रा में साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पहला कदम है। मंत्री ने कहा कि इस सभ्य दुनिया में हर इंसान को साक्षर होने का अधिकार है यह मानवतावाद के विकास के नए रास्ते खोलता है जहां एक व्यक्ति गरिमा और स्वाभिमान के साथ एक श्रेष्ठ व्यक्ति में बदल सकता है। साक्षरता विकास का एक उत्प्रेरक है जो व्यक्तियों को न केवल एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए खुद को सशक्त बनाने के लिए, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास में योगदान करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक लाभों को प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में साक्षरता राष्ट्रीय प्रगति, सार्वभौमिक भाईचारे और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

मंत्री ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दुनिया भर के देशों के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और निरक्षरता को खत्म करने के संकल्प का अवसर है। यह साक्षरता के क्षेत्र में अर्जित लाभ को समेकित करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को साझा करने और सीखने, हितधारकों के बीच सहयोग बनाने और साक्षरता के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने का क्षण है।

मंत्री ने बताया कि इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 विशेष रूप से शिक्षकों और बदलते शिक्षण की भूमिका पर 'कोविड –19 संकट में और उससे आगे साक्षरता शिक्षण और अधिगम' पर केंद्रित है। यह विषय आजीवन सीखने के परिप्रेक्ष्य में साक्षरता अधिगम पर प्रकाश डालता है, और इसलिए, यह मुख्य रूप से युवाओं और वयस्कों पर केंद्रित है। आईएलडी, 2020 इस बात पर विचार करने और चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है कि कैसे महामारी और उससे आगे का सामना करने के लिए युवा और वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों में नवीन और प्रभावी शिक्षाशास्त्र और शिक्षण पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में देश में निरक्षरता के उन्मूलन के लिए प्रयास किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वयस्क शिक्षा और सीखने की पहुंच में सुधार की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन फिर भी भारत में निरक्षरों की एक बड़ी संख्या है जिन्हें लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले देश में 100% साक्षरता दर प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साक्षर बनाना है।

श्री पोखरियाल ने राज्य सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, कॉर्पोरेट निकायों, बुद्धिजीवियों और साथी नागरिकों सहित सभी हितधारकों से हमारे देश को ***साक्षर भारत–आत्मनिर्भर भारत*** बनाकर भारत को एक पूर्ण साक्षर समाज में बदलने में हाथ मिलाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे विशिष्ट अतिथि थे। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, श्री धोत्रे ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, ***"निरक्षरता एक पाप और शर्म की बात है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए"।*** उन्होंने आगे कहा कि साक्षरता व्यक्तियों के साथ–साथ समाज, विशेषकर महिलाओं और समाज के वंचित समूहों से संबंधित लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सशक्त बनाने, बदलने और सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता है कि सभी को साक्षरता और औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाया जाए ताकि हम राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ सकें।

श्री धोत्रे ने जोर देकर कहा कि साक्षरता को अपने आप में एक अंत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह हमारे देश

के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। शिक्षा और व्यावसायिक कौशल के पर्याप्त स्तर के बिना काम की दुनिया में प्रवेश करने वाली यह युवा आबादी हमें जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ लेने से रोकेगी। हमें यह सोचना होगा कि युवाओं को शिक्षा और आजीवन अधिगम के दायरे में कैसे लाया जा सकता है। श्री धोत्रे ने सभी हितधारकों से हाथ मिलाने और भारत को एक साक्षर और धारणीय समाज में बदलने का लक्ष्य हासिल करने तक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने भाग लेने वाले सभी संगठनों को पूर्ण साक्षरता हासिल करने के अपने प्रयासों में सफलता की कामना की।

इस अवसर पर यूनेस्को के एक प्रतिनिधि ने यूनेस्को के महानिदेशक का संदेश पढ़ा। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव श्रीमती अनीता करवाल भी उपस्थित थीं। इस अवसर पर संयुक्त सचिव (एई) श्री विपिन कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह 2020 में देश में निरक्षरता के संकट को मिटाने के लिए भविष्य की कार्रवाई को निर्धारित करने के लिए 'कोविड –19 संकट में और उससे आगे साक्षरता शिक्षण और अधिगम' पर एक वार्ता शामिल थी। इस अवसर पर प्रौढ़ शिक्षा की यात्रा पर एक डाक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह में निम्नलिखित 'हैशटैग' ट्रेंड में थे:

i) #साक्षर भारत आत्मानिर्भर भारत

ii) #पढ़े भारत बढ़े भारत

iii) #पढ़ना लिखना अभियान

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, 2020 को दोपहर 12.30 बजे निम्नलिखित लिंक पर लाइव स्ट्रीम किया गया: https://webcast.gov.in/mh

कोविड–19 द्वारा उत्पन्न अभूतपूर्व महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, गणमान्य व्यक्तियों, शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अधिकतम 20 व्यक्तियों ने इस समारोह में शारीरिक रूप से भाग लिया। स्वायत्त संगठनों के प्रमुख, शिक्षा विभाग या उनके प्रतिनिधि और स्वयंसेवी संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में शामिल हुए। भारत को पूरी तरह से साक्षर 'आत्मनिर्भर भारत' में बदलने के लिए निरक्षरता उन्मूलन के मिशन मोड पर साक्षरता के संदेश को फैलाने हेतु हाथ मिलाने के लिए देश भर से 500 से अधिक हितधारकों ने वेबकास्टिंग/ यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से समारोह में भाग लिया।

प्रकाशन

- डीएई एक द्विभाषी त्रैमासिक न्यूजलेटर प्रकाशित कर रहा है जिसका शीर्षक 'डीएई न्यूजलेटर' है। निदेशालय द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर संक्षिप्त विवरण प्रदान करते हुए डीएई समाचार पत्र समय–समय पर प्रकाशित किए जाते थे।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए डीएई की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई है।

सहायक गतिविधियां:

- **स्वच्छता पखवाड़ा**

  महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 16 से 30 जनवरी, 2020 तक 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाया गया। 'स्वच्छता पखवाड़ा' की शुरुआत निदेशालय के अधिकारियों द्वारा अपने तत्काल कार्यस्थलों की सफाई के बाद फाइलों और दस्तावेजों की धूल साफ करने, उसी क्रम में व्यवस्थित करने और अनावश्यक फाइलों के उचित निपटान के साथ हुई। पखवाड़े के दौरान निदेशालय के अधिकारियों ने अपने कार्यालय और आसपास को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन लगभग एक घंटा दिया। स्वच्छता के विचार को सुंदरता और पर्यावरण से जोड़ा गया जिसके अंतर्गत कार्यालय लॉन की कटाई, पौधों की छंटाई और पत्तों का उचित ढंग से निपटान किया गया। पखवाड़े के अंतिम दिन डीएई के सम्मेलन कक्ष में कविता/लेख/निबंध लेखन गतिविधि का आयोजन किया गया।

➢ प्लास्टिक यूज ऑडिट

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के परिसर में 3 फरवरी 2020 को प्लास्टिक यूज ऑडिट कराया गया। प्लास्टिक प्रदूषण व्यापक रूप से जैव विविधता के लिए खतरा है और जीवित प्राणियों के लिए खतरनाक है। ऑडिट का उद्देश्य निदेशालय में प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग की पहचान, परिमाण, विश्लेषण और प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को कम करना था। ऑडिट का फोकस निदेशालय को प्लास्टिक की आपूर्ति के स्रोतों की पहचान करना भी था। श्री एम पी सिंह उप सचिव, शिक्षा मंत्रालय लेखापरीक्षक थे। लेखारीक्षक ने निदेशालय में स्वच्छता, अच्छी हाईज़ीन और प्लास्टिक के संरक्षणकारी उपयोग की सराहना की।

अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों को सलाह दी कि वे प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग से बचें और इसके बजाय कार्यालय में पुनः उपयोग में लाए जाने वाले बर्तनों का एक व्यक्तिगत सेट ले जाएं और कार्यालय में रखी हुई पुनः उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं को प्राथमिकता दें।

- **डीएई वेबसाइट लांच की गयी**

यूआरएल www.dae.mhrd.gov.in के तहत प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट 27.02. 2020 को लॉन्च की गई थी। वेबसाइट को एनआईसी द्वारा एचटीएमएल प्रारूप में विकसित/अनुरक्षित किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) देश में वयस्क शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के तत्वावधान में शुरू किए गए कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पेशेवर, शैक्षणिक और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है और राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से क्षेत्र में लागू कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी करता है। इसलिए, वेबसाइट से हितधारकों को बहुमूल्य जानकारी और शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध होने की उम्मीद है।

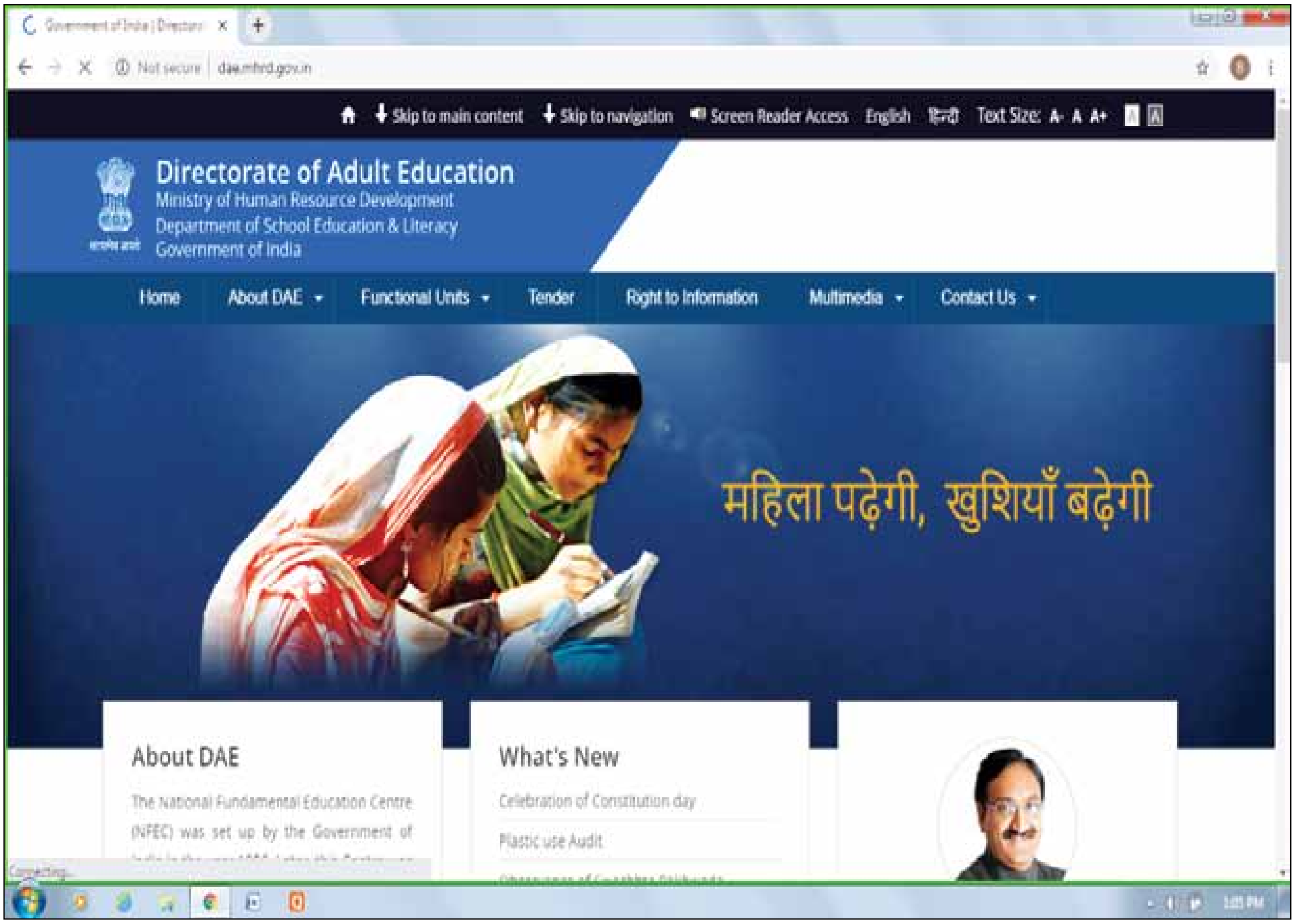

- **आतंकवाद विरोधी दिवस 2020 मनाया गया**

युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से अलग करने के उद्देश्य से प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा 21 मई, 2020 को 'आतंकवाद विरोधी दिवस, 2020' मनाया गया। लोगों के बीच मानवता के संदेश को फैलाने शांति, एकता और सामाजिक सद्भाव को बनाए, रखने और बढ़ावा देने के लिए, डीएई के कर्मचारियों द्वारा आतंकवाद विरोधी/हिंसा विरोधी शपथ ली गई। चल रही कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक दूरी के दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए, डीएई के अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपने–अपने कमरों/कार्यालयों में आतंकवाद विरोधी शपथ ली।

- **हिंदी पखवाड़ा**

हमारे दैनिक सरकारी कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में 16–30 सितम्बर, 2020 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा, 24 सितंबर, 2020 को 'हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग' विषय पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

❖ ❖ ❖

05

स्कूल शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता

स्कूल शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता

जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी):

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में समानता और सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से आवासीय नवोदय विद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई। इसके परिणामस्वरूप, नवोदय विद्यालय समिति को 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसका उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना करना था। जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना मूल्यों के समावेश, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा का एक मजबूत घटक शामिल है। स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं।

शिक्षा का नवोदय मॉडल:

– सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में उपस्थिति।

– आवासीय व्यवस्था और शिक्षकों के साथ रहना।

– आधुनिक शिक्षा के साथ कम लागत संचालन।

– प्रतिबद्ध स्टॉफ।

– छात्रों के साथ गहन बातचीत।

– व्यक्तिगत प्रभावशीलता और मानवीय मूल्यों के संकेंद्रण के साथ सभी जीवन कौशल में एक्सपोजर।

– छात्र अपनी लगभग सभी व्यक्तिगत गतिविधियाँ करते हैं।

– सभी परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन।

– पूर्व छात्रों की पहचान उनके द्वारा स्कूल से प्राप्त व्यक्तिगत मूल्य से होती है.

– लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की अधिक संख्या में भागीदारी।

जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया/मानदंड: जवाहर नवोदय विद्यालयों को खोलना संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रस्ताव पर आधारित है, जिसमें लगभग 30 एकड़ उपयुक्त भूमि मुफ्त में दी जाती है। राज्य सरकार को 240 छात्रों और कर्मचारियों को तीन से चार साल के लिए या जब तक समिति स्थायी स्थल पर अपने स्वयं के भवनों का निर्माण नहीं करती है, तब तक पर्याप्त अस्थायी भवन और अन्य बुनियादी ढाँचे मुफ्त में उपलब्ध कराने होंगे।

स्वीकृत और कार्यात्मक जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थिति: 1985–86 के दौरान झज्जर (हरियाणा) और अमरावती (महाराष्ट्र) में स्थापित दो विद्यालयों से शुरुआत करते हुए, तमिलनाडु राज्य को छोड़कर, 27 राज्यों और 08 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार द्वारा अब तक 661 जेएनवी को मंजूरी दी गई है। देश में स्वीकृत कुल 661 जेएनवी में से 647 कार्यरत हैं।

जेएनवी में छात्रों का प्रवेश: जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा डिजाइन और आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर किया जाता है। चयन परीक्षा गैर–मौखिक और कक्षा तटस्थ है और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी नुकसान का सामना किए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हों।

केवल संबंधित जिले के उम्मीदवार जहां जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया है, प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। हालाँकि, जिस जिले में जेएनवी खोला गया है और वह बाद की किसी तारीख में द्विविभाजित कर दिया जाता है तो जेएनवी में प्रवेश के लिए पुरानी सीमाओं को ही पात्रता के उद्देश्य से समझा जायेगा यदि नव द्विविभाजित जिले में अभी तक कोई नया विद्यालय प्रारंभ न हुआ हो। जेएनवी सह–शैक्षिक और आवासीय हैं और छठी से बारहवीं कक्षा तक हैं। प्रवेश जेएनवीएसटी के माध्यम से कक्षा VI और IX के लिए किया जाता है। जेएनवीएसटी के लिए पंजीकृत और वर्ष 2020–21 में चयनित छात्रों के सांख्यिकीय आंकड़े निम्नानुसार हैं:

कक्षा	पंजीकृत	चयनित
VI	30,47,512	46,418
IX	2,31,388	4410

जेएनवी में प्रवेश हेतु आरक्षण नीति:

(क) जिले में 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित आवेदकों द्वारा भरी जाती हैं और शेष सीटें जिले के शहरी क्षेत्रों से भरी जाती हैं।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के पक्ष में सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है बशर्ते कि किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%) लेकिन एक साथ दोनों श्रेणियों (एससी और एसटी) के लिए अधिकतम 50% के अध्यधीन, से कम नहीं होगा। ये आरक्षण विनिमय योग्य हैं और ओपन मेरिट के तहत चुने गए आवेदकों के अतिरिक्त हैं।

(ग) एससी और एसटी के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

(घ) कुल सीटों का एक तिहाई छात्राओं द्वारा भरा जा है।

(ङ) निःशक्तजन (दिव्यांग) बच्चों (अर्थात अस्थि विकलांग, श्रवण बाधित तथा दृष्टिबाधित) के लिए 3% सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

इसे स्वचालित सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

दिनांक 31.12.2020 के अनुसार छात्रों का नामांकन

संख्या	छात्र	छात्राएँ	ग्रामीण	शहरी	सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी
285695	169473	116222	237166	48529	58192	97945	71910	57648
%	59.32	40.68	83.01	16.99	20.37	34.28	25.17	20.18

भर्ती

भर्ती एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि त्यागपत्र, मृत्यु, नए जेएनवी की स्थापना, विषयों के आवंटन, सेवानिवृत्ति आदि के कारण रिक्तियों में वृद्धि होती रहती हैं। रिक्तियों को भरने के लिए समेकित प्रयास किए जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया में समरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु समिति निम्नलिखित को स्वीकार रही है:

- ''केंद्रीकृत भर्ती'' प्रक्रिया का सहयोग लेना।
- पारंपरिक ओएमआर शीट/लिखित परीक्षा के स्थान पर कम्प्युटर आधारित परीक्षा का सहयोग लेना।
- यदि किसी मामले का अंतिम परिणाम जारी होने से पूर्व समाधान हो जाता है तो ''उत्तर कुंजिका'' के साथ उत्तर पत्रक/प्रतिक्रिया पत्रक को वेबसाइट और शिकायतों पर प्रदर्शित किया जाता है।
- योग्यता की स्थिति और रिक्ति की उपलब्धता के अध्यधीन आवेदकों द्वारा चयनित रुचि के आधार पर नियुक्ति दी जाती है।

पिछले पांच वर्षों में 3027 शिक्षण और 696 गैर–शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिसके परिणामस्वरूप एनवीएस में रिक्ति की स्थिति न्यूनतम हुई है। वर्तमान में सीधी भर्ती के आधार पर टीजीटी के 1295 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके अंतिम परिणाम प्रतीक्षाधीन है। इसके अलावा, सीधी भर्ती के आधार पर शिक्षकों की विविध श्रेणी (पुस्तकालयाध्यक्ष, पीईटी (एम), पीईटी (एफ), कला शिक्षक और संगीत शिक्षक) के 644 पदों के लिए मार्च, 2021 के महीने में साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, एनवीएस, शिक्षण कर्मचारी की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने के लिए प्रक्रियाधीन है।

जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रदर्शन:

जेएनवी ने निरंतर बेहतर प्रदर्शन किया है जैसाकि पिछले तीन वर्षों से सीबीएसई द्वारा घोषित परिणामों में दर्शाया गया है:

क) सीबीएसई परीक्षा: 2020

कक्षा – XII	
जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	548
उपस्थित छात्रों की संख्या	29152
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	28772
प्रथम श्रेणी वाले छात्रों की संख्या	28224
उत्तीर्ण प्रतिशत	98.70
प्रथम श्रेणी :	96.82
सेंटम पाने वाले छात्रों की संख्या	168
100% उत्तीर्ण जेएनवी की संख्या	370
औसत स्कोर वाले	79.95
90% से अधिक वाले छात्रों की संख्या	4964 (17%)

कक्षा – X	
जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	585
उपस्थित छात्रों की संख्या	40398
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	39856
प्रथम श्रेणी वाले छात्रों की संख्या	35357
उत्तीर्ण प्रतिशत	98.66
प्रथम श्रेणी :	87.52
सेंटम पाने वाले छात्रों की संख्या	959
100% उत्तीर्ण जेएनवी की संख्या	357
औसत स्कोर वाले	75.91
90% से अधिक वाले छात्रों की संख्या	5479 (13.56%)

ख. प्रतियोगी परीक्षाएँ: 2020

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	उपस्थित हुए छात्रों की संख्या	अर्हता प्राप्त छात्रों की संख्या	अर्हता प्राप्त छात्रों का प्रतिशत
01.	जेईई मुख्य	8237	3628	44.05 %
02.	जेईई एडवांस	3628	1076	29.66 %
03.	नीट	13332	11027	82.71 %

उत्कृष्टता केंद्र के छात्रों की उपलब्धि (सीओई):

सीओई	जेईई मुख्य		जेईई एडवांस		नीट	
	उपस्थित	अर्हता प्राप्त	उपस्थित	अर्हता प्राप्त	उपस्थित	अर्हता प्राप्त
दक्षणा	369	359	359	263	60	प्रतिक्षाधीन
ईएनएफ	50	50	36	33	28	27
अवन्ति अध्येतावृत्ति	367	170	162	40	117	108

जेएनवी के छात्रों के लिए अपनाई गयी प्रवासन नीतिः

नवोदय विद्यालय योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है विशेष भाषाई क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय से अलग भाषाई क्षेत्र में दूसरे विद्यालय में छात्रों की प्रवासन योजना। इसका उद्देश्य छात्रों में भारत की संस्कृति और लोगों की विविधता एवं बहुलता का संवर्धन करना और समझना है। योजना के अनुसार, एक जेएनवी के 30% बच्चों को दूसरे जेएनवी में कक्षा–IX स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है। प्रवासन प्रायः हिंदी भाषी और गैर–हिंदी भाषी जिलों के बीच होता है।

2013

कम्प्युटर शिक्षाः

- 636 जेएनवी में कम्प्युटर समर्थित शिक्षा है।
- 554 जेएनवी में लैपटाप प्रदान किया गया है।
- 554 जेएनवी में 02 मल्टीमीडिया प्रक्षेपक प्रदान किए गए हैं।
- 548 जेएनवी में स्मार्ट बोर्ड, लैपटाप, टैबलेट, प्रिंटर, वाई–फ़ाई, राउटर आदि और वेब–आधारित शिक्षा अधिगम की अपेक्षित सुविधाओं के साथ स्मार्ट कक्षाएँ तैयार की गयी हैं।
- सत्र 2020–21 (01.04.2020 से 31.12.2020) के दौरान, 152 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए थे और 12697 एनवीएस स्टाफ (शिक्षण और गैर–शिक्षण) प्रशिक्षित किए गए थे।

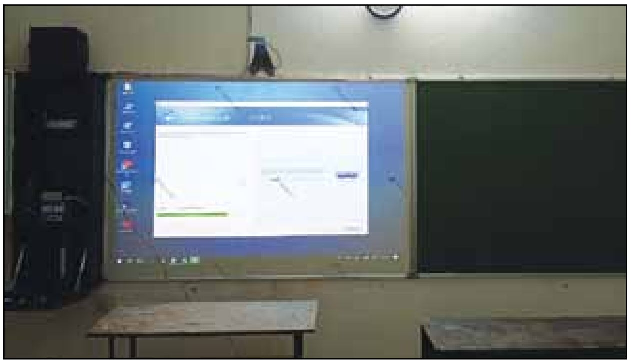

जेएनवी में स्मार्ट कक्षा की स्थापना

जेएनवी में छात्रों के लिए सुविधाएंः

जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षा में भोजन एवं आवास के साथ–साथ यूनिफॉर्म पर व्यय, पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल से घर तक रेल/बस का किराया आदि शामिल हैं, जो सभी छात्रों के लिए निःशुल्क है। तथापि, कक्षा IX से XII के छात्रों से प्रति माह 600 रुपये का न्यूनतम शुल्क विद्यालय विकास निधि (वीवीएन) के रूप में लिया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी के बच्चों के संबंध में 1500/–रुपये का शुल्क या कर्मचारी द्वारा प्राप्त सीईए, जो भी न्यूनतम प्रति माह हो, भी प्रभारित किया जा रहा है। तथापि, वीवीएन 600/– रुपए से कम नहीं हो सकता है। इसके अलावा, एससी/एसटी वर्ग से संबंधित छात्र, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार की छात्राएँ और बच्चे इस शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं। वर्ष 2019–20 के लिए प्रतिवर्ष प्रति छात्र औसत कार्यात्मक व्यय 1,15,741/– रुपए था।

प्रशिक्षण एवं विकास :

क. प्रशिक्षण अवसंरचना :

एनवीएस एनएलआई, क्षेत्रीय कार्यालयों और बाह्य एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करता है। वर्तमान में एनवीएस के नोएडा, अमृतसर, उदयपुर, गोवा, रंगारेड्डी, पुरी और कामरूप में नवोदय नेतृत्व संस्थान (एनएलआई) के रूप में स्थापित 7 प्रशिक्षण स्थल हैं।

शिक्षण/गैर–शिक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

- शिक्षण स्टाफ के लिए आभासी कक्षा प्रबंधन पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण
- शिक्षण स्टाफ के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण
- शिक्षण स्टाफ के लिए जियोजेब्रा पर तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण
- शिक्षण स्टाफ के लिए ब्लेंडेड और ऑनलाइन शिक्षण क्षमता संवर्धन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण
- शिक्षण स्टाफ के लिए निर्देशित अधिगम कार्यक्रम पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण

- शिक्षण स्टाफ के लिए डिजिटल भुगतान और साइबर फ्राड जागरूकता पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण
- शिक्षकों के लिए जागरूक नागरिक कार्यक्रम पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण
- शिक्षण स्टाफ के लिए एनईपी पर एक दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार
- शिक्षण स्टाफ के लिए साइबर सुरक्षा और जागरूकता पर दो दिवसीय ऑनलाइन आभासी प्रशिक्षण
- शिक्षण स्टाफ के लिए एक दिवसीय ऑनलाइन करियर परामर्शी प्रशिक्षण
- शिक्षण स्टाफ के लिए ओलैब्स पर एक दिवसीय आभासी प्रशिक्षण
- शिक्षण स्टाफ के लिए निष्ठा के कार्यान्वयन पर एक दिवसीय ऑनलाइन उन्मुखीकरण सत्र
- शिक्षण स्टाफ के लिए एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम निवारक सतर्कता उपाय
- शिक्षण स्टाफ के लिए सूचना का अधिकार – अधिनियम का एक दिवसीय प्रशिक्षण
- गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए शैक्षिक संसाधनों को खोलने और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण
- गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए जीईएम के माध्यम से खरीद प्रक्रिया पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण
- शिक्षण स्टाफ को क्षमता आधारित शिक्षा के लिए स्कूल तैयार करने पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।

सत्र 2020–21 (01.04.2020 से 31.12.2020) के दौरान, 152 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए थे और 12697 एनवीएस स्टाफ (शिक्षण और गैर–शिक्षण) प्रशिक्षित किए गए थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 :

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 का दस्तावेज़ सभी हितधारकों को प्रेषित कर दिया गया है।
- एनवीएस मुख्यालय के सभी अधिकारी और आरओ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 पर आभासी प्रशिक्षण में भाग लिया है।
- शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पोर्टल पर इनपुट पंजीकृत और प्रस्तुत किए हैं।
- जेएनवी कर्मचारियों को 05 से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षक पर्व के वेबिनार, चर्चा और प्रस्तुतियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर बारह (12) विषयों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित "संचार सामग्री की तैयारी" करने पर शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई है।
- एनईपी ट्रैकर के माध्यम से लक्ष्य वार इनपुट साझा किए गए हैं।
- छात्रों, माता–पिता, शिक्षकों और अधिकारियों ने 11 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा आईटीआई – 2020 पर माननीय प्रधानमंत्री का भाषण सुना।
- एनवीएस अधिकारियों को एनईपी कार्य के लिए एनसीईआरटी/सीबीएसई के नोडल अधिकारियों और विभिन्न समितियों के रूप में नामित किया गया है।
- पीईटी के लिए प्रशिक्षणः 1 से 22 दिसंबर, 2020 तक आयोजित पीईटी और प्रशिक्षकों के लिए चौथे बैच के ऑनलाइन पीई और सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 990 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और 26 प्रधानाचार्यों ने हिस्सा लिया और इस दौरान आयोजित विभिन्न सत्रों के दौरान साझा किए गए ज्ञान से पूरा सत्र व्यापक रूप से लाभान्वित हुआ।
- क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षणः एनईपी–2020 के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के

समन्वय से एनवीएस के क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, सीआईआईएल, मैसूर ने पहले चरण में मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और मराठी के क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों के लिए 6–दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल की योजना बनाई है। इस श्रृंखला में 45 मलयालम भाषा के शिक्षकों, 106 मराठी भाषा के शिक्षकों, 101 कन्नड़ भाषा के शिक्षकों और एनवीएस के 73 तेलुगु भाषा के शिक्षकों के लिए पहले ही कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। शेष प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अगले शैक्षणिक सत्र से प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है।

एनईपी के तहत शिक्षक पर्व

वर्ष के दौरान संचालित किए गए विशेष शैक्षणिक क्रियाकलाप

कैरियर के रूप में वैज्ञानिक स्वभाव और विज्ञान

- जेएनवी के छात्रों के लिए क्लस्टर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन।
- 58 जेएनवी से 100 जेएनवी तक विज्ञान ज्योति ज्ञान केंद्रों का विस्तार।
- राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉंग्रेस में प्रतिभागिता (एनसीईआरटी),
- टीआईएफआर द्वारा कनिष्ठ और वरिष्ठ छात्रों दोनों के लिए होमीभाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित विज्ञान और गणित ओलंपियाड में प्रतिभागिता
- विद्यार्थी विज्ञान मंथन में प्रतिभागिता
- स्कूलों में विज्ञान क्लब
- वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के साथ वार्तालाप (प्रयोगशालाओं में 800 बच्चे प्रतिवर्ष जाते हैं)। 40 संस्थान (डीएसटी, डीबीटी, डीआरडीओ, सीएसआईआर के तहत) सहयोग कर रहे हैं ।
- छात्रों के साथ वार्तालाप हेतु स्कूलों के लिए वैज्ञानिकों को आमंत्रित करना।
- राष्ट्रीय विज्ञान कॉंग्रेस में छात्रों का दौरा
- जेएनसीएएसआर में छात्र आवासीय कार्यक्रम
- छात्रों के साथ वैज्ञानिकों का विज्ञान प्रतिभा– प्रत्यक्ष वार्तालाप में प्रतिभागिता
- परिसर में 14 से अधिक आईआईटी 2 दिनों के लिए प्रतिवर्ष 50 जेएनवी छात्रों का स्वागत करने और प्रयोगशाला एवं दौरा करने की व्यवस्था करने के लिए सहमत हुए हैं।

सृजनात्मकता और नवाचार का संवर्धन

- अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना (117 जवाहर नवोदय विद्यालय)
- तार्किक क्षमता विकसित करने के लिए तर्क और तार्किक पहेली का अभ्यास
- रोबोटिक्स प्रशिक्षण उद्योग सहयोग (रोबो शिक्षा केंद्र और औरोधुम) की सहायता से कार्यान्वित किया जाता है।
- उद्योग के संघ से डिज़ाइन करने में प्रशिक्षण: ऑटो डेस्क।

ग्लोबल आउटलुक के लिए सहयोग

- ब्रिटिश काउंसिल के साथ पाठ्यचर्या फोकस के कार्यक्रम और 21वीं सदी के कौशल
- छात्रों और शिक्षकों का जापान भ्रमण – पिछले 2 वर्षों में 45 बच्चों और 8 शिक्षकों का दौरा

- ऑस्ट्रेलिया के तहत– भारत–विद्यालय नेतृत्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम 3 प्रधानाचार्यों ने 11 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों का दौरा किया।
- जेएनवी अहमद नगर के छात्रों ने श्रीलंका में VI सांस्कृतिक ओलंपियाड में पदक जीते।

समकालीन क्षेत्रों/विषयों का अनावरण

- एनएसई की सहायता से वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण।
- एनडीआरएफ़ के सहयोग से आपदा प्रबंधन
- टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान – छत्तीसगढ़ के जेएनवी के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के सहयोग से समकालीन शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण लिया गया है। इस कार्यक्रम को एमआईटी, यूएसए से तकनीकी सहायता प्राप्त है।

इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश के छात्रों के लिए इसरो साइबरस्पेस प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया था जिसमें हमारे जेएनवी के छात्रों ने भी भाग लिया था। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण समय में कोविड–19 के दौरान युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी संभावित प्रतिभा का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना था। प्रतियोगिता जुलाई–अगस्त, 2020 के दौरान आयोजित की गई थी। हमारे तीन जेएनवी छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और आईसीसी –20 में शीर्ष 10 में अखिल भारतीय योग्यता रैंक प्राप्त किया। जेएनवी के विजेता छात्रों के नाम इस प्रकार हैं:

1) आरव राज, जेएनवी सुपौल, बिहार, कक्षा VIII (अखिल भारतीय रैंक 10)।
2) सुश्री तनु, जेएनवी गौरीगंज, अमेठी (उत्तर प्रदेश), कक्षा IX (अखिल भारतीय रैंक 4)।
3) अमलान महारन, जेएनवी बौद्ध, ओड़ीशा, कक्षा XI (अखिल भारतीय रैंक 9)।

नागरिकता कार्यक्रम:

- एनसीसी – 308 जेएनवी ने 21878 कैडटों को शामिल किया।
- सभी जेएनवी में स्काउट और गाइड को शामिल किया गया। 36291 स्काउट और गाइडों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षुता कौशल

- व्यावसायिक शिक्षा
- आईआईटी मुंबई के सहयोग से जेएनवी में छात्रों द्वारा अपने सोलर लैंप को असेंबल करना।

अधिगम अनुभवों का संवर्धन

- अधिगम की गहनता को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा VIII स्तर पर मानक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करना।
- भारतीय विज्ञान संस्थान, चित्रदुर्ग के तहत संवर्धित प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान पढ़ाने की पद्धति।

उपयोगी उन्मुखीकरण

475 स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन की सहायता से नागरिक कार्यक्रम को जागरूक करना।

- डिजिटल नागरिकता और साइबर सुरक्षा प्रश्नोत्तरी में प्रतिभागिता।
- योग

जेएनवी छात्र और सोसाइटी :

- जेएनवी के सह–पाठयक्रम कार्यकलापों में पड़ोसी स्कूलों के छात्रों की भागीदारी।
- प्रकृति के संरक्षण, सड़क सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता, नागरिक भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों और वैज्ञानिक स्वभाव जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पर पड़ोसी स्कूलों के लिए कार्यक्रम।
- पड़ोस के स्कूलों के साथ शैक्षणिक और सह–पाठयक्रम प्रतियोगिताओं में भाग लेना और उनका आयोजन करना।

- जेएनवीएसटी के लिए ग्रामीण बच्चों की कोचिंग।
- टीकाकरण शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर, प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान आदि का आयोजन।
- स्वास्थ्य और स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, जनसंख्या शिक्षा, संतुलित आहार पर जागरूकता अभियान चलाना।

छात्राओं के लिए डीएसटी परियोजनाः

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से नवोदय विद्यालयों ने 100 जवाहर नवोदय विद्यालयों में विज्ञान ज्योति ज्ञान केंद्रों की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य विज्ञान को अपने करियर के रूप में आगे बढ़ाने हेतु अधिक संख्या में छात्राओं को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत जेएनवी में कक्षा XI की छात्राओं और पड़ोसी क्षेत्र में स्कूल प्रणाली को एसटीईएम, भावी परिप्रेक्ष्य और करियर परामर्श में केंद्रित सहायता देने के उद्देश्य से सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना के तहत एसटीईएम में व्याख्यान की श्रृंखलाएँ, विशेष आवश्यकता आधारित कक्षाएं, विज्ञान में महिला की भूमिका मॉडल के साथ छात्र इंटरफ़ेस, व्यावहारिक प्रयोगशाला कार्य, छोटी परियोजनाएं, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं का दौरा, वैज्ञानिकों के साथ निरंतर वार्तालाप, माता–पिता से परामर्श आदि की परिकल्पना की जाती है। शामिल की गई छात्राओं को मासिक पारिश्रमिक सहित सहयोग प्रणाली की पूरी लागत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित की जाती है। सभी विद्यालयों के कुल 2847 पंजीकृत छात्रों में से जवाहर नवोदय विद्यालयों की कुल 1482 छात्राओं का पंजीकरण विज्ञान ज्योति परियोजना के तहत किया गया है।

कोड इंडिया प्रोजेक्ट :

कोड इंडिया, दो सप्ताह का एप्लिकेशन आधारित कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की प्रमुख पहल है। एमआईटी, हार्वर्ड, फ्रांस, आईआईटी के प्रख्यात व्यावसायिक मिडिल और माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए कोडिंग पाठ्यक्रम को प्रशिक्षित करने और अंतिम रूप देने हेतु भाग ले रहे हैं।

प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 नवंबर 2019 से 7 दिसंबर 2019 तक जेएनवी जाफरपुरकलां, दिल्ली में आयोजित किया गया है। सभी 8 क्षेत्रों के कक्षा VIII से XI तक के 50 छात्रों ने इसमें भाग लिया है। कंप्यूटर विज्ञान में चयनित 10 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रस्ताव है जो आवश्यकता के आधार पर संसाधन व्यक्तियों के रूप में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रतिभावान छात्रों की पहचान और पोषण

- प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के मार्गदर्शन में एसोसिएशन क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय में श्रेष्ठ प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान और पोषण करना।

पर्यावरणीय संरक्षण

- **वृक्षारोपणः** एनवीएस की सभी क्षेत्र इकाइयों को "हरित और स्वस्थ पर्यावरण" के विचार के अनुरूप "एक छात्र एक वृक्ष अभियान" को अपनी वास्तविक भावना में समाहित करने का निर्देश दिया गया है।

हाल के वर्षों के दौरान इस पहल के साथ एनवीएस ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है –

वर्ष	जेएनवी में वृक्षारोपण किया गया
2016-17	3,18,647
2017-18	4,41867
2018-19	2,25,827
2019-20	2,39,755

- **जल संरक्षणः** एनवीएस जल संरक्षण के अभिग्रहण से और विभिन्न माध्यमिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए पानी को व्यवस्थित करना संगठनात्मक योजना में प्रमुख रहा है। शीर्ष संस्थान होने के नाते जेएनवी हमेशा पर्यावरण के अनुकूल पहलों के प्रति ग्रहणशील और सक्रिय रहे हैं। देशभर में जवाहर नवोदय विद्यालय की अवस्थिति और छात्र क्षमता

को देखते हुए, जल शक्ति अभियान के तहत विभिन्न कार्यकलापों को जल संरक्षण के लिए प्रस्तावित किया गया है। 112 जवाहर नवोदय विद्यालयों ने वर्षा जल संचयन के लिए उपाय किए हैं।

''समग्र ***शिक्षा, जल सुरक्षा'' के अलावा, जेएनवी*** में भी अभियान प्रारंभ किया गया है। इको–क्लब के माध्यम से छात्रों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की जा रही है और उनके सुझावों को समय की आवश्यकता को देखते हुए सभी जेएनवी में लागू किया जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य प्रत्येक छात्र द्वारा प्रतिदिन कम से कम एक लीटर पानी की बचत करना है।

- **सौर पहल:** एमआरई के निर्देशन में रूफ टॉप ग्रिड कनेक्शन सौर ऊर्जा परियोजना को 176 जेएनवी में शामिल किया गया है, जिसमें कुल 13.41 मेगावाट बिजली उत्पादन अपेक्षित है।
- **डबल्यूडबल्यूएफ़– कंपोस्टिंग:** देश भर में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–इंडिया के "एक पृथ्वी – स्कूल अनुकरण" के माध्यम से जेएनवी के छात्रों में संरक्षण में निष्पादन हेतु एनवीएस और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–इंडिया के बीच सहयोग के संबंध में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–इंडिया से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) के सहयोग से पर्यावरण आधारित शिक्षा का शुभारंभ किया गया है।
- जेएनवी विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) की स्कूलों की हरित रेटिंग की पहल में भाग ले रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप छात्रों में प्रकृति और संसाधनों के संरक्षण के बारे में बेहतर जागरूकता आ रही है।
- **सीएसई– वायु और हरित परीक्षण:**

विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई), दिल्ली द्वारा आयोजित हरित स्कूल कार्यक्रम (जीएसपी) में जेएनवी शामिल हैं ताकि छात्रों और शिक्षकों को पर्यावरण और दैनिक जीवन के बीच की जरूरी कड़ी को समझने में सहायता मिल सके।

अटल नवाचार मिशन (एआईएम):

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) नीति आयोग का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जो स्वरोजगार प्रतिभा उपयोगिता (सेतु) सहित नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का प्रयास है। इसका उद्देश्य विश्वस्तरीय नवाचार केंद्रों का संवर्धन, व्यापक चुनौतियों, स्टार्टअप उद्योगों और विशेष रूप से प्रौद्योगिकी चालित क्षेत्रों में अन्य स्वरोजगार कार्यकलापों के लिए एक मंच के रूप में सेवा प्रदान करना है।

एआईएम ने 117 जेएनवी में अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) की स्थापना की है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं में उत्सुकता, सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना; और कृत्रिम बौद्धिक सेट, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, एडेप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशल विकसित करना है।

जेएनवी कराईकल (पुदूचेरी) में अटल टिंकरिंग लैब

निष्ठा (राष्ट्रीय स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के विकास हेतु पहल):

निष्ठा (राष्ट्रीय स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के विकास हेतु पहल) समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक एकीकृत योजना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य लगभग 42 लाख प्रारम्भिक विद्यालय के शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों तक पहुंचना है ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित उभरते हुए और महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान हेतु अपनी क्षमता का निर्माण कर सकें। एनवीएस ने एनसीईआरटी द्वारा 15 और 16 जुलाई, 2019 को आयोजित राष्ट्रीय

संसाधन समूह–एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य करने हेतु 10 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की है। ये शिक्षक आईएएसई, एससीईआरटी, सीटीई, डाइट, बीआरसी, सीआरसी के संकाय सदस्यों और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चिन्हित किए गए प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग करके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षित करने के लिए आमने–सामने प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

मानक पुरस्कार इन्सपायर :

अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान अनुसरण में नवाचार (इंस्पायर) योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। जेएनवी के कुल 77 छात्रों ने इंस्पायर मानक पुरस्कार जीता है।

फुलब्राइट छात्रवृत्तिः

यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन (यूएसआईईएफ) स्कूल शिक्षकों के लिए दो फुलब्राइट कार्यक्रम आयोजित करता हैः अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों के लिए शिक्षण कार्यक्रम में फुलब्राइट विशिष्ट पुरस्कार (एफडीएआई) और फुलब्राइट शिक्षण उत्कृष्टता और उपलब्धि (एफटीईए) कार्यक्रम। चूंकि फुलब्राइट एफडीएआई और एफटीईए में शिक्षकों की प्रतिभागिता संगठन के लिए उनके नए अनुभव, अन्य देशों में विभिन्न शिक्षाशास्त्र और कक्षा संस्कृति के विनिमय के माध्यम से लाभकारी है, अतः फुलब्राइट विद्वानों को भुगतान वेतन के साथ फुलब्राइट कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति है। उनकी यात्रा और प्रशिक्षण का व्यय फुलब्राइट द्वारा वहन किया जाता है और एनवीएस के लिए कोई वित्तीय भार नहीं है। जेएनवी के 03 शिक्षकों को फुलब्राइट स्कॉलरशिप – 2019 से सम्मानित किया गया। श्री अमित कुमार, जेएनवी शिमला के पीजीटी (सीएस) और जेएनवी कोलार के श्री विवेकानंद घोष, टीजीटी (अंग्रेजी) को क्रमशः एफडीएआई और एफटीईए में भाग लेने हेतु चयनित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में बच्चों का प्रवेशः

टाटा ट्रस्ट और ऐसे अन्य सहायकों द्वारा समर्थित कर्ता इनिशिएटिव फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गयी सीएसआर के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को उच्चतर अध्ययन हेतु सहयोग देने के लिए एक नई पहल नवोदय विद्यालय समिति द्वारा की गई है। निम्नलिखित छात्रों ने वर्ष 2017, 2018 और 2019 में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त किया हैः

छात्र का नाम	जेएनवी	जिस विश्वविद्यालय के लिए चयन हुआ	क्षेत्र	वर्ष
दीप्ति आर रापते	पालघर	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय	जैविक विज्ञान	2017
शिवम ए दुबे	पालघर	इंपीरियल कॉलेज, यूके	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	2017
सदानंद एच उगाले	औरंगाबाद	यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन	गणित	2017
आदेश डी वैद्य	औरंगाबाद	ब्रिस्टल विश्वविद्यालय	जैव रसायन	2017
नेशमा मेहतर	दक्षिण गोवा	मैक गिल विश्वविद्यालय	कला और विज्ञान	2018
अनुजा खुरे	लातूर	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय	भौतिक विज्ञान	2018
विशाखा पुजारी	लातूर	टोरंटो विश्वविद्यालय	अनुप्रयुक्त विज्ञान और इंजीनियरिंग	2019
सहाना नायकः	हावेरी	क्वीन्स यूनिवर्सिटी, कनाडा	विज्ञान	2019
अजिक्य हारुगड़े	पालघर	हूरों कॉलेज, पश्चिमी विश्वविद्यालय	प्रबंधन और संगठनात्मक अध्ययन	2019
उत्कर्ष मल	दक्षिण गोवा	इंपीरियल कॉलेज	पृथ्वी और ग्रह विज्ञान	2019
मृत्युंजय अंगदि	हावेरी	ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके	पृथ्वी विज्ञान	2019
श्रुति पालसप्पा	चिक्कमगुलुरु	ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके	जैव रसायन	2019

जेएनवी छात्रों द्वारा क्रिप्टिव एसीएसी/एसीएडी+ क्रॉसवर्ड चुनौतियों में उदाहरणात्मक प्रदर्शन :

देश में कोविड–19 लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में जेएनवी के छात्रों ने ए–क्लू–ए–डे (एसीएडी) और एसीएडी+ ऑनलाइन क्रॉसवर्ड चुनौतियों में भाग लिया था। 104 जेएनवी छात्रों ने इस क्रॉसवर्ड चुनौती में विभिन्न स्तरों जैसे– एसीएडी राज्य विजेता, एसीएडी शहर विजेता, एसीएडी स्कूल विजेता, एसीएडी + राज्य/शहर/स्कूल विजेता पर अपना अनुकरणात्मक प्रदर्शन किया है।

14, 17 और 19 के तहत मुक्केबाजी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना (छात्र और छात्राएँ):

एनवीएस ने जेएनवी वाराणसी (यूपी) में बॉक्सिग यू–14, 17 और 19 (छात्रों और छात्राओं) में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को अंतिम रूप दिया है। इन उत्कृष्टता केंद्र का मुख्य उद्देश्य छात्रों को बॉक्सिग के क्षेत्र में उचित वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इन केंद्रों को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों और संसाधनों से लैस किया जाएगा ताकि छात्रों को बॉक्सिग में उत्कृष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार– 2020:

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार– 2020 के लिए एनवीएस के 90 शिक्षकों ने एनसीईआरटी पोर्टल पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार के लिए आवेदन किया था। छंटनी किए गए 08 आवेदकों की सूची एनसीईआरटी को भेज दी गई है।

खगोल विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना:

स्पेस इंडिया के सहयोग से 20 जेएनवी में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं।

फिट इंडिया कार्यक्रम और फिट इंडिया स्कूल सप्ताह:

18 नवंबर, 2020 के संचार के संदर्भ में, 25 नवंबर, 2020 को प्रारंभ होने वाले जेएनवी में फिट इंडिया स्कूल सप्ताह को हरी झंडी दिखाने के लिए एक आभासी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। माननीय युवा मामले और खेल मंत्री, श्री किरेन रिजिजू और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में समारोह का प्रतिष्ठित कार्यक्रम में फिट इंडिया कार्यक्रम के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया था।

दिसंबर, 2020 के दौरान सभी जेएनवी में फिट इंडिया सप्ताह मनाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न फिटनेस गतिविधियां प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम में कुल 600 जेएनवी ने भाग लिया और 90,550 छात्रों ने फिट इंडिया सप्ताह कार्यक्रम से संबंधित कार्यकलापों में भाग लिया था। इस संबंध में जेएनवी से कार्यकलापों की रिपोर्ट भी एकत्र की गई है और उक्त रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब लिंक पर अपलोड की जा रही है।

मार्गदर्शन और परामर्श में डिप्लोमा:

एनवीएस के 63 शिक्षकों का चयन एनसीईआरटी के मार्गदर्शन और परामर्श में डिप्लोमा के लिए किया गया है।

कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान एनवीएस द्वारा की गयी कार्रवाई:

- 173 जेएनवी के 3181 माइग्रेट किए गए छात्रों को एमएचए, एमओई और राज्य प्रशासन के सहयोग से उनके मूल जेएनवी में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करना।
- शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त निर्देशानुसार, स्थायी स्थल से कार्य करने वाले सभी जेएनवी को संबंधित राज्य /जिले को कोविड –19 से लड़ने के लिए अस्थायी अस्पताल/क्वारनटीन केंद्र बनाने को कहा गया है।
- एनवीएस के सभी कर्मचारियों से कुल 7,48,29,519/– रुपये का योगदान कोविड–19 के खिलाफ लड़ने के लिए पीएम केयर्स निधि में दिया गया है।
- स्मार्ट फोन वाले एनवीएस के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और इसे हमेशा सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए।
- छात्रों की वास्तविक कक्षाएं बंद कर दी गई हैं और सभी जेएनवी में 15 जून 2020 से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।

एनवीएस शिक्षकों द्वारा ई–सामग्री की तैयारी:

कोविड–19 महामारी के दौरान एनवीएस शिक्षकों द्वारा ई–सामग्री का निर्माण करना, एनवीएस शिक्षक निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर दीक्षा पोर्टल के समान वर्गीकरण में ई–सामग्री के निर्माण के लिए शामिल थे:–

(i) एनवीएस के प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात एनएलआई को कक्षा–वार ई–सामग्री का विकास करने हेतु समन्वय करने की ज़िम्मेदारी दी गयी है।

(ii) दीक्षा पोर्टल पर आधारित ई–सामग्री के निर्माण हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

(iii) शिक्षकों का कक्षा VI से IX तक उनके प्रदर्शन के आधार पर विषय–वार चयन

(iv) प्रत्येक चयनित शिक्षक को ई–सामग्री के निर्माण के लिए विषयों के अध्याय आवंटित किए गए थे।

(v) चयनित शिक्षकों ने दीक्षा पोर्टल देखा और महत्वपूर्ण ई–सामग्री के साथ–साथ निर्मित वीडियो, पीपीटी, योग्यता आधारित प्रश्न और अन्य शिक्षकों की संसाधन सामग्री को डाउनलोड किया।

(vi) शिक्षकों द्वारा दीक्षा पोर्टल से डाउनलोड करने के साथ–साथ निर्मित की गयी ई–सामग्री को कक्षा–वार अलग–अलग ऑर्गनाइज़ और पैकेज किया गया था।

(vii) संकलन का प्रथम स्तर एनएलआई स्तर पर पूरा किया गया था और दूसरे स्तर का संकलन और संकलन कार्य एनएनएलआई नोएडा में जेएनवी स्तर पर उपयोग के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ ई–सामग्री साझा करके पूरा किया गया था।

(viii) एनवीएस शिक्षकों ने कक्षा VI से XII के लिए 1755 विडियो, 1394 पीपीटी और 6966 क्षमता आधारित प्रश्नों को तैयार किया है। दीक्षा पोर्टल पर एनवीएस शिक्षकों के कुल 386 विडियो चुने और अपलोड किए गए हैं।

(ix) उपरोक्त ई–सामग्री, 1195 शिक्षकों की सेवाएँ क्षेत्रीय कार्यालयों में ली गईं हैं।

(x) एनवीएस शिक्षकों द्वारा तैयार की गई ई–सामग्री दीक्षा टीम और एनसीईआरटी के साथ साझा की गयी थी ताकि दीक्षा पोर्टल पर उसे अपलोड करने के लिए संकलन और चयन किया जा सके, जिसमें से 386 वीडियो दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।

(xi) एनसीईआरटी द्वारा विकसित सर्वेक्षण उपकरण का उपयोग करते हुए एनवीएस ने अधिगम संवर्धन पर ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित किया गया था जिसमें 102 प्रधानाध्यापकों, 819 शिक्षकों, 4208 छात्रों और 2561 अभिभावकों ने भाग लिया था।

(xii) एनसीईआरटी सर्वेक्षण उपकरण द्वारा किए गए सर्वेक्षण की दृष्टि से, एनवीएस ने VII–XIIवीं कक्षा के 2,04,171 छात्रों के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में ऑफ़लाइन/ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उपकरणों और इंटरनेट की उपलब्धता, असाइनमेंट और पाठ्यपुस्तकों की प्राप्ति, परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति आदि संबंधी प्रश्न शामिल थे।

(xiii) देश भर में एनआईओएस के स्वयंप्रभा चैनल के लिए 59 शिक्षक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विभिन्न विषयों में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। अप्रैल से अक्टूबर, 2020 तक एनआईओएस स्वयंप्रभा चैनल के माध्यम से एनवीएस शिक्षकों के 266 सत्रों का प्रसारण किया गया।

(xiv) एनसीईआरटी के मार्गदर्शन मैन एनवीएस के 20 शिक्षक पीएम ई–विद्या कार्यक्रम के लिए ई–सामग्री के निर्माण में योगदान दे रहे हैं।

- **एनवीएस में ऑनलाइन प्रशिक्षण:** 3197 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए जिसके माध्यम से सत्र 2020–21 के दौरान दिनांक 31.12.2020 तक 56094 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

फंसे हुए प्रवासी छात्रों को उनके गृह जेएनवी/होम में स्थानांतरित किया जा रहा है

कोविड–19 महामारी के दौरान क्वारंटीन/आइसोलेशन केंद्र के रूप में जेएनवी

कोविड–19 महामारी के दौरान छात्रों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गईं

अलुमनाइ द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के छात्रों को उपकरण दान किए गए

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) योजना

केंद्रीय विद्यालय (केंद्रीय स्कूल) की योजना को केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के वार्डों को अबाधित शिक्षा प्रदान करने के लिए दूसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर भारत सरकार द्वारा नवंबर, 1962 में अनुमोदित किया गया था। परिणामस्वरूप, केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के एक यूनिट के रूप में प्रारम्भ हुआ था। शुरुआत में, 20 रेजीमेंटल स्कूलों जोकि रक्षा कार्मिक बहुल स्थानों पर कार्यरत थे, को शैक्षणिक वर्ष 1963–64 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय के रूप में अधिग्रहित किया गया था।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के तहत 15 दिसम्बर, 1965 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत और विदेशों में सेंट्रल स्कूल (केन्द्रीय विद्यालय) प्रदान करना, स्थापित करना, समर्थन, रखरखाव, नियंत्रण एवं उनका प्रबंधन करना है। भारत सरकार संगठन को पूर्णतः वित्तपोषित करता है।

कई वर्षों में, 31.12.2020 के अनुसार विदेश के तीन केवी (काठमांडू, मॉस्को, तेहरान) सहित केन्द्रीय विद्यालयों की

संख्या तेजी से बढ़कर 1245 हो गई। दोहरी पाली में चल रहे 1245 केवी में से 114 केवी पूर्वोत्तर में संचालनरत हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों की व्यापक विशेषताएँ

उपरोक्त लक्ष्यों के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्यालय प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएँ और मानक हैं:

1. सभी केन्द्रीय विद्यालयों के लिए साझा पाठ्यक्रम और निर्देश का द्विभाषिक (अंग्रेजी और हिन्दी) माध्यम
2. सभी केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध होते हैं।
3. सभी केंद्रीय विद्यालय सह–शिक्षा साझा स्कूल हैं।
4. त्रिभाषा शिक्षा– अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत कक्षा VI से कक्षा VIII में अनिवार्य हैं। कक्षा IX और X में अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में किसी भी दो भाषाओं को लिया जा सकता है। संस्कृत को +2 चरण में वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है।
5. एक आदर्श और उन्नत पद्धति के माध्यम से, केवीएस शैक्षणिक व्यवसाय में उत्कृष्टता बनाए रखने का प्रयास करती है।
6. कक्षा VIII तक के छात्रों, कक्षा XII तक की छात्राओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, केवीएस कर्मचारियों के बच्चे, 1962, 1965, 1971, 1999–कारगिल युद्ध (चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध) के युद्धों के दौरान मारे गए अथवा घायल अधिकारियों और सशस्त्र बलों के बच्चों पर किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क अधिभारित नहीं किया जाता है।

केवीएस प्रशासन

शिक्षा मंत्री केन्द्रीय विद्यालय संगठन और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पदेन अध्यक्ष हैं। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संयुक्त अध्यक्ष हैं। आयुक्त संगठन का कार्यकारी प्रमुख होता है। केवीएस के 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक का नेतृत्व एक उपायुक्त करता है जो क्षेत्र के सभी केंद्रीय विद्यालयों के कामकाज की निगरानी करता है। निदेशक,जो उपायुक्त के पद पर होता है, की अध्यक्षता में 5 कार्यरत ज़ेडआईईटी (जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग) हैं। केन्द्रीय विद्यालयों का नेतृत्व एक प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य ग्रेड–II द्वारा किया जाता है जो विद्यालय के कामकाज का प्रबंधन करते हैं।

1145 केवी का क्षेत्र–वार वितरण निम्नानुसार है (31.12. 2020 के अनुसार)

क्र.सं.	क्षेत्र	केवी की सं.
1	रक्षा	350
2	सिविल	748
3	उच्चतर शिक्षण संस्थान	36
4	परियोजनाएं	111
	कुल	**1245**

प्रवेश

केवी में कक्षा I में प्रवेश के लिए बुनियादी मानदंड पिछले 7 वर्षों के दौरान माता–पिता की स्थानांतरणीयता है। प्रवेश दिए जाने वाले बच्चों की अन्य श्रेणियों में गैर–स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानांतरणीय और गैर– स्थानांतरणीय कर्मचारी, राज्य सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारी और अस्थायी आबादी के वार्ड, यदि सीटें उपलब्ध हैं। आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत प्रवेश के अलावा, एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाता है। केंद्रीय विद्यालयों में (30.09. 2020 तक) कुल 1393668 छात्र, जिसमें 760927 (छात्र) और 632741 (छात्राएँ) पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन 280605 (20.13%), अनुसूचित जनजाति के छात्र 85442 (6.13%), ओबीसी छात्र 301555 (21.64%) और दिव्यांग छात्र 5032 (0.36%) शामिल हैं।

बालिका शिक्षा को सशक्त बनाना

कक्षा I से XII तक की सभी बालिकाएँ शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं। केवी में एकल बालिका के लिए प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान इस प्रकार है: (i) कक्षा I में प्रति अनुभाग 2 सीटें (ii) कक्षा VI से प्रति कक्षा 2 सीटें। ये सीटें संस्वीकृत कक्षा संख्या के अलावा अन्य सीटें हैं।

एससी/एसटी की शिक्षा

सभी केन्द्रीय विद्यालयों में नवीनतम प्रवेश के लिए 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए 7.5% सीटें आरक्षित हैं। ऐसे एससी/एसटी छात्र जिन्हें आरटीई कोटा के तहत प्रवेश दिया गया है उन्हें शुल्क के भुगतान से मुक्त किया गया है और निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफ़ार्म और यातायात प्रदान किया जाता है। सभी अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र कक्षा XII तक शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं।

दिव्यांग का शैक्षिक विकास (दिव्यांग छात्र)

दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के साथ पढ़े जाने वाले शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार नए प्रवेश के लिए कुल उपलब्ध सीटों को 3% सीट दिव्यांग (विकलांग) बच्चों के लिए क्षैतिज रूप में आरक्षित किया जा रहा है।

स्कूलों में इन बच्चों के सुविधाजनक ठहराव को सुगम बनाने के लिए सभी केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष रूप से निर्मित शौचालयों और पथ का होना अनिवार्य है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान शिक्षकों को शारीरिक और साथ ही सीखने में अक्षम छात्रों की देखभाल के लिए लगातार उन्मुख किया जा रहा है।

प्रमुख कार्यक्रम और पहल

लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं: लॉकडाउन अवधि के दौरान, सभी केवी ने ऑनलाइन शिक्षण–अधिगम शुरू कर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों की शिक्षा से संबंधित गतिविधियां जारी रहें। कक्षा I में नव प्रवेशित छात्रों के लिए कक्षाएं भी ऑनलाइन मोड में शुरू हुई।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस:

यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है। गाइड शिक्षक की देखरेख में छात्रों द्वारा किए गए इस विषय–आधारित शोध परियोजना में, प्रतिभागी (10–14 और 14–17 आयु वर्ग के छात्र) मौखिक और पोस्टर प्रस्तुतियाँ करते हैं और उनकी परियोजनाओं का मूल्यांकन उनकी मौलिकता व्यावहारिक प्रयोज्यता और लाभ के आधार पर किया जाता है।

एनसीएससी 2020 के लिए विषय था **सतत जीवन के लिए विज्ञान, जिसमें** निम्नलिखित उप–विषय थे :

- पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं
- स्वास्थ्य, आरोग्यता और स्वच्छता
- वेस्ट टू वैल्थ
- समाज, संस्कृति और आजीविका
- पारंपरिक ज्ञान प्रणाली (टीकेएस)

वर्तमान स्थिति:

- इस वर्ष कोविड–19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए, देश भर के केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ऑनलाइन मोड के माध्यम से वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में भाग लिया।
- इस वर्ष वर्चुअल मोड के माध्यम से 02.02.2021 और 03.02.2021 को आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रत्येक क्षेत्र से जूनियर से एक और वरिष्ठ समूह से 02 सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं को आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए कुल 05 परियोजनाओं का चयन किया गया है।

इन्सपाइर पुरस्कार – मानक योजना

'प्रेरणाप्रद अनुसंधान हेतु विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार' (इन्सपाइर) योजना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक है। इन्सपाइर पुरस्कार, मानक (राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और ज्ञान का संवर्धन करने वाले लाखों प्रतिभावान), एक ऐसी योजना है जिसका लक्ष्य 10–15 वर्षों के आयु समूह और 6 से 10 की कक्षाओं में अध्ययनरत स्कूल के बच्चों में सृजनात्मकता और नवाचारी भावों को बढ़ावा देना है। योजना का उद्देश्य विज्ञान उनकी सामाजिक अनुप्रयोगों में जड़ीभूत मौलिक विचारों/नवाचारों को लक्षित करना है।

वर्तमान स्थिति: सत्र 2020–21 के दौरान, पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय के 3443 छात्रों ने इंस्पायर मानक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 835 विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट नामांकित किए गए हैं, जिनकी तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। विशेष उपाय के रूप में सत्र 2017–18, 2018–19, 2019–20 के दौरान नामांकित और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग न ले पाने वाले छात्रों को जनवरी 2021 के महीने में अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। ऐसे 444 छात्रों ने इंस्पायर पोर्टल पर अपने प्रोजेक्ट अपलोड किए हैं। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन 08.02.202021 और 09.02.2021 को इंस्पायर मानक टीम द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए सर्वश्रेष्ठ 15 परियोजनाओं का चयन किया जाएगा जहां केवीएस एक राज्य के रूप में भाग लेगा।

गणितीय ओलंपियाड:

प्रत्येक वर्ष होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एक अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड आंदोलन का आयोजन करता है, जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों को उच्चतम स्तर की मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता में एक साथ लाना है। ओलंपियाड विज्ञान और गणित में करियर बनाने के लिए प्रतिभाशाली मस्तिष्कों को प्रोत्साहन प्रदान करता है और इस मंच पर उज्ज्वल छात्रों की बातचीत से विचारों के आदान–प्रदान में मदद मिलती है, जिससे भविष्य में वैज्ञानिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। आरएमओ में चयनित छात्रों को आईएनएमओ में भाग लेने का मौका मिलता है।

वर्तमान स्थिति: इस सत्र में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से गणित ओलंपियाड का आयोजन किया है, जिसमें पंजीकृत 37830 छात्रों में से 26788 छात्रों ने 30.01.2021 को परीक्षा दी थी।

अटल टिंकरिंग लैब्स:

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) नई दिल्ली, भारत सरकार ने छात्रों में रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) की स्थापना की है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में 177 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए हैं और 88 और लैब स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। अटल टिंकरिंग लैब की परिकल्पना युवा उद्यमियों को सामुदायिक समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करने के लिए, आवेदन आधारित स्व–शिक्षा के माध्यम से, स्कूल पाठ्य पुस्तकों से आगे विज्ञान को खेल–खेल में सीखने के लिए एक खेल का मैदान बनाने के रूप में की गई है।

वर्तमान स्थिति: 2020–21 के सत्र के दौरान अटल टिंकरिंग लैब गतिविधियों में शामिल छात्रों के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस समूह में छात्रों ने एआईएम–टीम द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्य के अनुसार अपने विचारों और उनके द्वारा की गई अन्य रचनात्मक टिंकरिंग गतिविधियों को पोस्ट किया।

एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी):

कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के युग्म की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों के बीच बातचीत और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। राज्य भाषा सीखने, संस्कृति, परंपराओं और संगीत, पर्यटन और व्यंजन, खेल और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने आदि के क्षेत्रों में एक सतत और संरचित सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां करते हैं। सरदार पटेल के दर्शन के मॉडल पर आधारित 'एक भारत श्रेष्ठ भारत'' छात्रों और शिक्षकों को प्रदर्शन और दृश्य कला में अपनी प्रतिभा व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। केवीएस के सभी 25 क्षेत्रों को उनके अपने राज्य और एक देश से अलग राज्य के साथ जोड़ा गया है। छात्र उन्हें आवंटित राज्य और देश की संस्कृति, रीति–रिवाज, पोशाक, कृषि, उद्योग, अर्थव्यवस्था, जलवायु और स्थलाकृति आदि पर परियोजनाएं/प्रदर्शन तैयार करते हैं। इससे उन्हें युग्मित राज्यों और देशों की कला और संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है और इस प्रकार उन्हें विभिन्न संस्कृतियों के प्रति आपसी सम्मान को आत्मसात करने में मदद मिलती है। छात्र विभिन्न स्तरों – विद्यालय/क्लस्टर और क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा करते हैं।

वर्तमान स्थिति: छात्रों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियां की जा रही हैं:

1. भागीदार राज्य की संस्कृति, इतिहास और परंपरा पर वेबिनार
2. भाषा संगम – छात्र प्रतिपक्ष राज्य की भाषा में 100 वाक्य बोलते, लिखते और प्रदर्शित करते हैं
3. भागीदार राज्य की भाषा में समान कहावतों का पहचान अनुवाद
4. भाषा सीखो अभियान
5. शपथ (स्वच्छता/प्लास्टिक का एकल उपयोग/भागीदार राज्य की भाषा में जल बचाओ)
6. टाकिंग (भागीदार राज्यों से संबंधित समाचार)
7. भागीदार राज्य के छात्रों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग
8. कहानी सुनाना (लोकगीत और राज्य के प्रमुख लेखकों की कहानियाँ आवंटित)
9. लोक नृत्य (प्रतिपक्ष राज्य का)
10. प्रश्नोत्तरी (प्रतिपक्ष राज्य के बारे में व्यापक ज्ञान से संबंधित)
11. एकल गीत (समकक्ष राज्य का लोक गीत)
12. राज्य परियोजना नोटबुक (साझेदार राज्य पर)
13. ई–समाचार पत्र (की गई गतिविधियों पर)
14. ऑन द स्पॉट पेंटिंग (त्यौहार/ऐतिहासिक आयोजन, समकक्ष राज्य की कोई अन्य विशेषता।
15. 2019–20 सत्र के दौरान छात्रों ने युग्मित राज्यों का दौरा किया।

प्रत्येक माह ऑनलाइन मोड के माध्यम से लगभग 6 लाख छात्रों ने सत्र के दौरान आयोजित गतिविधियों में भाग लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 833545 छात्रों और 52152 शिक्षकों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।

जागृत नागरिक कार्यक्रम:

रामकृष्ण मिशन की एक पहल, जागृत नागरिक कार्यक्रम (एसीपी) शिक्षकों को अपने भीतर और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले छात्रों में मौजूद अनंत क्षमता को प्रकट करने के लिए सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उच्च प्राथमिक और माध्यमिक छात्रों के लिए 3 वर्षीय ग्रेडेड कार्यक्रम है (वर्ष–1: मूल्यों की खोज, वर्ष–2: मूल्यों का गहरा होना और वर्ष–3: सक्रिय रूप से मूल्यों का अभ्यास करना)। वर्ष 2016–17 में केवीएस के 400 स्कूलों में शुरू किया गया यह मिशन सभी केंद्रीय विद्यालयों में शुरू कर दिया गया है। प्रबुद्ध और परिकल्पित कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को प्रबुद्ध नागरिकों में बदलने के लिए चरित्र और मानवीय मूल्यों की क्षमता का विकास करना है। रामकृष्ण मिशन, कार्यक्रम के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करता है। ये प्रशिक्षण देश भर के सभी 25 क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं।

वर्तमान स्थिति: रामकृष्ण मिशन द्वारा अप्रैल और मई के महीने में कक्षाओं के संचालन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद, ऑनलाइन कक्षाओं के साथ–साथ ऑनलाइन सत्र भी शुरू किया गया।

नागरिकता एक 'विषय' नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है। भारत के भावी नागरिकों को उन सिद्धांतों और लोकाचारों के बारे में जागरूक करने के लिए जिन पर हमारा महान राष्ट्र कार्य करता है और उन्हें न केवल उनके अधिकारों के बारे में बल्कि उनके देश के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रति वर्ष उपयुक्त तरीके से संविधान दिवस मनाता है।

वर्तमान स्थिति: रामकृष्ण मिशन द्वारा अप्रैल और मई के महीने में कक्षाओं के संचालन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद, ऑनलाइन कक्षाओं के साथ–साथ ऑनलाइन सत्र भी शुरू किया गया।

नागरिकता एक 'विषय' नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है। भारत के भावी नागरिकों को उन सिद्धांतों और लोकाचारों के बारे में जागरूक करने के लिए जिन पर हमारा महान राष्ट्र कार्य करता है और उन्हें न केवल उनके अधिकारों के बारे में बल्कि उनके देश के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रति वर्ष उपयुक्त तरीके से संविधान दिवस मनाता है।

वर्तमान स्थिति: इस वर्ष महामारी के कारण विद्यालय बंद होने के बावजूद, संविधान को अपनाने के लिए देश भर के सभी विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से विभिन्न गतिविधियाँ की गई।

महात्मा गांधी के समारोहों की 150वीं जयंती मनाना

देश ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाई, जिन्होंने राष्ट्र को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया और अहिंसा, शांति, सत्य और न्याय के अपने दर्शन के माध्यम से अमरता प्राप्त की।

वर्तमान स्थिति: देश भर के केंद्रीय विद्यालयों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से गतिविधियों के कैलेंडर में उल्लिखित विषयगत गतिविधियों को शुरू किया। तदनुसार महात्मा गांधी पर पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध लेखन और फिल्मों की स्क्रीनिंग जैसी गतिविधियां शुरू की गईं। छात्रों ने महात्मा गांधी पर मूल्यों और आदर्शों पर केंद्रित वेबिनार में भाग लिया, महात्मा के आदर्शों जैसे कि सत्यता, अहिंसा, श्रम की गरिमा आदि को आत्मसात करने के लिए महात्मा गांधी के उद्धरणों को पढ़ा और राष्ट्रपिता के जीवन से उपाख्यानों का वर्णन किया। गतिविधियों में 4.5 लाख छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। संचालित की गई गतिविधियों के वीडियो और तस्वीरें मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रैकर लिंक पर नियमित रूप से अपलोड किए जाते थे।

भाषा संगम:

भाषा संगम हमारे देश की भाषाओं की अनूठी स्वर समता का प्रतीक है और एक भारत के लिए साझा सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। भाषा संगम की पहल भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं में छात्रों को बहुभाषी अनुभव प्रदान करना है।

वर्तमान स्थिति : हमारे देश की अनूठी विशेषताओं का जश्न मनाने के लिए, केंद्रीय विद्यालयों ने छात्रों के बीच भाषाई सहिष्णुता और सम्मान बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है। देश भर के केन्द्रीय विद्यालयों के लगभग 575185 छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया।

नमामि गंगे क्वेस्ट (स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन):

जल शक्ति मंत्रालय ने अपने प्रमुख कार्यक्रम–नमामि गंगे के तहत गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प के चल रहे मिशन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं और छात्रों को शामिल करने के लिए गंगा प्रश्नोत्तरी के अपने दूसरे संस्करण की घोषणा की।

वर्तमान स्थिति : कार्यक्रम में देश भर के केंद्रीय विद्यालयों के 372953 छात्रों ने भाग लिया और पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र जीते। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा प्रत्येक माह विभिन्न जल संबंधी विषयों पर संवाद और सूचना साझा करने को बढ़ावा देने के लिए आयोजित जल वार्ता व्याख्यान श्रृंखला में भी छात्रों ने भाग लिया।

एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध: भारत के प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर पर्यावरण और प्लास्टिक से होने वाले स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए राष्ट्र से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया।

वर्तमान स्थिति : छात्रों के बीच जागरूकता लाने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग न करने और प्लास्टिक मुक्त परिसरों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। इसमें 663725 छात्रों ने भाग लिया।

कला उत्सव: कला उत्सव देश में स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन करके शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय के शिक्षा विभाग की एक पहल है।

वर्तमान स्थिति: सत्र 2020–21 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों ने 11.01.2021 से 22.01.2021 तक एनसीईआरटी द्वारा आयोजित कला उत्सव प्रतियोगिता में भाग लिया। केवीएस ने एनसीईआरटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों के अंतिम चयन के लिए नवंबर के महीने में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन– हर घर जल:

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केन्द्रीय विद्यालयों में पीने, शौचालय और हाथ धोने के लिए पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की पहल की। दीर्घकालीन आधार पर नल कनेक्शनों की कार्यप्रणाली तथा केन्द्रीय विद्यालयों में इसके नियमित संचालन एवं अनुरक्षण की व्यवस्थाओं का मानचित्रण किया गया। फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीकेएस) का उपयोग करके और पानी की गुणवत्ता परीक्षण के लिए रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का उपयोग करके स्कूल स्तर पर नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की निगरानी और पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

वर्तमान स्थिति : स्कूलों में नल के पानी की उपलब्धता के लिए देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों की मैपिंग की गई। 1239 विद्यालयों में से 1231 विद्यालयों में नगर निगम के जल कनेक्शन की सुविधा है। 09 विद्यालय बोरवेल के माध्यम से आपूर्ति किए गए नल के पानी का उपयोग कर रहे हैं, जबकि शेष 03 विद्यालय अस्थायी उपाय के रूप में पानी के टैंकर के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करा रहे हैं।

एक छात्र–एक पेड़ अभियान : केवीएस वन रक्षति रक्षतः में दृढ़ विश्वास रखता है और इसलिए देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में जुलाई–अगस्त के महीने में वृक्षारोपण का आयोजन किया जाता है।

वर्तमान स्थिति : 25 क्षेत्रों के केन्द्रीय विद्यालयों में लगाए गए कुल पौधे 644641 हैं।

कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाः कोविड–19 के प्रति सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पर सभी हितधारकों को सुग्राही बनाने के लिए विद्यालयों को व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए गए। मंत्रालय से प्राप्त आईईसी सामग्री पोस्टर/पेंटिंग/एनीमेशन फिल्मों को सभी विद्यालयों में आगे प्रसार के लिए सभी क्षेत्रों में प्रसारित किया गया था। 12.6 लाख से अधिक छात्र और 19 लाख हितधारक तक पहुंच बनाई जा चुकी हैं। कोविड –19 के लिए एहतियात के तौर पर पालन किए जाने वाले सामाजिक मानदंडों को संप्रेषित करने के लिए अब तक 37,000 शिक्षकों ने विशेष पीटीए बैठकें की हैं और लगभग 42,000 शिक्षकों ने अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में भी कोविड –19 प्रस्तुति को एकीकृत किया है।

प्रकृति

वनों और पर्यावरण के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के साथ आईसीएफआरई के 14 अनुसंधान संस्थानों और केंद्रों को जोड़ने के लिए 15 अक्टूबर 2018 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस कार्यक्रम को प्रकृति नाम दिया गया है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से केवीएस के छात्रों/शिक्षकों को पर्यावरण, वन, पर्यावरण सेवाओं और वानिकी अनुसंधान के समकालीन क्षेत्रों पर व्याख्यान और आईसीएफआरई संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। केवीएस स्कूलों के छात्रों/शिक्षकों के प्रत्यक्ष अनुभवों के लिए आईसीएफआरई संस्थान की प्रयोगशालाओं और क्षेत्रीय प्रयोगों के दौरे की व्यवस्था की जा रही है। अब तक प्रकृति कार्यक्रम में कुल 3202 (तीन हजार दो सौ दो मात्र) विद्यार्थियों/शिक्षकों ने भाग लिया है। वर्तमान में, यह कार्यक्रम केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 06 क्षेत्रों यानी चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ, वाराणसी, गुरुग्राम और दिल्ली में लागू किया गया है।

जिज्ञासा

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नई दिल्ली के बीच 06 जुलाई 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम को जिज्ञासा नाम दिया गया है। अभी तक कुल 1, 05,457 (एक लाख पांच हजार चार सौ पचहत्तर) छात्रों/शिक्षकों ने जिज्ञासा कार्यक्रम में भाग लिया है।

जिज्ञासा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- सीएसआईआर संस्थानों को स्कूली छात्रों के साथ जोड़ना ताकि युवा मस्तिष्क में 'वैज्ञानिक प्रवृत्ति' विकसित हो सके।
- वैज्ञानिक मनोवृत्ति बनाना एक ऐसा तंत्र है जिसमें छात्रों की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है जिसमें प्रश्न करना, भौतिक वास्तविकता का अवलोकन करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, विश्लेषण करना और संचार करना शामिल है।
- यह छात्रों के वैज्ञानिक लब्धि को विकसित करने में सहायता करेगा।
- केवीएस सीएसआईआर के साथ केंद्रीय विद्यालयों के साथ 37 केंद्रीय प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए सहयोग कर रहा है ताकि जिज्ञासा और अनुसंधान की भावना पैदा हो सके।

<u>शैक्षिक प्रदर्शन</u>

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं में पिछले 5 वर्षों के दौरान केवी का प्रदर्शन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

कक्षा	2016	2017	2018	2019	2020
केवीएस	98.92	99.74	95.94	99.47	99.23
कुल (सीबीएसई)	96.21	90.95	86.7	91.10	91.46
कक्षा XII					
केवीएस	95.46	95.86	97.78	98.54	98.62
कुल (सीबीएसई)	83.05	82.02	83.01	83.40	88.72

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक बार फिर दसवीं कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया है और बारहवीं कक्षा में केवी का उत्तीर्ण प्रतिशत सर्वकालिक उच्च है और शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में सभी संस्थानों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

आईसीटी सुविधाएं

केन्द्रीय विद्यालय संगठन गति स्थापित करने वाला संगठन है और इसने देश में विभिन्न ऑडियो/वीडियो उपकरण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के अनुप्रयोग सहित स्कूली शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

ई–कक्षाएं – वर्ष 2014–15 से 890 केंद्रीय विद्यालयों में कुल 12395 ई–कक्षाओं की स्थापना की गई है। 12395 ई–कक्षाओं में से 5684 (ओएनजीसी द्वारा प्रायोजित 384 सहित) ई–कक्षाएं ऐप्पल आई–पैड, स्ट्रीमिंग डिवाइस और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से सुसज्जित हैं और शेष ई–कक्षाएं इंटरएक्टिव बोर्ड, इंटरएक्टिव पैड, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, विज़ुअलाइज़र और डेस्कटॉप कंप्यूटर से सुसज्जित हैं।

डिजिटल भाषा प्रयोगशाला– छात्रों के स्व–शिक्षण गति से संचार कौशल को बढ़ाने के लिए कुल 376 डिजिटल भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। डिजिटल भाषा लैब व्यापक और इंटरैक्टिव डिजिटल सामग्री के लिए मंच है, जो सुनने और बोलने के कौशल की पूर्ति करता है, एक उत्तेजक प्रयोगशाला वातावरण में उपयोग किया जाता है। यह चार कौशलों को पूरा करता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यह सुविधा प्रदान करता है जो छात्र को मॉडल उच्चारण सुनने, दोहराने और रिकॉर्ड करने, उनके प्रदर्शन को सुनने और मॉडल के साथ तुलना करने और आत्म–मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। यह डिजिटल भाषा लैब अंग्रेजी भाषा में किसी के भाषण के अभ्यास और मूल्यांकन के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है।

ई–प्रज्ञा – ई–सामग्री के साथ पहले से लोड किए गए टच–टैबलेट जैसे उपकरणों के साथ अधिकतम सीमा तक ज्ञान का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक वाले छात्रों को सशक्त बनाने के लिए छात्रों को तेजी से सीखने, बनाए रखने और प्रभावी ढंग से और कुशलता से व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। टैबलेट संवर्धन करता है–

- छात्रों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने का बुनियादी कौशल प्राप्त करने के लिए

- विषय सामग्री का सुदृढीकरण
- किसी भी समय और किसी भी स्थान पर सीखना
- सहपाठी अधिगम, अपनी गति से गतिविधि आधारित अधिगम, आनंद पूर्ण अधिगम, छात्रों के बीच फ्लिप अधिगम
- शिक्षकों को ऑनलाइन असाइनमेंट देने और डिजिटल रूप से छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने में सुविधा प्रदान करता है।
- शिक्षक व्यक्तिगत छात्रों के स्तर के अनुसार शिक्षण–अधिगम कार्यक्रम को अनुकूलित कर सकते हैं।

प्रायोगिक परियोजना (ई–प्रज्ञा) में शैक्षणिक वर्ष 2017–18 में ई–सामग्री के साथ पहले से लोड 6447 टच–टैबलेट प्राप्त किए गए हैं और कक्षा–आठवीं के छात्रों और 25 केंद्रीय विद्यालयों (प्रत्येक क्षेत्र में एक) के शिक्षकों के बीच वितरित किए गए हैं। ये छात्र अभी ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं।

छात्रों, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। माता–पिता के साथ सूचनात्मक सत्र आयोजित किया गया है।

विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण:

उच्च क्रम और प्रौद्योगिकी संचालित प्रयोगों के लिए एक्सपोजर प्रदान करके वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच रुचि पैदा करने की एक पहल। 928 केन्द्रीय विद्यालयों की मौजूदा विज्ञान प्रयोगशालाओं का चार चरणों में आधुनिकीकरण किया गया है।

चरण I में कवर किए गए केंद्रीय विद्यालयों की संख्या	:	211
चरण II में कवर किए गए केंद्रीय विद्यालयों की संख्या	:	200
चरण III में कवर किए गए केंद्रीय विद्यालयों की संख्या	:	363
चरण IV में कवर किए गए केंद्रीय विद्यालयों की संख्या	:	154
		928

ई–ऑफिस– ई–ऑफिस को केवीएस (मुख्यालय) में ई–गवर्नेंस परियोजना के तहत एनआईसी ई–ऑफिस के माध्यम से लागू किया गया है जिसका उद्देश्य है:

- सरकारी कार्यालयों में कागज रहित वातावरण की स्थापना करना।
- मौजूदा मैनुअल, कागज चालित प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ़्लो में बदलना।
- विभिन्न सेवाओं और अनुप्रयोगों के लिए उपयोगकर्ता जानकारी का संगठन स्तर सामान्य भंडार
- पारदर्शिता बढ़ाएँ।
- अंतर/सरकारी सूचना साझाकरण को बढ़ावा देना।
- डेटा सुरक्षा और डेटा अखंडता का आश्वासन दें।
- स्थानीय भाषा के लिए यूनिकोड शिकायत समर्थन।
- सभी 04 फाइल, नॉलेज, लीव और टूर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर दिया गया है।
- अब ई–ऑफिस की ई–लीव और टूर मैनेजमेंट सेवाओं को क्षेत्रीय कार्यालयों और (जेडआईटी) तक बढ़ा दिया गया है।

ऑनलाइन प्रवेश – शैक्षणिक सत्र 2016–17 से देशभर में कक्षा एक की प्रवेश प्रक्रिया क्लाउड आधारित साफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। सत्र 2020–2021 में पहली कक्षा की एक लाख से अधिक सीटों के लिए 664899 पंजीकरण किए गए और हितधारकों के लिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, प्रभावी और परेशानी मुक्त बनाना बनाया गया।

30.09.2020 तक केवीएस में आईसीटी अवसंरचना

क्र.सं.	मद	संख्या
1	कार्यात्मक केवी की कुल संख्या	1245
2	केवी में उपलब्ध कुल कंप्यूटरों की संख्या	87,596
3	केवी में छात्रों की कुल संख्या	13,88,899
4	छात्र–कंप्यूटर अनुपात	16:1
5	कंप्यूटर लैब वाले केवी की संख्या	1215 (98%)
6	इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले केवी की संख्या	1219 (98%)
7	ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी वाले केवी की संख्या	1160 (93%)
8	केवी की संख्या जिनकी अपनी वेबसाइट है	1239 (99%)

खेल में उपलब्धियां और गतिविधियां

केवीएस ने फिट इंडिया मूवमेंट की सभी गतिविधियों को ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया

फिट इंडिया मूवमेंटः— फिट इंडिया मूवमेंट प्रोजेक्ट को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 29.08.2019 को शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया। छात्रों और कर्मचारियों ने फिट इंडिया मिशन के दिशा—निर्देशों का पालन करते हुए फिट इंडिया मूवमेंट के सभी कार्यक्रमों में भाग लिया।

फिट इंडिया ऑनलाइन खेल प्रश्नोत्तरी और राष्ट्रीय योग प्रश्नोत्तरीः—— देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन खेल प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। सभी 25 क्षेत्रों में राष्ट्रीय योग प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई और इस प्रतियोगिता में लगभग 167306 छात्रों ने भाग लिया।

29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के ऑनलाइन समारोह का आयोजनः हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, भारत के महान हॉकी खिलाड़ी, के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। केवीएस ने सभी केंद्रीय विद्यालयों में ऑनलाइन राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह 2020 का आयोजन उचित तरीके से किया ताकि छात्र/कर्मचारी/प्राचार्य/अभिभावक इसमें शामिल हों। कार्यक्रम में निम्नलिखित मद शामिल थे जो विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से एक ही दिन में अधिकतम दो घंटे के लिए आयोजित किए गए थे।

फिट इंडिया फ्रीडम रन— 45 दिनों तक चलने वाला फिट इंडिया रन 02—10—2020 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, केवीएस (मुख्यालय) स्टाफ सहित छात्रों और कर्मचारियों ने फिट इंडिया फ्रीडम रन/ वॉक में भाग लिया। कुल 161943 प्रतिभागियों ने 13138037.39 किलोमीटर की कुल दूरी को 45 दिनों के कार्यक्रम में 1.80 किलोमीटर प्रति दिन के औसत से पार किया।

फिट इंडिया प्लॉग रन— फिट इंडिया फ्रीडम रन की निरंतरता में फिट इंडिया प्लॉग रन 2 अक्टूबर 2020 को वस्तुतः सभी केवी छात्रों और कर्मचारियों (2 किलोमीटर की दूरी) द्वारा घरों के पास आयोजित किया गया।

ई—खेलो पाठशालाः— सभी विद्यालय 'ई—खेलो पाठशाला' के माध्यम से पंजीकृत हैं जो कि खेलो इंडिया की योजना है। कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे देश में खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल के व्यापक आधार और सभी उत्साही और परामर्श इच्छुक पी.ई. शिक्षकों को स्तर आधारित बहु खेल प्रशिक्षण प्रदान करना था। साई एलएनसीपीई त्रिवेंद्रम द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में केविएस के सभी पी.ई. शिक्षकों ने भाग लिया।

मैंगलोर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनारः शारीरिक शिक्षा विभाग, मैंगलोर विश्वविद्यालय द्वारा 28—10—2020 (प्रथम चरण) को पोषण और स्वास्थ्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में सभी टीजीटी (पी और एचई), इच्छुक शिक्षक और छात्र शामिल हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां वेबिनार के पैनलिस्ट थे और दूसरा चरण 04—11—20 को निर्धारित किया गया है जो 29—10—2020 को भी पंजीकृत है।

फिट इंडिया स्कूल वीक सेलिब्रेशन

केविएस ने फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम का दूसरा संस्करण सभी केन्द्रीय विद्यालयों में दिसंबर 2020 में 09/12/2020 से 11/12/2020 और 13/12/2020 से 16/12/2020 तक दो चरणों में 6 दिनों के लिए आयोजित किया गया है।

छात्रों की सह—भागिता का विवरण (क्षेत्रवार)

क्षेत्र	9/12/2020		10/12/2020		11/12/2020		14/12/2020		15/12/2020		16/12/2020	
	केवि की कुल संख्या	छात्रों की कुल संख्या	केवि की कुल संख्या	छात्रों की कुल संख्या	केवि की कुल संख्या	छात्रों की कुल संख्या	केवि की कुल संख्या	छात्रों की कुल संख्या	केवि की कुल संख्या	छात्रों की कुल संख्या	केवि की कुल संख्या	छात्रों की कुल संख्या
25 क्षेत्र	1284	738059	1282	602818	1277	469393	1280	329614	1279	661516	1278	373971

"शारीरिक शिक्षा शिक्षक और सामुदायिक कोच कार्यक्रम (बैच –4)" का 21 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 से 22 दिसंबर 2020 तक साई, एलएनसीपीई, त्रिवेंद्रम द्वारा आयोजित किया गया। लगभग 1600 टीजीटी (पीएचई) और अन्य शिक्षकों (प्रत्येक केवी से एक पीईटी और एक अन्य शिक्षक) ने पंजीकरण किया है और सुबह और शाम दो सत्रों में वर्चुअली भाग लिया है।

केविएस में प्रशिक्षण कार्यक्रम

केविएस अपने सभी श्रेणी के शिक्षकों का ज्ञान, कार्यप्रणाली और नवीन प्रथाओं को अद्यतन करने के लिए क्षमता निर्माण पर उचित जोर देता है। एक गति स्थापित करने वाला और सक्रिय संगठन होने के नाते, केविएस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को अपनाने और लागू करने में हमेशा अग्रणी रहा है। इस प्रकार, कोविड –19 महामारी संकट जैसी स्थिति में इसने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जल्दी से संशोधित और अनुकूलित किया, जो शुरू में ऑफ़लाइन मोड से केवल ऑनलाइन मोड में किए गए थे।

22 दिनों का सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सभी पीजीटी, टीजीटी (एई, पीएच और ई, डब्ल्यूई और लिब को छोड़कर) और पीआरटी (पीआरटी म्यूजिक को छोड़कर) के लिए 12 और 10 दिनों के दो चरणों में आयोजित किए जाते हैं) जो शिक्षकों के करियर की प्रगति के लिए अनिवार्य हैं, ज़ेडआईईटी और आईआईटी गांधीनगर द्वारा सफलतापूर्वक ऑनलाइन आयोजित किए गए। इन पाठ्यक्रमों के दौरान शिक्षकों को विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों के उपयोग, विभिन्न ई–संसाधनों के विकास और उपयोग, ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग और उन्हें कैसे अपलोड करें, ऑनलाइन छात्रों का आकलन कैसे करें आदि के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

ई–संसाधनों के डिजाइन और उपयोग जैसे विषयों पर विभिन्न ऑनलाइन कार्यशालाएं, कक्षा कक्ष लेनदेन के लिए ऑनलाइन एफओएसएसई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शिक्षकों को प्रशिक्षण, गणित और ईवीएस में योग्यता–आधारित अधिगम, कक्षा–1 में नव प्रवेशित छात्रों को संभालने के लिए एचएम और पीआरटी को संवेदनशील बनाना, एफएलएन आदि पर पीआरटी का संवेदीकरण आदि शिक्षकों के लिए आयोजित किए गए।

महामारी के दौरान शिक्षण–अधिगम जारी रखने की विभिन्न संभावनाओं पर संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक वेबिनार श्रृंखला आयोजित की गई। इसके अलावा, ऑनलाइन कक्षाओं के लिए शिक्षकों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई।

सत्र 2020–21 में 31.12.2020 तक ऑनलाइन आयोजित पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं की संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	श्रेणी	पाठ्यक्रम/ कार्यशालाओं की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	शिक्षकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम	56	2362
2.	कार्यशाला की संख्या (ज़ेडआईईटी)	104	8438
3.	अल्पकालिक पाठ्यक्रमों (आरओ) की संख्या	291	40500
4.	निष्ठा कार्यक्रम	1	33228

मार्गदर्शन और परामर्श

केन्द्रीय विद्यालय अनुबंध के आधार पर परामर्शदाताओं को नियुक्त करते हैं और जिन शिक्षकों ने एनसीईआरटी और आरआईई से मार्गदर्शन और परामर्श में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अपने उन शिक्षकों की सेवाओं का भी उपयोग करते हैं, ताकि बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में मदद की जा सके और समय–समय पर उनके सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक मुद्दों से निपटने में उनकी सहायता की जा सके। परामर्शदाता छात्रों के शैक्षिक और करियर विकल्प के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। केविएस ने वर्ष 2020 के लिए एनसीईआरटी के मार्गदर्शन और परामर्श में डिप्लोमा कोर्स के लिए केवीएस के 31 शिक्षकों को भी प्रायोजित किया है।

केविएस में छात्रावास सुविधाएं

9 केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रावास की सुविधा है और विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	केवि का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय	31–12–2020 के अनुसार छात्रावास की कुल क्षमता		31–12–2020 तक छात्रावास में छात्र नामांकन	राज्य
			लड़के	लड़कियाँ		
1.	कमला नेहरू नगर गाजियाबाद (लड़के)	आगरा	120	-	25	उत्तर प्रदेश
2.	लैंसडाउन (लड़के)	देहरादून	100	-	54	उत्तराखंड
3.	जवाहरनगर (लड़के)	पटना	96	-	शून्य	बिहार
4.	सं–1 दिल्ली कैंट (लड़कियां)	दिल्ली	-	72	21	दिल्ली
5.	झज्जर (लड़के)	गुरुग्राम	50	-	शून्य	हरियाणा
6.	सं–1 ग्वालियर (लड़कियां)	भोपाल	-	50	24	मध्य प्रदेश
7.	एएससी केंद्र (दक्षिण) बैंगलोर (लड़कियां)	बैंगलोर	-	48	शून्य	कर्नाटक
8.	पचमढ़ी (लड़के)	भोपाल	50	-	29	मध्य प्रदेश
9.	सिधी, जिला– सिधी मध्य प्रदेश (लड़कियां)	जबलपुर	50	-	17	मध्य प्रदेश

वित्त

केविएस पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। केविएस को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा 2016–17 तक गैर–योजना और योजना शीर्षों के तहत स्वीकृत बजट और इसके बाद केविएस को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के तहत स्वीकृत बजट निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	गैर योजना	योजना
2014-2015	2501.15	742.00
2015-2016	2403.47	875.00
2016-2017	2884.54	1102.71

	राजस्व	पूंजी
2017-18	4323.01	674.24
2018-19	4775.40	231.35
2019-20	4868.10	143.90
2020-21	6162.68	275.00

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय

84975 (44647 लड़के और 40328 लड़कियां) के नामांकन के साथ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम राज्य सहित) में 114 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 114 केवी में से 66 सिविल में हैं, 22 रक्षा में हैं, 17 परियोजना क्षेत्र में हैं और 09 उच्च शिक्षा संस्थानों में हैं।

2019–20 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सीबीएसई की कक्षा X और XII में उत्तीर्ण प्रतिशतः

राज्य	कक्षा X	कक्षा XII
अरुणाचल प्रदेश	97.75	94.69
असम	99.21	98.74
मणिपुर	99.48	100
मेघालय	99.67	99.31
मिज़ोरम	100	95.52
नगालैंड	100	94.89
सिक्किम	98.25	98.55
त्रिपुरा	100	98.62

केविएस द्वारा सिक्किम सहित एनईआर में स्थित केंद्रीय विद्यालयों के लिए जारी निधियों की स्थिति निम्नानुसार है:–

रुपये करोड़ में

वर्ष	योजना	गैर–योजना
2014-2015	रु. 47.03	रु. 126.59
2015-2016	रु. 87.50	रु. 130.13
2016-2017	रु. 110.20	रु. 165.52
	राजस्व	पूंजी
2017-18	113.44	80.29
2018-19	127.89	23.45
2019-20	416.35	13.32
2020-21	42.47	1.00

*31.12.2020 तक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण (एनसीईआरटी) के परिषद:

स्कूली शिक्षा में एक सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय के रूप में एनसीईआरटी के शिक्षा पर पुनर्विचार, भूमिका में राष्ट्रीय और साथ ही देश भर में विभिन्न संस्कृति की अभिव्यक्ति को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया शुरू की। आम आदमी के लिए, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन का पर्याय है। दरअसल एनसीईआरटी ने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं पर स्कूली बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों की कई पीढ़ियों का निर्माण किया है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 के आधार पर नवीनतम पाठ्यपुस्तकें हैं। फिर भी, इसके नाम के अनुरूप, एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र पर काम कर रहा है जैसे स्कूली शिक्षा में अनुसंधान, अभिनव पूर्व–सेवा और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना या राज्य स्तर के शिक्षा संगठनों जैसे एससीईआरटी, डीआईईटी आदि का हर संभव तरीके से समन्वय करना।

देश की प्रमुख गतिविधियाँ

सीखने के परिणाम

स्कूलों में सीखने की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से, शिक्षकों को सीखने के कौशल का अधिक सटीक रूप से पता लगाने और बिना किसी देरी के सुधारात्मक कदम उठाने में सक्षम बनाने और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित सभी छात्रों को प्रभावी अधिगम अवसर प्रदान करने के लिए, एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के सभी तीन चरण – प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक चरण के लिए लर्निंग आउटकम (एलओ) विकसित किया है। "प्रारंभिक चरण में सीखने के परिणाम" और माध्यमिक चरण के लिए सीखने के परिणामों के साथ निरंतरता बनाते हुए निम्नलिखित पाठय क्षेत्रों के लिए उच्चतर माध्यमिक चरण के लिए अधिगम परिणामों को विकसित किया गया है और बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए उनकी समीक्षा की गयी है।

- भाषाएँ (अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू), गणित, विज्ञान (जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी), मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान
- सामाजिक विज्ञान (अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान), मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, वाणिज्य (लेखा और व्यवसाय अध्ययन)
- ललित कला: दृश्य कला – चित्रकारी और संगीत, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा।

हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए ड्राफ्ट लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट को एनसीईआरटी वेबसाइट में

अपलोड किया गया है। 18 विषय क्षेत्रों में विकसित किए गए लर्निंग आउटकम को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ आगे के सुझावों और प्रतिक्रिया के लिए भी साझा किया गया है। एनसीईआरटी द्वारा विकसित कक्षा 9 वीं और 10 वीं के लिए लर्निंग आउटकम का प्रसार ऑनलाइन मोड के माध्यम से पाँच क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करते हुए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है।

लर्निंग आउटकम और अतिरिक्त संसाधनों के आधार पर ग्राफिक्स / पोस्टर / प्रस्तुतियाँ, मूल्यांकन के लिए प्रश्न विकसित किए गए हैं। कक्षा एक से बारहवीं के लिए लर्निंग आउटकम आधारित – वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर (एएसी) विकसित किया गया था। यह कैलेंडर सीखने के परिणामों पर केंद्रित है, इसलिए विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू विभिन्न चरणों के पाठ्यक्रम को कवर करता है। इसमें तनाव और चिंता को कम करने के तरीके और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के तरीके भी शामिल हैं। इसमें शारीरिक और योग गतिविधियों के साथ–साथ कला संबंधी गतिविधियाँ भी शामिल हैं। यह सुझावपरक है और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रासंगिकता के लिए दिशानिर्देश और उसकी संभावनाएं प्रदान करता है।

पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 के अनुसरण के रूप में, एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य शुरू किया है। एनईपी, 2020 के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 28 क्षेत्रों की आधारपत्र विकसित करने के लिए पहचान की गई है।

स्कूली शिक्षा (एनसीएफएसई) पर नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने हेतु स्थिति पत्र विकसित करने के लिए विचार–विमर्श किए जा रहे हैं। इनमें से 12 पोजिशन पेपर्स सीधे पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र से संबंधित हैं, छह पोजिशन पेपर्स क्रॉस–कटिंग थीम से संबंधित हैं, और 10 पोजिशन पेपर्स एनईपी, 2020 में विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। सभी में, आंतरिक संकाय सदस्यों के साथ एनसीईआरटी में 28 वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है और परिषद द्वारा 25 कार्यकारी पत्रों को तैयार किया जा रहा है और समीक्षा की जा रही है। यह उन कार्यनीतियों पर केंद्रित है जो राष्ट्रीय नीति, शिक्षा, 2020 द्वारा लागू किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं और उसके लिए कार्यान्वयन के तरीके भी प्रदान करती हैं।

एनसीईआरटी ने वर्ष के दौरान कक्षा XI के लिए नई पाठ्यपुस्तकों – जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर विज्ञान और इन्फ्रॉमेटिक्स प्रेक्टिस और कक्षा XII के लिए ललित कला को प्रस्तुत किया है।

तमन्ना– ट्राई एंड मेयर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबलिटिज

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने संयुक्त रूप से एक अभिरूचि शैक्षिक परीक्षा विकसित की है, जिसे शैक्षिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित विकल्प चुनने के साथ–साथ कैरियर निर्णय में छात्रों की सहायता करने के लिए "तमन्ना" कहा जाता है। परीक्षण छात्रों की विशिष्ट क्षमताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो शैक्षिक और कैरियर विकल्प चुनने में मदद करेगा। यह एप्टीट्यूड टेस्ट सात आयामों को शामिल करता है: लैंग्वेज एप्टीट्यूड (एलए), अमूर्त एबस्ट्रेक्ट रीजनिंग (एआर), वर्बल रीजनिंग (वीआर), मैकेनिकल रीजनिंग (एमआर), न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड (एनए), स्पेसियल एप्टीट्यूड (एसए), परसेप्टिकल एप्टीट्यूड (पीए)। वेबसाइट पर तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट और वीडियो की सॉफ्ट कॉपी (पीडीएफ) उपलब्ध हैं।

परीक्षण में शामिल हैं:

I. टेस्ट बुकलेट जिसमें सात आयामों से संबंधित आइटम हैं।

II. अंक प्राप्त करने और परीक्षण स्कोर को समझने और प्रचालन के लिए शिक्षकों और माता–पिता के लिए गाइड।

III. तकनीकी मैनुअल परीक्षण संरचना और मानकीकरण का विवरण प्रदान करता है।

IV. एप्टीट्यूड टेस्ट के विभिन्न पहलुओं के साथ स्कूल प्रिंसिपलों और शिक्षकों को परिचित करने के लिए दो वीडियो भी तैयार किए गए हैं।

एक सहयोगी कार्य के रूप में, सीबीएसई द्वारा एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रारंभिक प्रयोग देश के विभिन्न हिस्सों में अपने संबद्ध स्कूलों के माध्यम से कक्षा IX और X में पढ़ने वाले 17,500 छात्रों पर किया गया।

छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को यह ध्यान रखना होगा कि योग्यता परीक्षा छात्रों की क्षमता से संबंधित जानकारी प्रदान करती है और इस परीक्षा में कोई उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नहीं होता है। परीक्षा को इच्छुक छात्रों द्वारा स्वेच्छा से लिया जाना है और इसका छात्रों पर किसी भी विषय आदि को थोपने के लिए उपयोग नहीं किया जाना है।

मनोदर्पण

कोविड के प्रकोप के दौरान और उससे आगे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु, ''आत्मनिर्भर भारत अभियान'' के एक भाग के रूप में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''मनोदर्पण'' पहल शुरू की गई है।

"मनोदर्पण" पहल के तहत कार्य समूह को शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी सहायता के साथ–साथ सचिवीय सहायता, प्रदान करने के लिए 14 अक्टूबर, 2020 को एनसीईआरटी में एक सैल स्थापित किया गया। "मनोदर्पण" की विभिन्न गतिविधियों पर काम करने के लिए, तीन उप–समूह का गठन किया गया था। इन तीनों उप–समूहों की बैठक 4 दिसंबर, 2020 और 7 दिसंबर, 2020 को "मनोदर्पण" पहल के तहत विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी।

"मनोदर्पण" हेल्पलाइन से जुड़े 80 काउंसलर के दूसरे बैच का एक ओरिएंटेशन 11 दिसंबर, 2020 को आयोजित किया गया था। काउंसलर्स के लिए "मनोदर्पण" हेल्पलाइन पर कॉल करने वालों को मनो–सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश साझा किए गए थे।

15.12.2020 तक प्राप्त और कॉल करने वाले टेली काउंसल की संख्या 8,618 है। स्कूल के छात्रों, युवाओं और माता–पिता से प्राप्त कॉल का विश्लेषण जुलाई से सितंबर, 2020 तक किया गया

- मध्य और माध्यमिक चरणों में स्कूली छात्र ज्यादातर अकादमिक और करियर–संबंधी मुद्दों जैसे कि ऑनलाइन सीखने में कठिनाई, अनुचित समय प्रबंधन, अध्ययन की आदतों में सुधार के लिए कार्यनीति आदि की चिन्ता करते हैं।
- युवाओं को नियमित वेतन नहीं मिलने की चिंता, यूजी / पीजी स्तर पर अंतिम परीक्षाओं की चिंता, नौकरी अवसर प्राप्ति में अनिश्चितता और सेमेस्टर परीक्षाओं के कारण चिंता आदि होती थी।
- माता–पिता ज्यादातर अकादमिक और करियर से संबंधित मुद्दों जैसे कि एकाग्रता की कमी, स्कूलों को फिर से खोलने, व्यवहार आचरण में बदलाव, बच्चों की मनोदशा में बदलाव आदि के बारे में चिंतित थे।

छात्रों के तनाव और संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु 'सहयोग' नामक एक लाइव इंटरैक्टिव सत्र का प्रसारण किया जा रहा है। ये सत्र स्कूल

के काउंसलर्स और विशेषज्ञों द्वारा "स्वयमप्रभा" चैनल पर प्रतिदिन शाम 5.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित किए जाते हैं।

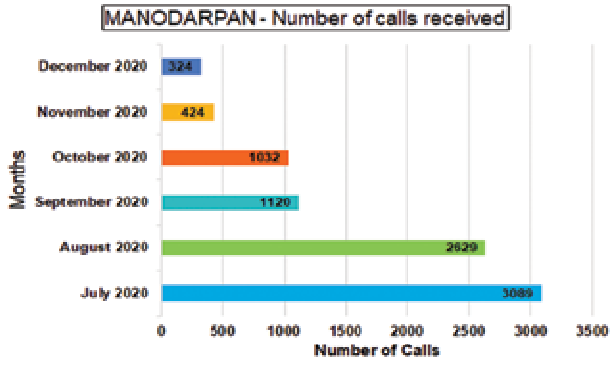

निष्ठा – नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट

निष्ठा, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण पहल, माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा 21 अगस्त, 2019 को आमने–सामने मोड में शुरू की गई थी। इसके बाद, 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कार्यक्रम को एक केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आमने–सामने मोड में शुरू किया है। 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा राज्य स्तर पर पूरा किया गया है। इसके बाद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।

निष्ठा– निष्ठा के माध्यम से, प्रथम स्तर का व्यक्तिगत प्रशिक्षण नेशनल रिसोर्स ग्रुप (एनआरजी) द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पहचाने गए की रिसोर्स पर्सन्स (केआरपी) और स्टेट रिसोर्स पर्सन्स–लीडरशिप (एसआरपी–एलएस) को प्रदान किया गया था। एनसीईआरटी द्वारा एनसीईआरटी, एनआईईपीए और केवीएस से लिए गए सदस्यों से एनआरजी का गठन और उन्मुखीकरण किया गया है। केआरपी और एसआरपी–एल ने प्रशिक्षण के कैस्केडिंग प्रभाव को कम करने के लिए ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को सीधे प्रशिक्षण प्रदान किया था। निष्ठा आमने–सामने के प्रशिक्षण के तहत, राज्य के शासित स्कूलों में काम करने वाले 23,419 एसआरजी और 17,49,893 शिक्षक और मुख्य शिक्षकों को आठ महीनों के अंतराल में 33 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से कवर किया गया था।

श्रेणी	लक्ष्य	उपलब्धि
केआरपी	27452	19408
एसआरपीएल	5490	4011
अध्यापक	3632100	1578214
स्कूल प्रमुख	349385	171679
कुल	4014427	1773312

इस तरह के प्रशिक्षण की समयबद्ध स्केलिंग करना और पहुंच अभी भी भारत जैसे विविध देश में एक चुनौती है, जहाँ भाषा, भौगोलिक स्थानों, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों आदि के कारण भारी विविधता है। बोर्ड, संबद्धता आदि के बावजूद इस अधिगम को जारी रखने और हर एकल शिक्षक छात्र, अध्यापक तक पहुँचने के लिए भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय ने इन हितधारकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बनाई है। माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 6 अक्टूबर, 2020 को शेष 24 लाख शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षण प्रदान करने और सीबीएसई, आईसीएसई, मैट्रिकुलेशन और अन्य अल्पसंख्यक स्कूल आदि जैसे विभिन्न स्कूल बोर्डों में काम करने वाले शिक्षकों तक पहुँचने के लिए ऑन–लाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है।

निष्ठा ऑनलाइन का संचालन दीक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है जो एक छोटे से मोबाइल फोन और

न्यूनतम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले व्यक्तियों के लिए भी सुलभ है। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में 14 दिसंबर, 2020 तक 27 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और 7 स्वायत्त निकायों से 21 लाख शिक्षकों, 2.8 करोड़ नामांकन और 2.3 करोड़ कोर्स पूरा करने का कवरेज है।

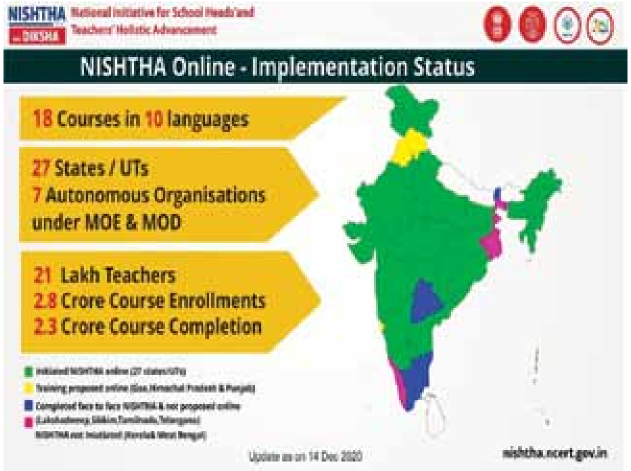

कला उत्सव

वार्षिक कला उत्सव स्कूली छात्रों के लिए सौंदर्यशास्त्र और कलात्मक अनुभवों के महत्व को मान्यता देने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) भारत सरकार की एक पहल है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी जीवंत विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। देश में स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन के माध्यम से, शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 2015 में कार्यक्रम शुरू किया गया था।

यह उत्सव छात्रों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक विविधता को समझने और उसका उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करता है। लड़कों, लड़कियों, वंचित समूहों के छात्रों और विशेष जरूरतों वाले छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से मंच साझा करना कई मौजूदा रूढ़ियों को तोड़ने में प्रणेता साबित होगा।

छात्रों को "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की भावना का अनुभव करने के लिए कला उत्सव का आयोजन छह वर्षों से लगातार किया जा रहा है ताकि उन्हें हमारी संस्कृति के वाहक के रूप में तैयार किया जा सके और "आत्मनिर्भर भारत" के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। कोविड–19 महामारी के बीच भी उत्सव की भावना कम नहीं हुई है, क्योंकि सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश केवीएस और एनवीएस आभासी प्लेटफार्मों के माध्यम से भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर का कला उत्सव 11 से 22 जनवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा और हमारे पारंपरिक खिलौने और खेल इस साल के समारोह का मुख्य आकर्षण होंगे।

पीएम ई–विद्या

''आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम'' के एक हिस्से के रूप में, समानता के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए पीएम ई–विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो मल्टी–मोड के उपयोग को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन / ऑन–एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है। यह कार्यक्रम चार प्रमुख शीर्षकों के तहत बच्चों के लिए अधिगम की डिजिटल विधा को लागू करता है जो इस प्रकार हैं:–

1. दीक्षा– स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच
2. पीएम ई–विद्या के लिए एक कक्षा, एक चैनल– 2 चैनल
3. रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का उपयोग
4. दिव्यांगों के लिए डिजिटल शिक्षा

इस तरीके से, इस कार्यक्रम का उद्देश्य टीवी, रेडियो, पॉडकास्ट और दीक्षा अधिगम संसाधनों की सुसंगत पहुँच स्थापित करना है। सांकेतिक भाषा के वीडियो भी विकसित और प्रसारित किए जाते हैं। सभी 12 डीटीएच टीवी चैनलों का ट्रायल रन 1 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। इसमें एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक आधारित अध्याय–आधारित वीडियो संसाधनों को 1–12 कक्षा के लिए कवर किया गया है। इन वीडियो में क्यूआर कोड्स हैं जो किसी भी डिवाइस के जरिए स्कैन किए जा सकते हैं और स्पष्टीकरण सामग्री और अन्य संसाधनों तक पहुंचने के लिए दीक्षा ऐप तक पहुंचा सकते हैं। यह कभी भी, कहीं

भी इन संसाधनों का सुसंगत तरीके से उपयोग सुनिश्चित करता है। दीक्षा पर कवरेज की स्थिति नीचे दी गई है:

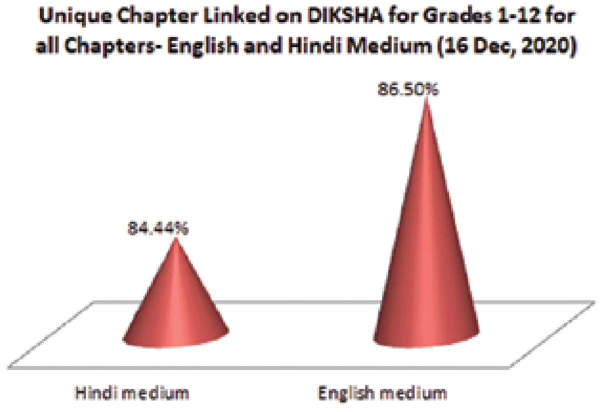

कोविड–19 महामारी के दौरान, देश भर में 12 ज्ञानवाणी एफएम रेडियो स्टेशनों, 65 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) और आई–रेडियो और पॉडकास्ट के माध्यम से बड़ी संख्या में शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

विविधिता में एकता को बढ़ावा देना – ईबीएसबी

राष्ट्रीय एकता की भावना को मनाने के लिए "एक भारत श्रेष्ठ भारत" कार्यक्रम शुरू किया गया। भाषासंगम, "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के तहत बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की एक पहल हमारे देश की भाषाओं की अद्वितीय स्वर समता का प्रतीक है और एक भारत के लिए हमारे साझा सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। भाषासंगम पहल के तहत, स्कूली छात्रों को भारत के संविधान की अनुसूची–VIII की सभी 22 भाषाओं से परिचित कराया गया और भाषाई सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ाया गया और छात्रों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया गया। इन संसाधनों के दिशानिर्देश और विवरण के साथ एक पुस्तिका epathshala.gov.in और mhrd.gov.in/bhashasangam वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई थी।

सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और सात स्वायत्त निकायों अर्थात् केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई, सीआईएससीई, सीटीएसए, सैनिक स्कूलों और एईईएस ने इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया है और 1,35,414 वीडियो रिकॉर्डिंग देश भर के स्कूलों द्वारा साझा की गई हैं।

विविधता में एकता को बढ़ावा देने के संदर्भ में–"एक भारत श्रेष्ठ भारत", एनसीईआरटी ने लगभग 100 छोटे संवाद विकसित किए हैं जो आमतौर पर विभिन्न संदर्भों में उपयोग किए जाते हैं और इन्हें संविधान की अनुसूची VIII की 22 भारतीय भाषाओं में अनूदित किया गया है।

विज्ञान प्रदर्शनियाँ

देश के बच्चों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने, लोकप्रिय बनाने और विकसित करने की दृष्टि से, एनसीईआरटी हर साल एक राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करता है जिसमें बच्चे विज्ञान और गणित में अपनी प्रतिभा और हमारे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करते हैं।

कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों की व्यापक सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, एनसीईआरटी दो चरणों में प्रदर्शनी का आयोजन करता है। पहले चरण को राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण बाल प्रदर्शनी (एसएलएसएमईई) के रूप में जाना जाता है, जो जिले से लेकर राज्य स्तर तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संगठन में आयोजित की जाती है। इसके बाद राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र/संगठन अपनी चयनित प्रविष्टियों को राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए एनसीईआरटी के विचारार्थ भेजते हैं – जो प्रदर्शनी का दूसरा चरण है।

एनसीईआरटी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देशों के साथ–साथ उत्प्रेरक अनुदान प्रदान करता है। विभाग हर साल समसामयिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सलाहकार समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझाव के अनुसार विज्ञान प्रदर्शनी के विषय और उपविषय को बदलता रहता है।

निरंतर सुधार के उद्देश्य से स्थल पर राष्ट्रीय प्रदर्शनी के दौरान हितधारक समन्वयकों की एक बैठक आयोजित की जाती है। यह मंच सभी सदस्यों को कार्यक्रम का आयोजन करने में आई कठिनाइयों और अगले वर्ष के कार्यक्रम में कार्यान्वयन के लिए सुधार आदि संबंधी सुझावों पर बातचीत करने और चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। एसएलएसएमईई–2020–21 और जेएनएनएसएमईई–2021 का विषय प्रौद्योगिकी और खिलौने है।

आर्यभट गणित चुनौती (एजीसी)

वर्ष 2019 में छात्रों के बीच गणितीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आर्यभट्ट गणित चैलेंज (एजीसी) शुरू किया गया। देश भर में अधिकतम छात्रों तक पहुंचने के लिए, 12 नवंबर 2020 से 19 नवंबर 2020 के दौरान दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्यभट्ट गणित चैलेंज का आयोजन किया गया था। किसी भी बोर्ड के 8वीं से 10वीं कक्षा तक के छात्र इस चुनौती में भाग लेने हेतु पात्र थे।

छात्र दीक्षा प्लेटफॉर्म पर "आर्यभट्ट गणित चैलेंज – 2020" पाठ्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने श्रीनिवास रामनजुन, जो भारत के महान गणितज्ञों में से एक हैं, पर बीजगणित और पठन सामग्री पर एक मजेदार वीडियो देखा। इसके अतिरिक्त, छात्र आर्यभटगणित चुनौती – 2020 में भाग लेने से पहले वास्तविक जीवन के संदर्भ की समस्याओं का उत्तर देने में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आर्यभट्ट गणित अभ्यास सेट देख सकते हैं। इस कार्यकलाप की मुख्य विशेषता इस प्रकार है:

42 मिलियनः कोर्स होम पेज पेज व्यू

1.8 मिलियनः कुल कंटैंट प्लेज़

4.8 लाखः कुल एजीसी 2020 क्विज प्लेज़

2.5 लाखः पाठ्यक्रम के लिए कुल यूनिक नामांकन

1.8 लाखः कम से कम एक मॉड्यूल पूरा करने वाले छात्रों की यूनिक संख्या

वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर

कोविड 19– महामारी की स्थिति, जो अचानक मार्च, 2020 से शुरू हुई, के कारण छात्र और शिक्षक सुरक्षित रहने के लिए घर पर रहने को मजबूर हो गए। सभी बच्चों को, शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने माता–पिता की भागीदारी के साथ सुखद अधिगम दृष्टिकोण बनाए रखने के वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करके घर पर स्कूली शिक्षा प्रदान करने के मद्देनजर– एनसीईआरटी चार चरणों– प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर लेकर आया है। यह कैलेंडर अधिगम परिणामों पर केंद्रित है, इसलिए विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में लागू विभिन्न चरणों के पाठ्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें तनाव और चिंता को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के तरीके शामिल हैं। इसमें शारीरिक और योग गतिविधियों के साथ–साथ कला संबंधी गतिविधियां भी शामिल हैं। यह एक सुझाव स्वरूप में है और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने के लिए दिशानिर्देश और गुंजाइश प्रदान करता है। एनसीईआरटी अप्रैल, 2020 से डीटीएच स्वयंप्रभा चैनल पर प्रमुख रूप से वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर प्रतिदिन सभी चरणों के लिए इंटरैक्टिव कक्षाएं संचालित कर रहा है।

शिक्षक पर्व

शिक्षक पर्व का आयोजन एनईपी, 2020 के उचित और समय पर कार्यान्वयन के उद्देश्य से किया गया। इस पर्व में इसे प्रतिदिन वर्चुअल सत्र आयोजित किए गए थे जो एनसीईआरटी संकाय द्वारा प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कि प्रौद्योगिकी का उपयोग, समावेश और इक्विटी, व्यावसायिक शिक्षा,

आदि पर दिए गए थे। शिक्षक पर्व के भाग के रूप में, 10 और 11 सितंबर 2020 'एनईपी, 2020 के तहत 21 वीं सदी में स्कूल शिक्षा' पर दो दिवसीय लंबे कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव की माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोभा बढ़ाई। उन्होने एनईपी, 2020 पर अपने विचार साझा किए और सभी हितधारकों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय शामराव धोत्रे ने भी श्रोताओं को संबोधित किया। कॉन्क्लेव के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव सुश्री अनीता करवाल ने एनईपी, 2020 की कार्यान्वयन योजना सहित अपने विचार साझा किए। शिक्षक पर्व का समापन एनसीईआरटी के निदेशक प्रो. हृषिकेश सेनापति और श्री विपिन कुमार, संयुक्त सचिव, समन्वय द्वारा किया गया। परिषद ने दो प्रकाशन निकालेः (क) एनईपी, 2020 के तहत 21 वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर कॉन्क्लेव और (ख) शिक्षक पर्व 2020 के दौरान एनसीईआरटी के सत्र।

व्यावसायिक योजना

पीएसएस केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, एनसीईआरटी की एक घटक इकाई को परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), समग्र शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एनएसक्यूएफ के तहत वर्ष 2020–21 के लिए 18 क्षेत्रों में 52 जॉब रोल्स के लिए छात्रों की पाठ्यपुस्तकों के विकास का प्रमुख कार्य सौंपा गया है। इस संदर्भ में, संस्थान ने जॉब रोल्स के अनुसार 2 वर्षों के लिए 152 व्यावसायिक पाठ्यचर्या और 19 क्षेत्रों में 38 पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित कीं (1. कृषि, 2. परिधान, मेडअप और होम फर्निशिंग, 3. मोटर वाहन 4. सौंदर्य और कल्याण, 5. बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, 6. निर्माण, 7. इलेक्ट्रॉनिक्स, 8. खाद्य प्रसंस्करण, 9. स्वास्थ्य देखभाल, 10. आईटी–आईटीईएस, 11. खुदरा, 12. शारीरिक शिक्षा और खेल, 13. प्लम्बिंग, 14. पावर, 15 .निजी सुरक्षा, 16. दूरसंचार, 17. पर्यटन और आतिथ्य, 18. परिवहन, रसद और भंडारण, 19. मीडिया और मनोरंजन)। पाठ्यपुस्तकों को ई–पाठशाला और संस्थान की वेबसाइट www.psscive.ac.in सहित एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसके अलावा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा बनाने की योजना के कार्यान्वयन पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जनवरी, 2021 के दौरान एक राष्ट्रीय परामर्श और दो क्षेत्रीय परामर्श बैठक–सह–कार्यशालाएं निर्धारित की गई हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान, संस्थान ने अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के लिए मूल्यांकन और आकलन के लिए और जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सहायक सौंदर्य चिकित्सक, स्टोर संचालन सहायक, सोलेनेशियस क्रॉप कल्टीवेटर और ग्रीन स्किल्स के जॉब रोल्स पर व्यावसायिक शिक्षकों के लिए और व्यावसायिक शिक्षाशास्त्र और नियोजनीयता कौशल पर मास्टर प्रशिक्षक तैयार करने के लिए वर्चुअल मोड में 13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और इसके लिए 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

इसके अलावा, संस्थान ने तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गोवा, तेलंगाना, आदि राज्यों के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए प्रधानाचार्यों और अन्य हितधारकों के लिए नौ उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 2000 से अधिक प्राचार्यों, एडीपीसी, डीईओ और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। संस्थान ने छठी से आठवीं कक्षा के लिए पूर्व–व्यावसायिक शिक्षा के लिए दिशा–निर्देश और निष्ठा कार्यक्रम के लिए स्कूल नेतृत्व कार्यक्रम के तहत पूर्व–व्यावसायिक शिक्षा पर एक मॉड्यूल विकसित किया। संस्थान ऑनलाइन मोड में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिप्लोमा चला रहा है। संस्थान ने अपने परिसर में खुदरा, यात्रा और पर्यटन, बैंकिंग और वित्त, गृह विज्ञान, ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और कृषि से संबंधित व्यवसायों / जॉब रोल्स के लिए व्यावसायिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की।

राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह –2020

जल के विवेकपूर्ण उपयोग और कार्बन उत्सर्जन में कमी के महत्व पर विचार करते हुए परिषद ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ ए.पी.जे अब्दुल कलाम की स्मृति में 15 से 21 अक्टूबर 2020 (अक्टूबर में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती का महीना होने के कारण) को 'राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह–2020' विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। सप्ताह के दौरान, पूरे देश से प्रत्येक ब्लॉक के तीन से पांच स्कूलों के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के सभी छात्रों ने समान रूप से एनसीईआरटी द्वारा विकसित दिशा–निर्देशों के अनुसार एक अध्ययन किया। उन्नतीस राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण

एनसीईआरटी बालिकाओं की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है और अनुसंधान अध्ययन, विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा में जेंडर समानता लाने के लिए लगातार प्रयास करता है। शिक्षा में जेंडर संबंधित के क्षेत्र में, परिषद राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (एनटीएसएस) में बालिकाओं की भागीदारी और प्रदर्शनः जेंडर अंतर विश्लेषण के दृष्टिकोण से एक स्थानिक–लौकिक अध्ययन और बालिका छात्रावास योजना की स्थितिः माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति (एससी) की बालिकाओं पर संकेन्द्रित एक खोजपूर्ण अध्ययन नामक शोध आयोजित करती है। साथ ही, 8 से 12 जुलाई 2019 तक दिल्ली में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के आकांक्षी जिलों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आयुष्मान भारत के तहत स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण पर जेंडर समानता पर मॉड्यूल का उपयोग करके विभिन्न राज्यों के राज्य संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था।

प्रारंभिक शिक्षा

कक्षा I से पहले तीन साल की प्री–स्कूल शिक्षा के लिए प्री स्कूल पाठ्यचर्या विकसित की गई है। यह पाठ्यचर्या प्री–स्कूल वर्षों की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालती है और विजन, लक्ष्य और प्रमुख उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करती है। प्री स्कूल चरण I, II और III के लिए लक्ष्यों, प्रमुख अवधारणाओं/कौशल, शैक्षणिक प्रक्रियाओं और प्रारंभिक अधिगम परिणामों को एक प्रगतिशील अर्थ में परिभाषित किया गया है। इसमें प्री–स्कूल कार्यक्रम की योजना बनाने, कक्षा संगठन और प्रबंधन, मूल्यांकन उपकरण/तकनीक, माता–पिता और समुदाय के साथ साझेदारी करने और प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को शिक्षण अधिगम में सहायता करने के तरीकों का भी सुझाव दिया गया है। प्री स्कूल शिक्षा के लिए दिशा–निर्देश पूर्व स्कूल कर्मचारियों के बुनियादी ढांचे, योग्यता और वेतन, प्रवेश प्रक्रियाओं, अभिलेखों और रजिस्टरों, निगरानी और पर्यवेक्षण, समन्वय के महत्व और एक गुणवत्ता पूर्व स्कूली कार्यक्रम चलाने के लिए समुदाय और माता–पिता के साथ तालमेल के मापदंडों की रूपरेखा तैयार करते हैं।

प्री–स्कूल से आठवीं कक्षा तक एक शिक्षक पुस्तिका और एक ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। यद्यपि ब्रिज कोर्स को आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए विकसित किया गया था, इसका उपयोग कोविड–19 महामारी से पढ़ाई में आई कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि यह प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों से जुड़ा हुआ है।

शोध अध्ययन

एनसीईआरटी ने स्कूल और शिक्षक शिक्षा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे प्री–स्कूल शिक्षा, समावेशी शिक्षा, शिक्षा में जेंडर, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा शिक्षा, आईसीटी, शैक्षिक मनोविज्ञान, आदि में शोध अध्ययन किए हैं।

परिषद ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर स्तर पर अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें छह ब्लॉकों को अपनाया गया है और शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पहल की जा रहीं हैं। अध्ययन के लिए जिन छह ब्लॉकों को अपनाया गया है, वे हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में इच्छावर, ओडिशा के खोरदा जिले में चिलका, मेघालय के री–भोई जिले में भोइरोम्बोंग,

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हुरदा और कर्नाटक के मैसूर जिले में हुनसुर। इसके अलावा, त्रिपुरा में अंबासा ब्लॉक में भी कार्य शुरू किया गया है जिसे राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

चिन्हित ब्लॉकों में, सभी प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 8), छात्रों, शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, समुदाय के सदस्यों, बीआरसी/सीआरसी समन्वयकों को अध्ययन में शामिल किया गया है। अधिगम परिणाम के आधार पर, छात्रों के अधिगम स्तर के संबंध में आधारभूत उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किया गया। अधिगम परिणामों, कला–एकीकृत शिक्षा, विषय–विशिष्ट शिक्षाशास्त्र, सामुदायिक भागीदारी आदि पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रत्येक आरआईई संकाय ने छात्रों, शिक्षकों और समुदाय के साथ व्यक्तिगत संपर्क और संवाद स्थापित करने, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को समझने और समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करने के लिए सप्ताह में एक बार स्कूलों का दौरा करने की जिम्मेदारी ली है। प्रारंभिक रिपोर्टों में ब्लॉकों में शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार और समग्र स्कूल माहौल में सकारात्मक सुधार का संकेत मिला है।

एनसीईआरटी, एससीईआरटी और आईएएसई के शैक्षणिक संकाय के लिए गुणात्मक अनुसंधान पद्धति पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 14 से 17 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया था। एनसीईआरटी डॉक्टोरल फेलोशिप योजना के तहत 2020 में दस नए डॉक्टरेट फेलो इस योजना में शामिल हुए और तीन फेलो ने अपनी पीएच.डी. पूरी कर ली है और अपनी थीसिस विभाग को सौंप दी है। एनसीईआरटी शोध एसोसिएटशिप (शिक्षाविद/शोधकर्ता पूल योजना) के अंतर्गत दो शोध एसोसिएट इस योजना के तहत काम कर रहे हैं और उनमें से प्रत्येक को 35,000/– रुपये का मासिक समेकित वेतन मिल रहा है।

सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा

अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और एनईआरआईई, उमियाम स्थित एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में नियमित सेवा पूर्व पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। (i) चार वर्षीय एकीकृत बी.एससी.बी.एड (ii) दो वर्षीय एमएससी (जीवन विज्ञान) (iii) चार वर्षीय एकीकृत बी.ए.बी.एड, (iv) दो वर्षीय बी.एड (v) दो वर्षीय एम.एड (vi) शिक्षा में एक वर्षीय एम.फिल. और (vii) शिक्षा में प्री–पीएचडी केंद्रों पर पाठ्यक्रम और मार्गदर्शन और परामर्श में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। सेवा पूर्व पाठ्यक्रम के घटकों के रूप में छात्रों के लिए बहु सांस्कृतिक नियोजन, इंटर्नशिप–इन–टीचिंग, समुदाय के साथ काम करना और फील्ड वर्क जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। आरआईई में पीएच.डी. कार्यक्रम की सुविधाएं भी हैं और आरआईई, भुवनेश्वर को शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए और प्री–पीएचडी के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी (एफएसयू) और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट फ्रांसिस (यूएसएफ), यूएसए के चार रीडिंग विशेषज्ञों के एक दल ने 6 से 10 जनवरी 2020 तक एनसीईआरटी का दौरा किया। चर्चा का मुख्य विषय पठन कौशल को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन तैयार करना और भारतीय संदर्भ में नए कार्यक्रमों की योजना बनाना था। विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मसौदा समझौता ज्ञापन को नवंबर 2020 में अंतिम रूप दिया गया।

ताइवान के चार राष्ट्रीय विशेषज्ञों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने 6–7 जनवरी 2020 को एनसीईआरटी का दौरा किया और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान देने के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा की। यह 24 से 28 जून 2019 तक एनसीईआरटी प्रतिनिधिमंडल की राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय और ताइवान में राष्ट्रीय ताइवान सामान्य विश्वविद्यालय की यात्रा का अनुवर्ती दौरा था। इन चर्चाओं और पिछले पत्राचारों के आधार पर एनसीईआरटी और स्नातक विज्ञान शिक्षा संस्थान (जीआईएसई) और राष्ट्रीय ताइवान सामान्य विश्वविद्यालय, ताइवान के बीच एक मसौदा समझौता ज्ञापन तैयार किया गया और एमओई द्वारा अनुमोदित किया गया।

सियोल, कोरिया गणराज्य में भारतीय दूतावास से कोरियाई पाठ्यपुस्तकों में भारत को पेश करने के लिए पठन सामग्री तैयार करने के अनुरोध के आधार पर, एनसीईआरटी द्वारा "इंडियाः ग्लोरियस पास्ट, डायनामिक प्रेजेंट एंड प्रॉमिसिंग फ्यूचर" नामक एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। कोरियाई पाठ्यपुस्तकों में मॉड्यूल में सामग्री को विकासशील तरीके से शामिल करने की प्रक्रिया सियोल में भारतीय दूतावास, नई दिल्ली में कोरियाई दूतावास और कोरिया गणराज्य में पाठ्यपुस्तक ब्यूरो द्वारा की जा रही है। 15 दिसंबर 2020 को एनसीईआरटी में भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए ईरान कल्चर हाउस और एनसीईआरटी के बीच बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों के निर्माण पर फोकस किया गया।

ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, मॉरीशस और कोरिया गणराज्य में एनसीईआरटी और शैक्षिक संस्थानों के बीच हस्ताक्षर किए गए और समझौता ज्ञापन गतिविधियों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, 5 नवंबर 2020 को संयुक्त कार्य समिति की चौथी बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। सहयोग के चार क्षेत्र इस प्रकार हैंः (i) पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक विकास, (ii) आईसीटी और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, (iii) व्यावसायिक शिक्षा, और (iv) विशेष आवश्यकता वाले समूहों की शिक्षा। कोरिया गणराज्य के राजदूत ने नई दिल्ली में 16 से 18 दिसंबर 2020 तक पीएसएससीआईवीई और आरआईई, भोपाल का दौरा किया, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए केआरआईवीईटी की समझौता गतिविधि और डी.एम. में उपकरणों के साथ मेक्ट्रोनिक प्रयोगशाला स्थापित करने के संबंध में था। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के भाग के रूप में, 11 अगस्त 2020 और 26 अगस्त 2020 को केआरआईवीईटी टीम, पीएसएससीआईवीई और एनआईई संकाय के साथ दो आभासी बैठकें आयोजित की गईं।

एनसीईआरटी और कर्टिन विश्वविद्यालय के बीच चल रही एमओयू गतिविधियों के एक भाग के रूप में, डीन इंटरनेशनल फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ एजुकेशन, कर्टिन यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों के लिए आरआईई, भोपाल में पांच सप्ताह की अवधि के लिए शिक्षण इंटर्नशिप का प्रस्ताव रखा। छात्रों के पहले बैच के जनवरी 2022 के मध्य में आने की संभावना है।

प्रकाशन

एनसीईआरटी स्कूल पाठ्यपुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं, सप्लीमेंटरी रीडर, शिक्षक गाइड, प्रयोगशाला मैनुअल, मूल्यांकन से संबंधित स्रोत पुस्तकों, विज्ञान और गणित में आदर्श समस्याओं, शोध रिपोर्ट/मोनोग्राफ और शैक्षिक पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य कर रहा है। राज्यों द्वारा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें अपने राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक कार्यक्रम के तहत स्वतंत्र रूप से अपनाई जाती हैं। इन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालयों से संबद्ध स्कूलों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और तिब्बती स्कूलों और राज्य सरकार के अनेक स्कूलों में भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।

एनसीईआरटी के प्रकाशन विभाग द्वारा एनसीएफ़–2005 के आधार पर, कक्षा I से XII के लिए आवश्यक पाठ्यपुस्तकें (अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू संस्करणों में) निकाली गई हैं और संबंधित क्षेत्रीय प्रकाशन–सह–वितरण केंद्रों (आरपीडीसी) से थोक एजेंटों (992 संख्या) के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से देश भर में उपलब्ध कराई गई हैं। कक्षा I से XII तक की पाठ्यपुस्तकें श्री अरबिंदो मार्ग स्थित एनसीईआरटी बिक्री काउंटरों, राज्यों में स्थित आरपीडीसी के बिक्री काउंटरों और अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में स्थित आरआईई पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी के उर्दू प्रकाशन उर्दू अकादमी, एनसीटी दिल्ली सरकार के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। एनसीईआरटी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑर्डरों पर डाक द्वारा व्यक्तिगत और संस्थागत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। एनसीईआरटी अपने आउटलेट के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए और देश के विभिन्न हिस्सों में फैले बड़ी संख्या में विक्रेताओं को शामिल करके अपने नेटवर्क को व्यापक बनाने का प्रयास कर रहा है। एक वेब पोर्टल (www.ncertbooks.ncert.gov.in) विकसित किया गया है जहां संबंधित स्कूल और विक्रेता अपनी आवश्यकताओं को पंजीकृत कर सकते हैं और उन्हें रियायती दरों पर पुस्तकों की आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाएगी। इससे एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों तक पहुंच आसान हो जाएगी। इसके अलावा, एनसीईआरटी की सभी पाठ्यपुस्तकें एनसीईआरटी की वेबसाइट www.ncert.

nic.in पर तत्काल डाउनलोड करने और उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए I–XII से विभिन्न कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू माध्यम में अपनाने/रूपांतरित करने के लिए 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कॉपीराइट की अनुमति दी है। परिषद अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में विभिन्न एनसीईआरटी प्रकाशनों की लगभग छह करोड़ प्रतियां प्रकाशित करती है जिसमें पाठ्यपुस्तकें, पूरक पठन सामग्री, शिक्षकों की हस्तपुस्तिकाएँ, मूल्यांकन स्रोत पुस्तकें, शोध रिपोर्ट और छह शैक्षिक पत्रिकाएं आदि शामिल हैं। इसके अलावा, परिषद द्वारा इस अवधि में 651 प्रकाशन निकाले गए थे। एनसीईआरटी ने नियमित पाठ्यपुस्तकों और अन्य सामग्री के अलावा निम्नलिखित 30 नए शीर्षक निकाले हैं जैसे शिक्षक पर्व 2020 के दौरान एनसीईआरटी के सत्रों पर एक रिपोर्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 21 वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर कॉन्क्लेव रिपोर्ट, भारत की ज्ञान परंपराएं और पद्धतियाँ, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कक्षा XI, मूल्यांकन और आकलन 2 वर्षीय बी.एड. के लिए पाठ्यपुस्तक आदि।

दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा पर अध्याय

परिषद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) और सामाजिक रूप से वंचित समूहों, जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यकों से संबंधित बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। सभी के लिए समावेशी शिक्षा प्रणाली का कार्यान्वयन प्रणालीगत सुधारों के लिए विशेष रूप से सामाजिक रूप से वंचितों और दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में अधिक महत्व रखता है।

परिषद द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए इस क्षेत्र में अनेक समयबद्ध परियोजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए। विभिन्न विषयों/क्षेत्रों में बच्चों में प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए और विभिन्न तौर–तरीकों और सहायक संसाधनों के माध्यम से बच्चों को स्कूलों, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों में उनकी प्रतिभा को निखारने के अवसर प्रदान करने के लिए, परिषद ने प्रतिभाशाली और मेधावी बच्चों का पोषण: एक मार्गदर्शक रूपरेखा नामक दिशानिर्देश तैयार किए हैं। परीक्षा के विशिष्ट साधनों, शिक्षकों और अभिभावकों की रिपोर्ट आदि के अनुप्रयोग के अलावा ओलंपियाड और प्रतियोगिताओं को इस मार्गदर्शक रूपरेखा में प्रतिभाओं की पहचान के लिए महत्वपूर्ण कार्यनीतियों एक इकाई के रूप में शामिल किया गया है।

परिषद ने ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल शिक्षा के प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर, दोनों के लिए 'पाठ्यचर्या, शिक्षार्थी–केंद्रित शिक्षाशास्त्र, अधिगम परिणाम और समावेशी शिक्षा' मॉड्यूल हेतु ई–सामग्री तैयार की है। प्रारंभिक शिक्षकों के क्षमता निर्माण के मॉड्यूल को ऑनलाइन प्रशिक्षण मोड के लिए संशोधित किया गया है और माध्यमिक स्तर के लिए मॉड्यूल तैयार किया गया है और इसे ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए अद्यतन किया गया है। इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों का वर्णन करना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास, आशयित, प्राप्त और मूल्यांकित पाठ्यक्रम के कार्य और उनके बीच संबंध, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–2005 के परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करना और पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकों में इसको रूपांतरित करना, रचनात्मक समावेशी कक्षा कक्षों के लिए समावेशी शिक्षा और कार्यनीतियों की प्रचुर समझ विकसित करना, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में शामिल करने के लिए शिक्षकों के मौजूदा कौशल को सुदृढ़ करना और कोविड–19 जैसी असाधारण परिस्थितियों में पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा से संबंधित सरोकारों और मुद्दों का समाधान करने पर विचार करना शामिल है।

परिषद ने 'समान और समावेशी शिक्षा–सभी के लिए शिक्षा' पर वर्किंग पेपर का मसौदा तैयार किया है जिसमें विभिन्न सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) जैसे सामाजिक–सांस्कृतिक पहचानों के बच्चों, दिव्यांग बच्चों, विविध भौगोलिक पहचानों से संबंधित बच्चों, कमजोर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों वाले बच्चों, अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान वाले बच्चों आदि जैसे बच्चों के शैक्षिक सरोकारों पर विचार किया गया है। इस पेपर में सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील नीति लाने तथा शिक्षा में कार्यक्रम संबंधी परिवर्तन लाने लिए से समानता और न्याय से संबंधित मुद्दे उठाए गए हैं और स्कूलों में

न्यायसंगत प्रावधानों, पाठ्यक्रम में सुधारों, शिक्षाशास्त्र में संशोधन, पढ़ाने और संवाद करने का माध्यम, शिक्षक शिक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को मजबूत बनाने और एसईडीजी से संबंधित बच्चों के शैक्षिक मुद्दों की अधिक गहन समझ के लिए शैक्षिक अनुसंधान के संबंध में विशिष्ट सिफारिशों का सुझाव दिया गया है।

मौजूदा शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य विकारों के कारण दिव्यांग बच्चों की शिक्षा : केस स्टडी नामक एक शोध अध्ययन किया गया था जिसका उद्देश्य बच्चों में विकलांगता पैदा करने वाले दीर्घकालिक स्वास्थ्य विकारों (एमएस, एचए टीएचएएल, एससीडी) की प्रकृति और गंभीरता का पता लगाना था। अध्ययन से पता चला कि अपने उपचार में जाने के कारण सीएचआई वाले बच्चे काफी सारी स्कूल शिक्षा खो रहे थे और इन विकारों की जटिलताओं से जूझ रहे थे। सीएचआई वाले बच्चों पर ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने में स्कूल के शिक्षकों को सहायता की आवश्यकता होती है।

बच्चों को शिक्षा में शामिल करने के लिए शिक्षक की आस्था, सहयोगात्मक प्रयासों और शिक्षण विधियों के महत्व को समझते हुए, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र के स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर स्कूलों की समावेशिता पर केस स्टडी का आयोजन किया गया। अध्ययन से पता चला है कि समावेशन वास्तविकता से काफी दूर है और वर्तमान में समावेश बेतरतीब ढंग से किया जा रहा है। यदि समावेशन को गंभीरता से कार्यान्वित किया जाना है तो बेहतर योजना, हितधारकों के बीच बेहतर बातचीत, बेहतर संसाधन, सेवा पूर्व और सेवा काल के दौरान दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण और स्कूलों की सहायता करने के लिए प्रशासन की सार्थक प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

समावेशी कक्षा कक्षों में दीर्घकालिक स्वास्थ्य विकारों वाले बच्चों की शिक्षा पर शिक्षकों के लिए एक हैंडबुक तैयार की जा रही है ताकि निःशक्तजन के अधिकार अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट विभिन्न दीर्घकालिक स्वास्थ्य विकारों (विकलांगता पैदा करने वाले) वाले बच्चों की शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके और समावेशी कक्षा कक्षों में सीएचआई वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की क्षमताओं को मजबूत किया जा सके।

परिषद द्वारा एसएमसी सदस्यों की भूमिका और दायित्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए "शिक्षा में समाधानः विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए संदर्शिका" (इंकलुशन इन एजुकेशनः ए मैनुअल ऑन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी) नामक एक मैनुअल हिंदी में प्रकाशित किया गया है। यह मैनुअल विभिन्न अपवंचित समूहों से संबंधित बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों और सरोकारों पर बल दे रहा है। इसमें स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल पूर्व शिक्षा, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, सामाजिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों की शिक्षा, जेंडर और बालिकाओं की शिक्षा, स्कूल में किशोर शिक्षार्थी, आपदा, संघर्ष और विद्यालयी शिक्षा पर आठ अध्याय हैं। इस मैनुअल का अंग्रेजी संस्करण "इंकलुशन इन एजुकेशनः ए मैनुअल ऑन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी" का प्रकाशन कार्य चल रहा है।

"बरखाः ए रीडिंग सीरीज़ फॉर 'ऑल" के काम को आगे बढ़ाते हुए, एनसीईआरटी और एनआईएसई सुलभ पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रहे हैं। भारतीय कहानियों, कविताओं और ऑडियो ट्रैक के सांकेतिक भाषा वीडियो सहित समावेशी कक्षाओं के लिए विकसित मॉड्यूल की सामग्री को वर्चुअल मोड में 5 नवंबर 2020 को आयोजित चौथी जेडब्ल्यूसी बैठक के प्रतिभागियों के साथ साझा किया गया। एनआईएसई के प्रतिनिधियों ने चयनित कोरियाई कहानियों के सारांश भी साझा किए, जिन्हें सामूहिक मॉड्यूल के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही, परिषद नगालैंड में एससीईआरटी और डाइट संकाय के साथ नियमित स्कूलों में अधिगम अक्षमता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चों को शामिल करने पर एक प्रशिक्षण पैकेज विकसित कर रही है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

सीबीएसई, भौगोलिक प्रसार के अर्थ में भारत का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और इसे सुलभ, वहनीय और समान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीबीएसई के कार्य

- माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक और अन्य ऐसी परीक्षाओं, जैसाकि केन्द्र सरकार द्वारा विनिश्चित या सुपुर्द किया जाता है, का आयोजन करना
- स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों को तैयार करना
- भारत और बाहर में बोर्ड द्वारा परीक्षाओं के आयोजन के लिए ऐसे स्कूलों को संबद्धता प्रदान करना
- शिक्षकों का सतत कार्य विकास करना और बाल–केन्द्रित शिक्षा के विकास और संवर्द्धन के लिए कार्यकलाप/प्रशिक्षण आयोजन करना

सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय

देश भर में बोर्ड के 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों और परीक्षाओं के संचालन और विभिन्न संबद्ध स्कूलों की निगरानी से संबंधित मामलों को सुविधाजनक बनाते हैं।

संबद्धता

बोर्ड का भारत और विदेशों में स्कूलों का व्यापक नेटवर्क है।

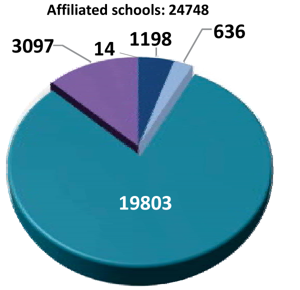

01 मार्च, 2021 से सीबीएसई संबद्ध प्रणाली को पुनः संरचित करना – एनईपी 2020 के अनुरूप और डीपीआईआईटी के अनुरूप पूर्ण रूप से संबद्धता प्रक्रिया को फिर से जोड़ा जा रहा है। **इसका फोकस निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:**

- न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन का लक्ष्य,
- कम्प्लाइंस को कम करना,
- डाटा संचालित निर्णय को सक्षम करना
- पारदर्शिता प्राप्त करना,
- डाटा अतिरेक से बचना,
- एकल स्रोत के माध्यम से डाटा संग्रह और विश्लेषण
- सभी आवेदन के त्वरित और समयबद्ध निपटान को प्राप्त करना।

संबद्धता की विभिन्न श्रेणियों के तहत आवेदन करने की समय सीमा को 2021 से संशोधित किया जाएगा और आवेदन अब 01.03.2021 से प्राप्त किए जाएंगे और पूरे वर्ष जारी रहेंगे।

क्र.सं.	मानदंड	टिप्पणियां
1.	**स्व–प्रमाणन की विश्वसनीयता**	आवेदन स्कूल द्वारा प्रस्तुत प्रणाली जनित स्व–प्रमाणन के आधार पर संसाधित किया जाएगा
2.	**निरीक्षण समिति की जवाबदेही**	निरीक्षण समिति की जवाबदेही निरीक्षण करने से मना करने, तथ्यों की गलत व्याख्या, कदाचार, निर्धारित तिथि पर निरीक्षण का संचालन न करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी करना के आधार पर तय की जानी चाहिए,
3.	**मैनुअल हस्तक्षेप को कम करना**	संबद्धता के लिए आवेदन की प्रक्रिया मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने पर ध्यान देने के साथ ऑनलाइन समाप्त हो जाएगी।
4.	**डाटा संचालित जांच**	आवेदन/रिपोर्ट के प्रसंस्करण में मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने के लिए स्कूल द्वारा अपलोड किए गए डाटा/दस्तावेजों/सूचनाओं के आधार पर आवेदन को डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

क्र.सं.	मानदंड	टिप्पणियां
5.	**कुछ श्रेणियों में शुल्क में कमी**	मौजूदा एप्लिकेशन फीस को कुछ श्रेणियों में मौजूदा फीस का 25% कम किया गया है।
6.	**संबद्धता की कुछ श्रेणियों के लिए निरीक्षण की वापसी**	बोर्ड ने कुछ श्रेणियों के लिए स्कूल के निरीक्षण के प्रावधान को वापस ले लिया है। अनिवार्य दस्तावेजों/ डाटा/जानकारी के साथ आवेदन जमा करने के बाद स्कूल को स्वतः अनुमोदन/अनुमति मिल जाएगी।
7.	**आभासी निरीक्षण की शुरूआत**	निर्णय लेने के लिए समय कम करने के लिए मौजूदा स्कूलों के संबंध में आवेदन की कुछ श्रेणियों के लिए आभासी निरीक्षण का प्रावधान शुरू किया गया है।
8.	**संबद्धता के लिए आवेदन प्राप्त होने की अवधि**	विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन जमा करने का लिंक एक टाइम स्लॉट के बजाय एक वर्ष में तीन बार चालू होगा।
9.	**संबद्धता की अवधि**	स्कूल को दी गई प्रारंभिक संबद्धता/उन्नयन की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। **ओएएसआईएस**– सीबीएसई विभिन्न शैक्षणिक, परीक्षा और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन संबद्धता स्कूल सूचना प्रणाली (ओएएसआईएस) में प्राप्त जानकारी का उपयोग करता है। इसलिए, संबद्ध स्कूलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संकाय, छात्रों, शैक्षणिक और अवसंरचना के बारे में प्रतिवर्ष जानकारी अपडेट करें। **वीआईओएस**– संबद्ध उप–नियमों के खंड 10.1.10 और 10.2 के तहत प्रावधान के अनुसार, बोर्ड उन स्कूलों के वास्तविक निरीक्षण के लिए निरीक्षण समिति नियुक्त करता है जो संबद्धता के उन्नयन के लिए आवेदन करते हैं। कोविड–19 स्थिति के मद्देनजर स्कूल पूरी तरह कार्यात्मक नहीं थे और ऐसे मामलों में जहां स्कूल पहले से ही बोर्ड से संबद्ध थे, 13/2020 दिनांक 20.08.2020 के परिपत्र के आलोक में 300 से अधिक स्कूलों का आभासी निरीक्षण किया गया।

परीक्षा –2020

छात्रों को सुविधाएं देने के लिए प्रयास :– सीबीएसई इसके संबद्ध स्कूलों के लिए कक्षा X और XII परीक्षा का आयोजन करता है जिसमें मार्च से जुलाई के दौरान लगभग 32 लाख छात्र शामिल हुए। बोर्ड सितंबर माह के दौरान कम्पार्टमेंट परीक्षा का भी आयोजन करता है।

वार्षिक परीक्षा 2020 का प्रास्थगन :– सीबीएसई ने 15 फरवरी से कौशल शिक्षा और संबंधित विषयों के लिए बोर्ड परीक्षा 2020 आयोजित करने का निर्णय लिया जिसमे यह सुनिश्चित किया गया कि कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश के लिए कट–ऑफ तिथि के लिए छात्रों को पुनःमूल्यांकन का परिणाम उपलब्ध कराया जा सके। इस वर्ष तिथि–पत्र को इस प्रकार बनाया गया था कि वर्ष 2019 कि तुलना में बोर्ड ने कक्षा XII परीक्षा में 5 दिन और कक्षा X परीक्षा में दो दिन की बचत की थी।

पूर्वोत्तर दिल्ली में गड़बड़ी :– तथापि, 26.02.2020 से 06.03.2020 तक फरवरी माह में सीबीएसई को पूर्वोत्तर दिल्ली के कुछ जिलों में कानून व्यवस्था समस्याओं के कारण कक्षा X में छः विषय और कक्षा ग्प् में ग्यारह विषयों में परीक्षा को निरस्त करना पड़ा।

कोविड –19 का प्रसार : सीबीएसई को कोविड के कारण कक्षा X और XII दोनों में 19 मार्च 2020 से शेष परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित करना पड़ा।

स्थगित की गई परीक्षाओं का आयोजन : सीबीएसई ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी

किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार शेष परीक्षा आयोजित करने के लिए अनेक प्रयास किए।

मूल्यांकन योजना : मूल्यांकन योजना को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसी के आधार पर परिणाम की घोषणा की गई थी।

कक्षा XII का परिणाम 13.07.2020 को घोषित किया गया था जबकी कक्षा XII का परिणाम 15.07.2020 को घोषित किया गया था।

शिक्षा में प्रतिभा संवर्धन करने के लिए विशेष परीक्षा नीति : बोर्ड ने उन छात्रों के लिए सुविधाजनक तिथि पर परीक्षाएँ आयोजित करके शिक्षा में प्रतिभा संवर्धन करने के लिए विशेष परीक्षा नीति शुरू की जिन्होने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों, बोर्ड परीक्षाओं के समय या बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के समय, में भाग लिया था।

सशस्त्र बलों, सैन्य और अर्ध सैन्य बलों के बच्चों के लिए छूट : सीबीएसई, सशस्त्र बलों, सैन्य और अर्ध सैन्य बलों के बच्चों को छूट देता है जिन्होने देश के लिए आतंकवाद और वामपंथी अतिवाद से लड़ाई की और ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए। 2020 में कक्षा XII और X के लिए शामिल होने वाले और उसी शहर या किसी और शहर में अपना परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की इच्छा रखने वाले बच्चों को ऐसा करने की अनुमति थी।

2020 में क्यूपी और मार्किंग स्कीम परिवर्तन

- प्रश्नों में अधिक आंतरिक विकल्प प्रदान करके प्रश्न पत्र प्रारूप को संशोधित किया गया था। कक्षा X और XII दोनों के लिए सभी मुख्य विषयों में आंतरिक विकल्प में लगभग 33% और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में 25% की वृद्धि हुई।
- एक ही खंड में एक ही प्रकार के अंको वाले प्रश्नों को रख कर प्रश्न पत्र डिजाइन को भी बेहतर बनाया गया। इससे छात्रों को समझने में आसानी हुई।
- बोर्ड ने आंतरिक मूल्यांकन और थ्योरी परीक्षाओं में संयुक्त उत्तीर्ण अंकों के लिए दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के मानदंड में परिवर्तन किया।
- छात्रों को बेहतर वैचारिक समझ रखने के लिए प्रोत्साहित करने और रोट–अधिगम और रोट–मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर नियंत्रण पाने में सक्षम होने के लिए, मूल्यांकनकर्ताओं के लिए मार्किंग स्कीम 2020 तैयार की गई जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला कि अंकन योजना में उल्लिखित अन्य के अलावा छात्रों को दिए गए रचनात्मक, सही और प्रासंगिक उत्तरों को प्राथमिकता दी जानी थी।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं

सुविधाओं के अंतर्गत दिव्यांगों की 21 श्रेणियों को शामिल किया गया है: –

- विषयों को चुनने में लचीलापन।
- सुविधा और प्रतिपूरक समय (प्रति घंटे 20 मिनट) की सुविधा।
- सहायक उपकरण: श्रवण यंत्र, विशेष कुर्सी आदि।
- लिखने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग।
- पाठक के प्रावधान के मामले में यदि छात्र स्क्राइब की सुविधा नहीं चाहते तो उनके लिए रीडर का प्रावधान
- अनिवार्य उपस्थिति में छूट।
- व्यावहारिक घटक के बदले अलग से प्रश्न पत्र और प्रश्न।

आउटरीच और प्रसार कार्यक्रम

- निर्देशों पर वेबकास्ट, बोर्ड परीक्षा 2020 के संचालन पर नई पहल और 20,000 से अधिक सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के मूल्यांकन की व्यवस्था की गई।
- स्कूलों, परीक्षा केंद्रों, मूल्यांकन केंद्रों को अलग से दिशा–निर्देश जारी किए गए थे।

- परीक्षाओं के सुचारू और निष्पक्ष संचालन में सहायता करने के लिए माता–पिता और छात्रों को अलग से पत्र जारी किए गए थे।
- आईवीआरएस, लाइव काउंसलिंग और ऑडियो–विजुअल प्रस्तुतियों के माध्यम से परीक्षा की चिंता से निपटने के लिए बहुस्तरीय मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराया गया था।

अन्य पहल

- 15 विषयों में डबल एन्क्रिप्टेड प्रश्न पत्र भेजे गए थे।
- सोशल मीडिया प्रमुखों के साथ नकली समाचारों और नकली साइटों की बहुत करीबी निगरानी की योजना बनाई गई थी और यूट्यूब पर हर मामले को फर्जी वीडियो अपलोड करने के लिए दर्ज किया गया था।
- परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के संचालन के बारे में, 100 से अधिक शहरों में, सभी क्षेत्रों में अनेक दौर का प्रशिक्षण हुआ।
- गतिविधियों की निगरानी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों पर केंद्र पर्यवेक्षकों के समूह बनाए गए।

सीटीईटी का 14 वां संस्करण

सीटीईटी का 14 वां संस्करण 5 जुलाई 2020 को आयोजित होने वाला था, लेकिन बड़े पैमाने पर फैले कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। यह अंततः 31 जनवरी 2021 को देश भर के परीक्षा केंद्रों पर भारत सरकार द्वारा जारी सभी अनुपालन और निर्देशों के बाद आयोजित किया गया था। सभी उम्मीदवारों को कोविड–19 दिशानिर्देश सूचित किए गए थे।

सामाजिक संतुलन बनाए रखने और अन्य कोविड–19 रोकथाम उपायों को सुनिश्चित करने के लिए, अतिरिक्त 23 शहरों में परीक्षा केंद्र व्यवस्थित किए गए थे और शहरों की संख्या तदनुसार 112 से बढ़कर 135 हो गई थी। उम्मीदवारों को असुविधा से बचने के लिए, बोर्ड ने शहर को बदलने की सुविधा दी और उनके द्वारा चुने गए शहरों के परीक्षा केंद्रों में उम्मीदवारों को समायोजित करने का हर संभव प्रयास किया गया।

सीटीईटी जनवरी 2021 परीक्षा के लिए आंकड़े	
परीक्षा तिथि	31 जनवरी 2021
पंजीकृत अभ्यर्थी	1844170
पेपर –1 (कक्षा 1 से 5 वीं) के लिए उम्मीदवार	1611423
पेपर –2 के लिए अभ्यर्थी (कक्षा 6वीं से 8 वीं तक)	1447551
दोनों पेपर के उम्मीदवार (पेपर–I और पेपर– II)	3058974
शहरों की कुल संख्या	135
शहर समन्वयकों की संख्या	146
परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या	3938
तैनात किए गए पर्यवेक्षकों की कुल संख्या	5900
तैनात किए गए बोर्ड के कुल अधिकारियों की संख्या	789

सीटीईटी परीक्षा में दो प्रश्न–पत्र होते हैं। कक्षा 1 से 5 वीं तक के लिए शिक्षक पात्रता के लिए प्रश्न–पत्र –1 जबकि पेपर – 2 कक्षा 6 वीं से 8 वीं के शिक्षकों के लिए पात्रता का पता लगाने के लिए है। निर्धारित योग्यता को पूरा करने वाले उम्मीदवार या तो या दोनों पत्रों में उपस्थित हो सकते हैं और निर्धारित 20 भाषाओं में से किसी भी दो भाषाओं को चुन सकते हैं।

सीबीएसई सभी उपस्थित उम्मीदवारों के डिजीलॉकर खाते बनाता है और खाता क्रेडेंशियल्स सीबीएसई के साथ पंजीकृत अपने मोबाइल नंबरों पर उम्मीदवारों को अवगत कराया जाता है। उम्मीदवार संचारित क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपनी डिजिटल मार्क शीट और पात्रता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

ऐसे डिजिटल प्रारूप में मार्क शीट और पात्रता प्रमाण पत्र सभी के लिए सुविधाजनक हैं, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से कहीं भी, कभी भी साझा किया जा सकता है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट में एक एन्क्रिप्टेड

क्यूआर कोड होता है, जिसे डिजीलॉकर मोबाइल ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन और सत्यापित किया जा सकता है।

आईटी अधिनियम के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षरित मार्क शीट और पात्रता प्रमाण पत्र कानूनी रूप से मान्य हैं। परीक्षा संबंधी गतिविधियों में प्रौद्योगिकी का समावेश पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बोर्ड का एक सशक्त कदम है। इन प्रयासों के साथ, बोर्ड भारी मात्रा में धन और कागज, पेड़, पानी जैसे बहुमूल्य संसाधनों को बचाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

व्यावसायिक परीक्षाएँ

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण– प्रारंभिक कार्य

पैरा 8.10 के तहत एनईपी 2020 में कहा गया है कि "समग्र प्रणाली की एक आवधिक 'स्वास्थ्य जांच' के लिए, छात्र अधिगम स्तरों का एक नमूना–आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख द्वारा किया जाएगा। अन्य सरकारी निकायों के साथ उपयुक्त सहयोग– जैसे एनसीईआरटी– जो मूल्यांकन प्रक्रियाओं के साथ–साथ डाटा विश्लेषण में भी सहायता कर सकता है। मूल्यांकन में सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों को शामिल किया जाएगा। राज्यों को अपने स्वयं के जनगणना–आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण (एसएएस) का संचालन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके परिणामों का उपयोग केवल विकास के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, उनके समग्र और अज्ञात छात्र परिणामों के स्कूलों द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण, और स्कूल के निरंतर सुधार के लिए। शिक्षा प्रणाली। प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख, एनसीईआरटी की स्थापना तक एनएएस जारी रख सकता है।

शिक्षा मंत्रालय ने इसके का.ज्ञा. एफ.सं. 19–4/2019–आईएस–8 दिनांक 18 फरवरी, 2020 के तहत संचालन समिति का गठन किया और निर्णय लिया कि एनसीईआरटी द्वारा उपकरण तैयार करना, जांच, जांच मद को अंतिम रूप देने, नमूना देने का कार्य किया जाएगा जबकि नमूना स्कूलों में एनएएस का वास्तविक प्रशासन सीबीएसई द्वारा किया जाएगा। यह उच्च स्तर की विश्वसनीयता के साथ सर्वेक्षण के परिणाम के सुचारू, केंद्रीकृत आचरण और त्वरित संकलन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

एनएएस 2020 को पहले वर्ष 2020 में आयोजन के लिए परिकल्पित किया गया था। तथापि, कोविड महामारी के रूप में, लॉकडाउन आदि के कारण प्रारंभिक कार्य शुरू नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, एनएएस 2020 को वर्ष 2021 के लिए टाल दिया गया और एनएएस के आयोजन के लिए तारीख 12 नवंबर, 2021 को पहले ही सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर, 2020 के पत्र द्वारा सूचित किया जा चुका है।

एनएएस–2021 के पूरे देश में लगभग 731 जिलों में शामिल होने की उम्मीद है। लगभग 45 लाख बच्चे इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में भाग लेंगे, जो कि सभी लक्ष्य ग्रेड III, V, VIII और X के लिए एक ही समय एक ही दिन 12 नवंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा।

कार्यों की विशालता को देखते हुए, सभी तैयारी कार्य चल रहे हैं। पीएबी ने सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों के लिए आवश्यक निधि आवंटन को मंजूरी दे दी है। एनसीईआरटी को मूल्यांकन फ्रेमवर्क, इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, जांच मदों को अंतिम रूप देने, स्कूलों की सैंपलिंग आदि की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीडीजी (सांख्यिकी) के परामर्श से एनसीईआरटी और यूनिसेफ द्वारा सैंपलिंग प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीबीएसई की व्यावसायिक परीक्षा इकाई एनएएस प्रशासन के इस हिस्से को संभाल रही है। इसने पहले से ही आवश्यक तैयारी कार्य जैसे कि जिला स्तरीय समन्वयक, पर्यवेक्षक और कस्टोडियन आदि के रूप में लोगों की पहचान शुरू कर दिया है। बोर्ड एनएएस–2021 से संबंधित डाटा प्रबंधन के लिए आवश्यक आईटी समर्थन के लिए एनआईसी के साथ भी समन्वय कर रहा है। बोर्ड विभिन्न अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के लिए प्रशिक्षण एनसीईआरटी द्वारा एसएलएमटी और अन्य के सहयोग से संचालित किया जाएगा, जिसके लिए नियत समय में विशिष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी। फील्ड जांचकर्ताओं को नियत समय पर प्रदान किए जाने

वाले तौर–तरीकों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की मशीनरी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

जेएनवी चयन परीक्षा (जेएनवीएसटी–2020) का आयोजनः

सीबीएसई एनवीएस के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के तहत के देश भर के जेएनवी में कक्षा VI में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आयोजित करता है। वर्ष 2020 में, जेएनवीएसटी परीक्षा दो चरणों में आयोजित की गई थी। पहले चरण की परीक्षा (ग्रीष्मकालीन बद्ध) 11.01.2020 को आयोजित की गई थी। दूसरा चरण (शीतकालीन बद्ध) 11.04.2020 को निर्धारित किया गया था और कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। परीक्षा फिर से रखी गई और 07.11.2020 को आयोजित की गई। आँकड़े नीचे दिए गए हैंः

ब्यौरा (07.11.2020)	चरण I (11.01.2020)	चरण II
पंजीकृत उम्मीदवार	2426732	116679
कुल लड़कियां	1120671	55060
कुल लड़के	1305887	61605
जिले	561	75
ब्लॉक	4961	463
केंद्र	8252	579
कस्टोडियन	851	153

24 फरवरी 2021 को निर्धारित कक्षा IX लेटरल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कार्यः

सीबीएसई जेएनवी में प्रवेश के लिए कक्षा IX लेटरल प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है। परीक्षा 24 फरवरी, 2021 को निर्धारित है और आंकड़ों का ब्यौरा निम्नानुसार हैंः

क.	कुल अभ्यर्थी	–	225348
ख.	कुल परीक्षा केंद्र	–	902
ग.	कुल जिले	–	611
घ.	कुल कस्टोडियन	–	601

शैक्षिक गतिविधियाँ

सहोदय स्कूल परिसरों का 26 वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन

वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय वार्षिक सहोदय सम्मेलन को 11 और 12 दिसंबर, 2020 को बैंगलोर सहोदय स्कूल परिसर द्वारा **'चुनौतीपूर्ण समय में दक्षता निर्माण'** विषय पर आयोजित किया गया था। इस वर्ष के सम्मेलन के लिए उप–विषय थेः सभी मिश्रित शिक्षण परिवेशों की उप–संरचना के रूप में प्रौद्योगिकी; सुधार के अवसरों के रूप में छात्रों की शक्ति/कमजोरियों के तालमेल का निर्माण; कला के एकीकरण के माध्यम से प्रामाणिक और सार्थक शिक्षा; मन से समावेशी होना – पुलों के निर्माण की दिशा में एक कदम; उचित कौशल का सम्मान करना जो भविष्य की तत्परता के लिए दक्षताओं का निर्माण करता है; सिर के साथ मन और हृदय के उत्पादक प्रबंधन; कक्षाओं में परिवर्तन को लागू करने के लिए एक शक्तिशाली शिक्षक संचालित उपकरण के रूप में अनुसंधान और जांच।

यह सम्मेलन भारत और विदेशों के विद्यालयों के समाज, शिक्षाविदों, प्राचार्यों और संकाय सदस्यों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का संगम था। इसने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 3800 सदस्यों की भागीदारी देखी, यूट्यूब पर 4000 से अधिक सदस्य और फेसबुक पर 5000 लोग। सम्मेलन के दौरान, प्रतिभागी वर्चुअल चैट के माध्यम से प्रख्यात वक्ताओं के साथ बातचीत करने में सक्षम थे।

सम्मेलन का समापन अनुभवात्मक अधिगम शिक्षा जैसे कला, खेल, जीवन कौशल, शिल्प, मूल्यों, खिलौने, कहानियों के एकीकरण आदि को अपनाना, आईसीटी एकीकृत शिक्षण अधिगम के लिए इको–प्रणाली का निर्माण, एनईपी 2020 की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना; पाठ्यक्रम को फिर से डिज़ाइन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और कार्यकलाप, स्कूल शिक्षा के सभी पहलुओं में अधिक समावेशिता के लिए, स्व–सुधार के लिए रचनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रामाणिक मूल्यांकन उपकरण डिजाइन करना और अनेक कार्यकलापों के साथ हुआ।

छात्र संवर्धन गतिविधियाँ

आर्यभट्ट गणित चुनौती

आनंददायक मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों में रुचि और प्रवीणता को बढ़ावा देने के लिए, सीबीएसई द्वारा एक गणित चुनौती आयोजित की गई थी। कंप्यूटर आधारित जांच मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे अपने दैनिक जीवन में किस सीमा तक गणित को लागू करने में सक्षम हैं। परीक्षण के प्रदर्शन की प्रतिक्रिया से बोर्ड को दैनिक जीवन में गणित के आवेदन में स्कूलों और बच्चों को संभालने में सहायता मिलती है। इस वर्ष की आर्यभट्ट गणित चुनौती 12 नवंबर को शुरू हुई और 7 दिसंबर, 2020 को विस्तार के बाद संपन्न हुई। एजीसी के इस वर्ष के 1.8 लाख अंकों के साथ पंजीकृत कुल 2.5 लाख छात्रों ने इसमें से कम से कम एक मॉड्यूल पूरा किया और 0.9 लाख प्रतिभागियों ने 100% प्रश्न पूरे किए।

अभिव्यक्ति श्रृंखला

सीबीएसई स्कूलों में 15 जून से 21 जुलाई 2020 तक 'कोविड 19 जैसे अभूतपूर्व समय में नवाचारी सोच' विषय पर सीबीएसई अभिव्यक्ति श्रृंखला का आयोजन किया गया। प्रतिभागी प्रत्येक श्रेणी के लिए दिए गए विषयों पर एक चित्र बनाना/पेंटिंग/कविता लिखना/निबंध/अनुच्छेद तैयार कर सकते थे। इसमें 176667 छात्रों ने भाग लिया।

सीबीएसई हेरिटेज इंडिया क्विज

चल रही महामारी के दौरान, सीबीएसई ने सीबीएसई हेरिटेज इंडिया क्विज़ के पैटर्न को संशोधित किया और सभी इच्छुक छात्रों को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस क्विज़ में भाग लेने की अनुमति दी इस वर्ष की क्विज़ के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत को एक थीम के रूप में शामिल किया गया है, जिसे जनवरी 2021 के लिए निर्धारित किया गया है।

सभी प्रतिभागियों को एक ई–प्रमाण पत्र दिया जाएगा और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

कला और संस्कृति पर सीबीएसई अभिव्यक्ति श्रृंखला

छात्रों को रचनात्मक रूप से कला और संस्कृति विषय पर अपने विचार/राय व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करने के लिए सीबीएसई ने जनवरी 2021 में एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) कार्यक्रम के अनुसार युग्मित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उपयोग करके सत्र 2020–21 के लिए 2 अभिव्यक्ति श्रृंखला का आयोजन किया। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रवेश की सफल प्रविष्टि के बाद उसकी/उसके पंजीकृत ई–मेल आईडी पर भागीदारी का एक ऑनलाइन प्रमाण पत्र मिलेगा। सभी सीबीएसई क्षेत्रों से प्राप्त प्रविष्टियों से, प्रत्येक श्रेणी की 3 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों का चयन और सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

दीक्षा मंच के माध्यम से सीबीएसई साइंस चैलेंज – 2020

शिक्षार्थियों के बीच जिज्ञासा, अनुसंधान और उच्चतर सोच उत्पन्न करने की एक पहल के रूप में, बोर्ड ने कक्षा 8 वीं से 10 वीं के छात्रों के लिए 21 दिसंबर 2020 से 11 जनवरी 2021 तक सीबीएसई विज्ञान चुनौती की घोषणा की। इनके

बोर्ड पर ध्यान न देकर कक्षा 8वीं से 10वीं तक के छात्र इस चुनौती में भाग लेने के पात्र हैं। चुनौती का उपयोग करने के लिए, छात्र को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 'सीबीएसई साइंस चैलेंज–2020' पाठ्यक्रम में शामिल होना होगा। यह पाठ्यक्रम छात्रों को चुनौती के प्रयास के अलावा विज्ञान के कुछ पहलुओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करेगा। पाठ्यक्रम पूरा होने पर ही दीक्षा प्लेटफॉर्म पर भागीदारी प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।

फिट इंडिया मूवमेंट

सीबीएसई से संबद्ध स्कूल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल करते हुए दो प्रमुख पहलों अर्थात फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन सिस्टम; और फिट इंडिया स्कूल वीक को लागू कर रहे हैं। फिट इंडिया स्कूल प्रमाणन प्रणाली में, कुल 1,76,162 स्कूलों को फिट इंडिया फ्लैग से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा कुल 33,083 और 11,745 स्कूलों ने क्रमशः स्कूलों ने प्रमशः फिट इंडिया 3 स्टार और5 स्टार स्कूल प्रमाणन के लिए आवेदन किया है।

फिट इंडिया स्कूल वीक की परिकल्पना न केवल स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बल्कि उनके माता–पिता, शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों के लिए फिटनेस के बारे में जागरूकता पैदा करने की अनिवार्य आवश्यकता के साथ की गई थी। फिट इंडिया स्कूल वीक के वर्तमान संस्करण के दौरान, कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न वर्चुअल/ऑनलाइन गतिविधियों जैसे योग, मुक्त हाथ व्यायाम, पेंटिंग, वाद–विवाद, संगोष्ठी, शतरंज, रूबिक क्यूब आदि दिमागी खेलों का आयोजन स्कूलों में किया जा रहा है। यह "न्यू इंडिया फिट इंडिया" पर आधारित है। 15 दिसंबर 2020 तक, फिट इंडिया स्कूल वीक मनाए जाने वाले स्कूलों की संख्या 41,782 है। फिट इंडिया पोर्टल पर 9,500 से अधिक पंजीकरण पूरे हो चुके हैं।

खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट

सीबीएसई ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम को भी अपनाया। सीबीएसई स्कूलों के 20,577 शिक्षकों को स्कूलों में फिटनेस मूल्यांकन करने और अन्य स्कूलों को भी प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान 12,645 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जो स्कूलों के फिर से खुलने के बाद बच्चों का फिटनेस आकलन करने के लिए तैयार है।

स्कूल कोर्स/पाठ्यक्रम/पाठचर्या से संबंधित तनाव के मुद्दों के समाधान हेतु कला एकीकृत शिक्षा (एआईएल)

बोर्ड द्वारा अपने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए कला शिक्षा और कला एकीकृत शिक्षा अनिवार्य कर दी गई हैं। कला एकीकरण के दिशा–निर्देशों पर एक दस्तावेज–अनुभावात्मक शिक्षा की दिशा में तैयार किया गया है। इस दस्तावेज़ में कला के महत्व, अनुभवात्मक और आनंदपूर्ण अधिगम हेतु एक शैक्षणिक उपकरण के रूप में कला, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए कला–एकीकृत शिक्षण के लिए दिशानिर्देश संबंधी विवरण और संदर्भ के लिए गतिविधियों और परियोजनाओं की एक विचारोतेजक सूची शामिल हैं। इस तर की पहलों के साथ समग्र शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का विचार है।

सीबीएसई ने अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा I से X के लिए अनिवार्य कला–एकीकृत परियोजना कार्य शुरू किया। इसके भाग के रूप में शैक्षणिक सत्र 2020–21 से कक्षा IX और X के सभी छात्रों द्वारा प्रत्येक विषय में कम से कम एक कला–एकीकृत परियोजना शुरू की जाएगी और कक्षा I से VIII के छात्रों को भी किसी दिए गए शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक कला–एकीकृत परियोजना (बहु–विषयक परियोजना) लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 12.5 मिलियन से अधिक छात्रों ने इस प्रोजेक्ट को सबमिट किया है।

मूल्यांकन में उत्कृष्टता हेतु केंद्रों की स्थापना

सीबीएसई को मानदंड–आधारित मूल्यांकन को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित प्रणालियों को संस्थागत बनाने की क्षमता निर्मित करने की जरूरत है। एनईपी–2020 में प्रस्तावित परख की तरह, सीबीएसई में मूल्यांकन केंद्र

एनसीईआरटी अधिगम परिणामों के अनुरूप मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में अधिगम परिणामों की निगरानी भी करेगा। सीबीएसई को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या इन प्रश्न पत्रों/नमूना प्रश्न पत्रों में पूर्ण वैज्ञानिकता और सांख्यिकीय सत्यापन सहित वैध और विश्वसनीय प्रश्न शामिल हैं। दीर्घकालिक स्थिति में मूल्यांकन केन्द्र की स्थापना योग्यता–आधारित मूल्यांकन के क्रियान्वयन की दिशा में एक शुरुआती कदम होगा। मूल्यांकन केंद्र मुख्य चरण के मूल्यांकन हेतु इनपुट भी प्रदान कर सकता है जो एनईपी–2020 की पृष्ठभूमि में एक अलग कार्य है।

माननीय शिक्षा मंत्री के साथ वार्तालाप कार्यक्रम

माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' के साथ सीबीएसई स्कूल प्रमुखों का वार्तालाप कार्यक्रम 28 जनवरी, 2021 को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य स्कूल प्रमुखों को जमीनी स्तर पर एनईपी 2020 के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करना था।

पुस्तिका/नियम–पुस्तिकाओं को जारी करना

सीबीएसई ने अपने स्कूलों में शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण सुधार हेतु कई पहल की हैं। इन पहलों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए, सीबीएसई ने अपने स्टेकहोल्डरों के लिए विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित पुस्तिकाएँ/नियम–पुस्तिकाएँ तैयार की हैं। इन्हें बोर्ड के विभिन्न आयोजनों के दौरान माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जारी किया गया था।

i. प्रधानाचार्यों के लिए पुस्तिका

ii. साइबर सुरक्षा नियम–पुस्तिका

iii. 21वीं सदी का कौशल

iv. कॉमिक बुक – कोगिटो

v. कॉमिक बुक – प्रश्नपुस्तिका

vi. अधिगम परिणाम प्राप्त करने हेतु शिक्षक संसाधन

vii. गणितीय साक्षरता

viii. शिक्षक सक्रिय संसाधन नियमावली (टीईआरएम)

ix. समावेशी शिक्षा पुस्तिका

x. रुचिकर अधिगम पुस्तिका

xi. शारीरिक शिक्षा – कक्षा XI और XII

प्रश्न पत्र की गुणवत्ता में सुधार

2025 तक इसे साठ प्रतिशत करने के लक्ष्य के साथ वास्तविक जीवन के संदर्भों पर उच्च क्रम के आवेदन उन्मुख प्रश्नों के अनुपात में वृद्धि करके प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता में सुधार करना। इससे रटकर सीखने की तुलना में ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित हो रहा है।

द्विस्तरीय गणित

बोर्ड ने कक्षा X और XII में **दो स्तरों** पर गणित की शुरूआत की है ताकि जिन छात्रों को गणित चुनौतीपूर्ण या कठिन लगे, उनके पास वैकल्पिक सरल विकल्प उपलब्ध हो सके।

पीसा 2022

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम– पीसा 2022 में भारत की भागीदारी के लिए *आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)* के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय संगठन (एनवीएस) द्वारा चलाए जा रहे और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के स्कूल पीसा 2022 में भागीदारी करेंगे। सीबीएसई वास्तविक परीक्षा के लिए प्रक्रिया और क्रियाकलापों का एक भाग होगा।

सीबीएसई ने वर्ष 2020 में निम्नलिखित पहलें शुरू की हैं:

क. शिक्षकों/छात्रों के लिए संसाधनों का सृजन

- सीबीएसई द्वारा गणित पर अभ्यास पुस्तिका तैयार की गयी है।
- कक्षा VI से X के लिए गणित और विज्ञान हेतु शिक्षकों की ऊर्जावान संसाधन सामग्री (टर्म) जारी की गयी है। अँग्रेजी और हिन्दी का टर्म प्रगतिधीन है।
- कक्षा I से X के लिए अधिगम परिणामों को प्राप्त करने संबंधी शिक्षकों के संसाधन जारी किए गए हैं।
- माता–पिता के लिए पीआईएसए के प्रमुख पहलुओं का विवरण देने वाले क्यूआर कोडित पीआईएसए प्राइमर जारी किए गए हैं।
- सीबीएसई सीसीटी साप्ताहिक प्रश्नों के लिए योग्यता–आधारित प्रश्न तैयार कर रहा है। यूटी–चंडीगढ़, केवीएस और एनवीएस भी योग्यता–आधारित मदें तैयार कर रहे हैं। शिक्षा पहल (ईआई) ने विभिन्न वर्गों के लिए लगभग 10,000 मदों के एक पूल का योगदान दिया है। इन्हें पीआईएसए से संबंधित व्यक्तियों के साथ साझा किया जा रहा है।

ख. प्रशिक्षुओं की सुविधा

- बोर्ड दिसंबर 2020 में दीक्षा पर कक्षा 8वीं से 10वीं तक के छात्रों के लिए सीबीएसई विज्ञान चुनौती का आयोजन कर रहा है
- सीबीएसई अध्ययन चुनौती जनवरी 2021 में सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के लिए आयोजित किया जाएगा।
- रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच (सीसीटी) अभ्यासः सीबीएसई अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में योग्यता–आधारित मूल्यांकन विकसित करता है। अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक इस अभ्यास मूल्यांकन के सात संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं।
- सीबीएसई ने 8 जनवरी 2020 को सभी सीबीएसई स्कूलों के लिए सीसीटी साप्ताहिक अभ्यास प्रारंभ किया। सीबीएसई अभ्यास के लिए छात्रों और शिक्षकों के लिए दीक्षा मंच पर प्रति सप्ताह 5 योग्यता–आधारित प्रश्न अपलोड करता है। दीक्षा पर अब तक 46 साप्ताहिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

ग. क्षमता निर्माण/उन्मुखता कार्यशाला

- सीबीएसई द्वारा यूटी–चंडीगढ़ के शिक्षकों के लिए 'अध्ययन समझ कौशल संवर्धन' पर एक वेबिनार 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया था और इसका यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया गया था और इसे 3000 से अधिक बार देखा जा चुका है।
- पीआईएसए के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यूटी, चंडीगढ़ के अभिभावकों के लिए 4, 5 और 6 सितंबर 2020 को तीन वेबिनार आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में तीन दिनों की अवधि में 52,000 अभिभावकों ने भाग लिया था।

घ. अधिगम अंतरालों की पहचान करने हेतु विशेष हस्तक्षेप

- प्रथम शिक्षा फाउंडेशन (पीईएफ) के सहयोग से, सीबीएसई यूटी, चंडीगढ़ के छात्रों में अधिगम अंतराल की पहचान करने के लिए एक पहल शुरू कर रहा है। छात्रों के लिए उपकरण (प्रारंभिक संस्करण – अंग्रेजी और हिंदी) तैयार किए जा रहे हैं।

कोविड के कारण स्कूलों के बंद होने से अधिगम अंतराल को भरना

ऑनलाइन/ऑफलाइन निर्देशों की समीक्षा

सीबीएसई द्वारा जुलाई से अक्टूबर 2020 तक किए गए एक सर्वेक्षण में यह पता चला था कि 13,527 स्कूलों ने प्रत्युतर दिया गया था।

- यू ट्यूब, जूम, व्हाट्सएप, दीक्षा, ऑफलाइन मोड जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके 10,799 स्कूल (80%) कक्षाएं संचालित कर रहे हैं।
- 9764 (71%) स्कूलों ने अपने सभी छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की थी।
- 11711 स्कूलों (87%) ने अपने शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण करवाया।
- 97 शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा संतोषजनक लगी।
- 88 प्रतिशत छात्रों को दूरस्थ शिक्षा संतोषजनक लगी ।
- 41 प्रतिशत स्कूलों ने सूचित किया कि उनके छात्रों को गणित सीखने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है।
- 55 प्रतिशत स्कूल बच्चों को घर पर व्यक्तिगत शिक्षण योजना उपलब्ध करवा रहे हैं।

एक दूसरे सर्वेक्षण में जोकि अक्तूबर 2020 में क्षेत्रीय स्तर पर प्रारंभ किया गया था, यह बात सामने आई है कि

- 21,883 स्कूलों (लगभग 90%) ने अधिगम अंतराल का पता लगाने के लिए सफलतापूर्वक आंतरिक सर्वेक्षण किया है और किसी न किसी तरीके से अपने छात्रों तक पहुंचे हैं।
- लगभग 15% छात्रों ने कथित तौर पर अधिगम अंतराल की कुछ कमियां प्रदर्शित कीं।
- लगभग 18% छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
- लगभग सभी क्षेत्रों के 90% से अधिक स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाओं में भाग न लेने वाले छात्रों को सहयोग देने के उपाय किए हैं।

बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय स्कूलों को जागरूक बनाने और छात्रों तक पहुंचने एवं उनकी अधिगम की कमियों को दूर करने के प्रयासों की निगरानी में शामिल हो रहे हैं। छात्रों को सहयोग प्रदान करने के लिए स्कूलों द्वारा शुरू की गयी प्रमुख गतिविधियाँ हैं:

- व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएँ
- माता–पिता से नियमित संपर्क
- परियोजना कार्य के माध्यम से अधिगम
- अधिगम सामग्री, सैंपल पत्र और नोट्स को साझा करना
- शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से बच्चों के घर जाना ।
- रिकॉर्ड किए गए विडियो व्याख्यान, वर्कशीट और अधिगम सामग्री को भेजना
- माता–पिता की सहमति से छात्रों को अपने संदेह दूर करने के लिए स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना।
- यदि टेलीफोन के माध्यम से माता–पिता उत्तर न दे रहे हों तो उन्हें बुलाने के लिए पत्र भेजना।
- शिक्षकों द्वारा निजी फोन काल
- छात्रों के साथ प्रत्यक्ष सत्र की मांग
- निरंतर परामर्शी सत्र

स्कूलों को पुनः खोलने के बाद उन्हें अधिक संवेदनशील बनाने के लिए, सीबीएसई अपने सभी स्कूलों को बिना भय दिखाए सुधारात्मक ढ़ंग से अधिगम के अंतराल का आंकलन करने और तदनुसार जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक उपायों को प्राथमिकता देने हेतु एक एडवाइजरी जारी करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। स्कूल समयबद्ध तरीके से अधिगम की कमी को पूरा करने के लिए ब्लेंडेड मोड में उपचारात्मक सत्रों की योजना बना सकते हैं क्योंकि बच्चे और शिक्षक अब परिचित हैं और ऑनलाइन तरीकों से अवगत हैं।

छात्रों में अधिगम अंतराल को कम करने के लिए किए गए कार्यकलाप

(i) **सतत अधिगम के लिए कोविड–19 के दौरान अधिगम संवर्धनः**

एनसीईआरटी ने बिना डिजिटल उपकरणों वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले, डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच रखने वाले और डिजिटल उपकरणों वाले अधिगम संवर्धन (एलई) संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए। सीबीएसई ने स्कूलों को अपने छात्रों में अधिगम की कमियों को दूर करने और उनकी अधिगम उपलब्धि को सामान्य बनाने के लिए इन दिशानिर्देशों को अपनाने का सुझाव दिया है।

(ii) **जहां व्यवहार्य हो वहां ऑनलाइन कक्षाएं कैसे संचालित करें, इस पर शिक्षकों का विशेष क्षमता निर्माण**

सीबीएसई ने ऑनलाइन शिक्षाशास्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5,50,000 शिक्षकों (अप्रैल से दिसंबर 2020 तक) को प्रशिक्षित किया है। शिक्षकों की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए कई लघु आकार के मॉड्यूल भी तैयार किए गए और प्रशिक्षण के बाद प्रसारित किए गए। भारत सरकार के निष्ठा कार्यक्रम के तहत 403634 शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

(iii) **वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर**

एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित सप्ताह–वार योजना में पाठ्यपुस्तक में अध्यायों के आधार पर अधिगम की वे गतिविधियाँ शामिल हैं, जिन्हें अधिगम के परिणामों के साथ मैप किया गया है ताकि शिक्षकों को छात्रों की अधिगम में प्रगति का आंकलन करने में सुविधा हो। कक्षा 1 से 12 तक के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर https://ncert.nic.in/alternative-academic-calendar.php पर उपलब्ध हैं। सीबीएसई ने शिक्षकों द्वारा इसके प्रभावी उपयोग हेतु 17 जुलाई, 2020 को वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर पर एक ऑनलाइन उन्मुखता कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया और लगभग 2,55,000 शिक्षकों और प्राचार्यों ने इसे देखा।

(iv) **पाठ्यक्रम की युक्तिसंगतता**

सीबीएसई ने केवल योगात्मक परीक्षाओं के उद्देश्य हेतु पाठ्यक्रम में कमी को स्पष्ट किया है और यह लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने हेतु केवल इस वर्ष के लिए एक अस्थायी उपाय है। इसे स्कूलों को बंद करने और मौखिक शिक्षण के घंटों में कमी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम समिति प्रत्येक विषय के लिए, निम्नलिखित पर विचार करते हुए पाठ्यक्रम सामग्री को युक्तिसंगत बनाते समय जैसाकि यह आवश्यक हो गया है, विचार करती हैः

क. सभी विषय महत्वपूर्ण हैं लेकिन इस असाधारण स्थिति में, कुछ ऐसे विषय जिनका छात्र पहले ही अध्ययन कर चुके हैं या उच्चतर कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन करेंगे, उन्हें योगात्मक मूल्यांकन से हटाया जा सकता है। शिक्षक आवश्यकतानुसार इन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं।

ख. जिन विषयों/अवधारणाओं का भविष्य में अधिगम पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, उन्हें बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य के लिए हटाया जा सकता है।

ग. छात्रों पर बोझ कम करने के लिए कुछ विशेष मामलों को अलग रखा गया है।

घ. संशोधन के अनुसार व्यावहारिक घटकों में समुचित बदलाव अपेक्षित है।

शिक्षकों से उन अवधारणाओं को एकीकृत करने की अपेक्षा की जाती है जो कक्षा में पिछले और बाद के विषयों के संबंध में संशोधित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं।

(v) **शिक्षकों के लिए विशेष संसाधनः अधिगम परिणामों की पाठ्यचर्या के साथ मैपिंग**

सीबीएसई ने एनसीईआरटी (कक्षा X तक के सभी विषयों के लिए) द्वारा निर्धारित प्रत्येक अधिगम परिणामों को दक्षता–आधारित शिक्षा की उनकी समझ को आगे बढ़ाने में शिक्षकों के लिए सुगम बनाने हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तकों में विषयों के साथ मैपिंग करने का कार्य प्रारंभ किया और उन्हें महामारी के दौरान उनके प्रयासों को लागू किया जा सके। पाठ्यचर्या के लिए मैप किए गए अधिगम परिणामों का यह दस्तावेज़ http://cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/TeachersResource_LODoc.pdf पर उपलब्ध है।

(vi) **शिक्षकों के लिए विशेष संसाधनः शिक्षक सक्रिय संसाधन सामग्री या टर्म**

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6 से 10 के पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए दो विषयों– विज्ञान और गणित के लिए शिक्षक सक्रिय संसाधन सामग्री (टीईआरएम) हैंडबुक विकसित की है जो शिक्षकों को उनकी कक्षा विनिमय को एक सक्षम ढांचे में संरेखित करने में सहायता प्रदान करेगी। संसाधनों में शामिल अवधारणाएं मूल्यांकन मदों के एक सेट के साथ एनसीईआरटी अधिगम के परिणामों से जुड़ी हुई हैं। 10 टर्म दस्तावेज http://cbseacademic.nic.in/manual.html- पर उपलब्ध हैं।

(vii) **शिक्षकों के लिए विशेष संसाधनः प्रयोगिक अधिगम और दक्षता–आधारित शिक्षा पर मूक मॉड्यूल** अनुभवात्मक शिक्षा और दक्षता–आधारित शिक्षा से संबंधित शिक्षाशास्त्र और शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में वास्तविक जीवन की स्थितियों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर कार्यकलाप–आधारित और अधिक आकर्षक मॉड्यूल तैयार किए गए थे। ये मॉड्यूल https://bit.ly/cbse-explrn-wb और http://bit.ly/CompetencybasedEducation पर उपलब्ध हैं।

(viii) **विद्यादानः** अप्रैल, 2020 में राष्ट्रीय सामग्री सहयोग के रूप में **विद्यादान–2** को शुरू किया गया था जिसे दीक्षा मंच से लाभ प्राप्त होता है और शैक्षणिक निकायों, निजी निकायों, और गैर–वैयक्तिक विशेषज्ञों द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए ई–सामग्री संसाधन की खोज करने और उसे अनुमति देने का उपकरण है। अब तक, अँग्रेजी भाषा में सामग्री के 8592 भाग सीबीएसई को प्रदान किए गए हैं।

(ix) **डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता दिशानिर्देशः** ये दिशानिर्देश उन छात्रों के लिए ऑनलाइन/ब्लेंडेड/डिजिटल शिक्षा पर फोकस करने के साथ विकसित किए गए हैं जो वर्तमान में स्कूल बंद होने के कारण घर पर हैं। दिशानिर्देश विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के लिए स्क्रीन टाइम का सुझाव देते हैं। ये दिशानिर्देश बताते है कि दक्षताशास्त्र और साइबर सुरक्षा के संबंध में क्या करें और क्या नहीं करें। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान उपकरणों का उपयोग कैसे करें और उचित स्थिति (पोस्चर) कैसे बनाएँ, इस पर इन्फोग्राफिक्स हैं। दिशा–निर्देश यहां देखे जा सकते हैंः https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pragyata-guidelines_0.pdf।

(x) **ओलैब्स**

सीबीएसई ने ओलैब्स पर अपने संबद्ध स्कूलों के गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान के शिक्षकों के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण का आयोजन किया जिसमें 22,000 शिक्षकों ने भाग लिया। ऑनलाइन वर्चुअल लैब्स (ओलैब्स) एक ऐसा मंच है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए लैब प्रयोग सिखाता है। ओलैब्स की सामग्री एनसीईआरटी/सीबीएसई और राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुरूप है। ये https://olabs.edu.in पर उपलब्ध हैं।

(xi) 21वीं सदी के कौशल को पुनर्जीवित करने हेतु छात्रों के लिए कॉमिक पुस्तकें

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षार्थी रुचिकर साधनों के माध्यम से अपने अधिगम को जारी रख सकें और महामारी के दौरान भी 21वीं सदी के कौशल को हासिल करें/आगे बढ़ें, सीबीएसई द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दो कॉमिक पुस्तकें ऑनलाइन जारी की गई हैं। ये प्रशिक्षार्थी को कहानी के माध्यम से महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान कौशल को आत्मसात करने में सहायता करती हैं। वे सीबीएसई की वेबसाइट http://cbseacademic.nic.in/web_material/ComicBooks/Cogito.pdf पर उपलब्ध हैं।

(xii) सीबीएसई द्वारा गणितीय साक्षरता पर अभ्यास पुस्तिका

सीबीएसई ने छात्रों के लिए महत्वपूर्ण और सृजनात्मक चिंतन–कौशल को बढ़ाने के लिए एक अद्वितीय अभ्यास कार्यपुस्तिका – ए लिटिल मैथमैजिक – प्रस्तुत की है। इस पुस्तक का आशय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए है और यह कहानी, रोमांच, मनोरंजन एवं हास्य के माध्यम से बच्चों को गणित की दुनिया में ले जाती है।

(xiii) साइबर सुरक्षा और साइबर खतरे

छात्रों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के लिए उन्मुख करने और साइबर खतरे के बारे में जागरूक बनाने के लिए, सीबीएसई द्वारा माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा पर एक छात्रानुकूल हस्तपुस्तिका तैयार की गई है। इस पुस्तिका में बहुत ही आकर्षक और सरल प्रारूपों में सामग्री है, जिसमें छात्र की समझ को और विकसित करने के लिए कई स्थानों पर ई–सामग्री को क्यूआर कोड से टैग किया गया है। यह पुस्तिका http://cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/Cyber_Safety_Manual.pdf पर उपलब्ध है।

(xiv) 21वीं सदी के कौशल पर पुस्तिका

यह पुस्तिका 21वीं सदी के कौशल या उन कौशलों पर केंद्रित है जो किसी व्यक्ति द्वारा उसके समग्र विकास के लिए आवश्यक हैं ताकि वह चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने समाज/राष्ट्र और दुनिया की प्रगति एवं विकास में योगदान दे सकें। http://cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/21st_Century_Skill_Handbook.pdf

(xv) मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नियमावली :

सीबीएसई द्वारा तैयार की गई यह नियमावली मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व पर फोकस करती है और किशोरावस्था में स्वास्थ्य की स्थितियों, जोखिम कारकों और चुनौतियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करके स्कूल, परिवार और समुदाय की भूमिका को समाहित करती है। कोविड–19 के दौरान स्व देखभाल, सकारात्मकता, भय और चिंता से निपटने, स्टिग्मा से निपटने, सामाजिक सहयोग के महत्व और संपर्क में बने रहने को शामिल करके मनोवैज्ञानिक सहायता पर एक समर्पित अध्याय है। यह नियमावली यहां उपलब्ध है: https://cbse.nic.in/newsite/attach/CBSE:20MH:20Manual.pdf

(xvi) कार्य शिक्षा और कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण (सेवा)

सीबीएसई ने स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के तहत कार्य शिक्षा और कार्रवाई (सेवा) के माध्यम से सामाजिक अधिकारिता के एक अनिवार्य क्षेत्र का समावेश किया है। यह बच्चे को सामुदायिक सेवा या पर्यावरण, नागरिक जिम्मेदारियों या लोकतंत्र या स्वास्थ्य और फिटनेस से संबंधित परियोजनाओं को करने की अनुमति देकर उसके मानसिक/भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। कक्षा IX से XII (XII के लिए,

केवल पहले सत्र/टर्म के अंत तक) के सभी छात्र वर्षभर सेवा कार्यक्रम में भाग लेते हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 60 लाख छात्र इन परियोजनाओं को पूरा करते हैं।

(xvii) **शिक्षावाणी—पॉडकास्ट पोर्टल सीबीएसई**

सीबीएसई ने शिक्षावाणी नामक एक पॉडकास्ट पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल पर विभिन्न विषयों के लगभग 700 पॉडकास्ट उपलब्ध हैं और छात्र इन्हें सुन रहे हैं।

(xviii) **क्वारंटीन अवधि को और अधिक सृजनात्मक बनाने के लिए सुझाव**

सीबीएसई ने क्वारंटीन अवधि को और अधिक सृजनात्मक बनाने के लिए छात्र संवर्धन और शिक्षक संवर्धन से संबंधित कुछ कार्यकलापों जैसे विभिन्न विषयों और कक्षाओं के लिए अधिगम परिणामों को तैयार करना या परिभाषित करना; शैक्षिक और सह—शैक्षिक कार्यकलापों के लिए वार्षिक पाठ्यक्रम योजना तैयार करना; सीडब्ल्यूएसएन के लिए विशेष संवर्धन गतिविधियों को डिजाइन करना; दीक्षा के लिए ई—सामग्री विकसित करना; छात्रों के लिए रचनात्मक कार्यों को डिजाइन करना; शिक्षकों आदि द्वारा श्रेष्ठ कार्यप्रथाओं पर ब्लॉग लिखने के लिए स्कूलों को वार्षिक योजना, का भी सुझाव दिया है।

(xix) **समावेश के लिए विशेष पहल**

सीबीएसई ने 25 मार्च, 2020 को एक एडवाइजरी शैक्षणिक 20/2020 जारी की जिसमें कि लॉकडाउन को कैसे सृजनात्मक बनाया जाए और शिक्षकों को सीडबल्यूएसएन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्रियाकलापों की योजना बनाने और एकीकृत करने के सुझाव दिए गए। बोर्ड ने 22 जुलाई, 2020 को अपनी एडवाइजरी संख्या शैक्षणिक 22/2020 में सीडब्ल्यूएसएन की जरूरतों पर प्रकाश डाला। स्कूलों को यह सुनिश्चित करने हेतु सुझाव दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चे और जिन बच्चों के माता—पिता आवश्यक सेवाओं (स्वास्थ्य, देखभाल व्यवसायी आदि) में शामिल हैं, उन्हें पहुँच योग्य और अनुकूल शिक्षा के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना जारी रखना चाहिए। इस संबंध में स्कूलों के लिए कुछ सुझाव थे:

क. प्रत्येक विशेष बच्चे से संपर्क साधें और उसकी व्यक्तिगत जरूरतों का आंकलन करें एवं उसके अधिगम के लिए आवश्यक समायोजन पर चर्चा करें।

ख. अपने छात्रों की आवश्यकता के आधार पर सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री (आभासी, मुद्रित या प्रसारित) में मुद्रण के लिए विकल्पों, जैसे कि ऑडियो या निर्देश में अन्य प्रारूप, चित्र, कैप्शन, बड़े प्रिंट और प्रतीक— भाषा विकल्प का उपयोग करें।

ग. छात्रों और अभिभावकों पर दबाव को कम करने के लिए सरल समय—सीमा और अंतिम सीमा, सहायक प्रौद्योगिकी, सरलीकृत गृहकार्य और प्रारंभिक आकलन का उपयोग करें।

घ. शिक्षकों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण करे और उन्हें दूरस्थ और ऑनलाइन सेटिंग में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के तरीके के बारे में प्रमाण—आधारित संसाधन उपलब्ध करवाएँ।

ङ. विशेष शिक्षकों और परामर्शदाताओं की विशेषज्ञ सलाह देकर माता—पिता का सहयोग करें।

च. प्रज्ञता दिशानिर्देशों की धारा 3.4 का अनुपालन करें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऑनलाइन अधिगम में सहायता करने पर प्रकाश डालती है।

कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण

बोर्ड माध्यमिक स्तर पर 18 कौशल विषय और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 38 कौशल विषय प्रदान करता है ताकि युवा पीढ़ी के कौशल और दक्षता को समोन्नत किया जा सके और उन्हें विभिन्न कैरियर विकल्पों का पता लगाने के लिए जागरूकता प्रदान की जा सके।

कौशल विषयों को अपनाने वाले स्कूलों की संख्या

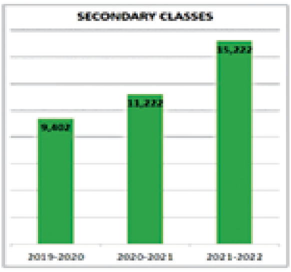

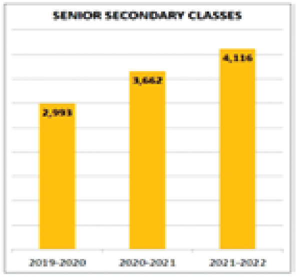

नए कौशल विषयों को पेश करना

- **मध्यमिक स्तर पर:**
  - वास्तविक कार्यकलाप प्रशिक्षक (अप्रैल 2020 में प्रारंभ)
- **वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर:**
  - कृत्रिम बौद्धिकता (अप्रैल 2020 में प्रारंभ)

कक्षा VI/VII/VIII में कौशल मॉड्यूल का समावेश

- सीबीएसई ने माध्यमिक स्कूल स्तर पर 12 घंटे की अवधि का कौशल मॉड्यूल शुरु किया है।
- स्कूल/छात्र कक्षा VI अथवा VII या VIII में कौशल मॉड्यूल चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।
- **अप्रैल 2020 में सीबीएसई द्वारा निम्नलिखित कौशल मॉड्यूल शुरू किए गए हैं:**
  - कृत्रिम बौद्धिकता
  - सौन्दर्य और स्वास्थ्य
  - डिज़ाइन थिंकिंग
  - वित्तीय साक्षरता
  - सूचना प्रौद्योगिकी
  - यात्रा और पर्यटन
  - विपणन/वाणिज्यिक अनुप्रयोग
  - जनसंचार
  - हस्तकला

प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीबीएसई द्वारा विभिन्न कौशल विषयों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लगभग 50,000 प्रधानाचार्यों/शिक्षकों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए।

सीबीएसई– युवा आभासी इंटेल एआई सिम्पोज़ियम

13–17 अक्टूबर, 2020 तक युवाओं को एआई तत्परता कौशल और वैश्विक नेतृत्व से उभरती अन्य प्रौद्योगिकियों के बारे में सक्षम बनाने, एक व्यापक अनुभव प्राप्त करने और अपने स्वयं के सहयोगियों द्वारा तैयार किए गए एआई सामाजिक प्रभाव परियोजनाओं को प्रत्यक्षदर्शी बनाने के लिए आयोजित किया गया था। यह संगोष्ठी पूरे भारत के सभी स्कूलों के छात्रों (कक्षा 8 और उससे अधिक), प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए थी।

वर्चुअल सिंपोज़ियम के मुख्य उद्देश्य थे:

- वैश्विक नेताओं से एआई की तत्परता और उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में सीखना
- डिजिटल तैयारी के निर्माण के लिए एक व्यापक अनुभव प्राप्त करना
- अपने सहयोगियों द्वारा बनाई गई एआई सामाजिक प्रभाव परियोजनाओं का प्रत्यक्षदर्शी बनना
- एआई तत्पर पीढ़ी के निर्माण की दिशा में उनकी भूमिका को स्पष्ट करना

इस संगोष्ठी के दौरान सीबीएसई और इंटेल ने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म – गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का उपयोग करते हुए अपनी तरह की पहली 'ओपेन फॉर आल' कार्यकलापों की योजना तैयार की थी। सीबीएसई – युवा वर्चुअल एआई संगोष्ठी के दौरान 13–14 अक्टूबर, 2020 को "अधिकांश उपयोगकर्ता 24 घंटे में एक ऑनलाइन कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ अपनाते हैं" के लिए एक गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया था। यह अपनी तरह का पहला रिकॉर्ड है,

जिसका पहले कभी प्रयास नहीं किया गया था और भारत इसे अपनाने वाला पहला देश है।

प्रतिभागिता विवरणः

कार्यक्रम	प्रतिभागिता
युवा वर्चुअल एआई सिंपोज़ियम	115561
गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आधिकारिक प्रयास[टीएम]	58317
सफलतापूर्वक सृजित किए गए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड[टीएम]	13000

एआई एकीकृत बहु–विषयक शिक्षाशास्त्र

सीबीएसई ने शिक्षण और अधिगम को आगे बढ़ाने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक बहु–विषयक एकीकृत शैक्षणिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। इस संबंध में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन अक्रॉस सब्जेक्ट्स' शीर्षक से एक हस्तपुस्तिका भी तैयार की गई है। कक्षा VI और X के लिए पांच मुख्य विषयों – हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान में से प्रत्येक के लिए शिक्षण और अधिगम को बढ़ाने के लिए 200+ बहु–विषयक एआई एकीकृत पाठ योजनाओं का एक नया सेट संकलित किया गया है।

इन पाठ योजनाओं को विद्यालयों के उपयोग के लिए पुस्तिका के रूप में जारी किया गया है। ये हस्तपुस्तिका दीक्षा मंच/वेबसाइट (http://bit.ly/aiondiksha) के साथ–साथ सीबीएसई शैक्षणिक वेबसाइट (http://cbseacademic.nic.in/ai.html) पर उपलब्ध हैं।

आईबीएम के सहयोग से श्रेष्ठ भारत हैकाथन के लिए एआई

- एआई का उपयोग करके एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करते हुए एआई समाधान निर्मित करने हेतु छात्रों से श्रेष्ठ भारत हैकथॉन के लिए आईबीएम एआई के शीर्ष विचारों का चयन किया गया था।
- 103 छात्र परियोजनाओं (260+ छात्रों) का चयन हैकथॉन के हिस्से के रूप में आईबीएम एआई विशेषज्ञों द्वारा सलाह देने के लिए किया गया था और इन परियोजनाएं को हैकर अर्थ मेंटरशिप मंच पर शुरू किया गया था।
- गहन परामर्श के बाद, 7 और 9 जुलाई को हैकथॉन के फाइनल का आयोजन किया गया था, जिसमे छात्रों ने आईबीएम के न्यायाधीशों के एक पैनल के सामने अपनी परियोजनाओं का प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया था।
- शीर्ष 3 परियोजनाओ को हैकथॉन का विजेता चुना गया और शीर्ष 15 परियोजनाओ को आईबीएम एडटेक यूथ चैलेंज इंडिया 2020 में भाग लेने के लिए चुना गया और उन्हे आईबीएम के साथ 2 सप्ताह के इंटर्नशिप का अवसर दिया गया।
- चयनित छात्रों को वर्चुअल इंटर्नशिप भी प्रदान की गई थी।

प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रशिक्षण

1. **ऑनलाइन प्रक्षिक्षण सत्रः** कोविड–19 ने मानवीय वार्तालाप के स्तर को बदल दिया और बोर्ड ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की शुरुआत की। एक घंटे की अवधि के ऑनलाइन सत्र शुरू किए गए। वर्ष 2020 में 12000 से अधिक ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए। बोर्ड के 16 सीओई और प्रशिक्षण इकाई द्वारा संचालित इन प्रशिक्षण सत्रों में अब तक 7 लाख से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया है।

2. सीबीएसई ने "विद्या–दान" की अवधारणा की, जो शिक्षकों से सामग्री एकत्रित करने पर आधारित कार्यक्रम हैं और इसका उद्देश्य देश के महानगरों से लेकर छोटे–छोटे गाँवों तक अच्छी गुणवत्ता वाली ई–सामग्री उपलब्ध कराना था जिसका उपयोग स्कूलों और शिक्षकों द्वारा किसी भी समय, बिना किसी कीमत पर किया जा सके ताकि देशव्यापी विकास तालमेल बनाया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक स्कूल, शिक्षक और छात्र को सीखने में आसानी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।

3. **ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल मास्टरक्लासः** ऑस्ट्रेलियाई व्यापार और निवेश आयोग के सहयोग से स्कूल लीडर्स के लिए ऑनलाइन सत्र शुरू किए गए थे:
   - अन्तरिक्ष का भविष्य– कक्षा में कल्पित विज्ञान को वास्तविकता में बदलना
   - अग्रणी डिजिटल अधिगम
   - महामारी से परिवर्तनकारी करियर और जीवन के सबक – अर्थशास्त्र की दृष्टि के माध्यम से
   - क्या आज के छात्रों की तुलना में सुनहरी मछली अधिक समय ध्यान तक दे सकती है?
   - स्कूलो के लिए डिजिटल और सामाजिक मीडिया कार्यनीतियाँ
   - कोविड –19 संकट के बाद कार्यस्थल पर आचरण की पुनरावृति

4. **वर्चुअल व्यावसायिक विकास सत्र**– "कनाडा श्रृंखला– अभिनव और प्रेरणा" सीबीएसई स्कूल के नेतृत्वकर्ताओ और शिक्षकों के लिए 20–24 जुलाई, 2020 तक आयोजित की गई थी।

5. **वर्चुअल व्यावसायिक विकास सत्र**– "परिवर्तनकारी प्रशिक्षण सप्ताह" के दौरान, पांच वर्चुअल कार्यशालाओं को विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया और 4 से 10 अगस्त, 2020 तक और संचालित किया गया, ताकि प्रतिभागियों को छात्र उपलब्धि के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।

6. नॉटिंघम विश्वविद्यालय, मलेशिया के सहयोग से अल्पकालिक ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। यह श्रृंखला नेतृत्व, प्रबंध परिवर्तन, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षण समुदायों, गुणवत्ता आश्वासन और स्कूल संस्कृति, 21 वीं शताब्दी में शिक्षाशास्त्र, और सामाजिक मीडिया और शिक्षण पर केंद्रित थी।

7. 3 सितंबर 2020 को सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यो, उप प्रधानाचार्यो और शिक्षकों के लिए प्रो. डेविड वुड्स विजिटिंग प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन के साथ ग्रेट स्कूल्स ऑफ नाइन पिलर्स पर वेबिनार आयोजित किया गया था।

8. सी–डैक मुंबई के सहयोग से गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान में कक्षा 9 से 12 के लिए प्रयोगों को अनुरुप बनाने के लिए ओलाब्स पर सीबीएसई स्कूल शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

9. सीबीएसई द्वारा गांधी स्मृति और दर्शन समिति, संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अहिंसक संपर्क पर अभिविन्यास पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अहिंसक संपर्क, अहिंसा, पारस्परिक सम्मान, समझ और करुणा के संचार और संघर्ष समाधान का एक प्रभावी तरीका है।

10. टाटा ट्रस्ट और महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल, अहमदाबाद के सहयोग से प्रायोगिक शिक्षण पर एक ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण दीक्षा पर शुरू किया गया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बहु–संवेदी शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रायोगिक शिक्षा में शामिल करना है, संवेदी शिक्षकों द्वारा इसे अपनी कक्षाओं में इसे लागू करना और अधिगम को अधिक आनंदपूर्ण, चिंतनशील और बहुआयामी बनाना है। इसके अतिरिक्त प्रायोगिक शिक्षण पर वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की गई।

11. राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से दृष्टि बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए विकलांगता (दिवयांगता) के मुद्दो पर वेबिनार शुरू किया गया। वेबिनार की श्रृंखला विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों के प्रधानाचार्यो, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए डिज़ाइन की गई थी।

12. एनसीईआरटी द्वारा प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षको के लिए निष्ठा मॉड्यूल पर प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं। प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षको (कक्षा 1 से 8) के लिए निष्ठा पाठ्यक्रम अब दीक्षा पोर्टल पर पूरे देश मे उपलब्ध हो चुके हैं।

13. नोबेल पुरस्कार विजेता (भौतिकी 2018), डोना स्ट्रिकलैंड, वाटरलू विश्वविद्यालय, कनाडा के साथ नजदीकी वार्तालाप 26 नवम्बर 2020 का आयोजन किया गया था।

14. दीक्षा पर योग्यता–आधारित शिक्षा (सीबीई) पर एक ऑनलाइन शिक्षक प्रक्षिक्षण की शुरुआत की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेंट्रल स्क्वायर फ़ाउंडेशन के सहयोग से शिक्षको और स्कूल लीडरों के लिए यह इंटरैक्टिव ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित किया हैं ताकि वास्तविक जीवन में परिस्थितियो से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्यों और व्यवहार के प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों की दक्षता सुनिश्चित हो सके।

आईटी पहल

1) **बिजनेस प्रोसेसिंग री–इंजीनियरिंग (बीपीआर) की संबद्धता प्रणाली** इसे पूरी तरह से स्वचालित बनाने के लिए और कम अनुपालन के साथ डाटा संचालित करने के लिए।

2) **ओएसएएमएस – ऑनलाइन स्कूल संबद्धता और निगरानी प्रणाली आर–3.0**

संबद्धता की विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन जमा करने से लेकर एंड–टू–एंड डिजीटल प्रणाली अनुदान / अस्वीकृति को रोकती है।

3) **एआईसीए – स्वचालित आईसी आवंटन प्रणाली आर–2.0**

निरीक्षण समितियों के स्वचालित आवंटन के लिए कुछ पूर्व–परिभाषित मापदंडों और व्यावसायिक नियमों पर आधारित एक प्रणाली।

4) **वीआईओएस – स्कूलों का वर्चुअल निरीक्षण**

वर्तमान कोविड़–19 महामारी के कारण स्कूल बंद हो गए और निरीक्षण समितियां निरीक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने मे सक्षम नहीं थी। इसे ध्यान में रखते हुए ''स्कूलों का वर्चुअल निरीक्षण (वीआईओएस)'' प्रणाली विकसित की गई और लागू की गयी।

5) **ओएसिस– ऑनलाइन संबद्ध स्कूल सूचना प्रणाली आर– 3.0**

सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए सालाना 500 से ज्यादा मापदंडों की ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करने/ अद्यतन करने के लिए एक पोर्टल है। एचपीई पोर्टल भी ओएसिस के साथ एकीकृत है।

6) **(ई–परीक्षा): परीक्षा प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रणाली आर – 3.0**

बोर्ड की सम्पूर्ण परीक्षा प्रणाली को डिजिटल किया गया है। परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक व्यापक वन स्टॉप पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया गया है। परिणाम एक साथ और समानांतर रूप से संसाधित किए जा रहे हैं और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डेटा/परिणामों का मिलान किया जा रहा है।

7) **ई–प्रेक आर – 3.0**

व्यावहारिक/परियोजना अंको को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एक पोर्टल और छात्रों और

परीक्षार्थियों के साथ जियोटैग वाली लैब छवियाँ (आंतरिक और बाहरी दोनों)

8) **आईएपीएक्स – आर – 3.0**

स्कूलों में कक्षा 10 के व्यावहारिक/ परियोजना/ आंतरिक मूल्यांकन के अंको को जमा करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल

9) **ई–थ्योरी आर 3.0**

मुख्य नोडल पर्यवेक्षक को बैग आवंटन, मूल्यांकन निगरानी, प्रश्न–वार सैद्धान्तिक अंक अपलोड करने और पुरस्कार सूची के ऑनलाइन सृजन की एक ऑनलाइन प्रणाली।

10) **टेट्रा : सिद्धांत मूल्यांकन प्रवृत्ति विश्लेषण आर–2.0**

वास्तविक समय मूल्यांकन निगरानी पर आधारित एक अद्वितीय पोर्टल और निर्णय समर्थन प्रणाली। इस प्रणाली में मूल्यांकन प्रवृत्ति की कल्पना, विश्लेषण और निगरानी की जा सकती है। यह विभिन्न सांख्यिकीय डाटा भी उत्पन्न करता है और वास्तविक समय में चित्रात्मक प्रतिनिधित्व देता है।

11) **ईसीएल – परीक्षा केंद्र लोकेटर ऐप आर–2.0**

सीबीएसई परीक्षार्थियों को बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों मे सुविधा प्रदान करने के लिए, एक मोबाइल ऐप विकसित और कार्यान्वित की गयी जिसके द्वारा वे अपना परीक्षा और रोल नं. डालकर अपने परीक्षा केंद्र का पता लगा सकते है। यह परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए मार्ग भी बताता है।

12) **ओईक्यूपीडी – ऑनलाइन एनक्रिप्टेड प्रश्न पत्र वितरण प्रणाली आर–2.0**

सही समय पर एन्क्रिप्शन, प्रसार, डिक्रिप्शन और प्रश्न पत्र की त्वरित छपाई और प्रश्न पत्र के सुरक्षित वितरण के लिए एक प्रणाली ताकि लीकेज की किसी भी संभावना को रोका जा सके।

13) **ओईसीएमएस – ऑनलाइन परीक्षा केंद्र प्रबंधन प्रणाली आर–3.0**

व्यापक निर्णय समर्थन प्रणाली जिसमें एक पोर्टल और बैकएंड प्रणाली शामिल है और जिसमें केंद्रों और परीक्षाओं के संचालन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी के साथ प्रश्न पत्र (नों) के बारे में प्रतिपुष्टि, उत्तरपुस्तिकाओं की पैकिंग और प्रेषण, पर्यवेक्षकों के बारे में जानकारी आदि शामिल हैं।

14) **री–इंजीनियर आउटलायर सिस्टम**

यूनिक सॉफ्टवेयर आरओ स्तर पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए पूर्व–परिणाम घोषणा चरण में असंगत अंको के मामलों का सूक्ष्मता से पता लगाने के लिए।

15) **एमसीआरसीएस – मॉड्यूलर कम्प्यूटरीकृत परिणाम संकलन प्रणाली आर–2.0**

कोविड़–19 के कारण 2020 परीक्षा के लिए नए व्यावसायिक नियमों के साथ पुनः इंजीनियरिंग और कार्यान्वयन।

16) मुख्य और अनुपूरक परीक्षा 2020 दोनों के लिए दसवीं और बारहवीं कक्षा के परिणामों का सफल संकलन, प्रसंस्करण, संयोजन और घोषणा

17) **ओईसीसीएस – प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्र सहमति प्रणाली आर–2.0**

सीबीएसई द्वारा संचालित की जा रहीं विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए संस्थानों का विवरण और उनसे सहमति प्राप्त करने के लिए पोर्टल।

18) **ओईओसीएस– प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा पर्यवेक्षक प्रणाली आर–2.0**

सीबीएसई द्वारा संचालित की जा रहीं विभिन्न परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षक (पर्यवेक्षकों) के रूप में कार्य करने के लिए शिक्षाविदों और शिक्षा अधिकारियों से सहमति प्राप्त करने का पोर्टल।

19) **परीक्षा सुविधा' ऐप और वेब पोर्टल**

उन निजी उम्मीदवारों के लिए ऐप और पोर्टल जो कोविड–19 के कारण जुलाई 2020 परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के जिले को बदलना चाहते हैं।

20) कोविड–19 के कारण जुलाई 2020 परीक्षा के लिए नियमित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र के जिले को बदलने हेतु स्कूलों के लिए एक पोर्टल।

21) **सीएमटीएम– गोपनीय सामग्री ट्रैकिंग और निगरानी ऐप्स आर–2.0**

अत्यधिक गोपनीय और संवेदनशील सामग्रियों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए, संरक्षक, केंद्र अधीक्षक और बोर्ड परीक्षा के प्रशासक के लिए तीन अलग–अलग ऐप विकसित किए गए हैं।

22) **आरओ द्वारा निगरानी के लिए सीएमटीएम वेब पोर्टल**

उपर्युक्त सीएमटीएम ऐप्स की निगरानी और कार्यों / निर्णयों के लिए विभिन्न डाटा के विश्लेषण के लिए एक वेब पोर्टल।

23) **सीटीईटी–सीएमटीएम– सीटीईटी परीक्षा के लिए गोपनीय सामग्री ट्रैकिंग और निगरानी एप आर–2.0**

ट्रैकिंग और निगरानी के लिए अति गोपनीय और संवेदनशील सामग्रियों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए, संरक्षक, केंद्र अधीक्षकों, बोर्ड के प्रतिनिधियों, पर्यवेक्षकों और प्रशासक के लिए पांच अलग–अलग ऐप विकसित किए गए हैं।

24) **निदेशक (सीटीईटी) द्वारा निगरानी के लिए सीटीईटी–सीएमटीएम वेब पोर्टल**

उपर्युक्त सीटीईटी–सीएमटीएम एप्स की निगरानी के लिए और प्रशासक द्वारा कार्यों/निर्णयों के लिए विभिन्न डाटा के विश्लेषण के लिए एक वेब पोर्टल।

25) **परिणाम मंजूषा – एक सीबीएसई शैक्षणिक भंडार**

2020 का रिजल्ट डाटा भी अपलोड किया गया था। अब वर्तमान में सत्रह वर्षों अर्थात 2004 से 2020 के कक्षा X और XII के परीक्षार्थियों के परिणाम डाटा नियोक्ताओं और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा सत्यापन के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। इस भंडार पर लगभग 12 करोड़ डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज जैसे अंक तालिका, प्रवास प्रमाण पत्र और पास प्रमाण–पत्र उपलब्ध हैं।

26) दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए कौशल विषयों सहित डिजिटल लॉकर के माध्यम से लगभग 1 करोड़ मुख्य और अनुपूरक परीक्षा से संबंधित डिजिटल दस्तावेज प्रदान करना।

27) सभी प्रकार के आँकड़ों के लिए एकीकृत डैशबोर्ड का विकास। विभिन्न अकादमिक/ प्रवेश निकायों के साथ एपीआई के माध्यम से डाटा साझा करना।

28) **परिणाम मंजूषा में फेस मैचिंग प्रौद्योगिकी**

फेस मैच प्रमाणीकरण को विदेशी छात्रों के लिए उसी प्रणाली में एक दूसरे कारक प्रमाणीकरण के रूप में जोड़ा गया है जहां विदेशी मोबाइल नंबरों पर मोबाइल ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता है। फेशियल मैचिंग तकनीक का उपयोग करने वाली प्रणाली को विदेशी छात्रों को उनके कॉलेज में प्रवेश के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए कोविड स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के रूप में बनाया गया है।

29) **ओवर्स – मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन प्रणाली का ऑनलाइन सत्यापन आर–3.0**

परिणाम के बाद के अंकों का सत्यापन, फोटोकॉपी और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक व्यापक और कम्प्यूटरीकृत प्रणाली।

30) कक्षा IX और XI के लिए पंजीकरण कार्ड ऑनलाइन अपलोड करना

31) **ई – हरकारा – स्कूल के लिए रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम**

स्कूलों के लिए एक पोर्टल, जिसके माध्यम से स्कूल अपने मुद्दों के बारे में सीधे बोर्ड के उपयुक्त प्राधिकारी के साथ संवाद कर सकते हैं और अपने अनुरोधों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। संबंधित प्राधिकारी

इस मुद्दे का सीधे ऑनलाइन संमाधान कर सकते हैं।

32) **ई–संदेश पोर्टल**

विभिन्न हितधारकों को थोक में एसएमएस और ईमेल भेजने के लिए एक पोर्टल।

33) **कला–एकीकृत उदाहरणपरक पोर्टल**

कक्षा– में प्रयोगात्मक और आनंदमय शिक्षण को लागू करने के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की सुविधा के लिए कला–एकीकृत उदाहरणपरक पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक शोध कर सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं और अद्वितीय उदाहरण रख सकते हैं और रचनात्मकता और नवाचार में अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं।

34) **वार्षिक शैक्षणिक योजना**

वार्षिक शैक्षणिक योजना पोर्टल का उद्देश्य एक शिक्षक की शैक्षणिक योजना अर्थात उसकी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में उसके दृष्टिकोण को क्रियान्वित करना है। यह पाठ्यक्रम के प्रत्येक चरण को छात्रों के लिए सार्थक और व्यापक बनाने में शामिल सोच, तैयारी और निष्पादन के चरणों को आत्मसात करता है।

35) **कला सेतु– कला शिक्षा और कला एकीकृत शिक्षा के लिए एक पोर्टल**

कला एकीकृत शिक्षा और अधिगम के बारे में स्कूलों से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल।

36) **सीबीएसई रीडिंग चैलेंज आर–2.0**

आठवीं से दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ने की क्षमता का आकलन करने के लिए पठन चुनौती प्रतियोगिता के लिए पोर्टल।

37) **ओटीएएस – ऑनलाइन शिक्षक पुरस्कार प्रणाली आर– 2.0**

सीबीएसई/राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए एक पोर्टल और बैकएंड प्रणाली से युक्त व्यापक और अत्यधिक पारदर्शी प्रणाली।

38) **प्रशिक्षणः सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण पोर्टल आर–2.0**

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) पोर्टल।

39) **ई–ऑफिस कार्यान्वयन**

16 आरओ और 16 सीओई सहित बोर्ड के सभी कार्यालयों में लागू किया गया। ई–ऑफिस को 500 उपयोगकर्ताओं से बढ़ाकर 1000 उपयोगकर्ताओं तक करना।

40) **स्पैरो**

बोर्ड के सभी कर्मचारियों के लिए स्पैरो लागू किया गया।

41) **सीबीएसई ईजीआईएफ–सीबीएसई कर्मचारी शिकायत विचार और प्रतिक्रिया**

सीबीएसई ईजीआईएफ विशेष रूप से सीबीएसई कर्मचारियों के लिए विकसित एक त्वरित संचार प्रणाली है जिसके माध्यम से वे सीबीएसई के कामकाज के बारे में शिकायतों, विचारों और प्रतिक्रिया के बारे में अध्यक्ष के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं और अपने अनुरोध की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।

42) **वीडीआईएस– वर्चुअल विभागीय पूछताछ प्रणाली**

वर्तमान कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण, जाँच समितियाँ प्रत्यक्ष रूप से जाँच कार्यवाही को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं थीं। मामलों की संवेदनशीलता और समयसीमा को ध्यान में रखते हुए ''वर्चुअल विभागीय पूछताछ प्रणाली (वीडीआईएस)'' विकसित और कार्यान्वित की गई।

43) **ओआईपीआर–ऑनलाइन अचल संपत्ति रिटर्न**

ऑनलाइन अचल संपत्ति रिटर्न जमा करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया और सतर्कता विभाग द्वारा निगरानी के प्रावधान के साथ ई–कर्मिक पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया।

44) **केंद्रीय कमांड केंद्र सी3**

सभी डाटा चालित निर्णयों के लिए वन स्टॉप पोर्टल। सी3 में बोर्ड के पास उपलब्ध सभी प्रकार का डाटा शामिल हैं। उपयोगकर्ता (सभी विभागाध्यक्ष) अपनी आवश्यकता के अनुसार डाटा को निकाल सकते हैं। इस पोर्टल में डैशबोर्ड भी है।

45) **गैलेक्सी – पूर्व छात्र वेब पोर्टल**

इस वेब पोर्टल को बोर्ड के पूर्व छात्रों के पंजीकरण के लिए आंतरिक रूप से विकसित किया गया है।

46) **हितधारक समर्थन प्रणाली (एस3)**

बोर्ड के सभी हितधारकों को दी जा रही सूचना/सेवाओं का प्रसार करने और उनके अनुरोधों को उचित रूप से संसाधित करने के लिए एक एकीकृत वन स्टॉप पोर्टल।

47) **शिक्षा मंत्रालय के लिए एमआईएस राष्ट्रीय घटक पोर्टल**

एमआईएस राष्ट्रीय घटक पोर्टल एमआईएस डाटा के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत पोर्टल है, जिसे शिक्षा मंत्रालय के लिए विकसित किया गया है।

48) **नवशाला ऐप्स**

पुस्तकालय, लैब और स्मार्ट कक्षाओं से संबंधित गतिविधियों को रिकॉर्ड करने और उनकी निगरानी करने के लिए नवोदय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति के लिए एक ऐप।

49) कक्षा VI और IX में प्रवेश के लिए ऑनलाइन जेएनवी आवेदनों के लिए पोर्टल का विकास।

50) **एनवीएस अभिरक्षकों, केंद्र अधीक्षक, प्रधानाध्यापकों और प्रशासक के लिए एनसीएमटीएम ऐप्स आर– 2.0**

अत्यधिक गोपनीय और संवेदनशील सामग्री की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए चार ऐप (जेएनवीएसटी परीक्षा से संबंधित) इसकी ट्रैकिंग और निगरानी अभिरक्षक, केंद्र अधीक्षक, प्रशासक और प्राचार्य द्वारा की जाएगी।

51) **एनवीएस द्वारा निगरानी के लिए एनसीएमटीएम वेब पोर्टल आर– 2.0**

विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा एनसीएमटीएम ऐप्स की निगरानी के लिए पोर्टल।

छात्रवृत्ति योजनाएं

सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को और छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए, बोर्ड की निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं हैं:

- एमएचआरडी द्वारा प्रायोजित कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों (सीएसएसएस) के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना
- एकल बालिका मेरिट छात्रवृति योजना
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बोर्ड मेरिट छात्रवृत्ति योजना
- सीबीएसई के कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना
- (स्वर्गीय) श्री लक्ष्मण सिंह कोठारी स्मृति पुरस्कार।

जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक छात्रवृत्ति योजनाओं के पुरस्कार का विवरण

क्र. सं.	योजना	छात्रवृत्ति
1.	कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (सीएसएसएस) (2020 – नवीन) (शिक्षा मंत्रालय द्वारा वितरित छात्रवृत्ति) प्रथम नवीनीकरण 2019, द्वितीय नवीनीकरण 2018, तृतीय नवीनीकरण 2017 और चतुर्थ नवीनीकरण 2016 (शिक्षा मंत्रालय द्वारा वितरित छात्रवृत्ति)	पंजीकृत – 6163 सत्यापित – 2325 (सत्यापन प्रक्रिया में है) (राष्ट्रीय छात्रवृत्तिपोर्टल के माध्यम से) नवीनीकृत– 6198 सत्यापित – 5565 (सत्यापन प्रक्रियाधीन है) (राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से)

क्र. सं.	योजना	छात्रवृत्ति
2.	एकल बालिका – X उत्तीर्ण 2019 (नवीन)) एकल बालिका – X उत्तीर्ण 2018 (नवीनीकरण 2019)	1487 (प्रदान की गई) 519 (प्रदान की गई)
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बोर्ड की मेरिट छात्रवृत्ति – कक्षा X और XII 2019 कक्षा X और XII के लिए प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या क्रमशः 23 और 25 हैं।	वर्ष 2019 कक्षा X के लिए 25 कक्षा XII के लिए 25
4.	वर्ष 2020 के लिए बोर्ड की वार्ड छात्रवृत्ति योजना	166 (प्रदान की गई)
5.	2019 के लिए कक्षा XII और X को 0.1% मेरिट प्रमाण पत्र जारी करना 2020 के लिए कक्षा XII और X को 0.1% मेरिट प्रमाण पत्र जारी करना	कक्षा XII / 2019 – 22,969 (संस्थान में मुद्रित प्रेषित मेरिट प्रमाणपत्रों की संख्या) कक्षा X / 2019 – 29,196 (संस्थान में मुद्रित प्रेषित मेरिट प्रमाणपत्रों की संख्या) कक्षा X / 2020 – 20892 (मेरिट प्रमाणपत्रों की संख्या) कक्षा XII / 2020 – 35661 (मेरिट प्रमाणपत्रों की संख्या) (कार्य प्रक्रियाधीन है)
6.	वर्ष 2020 के लिए (स्वर्गीय) श्री लक्ष्मण सिंह कोठारी स्मृति पुरस्कार	13.08.2020 को सम्मेलन हॉल, शिक्षा केंद्र, सीबीएसई, प्रीत विहार, दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दिव्यांशी जैन और तुषार सिंह (पुरस्कार विजेता)

मानसिक–सामाजिक कल्याण: सीबीएसई परामर्श कार्यक्रम

सीबीएसई परामर्श बोर्ड का एक वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों की विभिन्न श्रेणियों को परीक्षा से पहले और बाद में निःशुल्क परामर्श देना है।

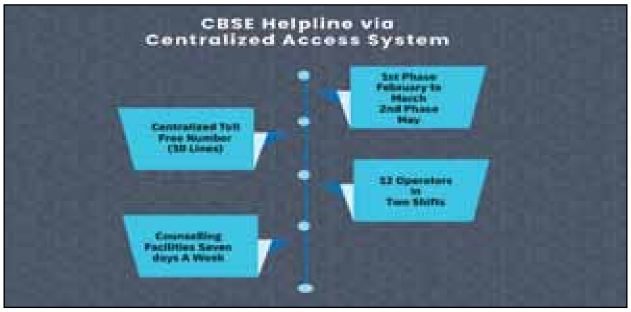

इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संचार और आउटरीच के पारंपरिक और उन्नत तरीके अपनाए जाते हैं। सीबीएसई ने इस अग्रणी सामुदायिक कार्य को 23 साल पहले 1998 में शुरू में टेलीफ़ोनिक परामर्श प्रदान करके शुरू किया था, जो अब विभिन्न तरीकों और कार्यक्षेत्रों में विस्तारित हो गया है:

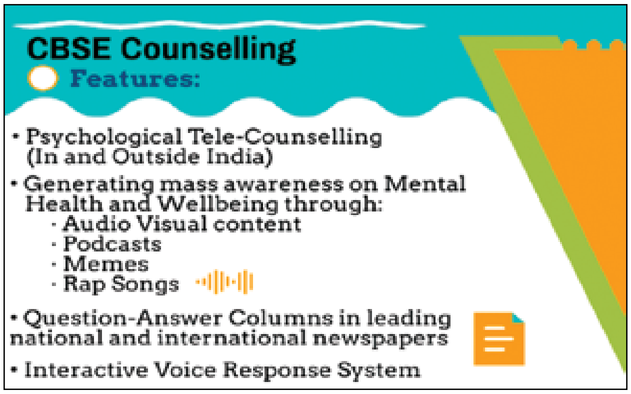

इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस)

सीबीएसई एक टोल फ्री नंबर पर आईवीआरएस की सुविधा मुहैया कराती रही है। छात्र/माता–पिता/हितधारक बोर्ड परीक्षाओं से निपटने के लिए पूर्व–दर्ज उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें बेहतर तैयारी, समय और तनाव प्रबंधन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ–साथ लाइव टेली–काउंसलिंग सेवाएं शामिल हैं।

दिव्यांग छात्रों के लिए परामर्श

सीबीएसई दिव्यांग छात्रों के लिए परामर्श सुविधा की भी व्यवस्था करता है। इस अवधि के दौरान प्रश्नों को हल करने के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं।

श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से परामर्श

सीबीएसई की वेबसाइट पर छात्रों के साथ–साथ माता–पिता से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे क्रोध, इंटरनेट की लत विकार, अवसाद, परीक्षा की चिंता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, पदार्थ उपयोग विकार और जीवन कौशल पर ऑडियो–विजुअल प्रस्तुतियां प्रदान की गई।

पॉडकास्ट

छात्रों, अभिभावकों और जनता के लिए पॉडकास्ट और अन्य सहायता सामग्री भी बनाई गई और उपलब्ध कराई गई। बोर्ड के ई–मेल के माध्यम से छात्रों के प्रश्नों का अनुकूल और शीघ्रता से उत्तर दिया गया।

सोशल मीडिया एंगेजमेंटः यूट्यूब, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देने, महत्वपूर्ण संदेशों को साझा करने और छात्रों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए किया गया। छात्रों के लाभ के लिए इन प्लेटफॉर्म पर टिप्स और एफएक्यू भी साझा किए गए।

समाचार पत्रों में प्रश्न–उत्तर कॉलम– सीबीएसई विशेषज्ञों ने साप्ताहिक प्रश्न–उत्तर कॉलम के माध्यम से छात्रों के प्रश्नों का उत्तर दिया, जो फरवरी के महीने में भारत और विदेशों में प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे।

द न्यू लैंग्वेज ऑफ मीम्सः युवाओं के साथ जुड़ने के लिए एक नवीन उपक्रम

सीबीएसई ने X/XII परीक्षा 2019–20 के दौरान छात्रों/अभिभावकों के साथ और अधिक रोचक तरीके से जुड़ा रहा। अपनी परीक्षा की चिंता को कम करने के लिए और साथ ही उन्हें समय प्रबंधन, परीक्षा की नैतिकता के बारे में जागरूक करने के लिए, 22 मीम्स घर में बनाए गए और 15.02.2020 से शुरू होने वाले सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए, जिस पर छात्रों की जबरदस्त प्रतिक्रिया दिखी।

कोविड–19 के दौरान मीम्स

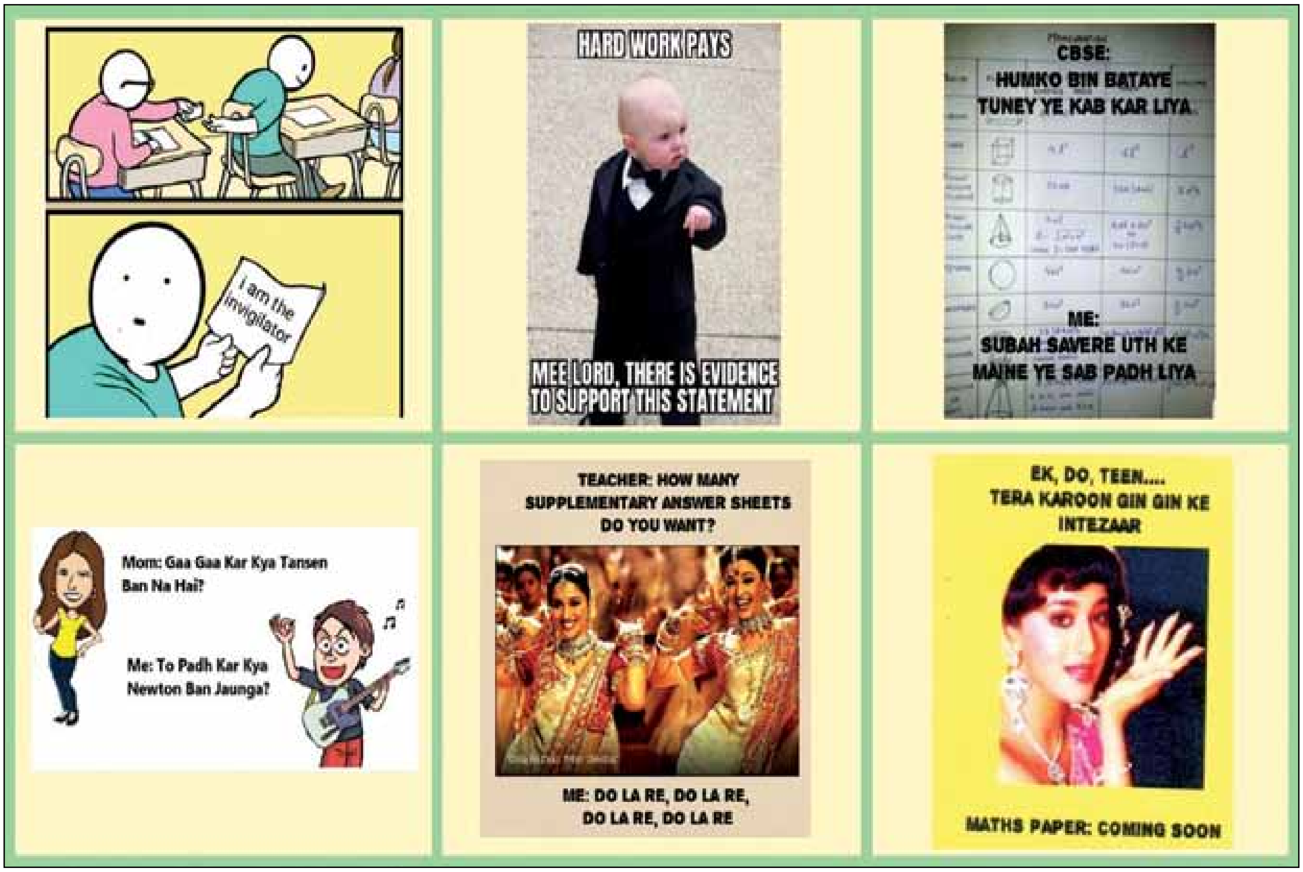

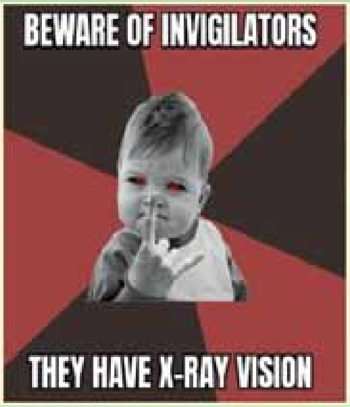
BEWARE OF INVIGILATORS
THEY HAVE X-RAY VISION

CBSE (MADHUBALA) : HAAL KAISA HAI JANAAB KA?
STUDENT (KISHOR KUMAR): DEPENDS ON... KYA SAWAAL HAI AAPKA?

A STUDENT AT REST, WILL REMAIN AT REST, UNTIL THE FORCE OF A MOTHER IS APPLIED
MAY THE FORCE BE WITH YOU

CBSE: I have board exams for 214 subjects
Student: I have only 5 papers. I win!

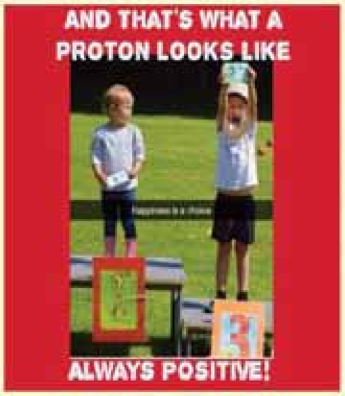
AND THAT'S WHAT A PROTON LOOKS LIKE
ALWAYS POSITIVE!

Me on way to appear for Biology paper
Today's The Daaaaay!

Instead of:
Say:
Dude, these are my favourite clothes
Only school uniform
Mera mobile, meri duniya
No mobiles at exam centre
Running late counts as exercise
No entry after 10 am
But this pouch goes with my style
Only transparent pouch
Oops! Forgot to take parent's autograph
Only fully signed admit cards

IN EXAMS ITS COMPULSORY TO WRITE IN PENS "BLUE"
BALLPOINTS OF ANY KIND OR GEL PENS WILL DO
NOW DON'T SAY LATER "I DIDN'T HAVE A CLUE"

KITNAY AADMI THAY?
GABBAR SINGH NAY TOH EK HI BAAR POOCHA THA
CBSE ROZANA YE SAWAAL POOCHTI HAI, WOH BHI ONLINE!

ME:
TUJHEY BHULA DIYA
OOOOO
PHIR KYOON TERI YADON NE
OOOOO
MUJHEY RULA DIYA...
WI-FI
MOM:
JITNA PREM WIFI SE HAI
UTNA APNI KITABON SE BHI KAR LO!

When you pull an all nighter and don't sleep before the exam
Your brain during the exam:

ARE YOU SERIOUS?!
CBSE TO TAKE ACTION AGAINST THOSE SPREADING FAKE NEWS

पॉडकास्टः परीक्षा के दौरान, परीक्षा समय की स्थितियों का प्रबंधन करने और परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करने के लिए छात्रों के साथ निम्नलिखित विषयों पर 09 पॉडकास्ट साझा किए गए हैं। छात्रों के लिए ट्विटर और यूट्यूब चैनलों पर एफएक्यूके 87 ऑडियो विजुअल भी उपलब्ध कराए गए।

मीडिया और पब्लिक में रैप सांग हिट

परीक्षा गानः छात्रों के साथ जुड़ने और परीक्षा पहलुओं को साझा करने के लिए एक्जाम पर आधारित एक रैप को बोर्ड की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। इसे 469,140 से अधिक बार देखा गया है।

CBSE releases its official rap song 'CBSE Exam Anthem'

NAGPUR: After creating funny memes to connect with its young 'audience, CBSE has now expanded its creative boundaries by recording rap song about beat exam stress. The rap song is set to the tune and beat of a popular bollywood movie number and is a complete in-house CBSE production. The song is titled "CBSE Exam Anthem".

CBSE released the 'CBSE Exam Anthem' on Monday evening.

Lyrics were written by a small team at CBSE, which included even chairperson Anita Karwal who penned down a few stanzas. The song was sung and recorded by students of a Delhi Public School branch at the capital along with their staff members.

TOI+ Want to read The Times Of India without ads? Get one month free trial of Times Prime Membership

अभूतपूर्व हैंडलिंग: लॉकडाउन अवधि

अतिरिक्त हेल्पलाइन– कोरोना महामारी के कारण, सीबीएसईने 24 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक छात्रों के लिए कोरोना वायरस सुरक्षा उपायों पर दो अतिरिक्त टोल–फ्री टेली हेल्पलाइन शुरू कीं हैं। समर्पित कोरोना वायरस डाग्गार्ड टेली काउंसलिंग सेवा प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा प्रदान की गई थी जो छात्रों/अभिभावकों के साथ–साथ आम जनता के लिए और निवारक देखभाल पर मार्गदर्शन प्रदान किया और उन्हें उनके भय और चिंताओं की देखरेख के तरीके के बारे में परामर्श दिया। यह सुविधा सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक टोल फ्री नंबर पर उपलब्ध थी। समर्पित कोरोना वायरस सुरक्षित टेली–काउंसलिंग सेवा अतिरिक्त प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा प्रदान की गई थी, जो कोरोना प्रसार को रोकने के लिए फर्स्ट एड पर ट्रांसमिशन और परामर्श को कम करने, निवारक हस्तक्षेप के लिए छात्रों/अभिभावकों से संबंधित है। वे छात्रों को घर पर रहने के दौरान उपयोगी और सृजनात्मक गतिविधियों में जोड़ने में सहायता करेंगे।

CBSE Rap Song: सीबीएसई ने लॉन्च किया रैप सॉन्ग, भाग जाएगा स्टूडेंट्स का स्ट्रेस

हॉस्टल के छात्रों को विशेष सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श: सीबीएसई ने बोर्डिंग स्कूलों और उनके स्कूल प्रबंधन के साथ संपर्क स्थापित करके बोर्ड से संबद्ध बोर्डिंग स्कूलों के छात्रों को सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया। टेली–काउंसलिंग नंबरों की सूचना सभी स्कूलों को दी गई और प्रत्येक बच्चे जो हॉस्टल में थे,को दी गई।

कोविड श्रेणी के तहत लोक शिकायत निपटान

कोविड–19 से संबंधित शिकायतों से संबंधित एक विशेष कोरोनाश्रेणी बनाई गई थी और इस विशेष श्रेणी के तहत प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों को 03 दिनों के भीतर जवाब दिया गया था।

छात्र गतिविधियाँ साझा करना: सभी संबद्ध स्कूलों के छात्रों को लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो/चित्र / संदेश भेजने के लिए आमंत्रित किया गया था। कोविड –19/ लॉकडाउन के दौरान रचनात्मक विचारों और छात्रों की स्वाभाविक प्रतिभा को दर्शाने वाले कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सभी के लिए साझा किए गए।

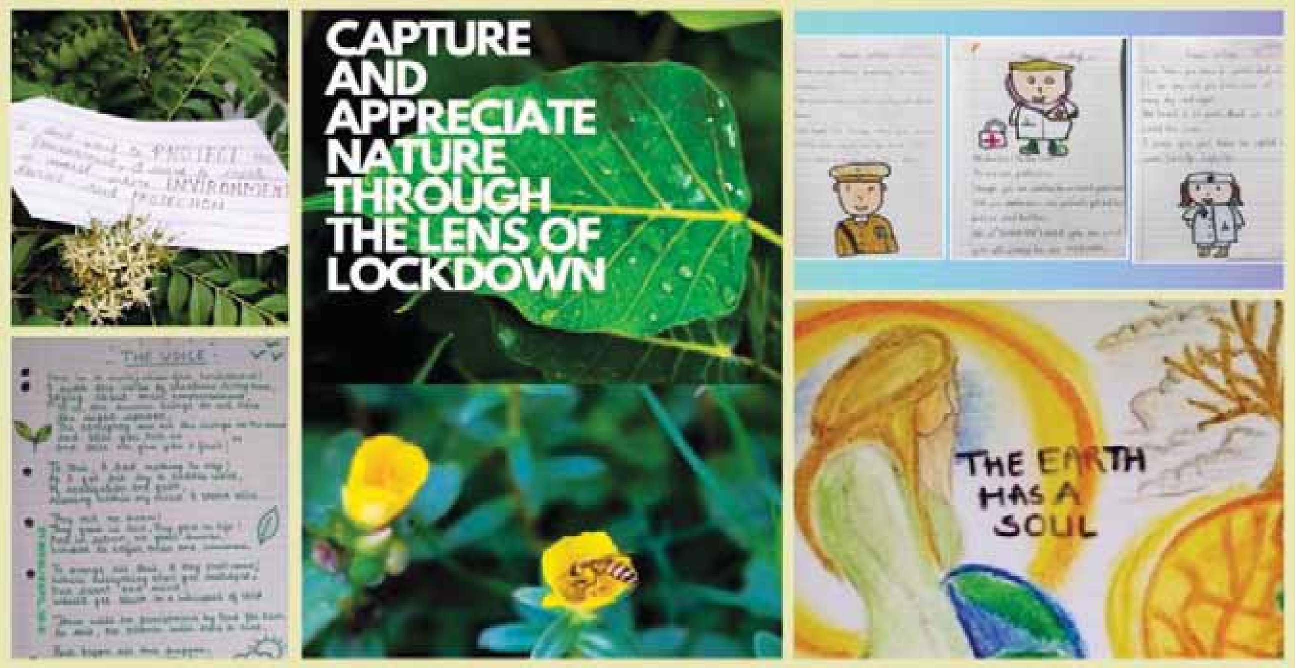

फिट इंडिया एक्टिविटीज के लिए जागरूकताः लॉकडाउन के दौरान फिटनेस गतिविधियों को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, सीबीएसई ने लॉकडाउन के दौरान फिट इंडिया गतिविधि का समर्थन और सुविधा प्रदान की। क्योंकि फिट इंडिया गतिविधियों के लाइव सत्र दैनिक आधार पर आयोजित किए गए थे, उनके पोस्ट सोशल मीडिया पर व्यापक जन जागरूकता और भागीदारी/व्यूअरशिप के लिए साझा किए गए थे।

सार्वजनिक जवाबदेही और पहुंच

हाल के दिनों में सोशल मीडिया के उद्भव और इस क्षेत्र में सार्वजनिक भागीदारी और रुचि के बढ़ने के साथ, बोर्ड ने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और ट्विटर पर लगातार सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं और बोर्ड के हितधारकों के साथ व्यापक कनेक्टिविटी और संचार के लिए इसके महत्व और उपयोगिता को स्वीकार किया हैं।

आरटीआई और लोक शिकायत निवारण की निगरानी

सीबीएसई ने सार्वजनिक सुविधा के लिए अपने अभियान में पारदर्शी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम के साथ आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र और सूचना प्रकटीकरण प्रक्रियाओं को संरेखित किया है। बोर्ड लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन आरटीआई और सार्वजनिक शिकायत निपटान की निगरानी और सुविधा प्रदान करता है।

कुल निपटान की गई आरटीआई और शिकायतें (जनवरी 2020 से दिसंबर 2020)

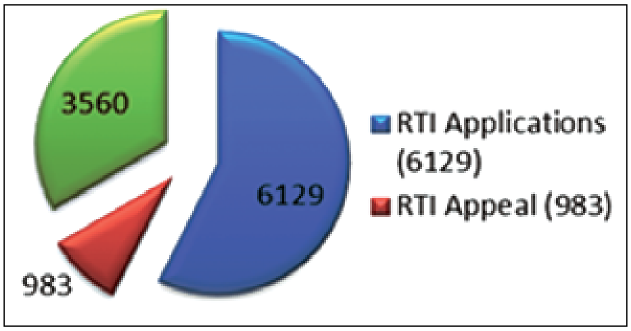

सोशल मीडिया: अपसर्ज

सीबीएसई सोशल मीडिया हैंडल जनसामान्य के लिए सूचना के प्रामाणिक स्रोत के रूप में उभरा है। लॉकडाउन अवधि के दौरान, देखने वालों और सब्सक्राइबर की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस)

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) जिसे पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एनओएस) के रूप में जाना जाता था, को 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), नई दिल्ली के अंतर्गत "ओपन स्कूल" नामक एक अग्रणी परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई –1986), भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के प्रावधान के अनुसरण में 23 नवंबर 1989 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एनओएस) को एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। सीबीएसई की 'ओपन स्कूल' परियोजना को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एनओएस) में समायोजित किया गया था। एनओएस को भारत सरकार के 14 सितंबर, 1990 के एक संकल्प के माध्यम से पूर्व–डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों के साथ पंजीकृत छात्रों की जांच करने और प्रमाणित करने के अधिकार के साथ स्थापित किया गया था, जिसे 20 अक्टूबर 1990 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। नेशनल ओपन स्कूल (एनओएस) जुलाई 2002 में भारत सरकार द्वारा नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) कर दिया गया ताकि इसका दायरा और कार्यप्रणाली का विस्तार हो सके।

विजन

- "गुणवत्तायुक्त स्कूली शिक्षा और कौशल विकास के लिए सार्वभौमिक और सरल पहुंच के साथ सतत समावेशी शिक्षा प्रदान करना"

मिशन

- ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) सिस्टम के माध्यम से डिग्री स्तर के प्रासंगिक सतत और समग्र शिक्षा प्रदान करना।
- स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण में योगदान देना।
- समान इक्विटी और सामाजिक न्याय के लिए प्राथमिकता वाले लक्षित समूह की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

शैक्षणिक

स्वयम प्रभा/ई–विद्या प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों और स्कूल बंद होने के परिणामस्वरूप आवश्यक सामाजिक दूरी की आवश्यकता के अनुसरण में, एनआईओएस ने शिक्षार्थियों के लाभ के लिए इष्टतम उपयोग के लिए कोविड–19 अवधि के दौरान और अनलॉक अवधि के बाद उपलब्ध शिक्षण प्लेटफार्मों का उपयोग किया। एनआईओएस ने 7 अप्रैल 2020 से स्वयं प्रभा– पाणिनी (माध्यमिक) और शारदा (वरिष्ठ माध्यमिक) चैनलों पर प्रतिदिन लाइव कार्यक्रम प्रदान करने के इस अभिनव विचार के साथ शुरुआत की। इस पहल के माध्यम से, एनआईओएस सफलतापूर्वक देश के शिक्षार्थियों तक विशेष रूप से दूर–दराज में पहुंच गया। जिन क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान इंटरनेट तक पहुंच नहीं है।

परिचर्चा का प्रसारण स्वयं प्रभा के चैनल नं. 27 (पाणिनी) और 28 (शारदा) में एनआईओएस और सीबीएसई के माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षार्थियों के साथ दोपहर 1:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक छह घंटे की लाइव बातचीत शामिल है। सुबह 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक विभिन्न विषयों के रिकॉर्ड किए गए वीडियो प्रसारित किए गए। कार्यक्रम देश भर में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के पास निशुल्क उपलब्ध थे।

बाद में, इन कार्यक्रमों का प्रसारण सितंबर, 2020 से पीएम ई–विद्या चैनल के माध्यम से किया गया। एनआईओएस ने माध्यमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर सांकेतिक भाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए लाइव सत्र को 2 घंटे (कुल 8 घंटे) तक बढ़ा दिया। व्यावसायिक कार्यक्रम हैंड्सन प्रशिक्षण में सहायक थे और सांकेतिक भाषा कार्यक्रम श्रवण बाधित और सुनने में कठिनाई वाले शिक्षार्थियों के लिए एक वरदान थे। ये लाइव कार्यक्रम एनआईओएस पाठ्यक्रमों के अलावा औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली की अधिगम आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयोजित किए गए थे, जिसमें देश भर में अधिकाशं संख्या में शिक्षार्थियों के निरंतर अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए लाइव और इंटरैक्टिव सत्र में औपचारिक स्कूल प्रणाली के मुख्य विषयों को शामिल किया गया था। लाइव सत्रों को लोकप्रियता हासिल हुई क्योंकि सत्रों के दौरान देश भर के शिक्षार्थियों से बहुत सारे प्रश्न/प्रश्न प्राप्त हुए जो ईमेल या टोल फ्री टेलीफोन पर प्रस्तुत किए गए थे। एनआईओएस ने इस प्रयास में केवीएस और एनवीएस के शिक्षकों को शामिल किया। एनआईओएस द्वारा स्काइप के साथ–साथ एनआईओएस स्टूडियो से शिक्षक से जुड़कर सामग्री प्रदान की गई थी। चैनलों को बीआईएसएजी, गांधीनगर से अपलिंक किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, सिंगापुर और नेपाल के शिक्षार्थियों ने भी इसमें शामिल होकर सहभागिता की।

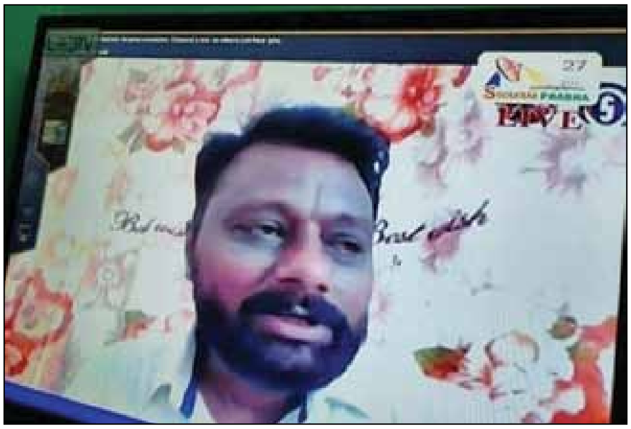

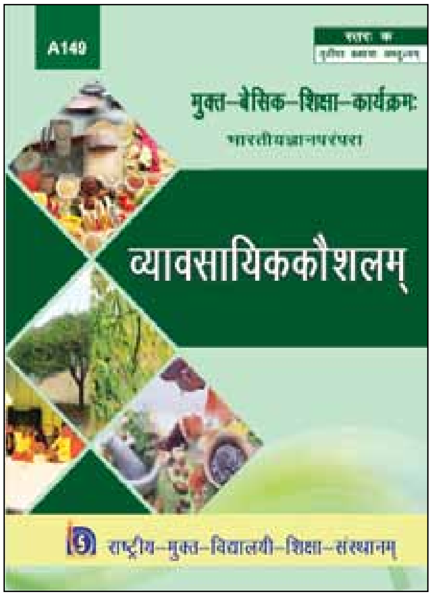

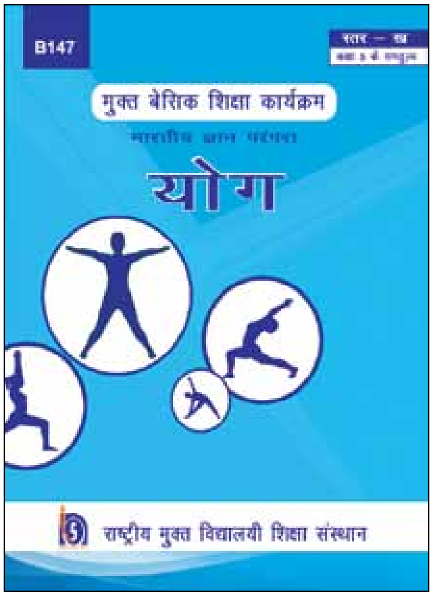

संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत ए/बी/सी स्तरों पर 5 नए विषयों का विकास

भारतीय ज्ञान परम्परा (भारतीय ज्ञान पद्धति) पाठ्यक्रम माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर संस्कृत माध्यम में शुरू किए गए थे। पाठ्यक्रम का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपराओं को पुनर्जीवित करना और इसे सभी के लिए सुलभ बनाना है। ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ए, बी और सी स्तर पर प्रारंभिक स्तर पर भारतीय ज्ञान पद्धति में 5 विषयों में पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों को हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में विकसित किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं:

स्तर क	स्तर ख	स्तर ग
संस्कृत	संस्कृत	संस्कृत
वेद	वेद	वेद
योग	योग	योग
विज्ञापन	विज्ञापन	विज्ञापन
व्यावसायिक कौशल	व्यावसायिक कौशल	व्यावसायिक कौशल

दिव्यांग व्यक्तियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में वीडियो तैयार करना

दिव्यांग व्यक्ति एनआईओएस के लिए प्राथमिकता वाले समूहों में से एक हैं। एनआईओएस लचीलेपन और सुविधाओं के अनूठे युग्म के साथ बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों तक पहुंचने का प्रयास करता है। उनकी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने की दिशा में सक्रिय पहलों के परिणामस्वरूप डेज़ी सक्षम टॉकिंग बुक्स की शुरुआत की गई। देश में करीब 70 लाख बधिर और कम सुनने वाले लोग हैं। एनआईओएस ने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से बधिर शिक्षार्थियों को सांकेतिक भाषा सीखने के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कई कार्यनीतियां तैयार की हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक सामग्री तक व्यापक पहुंच प्रदान करने के लिए, भारतीय सांकेतिक भाषा में 84 वीडियो तैयार किए गए। ये वीडियो एनआईओएस चैनल पर यू–ट्यूब पर अपलोड किए गए थे। एनआईओएस सितंबर, 2020 से पीएम ई–विद्या 10 चैनल के माध्यम से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विभिन्न विषयों में सांकेतिक भाषा में लाइव कार्यक्रम भी प्रसारित कर रहा है। एनआईओएस ऐसा पहला राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड है जिसने देश में भारतीय सांकेतिक भाषा में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई है।

नए पाठ्यक्रम और अनुवाद की शुरूआत

एनआईओएस की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए स्व–शिक्षण सामग्री का विकास और नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत एक सतत कार्यकलाप है। इस संदर्भ में, एनआईओएस ने माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2020 से निम्नलिखित नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं:

माध्यमिक स्तर

i. उद्यमिता

ii. हिंदुस्तानी संगीत (हिंदी माध्यम में अनुवादित)

iii. कर्नाटक संगीत (हिंदी माध्यम में अनुवादित)

क्यूआर कोड एकीकरण और स्व–शिक्षण सामग्री का डिजिटलीकरण

एनआईओएस ने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर क्यूआर (त्वरित प्रतिक्रिया) कोड और एसएलएम का डिजिटलीकरण शुरू किया है। क्यूआर कोड में लाभ मौजूद हैं जो मुद्रित शिक्षण सामग्री को आकर्षित करने और अधिक

पाठकों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। क्यूआर कोड में टेक्स्ट, लिंक (वेबसाइटों, वीडियो, फाइलों के लिए) और बहुत कुछ होता है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 54 पाठ्यक्रमों का डिजिटीकरण किया गया।

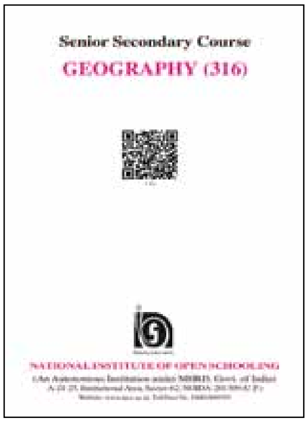

स्वयं के लिए एमओओसी का विकास

एनआईओएस ने अपने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक अध्ययन सामग्री के लिए बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) विकसित किए हैं। इस नई पहल के माध्यम से, एनआईओएस शिक्षार्थियों को अध्ययन के लिए पहुंच और स्वतंत्रता प्रदान करने और किसी भी समय, कहीं भी इन–बिल्ट सेल्फ–चेक अभ्यासों के माध्यम से स्व–मूल्यांकन करने की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि, प्रमाण पत्र के लिए, शिक्षार्थी "ऑन–डिमांड परीक्षा प्रणाली" के माध्यम से अपनी सुविधानुसार परीक्षा के लिए पंजीकरण करेंगे और परीक्षा देंगे।

'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स' (स्वयम) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों, पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों को सर्वाधिक वंचितों सहित सभी तक पहुँचाना है। एनआईओएस स्वयम के तहत एक राष्ट्रीय एमओओसी समन्वयक (एनएमसी) है और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब तक, एनआईओएस ने माध्यमिक पाठ्यक्रमों के 18 विषयों और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रमों के 20 विषयों के लिए एमओओसी विकसित किए हैं। ई–कंटेंट में ऑडियो और वीडियो को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम www.swayam.gov.in पर उपलब्ध हैं।

एनआईओएस शिक्षार्थियों के लिए वर्कशीट

एनआईओएस ने शिक्षार्थियों के लिए माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर सभी विषयों में वर्कशीट तैयार की ताकि अध्ययन को अधिक आकर्षक और व्यापक बनाया जा सके। प्रत्येक वर्कशीट में 10 प्रश्न होते हैं जो शिक्षार्थियों को अपने जानकारी को जांचने और उसे लागू करने में सक्षम बनाते हैं और साथ ही इसे व्यक्तिगत अनुभवों के साथ भी जोड़ते हैं। वर्कशीट को अंग्रेजी और हिंदी में विकसित किया गया और एनआईओएस वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

मूल्यांकन और आकलन

मूल्यांकन और आकलन शिक्षण–अधिगम प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार ने 1990 में एनआईओएस को पूर्व–स्नातक स्तर तक शिक्षार्थियों की जांच और प्रमाणित करने का अधिकार दिया। एनआईओएस एकमात्र बोर्ड है जो माध्यमिक (10वीं), वरिष्ठ माध्यमिक (12वीं) और व्यावसायिक परीक्षा के लिए हर साल दो लोक परीक्षाएं आयोजित करता है। एनआईओएस 1991 से लोक परीक्षा आयोजित कर रहा है। इसके अलावा, एनआईओएस अपने क्षेत्रीय केंद्रों पर माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर आईसीटी सक्षम 'ऑन डिमांड परीक्षा (ओडीई)' का भी आयोजन करता है और सार्वजनिक परीक्षा को छोड़कर पूरे भारत में 45 केवी की पहचान करता है।

एनआईओएस परीक्षा प्रणाली में लचीलापन

एनआईओएस शिक्षार्थियों को परीक्षा से संबंधित मुद्दों जैसे (एक ही परीक्षा में सभी विषयों में उपस्थित होने की कोई बाध्यता नहीं) परीक्षार्थी की तैयारी और सुविधा के अनुसार परीक्षा में एक या एक से अधिक विषयों में शामिल होना, उत्तीर्ण विषयों का क्रेडिट संचय, प्रवेश की वैधता के पांच वर्षों की अवधि में सार्वजनिक परीक्षाओं में उपस्थित होने के नौ अवसर, और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से उत्तीर्ण दो विषयों के क्रेडिट का हस्तांतरण और पूर्व एनआईओएस शिक्षार्थी के मामले में चार विषयों तक– बहुत अधिक

लचीलापन प्रदान करता है। शिक्षार्थी को भारत की किसी भी अनुसूचित भाषा में उत्तर लिखने की स्वतंत्रता है।

1991 से 2019–2020 तक– लगभग 7.78 मिलियन शिक्षार्थी (3.93 मिलियन माध्यमिक 3.85 मिलियन वरिष्ठ माध्यमिक) उपस्थित हुए, जिनमें से 4.6 मिलियन (2.41 मिलियन माध्यमिक और 2.27 मिलियन वरिष्ठ माध्यमिक के लिए) (60%) प्रमाणित हुए।

उपरोक्त आंकड़े शिक्षार्थी–वार हैं, जहां औसतन प्रत्येक शिक्षार्थी परीक्षा में 3 बार उपस्थित हो सकता है।

अप्रैल 2020 की परीक्षा कोविड –19 महामारी के कारण आयोजित नहीं की जा सकी, हालांकि, परिणामों की गणना आंतरिक मूल्यांकन और व्यावहारिक अंकों के आधार पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार किए गए फॉर्मूले के आधार पर की गई थी। कुल 3.67 लाख शिक्षार्थियों के परिणामों की गणना की गई, जिनमें से 2.76 लाख (75.20%) को प्रमाणपत्र प्रदान किया।

शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार अक्टूबर–नवंबर–2020 परीक्षा अब जनवरी–फरवरी–2021 में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में कुल 2.25 लाख शिक्षार्थी (माध्यमिक – 89 के, वरिष्ठ माध्यमिक– 1.2 लाख और वोकेशनल– 17के) शामिल हो रहे हैं। परिणाम मार्च 2021 के दूसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है।

अगली निर्धारित अप्रैल–मई, 2021 परीक्षा जून, 2021 में आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 3.5 लाख शिक्षार्थियों के उपस्थित होने की संभावना है।

महत्वपूर्ण बिंदु/पहल

1. एनआईओएस की परीक्षा को नियंत्रित करने वाला एक उप–नियम मौजूद है, जो 2012 से लागू है।
2. एनआईओएस की लोक परीक्षाओं के संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए मानदंड और दिशा–निर्देश अप्रैल 2011 से मौजूद है।
3. अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं के रूप में अक्टूबर 2012 परीक्षा से बार कोड की शुरूआत की गई है जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र पर मुद्रित किया गया है।
4. माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रमों के स्कैन उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एनआईओएस की वेबसाइट और डिजी–लॉकर पर अपलोड कर दिए गए हैं।
5. अप्रैल 2014 परीक्षा से परिणाम प्रसंस्करण कार्य में ओएमआर अवार्ड शीट शुरू की गई है।
6. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और एनआईओएस के बीच सार्वजनिक परीक्षा केंद्रों और केवी में ऑन डिमांड परीक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
7. परीक्षा के लिए पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन स्वीकृति की शुरूआत की गई है और परीक्षा केंद्रों के लिए छात्रों का आवंटन, जियो–मैपिंग और स्प्लिट मैपिंग पद्धतियों का उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से केंद्रीय रूप से यादृच्छिक रूप से किया जाता है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है।
8. परीक्षा केन्द्र के लिए परीक्षा केन्द्र सामग्री जैसे उपस्थिति, फोटो रोल/नामांकित नामावली को ऑनलाइन किया गया।
9. परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के प्रयास के तहत, प्रायोगिक परीक्षाओं (रचनात्मक और योगात्मक) के अंकों को ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत की गई। सभी व्यावहारिक परीक्षा केंद्रों को अंक ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। यह एनआईओएस को परिणाम प्रसंस्करण में समय कम करने में सक्षम बनाता है।

क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ

क्षमता निर्माण एनआईओएस का एक अभिन्न अंग है और किसी भी संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। एनआईओएस का क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ (सीबीसी) अपने संकाय, कर्मचारियों, स्वयं पोर्टल, मुक्त विद्यालय के पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए नियमित और आवधिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रशिक्षण/कार्यशाला की सुविधा प्रदान करता है।

एनआईओएस संकाय, स्टाफ एआई/एवीआई समन्वयकों की क्षमता निर्माण

वर्ष के दौरान, सीबीसी ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्यालयों और क्षेत्रीय केंद्रों में अपने संकाय और कर्मचारियों के लिए दस प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित कीं।

स्वयं और स्वयं प्रभा कार्यशाला

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डीटीएच टीवी चैनलों गुलदस्ते – एमओओसी प्लेटफॉर्म, और स्वयं प्रभा – स्वयम के राष्ट्रीय समन्वयक में से एक है। सीबीसी ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में नौ स्वयम और स्वयं प्रभा कार्यशालाओं का आयोजन किया।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)

भारत सरकार ने एनडीएलएम के विस्तार के रूप में जून 2017 से "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान" (पीएमजीदिशा) नामक एक नई योजना की शुरूआत की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों (प्रत्येक पात्र घर में से एक) को प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाना है। कंप्यूटर या डिजिटल पहुंच उपकरणों को संचालित करने के लिए और इसलिए उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित अनुप्रयोगों विशेष रूप से डिजिटल भुगतान का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। सीएससी –ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरे भारत में अपने सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और भागीदार संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एनआईओएस मुख्यालय से ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टरिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीई) द्वारा पहचाने गए नोडल एजेंसियों में से एक के रूप में एनआईओएस द्वारा ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रमाणीकरण किया जाता है। एनआईओएस द्वारा दिसंबर 2020 तक पीएमजीडीआईएसएचए के तहत लगभग 95.24 लाख शिक्षार्थियों का मूल्यांकन और प्रमाणन किया गया, जिसमें 2019–20 के दौरान लगभग 30 लाख शिक्षार्थियों का प्रमाणीकरण शामिल है।

विज़िटिंग टीमों का क्षमता निर्माण और उन्मुखीकरण

कई संस्थान, संगठन और हितधारक प्रत्येक वर्ष मुक्त विद्यालयी शिक्षा की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अपने संकाय/प्रतिनिधियों के एनआईओएस दौरे का कार्यक्रम तय करते हैं। क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ ने अतिथि टीमों के लिए दो प्रेरण कार्यक्रमों की व्यवस्था और इसका आयोजन किया।

व्यावसायिक शिक्षा

प्रस्तावनाः

वीईडी छह प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में लगभग 100 व्यावसायिक कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें योग सहित कृषि और पशुपालन, गृह विज्ञान और आतिथ्य, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और वाणिज्य, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य और पैरामेडिकल शामिल हैं।

इन कार्यक्रमों को एक्रीडिएटिड वोकेशनल इंस्टीट्युट्स (एवीआई) के रूप में पहचाने जाने वाले अध्ययन केंद्रों द्वारा संचालित किया जाता है। एवीआई में पाठ्यक्रम समिति द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम की कक्षाएं एनआईओएस द्वारा विकसित मान्यता मानदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त एक योग्य शिक्षक/प्रशिक्षक द्वारा ली जाती हैं।

विभाग की पहलें:

जदीक्षाः शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त रोडमैप के अनुसार, एनआईओएस ने सीबीएसई और पीएसएससीआईवीई के साथ संयुक्त रूप से व्यावसायिक विषयों के लिए ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रम विकसित करने की शुरूआत की है, जिसे एमएचआरडी के दीक्षा पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध कराया जाना है। तद्नुसार चार व्यावसायिक विषयों की पहचान की गई है और इससे संबंधित कार्य प्रगति पर है।

स्वयम: स्वयम प्लेटफॉर्म के संबंध में, वीईडी ने शिक्षार्थियों के लाभ हेतु एमओओसीएस के रूप में प्रदान किए जाने वाले तीन और पाठ्यक्रमों की शुरूआत की है। ये पाठ्यक्रम हैं– हेयर केयर एंड स्टाइलिंग, मशरूम प्रोडक्शन और कम्युनिटी हेल्थ।

हस्तशिल्प कारीगरों के प्रशिक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत:

वाराणसी, जौनपुर और चंदौली जिलों में 300 हस्तशिल्प कारीगरों के प्रशिक्षण के संचालन हेतु डीसी हस्तशिल्प (वस्त्र मंत्रालय) कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कपड़ा मंत्रालय और एनआईओएस के संबंधित विभाग के परामर्श से मानक संचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया गया था। वाराणसी जिले में नवंबर–दिसंबर 2020 में 100 शिक्षार्थियों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था और शेष 200 शिक्षार्थियों के लिए फरवरी 2021 के महीने से जौनपुर और चंदौली जिलों में कार्य प्रारंभ किया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई):

22 जनवरी 2020 को एफडीए भवन, दिल्ली में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एनआईओएस पाठ्यक्रम में एफएसएसएआई की खाद्य सुरक्षा और जागरूकता सामग्री को एकीकृत करना और संयुक्त प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से पोषण और खाद्य सुरक्षा पाठ्यक्रम विकसित करना है। 4 फरवरी 2020 को एफएसएसएआई में पहली संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठक आयोजित की गई।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), गांधीनगर के साथ समझौता ज्ञापन:

केजीबीवी की छात्राओं को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने हेतु एनआईओएस ने नवंबर 2019 में गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एनआईओएस की ओर से 168 केजीबीवी स्कूलों को प्रत्यायान प्रदान किया गया था । प्रशिक्षण के लिए चुने गए व्यावसायिक विषयों में स्कूलों द्वारा ब्यूटी कल्चर, बेसिक कंप्यूटिंग, योग, भारतीय कढ़ाई और कटिंग टेलरिंग और ड्रेस मेकिंग शामिल हैं। बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में शामिल केजीबीवी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नवंबर 2020 के महीने में 8 दिनों का वर्चुअल ट्रेनिंग कार्यक्रम सह ओरिएंटेशन का आयोजन किया गया था। चुने गए पांच पाठ्यक्रमों के सैद्धांतिक पहलुओं के अलावा व्यावसायिक शिक्षाशास्त्र, पाठ योजना का विकास, कार्य पद्धति, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, संचार कौशल और उद्यमिता कौशल आदि जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए गए।

कौशल विकास केंद्र की स्थापना

एनआईओएस का एक उद्देश्य विशेष रूप से दिव्यांग, सामाजिक और भौगोलिक रूप से वंचित वर्गों, कामकाजी युवाओं, ग्रामीण महिलाओं और अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को पूर्व–डिग्री स्तर तक शिक्षा और कौशल प्रदान करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एनआईओएस ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल श्रेणी की बालिकाओं /महिलाओं को कौशल के विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए अमेठी में एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है। माननीय कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी ने एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र अमेठी में इस कौशल विकास प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ बीपीएल बालिकाओं /महिलाओं को कटिंग और सिलाई व्यवसाय में प्रशिक्षित करना है, साथ ही उन्हें उद्यमिता, कार्यात्मक हिंदी और जीएसटी के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र अमेठी में स्थापित इस विशेष कौशल विकास प्रयोगशाला में इन छात्राओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)

एनसीटीई द्वारा महत्वपूर्ण निम्नलिखित गतिविधियां की गई हैं:

1. एनसीटीई द्वारा एनसीटीई का गतिशील वेब पोर्टल विकसित किया गया था और यह वेब संबंधी मुद्दों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है।

2. एनसीटीई (क्षेत्रीय समिति प्रादेशिक क्षेत्राधिकार) विनियम, 27 जनवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद एनसीटीई द्वारा अधिसूचना लाई गई थी और परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यि क्षेत्रों को एनसीटीई की उत्तरी क्षेत्रीय समिति के क्षेत्राधिकार के तहत शामिल किया गया था। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की अधिसूचना के मद्देनजर, एनसीटीई ने संघ राज्यश क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में मौजूदा शिक्षक शिक्षा संस्थानों से 30 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 के दौरान आवेदन आमंत्रित किए।

3. शिक्षक शिक्षा पर श्री अरबिंदो सोसाइटी, पुडुचेरी द्वारा 4–5 फरवरी, 2020 को आयोजित दो दिवसीय सलाहकार बैठक में एनसीटीई के अध्यक्ष, सदस्य सचिव और कई अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। पुडुचेरी की माननीय उपराज्यपाल डॉ. किरण बेदी ने इसमें भाग लिया। इस अवसर उन्होंने शिक्षक शिक्षा पर अपने विचारों के साथ सभा को संबोधित किया। दो दिवसीय बैठक के व्यापक विषय क्षेत्र थे:–

   i) आज के बच्चों के लिए आदर्श शिक्षक – शिक्षक योग्यता ढांचे का विकास करना।

   ii) डिजिटल वातावरण में चुनौतियों और अवसरों के लिए शिक्षकों को तैयार करना।

   iii) समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए शिक्षकों को तैयार करना।

   iv) शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की व्यापक रूपरेखा।

4. एनसीटीई ने 17 फरवरी, 2020 को सभी स्तरों के कर्मचारियों को उनके कैडर में पदोन्नति के अवसर प्रदान करने पर जोर देते हुए भारत के राजपत्र में भर्ती विनियम, 2020 को अधिसूचित किया

5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 876 दिनांक 04.03.2020 के तहत एनसीटीई की आम सभा का पुनर्गठन किया गया था।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 द्वारा यथा अधिदेशित कार्य जिन्हें एनसीटीई द्वारा किया गया :

   क) एनईपी 2020 के अनुरूप सभी स्तरों (5+3+3+4) पर टीईटी के सुधार और विस्तार के लिए दिशानिर्देश/संरचना/रोडमैप विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है।

   ख) एनटीए द्वारा 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) में प्रवेश / दाखिले हेतु राष्ट्रीय समान प्रवेश परीक्षा (एनसीईटी) का आयोजन

   राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा 4 वर्षीय आईटीईपी में प्रवेश/दाखिले से संबंधित एनसीटीई संशोधित विनियम, 2019 के परिशिष्ट–16 और परिशिष्ट–17 में संशोधन हेतु अधिसूचना अधिसूचित की जा रही है।

   ग) बहु–विषयक कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) की शुरूआत

   पाठ्यक्रम दोहरी पद्धति में प्रदान किया जाएगा जिसमें अनुशासनात्मक और पेशेवर ज्ञान शामिल है। स्कूली शिक्षा प्रणाली के एनईपी निर्देशित पैटर्न यानी 5+3+3+4 के तहत स्कूल प्रणाली में शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह न्यूनतम

डिग्री योग्यता होगी। प्रायोगिक आधार पर चयनित शिक्षक शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से पाठ्यक्रम की शुरूआत की जाएगी।

घ) 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या तैयार करना:

एनसीटीई द्वारा 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को नया स्वरूप दिया जाना था जिसमें एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप परामर्शी पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। पाठ्यक्रम को यूजीसी –70: अनिवार्य पाठ्यक्रम और क्षेत्रीय/ स्थानीय इनपुट हेतु 30: लचीलेपन संबंधी विनिर्देशों के साथ संशोधित किया जा रहा है। इसे विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए परामर्श और सुझावों को शामिल करते हुए तैयार किया जा रहा है। प्रायोगिक सरकारी शिक्षक शिक्षा संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर अंतिम पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा।

ङ) शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों तक पहुंचाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी थी। सभी स्तरों (5+3+3+4) के लिए टीईटी के सुधार और विस्तार के लिए एनईपी 2020 के अनुरूप दिशानिर्देश/संरचना/रोडमैप विकसित करने के लिए एनसीटीई द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा 31.03. 2021 तक अपनी रिपोर्ट देने की उम्मीद है।.

च) एनईपी 2020 में यथा अधिदेशित दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, पाठ्यक्रम में पहुंच को शामिल किया गया है। एनसीटीई देश में शिक्षक शिक्षा क्षेत्र की समावेशी प्रकृति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन करने की प्रक्रिया में है।

7. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की वैधता को सात वर्ष से बढ़ाकर आजीवन किया जा रहा है।

8. किसी भी संगठन या राज्य द्वारा शिक्षक–शिक्षकों को पुरस्कृत करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एनसीटीई ने वर्ष 2019 में एक पहल की और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कारों की स्थापना की। यह पुरस्कार 2019 में देश भर के 14 शिक्षक शिक्षकों को प्रदान किया गया। वर्ष 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं।

9. एनसीटीई में एक ऑनलाइन शिक्षक छात्र पंजीकरण प्रबंधन प्रणाली (ओटीपीआरएमएस) मौजूद है जिसमें आवेदक प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है जो यह प्रमाणित करता है कि जिस शैक्षणिक संस्थान में उसने अध्ययन किया है, वह उसी अवधि में एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान रहा है। ओटीपीआरएमएस को डिजिलॉकर से जोड़ा गया जिससे आवेदक डिजिलॉकर से प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकता था। डिजिलॉकर के साथ लगभग 31,000 प्रमाणपत्र साझा किए गए हैं। एनसीटीई द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम व्यापार करने में आसानी और सार्वजनिक वितरण तंत्र को बढ़ाने के लिए किया गया है। एनसीटीई द्वारा उम्मीदवारों को जारी किए गए प्रमाण पत्र अब निःशुल्क हैं।

10. एनसीटीई ने लगभग 1200 हितधारकों को शामिल करते हुए 15 वेबिनार आयोजित किए हैं। शिक्षक शिक्षा संस्थानों और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों के साथ वेबिनार में सभी के लिए गुणवत्ता शिक्षक शिक्षा, परिवर्तनकारी नियामक प्रणाली: शिक्षक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या ढांचे का विकास, शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता की चिंता: शिक्षक के लिए एक चुनौती, शिक्षा, एनईपी 2020: इसके कार्यान्वयन और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की चुनौतियां: एनईपी 2020, शिक्षक

शिक्षा संस्थानों का मानकीकरण जैसे विषयों को शामिल किया गया।

11. स्कूल–शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड.–एम.एड. डिग्री को न्यूनतम योग्यताओं में से एक के रूप में शामिल किया जा रहा है।

12. गुणवत्तायुक्त ऑनलाइन शैक्षिक संसाधन (ओईआर) निःशुल्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से, एनसीटीई ने शिक्षक–शिक्षकों, शिक्षक– विद्यार्थियों और स्कूल शिक्षकों के लिए गुणवत्ता ओईआर तैयार करने और क्यूरेट करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सबसे पहले, एनसीटीई की वेबसाइट पर टीआईएसएस विश्वविद्यालय और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के गुणवत्ता ओईआर को होस्ट किया गया था।

13. एनसीटीई ने जी–20 शिक्षा प्रणाली पर कोविड–19 संकट के प्रभाव को कम करने के निम्नलिखित उपाय किएः

ऑनलाइन शैक्षिक संसाधन (ओईआर) के रूप में एक पृथक क्षेत्र बनाया गया जिसे एनसीटीई की वेबसाइट पर निम्नानुसार होस्ट किया गयाः

शिक्षक शिक्षकों, छात्र–शिक्षक और स्कूल शिक्षकों जैसे एनसीटीई हितधारकों के लिए कक्षा में सम्पर्क संभव नहीं होने पर शिक्षक शिक्षा विषयों की 30 व्यापक श्रेणियों पर संस्थानों का ओईआर।

सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मुक्त शिक्षा संसाधनों और अन्य निशुल्क शिक्षा संसाधनों का उपयोग करके ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया था।

14. शिक्षक शिक्षा में क्षेत्रीय सुधारों के लिए एमएचआरडी द्वारा गठित उच्च–अधिकार प्राप्त समिति की दूसरी (वेब) बैठक 30.07.2020 को आयोजित की गई थी। बैठक का एजेंडा था (i) एनसीटीई अधिनियम में संशोधन (ii) शिक्षकों की मांग के खिलाफ शिक्षकों की अधिक आपूर्ति की स्थिति और आगे के लिए सिफारिशें और (ii) क्या शिक्षक शिक्षा उच्च शिक्षा या स्कूली शिक्षा के तहत आनी चाहिए। चूंकि 29.07.2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई है, बैठक के एजेंडे में प्रस्तावित अधिकांश गतिविधियों को शामिल कर लिया गया है।

15. कोविड–19 महामारी संकट से निपटने के लिए शिक्षक शिक्षा संस्थानों को दिशा–निर्देश जारी किए गए और एनसीटीई की वेबसाइट पर अपलोड किए गए।

16. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों के साथ सदस्य सचिव, एनसीटीई की एक वेब बैठक 27 और 28 अगस्त 2020 को आयोजित की गई थी ताकि सामान्य रूप से शिक्षक शिक्षा से संबंधित उनके मुद्दों और कोविड –19 के दौरान सामना किए गए मुद्दों को समझा/किया जा सके। निम्नलिखित मुद्दे चर्चा के केंद्र बिंदु बने रहेः

- शिक्षक शिक्षा से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लंबित मुद्दे।
- 4 वर्षीय आईटीईपी कार्यक्रम हेतु एनसीटीई द्वारा प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई।
- विनियम 2019 और एनईपी के आलोक में 4 वर्षीय आईटीईपी कार्यक्रम की नीति/विनियमन से संबंधित कोई भी मामला।

17. **वर्तमान जारी गतिविधियाँ**

क) **एनसीएफटीई तैयार करना**

एनसीटीई द्वारा शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने का कार्य एनसीईआरटी के साथ गहन समन्वय करके किया गया है। पाठ्यक्रम अंतिम चरण में है और निकट भविष्य में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा और सभी हितधारकों के मध्य इस पाठ्यक्रम ढांचे का प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

ख) **दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम और एक वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम**

इसके लिए कमेटियां बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए):

क. पृष्ठभूमि और उद्देश्य

सीटीएसए की योजना को भारत सरकार द्वारा 1961 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप अनुमोदित किया गया था और शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1961 में इसका कार्यान्वयन शुरू किया गया था, बाद में, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वायत्त निकाय के रूप में सीटीएसए की स्थापना की गई थी और निम्नलिखित अधिदेश के साथ जुलाई 1961 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (XXI) के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था: –

- भारत में तिब्बती शरणार्थी बच्चों और/या युवाओं की शिक्षा और/या प्रशिक्षण के लिए अन्य संगठनों द्वारा स्थापित स्कूलों या संस्थानों को तिब्बती स्कूलों या संस्थानों का प्रशासन और प्रबंधन को स्थापित करना और संचालित करना;
- तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को लिए देश के दूरस्थ और अविकसित स्थानों में रहने वाले लोगों के लिए जिसे इसके बाद "तिब्बती केंद्रीय विद्यालय" कहा जाता है स्कूलों की स्थापना, सहयोग, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन प्रदान करना, और ऐसे सभी कार्यों और गतिविधियों को करना जो स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक या अनुकूल हो;
- स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना और गति निर्धारण करना;
- सीटीएसए स्कूलों में शिक्षा अनुशासन, बोर्डिंग और आवास, स्वास्थ्य और स्वच्छता और छात्रों और कर्मचारियों की सामान्य प्रगति को नियंत्रित और निगरानी के लिए और किसी भी संघ, समाज या निकाय से स्कूलों की संबद्धता प्राप्त करने के उद्देश्य से सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करना और ऐसी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करना;
- केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित समुचित लेखें और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखना और बैलेंस शीट सहित लेखे का एक वार्षिक विवरण तैयार करना,

ख. सीटीएसए का बुनियादी ढांचा

केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन एक छोटा संगठन है और इसकी स्कूल इकाइयाँ पूरे देश में फैली हुई हैं। वर्तमान में 1784 छात्र देश भर में स्थित 06 केंद्रीय तिब्बती स्कूलों में कक्षा I से XII तक अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन का द्वितीय स्तर यानी इसका मुख्यालय और तिब्बती केंद्रीय स्कूल का प्रबंधन है। सीटीएसए में 173 शिक्षण स्टाफ (99 नियमित और 74 संविदात्मक) और 144 गैर–शिक्षण कर्मचारी (89 नियमित और 55 संविदात्मक) हैं।

ग. वित्तीय प्रबंधन

सीटीएसए की वित्तीय गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण निम्नलिखित वित्तीय मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है: –

- भारत सरकार ने सीटीएसए की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपी है, जिसकी ओर से महानिदेशक, लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) के कार्यालय द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा की जाती है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीटीएसए के प्रमाणित वार्षिक लेखों के साथ वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है।
- सीटीएसए स्कूल इकाइयों की वित्तीय गतिविधियों की निगरानी सीटीएसए मुख्यालय द्वारा की जाती है और उनके लेखों की वार्षिक लेखा परीक्षा की जाती है। सीएसटी स्कूलों को आंतरिक और साथ ही साथ सीएजी की लेखा परीक्षा की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।
- सीटीएसए और इसकी सभी 06 स्कूल इकाइयां वित्तीय औचित्य बनाए रखने और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियमों

के प्रावधानों, सीवीसी दिशानिर्देशों और वित्त और शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अन्य वित्तीय निर्देशों का पालन करती हैं। दूसरे शब्दों में, स्वायत्त निकायों को अनुदान सहायता जारी करने और लेखा परीक्षित लेखा/निष्पादन रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने के मानदंडों के संबंध में जीएफआर में निर्धारित मानकों का सीटीएसए द्वारा पालन किया जाता है।

➢ सीटीएसए और इसकी 06 स्कूल इकाइयों ने निधियों अंतरण का एक समान तरीका अपनाया है। वर्तमान में, अधिकांश अंतरण ई–ट्रांसफर जैसे एनईएफटी, आरटीजी आदि के माध्यम से किए जा रहे हैं ताकि ट्रांजिट समय को कम किया जा सके और निधियों की चोरी से बचा जा सके। सीटीएसए मुख्यालय पहले से ही पीएफएमएस के साथ पंजीकृत है और इसकी 06 स्कूल इकाइयों के मानचित्रण/पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय/वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार "निधि आधारित लेखांकन" को चालू करने के लिए सीटीएसए ने वर्ष 2013–14 से लेखों के नए प्रारूप में अपने वार्षिक लेखें तैयार करने शुरू कर दिये थे। इसके वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार "लेखांकन के प्रोद्भूत आधार" पर तैयार किए जाते हैं और लागू लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन भी किया जाता है।

घ. प्रमुख परिणाम

➢ सीटीएसए ने देश भर में 1784 तिब्बती/भारतीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की है।

➢ छात्रों को शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से सतर्क करने के लिए वैल्यू शिक्षा प्रदान की जाती है, कोविड–19 के दौरान योग और एरोबिक्स नियमित गतिविधियाँ हैं।

➢ प्रभावी ऑनलाइन शिक्षण शिक्षण प्रदान करने के लिए एनआईटीकॉम लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण तीन स्कूलों में अर्थात् सीएसटी, शिमला, सीएसटी हर्बर्टपुर और सीएसटी दार्जिलिंग में 01.06.2020 से 30.06.2020 तक शिक्षकों को प्रदान किया गया था।

➢ कोविड–19 की महामारी के दौरान, सभी विद्यालयों ने रोकथाम के ऐसे उपायों को अपनाया था जैसे सभी कक्षाओं, बिस्तरों, पुस्तकालय और कार्यालयों को सेनेटाईज किया गया, सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए मास्क, हाथ के दस्ताने और सैनिटाइज़र अनिवार्य था, स्कूल के गेट पर तापमान मापा जाता था, सभी के लिए सामाजिक दूरी अनिवार्य थी, बैनर प्रदर्शित किए गए थे, आगंतुकों को स्कूलों में आने के लिए हतोत्साहित किया गया था, शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं ली गई थीं और सरकार के निर्देशानुसार स्कूलों को बंद कर दिया गया था। भारत और राज्य सरकार ऑनलाइन मोड आदि के माध्यम से स्कूल के पेट्स द्वारा योग और शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा दिया गया।

➢ अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालयों और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में सीटीएसए स्कूल के छात्रों का प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक रहा है। पिछले 02 वर्षों के दौरान सीटीएसए स्कूल इकाइयों के परिणाम निम्नानुसार हैं:

वर्ष	X		XII	
	मानक एप	उत्तीर्ण %	मानक एप	उत्तीर्ण %
2019	231	91.77	269	93.31
2020	278	92.09	222	96.4

ङ. सीटीएसए के वर्तमान फोकस क्षेत्र और विकास के उद्देश्य

➢ स्कूलों का बचाव और सुरक्षा और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए

➢ सीएसटी स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण करना और प्रदान करना

➢ ऑनलाइन शिक्षण अधिगम के माध्यम से शैक्षणिक उत्कृष्टता और पाठ्येतर गतिविधियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना जारी रखना।

- ➢ कोविड–19 से सुरक्षा छात्रों और कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करती है।
- ➢ एक भारत श्रेष्ठ भारत "अभियान" के तहत भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को स्कूल में सही आशय में लागू करना।
- ➢ अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करना – जिसमें संस्कृति का एक मजबूत घटक, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियां और शारीरिक शिक्षा शामिल है।

आवासीय विद्यालयों में सीएसटी के छात्रों के आवास के लिए छात्रावासों की स्थापना, विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना।

राष्ट्रीय बाल भवन

परिचय

राष्ट्रीय बाल भवन भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। देशभर में इसके 142 संबद्ध केंद्र हैं। राष्ट्रीय बाल भवन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मंडी गांव में जवाहर बाल भवन और सम्पूर्ण दिल्ली में स्थित 48 बाल भवन केंद्र राष्ट्रीय बाल भवन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

कार्य:

1. गतिविधियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, शिविरों और सम्मेलनों आदि द्वारा सीखने से संबंधित विभिन्न गैर–औपचारिक तकनीकों के माध्यम से रचनात्मकता को पोषित करने और बढ़ाने और बनाए रखने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करना, लागू करना।
2. राष्ट्रीय बाल भवन, जवाहर बाल भवन मंडी, दिल्ली में 48 बाल भवन केंद्रों के कामकाज की निगरानी करना।
3. बच्चों के हित में अन्य सरकारी/अर्ध सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम आयोजित करना।
4. बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न विषयों पर दिल्ली और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर के शिविर, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना।
5. विभिन्न देशों से प्राप्त सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों और देश भर के बच्चों को शामिल करने के लिए आमंत्रणों को संसाधित करना।

जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 तक कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

महामारी की इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय बाल भवन गतिविधि अनुभाग, घर के साथ–साथ कार्यालय से प्रेरक वीडियो और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से ऑनलाइन प्रोत्साहन कार्यक्रमों की व्यवस्था करके बच्चों के लिए आशा के रूप में सामने आए। इन वीडियो को एनबीबी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया और साथ ही प्रशिक्षकों ने वीडियो चैट और कॉल के जरिए बच्चों से बातचीत की। (लॉकडाउन के कारण गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय बाल भवन बच्चों और आगंतुकों के लिए बंद है।)

आमोद दिवस समारोह

कार्यक्रम

- नववर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय बाल भवन में 1 जनवरी, 2020 को 'आमोद दिवस' कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाल भवन के उप निदेशक (प्रशासन) ने बच्चों और कर्मचारियों के साथ म्यूजिकल चेयर, रस्साकशी, निशानेबाजी, नींबू और चम्मच दौड़, थ्री लेग रेस, बैडमिंटन प्रतियोगिता, टेबल टेनिस प्रतियोगिता, ऑप्टिकल रेस आदि खेलों में भाग लिया।

लोहड़ी मकर संक्राति और पोंगल मनाते हुए

- राष्ट्रीय बाल भवन में 9 से 11 जनवरी 2020 तक खगोल विज्ञान पर आधारित तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों के मन को ब्रह्मांड और खगोल विज्ञान को समझने के लिए प्रेरित करना था। बच्चों को बेसिक एस्ट्रोनॉमी से लेकर एडवांस एस्ट्रोनॉमी तक की जानकारी मिली। इससे बच्चों को सार्वभौमिक तथ्यों को जानने में मदद मिली।

- राष्ट्रीय बाल भवन में 11 जनवरी 2020 (शनिवार) को लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदर्शन कला अनुभाग द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

जुड़ो चैंपयनशिप प्रतियोगिता

- जूडो चैम्पियनशिप प्रतियोगिता 2 से 4 जनवरी 2020 तक राष्ट्रीय बाल भवन में आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री प्रवीण सौलंकी (विश्व चैंपियन पावर लिफ्टर) और श्रीमती सोनिया सिन्हा थीं। इस जूडो चैंपियनशिप में 348 बालक–बालिकाओं ने भाग लिया, जिसमें से 154 बालक–बालिकाओं ने विभिन्न भार वर्गों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस अवसर पर राष्ट्रीय बाल भवन की ओर से विजेता, उपविजेता बच्चों को मेडल और टी–शर्ट भेंट की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को खेल मंच प्रदान कर उन्हें प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना था।

- जनवरी, 2020 के दौरान 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के तहत 'परीक्षा पे चर्चा 2020' कार्यक्रम के लिए 700 बच्चों को कैम्पिंग की सुविधा प्रदान की गई। 20 जनवरी, 2020 को तालकटोरा स्टेडियम में एनबीबी बच्चों द्वारा किए गए प्रदर्शन की सराहना की गई।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम

- 1 फरवरी, 2020 को राष्ट्रीय बाल भवन के मेखला झा सभागार में डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 150 व्यक्तियों (बच्चों, माता–पिता, कर्मचारियों) ने भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा दो गीत प्रस्तुत किए गए जो देशभक्ति पर आधारित थे। नाटक खंड के बच्चों ने 'साहेब मेरे

भीमराव' नामक नाटक का प्रदर्शन किया जिसमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जीवनी और उनके सिद्धांतों को दर्शाया गया, जो बहुत ही रोचक था।

- राष्ट्रीय बाल भवन ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जनवरी, 2020 से मार्च, 2020 तक तीन दिवसीय गतिविधियों का आयोजन किया। एनबीबी की विभिन्न गतिविधियों में लगभग 800 बच्चों ने भाग लिया।

मातृभाषा दिवस संबंधी गतिविधि

- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर। 13 फरवरी, 2020 को 'वैष्णव जन' गाते हुए बच्चे और गांधी संग्रहालय का भ्रमण
- जवाहर बाल भवन मंडी के बच्चों को विश्व पुस्तक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आमंत्रित किया गया था। 7 जनवरी 2020 को विश्व पुस्तक मेला, प्रगति मैदान में सांस्कृतिक उत्सव में बच्चों ने नृत्य, गीत और वाद्य संगीत का एक समृद्ध प्रदर्शन प्रस्तुत किया। चरी नृत्य की और इसी तरह नक्कारा पाठ की बहुत सराहना की गई ।
- 6 फरवरी, 2020 को राष्ट्रीय बाल भवन के गायन समूह के 14 बच्चों ने एनसीईआरटी के आमंत्रण पर इंडो–जॉर्जिया मीट में प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बच्चों ने राष्ट्रगान, स्वागत गीत सरस्वती वंदना और लोक गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसकी उपस्थित लोगों ने खूब प्रशंसा की।
- 21 फरवरी, 2020 को मातृभाषा दिवस के रूप में एक अन्य कार्यक्रम मनाया गया।
- जवाहर बाल भवन मंडी में 5 से 16 फरवरी, 2020 तक मंडी दिवस मनाया गया।
- 7 मार्च, 2020 को बच्चों और कर्मचारियों के साथ होली मनाई गई।
- 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। रोस्टर के अनुसार कार्यालय में मौजूद स्टाफ ने पौधे रोपे। पर्यावरण विभाग द्वारा बच्चों के साथ जंगल प्रशासन पर एक पोस्टर साझा किया — न्ट्ट६ 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एनबीबी, संग्रहालय और जेबीबी मंडी के शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ध्यान और योग अभ्यास साझा किए। बाल भवन केंद्र अंशकालिक प्रशिक्षकों द्वारा गतिविधियों को डिजिटल रूप से भी साझा किया गया। उसी दिन वलयाकार सूर्य ग्रहण भी देखा गया। खगोल विज्ञान खंड और कैसे और क्यों खंड ने बच्चों को ग्रहण के बारे में जागरूक किया.
- 1 सितंबर से 15 सितंबर 2020 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।
- 31 अक्टूबर, 2020 को एकता दिवस मनाया गया – एनबीबी के सभी कर्मचारियों ने शपथ ली और एकता के लिए दौड़ में भाग लिया।
- 29 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- 26 नवंबर, 2020 को संविधान दिवस मनाया गया। एनबीबी के सभी स्टाफ सदस्यों ने 26 नवंबर 2020 को सुबह 11:00 बजे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए

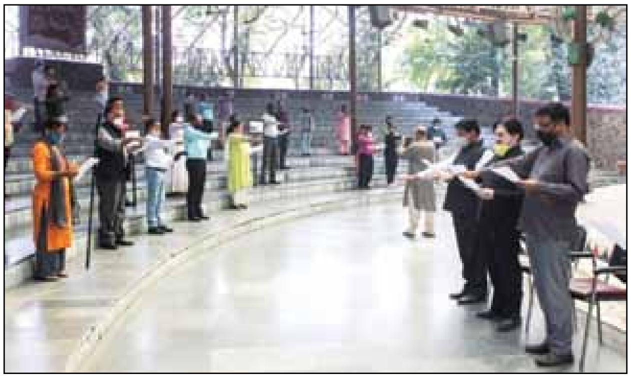

एकता दिवस पर शपथ समारोह

सतर्कता जागरूकता पर शपथ समारोह

एकता दौड़

विभिन्न वर्गों की ऑनलाइन गतिविधियाँ (अप्रैल से दिसंबर, 2020)

प्रदर्शन कला

- **भरतनाट्यम** – बच्चों ने विभिन्न प्रकार की मुद्राएं और भरतनाट्यम रूप आदि सीखे।

दूसरे हॉफ ''अलारिपु'' का फुटवर्क

- **गायन संगीत** – बच्चों ने लोकगीत, सरगम गीत, कजरी (स्थायी), कजरी का अंतरा, राग अल्हाइया बिलावल में सरल तान और राग अल्हाइया बिलावलका परिचय, राग बिहाग आदि जैसे विभिन्न प्रकार के गीत सीखे, साथ–साथ गीत बनाने के तरीके सीखे। वोकल सेक्शन के छात्रों ने ऑनलाइन अभ्यास किया और 40से अधिक बच्चों ने योगदान दिया और भाग लिया।
- **वाद्य संगीत (तबला और सितार)** – वाद्य संगीत ने सितार के साथ बच्चों को तिहाई की परिभाषा और प्रकार, राग कल्याण (स्ट्रोक) का 13वां टोड़ा, राग कलियां का 14वां टोड़ा (उंगली की स्थिति) राग कलियां का 15वां टोड़ा (परिचय), झालासे पहले बंदिशों की गति को कैसे बढ़ाया जाए आदि सिखाया।
- **लोक नृत्य** – विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य सिखाए गए।

- **नाटक**– नाटक अनुभाग ने दर्पण व्यायाम,पारसी रंगमंच, नवरासा, स्वांग नृत्य, जन्माष्टमी कहानी, अवलोकन कौशल, शारीरिक भाषा और अभिव्यक्ति, नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिनय के चार पहलू आदि विषयों पर वीडियो बनाए।

राग कल्याण में झाला बजाते हुए

रचनात्मक कलाएँ

- **पेंटिंग**– पेंटिंग अनुभाग ने वीडियो के माध्यम से विभिन्न चित्रों के साथ–साथ कला रूपों की शुरुआत की।
- **हस्तशिल्प** – हस्तशिल्प अनुभाग ने पेपर शिल्प बनाने के तरीको के वीडियो बनाए।
- **स्टिचरी** – स्टिचरी सेक्शन के बच्चों ने इंस्ट्रक्टर द्वारा तैयार किए गए लर्निंग वीडियो के माध्यम से घर पर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया। इन वीडियो में अपशिष्ट पदार्थों के साथ–साथ घर पर उपलब्ध सामग्री जैसे कपड़े पर स्मोकिंग तकनीक, लड्डू गोपाल पोशाक (पोशाक) कैसे बनाए, कैनेडियन स्मोकिंग, 3 डी फैब्रिक ओरिगेमी बटरफ्लाई, हाथ की कढ़ाई के साथ स्मॉकिंग स्टिच आदि को शामिलकरने वाले विभिन्न विषय शामिल थे।

3डी फैबरिक ऑरिगैमी बटरफ्लाई

- **एकीकृत क्रियाकलाप** – एकीकृत क्रियाकलाप में बच्चों को फोटो फ्रेम बनाना, बत्तख बनाना, वॉल हैंगिंग बनाना, खरगोश का मास्क बनाना, फूलोकाडोर हैंगिंग बनाना और रंगीन कागज और साधारण कागज से कई और चीजें बनानी सिखाई गई।
- **बुनाई**– बुनाई अनुभाग द्वाराबच्चों कोविभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल भ्रम बुनाई,स्वतंत्रता दिवस बुना कार्ड, बुना तिरंगा बैंड, रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, स्पैन्डेक्स, बुनाई के लिए विभिन्न प्रकार की लूम मशीनों जैसे विभिन्न विषयों पर बुनाई पर ट्यूटोरियल पेश किया गया था।
- **क्ले**– क्ले सेक्शन ने बच्चों को सिखाया कि प्रकृति में वास करने वाले वन्य जीवन, किसी भी प्रकार के जानवर और पक्षीपर आधारित मॉडल कैसे बनाए जाते है, और मिट्टी से कुछ उपयोगी चीजें बनाना सिखाया।
- **वुड क्राफ्ट**– वुड क्राफ्ट सेक्शन में विभिन्न गतिविधियाँ सिखाई जाती हैं जैसे कि लकड़ी से चाबी का छल्ला कैसे बनाया जाता है,पेंटिंग की फ्रेमिंग कैसे की जाती है, लकड़ी कलमकारी तकनीक में डिजाइन कैसे बनाया जाता है, लकड़ी से खिलौने कैसे बनाए जाते हैं, आदि।

विज्ञान और नवाचार

- **फोटोग्राफी**– फोटोग्राफी के अनिवार्य ऑनलाइन वीडियो, विभिन्न विषयों पर नियमित ट्यूटोरियल और विषय आधारित ट्यूटोरियल जैसे लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, टेबल टॉप, और फोटो स्टोरी फोटोग्राफी अनुभाग द्वारा किए गए थे।
- **कंप्यूटर**– कंप्यूटर अनुभाग ने एसईओ विस्तार क्या है, ब्लॉग क्या है और ब्लॉगिंग कैसे करें, अधिक फेसबुक ब्लॉग ट्रैफ़िक प्राप्त करने के लिए फेसबुक समूह का उपयोग करना, सर्वश्रेष्ठ हिंदी ब्लॉग कैसे खोजें और पढ़ें, हिंदी में ब्लॉगिंग में करियर शुरू

करना और विभिन्न विषयों के साथ ब्लॉगिंग जारी रखना जैसे ऑनलाइन विषयो पर वीडियो बनाई।

- **पर्यावरण, एनिमल कॉर्नर और एक्वेरियम** – पर्यावरण खंड जहां बच्चों ने व्हर्लिंग पेपर्स स्नेक, वायु परिसंचरण, गर्मी क्षमता–रेत बनाम पानी, हेयर हाइग्रोमीटर पृथ्वी वातावरण, बच्चों के साथ बातचीत, दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपना खुद का एस्ट्रोलैब तैयार करना, सूरज की संरचना, बच्चों के साथ ऑनलाइन बातचीत सत्र, मिट्टी का पीएच– बच्चों के साथ ऑनलाइन बातचीत, जादू की बोतल – हवा का दबाव, मिट्टी की सरंध्रता, जार में खाद बनाना, ह्यूमस गठन और मिट्टी की मल्चिंग पर ऑनलाइन कक्षा, रंध्रों द्वारा छोड़ी गई वायु,जल मोमबत्ती, मृदा प्रोफ़ाइल, प्रदूषण कैचर आदि के बारे में सीखा।
- **एस्ट्रोनॉमी** – एस्ट्रोनॉमी सेक्शन ने इन्फ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में ऑब्जर्वेटरी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, अल्ट्रावॉयलेट एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में एक्स–रे,एस्ट्रोनॉमी और इसकी सभी शाखाएं, एस्ट्रोबायोलॉजी क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, पल्सर क्या है,दूरी की गणना कैसे करें सितारों काइंटरस्टेलर माध्यम क्या है, ब्रह्मांड विज्ञान क्या है आदि जैसे विषयों पर वीडियो बनाए।
- **एयरो मॉडलिंग** – एरोमॉडलिंग सेक्शन ने पवनों का परिचय, ग्रहों की हवाएं क्या हैं,पश्चिमी हवाएं क्या हैं, विभिन्न प्रकार की आवधिक हवाएं, तृतीयक हवाएं आदि विषयों पर वीडियो बनाए।
- **संग्रहालय**– संग्रहालय अनुभाग ने जानवरों और उनके आवास के अनुसार उनके वर्गीकरण के बारे में चर्चा की, फिर बच्चों को जानवरों की प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी दी जैसेः लुप्तप्राय प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, जानवरों की सुरक्षा में संग्रहालय की भूमिका, कृष्ण सुदामा की मित्रता कहानी सुनाने का सत्र आदि पर संविधान दिवस पर ऑनलाइन प्रदर्शनी।
- **शारीरिक शिक्षा** – शारीरिक शिक्षा ने विभिन्न प्रकार के व्यायाम जैसे सिर से पैर तक शरीर को गर्म करना, मांसपेशियों और हड्डियों के लचीलेपन के लिए स्ट्रेचिंग व्यायाम और जूडो अभ्यास जैसे सामान्य उचिकोमी,हाई स्पीड उचिकोमी, स्क्वैट्स हाई जंप, उचिकोमी विद थेरबैंड आदि सिखाया।
- **गृह प्रबंधन** – बच्चों के साथ रोचक और रचनात्मक सरल व्यंजनों के वीडियो साझा किए गए।

इसी तरह की गतिविधियां एनबीबी के ग्रामीण केंद्र यानी जवाहर बाल भवन मांडी और बाल भवन केंद्रों में आयोजित की गई।

❖ ❖ ❖

अनुलग्नक

शामिल किए गए संस्थान और नामांकित छात्रों की संख्या
नामांकित छात्रों की संख्या और संस्थानों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	नामांकन			संस्थान		
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	1816355	1145459	2961814	35201	10283	45484
2	अरुणाचल प्रदेश	102583	58394	160977	1640	1140	2780
3	असम	2817302	1503465	4320767	39820	13607	53427
4	बिहार	11268110	5971302	17239412	39246	30934	70180
5	छत्तीसगढ	2295908	1100979	3396887	31397	13589	44986
6	गोवा	115871	65505	181376	1029	439	1468
7	गुजरात	3267671	1904617	5172288	10758	24030	34788
8	हरियाणा	886804	561186	1447990	8734	5663	14397
9	हिमाचल प्रदेश	295772	202002	497774	10738	4775	15513
10	झारखंड	2792149	1388805	4180954	21838	13935	35773
11	कर्नाटक	2743138	1768542	4511680	21026	33333	54359
12	केरल	1692878	1092645	2785523	6766	5558	12324
13	मध्य प्रदेश	4069825	2594421	6664246	81715	31193	112908
14	महाराष्ट्र	6413406	4279211	10692617	46433	40066	86499
15	मणिपुर	132461	37342	169803	2456	1020	3476
16	मेघालय	415093	177232	592325	8264	3414	11678
17	मिजोरम	90629	41247	131876	1420	1091	2511
18	नगालैंड	119144	40566	159710	1121	946	2067
19	ओडिशा	2759298	1754460	4513758	31271	24254	55525
20	पंजाब	921740	652703	1574443	13026	6709	19735
21	राजस्थान	4136575	2130561	6267136	32079	34262	66341
22	सिक्किम	31615	24290	55905	485	383	868
23	तमिलनाडु	2734392	2166204	4900596	27084	16162	43246
24	तेलंगाना	1136170	659786	1795956	18966	8363	27329
25	त्रिपुरा	266326	165953	432279	4396	2128	6524
26	उत्तर प्रदेश	12454832	5738832	18193664	113162	54031	167193
27	उत्तराखंड	404891	284416	689307	11800	5245	17045
28	पश्चिम बंगाल	7317679	4244786	11562465	67739	16206	83945
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18121	12994	31115	182	150	332
30	चंडीगढ़	51783	41979	93762	8	114	122
31	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	53173	21120	74293	209	159	368
32	दिल्ली	929399	675106	1604505	1806	1240	3046
33	जम्मू और कश्मीर	584164	302869	887033	12882	9323	22205
34	लद्दाख	11705	4872	16577	353	464	817
35	लक्षद्वीप	4961	2329	7290	15	24	39
36	पुदुचेरी	27279	21148	48427	236	190	426
	कुल	**75179202**	**42837328**	**118016530**	**705301**	**414423**	**1119724**

❖ ❖ ❖

रसोईया–सह–सहायक को मानदेय

क्र. सं.	राज्य	रसोईया–सह–सहायक को प्रतिमाह मानदेय	रसोईया–सह–सहायक को प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय
1	आंध्र प्रदेश	3000	2000
2	अरुणाचल प्रदेश	1000	0
3	असम	1000	0
4	बिहार	1500	500
5	छत्तीसगढ	1200	200
6	गोवा	1000	0
7	गुजरात	1000	0
8	हरियाणा	3500	2500
9	हिमाचल प्रदेश	1800	800
10	जम्मू और कश्मीर	1000	0
11	झारखंड	1500	500
12	कर्नाटक	2700	1700
13	केरल	9000	8000
14	मध्य प्रदेश	2000	1000
15	महाराष्ट्र	1000	0
16	मणिपुर	1000	0
17	मेघालय	1000	0
18	मिजोरम	1500	500
19	नगालैंड	1000	0
20	ओडिशा	1400	400
21	पंजाब	1700	700
22	राजस्थान	1320	320
23	सिक्किम	1000	0
24	तमिलनाडु	10083	9083
25	तेलंगाना	1000	0
26	त्रिपुरा	1500	500
27	उत्तर प्रदेश	1500	500
28	उत्तराखंड	2000	1000
29	पश्चिम बंगाल	1500	500
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1000	0
31	चंडीगढ़	3000	2000
32	दादर और नगर हवेली	3876	2876
33	दमन और दीव	3721	2721
34	दिल्ली	1000	0
35	लक्षद्वीप	9500	8500
36	पुदुचेरी	19000	18000

❖ ❖ ❖

स्वीकृत रसोईया–सह–सहायक की तुलना में रखे गए रसोईया–सह–सहायक

क्र. सं.	राज्य	पीएबी अनुमोदित रसोईया–सह–सहायकों की संख्या	रखे गए रसोईया–सह–सहायकों की संख्या	रखे गए का %
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	88296	85143	96%
2	अरुणाचल प्रदेश	6105	5791	95%
3	असम	118998	118998	100%
4	बिहार	245316	238869	97%
5	छत्तीसगढ	93420	86949	93%
6	गोवा	2729	2729	100%
7	गुजरात	96329	96329	100%
8	हरियाणा	30423	30200	99%
9	हिमाचल प्रदेश	21764	21532	99%
10	जम्मू और कश्मीर	32394	29987	93%
11	झारखंड	79591	79591	100%
12	कर्नाटक	117927	117999	100%
13	केरल	17673	13766	78%
14	मध्य प्रदेश	231157	211713	92%
15	महाराष्ट्र	175336	169931	97%
16	मणिपुर	7487	6277	84%
17	मेघालय	18547	18400	99%
18	मिजोरम	4894	4793	98%
19	नगालैंड	4695	4623	98%
20	ओडिशा	145522	115479	79%
21	पंजाब	49449	42636	86%
22	राजस्थान	109922	109922	100%
23	सिक्किम	1891	1881	99%
24	तमिलनाडु	128130	128130	100%

क्र. सं.	राज्य	पीएबी अनुमोदित रसोईया–सह–सहायकों की संख्या	रखे गए रसोईया–सह–सहायकों की संख्या	रखे गए का %
1	2	3	4	5
25	तेलंगाना	54232	54201	100%
26	त्रिपुरा	11028	11011	100%
27	उत्तर प्रदेश	396959	384475	97%
28	उत्तराखंड	29187	25813	88%
29	पश्चिम बंगाल	248799	240830	97%
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	721	721	100%
31	चंडीगढ़	806	806	100%
32	दादर और नगर हवेली, दमन और दीव	1246	1112	89%
33	दिल्ली	19036	17739	93%
34	लक्षद्वीप	110	110	100%
35	लद्दाख	874	864	99%
36	पुदुचेरी	1031	1031	100%
	कुल	**2592024**	**2480381**	**96%**

❖ ❖ ❖

रसोई–सह–भंडारगृह के निर्माण की वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2006–07 से 2020–21 के दौरान स्वीकृत रसोई–सह–भंडारगृह की संख्या	रसोई–सह–भंडारगृह के निर्माण की वास्तविक प्रगति					
			निर्मित		निर्माणाधीन		अभी शुरू नहीं हुआ	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	44316	18291	41%	1336	3%	24689	56%
2	अरुणाचल प्रदेश	4085	4085	100%	0	0%	0	0%
3	असम	56795	51192	90%	481	1%	5122	9%
4	बिहार	66550	58363	88%	484	1%	7703	12%
5	छत्तीसगढ	47266	45659	97%	1607	3%	0	0%
6	गोवा	0	0	0%	0	0%	0	0%
7	गुजरात	25077	24310	97%	0	0%	767	3%
8	हरियाणा	11483	10155	88%	653	6%	675	6%
9	हिमाचल प्रदेश	14959	14855	99%	43	0%	61	1%
10	जम्मू और कश्मीर	11815	7118	60%	0	0%	4697	40%
11	झारखंड	39001	29656	76%	1203	3%	8142	21%
12	कर्नाटक	40477	39305	97%	57	0%	1115	3%
13	केरल	5481	2450	45%	2008	37%	1023	55%
14	मध्य प्रदेश	103401	94697	92%	2897	3%	5807	5%
15	महाराष्ट्र	71783	59405	83%	546	1%	11832	16%
16	मणिपुर	2966	1083	37%	1883	63%	0	0%
17	मेघालय	9758	9651	99%	107	1%	0	3%
18	मिजोरम	2541	2532	100%	0	0%	9	1%
19	नगालैंड	2223	2223	100%	0	0%	0	0%
20	उड़ीसा	69152	69152	100%	0	0%	0	0%
21	पंजाब	18969	18969	100%	0	0%	0	0%
22	राजस्थान	77298	50595	65%	4143	5%	22560	29%
23	सिक्किम	948	940	99%	8	1%	0	0%
24	तमिलनाडु	28470	27792	98%	344	1%	334	1%
25	तेलंगाना	30408	17483	57%	3698	12%	9227	30%
26	त्रिपुरा'	5304	5565	105%	0	0%	0	0%
27	उत्तर प्रदेश	122572	112835	92%	88	0%	9649	8%
28	उत्तराखंड	15933	15691	98%	87	1%	155	1%
29	पश्चिम बंगाल	81856	81582	100%	274	0%	0	0%
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	291	165	57%	3	1%	123	34%
31	चंडीगढ़	10	7	70%	0	0%	3	30%
32	दादर और नगर हवेली	50	50	100%	0	0%	0	0%
33	दमन और दीव	32	32	100%	0	0%	0	0%
34	दिल्ली	0	0	0%	0	0%	0	0%
35	लक्षद्वीप	0	0	0%	0	0%	0	0%
36	पुदुचेरी	105	92	88%	13	12%	0	0%
	कुल	**1011375**	**875980**	**87%**	**21963**	**2%**	**113693**	**11%**

***त्रिपुरा ने स्वीकृत से 261 अधिक रसोई–सह–भंडारगृहों का निर्माण किया है।**

❖ ❖ ❖

पार्ट - III

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग की सामान्य गतिविधियां

1

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, पूर्वोत्तर राज्यों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, पूर्वोत्तर राज्यों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा

शैक्षिक विकास समाज के कमजोर वर्ग, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त व्यक्ति शामिल हैं, के सामाजिक–आर्थिक बेहतरी हेतु मुख्य भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के हितों का प्रोन्नयन करने और समानता सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में बढ़ोतरी करके बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास भी किए गये हैं।

अनुसूचित जाति के लिए विकास कार्य योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी और डीएपीएसटी)

योजना की पूर्व की प्रणाली को बंद कर दिया गया है और 2017–18 से योजनागत और गैर–योजनागत व्यय का विलय कर दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर, नीति आयोग ने विशिष्ट योजनाओं के लिए भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा निधियां निर्धारित करने के संबंध में नए दिशानिर्देश परिचालित किए थे। नीति आयोग द्वारा एमएचआरडी के लिए डीएपीएससी और डीएपीएसटी के संबंध में जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रतिशत आवंटन नीचे दिया गया है:

विभाग	एससीएसपी	टीएसपी
स्कूल शिक्षा और साक्षरता	20%	10.7%
उच्चतर शिक्षा	16.60%	8.60%

"उच्च शिक्षा विभाग द्वारा योजना घटक के तहत नीति आयोग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित प्रतिशत आवंटन क्रमशः 16.60% और 8.60% का पालन किया जा रहा है। इक्विटी सपोर्ट को एससी/एसटी आवंटन से छूट दी गई है। इसी प्रकार, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत योजना घटक के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिशत आवंटन को क्रमशः 20% और 10.7% रखा गया है। पिछले वर्ष के आवंटन के स्तर अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समग्र आवंटन को बनाए रखने के लिए दोनों विभागों के गैर–योजनागत घटकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आवंटन भी किया गया है।"

राशि करोड़ में

डीएपीएससी और डीएपीएसटी के अंतर्गत निर्धारित निधियां (2020–21)

उच्चतर शिक्षा विभाग	कुल		डीएपीएससी		डीएपीएसटी	
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
योजना घटक	10606.90	4744.12	1397.00	754.70	723.00	399.57
प्रतिशत			16.62%	16.61%	8.60%	8.79%
योजना घटक के अतिरिक्त	28859.62	28155.88	1813.00	1786.67	917.00	905.20
प्रतिशत			6.28%	6.35%	3.18%	3.21%
कुल उच्चतर शिक्षा	39466.52	32900.00	3210.00	2541.37	1640.00	1304.77

डीएपीएससी और डीएपीएसटी के अंतर्गत निर्धारित निधियां (2020–21)						
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	**कुल**		**डीएपीएससी**		**डीएपीएसटी**	
	बजट अनुमान	**संशोधित अनुमान**	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**
योजना घटक	50600.00	41753.58	10130.00	8374.71	5574.00	5231.01
प्रतिशत			20.0%	20.06%	11.02%	12.53%
योजना घटक के अतिरिक्त	9245.00	10435.49	140.00	612.35	270.00	478.44
प्रतिशत			1.51%	5.87%	2.92%	4.58%
कुल स्कूल शिक्षा और साक्षरता	59845.00	52189.07	10270.00	8987.07	5844.00	5709.45

स्कूल शिक्षा

राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 64.9% (जनगणना 2001) से बढ़कर 73% (जनगणना 2011) हो गई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर में 10 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ है; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की साक्षरता दर में 12 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के बच्चों की नामांकन हिस्सेदारी (20.24%) जनसंख्या में उनके हिस्से (16.60%) से अधिक है और वर्षों के कारण इसमें वृद्धि का चलन देखा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों (8.60%) की नामांकन सहभागिता 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उनके हिस्से (10.85%) से अधिक है और वर्षों से वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा सकती है।

एससी/एसटी का सकल नामांकन अनुपात

वर्ष	आरंभिक (I-VIII)			माध्यमिक (IX-X)			उच्चतर माध्यमिक (XI-XII)		
	सभी	एससी	एसटी	सभी	एससी	एसटी	सभी	एससी	एसटी
2014-15	99.78	112.80	108.80	75.78	82.00	72.16	46.43	48.36	35.54
2015-16	100.20	113.30	107.70	77.20	83.69	73.47	48.32	49.65	38.82
2016-17	97.68	108.80	104.70	76.42	82.52	72.25	43.77	44.74	35.65
2017-18	97.22	107.20	106.00	76.43	82.15	75.70	48.13	49.13	41.04
2018-19	96.10	105.30	105.00	76.90	82.74	78.19	50.14	51.34	43.94

स्रोतः– यू–डाइज रिपोर्ट

समग्र शिक्षा :

i) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) का अधिकार अधिनियम, 2009, संविधान (86वें संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारत के संविधान में सम्मिलित अनुच्छेद 21–ए के परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 21–ए में कहा गया है कि सरकार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस प्रकार, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित किया जा सके, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। आरटीई अधिनियम, 2009 में 6–14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के स्कूल में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है।

ii) इससे पूर्व, आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की पूर्ववर्ती योजना के माध्यम से लागू किया गया था, जिसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) के साथ समग्र शिक्षा की एकीकृत योजना में शामिल किया गया है। अब, आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को 2018–19 से समग्र शिक्षा के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

iii) आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 2 (घ) में उल्लिखित है कि "वंचित समूह से संबंधित बच्चे" का अर्थ है दिव्यांग बच्चा या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या ऐसे अन्य समूह से संबंधित बच्चा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे अन्य कारकों के कारण वंचित जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके। जैसा कि आर.टी.ई. कोई अधिनियम, 2009 की धारा 2(क) में परिभाषित है, केंद्र सरकार केवल केंद्र सरकार या बिना विधायिका वाले संघ शासित प्रदेश द्वारा स्थापित स्वामित्व अथवा नियंत्रित स्कूल के संबंध में उपयुक्त सरकार है। अन्य मामलों में विधान मंडल वाले राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थापित स्कूल के संबंध में राज्य या संघ शासित प्रदेश सरकार उपयुक्त सरकार है।

iv) इसके अलावा, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 2 (घ) और (ड) के साथ पठित धारा 12 (1) और (2) में उपयुक्त सरकार के कार्यों के साथ–साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों सहित सभी "वंचित समूह के बच्चों" और ''कमजोर वर्ग'' के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों और शिक्षकों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

v) समग्र शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर और सामाजिक अंतर को कम करना है। नतीजतन, समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य अनु. जाति और अनु. जनजाति समुदायों तक पहुंच बनाना है। समग्र शिक्षा के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए किए जा रहे उपायः

i. राज्य द्वारा परिभाषित पड़ोस में स्कूल खोलना।

ii. कक्षा VIII तक निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का प्रावधान

iii. कक्षा VIII तक वर्दी

iv. शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम

v. आवासीय विद्यालय और छात्रावास

नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी करते समय निम्न पर विशेष फोकस किया गया हैः

i. 61 एससी बहुल जिले

ii. 109 एसटी बहुल जिले

सामाजिक समता के लिए विशेष परियोजनाएंः

समग्र शिक्षा के तहत, समता घटक के तहत विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए राज्य विशिष्ट परियोजनाओं में नामांकन अभियान, प्रेरक शिविरों, जेंडर संवेदीकरण मॉड्यूल आदि को बढ़ावा देकर पहुंच, प्रतिधारण और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। इस हस्तक्षेप के तहत एससी और एसटी समुदायों को लाभ दिया जाता है।

vi) **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयः** समग्र शिक्षा के तहत, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) का प्रावधान है। केजीबीवी एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों की लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं। केजीबीवी की स्थापना करने का उद्देश्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके वंचित समूहों की लड़कियों की पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर अंतर कम करना है। केजीबीवी किसी राज्य के उन शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में स्थापित किए जाते हैं

जहां महिला ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इसमें ऐसे शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रत्येक ब्लॉक में कक्षा VI–XII की लड़कियों के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय की सुविधा का प्रावधान किया गया है जहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मामला मंत्रालय या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत आवासीय विद्यालय नहीं हैं।

11.01.2021 तक समग्र शिक्षा के तहत राज्यों को कुल 5726 केजीबीवी स्वीकृत किए गए। इसमें से 4886 केजीबीवी 607771 लड़कियों के नामांकन के साथ चालू हैं। 607771 लड़कियों के नामांकन में से 171524 एससी लड़कियां हैं, 159517 एसटी लड़कियां हैं, 213179 ओबीसी लड़कियां हैं, 25827 मुस्लिम लड़कियां हैं और 37724 बीपीएल श्रेणी की लड़कियां हैं।

केजीबीवी का उन्नयन:

केजीबीवी के उन्नयन का कार्य वर्ष 2018–19 में शुरू किया गया था और वर्ष 2020–21 के अंत तक, कुल 2410 केजीबीवी को कक्षा XII तक उन्नयन किया गया है।

केंद्रीय विद्यालय (सेंट्रल स्कूल):

केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 15 दिसम्बर 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। संगठन का प्रमुख उद्देश्यपूरे भारत और विदेशों में स्थित सेंट्रल स्कूल (केंद्रीय विद्यालय) की व्यवस्था, उनकी स्थापना, वृत्तिदान, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करना है। संगठन कावित्त पोषण पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

सभी केन्द्रीय विद्यालयों में नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% सीटें आरक्षित हैं।जिन एससी/एसटी छात्रों को आरटीई कोटे के तहत प्रवेश दिया जाता है, उन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है और उन्हें निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी और परिवहन भी प्रदान किया जाता है। सभी एससी/एसटी छात्रों को कक्षा XII तक शिक्षण शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी):

एससी/एसटी बहुल क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एनसीईआरटी ने अनुसंधान अध्ययन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। परिषद द्वारा ''असेसिंग कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन इन प्रमोटिंग एलिमेंटरी स्कूल एजुकेशन इन स्ट्रीट डॉमिनेटेड एरीयाज़', ए स्टडी ऑफ दी ट्रेडीशनल इंडिजिनियस प्रॅक्टीस फॉलोड बाइ सेलेक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर कन्सर्वेशन ऑफ नॅचुरल रीसोर्स इन डिफरेंट क्लाइमॅटिक रीजन ऑफ इंडिया', इंटरवेंशन टू अचीव क्वालिटी लर्निंग इन साइन्स इन सेलेक्टेड स्कूल्स इन स्ट्रीट कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंडः ए फ्रेमवर्क', 'स्टेटस ऑफ गर्ल्स' हॉस्टल स्कीमः एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी फोकसिंग ऑन शेड्यूल्ड कॉस्ट्स (एससी) गर्ल्स एट सेकेंडरी ट्राइबल लर्नर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स' एरिया शीर्षक अध्ययन आयोजित किए गए थे।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई):

एनसीटीई अपने सांविधिक भूमिका में शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है जैसाकि इसके अधिनियम के माध्यम से अधिदेशित किया गया है। एनसीटीई ने दिनांक 23.8.2010 और 29.7.2011 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से इन अधिसूचनाओं मेंकक्षा I से V औरबी.एड (विशेष शिक्षा) केलिए नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए डी.एल.एड(विशेष शिक्षा) को पहले से ही शामिल कर लिया है जिससे यह उच्च प्राथमिक कक्षा VI से VIII की नियुक्ति के लिए अर्हता बन गया हैं।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, कक्षा I से V तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए बी.एड (विशेष शिक्षा) अर्हता वाले शिक्षक को नियुक्ति के बाद, प्रारंभिक शिक्षा में एक एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम करना होगा।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार आरक्षण नीति भी निर्धारित की गई है। आरक्षण नीति के अनुसार, एसटी/एससी/ओबीसी/शारीरिक विकलांग जैसे आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अर्हता अंक में 5% तक छूट दी जाएगी।

इसी तरह एनसीटीई विनियमन 2014 (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) के अनुसार केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, जो भी लागू हो, एसटी/एससी/ओबीसी/शारीरिक दिव्यांगऔर अन्य श्रेणियों के लिए विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण और अंकों में छूट का प्रावधान है।

दिनांक 29.5.2017 को अधिसूचित एनसीटीई संशोधन विनियमन, 2017 के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य श्रेणियों के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार वर्तमान नीति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान है।

उच्चतर शिक्षा

उच्च शिक्षा और मानव विकास संकेतक

उच्च शिक्षा, मानव पूंजी में निवेश का एक महत्वपूर्ण रूप है। वास्तव में, इसे मानव पूंजी का उच्च स्तर या एक विशिष्ट रूप माना जा सकता है, जिसका आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विकास में उच्च शिक्षा का योगदान अलग–अलग हो सकता हैः यह व्यावसायिक, तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल से युक्त जनशक्ति प्रदान करके, अर्थव्यवस्था के तीव्र औद्योगिकीकरण में मददगार है। इससे अभिवृत्तियों का सृजन होता है और व्यक्तियों एवं आधुनिकी करण और समाजों के समग्र परिवर्तन के लिए आवश्यक अभिवृत्तिक परिवर्तन संभव बना जाता है। उच्च शिक्षा मानव विकास संकेतक से भी काफी महत्वपूर्ण पाई जाती है। किसी समाज में उच्चतर शिक्षा का स्तर जितना अधिक होगा, मानव विकास सूचकांक के दो घटकों यथा जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय पर इसके प्रभाव के माध्यम से मानव विकास का स्तर उच्चतर हो सकता है। उच्च शिक्षा से एक भिन्न तरीके से और समाज की कुशल चिकित्सा जनशक्ति के प्रावधान के माध्यक से जनसंख्या के स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है जिससे समाज में चिकित्सा जनशक्ति की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है।

केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 6 दिसंबर, 2005 के आदेश संख्या 6–30/2005–यू.5, में संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उन समवत विश्वविद्यालय संस्थानों में आरक्षण नीति, जो सार्वजनिक धन से सहायता प्राप्त करते हैं, का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सरकार के इस निदेश के अनुपालन में, यूजीसी ने दिनांक 25 अगस्त, 2006 के पत्र सं एफ.1–5/2006 (एससीटी) के माध्यम से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संबद्ध विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के लिए सख्त कार्यान्वयन के दिशा– निर्देश जारी किए हैं।केंद्र सरकार, आरक्षण नीति को लागू करने के लिए समय–समय पर विभिन्न निर्देश जारी करती रही है; और यूजीसी, शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो सरकार के निर्देशों के तहत सभी अनुदान सहायता संस्थानों में उक्त निर्देशों को सख्ती से लागू कर रहा है।

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 को 4.01.2007 को लागू किया गया।शिक्षा मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 8 जनवरी, 2007 के अपने पत्र सं. एफ. 36–2/2003 (सीयू) के अनुसार सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों मे कार्यान्वयन के लिए कथित अधिनियम को परिचालित कर दिया है।

उक्त अधिनियम के पैरा 3 के अनुसार, नीति के अनुसार, अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमत संख्या में से 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए और 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जानी हैं।

शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार, यूजीसी ने दिनांक 19.11.2012 के पत्र संख्या सं. एफ. 1–5/2006 (एससीटी) से राजपत्र अधिसूचना संख्या 3 के अनुसार अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय शिक्षण संस्थान संशोधन अधिनियम, 2012 अग्रेषित किया है।

पिछड़े वर्गों (एससी, एसटी और ओबीसी) के लिए आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहा जाता है और विकलांग व्यक्तियों जैसे श्रेणियों के लिए आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण (जिसे इंटरलॉकिंग आरक्षण कहा जाता है) में क्षैतिज आरक्षण में कटौती और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोटा से चुने गए व्यक्तियों को उचित श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है जिससे वे एससी/एसटी/ओबीसी के आरक्षण के लिए रोस्टर में संबंधित हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित के लिए सभी विश्वविद्यालयों को समय–समय पर निर्देश जारी किए थे

(i) सरकार/ यूजीसी की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

(ii) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आरक्षण रोस्टर का प्रदर्शन

(iii) शिक्षण और गैर–शिक्षण पदों में इन श्रेणियों के शेष चिह्नित बैकलॉग आरक्षित रिक्त पदों को भरना

(iv) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार की नीति का पालन, छात्रों का प्रवेश, हॉस्टल में प्रवेश और स्टाफ क्वार्टर का आवंटन

(अ) भेदभाव विरोधी अधिकारी की नियुक्ति, संपर्क अधिकारी (एससी/एसटी) कीनियुक्ति, एससी/एसटी प्रकोष्ठ का गठन, शिकायत निवारण समिति का गठन।

यूजीसी दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर केंद्रित अनुसंधान का समर्थन करने के लिए सामाजिक अध्ययन और समावेशी नीति के अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यूजीसी ने एससी/एसटी छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में एससी/एसटी प्रकोष्ठ की स्थापना भी की है।

नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 12 जुलाई 2019 को केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम 2019, अधिसूचित किया गया ताकि केंद्रीय शैक्षिक विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर संस्थाओं में शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती में पदों का आरक्षण प्रदान किया जा सके।

केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन कर रहे हैं। हालांकि, राज्य विश्वविद्यालय अपने संबद्ध/घटक कॉलेजों और अन्य संस्थानोंसहित संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित एससी/एसटी के आरक्षण के प्रतिशत के मानदंडों का पालन कर रहे हैं। निम्न सारणी में 2013–14 से 2018–19 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत (%) को केंद्र द्वारा उच्चतर शैक्षिक संस्थान (सीएफ़एचईआई) दर्शाए गए हैं:–

केंद्र द्वारा वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों (सीएफ़एचईआई) में एससी/एसटी प्रतिनिधित्व का प्रतिशत (%)

सीएफ़एचईआई	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
केंद्रीय विश्वविद्यालय	10.42	3.85	10.65	3.85	11.53	3.89	12.4	4.5	12.2	4.4	13.8	4.1
इग्नू	8.99	8.32	9.2	8.16	8.54	7.57	8.6	7.0	11.2	8.2	12.7	8.6
आईआईआईटी	14.72	5.84	14.13	6.42	14.78	6.95	15.0	6.9	13.5	6.2	13.5	7.1
आईआईएम	9.86	4.08	9.73	4.05	10.53	4.51	12.1	4.8	10.9	4.4	10.7	6.4
आईआईएससी	4.25	1.67	4.26	1.92	4.49	1.65	4.5	1.7	11.5	2.8	11.3	4.0
आईआईएसईआर	11.75	3.45	11.52	3.16	11.39	3.36	11.4	3.8	12.6	4.8	12.5	6.6

सीएफ़एचईआई	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
आईआईटी	13.43	5.69	13.45	5.88	12.97	5.37	12.1	5.2	13.5	5.9	13.3	6.9
एनआईटी	13.94	6.86	14.11	6.97	13.55	6.92	14.3	7.1	14.2	7.6	14.4	8.9
न्यूपा	4.00	4.00	8.82	5.88	7.02	5.26	8.1	3.2	8.1	2.7	12.2	12.2
एसपीए (योजना और वास्तुकला का स्कूल)	13.61	6.39	13.38	6.09	13.41	6.16	13.7	6.2	14.8	6.8	14.4	9.7

***स्रोत:** उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई), शिक्षा मंत्रालय*

एससी/एसटी के लिएकार्यक्रम/ योजनाएं

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम/योजनाएँ

कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना:

उद्देश्य:– इस योजना के तहत,योग्य मेधावी छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अर्हता:– वे छात्र जो बारहवीं कक्षा में सफल उम्मीदवारों के शीर्ष 20वे स्थान पर हैं और जिनकी पारिवारिक आय रु 6 लाख प्रति वर्ष तक है, जिसे रु 8 लाख प्रति वर्ष तक बढ़ाया गया है, आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

उद्देश्य:– प्रति वर्ष 82,000 नए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं (लड़कों के लिए 41000 और लड़कियों के लिए 41000) और उन्हें राज्य के शिक्षा बोर्डों के बीच विभाजित किया गया है जो राज्य की 18–25 वर्ष के आयु वर्ग में जनसंख्या पर आधारित है।

छात्रवृत्ति की दर:– छात्रवृत्ति की दर पहले तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10,000/– रु. और चौथे और पांचवें वर्ष के लिए प्रति वर्ष 20,000/– रु. हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):– यह स्कीम डीबीटी के अंतर्गत आती है जो 1.1.2013 से प्रभाव मे आया जिसमें छात्रवृत्ति लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे वितरित की जाती है।

ऑनलाइन पोर्टल:– सीएसएसएस 1.8.2015 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) पर ऑन बोर्ड है। शैक्षणिक वर्ष 2015 के बाद से योग्य उत्तीर्ण छात्रों को पोर्टल के माध्यम से नए और नए सिरे से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। कोविड–19 महामारी के कारण, पोर्टल अगस्त, 2020 के महीने के अंत में खोला गया और 30.11.2020, 31.12.2020 और अंत में 20.01.2021 तक प्रगतिशील रूप से बढ़ाया गया। तदनुसार संस्थान/बोर्ड द्वारा सत्यापन तिथियां भी बढ़ा दी गई हैं।

आरक्षण:– इस योजना के तहत केंद्रीय आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है, सभी श्रेणियों में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है।

नई पहलें

(i) यह योजना उमंग ऐप में उपलब्ध हैऔर जिला स्तरीय ग्रैन्युलैरिटी के अनुरूप एलजीडी (लोकल गवर्नेंस डायरेक्टरी) है।

(ii) नए पंजीकरण के लिए आधार नंबर लिया गया है।

(iii) एनआईसी ने छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए एक नया मॉड्यूल शुरू किया है।

(iv) अंकों के आधार पर नवीकरण के लिए आवेदन करने की शर्त में कोविड के कारण ढील दी गई है।

यह बजट क्रमशः ओबीसी (लघु शीर्ष 107), एससीएसपी (लघु शीर्ष 789) और टीएसपी (लघु शीर्ष 796) सहित सामान्य श्रेणी के लिए विभाज्य है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या और संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएसएस)			
	अनूसूचित जाति	रु.	अनूसूचित जनजाति	रु.
2015-16	12849	14.21	4201	4.60
2016-17	7768	8.94	1813	2.14
2017-18	12819	14.00	4433	4.96
2018-19	11068	12.47	3179	3.58
2019-20	16578	17.68	4191	4.39
2020-21*	350	00.39	113	0.11

**31.12.2020 तक के आंकड़े।*

जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजनाः

उद्देश्यः– जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के युवाओं को राज्य के बाहर शैक्षणिक संस्थानों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें बाकी देश से अपने समकक्षों से संपर्क करने का अवसर मिलेगा जिससे उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी।

पात्रताः– जम्मू और कश्मीर के छात्र जिनकी पारिवारिक आय रु 8.0 लाख प्रति वर्ष तक है और राज्य से कक्षा XII/ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जिन छात्रों ने राज्य के बाहर प्रवेश प्राप्त किया है, उन्हें या तो केंद्रीयकृत परामर्श के माध्यम से आवंटित सीटों के साथ–साथ उन छात्रों को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के आधार परकेंद्रीय विश्वविद्यालयों या मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लिया है, वे छात्रवृत्ति लेने के लिए योग्य हैं।

कार्यक्षेत्रः– प्रत्येक वर्ष 5000 नई छात्र वृत्तियां (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 2070, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 2830 और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 100) प्रदान की जाती हैं। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए चयन करने वाले छात्रों की संख्या में किसी भी कमी से अर्जित बचत के अधीन जनरल डिग्री की संख्या में कमी के अध्यधीन, स्लॉट की अंतर–परिवर्तन शीलता का प्रावधान है।

छात्रवृत्ति दरः– ट्यूशन शुल्क और रखरखाव भत्ता के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना के तहत सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृत्ति की दर30,000 रु. प्रतिवर्ष, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए रु 1.25 लाख प्रति वर्ष और चिकित्सा अध्ययन के लिए 3.0 लाख रुपये प्रतिवर्ष, निश्चित रख रखाव भत्ता 1.0 लाख प्रति वर्ष सभी छात्रों को प्रदान किया जाता है। अंतर मंत्रालयी समिति योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की देख रेख करती है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):– यह योजना डीबीटी के अंतर्गत आती है, जिसमें छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में संवितरित की जाती है।

ऑनलाइन पोर्टलः– छात्रों को एआईसीटीई वेब पोर्टल – www.aicte-jk-scholarship.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

नई पहलेंः

i. भावी लाभार्थियों, माता–पिता, स्कूल के प्रिंसिपलों और अन्य हितधारकों के बीच योजना जागरूकता पैदा करने के लिए कोविड–19 के दौरान 14 वेबिनार आयोजित किए गए थे।

ii. शैक्षणिक वर्ष 2020–21 में, नर्सिंग, एचएमसीटी और फार्मेसी के लिए अतिरिक्त सीटों को प्रत्येक में क्रमशः 3 सीटों, 2 सीटों और 2 सीटों से बढ़ाकर प्रत्येक के लिए 5 सीटों तक किया गया है।

iii. शैक्षणिक वर्ष 2019–20 से, छात्रों के लाभ के लिए, रखरखाव भत्ता अब 9 किश्तों में जारी किया गया है (पहली किश्त 20,000/– रू. और 10,000 रु. प्रत्येक की 8 अनुवर्ती किश्त)।

आरक्षणः– योजना के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य आरक्षण नीति को अपनाया जाता है अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए 8%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 11% और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए 25% चिह्नित है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या और संवितरित राशि

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्र वृत्ति योजना (जम्मू–कश्मीर के लिए एसएसएसएस)			
	अनुसूचित जाति	रु.	अनुसूचित जनजाति	रु.
2015-16	379	5.81	361	5.68
2016-17	560	17.00	440	11.00
2017-18	676	-#	518	- #
2018-19	704	11.49	1045	14.29
2019-20	1219	22.00	1102	17.20
2020-21*	838	8.00	780	8.00

 # एससी और एसटी शीर्ष के तहत छात्रवृत्ति पिछले वित्त वर्ष 2016–17 की आगे लाई गई निधि (एससी के तहत 13.37 रुपये और एसटी श्रेणी के तहत 8.77 रुपये) के उपयोग द्वारा प्रयुक्त की गई थी।

** 31.12.2020 तक के आंकड़े।*

शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडीः

उद्देश्यः इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक, एससी/एसटी, महिलाओं और दिव्यांगों सहितविकलांग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) में से कोई केवल इस कारण से व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच से वंचित न हो कि वह गरीब है।

पात्रताः राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से प्रत्यायिक व्यावसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रम में या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) या द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक/तकनीकी कार्यक्रमों अथवा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनी की संस्थानों (सीएफ़टीआई) में नामांकित छात्र पात्र हैं।एनएएसी के दायरे के अंतर्गन न आनेवाले व्यावसायिक/कार्यक्रमों के लिए संबंधित नियामक संस्था का अनुमोदन आवश्यक है। अवर स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए ब्याज सब्सिडी केवल एक बार स्वीकार्य है।

दायराः इस योजना का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस के उन सभी छात्रों को कवर करना है, जिनकी वार्षिक पैतृक / पारिवारिक आय 4.5 लाख रु प्रति वर्ष हैं।

लाभः इस योजना के तहत, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के तहत सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित बैंकों से अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम की अवधि और एक वर्ष) के दौरान रू. 7.5 लाख तक के शैक्षिक ऋण पर पूर्ण ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। केनरा बैंक इस योजना के लिए नोडल बैंक है।

डीबीटीः– ब्याज लाभ दावों का संवितरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किया जाता है।

ऑनलाइन पोर्टलः– प्रत्येक वर्ष केनरा बैंक द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल खोला जाताहै ताकि सदस्य बैंकों को ब्याज सब्सिडी के दावों को अपलोड कर सकें। इस वर्ष ऑनलाइन पोर्टल 01.10.2020 से 15.12.2020 तक खोला गया था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या और संवितरित राशि

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)			
	अजा	रु.	अजजा	रु.
2015-16	62583	98.22	11834	21.21
2016-17	47240	72.73	10279	17.04
2017-18	50748	62.79	9079	14.68
2018-19	10974	45.37	6595	11.47
2019-20	60176	93.55	14077	23.15
2020-21*	लागू नहीं	लागू नहीं	97	00.08

लागू नहीं: चालू वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए डाटा अभी तक संकलित नहीं

***31.12.2020 तक के आंकड़े।**

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा): राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषण के लिए एक मिशन मोड में संचालित एक व्यापक योजना है, ताकि समता, पहुंच और उत्कृष्टता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। योजना का उद्देश्य राज्यों में, विशेष कर आकांक्षी जिलों पर फोकस करके, असेवित और अल्पसेवित जिलों में उच्च शिक्षा की पहुंच में सुधार करना है। रूसा के अव संरचनात्मक विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिसमें गैर–विभाज्य अवसंरचना/संसाधनों की प्रकृति में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण परध्यान केंद्रितकिया जाता हैऔर प्रत्यक्ष लाभार्थी उन्मुखी नहीं है। इसलिए, इन मामलों में, एससी/एसटी आबादी को मिलने वाले लाभ कुल आबादी के अनुपात में होते हैं, आकांक्षात्मक जिलों में 70 मॉडल डिग्री कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से कई जिले आदिवासी बहुल हैं। रूसा स्कीम के तहत निगरानी तंत्र जैसेकि जिओ–टैगिंग ऐप 'भुवन–रूसा', रिफॉर्म ट्रैकर, विमुक्त निधि से राज्यों एवं संस्थानों के प्रदर्शन की समग्र रूप में निगरानी करने के लिए पीएफएमएस का प्रावधान है।

जनजातीय विश्वविद्यालयः

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 2007 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के नाम से मध्य प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में प्रत्येक के लिए एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है।

आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विजयनगरम यानी आंध्र विश्वविद्यालय वित्तीयवर्ष 2018–19 से परामर्शदाता विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी परिसर से संचालित किया जा रहा है।

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालयः लखनऊ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय 10 जनवरी 1996 को स्थापित किया गया था। संक्षेप में, विश्वविद्यालय के अधिनियम और विधियों सहित बीबीएयू के सभी शैक्षणिक, अनुसंधान और आउट–रीच कार्यक्रमडॉ अंबेडकर के शिक्षा को एक समग्र सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन का उपकरण बनाने के दर्शन द्वारा निर्देशित हैं जिसमें सबसे पहले हमारे समाज के सर्वाधिक वंचित वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा किया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2019–20 में प्रवेश के लिए अपनाई जाने वाली आरक्षण नीति "विश्वविद्यालय में अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए, विश्वविद्यालय में 50% सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए और और 10% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिएआरक्षित होंगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम/योजनाएँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार और अनुसूचित जाति/ जनजाति आयोग द्वारा समय–समय पर दिए गए सुझावों के आलोक में उच्चतर शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निरंतर और विशेष प्रयास कर रहा है। इन उपायों में विश्वविद्यालयों और

कॉलेजों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण, शिक्षण और गैर–शिक्षण पद की भर्ती में आरक्षण, छात्रावासों में सीटों का प्रावधान, छात्रवृत्ति, फैलोशिप, उपचारात्मक पाठ्यक्रम, आदिवासी क्षेत्रों में कॉलेजों को विशेष सहायता आदि शामिल हैं।

उच्च शिक्षा संस्थानों की पहुँच में सुधार करने के लिए, असेवित क्षेत्रों में केन्द्रित वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और इस तरह के रूप में अन्य योजनाए जैसे सामुदायिक कॉलेज, यूजीसी द्वारा विकास सहायक विश्वविद्यालय/ कॉलेज और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में इग्नू के अध्ययन केन्द्रों के खोलने से सभी समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ा है।

इनके अतिरिक्त, कई अन्यकार्यक्रम/ योजनाएँ भी शुरू की गई हैं जिनमें एससी/ एसटी औरपीडबल्यूडी से संबंधित छात्रों के शिक्षा विकास पर समान रूप से बल दिया जाता है, जिनमें विभिन्न छात्र सहायता पहलें जैसे छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालयों में, समाधानात्मक प्रशिक्षण कक्षाएं, समान अवसर प्रकोष्ठ खोलना, राजीव गांधी फैलोशिप, स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम छात्रवृत्ति, पोस्ट डॉक्टरेट अध्येतावृत्ति, नेट/स्लेट के लिए समाधानात्मक प्रशिक्षण, आईआईटी के लिए प्रारंभिक कक्षाएं, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी, विशेष रूप से लड़कियों के लिए छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा आदि शामिल है।

बेरोजगारी की समस्या को सीधे संबोधित करने के लिए कौशल विकास की कई योजनाएँ भी बनाई गई हैं। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और नौकरी के क्षेत्र के बीच छात्र की आसान आवाजाही को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा स्थापित किया गया है। अन्य योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रशिक्षण योजना, कम्युनिटी कॉलेज योजना में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर फोकस किया गया है और समुदाय, कॉलेजों और नौकरी के क्षेत्र के बीच का सृजन किया गया है।

यूजीसी की एससी/एसटी के लिए पोस्ट– डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति/ अनुसंधान अध्येतावृत्ति/स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति/अवरस्नातक छात्रवृत्ति (पूर्वोत्तर क्षेत्र)

(i) **एससी/एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिपः**– इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा और यूजीसी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/ कॉलेजों में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विज्ञान,मानविकी और सामाजिक विज्ञान मेंएम.फिलऔर पीएचडी उपाधि (पूर्णकालिक) केलिए उच्चतर अध्ययन करने के लिए एससी/एसटी के बेरोजगार छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। यूजीसी, एससी उम्मीदवारों को प्रति वर्ष 2000 स्लॉट और एसटी उम्मीदवारों को 750 स्लॉट प्रदान कर रहा है।

(ii) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केछात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तिः** इस योजना का उद्देश्य मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों में व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 1000 एससी/ एसटी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(iii) **एससी / एसटी के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल फैलोशिपः** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/ कॉलेजों में विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उन्नत अध्ययन और पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करना है। यूजीसी उन्हें हर साल 100 स्लॉट मुहैया कराता रहा है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंगः यूजीसी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में विशेष कोचिंग योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग की सामाजिक समता और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए योगदान कर रहा है।

(i) **एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए समाधानात्मक प्रशिक्षणः** उनके ज्ञान, विभिन्न विषयों में शैक्षणिक कौशल और भाषाई दक्षता में सुधार और उसे मजबूत करने और परीक्षा में समग्र प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से अवरस्नातक (यूजी)/स्नातकोत्तर(पीजी) के छात्रों के लिए समाधानात्मक प्रशिक्षण।

उपरोक्त योजना के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार हैः

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की सीमा

गैर–आवर्ती	5.00 लाख रु (एक बारगी)
आवर्ती	7.00 लाख रु प्रति वर्ष

कॉलेज के लिए अनुदान की सीमा

गैर–आवती	5.00 लाख (एक बारगी)
आवर्ती	2.00 लाख प्रतिवर्ष

(ii) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यकों केलिए प्रशिक्षणः** विभिन्न विषयों में अपने ज्ञान, शैक्षणिक कौशल और भाषाई दक्षता को सुधारने और मजबूत करने और परीक्षा में समग्र प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से स्नातक (यूजी)/ स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रों के लाभ के लिए उपचारात्मक प्रशिक्षण।

उपरोक्त योजना में से प्रत्येक के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार हैः

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की सीमा

गैर–आवर्ती	5.00 लाख रु (एक बारगी)
आवर्ती	7.00 लाख रु प्रति वर्ष

कॉलेज के लिए अनुदान की सीमा

गैर–आवर्ती	50 लाख रु (एक बारगी)
आवर्ती	1.50 लाख रु प्रतिवर्ष

(iii) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमीलेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएंः** समूह ए, बी या सी केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं या निजी क्षेत्र में समकक्ष पदों पर उपयोगी रोजगार पाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी परत) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग योजना तैयार की गई है। शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए केंद्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त योजना के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार हैः

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की सीमा

गैर आवर्ती	रु. 5.00 लाख (एक बारगी)
आवर्ती	रु. 7.00 लाख प्रति वर्ष

महाविद्यालय के लिए अनुदान की सीमा

गैर आवती	रु. 5.00 लाख (एक बारगी)
आवर्ती	रु.2.00लाख प्रति वर्ष

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यकों की आवासीय कोचिंग अकादमियांः यूजीसी ने पांच विश्वविद्यालयों में आवासीय कोचिंग अकादमी अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द को स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। आवासीय अकादमी का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए समान विकास हेतु समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है जो छात्र कोचिंग कार्यक्रम प्रदान करके अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देता है और केंद्रीय/राज्य सरकारों के निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश और आईआईआईटी/मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कोचिंग के लिए उपरोक्त श्रेणी के शिक्षण शुल्क के बिना, निःशुल्क/नाममात्र शुल्क के साथ सुविधाएं प्रदान करता है।

विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठः वंचित सामाजिक समूहों की जरूरतों और बाधाओं के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, यूजीसी ने नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) स्थापित करने की योजना, शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक और अन्य मामलों में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने हेतु बनाई गई है।

पात्रताः योजना के तहत वित्तीय सहायता ऐसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उपलब्ध है जो धारा 2(एफ) के दायरे में आते हैं और यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए फिट हैं।

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की उच्चतम सीमाः

2.00 लाख रु. प्रति योजना

कॉलेज के लिए अनुदान की सीमाः

स्नातकोत्तर	रु. 75,000/— प्रति वर्ष
पूर्व स्नातक	रु. 55,000/— प्रति वर्ष

सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केंद्रों की स्थापनाः सामाजिक बहिष्कार न केवल तनाव, हिंसा और व्यवधान उत्पन्न करता है, बल्कि समाज में असमानता और अभाव को भी कायम रखता है। भारत में, कुछ समुदाय जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक विकास के लाभ प्राप्त करने के मामले में प्रणालीगत बहिष्कार का अनुभव करते हैं। सामाजिक बहिष्कार सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। गरीबी, बेरोजगारी और अनैच्छिक प्रवास जैसे व्यापक आर्थिक कारकों के परिणाम पीड़ितों को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों से बाहर कर देते हैं। प्राथमिक स्थान जहां 'बहिष्करण' का अध्ययन किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और सबसे पहले हमारे विश्वविद्यालय हैं, जो समाज के लिए एक प्रकश स्तम्भ के रूप में कार्य कर सकते हैं और करना चाहिए। इसलिए यूजीसी ने सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर अनुसंधान का समर्थन करने का निर्णय लिया है, जिसका सैद्धांतिक और नीतिगत महत्व है। इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों में कई शिक्षण—सह—अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का विचार है।

उद्देश्यः

- ✓ जाति/जातियता/धर्म के आधार पर भेदभाव, बहिष्करण और समावेशन की संकल्पना करना;
- ✓ भेदभाव और बहिष्कार की प्रकृति और गतिशीलता की समझ विकसित करना;
- ✓ भेदभाव, बहिष्करण और समावेशन का संदर्भीकरण और समस्या निवारण करना;
- ✓ अनुभवजन्य स्तर पर भेदभाव की समझ विकसित करना;
- ✓ इन समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीतियां बनाना और बहिष्कार और भेदभाव की समस्या का खत्म करना।

कार्यः

- ✓ एम. ए. और एम. फिल स्तर पर शिक्षण पाठ्यक्रम, सामाजिक बहिष्करण अध्ययन में पूर्ण एम.ए. और यहां तक कि एम.फिल कार्यक्रम।
- ✓ एम.फिल और पीएच.डी. पर्यवेक्षण का आरंभ।
- ✓ सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के साथ अनुभवजन्य अध्ययन करना और तुलनात्मक अध्ययन और नीति/कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए समय श्रृंखला डेटा बैंक बनाना।
- ✓ सरकारी एजेंसियों द्वारा सृजित सामाजिक—आर्थिक आंकड़ों के आधार पर विस्तृत कठोर विश्लेषण करना।
- ✓ सामाजिक बहिष्कार के विषय पर सम्मेलनों, सेमिनार और संगोष्ठियों का आयोजन।
- ✓ संकाय और छात्रों के शोध निष्कर्षों को नियमित रूप से प्रकाशित करना।

- ✓ प्रख्यात विद्वानों द्वारा इस विषय पर सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित करना,
- ✓ विजिटिंग फैकल्टी को आमंत्रित करने के एक सक्रिय कार्यक्रम के माध्यम से अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्वानों, विशेष रूप से युवा विद्वानों तक पहुंचना।
- ✓ सामाजिक बहिष्कार का मुकाबला करने में लगे नागरिक समाज संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना।
- ✓ राजनीतिक नेताओं, सांसदों, सरकारी अधिकारियों, व्यापार संघियों और मीडिया हस्तियों के लिए अल्पकालिक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करना।

यूजीसी आवर्ती और गैर–आवर्ती मदों के लिए केंद्रों के उचित कामकाज के लिए चयनित विश्वविद्यालयों को 100% आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

यूजीसी ने सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में 33 केंद्र स्थापित किए हैं, जिनका सैद्धांतिक और नीतिगत महत्व है। 2018–19 के दौरान पांच केंद्रों को 5.42 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

यूजीसी आवर्ती और गैर–आवर्ती मदों के लिए केंद्रों के उचित कामकाज के लिए चयनित विश्वविद्यालयों को 100% आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

यूजीसी ने सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में 33 केंद्र स्थापित किए हैं, जिनका सैद्धांतिक और नीतिगत महत्व है। 2018–19 के दौरान पांच केंद्रों को 5.42 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रकोष्ठों की स्थापनाः प्रत्येक संस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना भारतसरकार के पत्र संख्या 43011/153/2010–(स्था) दिनांक 04.01.2013 के निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। इसके अलावा, यूजीसी ने अपने डी.ओ. पत्र संख्या एफ.1–5/2006 (एससीटी) दिनांक 8 जून, 2015 द्वारा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और यूजीसी द्वारा वित्त पोषित डीम्ड विश्वविद्यालयों से पदों. सेवाओं और अन्य संबंधित कार्यों में आरक्षण के आदेशों को लागू करने के लिए विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए डीओपीटी के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। आयोग ने 27 सितंबर, 2018 को आयोजित अपनी 535वीं बैठक में नए स्थापित केंद्रीय वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित करने का संकल्प लिया जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ मौजूद नहीं है। प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए आयोग ने गैर शिक्षण पदों को मंजूरी दी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जनजातीय उप योजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

यूजीसी की 529वीं आयोग की बैठक दिनांक 8 फरवरी, 2018 के अनुमोदन के बाद जारी किए गए। शिक्षा मंत्रालय एससीएसपी और टीएसपी के लिए निर्धारित धनराशि को 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की सीमा तक आवंटित किया। परिणामी कदम के रूप में यूजीसी को यह निगरानी करनी चाहिए कि एससीएसपी और टीएसपी के लिए निर्धारित राशि को कहीं और प्रयोग नहीं किया गया है। इस प्रयोजन के लिए एससीएसपी और टीएसपी निधियों के लिए अलग–अलग स्वीकृति पत्र जारी किए जाते हैं। यूजीसी तीन घटकों अर्थात सामान्य श्रेणी, एससीएसपी और टीएसपी में से प्रत्येक के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ वर्ष के दौरान उपयोग की गई धनराशि और अव्ययित शेष ध नराशि को अगले वित्तीय वर्ष में आगे ले जाने का उल्लेख किया जाता है।

जातिगत भेदभाव में रोकथामः यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को सलाह दी है किः–

1. आधिकारिक/संकाय सदस्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ उनके सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव के किसी भी कार्य से बचना चाहिए।

2. विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की ऐसी शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनी वेबसाइट पर पेज विकसित कर सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य कार्यालय में शिकायत रजिस्टर भी डाल सकते हैं। यदि ऐसी कोई घटना अधिकारियों के संज्ञान में आती है तो दोषी अधिकारियों/संकाय सदस्य के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अधिकारी/संकाय सदस्य किसी समुदाय या वर्ग के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करे।

4. विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों/शिक्षकों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों से प्राप्त भेदभाव की शिकायत पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन कर सकता है।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षण पदों पर नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षणः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश सीएमडब्ल्यूपी संख्या 1643260 दिनांक 07.04.2017, जिसका बाद में सर्वोच्च न्यायालय के 21.07.2017 एसएलपी (सी) संख्या 16515/2017 में समर्थन किया गया, के संदर्भ में यूजीसी ने शिक्षण पदों में आरक्षण के मामले पर निर्णयों में संदर्भित सभी पहलुओं से संबंधित मुद्दों की जांच की है और अपनी सिफारिशें एमओई को विचार और उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की है। मुद्दा मुख्य रूप से पूरे विश्वविद्यालय को आरक्षण की इकाई मानने की प्रेक्टिस की है।

अंतर मंत्रालयी समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की कि (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के मामले में, सभी विश्वविद्यालयों, समवत विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य सहायता अनुदान संस्थान और केंद्र विभाग/विषय को सभी स्तरों के शिक्षकों के लिए इकाई के रूप में लागू करने को ध्यान में रखते हुए रोस्टर प्रणाली तैयार की जाएगी। (ii) रोटस्टर विभागवार/ विषयवारविभाग/विषय के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी में कुल संख्या (जैसे प्रोफेसर, सह–प्राध्यापक प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर) लागू की जाएगी

इसके कार्यालय ज्ञापन संख्या 1–7/2017–सीयू.वी दिनांक 22.02.2018 ने सभी विश्वविद्यालयों को तदनुसार सूचित करने और एक महीने के भीतर एक नया रोस्टर तैयार करने के अनुरोध के साथ 2006 के यूजीसी दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, यूजीसी ने अपने पत्र एफ.1–5/2006 (एससीटी) दिनांक 5 मार्च, 2018 द्वारा उपरोक्त निर्णय को सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित किया।

"विश्वविद्यालय इकाई के रूप में" से "विभाग एक इकाई के रूप में" स्विच करने के मामले में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व में काफी कमी आ सकती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति के माननीय अध्यक्ष और एमओई द्वारा गठित अंतर– मंत्रिस्तरीय समिति और यूजीसी और एमओई द्वारा अलग–अलग भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर करने का निर्णय लिया। तदनुसार यूजीसी और एमओई ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर किया। 22 जनवरी, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी को खारिज कर दिया।

ईशान उदयः यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2014–15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" विशेष छात्रवृत्ति योजना की योजना शुरू की। इस योजना ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए 10,000 छात्रवृत्ति की एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिनके माता–पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख से कम है और देश के कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अध्ययन के लिए प्रति माह 5,400 से 7,800 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पिछले 5 वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति की संख्या नीचे दी गई है:

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना

वर्ष	अनुसूचित जाति के लाभार्थी	राशि	अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी	राशि
2016-17	992	517.36	2727	1299.49
2017-18	1066	367.94	2702	960.45
2018-19	1239	953.28	2699	1795.34
2019-20	535	297.94	1157	661.15
2020-21	161	42.50	373	123.21

5.3 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम/योजनाएं

एआईसीटीई अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना से संबंधित एमओई द्वारा वांछित योजनाओं और सहायता का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

1. शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम:

प्रेरणा योजना उन संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने का एक प्रयास है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के इच्छुक हैं और प्रसिद्ध संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा जैसे गेट / जीपीएटी / कैट / सीएमएटी / टीओईएफएल / आईईएलटीएस और जीआरई पास करने के लिए कोचिंग देते हैं।

इन परीक्षाओं के लिए छात्रों के आवेदन शुल्क का भुगतान करने और सत्र आयोजित करने के लिए आमंत्रित प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों को मानदेय पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए संस्थानों को दो साल की अवधि के लिए 10 लाख रुपये की सीमित एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।

शैक्षणिक वर्ष 2020–21 से यह योजना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शैक्षिक गठबंधन (एनईएटी), शिक्षा मंत्रालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के माध्यम से संचालित की जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उपरोक्त क्षेत्रों से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में नामांकन करके सीधे ऑनलाइन सहायता प्रदान करेगी।

➤ **समृद्धि योजना**

इस योजना का व्यापक उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को औपचारिक शिक्षा समाप्त होने के बाद/उनकी शिक्षा के दौरान उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से अपने स्वयं के व्यवसाय/स्टार्टअप को डिजाइन करने, लॉन्च करने और चलाने में एआईसीटीई की स्टार्टअप नीति के अनुसार मदद करना है।

इस योजना के तहत संस्थान को वित्त पोषण की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तक सीमित है जो02 वर्ष की अवधि के भीतर खर्च किए जाने हैं। संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के 9 स्टार्ट–अप का चयन किया जाता है चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक राशि 2 लाख (गैर–वापसी योग्य) प्रदान की जाती है। उद्यमिता पर दिए जाने वाले मानदेय पर व्यय पूरा करने के लिए संस्थान को 2 लाख रुपये (प्रति वर्ष 1 लाख रु.) प्रदान किए जाते हैं।

2. छात्रवृत्ति योजनाएं:

➤ **छात्राओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना**

तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एआईसीटीई छात्राओं को प्रगति छात्रवृत्ति प्रदान करता है। यह युवा महिलाओं को "तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण" द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाने और एक सफल भविष्य तैयार करने का अवसर देने का एक प्रयास है।

यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी 11 नवंबर, 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना की वर्तमान मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- प्रति परिवार दो बालिकाएं जहां परिवार की आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति की संख्या: 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित 10000 (डिप्लोमा के लिए 5000 और डिग्री के लिए 5000) और शेष 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे एनईआर, जम्मू–कश्मीर आदि) के लिए सभी पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी।
- उम्मीदवार एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान में डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम के प्रथम वर्ष या पार्श्व प्रवेश के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश प्राप्त होने चाहिए।
- छात्रवृत्ति की राशि: 50,000 रुपये प्रति वर्ष।
- आरक्षण–15% अनुसूचित जाति के लिए, 7.5% अनुसूचित जनजाति और 27% ओबीसी उम्मीदवार/आवेदक के लिए।

छात्राओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना

वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
2015-16	7	1,40,000	2	40,000
2016-17	221	47,86,017	64	14,15,870
2017-18	444	96,37,901	127	31,01,877
2018-19	622	1,39,34,171	149	36,29,050
2019-20	1020	2,31,61,490	182	41,08,573

➢ पीजी छात्रवृत्ति

भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए गेट/जीपीएटी योग्य छात्रों को एआईसीटीई अपनी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 12,400/– रु. की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करता है। पीजी छात्रवृत्ति एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/विभागों में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर और मास्टर ऑफ फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है।

एआईसीटीई स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
2015-16	1516	39,52,90,467	233	5,80,20,349
2016-17	1510	39,58,84,326	264	6,72,23,081
2017-18	1575	41,43,50,519	265	6,49,88,530
2018-19	1386	38,45,88,900	308	8,53,39,214
2019-20	1215	18,34,02,795	299	4,58,81,653

➢ नेशनल डॉक्टोरल फैलो (एनडीएफ)

नेशनल डॉक्टोरल फैलो (एनडीएफ) की योजना पीएचडी पूर्णकालिक मेधावी छात्रों को एआईसीटीई के 28 चिन्हित अनुसंधान संस्थानों में प्रवेश देने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय डॉक्टोरल फैलोशिप (एनडीएफ) के उद्देश्य हैं:

- एआईसीटीई अनुमोदित संस्थान में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना।
- तकनीकी अनुसंधान के लिए प्रतिभाओं का पोषण करना।
- स्टार्ट–अप के लिए अग्रणी संस्थान और उद्योगों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना।

पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर को 2018–19 से 3 शैक्षणिक वर्षों के लिए एआईसीटीई की ओर से योजना को संभालने के लिए राष्ट्रीय नोडल केंद्र के रूप में चुना गया था। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और चयनित उम्मीदवारों को उचित चयन प्रक्रियाओं के बाद उम्मीदवार द्वारा चुने गए अनुसंधान क्षेत्र और गाइड

की उपलब्धता के अनुसार अनुसंधान केंद्रों को रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया था। सरकार की आरक्षण नीति का ही पालन किया गया।

चयनित उम्मीदवार पहले दो वर्षों के लिए 31,000/– रूपये और तीसरे वर्ष के लिए 35,000/– की फैलोशिप और सरकारी मानदंडों के अनुसार मकान किराया भत्ता की फेलोशिप प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अलावा प्रति वर्ष 15,000/– रूपये की राशि के अलावा आकस्मिक अनुदान भी छात्रवृत्ति धारकों को दिया जाता है। योजना की अवधि 3 वर्ष के लिए है। हालांकि, इसे विशेष मामलों में 2 चरणों में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

शैक्षणिक वर्ष 2020–21 से इस योजना का नाम बदलकर एआईसीटीई – डॉक्टोरल फेलोशिप (एडीएफ) कर दिया गया है, जिसे तकनीकी विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें एससी/एसटी छात्रों सहित अधिकतम 300 अध्येताओं को फेलोशिप का लाभ मिलेगा।

एआईसीटीई – डॉक्टरल फैलोशिप

वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
2018-19	29	67,91,886	3	7,06,487
2019-20	76	2,41,65,817	15	44,28,419

छात्रावास का निर्माणः

➢ **एआईसीटीई–छात्रों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने की योजना (एससी/एसटी)**

अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा सामना की जा रही आवास समस्या को ध्यान में रखते हुए, संस्थान की आवश्यकता के आधार पर पुरुषों और महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना शुरू की गई थी।

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों/शोधकर्ताओं के लिए आवासीय आवास उपलब्ध कराने के लिए लड़कियों/लड़कों के छात्रावासों के निर्माण के लिए सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों को सहायता प्रदान करना है और वर्ष 2020–21 से सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान भी इसके लिए इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।

छात्रावास के निर्माण के अलावा, तीन और घटक जोड़े गए हैं, जैसे जिम की स्थापना, इंडोर स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना और प्रतियोगी परीक्षा/उच्चतर शिक्षा के लिए परीक्षा की तैयारी के लिए वर्ष 2020–21 से क्रमशः 5 लाख रूपये, 10 लाख रूपये और 10 लाख रूपये की निधियन सीमा के साथ पुस्तकालय की स्थापना (10 डेस्कटॉप पीसी इंस्टॉलेशन सहित)।

यह योजना वर्ष 2020–21 से कैम्पस आवास और सुविधाओं को बढ़ाने वाले सामाजिक–अनुभव (सीएएफईएस)–एससी / एसटी छात्रों के लिए योजना के नाम से संचालित की जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण पर अब तक के आंकड़े

क्र. सं.	छात्रावास का विवरण	छात्रावासों की संख्या
1	सभी किश्तें प्राप्त छात्रावास/पूर्ण छात्रावास	38
2	छात्रावास जिन्होंने ब्याज सहित पहली किस्त वापस की	6
3	छात्रावास जिन्हें पहली किस्त मिली/ निर्माण प्रक्रियाधीन	36
4	छात्रावास को दूसरी किस्त प्राप्त/ निर्माण की प्रक्रिया में	27
	कुल	107

अब तक कुल 166.69 करोड़ रुपये का अनुदान (172.69 करोड़ रुपये 6.00 करोड़ रुपये अनुदान का रिफंड) जारी किया गया है।

सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट:

➢ **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कौशल और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम केंद्र (एसपीडीसी)**

यह योजना नियमित अध्ययन के अलावा विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए संस्थानों में एक एसपीडीपी केंद्र के रूप में बुनियादी ढांचे की स्थापना को बढ़ावा देती है। प्रशिक्षण संचार, व्यक्तित्व विकास और अंग्रेजी भाषा में दक्षता पर मॉड्यूल की मदद से प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, यह एससी और एसटी छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें बेहतर करियर के अवसर प्रदान करता है, ताकि उद्योग में उनकी रोजगार क्षमता बढ़े। इस योजना के तहत संस्थान को वित्त पोषण की अधिकतम सीमा 03 वर्षों की अवधि के भीतर खर्च करने के लिए 25 लाख रुपये तक सीमित है।

वर्ष 2019–20 के दौरान 279.02 लाख रुपये के साथ कुल 47 संस्थानों (31 नए एसपीडीपी केंद्र स्थापित और 16 पहले से चल रहे एसपीडीपी केंद्र चला रहे हैं) और वर्ष 2020–21 के दौरान 468.01 लाख रुपये रुपये के संवितरण के साथ 63 संस्थानों को सहायता दी गई।

इस योजना को चालू वर्ष से संस्थागत विकास प्रकोष्ठ (आईडीसी), एआईसीटीई, नई दिल्ली में बंद कर दिया गया है और एनईएटी में शामिल कर लिया गया है।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी–III):–

1. **नामांकन दर:** टीईक्यूआईपीके तहत, नामांकन दर में सुधार के लिए संस्थानों द्वारा इंजीनियरिंग और विभिन्न छात्रवृत्ति के बारे में ग्रामीण स्कूली छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम जैसी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतर तृतीय वर्ष और अंतिम वर्ष के छात्र ऐसे शिविरों में भाग लेते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020–21 के दौरान, 19.10% छात्र वंचित समूहों (एससी/एसटी) से नामांकित हैं।

2. **उपचारात्मक कक्षाएं** : इस परियोजना के तहत, शैक्षणिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के छात्रों के लिए टीईक्यूआईपी संस्थानों द्वारा उपचारात्मक कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं। बिना किसी बैकलॉग के प्रथम वर्ष के छात्रों की अंतरण दर में सुधार करने के लिए उपचारात्मक कक्षाओं के संचालन के लिए 700 रु प्रति घंटा के पारिश्रमिक को भुगतान का प्रावधान है। अंतरण दर में सुधार के लिए अन्य गतिविधियाँ जैसे कि नैदानिक परीक्षण, प्रेरण कार्यक्रम, सहकर्मी शिक्षण समूह, छात्रों के लिए छात्र मेंटरों और संकाय सलाहकार की नियुक्ति आदि की जाती है।

पैरामीटर	अकादमिक वर्ष 2018–19
बिना किसी बैकलॉग (एससी/ एएसटी) के प्रथम वर्ष के छात्रों की अंतरण दर	71.38%

3. **एग्जिट परीक्षा प्रशिक्षण:** स्नातकों की बीच रोजगार की दर में सुधार करने के लिए संज्ञानात्मक कौशल के साथ–साथ भाषा दक्षता, सॉफ्ट कौशल और आत्मविश्वास के स्तर में सुधार करना, एग्जिट परीक्षा प्रशिक्षण जैसे कि गेट प्रशिक्षण, रोजगार कौशल प्रशिक्षण आदि का प्रावधान है। सामाजिक रूप से वंचित समूहों के 8237 छात्रों को एग्जिट परीक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

4. **डिजिटल बोर्ड** : विशेष रूप से एससी/एसटी छात्रों को बेहतर उपचारात्मक कक्षा अनुभव प्रदान करने के लिए 105 परियोजना संस्थानों को 1150 डिजिटल इंटरएक्टिव बोर्ड प्रदान किए गए हैं। परिणामस्वरूप वंचित समूहों के 25000 से अधिक छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। स्वयम पर उपलब्ध ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी छात्रों को पढ़ाए जाते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम लिंक के साथ, विषयों के डेटाबेस की एक सूची छात्रों और संकायों को उपचारात्मक शिक्षण और अधिगम के लिए उपलब्ध कराई जाती है। 1000 डिजिटल बोर्ड का दूसरा

चरण भी प्रक्रिया में है जो टीईक्यूआईपी–III के तहत 129 संस्थानों को लाभान्वित करेगा।

5. **भविष्य के कौशल का नैदानिक परीक्षण:** टीईक्यूआईपी–III के तहत, 9 भावी कौशल प्रौद्योगिकियों (एआइ, बीसी, आईओटी, वीआर, सीआर, सीसी, डीएस, 3डी मुद्रण और रोबोटिक्स) के बीच अपने संभावित क्षेत्र की पहचान करने के लिए एनएएसएससीओएम एसएससी के माध्यम से छात्रों का नैदानिक परीक्षण आयोजित किया गया है। इंजीनियरिंग के सभी विषयों में एससी / एसटी वर्ग में 108 संस्थानों से कुल 5530 छात्र नैदानिक परीक्षण में उपस्थित हुए। नैदानिक परीक्षण कॉर्पोरेट जगत में रोजगार कौशल को बढ़ाने में सहायक है। वर्तमान में वंचित पृष्ठभूमि के लगभग 900 छात्रों का मध्यावधि मूल्यांकन चल रहा है और लगभग 525 अंतिम अवधि के मूल्यांकन के चरण में हैं। मूल्यांकन 31 मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा।

6. **अन्य:** टीईक्यूआईपी–III के तहत, सभी टीईक्यूआईपी संस्थानों को इक्विटी एक्शन प्लान तैयार करना है, जो छात्रों, सामाजिक रूप से वंचित समूह से संबंधित छात्रों के साथ साथ जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता होती है, के प्रदर्शन में पर्याप्त सुधार के साथ परियोजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय डॉक्टरल फैलोशिप (एनडीएफ):

एआईसीटीई ने शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से एआईसीटीई के 28 पहचान किए गए अनुसंधान संस्थानों में पीएचडी कार्यक्रम के लिए पूर्णकालिक मेधावी छात्रों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय डॉक्टरल फेलोशिप (एनडीएफ) की एक योजना शुरू की है। चयनित उम्मीदवार सरकार के मानदंडों के अनुसार 28,000/– रुपये प्रतिमाह की फेलोशिप और मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त विद्वानों को आकस्मिक अनुदान के रूप में 15,000/– रुपये प्रतिवर्ष की राशि भी उपलब्ध है। इस योजना की अवधि 3 वर्ष है। हालांकि, विशेष मामलों में 2 अंतरालों में 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है। इस योजना के तहत फरवरी 2019 तक भर्ती हुए विद्वानों को फैलोशिप/मकान किराया भत्ता और आकस्मिक अनुदान के रूप में 3.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

आईआईटी द्वारा एससी/एसटी छात्रों को प्रदान किए गए लाभ:

क) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार सीटों के आरक्षण का अनुपालन किया जाता है।

ख) जेईई के माध्यम से प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 5 वर्ष तक की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है।

ग) यदि एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें पूरी तरह से नहीं भरी गई हैं, तो सीमित मानदंडों के आधार पर आगे की छूट के आधार पर सीमित संख्या में उम्मीदवारों को एक वर्षीय प्रारंभिक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। इस कोर्स के लिए चयन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सूची से किया जाता है, जो प्रवेश के लिए योग्य नहीं थे। आईआईटी में प्रारंभिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर, वे बी.टेक. प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पात्र होंगे और उन्हें दोबारा जेईई परीक्षा लिखने की आवश्यकता नहीं होगी।

घ) सभी एससी/एसटी छात्रों को ट्यूशन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

ङ) अधिकांश आईआईटी, बी.टेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एससी/एसटी छात्रों (द्वितीय श्रेणी ट्रेन किराया/साधारण बस किराया) को निवास संस्थान तक यात्रा भत्ता दे रहे हैं।

च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र जिनकी पैतृक आय 4.5 लाख रूपये प्रति वर्ष से कम है, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसमें 250/– रुपये प्रति माह की पॉकेट मनी और मूल मेनू पर मुफ्त मेसिंग भी शामिल है।।

छ) एससी/एसटी छात्रों के लिए एक सेमेस्टर हेतु निशुल्क बुक बैंक की सुविधा प्रदान की जाती है ।

आईआईएम द्वारा एससी/एसटी छात्रों को प्रदान किए गए लाभः

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सीटों के आरक्षण का पालन किया जाता है। कुल 965 एससी छात्रों और 413 एसटी छात्रों ने 2020–22 के लिए आईआईएम में प्रवेश लिया।

एनआईटी द्वारा एससी/एसटी छात्रों को प्रदान किए गए लाभः

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईआईईएसटी), शिबपुर (पश्चिम बंगाल) केंद्रीय रुप से वित्तपोषित स्वायत्त तकनीकी संस्थान हैं और 15 अगस्त, 2007 को लागू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 के तहत 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' घोषित किए गए हैं।

एनआईटी और आईआईईएसटी शिबपुर के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) में छात्रों द्वारा प्राप्त रैंक और बाद में संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जेओएसएसएसए) द्वारा आयोजित काउंसलिंग पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन इन 32 संस्थानों में छात्रों को सीटें आवंटित करते समय किया जाता है।

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी के छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2016–17 से स्नातक स्तर पर पूर्ण ट्यूशन फीस छूट मिल रही है।

आईआईआईटी द्वारा एससी/एसटी छात्रों को प्रदान किए गए लाभः

i. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार सीटों के आरक्षण का अनुपालन।

ii. सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केंद्रीय रूप से वित्तपोषित आईआईआईटी में ट्यूशन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, जबकि आईआईआईटी पीपीपी में किसी भी श्रेणी के छात्रों को ऐसी छूट नहीं दी जाती है।

iii. योग्य छात्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और निशक्तजन विभाग की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

इग्नू द्वारा एससी/एसटी छात्रों को प्रदान किए गए लाभः

विश्वविद्यालय ने एससी/एसटी आबादी वाले क्षेत्रों में 26 लर्नर सपोर्ट सेंटर (एलएससी) की स्थापना की है। विश्वविद्यालय ने देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रत्येक राज्यों में कम से कम एक क्षेत्रीय केंद्र (छात्र सहायता नेटवर्क की मध्य परत) की स्थापना की है, ये राज्य एसटी जनसंख्या के साथ अत्यधिक आबादी वाले हैं, ये क्षेत्रीय केंद्र एससी और एसटी समुदाय के युवाओं को उनकी शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों का चयन करने में मदद करने के लिए नियमित रूप से स्थानीय मेलों, त्योहारों और स्कूलों और कॉलेजों का दौरे में भाग लेते हैं। विशेष अध्ययन केंद्रों की संचयी संख्या देश भर में लगभग 497 थी, जिसमें से 171 जेल परिसर के अंदर, 152 दूरदराज के इलाकों में, 54 एससी/एसटी के लिए और 45 अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हैं। इग्नू अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगारों को स्नातक, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र स्तरों पर प्रदान किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में शुल्क में छूट प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (न्यूपा) द्वारा एससी/एसटी छात्रों के लिए प्रदान किए गए लाभः –

i. भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार एमफिल और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण लागू है।

ii. एमफिल और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

उम्मीदवार को ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक की में छूट दी गई है।

iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% अंकों की छूट, 55% से 50% तक या ग्रेड के बराबर छूट की अनुमति है।

iv. एससी/एसटी सहित सभी अध्येताओं को न्यूपा द्वारा जेआरएफ को 16000/— और एसआरएफ को 18000/—रुपये की फैलोशिप प्रदान की जाती है।

v. दिल्ली/एनसीआर से बाहर रहने वाली सभी महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा।

अन्य मंत्रालयों द्वारा छात्रवृत्ति योजनाएं: सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रही है। छात्रवृत्ति योजनाओं में से कुछ का विवरण नीचे दिया गया है:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा योजनाएँ:

(i) एससी छात्र को प्री—मैट्रिक छात्रवृत्ति: प्री—मैट्रिक योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के बच्चों के माता—पिता को उनके बच्चे को शिक्षित करने के लिए सहायता देना है, ताकि इस स्तर पर ड्रॉप आउट कम से कम हो।

(ii) प्री—मैट्रिक छात्रवृत्ति उन लोगों के बच्चों को दी जाती है, जो सफाई और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जुड़े हैं: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना भी है, जिसे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिन्हें योजना के तहत कुल खर्च उनके संबंधित प्रतिबद्ध देयता के अलावा भारत सरकार की ओर से 100: केंद्रीय सहायता मिलती है।

(iii) अनुसूचित जाति के छात्रों (पीएमएस—एससी) के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति: इस योजना के तहत, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों को ट्यूशन और अनिवार्य गैर—वापसी योग्य शुल्क और रखरखाव भत्ता के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति के छात्र जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

(iv) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शीर्ष स्तर की शिक्षा: योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, प्रतिष्ठित मेडिकल/विधि और अन्य संस्थानों जैसे उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में 12 वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान कर गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना है। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संस्थानों में से किसी में प्रवेश पाने के लिए पात्र एससी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 6.0 लाख रु.प्रति वर्ष की पारिवारिक की आय वाले अनुसूचित जाति के छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

(v) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप की केंद्रीय क्षेत्र योजना: इस योजना में अनुसूचित जाति के छात्रों को एम.फिल., पीएच.डी. और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों से समतुल्य शोध डिग्री का अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत, अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रति वर्ष 2000 अनुसंधान फैलोशिप प्रदान की जाती हैं।

(vi) नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप: इस योजना के तहत, अध्ययन के निर्दिष्ट क्षेत्र में विदेश से मास्टर स्तर के पाठ्यक्रमों और पीएचडी कार्यक्रमों में अध्ययन के लिए चयनित अनुसूचित जाति, वंचित, घुमंतू, अर्ध—घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों के छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से संचालित की जाती है। 6.0 लाख रु प्रति वर्ष तक की पारिवारिक वाले आय अनुसूचित जाति के छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा योजनाएँ:

(vii) **कक्षा IX और X में अध्ययनरत जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्तिः** इस योजना के उद्देश्य हैं: (क) IX और X कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के बच्चों के माता–पिता की सहायता करना ताकि ड्रॉप–आउट, विशेष रूप से प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में अंतरण को कम से कम किया जाए और (ख) प्री–मैट्रिक स्तर की नौवीं और दसवीं कक्षा में एसटी बच्चों की भागीदारी को बेहतर बनाना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन करें और शिक्षा के पोस्ट मैट्रिक स्तर तक प्रगति की बेहतर संभावना हो।

(viii) **अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तिः** यह योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिकुलेशन या पोस्ट–सेकेंडरी स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है जिनके माता–पिता/अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख रु. प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।

(ix) **एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्तिः** पूर्ववर्ती दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं अर्थात् एसटी छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ) और एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पूर्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शीर्ष स्तर की शिक्षा के लिए "एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय कर दिया गया था। इस विलय योजना के तहत, एसटी छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उच्च अध्ययन जैसे कि एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम करने के लिए फैलोशिप प्रदान की जाती है, अनुसंधान छात्रों को यूजीसी फैलोशिप की तर्ज पर नियमित और पूर्णकालिक आधार इस तरह के पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को फैलोशिप प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, मेधावी एसटी छात्रों को स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि आदि जैसे व्यायवसायिक क्षेत्रों, उत्कृष्ट संस्थानों, सरकारी और निजी संस्थानों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

(x) **अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्तिः** इस योजना में विदेश में मास्टर स्तर पर कुछ विषयों और पीएच.डी. और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रम में उच्च अध्ययन के लिए चुने गए छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

❖ ❖ ❖

2

महिलाओं का शैक्षिक विकास

महिलाओं का शैक्षिक विकास

उच्चतर शिक्षा विभाग का यह निरंतर प्रयास रहा है कि वह महिलाओं की अधिक भागीदारी और नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं बनाए। इसलिए, उच्चतर शिक्षा में महिला–पुरूष अंतराल को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बालिका नामांकन, जो स्वतंत्रता से पूर्व कुल नामांकन का 10% से कम था, उसमें बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी है।

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

नीचे दी गई सारणीमें दोनों जेंडर जीईआर (सामान्य), जीईआर (एससी) और जीईआर (एसटी) में गत वर्षों के दौरान समय–श्रृंखला परिवर्तनों को दर्शाया गयाहै।

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

वर्ष	सभी श्रेणियां		
	पुरुष जीईआर	महिला जीईआर	कुल जीईआर
2012-13	22.7	20.1	21.5
2013-14	23.9	22.0	23.0
2014-15	25.3	23.2	24.3
2015-16	25.4	23.5	24.5
2016-17	26.0	24.5	25.2
2017-18	26.3	25.4	25.8
2018-19	26.3	26.4	26.3
2019-20	26.9	27.3	27.1

(स्रोतः एआईएसएचई 2012–13 से एआईएसएचई 2019–20)

महिला जीईआर

वर्ष	कुल महिला जीईआर	एससी महिला जीईआर	एसटी महिला जीईआर
2012-13	20.1	15.0	9.8
2013-14	22.0	16.4	10.2
2014-15	23.2	18.2	12.3
2015-16	23.5	19.0	12.9
2016-17	24.5	20.2	14.2
2017-18	25.4	21.4	14.9
2018-19	26.4	23.3	16.5
2019-20	27.1	23.4	18.0

(स्रोतः एआईएसएचई 2012–13 से एआईएसएचई 2019–20)

जहां तक जीईआर (महिला) का संबंध है, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों ने प्रभावशाली प्रगति की है।

जेंडर बजटीय सेल : जेंडर बजटीय सेल का जेंडर एवं बाल बजट सेल (जीएंडसीबीसी) के रूप में पुनर्गठन और पुनःनामकरण किया गया है। इसका आशय मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों में इस तरह से प्रभावी परिवर्तन करने के उद्देश्य के साथ विभिन्न जेंडर प्रक्रियात्मक बजटीय (जीआरबी) पहलों का कार्यान्वयन और उनकी प्रतिबद्धता करना है जो महिला–पुरूष असंतुलन को कम कर सके, जेंडर समानता और विकास को बढ़ावा दे और मंत्रालय बजट के माध्यम से सार्वजनिक संसाधन सुनिश्चित करें।

केवल महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय : 18 विश्वविद्यालय केवल महिलाओं के लिए हैं जिनमें से 03 राजस्थान में, 02 कर्नाटक और तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में एक–एक विश्वविद्यालय है।

जेंडर संवितरण:एआईएसएचई रिपोर्ट –2019–20 के अनुसार, अवर स्नातक स्तर पर छात्र नामांकन 51% और छात्रा नामांकन 51% है। डिप्लोमा में 66.8% पुरुष और 33. 2% महिला नामांकन है। पीएच.डी. में 56.2% पुरुष और 43.8% महिला नामांकन है। एकीकृत स्तर पर 57.5% पुरुष और 42.5% महिला नामांकन है। पी जी डिप्लोमा के छात्र नामांकन में 51.5% पुरूष और 48.5% महिला छात्र हैं।

भारत में सबसे अधिक छात्र नामांकन वाले उत्तर प्रदेश में 49.3% पुरुष और 50.7% महिला छात्र हैं। महाराष्ट्र से लगभग 55% पुरुष और लगभग 45% महिला वाला दूसरा सबसे अधिक छात्र नामांकन है। इसके बाद, तमिलनाडु में 50.9% पुरुष और 49.1% महिलाएं, पश्चिम बंगाल में 50.4% पुरुष और 49.6% महिला छात्र हैं। कर्नाटक में, नामांकित महिलाओं का प्रतिशत 50% है, जबकि राजस्थान में महिला छात्रों की तुलना में पुरुष छात्रों का नामांकन अधिक है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

घटकों पर प्रगति– रूसा के विभिन्न घटक महिलाओं और महिलाओं के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को लाभान्वित करने की गुंजाइश रखते हैं।इनमें से प्रत्येक घटक पर निम्नलिखित प्रगति हुई है:

मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों का विश्वविद्यालयों में उन्नयन– कुल 11 स्वायत्त कॉलेजों को विश्वविद्यालयों (2016–19) में परिवर्तित करने की मंजूरी दी गई है।गौरतलब है कि स्वायत्तशासी महाविद्यालय के रूपांतरण द्वारा ओडिशा में जो विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, वह एक महिला विश्वविद्यालय होगा।

कॉलेजों का क्लस्टर विश्वविद्यालयों में रूपांतर– 20 कि.मी. (2016–19) की परिधि में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ कॉलेजों की पहचान करके 10 क्लस्टर विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। इन कॉलजों में अंतर विषयक और बहु–विषयक पाठ्यक्रम होंगे और यह और अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक तथा समग्र शिक्षण के लिए पारिस्थितकीय उपलब्ध करवाएगा। 05 राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर तथा कर्नाटक के 05 महिला कॉलेज इन क्लस्टर विश्वविद्यालयों के भाग हैं।

विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान– 200 राज्य विश्वविद्यालयों के लक्ष्य में से इस घटक के तहत 142 राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता दी जा रही है। तमिलनाडु का मदर टेरेसा विश्वविद्यालय और हरियाणा का बीपीएसएम विश्वविद्यालय इन 02 महिला विश्वविद्यालयों को इस घटक के तहत सहायता दी जा रही है।

नए मॉडल डिग्री कॉलेज (सामान्य)– शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों (ईबीडी) में मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने का उद्देश्य उच्च शिक्षा में पहुंच और उचित गुणवत्ता चेतना में सुधार करना है। इसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाकर और उच्च शिक्षा के अवसरों को उनके करीब लाकर पिछड़ेपन के मुद्दों का समाधान करना है। इस घटक के तहत 130 एमडीसी पहले ही बनाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में, श्योपुर जिले में एक महिला कॉलेज को घटक के तहत सहायता दी जा रही है।

मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल कॉलेजों मेंउन्नयन– रूसा के इस घटक में गैर–शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों (ईबीडी) को कवर किए जाने की अवधारणा है। अब तक 125 ऐसे कॉलेजों को अनुमोदित किया गया है। इनमें बिहार, पंजाब, ओडिशा और तेलंगाना में स्थित महिला कॉलेज हैं। तेलंगाना में, 04 करोड़ रूपये की रूसा निधि से 03 मौजूदा महिला कॉलेज– गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज (पश्चिम), करीम नगर, पिंगेल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज (पश्चिम), वारांगल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज (पश्चिम), हुसैनियालम, हैदराबाद को मॉडल कॉलेज में अपग्रेड किया गया है।

कॉलेजों को अवसंरचना अनुदानः 4250 कॉलेजों के लक्ष्य में से 1977 कॉलेजों को इस योजना के तहत सहायता दी जा रही है। इस घटक के तहत 25 राज्यों में 293 महिला कॉलेजों को सहायता दी जा रही है।

समता पहलें– स्कीम के व्यापक उद्देश्यों में से एक समान पहुंच के अवसर प्रदान करना और उसमें सुधार करना है। इस घटक ने अब 28 राज्यों को कवर किया है। महत्वपूर्ण है कि आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, पुदुचेरी और तमिलनाडु आदि राज्यों में इस योजना का समर्थन किया गया है, गुजरात में इस घटक के तहत सहायता–प्राप्त तीन कॉलेज महिला कॉलेज हैं। हरियाणा और मणिपुर में बालिका छात्रावास केनिर्माण कोसहायता दी जा रही है। पंजाब में लड़कियों के कॉमन रूम के नवीनीकरण/उन्नयन और लड़की के शौचालयों के निर्माण/नवीनीकरण और आवश्यक आत्मरक्षा तकनीकों के साथ छात्राओं को लैस करने और मार्शल आर्टस का समर्थन किया जा रहा है।तेलंगाना में सरकार ने प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए कम से कम एक मॉडल आवासीय डिग्री कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया है।22 महिला छात्रावास पहले से ही सरकारी कॉलेजों में कार्यरत हैं।

रूसा के तहत महिला संस्थानों को सहायता का सारांश

घटक का नाम	महिला कॉलेजों / संस्थानों की संख्या	राज्यों की संख्या/नाम
विश्वविद्यालयों के लिए मौजूदा स्वायत्त कॉलेज का उन्नयन	2	झारखंड, ओडिशा
कॉलेज का क्लस्टर यूनिवर्सिटी में रूपांतरण	10	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर
विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान	5	आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु
न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज (सामान्य)	5	झारखंड, मध्य प्रदेश
मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल कॉलेज में उन्नयन	16	असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, तेलगाना
कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान	293	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक
उच्च शिक्षा का व्यावसायिकरण	16	गुजरात, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर
इक्विटी पहल	26	अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, पुदुचेरी, तमिलनाडु
अनुसंधान नवाचार और गुणवत्ता में सुधार	1	महाराष्ट्र
स्वायत्त कॉलेजों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ाना	5	आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र

घटक का नाम	महिला कॉलेजों / संस्थानों की संख्या	राज्यों की संख्या/नाम
कुल योग	379	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

महिला शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा को संचालित करने वाली एक शीर्ष संस्था है। इस उद्देश्य के लिए, उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहन के लिए आयोग ने कई योजनाएं शुरू की हैं। यूजीसी द्वारा चलाई जा रही ऐसी योजनाएँ निम्नानुसार हैं:

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में डे केयर सेंटर: इस योजना का उद्देश्य 03 महीने से 06 वर्ष के बच्चों को उनके माता–पिता (विश्वविद्यालय/कॉलेज कर्मचारी/छात्रों/विद्वानों) जब वे दिन के समय काम के लिए बाहर होते हैं, की मांग के आधार पर डे केयर प्रदान करना है और कार्यालयीन समय के दौरान उनके बच्चों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाना है।

समाज विज्ञान में शोध के लिए स्वामी विवेकानंद एक बालिका छात्रवृत्तिः (http://www.ugc.ac.in/svsgc/): यह योजना 2014–15 के दौरान शुरू की गई थी। प्रस्तावित योजना के उद्देश्य हैं:

(i) सामाजिक विज्ञान में एकल बालिका की उच्च शिक्षा में सहायता करना।

(ii) छोटा परिवार आदर्श के पालन के मूल्य को पहचानना

(iii) समाज में एकल बच्चा आदर्श को पहचानना

(iv) एकल बच्चा अवधारणा का प्रचार

(v) समाज में एकल बालिका को प्रोत्साहन देना।

एकल बालिका के लिए छात्रवृत्तिः –

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) मेधावी सिंगल गर्ल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिएमेरिट स्कॉलरशिप स्कीम लागूकर रहा है, जो उनके माता–पिता की एक मात्र संतान हैं। यह एकल बालिका को प्रति माहपांच सौ रुपये (500/–रु.) प्रदान करता है जो कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं की पढ़ाई कर रही है और जिन्होंने 60%/ 6.2 सीजीपीए या अधिक अंक/ग्रेड के साथ सीबीएसई दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता निर्माण की योजनाः यह कार्यक्रम उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य से जुड़ी महिलाओं पर फोकस किया गया है ताकि उन्हें सुग्राही बनाया जा सके और उन्हें प्रेरित किया जा सके और इस तरह इन्हें उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निर्णय–निर्धारक पदों के लिए सक्षम बनाना है, जहां इस समय ये बहुत कम ऐसे पदों पर हैं। इस योजना का उद्देश्य जेंडर सेन्सिटाइज्ड महिला प्रशासकों का महत्वपूर्ण समूह को तैयार करना है जिससे महिला–पुरूष अनुकूल परिवेश का निर्माण हो और इनके बीच अंतर न हो।

इस कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है:

- संवेदीकरण, जागरूकता, प्रेरणा कार्यशालाएं आवासीय कार्यशाला।
- संवेदीकरण, जागरूकता, प्रेरणा कार्यशालाएं गैर–आवासीय कार्यशाला।
- यात्रा अवधि को छोड़कर 06 दिनों का ट्रेनर प्रशिक्षण / मास्टर ट्रेनर्स कार्यशाला

- प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएं
- यात्रा अवधि को छोड़कर 05 दिनों की पुनःश्चर्या कार्यशाला पाठ्यक्रम

कॉलेजों के लिए महिला छात्रावासों का निर्माणः यूजीसी 'महिला छात्रावासों का निर्माण' की एक विशेष योजना के माध्यम से महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व और जेंडर समानता लाने और महिलाओं की स्थिति को सुधारने और समाज के विकास के लिए संभावित उपलब्धता का उपयोग करने के लिए छात्रावास और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान कर रहा है। महिला छात्रों/शोधकर्ताओं/शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए एक आवासीय स्थान प्रदान करने के लिए महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए सभी योग्य कॉलेजों को सहायता देना मुख्य उद्देश्य है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिलाओं के अध्ययन का विकासः इस योजना में विश्वविद्यालयों में नए महिला अध्ययन केंद्र स्थापित करने और विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केंद्रों को मजबूत करने और बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता की परिकल्पना की गई है, जिसे विश्वविद्यालय प्रणाली में वैधानिक विभागों के रूप में स्थापित करके दसवीं योजना तक स्थापित किया गया है। साथ ही अन्य घटक में नेटवर्क की अपनी क्षमता को सुविधाजनक बनाना ताकि वे एक दूसरे के साथ तालमेल करने के साथ–साथ पारस्परिक रूप से मजबूत हों। इन केंद्रों की प्राथमिक भूमिका शिक्षण और शोध के माध्यम से कार्रवाई और प्रलेखन तक ज्ञान सिमुलेशन और ज्ञान संचरण करना है।

महिलाओं के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल फैलोशिपः यह योजना अपने संबंधित विषय में पीएचडी डिग्री धारक बेरोजगार महिला अभ्यर्थियों के लिए कार्यान्वित की गई है जिसका लक्ष्य उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के लिए महिला अभ्यर्थियों की प्रतिभाशाली प्रवृत्ति में तेजी लाना है। योजना के तहत उपलब्ध स्लॉट की संख्या प्रति वर्ष 1000 है। पुरस्कार की अवधि पांच वर्ष है जिसमें आगे विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 जुलाई को सामान्य/खुली श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 60 वर्ष है ।

उच्चतर और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड हेतु पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति– इस योजना का उद्देश्य ऐसी लड़कियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के लिए सहायता करना है जो अपने परिवार में इकलौती संतान होती हैं और उन्हें छोटे परिवार के मानदंडों का पालन करने के मूल्यों को पहचानना भी है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय केवल 30 वर्ष की आयु तक की छात्राएं ही पात्र हैं। योजना के तहत उपलब्ध छात्रवृत्ति के लिए स्लॉट की संख्या 1200 प्रति वर्ष है। छात्रवृत्ति राशि 3100/– रुपए प्रति माह है।

यौन उत्पीड़नः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2 मई, 2016 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थान में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण विनियम, 2015 (सक्षम दिशानिर्देश) को अधिसूचित किया। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सुनिश्चित करें कि महिला कर्मचारियों और छात्रों के लाभ के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

सभी तकनीकी, प्रबंधन और व्यावसायिक संस्थानों को सक्षम दिशानिर्देशों को लागू करना और शिक्षा मंत्रालय को इस संबंध में उठाए गए कदमों को प्रस्तुत करना होता है।

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की समावेशिता

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) महिलाओं के लिए विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित कर विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए जागरूक प्रयास / कदम उठा रहा है। वर्तमान में, विश्वविद्यालय में केवल महिलाओं के लिए 34 अध्ययन केंद्र हैं। स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज का उद्देश्य महिलाओं और जेंडर स्टडीज तथा जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज के क्षेत्र में शैक्षणिक कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के

माध्यम से जेंडर न्याय और समानता प्राप्त करना है। जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज मौजूदा जेंडर गैप की जांच करती है और जेंडर असमानता के मुद्दे का समाधान करती है। महिलाओं और जेंडर अध्ययन समाज में महिलाओं और अन्य जेंडरों की स्थिति का विश्लेषण उन कारकों की गहरी वैचारिक समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करते हैं जो समाज में उनकी स्थिति का निर्धारण करते हैं और सिद्धांत, गंभीर विश्लेषण, अभ्यास, अनुसंधान और अभ्यास के माध्यम से इनका निवारण करने के तरीके हैं। विश्वविद्यालय जेंडर न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए मास्टर्स, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तरों पर पांच अकादमिक कार्यक्रमों के अलावा "महिला अध्ययन" और "जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज" में दो शोध कार्यक्रम (पीएचडी) प्रदान करता है। इस क्षेत्र में पीजी सर्टिफिकेट स्तर पर छह अकादमिक कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

स्कूल मौजूदा कार्यक्रमों से प्राप्त अभिनव ऑनलाइन (मिश्रित) कार्यक्रमों/पैकेजों/मॉड्यूल और जेंडर संवेदीकरण में नए कुशलता आधारित (प्रैक्सिस) मॉड्यूल/पहलों के माध्यम से प्रौद्योगिकी– सक्षम अधिगम/प्रशिक्षण पहल के शुभारंभ की परिकल्पना करता है। अधिगम/प्रशिक्षण की पहल का विस्तार, शिक्षण सामग्री का डिजिटलीकरण और इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री का प्रावधान प्रमुख जोर दिए गए क्षेत्र होंगे। विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से सीमित नामांकन वाले क्षेत्रों में जेंडर और विकास विषय में अकादमिक कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों के लिए वेब आधारित अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता की शुरुआत की, शिक्षार्थी सहायता केंद्रों पर परामर्श के अलावा वेब आधारित शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यनीति विकसित की गई। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन इंटरेक्टिव फोरम की शुरुआत की थी।

विश्वविद्यालय ने महिलाओं और जेंडर स्टडीज के क्षेत्र में पुस्तकों, दस्तावेजों, ई–संसाधनों, मोनोग्राफ, रिपोर्ट और ऑडियो–विजुअल सामग्री तक पहुंचने के लिए एक वुमनस् एंड जेंडर रिसोर्सेज (डब्ल्यूआईएनजीएस) क्षेत्र तैयार किया है जो विश्वविद्यालय में किसी के लिए भी खुला रहेगा। लिंग संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण सत्र, संगोष्ठी और कार्यशालाओं के आयोजन का प्रावधान है। विश्वविद्यालय ने क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के तत्वावधान में महिलाओं के लिए विशेष अध्ययन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए, एआईसीटीई ने नए महिला तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए विनियमों में विशेष रियायतें दी हैं। इनमें भूमि उपलब्धता के मानदंडों में छूट, प्रसंस्करण शुल्क, जमा आदि में रियायत शामिल है। कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण शुल्क माफी योजना का कार्यान्वयन सभी एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों में अनिवार्य कर दिया गया है।

प्रगति (लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति) (http://www.aicte-india.org/pragathiSaksham-php)– प्रगति एआईसीटीई की एक ऐसी योजना है, जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी की प्रगति के लिए सहायता प्रदान करना है। शिक्षा, विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रत्येक युवा महिला को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने और "तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण" द्वारा एक सफल भविष्य के लिए तैयार करने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है।

सुपरन्यूमरी सीटों का सृजन कर वर्ष 2020–21 तक आईआईटी में महिला नामांकन को बढ़ाकर 20% किया जाना

संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) द्वारा गठित एक समिति द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में महिला नामांकन के कम प्रतिनिधित्व की समीक्षा की गई और समिति की सिफारिशों पर, आईआईटी में महिला नामांकन को वर्ष 2016 में 8% से 2018–19 में 14%, 2019–20 में 17% और 2020–21 में 20% अतिरिक्त सीटों का सृजन कर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई)

केंद्र प्रायोजित "माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई)" मई 2008 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने और माध्यमिक स्कूलों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम वातावरण स्थापित करना है और 18 वर्ष की आयु तक उनका प्रतिधारण सुनिश्चित करना है। इस योजना में शामिल हैं (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की सभी लड़कियां जो आठवीं कक्षा पास करती हैं और (ii) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सभी लड़कियां (चाहे वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हों) और राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में कक्षा IX में दाखिला लेती हैं। एनएसआईजीएसई योजना को प्रभावी कार्यान्वयन और लागू करने के लिए पुनः डिजाइन किया जा रहा है।

योजना के अनुसार, पात्र अविवाहित बालिकाओं के नाम पर कक्षा IX में नामांकन पर 3000/– रुपये की राशि सावधि जमा के रूप में जमा की जाती है। 18 वर्ष की होने और 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वे उस राशि पर ब्याज सहित इसे वापस लेने के हकदार हैं। इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी हैं। यह योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के अंतर्गत आती है। यह योजना नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर है।

❖ ❖ ❖

3

दिव्यांग व्यक्तियों का शैक्षिक विकास

दिव्यांग व्यक्तियों का शैक्षिक विकास

शिक्षा सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अनिवार्य रूप से अनिवार्य बनाता है। हाल के वर्षों में, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। यह महसूस किया गया है कि अधिकांश दिव्यांग व्यक्ति बेहतर जीवन स्तर जी सकते हैं यदि उनके पास समान अवसर और पुनर्वास उपायों तक प्रभावी पहुंच हो।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020:

जुलाई, 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) शिक्षा की आधारशिला के रूप में पूर्ण समानता और समावेश की वकालत करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में कामयाब हो सकें। नीति ने समान और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की सुविधा के लिए बड़े सुधार किए हैं। सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा और स्कूली शिक्षा तक पहुंच के अंतराल को पाटने के लिए, जेंडर और सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान और दिव्यांगता आदि के आधार पर सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर दिया गया है।

यह अपने ढांचे के भीतर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा (सीडब्ल्यूएसएन) को भी रेखांकित करता है। यह नीति पूरी तरह से निःशक्त जन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप है। सीडब्ल्यूएसएन सिफारिशों जैसे उपयुक्त सामग्री विकास, संसाधन केंद्रों को मजबूत करना, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल और क्षमता निर्माण के लिए समान गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु नीति में सामान्य शिक्षकों आदि को शामिल किया गया है।

2. सुगम्य भारत अभियानः–

शिक्षा मंत्रालय ने समय–समय पर सभी केंद्रीय वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों को भवनों में बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए, जिसमें पीडब्ल्यूडी के लिए रैंप, रेल, लिफ्ट, व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए शौचालयों का अनुकूलन, ब्रेल चिह्न और श्रवण संकेत, स्पर्शनीय फर्श आदि, शामिल होगा, जैसा कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम में परिकल्पना की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी समय–समय पर विश्वविद्यालयों को सुगम्य भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान) के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं, जो पीडब्ल्यूडी के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने संबंधी एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान है। तकनीकी शिक्षा के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित संस्थानों के लिए बाधा मुक्त संरचना होना भी अनिवार्य है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक स्कूल को बाधा मुक्त पहुंच होनी चाहिए। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने 7/01/2021 को राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों को बाधा मुक्त पहुँच संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा और अनुकूलन के लिए एक समिति / उप–समिति बनाने का निर्देश दिया है और उन्हें मानक निर्धारक एनआईसी के अनुसार वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी शिकायत के लिए सलाह जारी की गई है।

समग्र शिक्षा योजना की केंद्र प्रायोजित योजना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लाभ के लिए प्राथमिक स्कूलों में बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करती

है। यूडाइज+ 2018–19 (अनंतिम) के अनुसार, देश भर में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (कक्षा I से XII) में उपलब्ध 8,33,703 स्कूलों में हैंडरेल सहित रैंप है और 1,49,501 स्कूल दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग अनुकूल शौचालय वाले है।

वर्तमान में देश के 1242 केन्द्रीय विद्यालयों में से 1196 केन्द्रीय विद्यालयों में जमीनी स्तर तक रैंप और 1082 केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष शौचालय की सुविधा है।

समग्र शिक्षा योजना (आईई घटक) के तहत विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहायता, संसाधन कक्ष की व्यवस्था, स्कूल को बाधा मुक्त बनाना, माता–पिता, प्रशासकों, शिक्षाविदों आदि के उन्मुखीकरण के अलावा, प्रति बच्चा प्रति वर्ष 3500/– की दर से छात्र उन्मुख सहायता हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

यूजीसी कॉलेजों को भवन अनुदान उपलब्ध कराता है। भवन निर्माण संबंधी दिशा–निर्देश कॉलेजों में रैंप, रेल और विशेष शौचालयों के निर्माण और अलग–अलग विकलांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग जनों के अनुरूप अन्य आवश्यक परिवर्तन करने जैसी विशेष सुविधाओं का सृजन सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं। ये सुविधाएं अनिवार्य हैं।

निःशक्त जन अधिनियम (एसआईडीपीए), 1995 का कार्यान्वयन संबंधी योजना के तहत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सरकारी भवन में बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए सहायता अनुदान भी उपलब्ध कराता है।

स्कूली शिक्षा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। बशर्ते कि निःशक्तजन (समान अवसर, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (i) में परिभाषित दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे को उक्त अधिनियम के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। आरटीई (संशोधन) अधिनियम, 2012, जो 1 अगस्त, 2012 से लागू हुआ है, में दिव्यांग बच्चों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

(i) आरटीई अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में दिव्यांग बच्चों को 'वंचित समूह से संबंधित बच्चे' की परिभाषा में शामिल करना।

(ii) यह प्रदान करने के लिए कि दिव्यांग बच्चों, जिनमें सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, ऑटिज़्म और एकाधिक विकलांगता वाले बच्चों को निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय V के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(iii) "एकाधिक दिव्यांगता" और गंभीर निःशक्तता वाले बच्चों को भी गृह–आधारित शिक्षा का विकल्प चुनने का अधिकार हो सकता है।

यू–डाइज रिपोर्ट के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का नामांकनः वर्ष प्रारंभिक जी–VIII:–

वर्ष	प्रारंभिक		माध्यमिक		उच्चतर माध्यमिक	
	कुल	सीडब्ल्यूएसएन	कुल	सीडब्ल्यूएसएन	कुल	सीडब्ल्यूएसएन
2014-15	197666909	2313303	38301599	219571	23501798	61046
2015-16	196716511	2285530	39145052	218410	24735397	60869
2016-17	189887015	2097315	38823854	218244	22625448	62649
2017-18	187826741	1952915	38462408	228134	24681195	74014
2018-19	184497196	1785061	38334571	247788	25506817	78648

स्रोतः– यू–डाइज रिपोर्ट

3.1 समग्र शिक्षा – सीडब्ल्यूएसएन घटक के लिए समावेशी शिक्षाः

केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना देश भर में प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को कवर करती है। यह योजना सीडब्ल्यूएसएन सहित सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों द्वारा विनियमित और शासित है।

समग्र शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एक समर्पित समावेशी शिक्षा घटक है। घटक के माध्यम से, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में उनकी अनूठी शैक्षिक आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरा करने के लिए विशिष्ट छात्र उन्मुख कार्यकलापों जैसे पहचान और मूल्यांकन शिविर, सहायता के प्रावधान, उपकरण और सहायक उपकरण, परिवहन, स्क्राइब और एस्कॉर्ट भत्ता सहायता, ब्रेल किताबें और बड़ी प्रिंट किताबें, विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के लिए वजीफा और शिक्षण–अधिगम सामग्री आदि के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, ब्लॉक स्तर पर चिकित्सीय हस्तक्षेपों के माध्यम से व्यक्तिगत सहायता भी प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा दिव्यांग जन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अनुसार सीडब्ल्यूएसएन का समर्थन करती है।

वर्ष 2020–21 के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए हैं:

क) समग्र शिक्षा वर्तमान में कक्षा I से XII तक के विशेष आवश्यकता वाले 20 लाख से अधिक बच्चों को कवर कर रही है, जिसका अनुमानित परिव्यय 1159.41 करोड़ रुपए है।

ख) लड़कियों को नामांकन और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष आवश्यकता वाली 4.65 लाख बालिकाओं के लिए वजीफा (10 माह के लिए 200/– रुपए) हेतु 93.04 करोड़ रुपए के परिव्यय स्वीकृत किए गए हैं। वजीफा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से वितरित किया जाता है।

ग) 2.3 लाख सीडब्ल्यूएसएन के लिए एडीआईपी आदि जैसी अभिसरण योजना (ओं) के माध्यम से 76.32 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित सहायता और उपकरण अनुमोदित।

घ) योजना के तहत बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 12.94 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 56,374 गंभीर और/बहु दिव्यांग बच्चों को कवर करने वाली गृह आधारित शिक्षा का प्रावधान।

ङ) प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सीडब्ल्यूएसएन की सीखने की जरूरतों का उचित रूप से समाधान करने के लिए विशेष शिक्षकों के माध्यम से संसाधन सहायता के लिए अलग से आवंटन किया गया है। विभाग ने वर्ष 2020–21 के लिए 27,587 विशेष शिक्षकों के लिए 676.17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

च) इसके अलावा, दिव्यांग बच्चों की पहुँच के लिए, हैंडरेल सहित रैंप के माध्यम से बाधा मुक्त बुनियादी ढाँचा और स्कूलों में दिव्यांग अनुकूल शौचालयों की उपलब्धता बनायी गयी है। यूडाइज+ 2018–19 (अनंतिम) के अनुसार, देश भर में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (कक्षा I से XII) में 8,33,703 स्कूलों में हैंडरेल के साथ रैंप और दिव्यांग बच्चों के लिए विकलांगता अनुकूल शौचालय वाले 1,49,501 स्कूल उपलब्ध हैं।

छ) इसके अलावा, महामारी के मद्देनजर, विभाग ने सभी छात्रों का न्यूनतम अधिगम हानि सुनिश्चित करने के लिए उपाय शुरू किए हैं, जिसमें विभाग द्वारा अगस्त 2020 में गठित सीडब्ल्यूएसएन और समावेशी शिक्षा एवं ऑनलाइन/डिजिटल लर्निंग के लिए ई–सामग्री विकास के लिए एक कार्य समूह का गठन शामिल है।

समग्र शिक्षा का ध्यान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर है, जिसमें बच्चे अपनी क्षमताओं/दिव्यांगताओं की परवाह किए बिना एक ही कक्षा में एक साथ भाग लेते हैं और सीखते हैं, इस प्रकार सभी छात्रों के लिए एक सक्षम शैक्षिक वातावरण का निर्माण करते हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई):

व्यावसायिक आधारित पाठ्यक्रम विकसित करने और स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के उद्देश्य से बोर्ड में एक समावेशी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। बोर्ड ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए बोर्ड की नीति तैयार करने के लिए एक समिति भी गठित की है और स्कूलों को भी अपने सुझाव भेजने के लिए आमंत्रित किया जाता है। समिति निम्नलिखित पर नीति बनाएगी:

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की समावेशी शिक्षा
- सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेशन का स्तर (समावेशन बनाम एकीकरण)
- सीडब्ल्यूएसएन की परीक्षा
- 'धीमे शिक्षार्थियों' के लिए दिशानिर्देश

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और उपस्थिति के साथ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जो प्री–डिग्री स्तर तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से स्थायी और शिक्षार्थी केंद्रित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करता है। एनआईओएस अपने प्राथमिकता वाले लक्षित समूहों को प्री–डिग्री तक अकादमिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो अन्यथा आमने–सामने मोड के माध्यम से शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। एनआईओएस प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए आवश्यकता आधारित, मांग आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है और इस तरह कौशल का उन्नयन होता है और विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में छात्रों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने का अवसर भी पैदा होता है।

एनआईओएस ने लक्षित समूहों को प्राथमिकता दी है जो ज्यादातर औपचारिक प्रणाली से बाहर हो गए हैं और आबादी के वंचित वर्ग से हैं, जो अन्यथा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और भावनात्मक कारणों से औपचारिक शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाने में सक्षम नहीं

हैं। ऐसे प्राथमिकता वाले लक्षित समूहों में से एक दिव्यांग शिक्षार्थी हैं, जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। वार्षिक रूप से यह अकादमिक (माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर) और व्यावसायिक धाराओं दोनों में लगभग 10,000 से अधिक शिक्षार्थियों को दाखिला देता है। एनआईओएस इन बच्चों को वंचितों की शिक्षा के लिए 85 विशेष मान्यता प्राप्त संस्थानों (एसएआईईडी) की सहायता से शिक्षा प्रदान करता है, जो पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में विशेष स्कूलों और क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के परिसरों में स्थित है। शिक्षार्थियों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार शुल्क में छूट दी जाती है। शिक्षा को अपनी आजीविका के लिए प्रासंगिक बनाने हेतु, बच्चों को अपनी दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई करते समय व्यावसायिक विषय लेने के लिए दृढ़ता से समर्थन दिया जाता है। चूंकि प्रणाली शिक्षार्थियों की क्षमता के अनुसार उनके अध्ययन को गति देने के लिए लचीलेपन के साथ तैयार किया गया है, इसलिए उनके द्वारा चुना गया विषय भी उनकी रुचि और योग्यता के अनुरूप होता है।

दिव्यांग शिक्षार्थियों की परीक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वे अपना पेपर पूरा करने के लिए एक एमानुएंसिस (या एक लेखक) और एक अतिरिक्त घंटा ले सकते हैं। उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की जाती है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को ब्रेलर के टाइपराइटर या कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति है। साथ ही उन्हें टॉकिंग कैलकुलेटर, अबेकस, टेलर फ्रेम और ज्योमेट्री ड्रॉइंग किट जैसे उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति है। श्रवण बाधित परीक्षार्थियों के प्रश्नों को समझने के लिए कमरे में एक दुभाषिया (संकेत भाषा का व्यक्ति) की अनुमति है।

माउस के बजाय ट्रैकबॉल जैसे अनुकूलित हार्डवेयर वाले कंप्यूटरों को भी अनुमति दी जा सकती है। गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों (बहु निःशक्तता/सेरेब्रल पाल्सी वाले) के लिए परीक्षा कक्ष में अनुकूलित कुर्सी, मेज, बिस्तर आदि की अनुमति दी जा सकती है, यदि उन्हें उनकी आवश्यकता हो। कुछ चरम मामलों में भी परीक्षार्थियों के आवास पर एक विशेष मामले के रूप में परीक्षा आयोजित की जाती है। इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान में मानचित्र प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्न दिया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी):

एनसीईआरटी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) और सामाजिक रूप से वंचित समूहों, जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। सभी के लिए समावेशी शिक्षा प्रणाली का कार्यान्वयन प्रणालीगत सुधारों के लिए विशेष रूप से सामाजिक रूप से वंचितों और दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में अधिक महत्व रखता है। परिषद ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2019–20 के लिए कई समयबद्ध परियोजनाओं और कार्यक्रमों को शुरु किया है।

दिव्यांगजनों की शिक्षा

विभिन्न सामाजिक समूहों और जरूरतों से संबंधित देश के छात्रों और शिक्षकों के बीच पहुंच और समानता बढ़ाने के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, परिषद ने कक्षा I–XII और बरखा श्रृंखला से सभी हिंदी माध्यम की पुस्तकों के लिए ई–पब विकसित किए हैं और ई–पाठशाला ऐप पर उपलब्ध हैं। सैंतालीस ऑडियो–पुस्तकों को प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक विकसित किया गया है और यह https://ciet.nic.in/pages.php/id¾audiobooks-ln¾en पर उपलब्ध है।

दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण परिषद द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही शुरू किया गया है। सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जो सूचना या संचार को कवर करने के लिए दृश्य और मैनुअल तौर–तरीकों का उपयोग करती है। केवल दृश्य या केवल मैनुअल प्रारूप की तुलना में सांकेतिक भाषा में शिक्षा कार्यक्रम किसी विषय की समझ को बेहतर तरीके से सक्षम कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक भाषा के 11 वीडियो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और एनईआरटी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल https://wwwyoutube.com/playlist/list¾PLUglcpnvYidt_hBZcZO3y8oy7JzXxc) पर अपलोड किए गए हैं। विकसित सभी सामग्री डिजिटल इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए अपने पोर्टल या

ऐप पर सभी हितधारकों के लिए निःशुल्क पहुंच के लिए उपलब्ध हैं और सीडब्ल्यूएसएन के लिए भारत सरकार की एनसीईआरटी की पहल की सभी पहलों के लिए शिक्षा को https://ciet.nic.in/pages.php\id¾audiobooks-in¾en पर एक्सेस किया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई):

एनसीटीई अपनी वैधानिक भूमिका में शिक्षक शिक्षा संस्थानों को अपने अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान करता है। एनसीटीई ने दिनांक 23.08.2010 और 29.07.2011 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से इसे उच्च प्राथमिक शिक्षक कक्षा VI से VIII की नियुक्ति के लिए योग्यता में से एक बनाते हुए इन अधिसूचनाओं में कक्षा I से V और बी. एड (विशेष शिक्षा) हेतु नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए डी. एल. एड (विशेष शिक्षा) को पहले ही शामिल कर लिया है।

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए बी.एड (विशेष शिक्षा) योग्यता वाले शिक्षक को नियुक्ति के बाद, प्रारंभिक शिक्षा में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने के विशेष कार्यक्रम करना होगा।

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार आरक्षण नीति भी निर्धारित की गई है। आरक्षण नीति के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीएच जैसे आरक्षित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।

इसी प्रकार एनसीटीई विनियमन 2014 (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) के अनुसार केंद्र सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार एसटी/एससी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी और अन्य श्रेणियों के लिए विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में दाखिला के लिए आरक्षण और अंकों में छूट का प्रावधान है, जो भी लागू हो।

दिनांक 29.5.2017 को अधिसूचित एनसीटीई संशोधन विनियमन 2017 के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, जैसा कि सरकार में सेवा की अन्य सभी श्रेणियों पर लागू होता है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/दिव्यागजन और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

उच्चतर शिक्षाः

दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 को 19.04.2017 से लागू किया गया है और इसे 28 दिसंबर, 2016 को अधिसूचित किया गया था, अधिनियम का सार नीचे दिया गया है:

- ✓ उच्चतर शिक्षा के सभी सरकारी संस्थान और सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान अधिनियम की धारा 32 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित करेंगे।
- ✓ अधिनियम की धारा 32 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
- ✓ प्रत्येक उपयुक्त सरकार बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या का कम से कम 4% प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में नियुक्त करेगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह आदेश दिया गया है कि वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने कार्यक्षेत्र के तहत आने वाले संगठन/संस्थानों/स्वायत्त निकायों में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016, विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 32, का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करे।

उच्चतर शिक्षा में पीडब्ल्यूडी छात्रों का नामांकनः

वर्ष	सभी वर्ग	पीडब्ल्यूडी छात्र
2014-15	34211637	64298
2015-16	34584781	74435
2016-17	35705905	70967
2017-18	36642378	74317
2018-19	37399388	85877

स्रोतः उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, एमएचआरडी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी): यूजीसी, समय–समय पर, विश्वविद्यालयों और समवत विश्वविद्यालयों को दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित नीतिगत निर्णयों से अवगत कराता रहा है, जिसमें भारत सरकार में दाखिला और रोजगार में आरक्षण शामिल है। इसके अलावा, इस संबंध में आयोग के स्तर पर लिए गए निर्णयों और तैयार दिशा–निर्देशों को भी कार्यान्वित करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित किया गया है। आयोग ने दिव्यांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2016 भी विश्वविद्यालयों को परिचालित किया था, जिसमें उनसे इसमें निहित प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया गया था।

यूजीसी ने इस कार्यालय पत्र संख्या एफ.6–5/2017 (एससीटी) दिनांक 19.01.2018 के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की राजपत्र अधिसूचना के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया है जिसमें निम्नलिखित अनुशंसाओं पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रदान करने का अनुरोध किया है:–

(i) अधिनियम की धारा 32 के संदर्भ में प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 5: सीटों के आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए उचित निर्देश जारी करना।

(ii) धारा 39 (2) (घ) के संदर्भ में पीडब्ल्यूडी के अधिकारों के संबंध में कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर अभिविन्यास और संवेदीकरण के लिए तंत्र तैयार करना और साथ ही अधिनियम की धारा 39 (2) (च) के संदर्भ में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में दिव्यांगजनों के अधिकारों को भी शामिल करना।

(iii) अधिनियम के अन्य प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में अपने नियंत्रण वाले सभी प्रतिष्ठानों को सामान्य निर्देश जारी करना।

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित पत्र भी जारी किए हैं:

✓ विश्वविद्यालयों में नेत्रहीन छात्रों के लिए कैसेट रिकॉर्डर की सुविधा प्रदान करना,

✓ विश्वविद्यालयों के लिए दो वर्ष और कॉलेज और स्कूलों के लिए तीन वर्ष की उचित समय–सीमा के भीतर बाधा मुक्त वातावरण तैयार करना,

✓ ब्रेल पुस्तकों और बोलने वाली पुस्तकों की सुविधा प्रदान करना,

✓ श्रवण बाधित छात्रों वाले संस्थान में सांकेतिक भाषा और दुभाषिया प्रदान करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) दिव्यांगजनों के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है:–

(क) **विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन)**– यह योजना मूल रूप से उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए उच्चतर शिक्षा अधिगम के अनुभवों को समृद्ध करने के लिए वातावरण तैयार करने हेतु है। दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, पहुंच में सुधार के उद्देश्य से निर्माण, सीखने को समृद्ध करने के लिए उपकरणों की खरीद आदि इस योजना के तहत सहायता की व्यापक श्रेणियां हैं।

(ख) **विशेष शिक्षा में शिक्षक तैयारी (टीईपीएसई)**– यह योजना विशेष और समावेशी दोनों सेटिंग्स में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक तैयार करने के लिए विशेष शिक्षा शिक्षक तैयारी कार्यक्रम शुरू करने हेतु शिक्षा विभाग की सहायता के लिए है। यह योजना विकलांगता क्षेत्रों में से एक में विशेषज्ञता के साथ बी.एड और एम.एड डिग्री पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विशेष शिक्षा में शिक्षक तैयारी योजना के तहत यूजीसी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दो केंद्रों को मंजूरी दी है।

(ग) **दृष्टिबाधित शिक्षकों को वित्तीय सहायता** – यह योजना दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को रीडर की मदद से और ब्रेल किताबें, रिकॉर्ड की गई

सामग्री आदि खरीदने के लिए रीडर्स भत्ता और धन उपलब्ध कराते हुए शिक्षण और शिक्षण सहायता का उपयोग कर शिक्षण और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार की गई है और ऐसे शिक्षकों को शिक्षण, अधिगम और अनुसंधान के लिए विभिन्न सहायता का उपयोग करते हुए आत्म–निर्भरता प्राप्त करने में सहायता करती है। दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों के लिए 36000/– रुपए प्रति वर्ष भत्ता है।

नेट परीक्षा में विकलांग व्यक्तियों को यूजीसी द्वारा प्रदान की गई छूटः

(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं. 34–02/2015–डीडी–III दिनांक 29 अगस्त, 2018, निम्नलिखित प्रावधान बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगे, जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) में परिभाषित किया गया है।

(ii) बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 2 (आर) में परिभाषित किया गया है, का अर्थ है एक निर्दिष्ट विकलांगता के कम से कम 40 प्रतिशत वाले व्यक्ति, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें वह विकलांग व्यक्ति शामिल है जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(iii) एक निर्दिष्ट विकलांगता, जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 2 (जेडसी) में परिभाषित है, का अर्थ है उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट विकलांगता, जिसमें शामिल हैंः

(क) लोकोमोटर विकलांगताः कुष्ठ, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक पीड़ित;

(ख) दृश्य हानिः अंधापन और कम दृष्टि;

(ग) बहरापनः बहरा और सुनने में मुश्किल;

(घ) भाषण और भाषा विकलांगता;

(ङ) बौद्धिक विकलांगताः विशिष्ट सीखने की अक्षमता (डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्केकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात), ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार;

(च) मानसिक बीमारी;

(छ) क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियांः मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग;

(ज) रक्त विकारः हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग;

(झ) बहु निःशक्तताः बधिर अंधता सहित एक से अधिक विनिर्दिष्ट निःशक्तताएं

(iv) दृष्टिहीनता, चलन अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित–बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों के मामले में, यदि वे चाहें तो स्क्राइब रीडर की सुविधा दी जाएगी।

(v) बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणी (उक्त अधिनियम की अनुसूची को संदर्भित किया जा सकता है) के मामले में, एक सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से संबंधित व्यक्ति के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि उसके लिए लिखने की शारीरिक सीमा है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है स्क्राइब/रीडर के प्रावधान की अनुमति दी जा सकती है (यदि वे चाहें तो)।

(vi) ऐसे उम्मीदवारों के पास अपने स्वयं के स्क्राइब/पाठक को लाने का विवेक होगा या वे एनटीए से या परीक्षा में शामिल इसके किसी अधिकृत संस्थान/एजेंसी/कार्मिक के माध्यम से स्क्राइब/रीडर लेने का विकल्प चुन सकते हैं।

(vii) एक पात्र विकलांग उम्मीदवार, जो स्क्राइब/रीडर की सुविधा पाने के इच्छुक हैं, को आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में अपनी उपयुक्त पीडब्ल्यूडी श्रेणी का उल्लेख करना होगा और यह भी रिकॉर्ड करना होगा कि क्या उनके पास अपनी/ स्क्राइब/रीडर की अपनी व्यवस्था या इसकी व्यवस्था एनटीए द्वारा या इसके किसी अधिकृत संस्थान/एजेंसी/ कार्मिक के माध्यम से की जानी है।

(viii) स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर नीचे होगी। स्वयं के लेखक/ पाठक को चुनने वाले बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को स्वयं के लेखक का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(ix) यदि कोई विकलांग उम्मीदवार जिसने एनटीए या उसके किसी अधिकृत संस्थान/एजेंसी/कार्मिक के माध्यम से स्क्राइब/रीडर को चुना है, तो केंद्र अधीक्षक परीक्षा से एक दिन पहले उम्मीदवार की स्क्राइब/रीडर के साथ बैठक की व्यवस्था करेगा, उसे यह जांचने/सत्यापित करने का मौका देने के लिए कि स्क्राइब/रीडर उपयुक्त है या नहीं।

(x) स्क्राइब/रीडर का उपयोग करने की अनुमति वाले उम्मीदवार को परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट से कम का प्रतिपूरक समय नहीं दिया जाएगा। यदि परीक्षा 03 घंटे की अवधि की है, तो प्रतिपूरक समय 01 घंटे होगा। यदि परीक्षा की अवधि 03 घंटे से कम या अधिक है, तो प्रतिपूरक समय आनुपातिक आधार पर होगा।

(xi) जहां तक संभव हो, विकलांग व्यक्तियों की परीक्षा भूतल पर आयोजित की जानी चाहिए।

सक्षम छात्रवृत्ति योजनाः–

एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विकलांग छात्रों को सक्षम छात्रवृत्ति प्रदान करता है। यह युवा विकलांग छात्रों को आगे अध्ययन करने और उनके सफल भविष्य की तैयारी करने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यह योजना उन दिव्यांग छात्रों के लिए है जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है और जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है
- **प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति की संख्याः** सभी पात्र छात्र (डिग्री और डिप्लोमा)।

  उम्मीदवारों को किसी भी एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान में डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम के प्रथम वर्ष या पार्श्व प्रवेश के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाना चाहिए था।
- **छात्रवृत्ति की राशिः** 50,000 रुपये प्रति वर्ष।
- **आरक्षण–** 15% अनुसूचित जाति के लिए, 7.5% अनुसूचित जनजाति और 27% ओबीसी उम्मीदवार/आवेदक के लिए।

विशेष रूप से सक्षम छात्र के लिए सक्षम छात्रवृत्ति योजना

वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
2018-19	51	10,37,690	13	2,70,000
2019-20	29	5,80,000	9	1,80,000

4.3. इग्नू में विकलांग व्यक्तियों की शिक्षाः–

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय समावेशी शिक्षा के माध्यम से ज्ञान समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है। बहुत कम समय में इग्नू ने उच्च शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, विस्तार गतिविधियों और शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ माध्यम के माध्यम से निरंतर व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्षों से इग्नू समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा प्रदान करने की देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण खंड विकलांग व्यक्तियों का है। सीखने की डिसेबल्ड फ्रेंडली डिलीवरी, फ्लेक्सिबल प्रवेश मानदंड और शिक्षा की डोर–स्टेप डिलीवरी विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) के प्रवेश को प्रोत्साहित करती है। नेत्रहीन शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री ब्रेल में मांग पर उपलब्ध कराई जाती है।

विश्वविद्यालय ने पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए 15 विशेष शिक्षार्थी सहायता केंद्र (एलएससी) स्थापित किए हैं, और रिपोर्ट की गई अवधि में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में 1062 विकलांग छात्रों को नामांकित किया गया है। नामांकित छात्रों की विकलांगता के प्रकार में दृश्य हानि, भाषण और श्रवण हानि, कम दृष्टि और गतिहीनता शामिल हैं। छात्रों को अपने अध्ययन को सफलतापूर्वक पूरा करने में सुविधा के लिए, विश्वविद्यालय दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले छात्रों को चयनित पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है और विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी का उपयोग करने के लिए परामर्श भी आयोजित करता है। छात्रों को मांग पर सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाती हैं। विश्वविद्यालय ने विकलांग छात्रों और अन्य वंचित समूहों के मुद्दों को हल करने की प्राथमिकताओं के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना की। विकलांगता अध्ययन और पुनर्वास के क्षेत्र में वकालत, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से राष्ट्रीय विकलांगता अध्ययन केंद्र (एनसीडीएस) की स्थापना की गई है।

विश्वविद्यालय ने सुगम्य पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त की ताकि नामांकित विकलांगों को सुलभ प्रारूप में 3.5 लाख से अधिक पुस्तकों तक पहुंच प्राप्त हो सके। पीडब्ल्यूडी की आसान पहुंच के लिए एमए – हिंदी की अध्ययन सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जाता है।

पीडब्ल्यूडी के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए विश्वविद्यालय ने आठ टेलीकांफ्रेंसिंग कार्यक्रमों और अभिविन्यास कार्यक्रमों का प्रसारण किया। विश्वविद्यालय ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस वर्ष "किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य" विषय पर माता–पिता के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता, एक संवेदीकरण कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला, स्लोगन प्रतियोगिता, "विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस", "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार और उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण" विषय पर नुक्कड़ नाटक विषय पर एक टेलीकांफ्रेंस सत्र का आयोजन 01 से 04 दिसंबर, 2019 के दौरान किया गया।

❖ ❖ ❖

4

प्रशासन

प्रशासन

शिक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्री के समग्र प्रभार के अधीन है, जिन्हें राज्य मंत्री द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षा मंत्रालय में दो विभाग हैं, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग।

प्रत्येक विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के एक सचिव द्वारा किया जाता है। सचिव को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के 5 संयुक्त सचिव, 1 आर्थिक सलाहकार और 1 उप महानिदेशक (सांख्यिकी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव को 2 अपर सचिव, 4 संयुक्त सचिव, 1 आर्थिक सलाहकार और 1 अपर महानिदेशक (सांख्यिकी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, 1 संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं, जो दोनों विभागों के लिए समान हैं।

विभागों को ब्यूरो, डिवीजनों, शाखाओं, डेस्क, अनुभागों और इकाइयों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक ब्यूरो अपर सचिव/संयुक्त सचिव के एक अधिकारी के समग्र प्रभार के अधीन है, जिसे निदेशक/उप सचिव/उप शैक्षिक सलाहकार के स्तर पर विभागीय प्रमुखों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग का संगठनात्मक ढांचा क्रमशः **अनुलग्नक–I** और **अनुलग्नक–II** में संलग्न है।

दोनों विभागों के सचिवालय में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में स्थापना और सेवा मामलों को उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासन ब्यूरो में संभाला जाता है। वर्ष 2020 की गतिविधियों में शामिल हैं:

क) दोनों विभागों के लिए केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत नियुक्त अधिकारियों और केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और पूर्व संवर्ग पदों यानी सलाहकार संवर्ग, सांख्यिकीय संवर्ग आदि के अधिकारियों के स्थापना मामले।

ख) संबंधित संवर्ग नियंत्रण अधिकारियों को कैलेंडर वर्ष 2020 (01.01.2021 तक) के लिए अचल संपत्ति रिटर्न भेजना।

ग) वेतन एवं लेखा कार्यालय के परामर्श से आने वाले महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले इस मंत्रालय के कर्मचारियों की सेवा पुस्तकों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है।

घ) राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना और मिशन मोड परियोजनाओं के तत्वावधान में, इस मंत्रालय ने ई–ऑफिस [फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, ई–लीव, ई–टूर] कानूनी/न्यायालय मामलों की निगरानी प्रणाली और कर्मचारी भुगतान प्रणाली कॉम्प डीडीओ के माध्यम से काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, इस मंत्रालय में सभी आईएएस/आईएफओएस अधिकारियों, और सीएसएस/सीएसएसएस के एएसओ/पीएस और ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए "स्पैरो" (स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) नामक एक ऑनलाइन प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। इन अधिकारियों के संबंध में एपीएआर मामलों को केवल इस पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है। साथ ही, पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली के लिए "भविष्य" नामक एक ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। ई–एचआरएमएस परियोजना को पूर्ण करने के लिए सभी कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया युद्धस्तर पर की जा रही है।

ङ) शाखा में उनकी प्राप्ति पर वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट ख्एपीएआर, के डेटाबेस को अद्यतन करना। सभी मामलों में, शाखा में प्राप्त वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट को संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रकट किया गया था, इससे पहले कि इन्हें संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को प्रतिधारण के लिए अग्रेषित किया गया था।

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

स्थापना शाखा के तहत ई-IV अनुभाग (पूर्ववर्ती प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग दोनों विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों के सदस्यों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर कार्रवाई करता है। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर प्रबंधन, लोक प्रशासन, सतर्कता, नकद और लेखा, कार्मिक आदि के क्षेत्रों में दो विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को नामांकित/प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद आदि जैसे संस्थानों से प्रशिक्षण का मामला जुड़ा हुआ है। ।

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग, आदि द्वारा विदेश में अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए विदेशी प्रशिक्षण, कोलंबो योजना, द्विपक्षीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम आदि के घरेलू वित्त पोषण के अंतर्गत जारी परिपत्रों के जवाब में पात्र और उपयुक्त अधिकारियों के नामांकन भी भेजता है।

वर्ष 2020–21 (01.04.2020 से 31.01.2011) के दौरान और कोविड–19 के दौरान बनी परिस्थितियों को देखते हुए, विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नामित किया गया था, अधिमानतः ऑनलाइन मोड पर, जिसे तालिकाबद्ध रूप में नीचे बताया गया है।

क्र. सं.	प्रशिक्षण और प्रशिक्षु का नामकरण	प्रशिक्षण केंद्र	अधिकारियों की संख्या/भेजे गए अधिकारी/मनोनीत
1.	भारत में पर्यावरण शासन, प्रशासनिक और न्यायिक परिप्रेक्ष्य पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु।	1
2.	डीओपी एंड टी द्वारा संचालित विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम (ए, बी, डी, ई, स्तर I, II, स्तर III, स्तर IV आदि)	आईएसटीएम, नई दिल्ली (ज्यादातर ऑनलाइन मोड पर)।	84
3.	विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए विभिन्न पहलुओं पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम, अर्थात पहली बार सीएसएस में शामिल होने वाले निदेशकों/डीएस स्तर के लिए 3 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम, पेंशन मामले पर अभिविन्यास कार्यक्रम, आदि।	आईएसटीएम, नई दिल्ली	5
4.	भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के एकीकृत वित्त प्रभाग के अधिकारियों के लिए क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए स्तर 2 कार्यक्रम	एनआईएफएम + कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, यूएसए	2
5.	विधायी प्रारूपण में पाठ्यक्रम	विधायी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	4
6.	सेवा में आरक्षण/प्रशासनिक सतर्कता पर प्रशिक्षण	आईएसटीएम, नई दिल्ली (ज्यादातर ऑनलाइन मोड पर)	3
7.	साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण	सी–डैक, हैदराबाद (ऑनलाइन मोड)	7

सतर्कता गतिविधियां

मंत्रालय में सतर्कता प्रकोष्ठ सचिव (उच्चतर शिक्षा) के समग्र पर्यवेक्षण में है, जिसे संयुक्त सचिव स्तर के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ–साथ एक उप सचिव, दो अवर सचिव और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो से सतर्कता विंग में कुल 630 संदर्भ सीधे व्यक्तियों से कई शिकायतों के साथ प्राप्त हुए थे। जनहित प्रकटीकरण संकल्प के अंतर्गत सात (7) शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो जांच के विभिन्न चरणों में है।प्रतिवेदन अवधि के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से 10 शिकायतों को बंद किया गया। कई शिकायतें जांच के अंतिम चरण में हैं। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न स्वायत्त संगठनों में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" विषय के साथ मनाया गया। बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए और सभी सार्वजनिक व्यवहारों में ईमानदारी बनाए रखने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शपथ दिलाई गई।

सूचना एवं सुविधा केंद्र (आईएफसी)

एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क (एनआईसीएनईटी) आधारित सूचना और सुविधा केंद्र (आईएफसी) जून 1997 में स्थापित किया गया था ताकि शिक्षा मंत्रालय से संपर्क करने वाली आम जनता और गैर सरकारी संगठनों को सूचना तक त्वरित और सुविधाजनक पहुंच प्रदान की जा सके। सूचना और सुविधा केंद्र का मुख्य उद्देश्य एक प्रभावी, उत्तरदायी और नागरिक– हितैषी प्रशासन को बढ़ावा देना है। केंद्र, मंत्रालय की योजनाओं के बारे में उच्च अध्ययन के लिए भारत आने वाले आगंतुकों, गैर सरकारी संगठनों, भारतीय छात्रों और विदेशी छात्रों को जानकारी प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अर्थात विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों और आवेदन प्रपत्रों के दिशा–निर्देशों की जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। इंटरनेट सुविधा वाले कंप्यूटर के माध्यम से डेटा/सूचना तक पहुँचा जा सकता है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट का पता www.education.gov.in है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट:

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 को शुरू किया गया है। इस अधिनियम के तहत आवेदन, जब भी प्राप्त होते हैं, आमतौर पर संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को उसी तारीख को सूचना सुविधा केंद्र द्वारा अग्रेषित किए जाते हैं। आवेदन शुल्क रु.10/– प्रति आवेदन विभाग के कैशियर के पास जमा किया जाता है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों (ऑनलाइन सहित) की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए और सूचना साझा करने की सुविधा के लिए, मंत्रालय में अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित करने की समीक्षा की गई है। अवर सचिव और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (2) के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है और संभाग प्रमुखों को उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। दोनों विभागों के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय अधिकारियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आधार पर भी अद्यतन की जाती है।

विभाग ब्यूरो प्रमुखों के माध्यम से अपने स्वायत्त संगठन द्वारा आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख करता रहा है। उनके द्वारा वर्ष 2010–2011 से केन्द्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के लिए सूचना एकत्र करने की प्रणाली में संशोधन किया गया है।इसे त्रैमासिक आधार पर और ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है। मंत्रालयों के तहत स्वायत्त संगठनों के लिए ऑनलाइन सुविधा का

विस्तार किया गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सभी संगठनों को पासवर्ड सौंपे गए हैं और उन्हें सूचित किया गया है कि वे स्वयं सीआईसी की साइट पर जानकारी अपलोड करें।

निम्नलिखित विवरण मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों/अपीलों की वर्ष–वार प्राप्ति को निम्नानुसार दर्शाता है: –

वर्ष	प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों की कुल संख्या और उन पर की गई कार्रवाई
2006	359
2007	641
2008	1554
2009	2166
2010	3235
2011	4833
2012	3940
2013	11028
2014	17681
2015	16643
2016	16336
2017	13645
2018	13214
2019	13321
2020	12911

(ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदनों और अपीलों सहित 31.12.20 तक स्थिति)

लोक शिकायत

उच्च शिक्षा विभाग में आर्थिक सलाहकार के अंतर्गत एक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है जिन्हें लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। लोक शिकायत प्रभाग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न प्रभागों/ब्यूरो/संगठनों के साथ प्रभावी ढंग से समन्वय करके लोक सेवा वितरण में उत्कृष्टता लाने और नागरिकों की शिकायतों का सार्थक तरीके से निवारण करने का प्रयास कर रहा है।

मंत्रालय में शिकायत निदेशक प्रत्येक बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच कर्मचारियों के साथ–साथ जनता की समस्याओं को सुनने के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, कोई भी सभी कार्य दिवसों में कार्य घंटों के दौरान निदेशक (पीजी) से मिल सकता है। जन शिकायतों के निवारण के संबंध में सरकार की नीति के कार्यान्वयन को समग्रता में सुनिश्चित करने के लिए, उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वायत्त/अधीनस्थ संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों ने भी अपने अधिकारियों को लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया है।

रिपोर्ट की अवधि (01.01.2020–31.12.2020) के दौरान पीजी पोर्टल के माध्यम से कुल 28748 शिकायतें प्राप्त हुईं, अर्थात केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) और विभिन्न अन्य स्रोतों से, जिनमें प्रधान मंत्री कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कैबिनेट सचिवालय (लोक शिकायत निदेशालय), राष्ट्रपति सचिवालय और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और भी शामिल हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा विकसित एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम) पोर्टल के माध्यम से 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक प्राप्त जन शिकायतों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सीपीग्राम पोर्टल पर प्राप्त कुल शिकायतें (उच्चतर शिक्षा विभाग)	भौतिक रूप में प्राप्त कुल शिकायतें	इनग्राम पोर्टल पर प्राप्त कुल शिकायतें	कुल योग (प्राप्त)	सीपीग्राम पोर्टल पर निपटाई गई कुल शिकायतें (उच्चतर शिक्षा विभाग)
28028	196	524	28748	27593

नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिकों को उनके प्रति ऐसी प्रत्येक सेवाओं के लिए उनके मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओंके साथ–साथ प्रतिबद्धताओं के संबंध में सशक्त बनाने के उद्देश्य से और नागरिक–प्रशासन इंटरफेस के लाइव उपकरणों के रूप में संहिता के वितरण के माध्यम से नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच समन्वय बनाने के उद्देश्य से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों [अर्थात स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग] की अपनी नागरिक/ग्राहक संहिता (सीसीसी) सुशासन के सुदृढीकरण पर आधारित है और एक प्रभावी और कुशल तरीके से नागरिकों की सेवा हेतु निरंतर प्रयास करते हैं ताकि न केवल पूरा किया जा सके बल्कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। सीसीसी को अद्यतन कर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

❖ ❖ ❖

5

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा

उच्चतर शिक्षा विभाग
सीएजी द्वारा की गई लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सारांश

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	**निरर्थक व्यय** बेली फार्म में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन के बिना और निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के उल्लंघन में था जिसके परिणामस्वरूप 4.99 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय हुआ। *(पैरा संख्या 13.9)* *2017 की रिपोर्ट संख्या 12*
2.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	**निर्माण गतिविधियों में देरी और लागत में वृद्धि** निर्माण कार्यों को क्रियान्वित करने में यूजीसी के दिशा–निर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप लागत में 46.32 करोड़ रुपये की वृद्धि और साथ ही पूरा होने में देरी हुई। पुस्तकालय भवन 15.40 करोड़ रुपये के व्यय और चार साल की देरी के बाद भी आंशिक रूप से खाली और अधूरा है। इसके अलावा, अविवेकपूर्ण स्थल चयन और अधिक निर्माण के साथ–साथ मानदंडों से विचलन के परिणामस्वरूप 19.82 करोड़रुपये का परिहार्य व्यय हुआ। *(पैरा संख्या 12.2)* *2018 की रिपोर्ट संख्या 4*
3.	बीएचयू, वाराणसी, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम, कोलकाता	**जीपीएफ/सीपीएफ ग्राहकों को ब्याज का अधिक भुगतान** बनारस हदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता ने मौजूदा आदेशों के उल्लंघन में जीपीएफ/सीपीएफ ग्राहकों को ब्याज की उच्च दरों का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप 6.28 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ। *(पैरा संख्या 12.4)* *2018 की रिपोर्ट संख्या 4*

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
4.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर	**गैर–कार्यात्मक उपकरण** खराब अनुबंध पद्धतियों और आपूर्ति आदेश की शर्तों को लागू करने के लिए प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप 2.22 करोड़ रुपये अक्रियाशील रहे। *(पैरा संख्या 12.13)* *2018 की रिपोर्ट संख्या 4*
5.	विश्वभारती, शांति निकेतन	**मानदेय का अनियमित भुगतान** वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर मानदेय के भुगतान के परिणाम स्वरूप 1.07 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान हुआ। *(पैरा संख्या 12.14)* *2018 की रिपोर्ट संख्या 4*
6.	सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	**पीएसी को तथ्यों की गलत व्याख्या** सत्यवती कॉलेज ने 2008 से 2011 की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को जीपीएफ/सीपीएफ पर 83.30 लाख रुपये के ब्याज का अधिक भुगतान किया। मंत्रालय ने पीएसी को अपने एटीएन (मई 2017) में कहा कि कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य ने सूचित किया था कि उस राशि को संबंधित कर्मचारियों से वसूल कर लिया गया है। हालांकि, अभिलेखों की बाद की जांच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कॉलेज ने कर्मचारियों से नहीं बल्कि पीएफ शेष के निवेश से उत्पन्न अधिशेष आय से 83.31 लाख रुपये वसूल किए थे। इस प्रकार पीएसी को मिथ्या सूचना दी गई। *(पैरा संख्या 11.1)* *2020 की रिपोर्ट संख्या 6*
7.	1. एनआईटी, भोपाल, 2. एनआईटी, हमीरपुर, 3. एनआईटी, कुरुक्षेत्र, 4. एनआईटी, जालंधर, 5. राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई 6. तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर, तमिलनाडु 7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली 8. सीआईआईएल, मैसूर 9. आईआईएससी, बेंगलुरु 10. एनआईटी, सुरथकल	**सेवा कर का अनियमित भुगतान (एनआईटी/सीसीयू/सीआईआईएल/आईआईएससी) (10 संस्थानों से संबंधित)** तीन मंत्रालयों (शिक्षा मंत्रालय सहित) के तहत दस शैक्षणिक संस्थानों ने सुरक्षा और गृह व्यवस्था जैसी विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जुलाई 2012 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान सेवा प्रदाताओं को कुल 5.34 करोड़ रुपये के सेवा कर का भुगतान किया, हालांकि इसे सेवा कर केभुगतान सेमुक्त किया गया था। *(पैरा संख्या 11.2)* *2020 की रिपोर्ट संख्या 6*

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
8.	सीआईआईएल, मैसूर	**सार आकस्मिक बिलों के आहरण और निपटान के आंतरिक नियंत्रण का आकलन** वर्ष 2006–07 से 2017–18 के दौरान 1.86 करोड़ रुपए के सार आकस्मिक बिलों पर आहरित अग्रिमों के निपटान के लिए आंतरिक नियंत्रणों की विफलता। *(पैरा संख्या 11.3)* *2020 की रिपोर्ट संख्या 6*
9.	आईआईआईटी, ग्वालियर	**मैसर्स एडसिल से अग्रिमों की वसूली/समायोजन – 4.32 करोड़ रु.** अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने दूसरे चरण के निर्माण कार्यों के लिए व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स एडसिल को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया। संस्थान ने मैसर्स एडसिल को मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में 4.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो मौजूदा सीपीडब्ल्यूडी नियमों के उल्लंघन में था। इसलिए, सीपीडब्ल्यूडी मानदंडों के उल्लंघन में दोषपूर्ण समझौते के निष्पादन द्वारा पीएमसी को अनुचित लाभ दिया गया और मैसर्स एडसिल द्वाराब्याज सहित 3.98 करोड़ रुपये की वसूली लंबित थी। *(पैरा नंबर 11.4)* *2020 की रिपोर्ट संख्या 6*

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
सीएजी द्वारा की गई लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सारांश

क्र. सं.	संस्थान का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
1.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का क्रियान्वयन। *2017 की रिपोर्ट संख्या 23*

❖ ❖ ❖

6

बजट

बजट

बजट घोषणा– उच्चतर शिक्षा विभाग

क्र. सं.	पैरा संख्या	बजट घोषणा	वर्ष/ दिनांक	31–12–2020 तक उपलब्धि/स्थिति
1	31	2030 तक, भारत दुनिया में सबसे बड़ी कार्यशील आयु की आबादी के लिए तैयार है। उन्हें न केवल साक्षरता की आवश्यकता है बल्कि उन्हें नौकरी और जीवन कौशल दोनों की आवश्यकता है। शिक्षा नीति के बारे में राज्य के शिक्षा मंत्रालयों, संसद सदस्यों और अन्य हितधारकों के साथ संवाद किया गया है। 2 लाख से अधिक सुझाव भी प्राप्त हुए। नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी।	2021-21	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 29.07.2020 को की गई है। पूर्ण रूप/पर्याप्त रूप से कार्यान्वित।
2	32	यह महसूस किया गया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रतिभाशाली शिक्षकों को आकर्षित करने, नवाचार और बेहतर प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए अधिक से अधिक वित्त की आवश्यकता है। इसलिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में योग्य होने के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सोसिंग को सक्षम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।	2021-21	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 2016 के मौजूदा विनियमों और दिशानिर्देशों में अपेक्षित बदलाव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है ताकि विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान और नवाचार और दोहरी डिग्री, संयुक्त डिग्री और ट्विनिंग कार्यक्रम की सुविधा को प्रोत्साहित किया जा सके। समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं और इस संबंध में नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) भारतीय संस्थानों में विदेशी संस्थानों द्वारा सेंटर ऑफ एमिनेंस की स्थापना के विषय में एक व्यापक नोट तैयार कर रही है। ऐसे केंद्रों की स्थापना के प्रावधानों को वित्त/वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

क्र. सं.	पैरा संख्या	बजट घोषणा	वर्ष/ दिनांक	31–12–2020 तक उपलब्धि/स्थिति
				राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जा रही है। यूजीसी समिति इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के मुद्दे की जांच कर रही है। कार्रवाई की गई लेकिन कार्यान्वयन के अंतर्गत
3	33	सामान्य स्ट्रीम (सेवाओं या प्रौद्योगिकी स्ट्रीम की तुलना में) के छात्रों को अपनी रोजगार योग्यता में सुधार करने की आवश्यकता है। लगभग 150 उच्चतर शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।	2021-21	1. यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम की पेशकश के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। 2. उच्चतर शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में शिक्षा मंत्री द्वारा 7 अगस्त 2020 को यूजीसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। **पूर्ण रूप /पर्याप्त रूप से कार्यान्वित।**
4	35	समाज के वंचित वर्ग के छात्रों के साथ–साथ जिनकी उच्चतर शिक्षा तक पहुंच नहीं है, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, डिग्री स्तर का पूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। यह केवल उन संस्थानों द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे में शीर्ष 100 में हैं। प्रारंभ में, केवल कुछ ऐसे संस्थानों को ऐसे कार्यक्रमों को प्रस्तावित करने के लिए कहा जाएगा।	2021-21	**पीएम ईविद्या – उच्च शिक्षा:** यूजीसी की पूर्ण आयोग की बैठक 29 मई, 2020 को हुई। निम्नलिखित निर्णय लिए गए: • यूजीसी की पूर्वानुमति के बिना ऑनलाइन कार्यक्रम को प्रस्तावित करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को एनआईआरएफ या एनएएसी स्कोर 3.26 में शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। 3.01 से 3.25 के बीच एनएएसी स्कोर वाले संस्थानों को यूजीसी के पूर्व अनुमोदन से ऑनलाइन कार्यक्रम प्रस्तावित करने की अनुमति होगी। • पारंपरिक पाठ्यक्रमों के लिए, यूजीसी ने निर्णय लिया है कि नियमित डिग्री कार्यक्रमों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री की सीमा 20% से बढ़ाकर 40% तक की जाए। उपरोक्त प्रावधानों को प्रभावित करने वाले विनियम जारी किए गए हैं। इसके राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है।

क्र. सं.	पैरा संख्या	बजट घोषणा	वर्ष/ दिनांक	31–12–2020 तक उपलब्धि/स्थिति
				• वर्तमान में 7 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पूर्ण डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रमों को प्रस्तावित करने की अनुमति है। नए नियामक परिवर्तनों के साथ, ऑनलाइन मोड में कार्यक्रमों का प्रस्ताव करने के लिए पात्र एचईआइ की संख्या बढ़कर 239 हो जाने की संभावना है और ओडीएल मोड में इसके बढ़कर 204 होने की संभावना है। **पूर्ण रूप/पर्याप्त रूप से कार्यान्वित**
5	36	भारत उच्चतर शिक्षा के लिए पसंदीदा स्थान होना चाहिए। इसलिए, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, इंड–सैट को एशियाई और अफ्रीकी देशों में आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसका उपयोग भारतीय उच्चतर शिक्षा केंद्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विदेशी उम्मीदवारों के आकलन के लिए किया जायेगा।	2021-21	इंड–सैट परीक्षा 22 जुलाई, 2020 को हुई थी। **पूर्ण रूप/पर्याप्त रूप से कार्यान्वित**
6	63 (1)	एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा जो सहज आवेदन और आईपीआर को ग्रहण करने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही, उत्कृष्टता संस्थान में एक केंद्र स्थापित किया जाएगा जो बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में जटिलता और नवाचार पर काम करेगा।	2021-21	• **डिजीटल प्लेटफार्मः** डीपीआईआईटी में एक आईपीआर डिजीटल प्लेटफार्म इस सुविधा के साथ उपलब्ध हैः पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के लिए ऑनलाइनं आवेदन फाइल करना, तारीखों, फाइल उत्तर के संबंध में जांच रिपोर्ट और सूचना संबंधी जानकारी, प्राप्त करना तथा बीडियो कांफ्रेंसिंग में सुनवाई में उपस्थित होना, पंजीकरण। अनुदान के प्रमानपत्र डाउनलोड करना। **डीपीआईआईटी द्वारा कार्रवाई पूर्ण** • **उत्कृष्टता संस्थान में केन्द्र की स्थापनाः** 2006 में आईआईटी खडगपुर में राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की स्थापना की गई। यह स्कूल आईपीआर संबंधी मामले में कार्यशील है। तदनुसार आईपीआर पर जटिलता और नवाचार संबंधी मुद्दों के समाधान का कार्य आईआईटी, खडगपुर को सौंपने का निर्णय किया गया है। **पूर्णतः/अधिकांशतः पूर्ण**

बजट प्रावधान

उच्चतर शिक्षा विभाग

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	बजट व्यय 2020–21	संशोधित व्यय 2020–21	बजट व्यय 2021–22
	केंद्र का व्यय			
	केंद्र का स्थापना व्यय			
1	सचिवालय– सामाजिक सेवाएं	135.77	139.39	140.00
2	हिंदी निदेशालय	47.51	22.51	30.00
3	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	12.54	16.40	12.00
4	केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और क्षेत्रीय भाषा केंद्र	54.88	56.88	57.88
5	विदेश में शैक्षणिक संस्थानश	7.56	7.56	7.56
	कुल– केंद्र का स्थापना व्यय	258.26	242.74	247.44
	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण			
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं			
6	राष्ट्रीय शिक्षा मिशनः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	300.00	166.00	3000.00
	अन्य अनुदान/पूर्ण/स्थानान्तरण			
7	विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	1900.00	348.51	10.00
	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं			
	उच्चतर शिक्षा			
8	खेल और कल्याण पर राष्ट्रीय पहल	5.00		1.00
9	सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल	5.00		1.00
10	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर	1.30	1.30	1.30
11	केंद्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वविद्यालय (सीयूएचएस) सहित बहु– विषयक अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना, उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण और मानविकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय केंद्र	0.10	0.10	0.10
12	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा)	2200.00	200.00	1.00

उच्चतर शिक्षा विभाग

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	बजट व्यय 2020–21	संशोधित व्यय 2020–21	बजट व्यय 2021–22
13	विश्व स्तरीय संस्थान	500.00	1101.39	1710.00
14	प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास	20.00	20.00	20.00
15	भारतीय ज्ञान प्रणाली			10.00
	कुल–उच्चतर शिक्षा	2731.40	1322.79	1744.40
	छात्र वित्तीय सहायता			
16	गारंटी फंड के लिए ब्याज सब्सिडी और अंशदान	1900.00	700.00	1900.00
17	कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	140.00	206.32	206.32
18	विदेशी सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर विदेश जाने वाले भारतीय विद्वान	1.00	1.00	1.00
19	जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना	225.00	225.00	225.00
20	पीएम रिसर्च फेलोशिप	50.00	75.89	150.00
	कुल–छात्र वित्तीय सहायता	2316.00	1208.21	2482.32
	डिजिटल इंडिया– ई–लर्निंग			
21	आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन	85.00	48.05	150.00
22	आभासी कक्षाओं की स्थापना और बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी)	75.00	75.00	200.00
23	ई–शोध सिंधु	242.00	154.61	154.61
24	उच्च शिक्षा सांख्यिकी और जन सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)	20.00	14.00	20.00
25	राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय	12.40	8.72	20.00
26	राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार	10.00		1.00
27	पीएम ई–विद्या			50.00
28	अकादमिक क्रेडिट बैंक		5.00	50.00
	कुल–डिजिटल इंडिया–ई–लर्निंग	444.40	305.38	645.61

उच्चतर शिक्षा विभाग

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	बजट व्यय 2020–21	संशोधित व्यय 2020–21	बजट व्यय 2021–22
	अनुसंधान और नवाचार			
29	सीमांत क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान		8.00	
30	डिजाइन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पहल	35.00	16.00	35.00
31	उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल	100.00	167.50	100.00
32(i)	उन्नत भारत अभियान	30.00	5.00	5.00
32(ii)	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)	2.40	2.44	2.40
32	उन्नत भारत अभियान– कुल	32.40	7.44	7.40
33	इंप्रिंट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना)	50.00	25.00	25.00
34	सामजिक विज्ञान में प्रभावशाली नीति अनुसंधान (इम्प्रेस)		25.00	25.00
35	शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना (स्पार्क)	40.00	10.00	10.00
36	विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान के लिए योजना (स्टार्स)	50.00	25.00	25.00
37	तकनीकी शिक्षा में बहुआयामी शिक्षा और अनुसंधान सुधार–ई,पी (मेरिट)			10.00
	कुल–अनुसंधान और नवाचार	307.40	283.94	237.40
38	पंडित मदन मोहन मालवी; राष्ट्री; शिक्षक और शिक्ष.I मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी)	50.00	25.00	90.00
39	राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा	2.00	3.00	3.00
40	अकादमिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल	15.00	4.00	10.00
41	तकनीकी शिक्षा– भारत सरकार का गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी)	650.00	670.00	20.00
42	शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम– छात्रवृत्तियां एवं वजीफा	175.00	175.00	500.00
43	भारत में अध्ययन	65.00	25.00	25.00
44	**योजना, प्रशासन और वैश्विक जुड़ाव**			
44.01	वैश्विक जुड़ाव के लिए पहल	65.00	66.69	100.00

उच्चतर शिक्षा विभाग

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	बजट व्यय 2020–21	संशोधित व्यय 2020–21	बजट व्यय 2021–22
44.02	अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति	0.35	0.35	0.35
44.03	गैर–सरकारी सदस्यों को संगोष्ठियों, समितियों की बैठकों आदि/टीए/डीए पर व्यय	0.60	0.60	0.60
44.04	शास्त्री इंडो–कनाडाई संस्थान	7.16	2.86	7.16
44.05	भारत में यूनाइटेड स्टेट्स शिक्षा संस्थान को आयकर और सीमा शुल्क की वापसी	1.64	1.64	1.64
44.06	यूनेस्को में योगदान	18.20	18.20	18.20
44.07	यूनेस्को सम्मेलनों आदि में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनिधिमंडल।	0.80	0.20	0.80
44.08	विदेशी प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा	0.15	0.05	0.15
44.09	यूनेस्को के उद्देश्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए समितियों/सम्मेलनों और प्रदर्शनी संगठनों की बैठकों का आयोजन	0.30	0.20	0.30
44.1	एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकॉक	0.50	0.50	0.50
44.11	अधिगम राष्ट्रमंडल	8.00	12.00	12.00
44	योजना, प्रशासन और वैश्विक जुड़ाव	102.70	103.29	141.70
45	शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम (ईक्यूयूआईपी)	1413.00		
	चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना			
46	**चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना–शिक्षा सेवाएं–उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण**	102.00	100.00	160.00
47	आसियान फैलोशिप	33.00	4.00	10.00
	कुल– केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	8406.90	4229.61	6069.43
	कुल योजनाएं	10606.90	4744.12	9079.43
	अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय			
	सांविधिक और नियामक निकाय			
48	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता	4693.20	4444.70	4693.20

उच्चतर शिक्षा विभाग

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	बजट व्यय 2020–21	संशोधित व्यय 2020–21	बजट व्यय 2021–22
49	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)	416.00	415.00	416.00
	कुल–सांविधिक और नियामक निकाय	5109.20	4859.70	5109.20
	स्वायत्त निकाय			
50	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयू)	7477.26	8468.32	7477.26
	आईएमएस बीएचयू को अनुदान	166.00	166.00	166.00
51	केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	60.35	4.80	60.35
52	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय	53.80	4.00	53.80
	कुल– केंद्रीय विश्वविद्यालय	7757.41	8643.12	7757.41
53	केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित डीम्ड विश्वविद्यालय	351.00	442.82	351.00
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान			
54	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	7182.00	6615.35	7536.02
55	आईआईटी, हैदराबाद (ईएपी)	150.00	225.30	150.00
	कुल–भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	7332.00	6840.65	7686.02
56	भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता	476.00	465.29	476.00
57	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता	3885.00	3265.12	3935.00
58	शिक्षा और अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थानों (आईआईएसईआर) को सहायता	896.00	993.05	946.00
59 (i)	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता	570.25	590.60	600.25
59(ii)	नैनो–विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र (सीईएनएसई आआईआईएससी)	21.40	14.00	21.40
	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को कुल–सहायता	591.65	604.60	621.65
60	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (इलाहा ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता	226.35	195.40	226.35
61	पीपीपी मोड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	167.00	144.02	167.00

उच्चतर शिक्षा विभाग

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	बजट व्यय 2020–21	संशोधित व्यय 2020–21	बजट व्यय 2021–22
	कुल–भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी	393.35	339.42	393.35
62	मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान	254.80	194.95	256.30
63	भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान	433.00	370.73	433.00
64	भारतीय भाषा विश्वविद्यालय और अनुवाद संस्थान			50.00
65	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई	53.90	60.57	53.90
66	योजना और वास्तुकला के स्कूल	275.00	98.75	175.00
67	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	154.90	168.40	173.00
68	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर	21.25	21.36	24.25
69	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	140.00	110.50	103.00
70	अन्य संस्थानों को सहायता			
70.01	भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ	2.50	2.50	1.00
70.02	नेशनल बुक ट्रस्ट	49.98	36.83	49.98
70.03	पुस्तक प्रचार गतिविधियों और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान	0.02	0.02	0.02
70.04	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए)	39.70	38.68	45.00
70.05	ऑरोविले प्रबंधन	18.20	4.58	18.20
70.06	अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग	7.15	7.02	7.15
70.07	एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी और सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता	359.35	344.48	358.35
	अन्य संस्थानों को सहायता	476.90	434.11	479.70
	कुल– अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय	**28601.36**	**27913.14**	**29023.78**
	कुल योग	**39466.52**	**32900.00**	**38350.65**

❖ ❖ ❖

संगठन चार्ट

शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

↓

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव)

↓

उच्चतर शिक्षा विभाग

↓

श्री अमित खरे, आईएएस (जेएच:1985),
सचिव (उच्चतर शिक्षा

श्री राकेश रंजन, आईएएस (एमएन:1992) अपर सचिव (टीई)	श्री विनित जोशी कुमार, आईएएस (एमएन:1992) अपर सचिव (सीयू)	सुश्री नीता प्रसाद (आईआईएस:91) संयुक्त सचिव (आईसीसी और नीति)	श्री संजय कुमार सिन्हा, आईएफओएस (जेके:93), संयुक्त सचिव (प्रबंधन और एल)	सुश्री कामिनी चौहान रतन, आईएएस (यूपी:97), संयुक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा)	श्री मदन मोहन, आईसीएएस, प्रधान सीसीए	सुश्री दर्शना मोमाया डबराल आईपी और टीए और एफएस (1990), संयुक्त सचिव और आर्थिक सलाहकार	श्री मदन मोहन, अपर महानिदेशक (सांख्यिकी)	श्री मृत्युंजय बेहेरा (आईईएस:2001) आर्थिक सलाहकार	श्री मधु रंजन कुमार, आईआरएसएस (1985), संयुक्त सचिव (प्रशासन)
आईआईटी, आईआईआईटी, टीई, टीसी/उन्नत भारत अभियान, भारत ज्ञान प्रणाली, अनुसंधान समन्वय, आईएसईआर, आईआईएससी	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एनईआर, पीडब्ल्यूडी, अनुसूचित, जाति/जनजाति, हेफा, आईओई, सेल, अल्पसंख्यक, टीईक्यूआईपी	आईसीसी, नीति, ईबीएसबी, मीडिया और प्रचार, सतर्कता	प्रबंधन और आईआईएम, भाषाएं, राजभाषा, फिट इंडिया अभियान	यूजीसी, एनईपी और ईक्यूआईपी, पीएमएमएमएनएमटीटी, छात्रवृत्ति, उच्चतर शिक्षा नीति, उच्चतर शिक्षा/सीडीएन,समवत विश्वविद्यालय	लेखा संगठन	वित्त	सांख्यिकी, सीएमआईएस, डीएल, पुस्तक संवर्द्धन और एनबीटी, एसपीए	एआर और पीजी	प्रशासन, संसद, सीडीएन, बोट, सीएफटीआई, एनआईटीटीआर, मूल कर्तव्य प्रचार, कौशल विकास

संलग्नक–II

संगठन चार्ट

शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

↓

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव)

↓

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

↓

श्रीमती अनीता करवाल,
आईएएस IAS (जीजे:1988),
सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

सुश्री लामचोंधोई स्वीटी चांगसान, आईएएस (एएम:1994), संयुक्त सचिव

केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई, एनसीईआरटी, सीटीएसए, एनआईओएस, सभी स्कूल बोर्ड, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मामले, निजी स्कूलों से संबंधित मामले, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, लवडेल स्कूल, इंडो मंगोलियाई स्कूल। जीवन कौशल, योग इनस्कूल, अनुभवात्मक शिक्षा, रंगोत्सव, भाषा महोत्सव, कला उत्सव आदि, राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना, स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ, एमएचआरडी पर वार्षिक रिपोर्ट – स्वायत्त निकायों द्वारा नई पहल।

आयुष, रक्षा, रेलवे और जनजातीय (एकलव्य स्कूल), संस्कृति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों/विभागों से संबंधित किसी को भी शेष कार्य के लिएनोडल अधिकारी आवंटित नहीं किया गया है।

श्री रामचन्द्र मीना, आईआरएस (आईटी) (1992), संयुक्त सचिव (मिड डे मील)

मध्याहन भोजन योजना, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार (नेट), राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी), राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण फाउंडेशन (एनएफटीडब्ल्यू), समग्र शिक्षा के स्वास्थ्य और पोषण घटक, पारिस्थितिकी और युवा क्लब, मीडिया, उपाध्यक्ष केवीएस, दीक्षा और अन्य डिजिटल शिक्षा पहला ध्रूव और पीपीसी, एन–डीईएआर, उच्च शिक्षा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों/विभागों से संबंधित किसी को भी अवशिष्ट कार्य के लिए नोडल अधिकारी, MyGov से संबंधित सभी कार्य, तैयारी डिजिटल शिक्षा पर वार्षिक भारत रिपोर्ट। ओडीबी सहित समग्र शिक्षा के आईसीटी घटक का कार्यान्वयन और निगरानी।

सुश्री गीता जोशी (आईईएस:1996) आर्थिक सलाहकार (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

सभी योजनाएं, आर्थिक विश्लेषण और शिक्षा के लिए संसाधन आवंटन और व्यय पर निगरानी, वित्त आयोग, विभाग में सभी पोर्टलों का समन्वय, एनआईसी, शगुन रिपोजिटरी की सामग्री, विभाग के लिए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, आधार से संबंधित कार्य, डीबीटी और यूआईडीएआई, आकांक्षी जिले, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों/विभागों, आर्थिक मामलों और 15वें वित्त आयोग, नीति आयोग, वित्त, मंत्रालयोंधविभागों की योजनाओं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अनुपालन के बोझ को कम करने से संबंधित ईबीएसबी मामलों पर भारत रिपोर्ट तैयार करने सहित कन्वर्जेस, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुझाव देना।

श्री संतोष कुमार यादव, आईएएस (यूपी:1995), संयुक्त सचिव (एसएस– I)

समग्र शिक्षा के तहत सभी मामलेः एनसीएफ फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन (ईसीई) प्री–प्राइमरी प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स/गेम्स/प्ले एंड फिट इंडिया कैंपेन प्रमोशन ऑफ रीडिंग/लाइब्रेरी, इनक्लूसिव एजुकेशन– (लड़कियां, दिव्यांग, एससी/एसटी, आदि) केजीबीवी सहित) इक्विटी, किशोर शिक्षा, महिला समाख्या, मौलिक कर्तव्य अभियान, व्यावसायिक शिक्षा, पीएबी बैठकों का संगठन, एसएमसी/एसएमडीसी सहित सामुदायिक जुटाना, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (एएलटी) योजना, कोविड से संबंधित मामले–19, ओओएमएफकी निगरानी, एमएचए के साथ टीडब्ल्यूईजिलों का समन्वय कार्य, वार्षिक फिट इंडिया– एसईरिपोर्ट तैयार करना, समावेश रिपोर्ट तैयार करना। मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम), अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचे के विकास की योजना (आईडीएमआई)।

श्री विपिन कुमार, आईएएस (बीएच:1996), संयुक्त सचिव (एई/प्रशासन)

प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता, साक्षर भारत मिशन, प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता के लिए योजना, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) समन्वय और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के संसदीय कार्य, ई–ऑफिस, राष्ट्रीय घटक, प्रधान मंत्री, सचिवों के क्षेत्रीय समूह, आदि द्वारा सभी समीक्षाएं। एसई एंड एल.ई–समीक्षा, एलआईएमबीएस, सीपीग्राम स्पोर्ट्स, शिक्षक और प्रधानाचार्य से संबंधित प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगरू शिक्षक शिक्षा के सभी पहलू, शिक्षक भर्ती और अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण, एससीईआरटी, डाइट आदि के साथ समन्वय, शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीएफ, प्रौढ़ शिक्षा के लिए एनसीएफ, दिल्ली, पुडुचेरी, डीएनएच एंड डीडी, लक्षद्वीप, ए एंड एन द्वीप समूह, और हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ के राज्यों, एमएचए के साथ सभी केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय कार्य, एनसीटीई के माध्यम से टीई में नवाचार पर भारत की रिपोर्ट तैयार करना, विश्व बैंक, एडीबी योजनाएं, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं।

श्री मनीष गर्ग, आईएएस (एचपी:96), संयुक्त सचिव (एसएस–II)

समग्र शिक्षा के तहत सभी मामलेरू नीति और योजना, वित्त, बजट, निगरानी और मूल्यांकन, पीएमएस या प्रबंध प्रणाली, सीखने के परिणाम, एनएएस सहित मूल्यांकन, स्कूल आधारित आकलन (पारख को छोड़कर), मॉडल स्कूल, आरटीई अधिनियम, बुनियादी ढांचा, पहुंच सहित सार्वभौमीकरण, स्कूल से बाहर के बच्चे, 12(1)©, आवासीय विद्यालय और छात्रावास, पुरस्कार सहित स्वच्छ विद्यालय, पखवाड़ा, यूनिसेफ, पीआईएसए, एनसीईआरटी, एनआईईपीए से संबंधित समग्र शिक्षा मामले, समग्र शिक्षा के टीएसजी से संबंधित मामले, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता जिसमें 3–9 के स्थापना वर्ष शामिल हैं, एनईपी के कार्यान्वयन का समन्वय और इसकी कार्यान्वयन योजना (क्वेस्ट), चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश और गुजरात, यूपी, गोवा, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब।

श्री पी. के. बनर्जी (आईएसएस:1993) डीडीजी (सांख्यिकी)

स्कूल शिक्षा, वैश्विक और प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यूडीआईएसई+, यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान (यूआईएस) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को डेटा की आपूर्ति, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), प्रकाशन ''परीक्षा परिणाम'', ''एक नजर में शैक्षिक सांख्यिकी'' से संबंधित आंकड़े। ''स्कूली शिक्षा पर चयनित सूचना'', सेवा सूचकांक (शिक्षा), उत्पादन, जनसंख्या प्रक्षेपण, डेटा अभिसरण से संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय कार्य, स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रमुख रिपोर्टों का विश्लेषण, शिक्षा संबंधी सूचकांकों के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

और

उच्चतर शिक्षा विभाग